[2018] 7 एससीआर आर 1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

बनाम.

भारत संघ और अन्य (2017 की सिविल अपील संख्या 2357)

04 जुलाई, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. के. सिकरी, ए. एम. खानविलकर, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ और अशोक भूषण, जे. जे.]

भारत का संविधानः

अनुच्छेद 239 एए और 239 एबी – दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली – स्थिति – स्थापित किया गया कि दिल्ली के एनसीटी को वर्तमान संवैधानिक योजना के तहत राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है– दिल्ली के एनसीटी की स्थिति अद्वितीय है – दिल्ली के उपराज्यपाल की स्थिति किसी अन्य राज्य के राज्यपाल के समान नहीं है, बल्कि वह सीमित अर्थों में उपराज्यपाल के पदनाम के साथ काम करते हुए एक प्रशासक बने हुए है– उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं और वह अनुच्छेद 239 एए के प्रावधान के अधीन निर्वाचित मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य है, और वे मामले को संसद को भेज सकते हैं – मंत्रिपरिषद के निर्णयों को उपराज्यपाल को सूचित किया जाना चाहिए , लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक है – अनुच्छेद 239 एए (4) को संवैधानिक विश्वास और नैतिकता के मानकों, सहयोगात्मक संघवाद और संवैधानिक संतुलन के सिद्धांत, संवैधानिक शासन और निष्पक्षता की अवधारणा और प्रतिनिधि सरकार के सम्मान के पोषित और सुसंकृत विचार को ध्यान में रखते हुए असाधारण परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए । उपराज्यपाल को बिना सोचे समझे या यांत्रिक तरिके से कार्य नहीं करना चाहिए , जिससे मंत्रिपरिषद के हर निर्णय को राष्ट्रपति के पास भेजा सके । यदि दिल्ली सरकार ऐसी नीतियों और कानूनों को लागू करने में सक्षम नहीं है, जिन पर दिल्ली

विधानसभा को दिल्ली के लिए कानून बनाने का अधिकार है तो अनुच्छेद 239 ए. ए. और 239 ए बी को शामिल करके दिल्ली के लिए लोकतांत्रिक और प्रतिनिधिक सरकार स्थापित करने का प्रयास निरर्थक हो जायेगा । संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम 1991 ।

2 अनुच्छेद 239 एए – का निर्वचन –निर्णित : अनुच्छेद 239AA (3) (a) के निर्वचनात्मक विच्छेदन से पता चलता है कि संसद को राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्ति है – दिल्ली की विधानसभा को समवर्ती सूची में शामिल सभी विषयों और राज्य सूची में शामिल तीन विषयों (सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि) को छोडकर सभी पर कानून बनाने की शक्ति है – एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में, भारत संघ के पास दिल्ली के संबंध में विशेष कार्यपालिक शक्ति है जिसके संबंध में दिल्ली विधानसभा की शक्ति को अलग रखा गया है – अन्य मामलों के संबंध में कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग दिल्ली की सरकार द्वारा ही किया जाना है – तथापि, यह अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान के अधीन है– इस तरह की व्याख्या संविधान द्वारा लगायी गयी सीमाओं के अधीन स्वंतत्रता द्वारा सरकार को कुछ आवश्यक परिणाम देकर व्यावहारिक संघवाद और संघीय संतुलन की अवधारणाओं के अनुरूप होगी ।

प्रतिनिधि शासन – आदर्श/ सिद्धांत – निर्णित : एक लोकतांत्रिक गणराज्य में, संप्रभु, कानून बनाने और नीतियों को आकार देने के लिए कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करते है–प्रतिनिधि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करना है – निर्वाचित प्रतिनिधि को जनता के प्रति जवाबदेह होने के कारण सुलभ तरीके से पहुंच योग्य होने चाहिए और पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए – इस प्रकार, निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रतिनिधि शासन के मानक के रूप में संवैधानिक निष्पक्षता प्रदर्शित करनी चाहिए ।

संवैधानिक नैतिकता और संवैधानिक निष्पक्षता–की अवधारणा – निर्णित : संवैधानिक नैतिकता वह आधार है जो उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से एक आवश्यक जांच के रूप में कार्य करती है–इसके अलावा, जांच और संतुलन का सिद्धांत संवैधानिक निष्पक्षता के सिद्धांत को जन्म देता है – संवैधानिक न्यास संवैधानिक नैतिकता के तहत पदाधिकारियों से उद्देश्य व्यावहारिकता और उचित प्रशासन को बनाये रखने के

लिए आवश्यक संतुलन द्वारा निर्देशित होने की अपेक्षा करता है – उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद के प्रत्येक निर्णय को राष्ट्रपति को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है – उन्हें संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा द्वारा निर्देशित होना चाहिए और संवैधानिक निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए ।

संवैधानिक शासन और वैध संवैधानिक न्यास की अवधारणा – निर्णित : संवैधानिक शासन की अवधारणा की दो विशेषताएँ हैं, सार्वजनिक शक्ति की प्रत्ययी प्रकृति के सिद्धांत एवं जांच और संतुलन की प्रणाली – यह अपेक्षित संवैधानिक विश्वास को जन्म देती है जिसे सभी संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय प्रदर्शित किया जाना चाहिए – अनुच्छेद 239AA (4) के प्रावधान के तहत उपराज्यपाल की शक्ति का प्रयोग संवैधानिक विश्वास और नैतिकता के मानकों, सहयोगी संघवाद और संवैधानिक संतुलन के सिद्धांत, संवैधानिक शासन और निष्पक्षता की अवधारणा एवं प्रतिनिधि सरकार के प्रति सम्मान के पोषित और विकसित विचार को ध्यान में रखते हुए असाधारण परिस्थितियों में किया जाना है – उपराज्यपाल को बिना सोचे–समझे यांत्रिक तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि मंत्रिपरिषद के हर निर्णय को राष्ट्रपति के पास भेजा जाये ।

सामूहिक उत्तरदायित्व धारण करने का सिद्धांत – निर्णित : संसदीय शासन प्राणाली मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होती है – मंत्रिमण्डल किसी भी मंत्रालय में की गई प्रत्येक कार्यवाही के लिए विधायिका के प्रति कर्तव्य रखता है और प्रत्येक मंत्री मंत्रालय के प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार होता है – सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत 'सहायता और सलाह' के संदर्भ में अत्याधिक महत्व रखता है – यदि मंत्रिपरिषद के एक सुविचारित वैध निर्णय को उपराज्यपाल की ओर से मतभेद के कारण प्रभावी नहीं किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा को उपेक्षित कर दी जायेगी ।

संघीय कार्यात्मकता और लोकतंत्र – की अवधारणा – निर्णित : संविधान एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था तथा समसामयिक विविधता में अपनी प्रतिष्ठा एकता और

पहचान को खोए बिना अंततः सामंजस्य में एक बहुलवादी स्थान स्थापित करने के लिए संघवाद और लोकतंत्र के लिए एक सार्थक साधन पर विचार करता है।

सहयोगात्मक संघवाद, व्यावहारिक संघवाद और संघीय संतुलन - की अवधारणा - निर्णित : संवैधानिक दृष्टि से केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को एक समग्र संरचना बनाये रखने के उद्देश्य से समान रूप से आकर्षित करती है - इस प्रकार, संघ और राज्य सरकारों को सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व और अन्योन्याश्रितता प्रदर्शित करके एक सहयोगी संघीय योजना को अपनाना चाहिए ताकि किसी भी संभावित संवैधानिक कलह से बचा जा सके - व्यावहारिक संघवाद को स्वीकार करना और संघीय संतुलन हासिल करना एक आवश्यकता बन गई है जिसके लिए संघ और राज्य सरकारों की ओर से व्यावहारिक अभिविन्यास का प्रदर्शन और अनुशासित ज्ञान की आवश्यकता है- ये अवधारणाएँ दिल्ली के एनसीटी के लिए प्रयोज्यता रखती है ।

संघीय संतुलन – अवधारणा – निर्णित : संघवाद एक ऐसी अवधारणा है जो सरकार के एक ऐसे स्वरूप की कल्पना करती है जहां राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का वितरण होता है – संघीय संतुलन का सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों को अपने–अपने क्षेत्रों में काम करना चाहिए – संघ को सभी शक्तियों को हड़पना नहीं चाहिए है और राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से किसी भी अवांछित हस्तक्षेप के बिना उन मामलों के संबंध में जो विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहिए– संघीय संतुलन सुनिश्चित करने में न्यायालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

संवैधानिक संस्कृति और व्यावहारिकता – आवश्यकता – निर्णित: 'संवैधानिक संस्कृति' शब्द एक वैचारिक मानक भावना है जो संविधान को एक गतिशील दस्तावेज में बदल देती है – यह समाज में होने वाले तेज और तीव्र परिवर्तनों के साथ लगातार तालमेल बनाये रखने में सक्षम बनाती है– संवैधानिक संस्कृति को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी राज्य और जनता पर है– संवैधानिक न्यायालयों को, संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय, संवैधानिक संस्कृति को ध्यान में रखना चाहिए –इसकी नम्य और विकासशील प्रकृति को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि प्रावधानों को एक ऐसा अर्थ दिया जा सके जो कि संविधान के उद्देश्य और प्रयोजनाओं को दर्शाता हो– संवैधानिक संस्कृति की भावना को

बढ़ावा देने और पारेषित करने के लिए न्यायालयों द्वारा अपनाई गई व्याख्या के व्यावहारिक दृष्टिकोण ने 'संवैधानिक व्यावहारिकता' के युग की शुरुआत की है।

संवैधानिक पुनर्जागरण – प्रज्ञा – निर्णित : संविधान के प्रावधानों की भाषा द्वारा अनुमेय किसी भी चींज की अनदेखी करना और इसका अर्थ, भावना और मौन का सम्मान करना ही संवैधानिक आदर्शवाद की पूर्ति है – संविधान एक रचनात्मक संविधान है – संवैधानिक शासन और कानून के शासन के क्षेत्र में निरंकुशता या अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है – संवैधानिक पदाधिकारियों से संवैधानिक पुनर्जागरण की समझ विकसित करने की उम्मीद की जाती है – उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद इस आदर्शवाद का पालन करेंगे ।

कानूनों का निर्वचन:

कानूनों का निर्वचन – अपनाये जाने वाला दृष्टिकोण – निर्णित : संवैधानिक न्यायालयों को संविधान के शब्दों को संविधान की भावना के प्रकाश में पढ़ना चाहिए ताकि संविधान की आदर्श लोकतांत्रिक प्रकृति और प्रतिनिधि भागीदारी का प्रतिमान नष्ट न हो – कई कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए । जिस उद्देश्य के साथ विभिन्न प्रावधान पेश किए गए थे, उसके साथ सामंजस्यपूर्ण समाधान निकालने के लिए – न्यायाधीशों ने यह देखा कि संविधान का उद्देश्य कभी भी कठोर और अनम्य नहीं था और इसमें निहित अवधारणाएं समय एवं स्थिति के अनुसार विकसित होनी है ।

संविधान की निर्वचन – उद्देश्यपूर्ण निर्वचन – निर्णित : संवैधानिक प्रावधान की निर्वचन में शाब्दिक नियम को प्राथमिक मार्गदर्शक कारक नहीं होना चाहिए , विशेष रूप इस स्थिति में से यदि परिणाम संविधान में व्यक्त अधिकारों और मूल्यों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगा, न्यायालयों को संविधान की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण तरीके से करनी चाहिए, जिससे इसके वास्तविक इरादे को प्रभावी बनाया जा सके और प्रावधान स्थिर और कठोर न रहें।

निर्णित :

<u>सीजेआई दीपक मिश्रा के अनुसार (अपने लिए, ए. के. सीकरी और ए. एम. खानविलकर, जे. जे.):</u>

1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को वर्तमान संवैधानिक योजना के तहत राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है । दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा एक वर्ग से अलग है और दिल्ली के उपराज्यपाल का दर्जा किसी राज्य के राज्यपाल जैसा नहीं है, बल्कि वह एक सीमित अर्थ में, उपराज्यपाल के पदनाम के साथ काम करते हुए एक प्रशासक बने रहते हैं । 69 वें संशोधन के आधार पर अनुच्छेद 239 एए को शामिल करने के साथ , संसद ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए सरकार के एक प्रतिनिधि स्वरूप की परिकल्पना की । उक्त प्रावधान का उद्देश्य राजधानी के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधान सभा का निर्माण करना है, जिसके पास राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले मामलों पर विधायी शक्तियां होंगी, अपवादों (सार्वजनिक व्यवस्था , पुलिस और भूमि) को छोड कर, और उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने का जनादेश होगा, सिवाय इसके कि जब वह मामले को अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय लेता है । अनुच्छेद 239 एए (4) में नियोजित 'सहायता और सलाह'का यह अर्थ समझा जाना चाहिए कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं और यह स्थिति तब तक सही है जब तक कि उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) के प्रावधान के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं । उपराज्यपाल को कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं सौंपी गई है । उसके पास मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह'पर कार्य करने के लिए या वह राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य है। [पैरा 277–xii, xiii, xvii]

1.2 अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) के व्याख्यात्मक विच्छेदन से पता चलता है कि संसद के पास राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्ति है। साथ ही, दिल्ली की विधानसभा के पास उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति भी थी जो समवर्ती सूची में शामिल थे और राज्य सूची में तीन सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड कर सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति थी । [पैरा 277–xiv] [180–बी–डी; 181–सी–डी]

1.3 एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में, भारत संघ के पास राज्य सूची के तीन मामलों से संबंधित दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में विशेष कार्यकारी शक्ति है,

जिसके संबंध में दिल्ली विधानसभा की शक्ति को बाहर रखा गया है । अन्य मामलों के संबंध में, कार्यकारी शक्ति का प्रयोग दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा किया जाना है । यद्यपि यह संविधान के अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान के अधीन है । इस तरह की व्याख्या व्यावहारिक संघवाद और संघीय संतुलन की अवधारणाओं के अनुरूप होगी, क्योंकि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन स्वंतत्रता की कुछ आवश्यक डिग्री मिल जायेगी। [पैरा 277–xvi] [181–ए–सी]

नई दिल्ली नगर निगम बनाम पंजाब राज्य [1996] 10 पूरक । एससीआर 472:(1997) 7 एस. सी. सी. 339–अनुसरण किया गया।

<u>प्रतिनिधि शासन के आदर्श/सिद्धांतः</u>

2.1 लोकतंत्र के गणतंत्रात्मक स्वरूप में प्रतिनिधि शासन एक प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें किसी राष्ट्र के लोग अपने कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इस प्रकार चुने गए प्रतिनिधियों को नागरिकों द्वारा ऐसी नीतियां बनाने का कार्य सौंपा जाता है जो मतदाताओं की इच्छा को प्रतिबिंबित करती हैं । एक प्रतिनिधि सरकार का मुख्य उद्देश्य नीतियों में जनता की इच्छा, धारणा और लोकप्रिय भावना का प्रतिनिधित्व करना है । इस प्रकार, प्रतिनिधि बड़े पैमाने पर लोगों की ओर से कार्य करते हैं और कानून निर्माताओं के रूप में अपनी गतिविधियों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह रहते हैं । इसलिए , शासन के प्रतिनिधि स्वरूप यह लोकप्रिय इच्छा को सामने लाने के लिए एक उपकरण के रूप में सामने आता है। भारत के संविधान ने स्थानीय, राज्य और संघ जैसे सभी स्तरों पर शासन के प्रतिनिधि आदर्श को अपनाया है । इस प्रकार माना जाता है कि लोग संप्रभु हैं क्योंकि वे वयस्क मताधिकार की शक्ति का प्रयोग करते हैं जो अंततः प्रतिनिधि लोकतंत्र की संरचना का निर्माण करता है । इसके अलावा, संप्रभु के प्रत्येक घटक को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शिकायतों को व्यक्त करने का अधिकार है । यह दोहरा विचार जनता के प्रति जवाबदेही के सिद्धांत की आधारशिला स्थापित करता है क्योंकि इसमें शक्ति और जिम्मेदारी का मूल निहित है। [पैरा49,52,53] [81–जी–एच; 82–ई; 83–बी]

बिहार राज्य और एक अन्य बनाम बाल मुकुंद साह और अन्य
[2000] 2 एससीआर 299:2000 (4) एस. सी. सी. 640– संदर्भित।

बर्नार्ड मैनिन द्वारा प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रेस, 1997–संदर्भित।

2.2 एक लोकतांत्रिक गणराज्य में, जो सामूहिक रूप से संप्रभु होते हैं, वे विधि बनाने और नीतियों को आकार देने के लिए अपने कानून बनाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो लोकप्रिय इच्छा को प्रतिबिंबित करते हैं।निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह होने के कारण सुलभ, पहुंच योग्य और पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए । इस प्रकार, निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रतिनिधि शासन के मानक के रूप में संवैधानिक निष्पक्षता प्रदर्शित करना चाहिए जो न तो वैचारिक विखंडन को बर्दाश्त करता है और न ही किसी काल्पनिक कल्पना को प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह संवैधानिक विचारधाराओं पर जोर देती है। [पैरा 277 (ii)] [177–एफ–जी]

2.3 जब निर्वाचित प्रतिनिधि और संवैधानिक पदाधिकारी अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं, तो वे संविधान के प्रति निष्ठा रखने और संविधान को बनाए रखने की शपथ लेते हैं । इस प्रकार, उनसे न केवल संविधान के प्रावधानों के प्रति सजग रहने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि संवैधानिकता, संवैधानिक निष्पक्षता और संवैधानिक विश्वास आदि जैसी अवधारणाओं के प्रति भी जागरूक रहने की अपेक्षा की जाती है। संप्रभु द्वारा मतों के रूप में व्यक्त किया गया समर्थन संविधान के विरूद्ध या उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही करने का बहाना नहीं बन सकता है । यद्यपि निर्वाचित प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोक इच्छाशक्ति को नीतियों और कानूनों में बदलने के साधन के रूप में कार्य करें, फिर भी उन्हें संविधान के दायरे में रह कर ऐसा करना चाहिए। उन्हें संवैधानिक निष्पक्षता को प्रतिनिधि शासन के एक मानक के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि यह वैचारिक लोकतांत्रिक बहुमत में निहित है जो न तो वैचारिक विखंडन को बर्दाश्त करता है और न ही किसी भी प्रकार की काल्पनिक कल्पना को प्रोत्साहित करता है । यह वास्तविक संवैधानिक विचारधाराओं पर जोर देता है । [पैरा 56] [83–जी–एच; 84–ए–बी

<u>संवैधानिक नैतिकताः</u>

3.1 अपने कठोरतम अर्थों में संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य दस्तावेज़ के विभिन्न खंडों में निहित संवैधानिक सिद्धांतों का सख्त और पूर्ण पालन करना है । जब कोई देश संविधान से संपन्न होता है, तो उसके साथ एक वादा भी होता है,जो यह निर्धारित करता है कि देश के प्रत्येक सदस्य को अपने नागरिकों से लेकर उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों तक,संवैधानिक मूल सिद्धांतों का पालन करना चाहिए । संविधान द्वारा अधिरोपित यह कर्तव्य इस तथ्य से उपजा है कि संविधान एक अपरिहार्य आधारभूत आधार है जो नागरिकों को दिये गये लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है कि वह निर्बाध रहे।संवैधानिक पदाधिकारियों को इस वाकपटु साधन के प्रति अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए,क्योंकि इस दस्तावेज से उन्हें अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त होते हैं और एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संवैधानिकता की भावना को विकसित करें,जहां उनके द्वारा की गई प्रत्येक कार्यवाही संविधान के मूल सिद्धांतों के साथ शक्ति से उसके अनुरूप शासित हो । [पैरा 57] [84–सी–ई]

3.2 संवैधानिक नैतिकता वह आधार है जो उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से एक आवश्यक जांच के रूप में कार्य करता है, जैसा कि अनुभव से पता चला है कि बिना किसी नियंत्रण और संतुलन के बेलगाम शक्ति के परिणामस्वरूप एक निरंकुश और अत्याचारी स्थिति पैदा होगी जो लोकतंत्र के मूल विचार के विपरीत है । संवैधानिक नैतिकता सरकारी अभिकरण की ओर से होने वाली चुक और राजनीति की लोकतांत्रिक प्रकृति को प्रभावित करने के उद्देश्य से रंगीन गतिविधियों के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करती है। [अनुच्छेद 59,61] [84–जी. एच.; 85–ए., ई.]

3.3 संवैधानिक नैतिकता, जिसे उचित रूप से समझा जाता है, का अर्थ है वह नैतिकता जो संवैधानिक मानदंडों और संविधान की अंतरात्मा में अंतर्निहित तत्व है। औचित्य प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। संवैधानिक दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, यह अपरिहार्य है कि सभी नागरिक और विशेष रूप से उच्च पदाधिकारी संवैधानिक नैतिकता की भावना पैदा करें जो कुछ लोगों के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण के विचार को नकारती है। जब कोई उदारता का विचार व्यक्त कर रहा होता है, तो हो सकता है कि वह न्याय के मानक को पूरा नहीं कर रहा हो। इसमें

कृपालुता का तत्व हो सकता है। लेकिन जब कोई कार्य में न्याय दिखाता है, तो किसी भी अनुदान या उदारता की भावना नहीं होती है। यह मानक मूल्य के अंतर्गत आएगा। यह संवैधानिक न्याय की कसौटी है जो संवैधानिक नैतिकता के दायरे में आती है। यह उदारता के व्यक्तिपरक अभिव्यक्ति के बिना संवैधानिक न्याय के सिद्धांत की वकालत करता है। [पैरा 61] [85–एफ–जी; 86–ए–बी]

मनोज नरूला बनाम भारत संघ [2014] 9 एससीआर 965:

(2014) 9 एस. सी. सी. 1; कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार औरअन्य [2015] 4 एससीआर 987:(2015) 3 एस. सी. सी. 467–संदर्भित।

<u>संवैधानिक निष्पक्षता:</u>

4.1 संविधान, अपनी भव्यता में, "नियंत्रण और संतुलन"के सिद्धांत को दृढ़ता से अपनाता है। यह सिद्धांत बदले में "संवैधानिक निष्पक्षता"के सिद्धांत को जन्म देता है। संविधान उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से सुसज्जित राज्य के अंगों से अपेक्षा करता है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संविधान के प्रति अपने निष्ठा को बनाये रखते हैं । संवैधानिक योजना के तहत परिकल्पित तटस्थता को संविधान के तहत अपने कर्तव्यों और कार्यों के प्रदर्शन में उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। यह वह विश्वास है जो संविधान उनमें रखता है। [पैरा 62] [86–बी–डी]

4.2 संवैधानिक निष्पक्षता की अवधारणा, अपने आप में संस्थापक पिता की दृष्टि में निहित है और इस दृष्टि को साकार करने की दिशा में व्यापक प्रयास करना राज्य के अंगों का दायित्व है। लेकिन, साथ ही, उन्हें उस विश्वास को बनाए रखते हुए संविधान के प्रति सच्चा रहना चाहिए जो संविधान उनमें रखता है और इस तरह अपने सही अर्थों में संवैधानिक निष्पक्षता का प्रदर्शन करना चाहिए। संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय और जिस प्रक्रिया द्वारा इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, उनमें मानक तर्कसंगतता और स्वीकार्यता होनी चाहिए। इसलिए, इस तरह के निर्णयों के अनुरूप होने चाहिए । संवैधानिक निष्पक्षता के सिद्धांत और संविधान की भावना के साथ सुसंगत होना चाहिए। यह केवल निर्णय ही नहीं है, बल्कि इस तरह के निर्णय लेने में अपनाई गई प्रक्रिया भी है जो संवैधानिक निष्पक्षता के अनुरूप होनी चाहिए । एक संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा लिया गया

निर्णय को अंतिम विश्लेषण में जांच का सामना करना पड सकता है, लेकिन जब तक कि इस तरह के निर्णय पर पहुंचने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया संवैधानिक निष्पक्षता के विचार के अनुरूप नहीं होती है, तब तक यह आलोचना को आमंत्रित करता है। इसलिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया को कभी भी स्थापित मानदंडों और परंपराओं को दरकिनार नहीं करना चाहिए जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और करनी चाहिए। [पैरा63,64] [86–डी–ई, 87–बी–डी]

इंद्र साहनी बनाम भारत संघ और अन्य 1993 एआईआर 477 : [1992] 2 पूरक एस. सी. आर. 454–संदर्भित।

<u>संवैधानिक शासन और वैध संवैधानिक न्यास की अवधारणाः</u>

5.1 सर्वोच्च साधन होने के नाते संविधान में संवैधानिक शासन की अवधारणा की परिकल्पना की गई है, जिसके दो अंगों के रूप में, सार्वजनिक शक्ति की प्रत्ययी प्रकृति के सिद्धांत और नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली है।संवैधानिक शासन, बदले में, अपेक्षित संवैधानिक विश्वास को जन्म देता है,जिसे सभी संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय प्रदर्शित किया जाना चाहिए। [पैरा 277 (v)] [178–D]

5.2 हमारे जैसी राजनीति व्यवस्था में संवैधानिक शासन की अवधारणा न तो काल्पनिक है और न ही अमूर्त है, बल्कि वास्तविक, ठोस और आधारभूत है । 'शासन' शब्द एक प्रशासन, एक शासी निकाय या संगठन के विचार को समाहित करता है, जबकि 'संवैधानिक' शब्द का अर्थ है मौलिक जैविक विधि , यानी संविधान द्वारा स्वीकृत या उसके अनुरूप या उसके तहत कुछ संचालित है । इस प्रकार, 'शासन' शब्द जब 'संवैधानिक' शब्द द्वारा अर्हताप्राप्त करता है तो यह शासन/सरकार के एक रूप को व्यक्त करता है जो संवैधानिकता की अवधारणा का पालन करता है। शासन का उक्त रूप स्वयं संविधान द्वारा स्वीकृत है, इसके कार्य संविधान के अनुरूप हैं और यह संविधान के तत्वावधान में संचालित होता है । संवैधानिक शासन की अवधारणा संवैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का एक स्वाभाविक परिणाम है।[पैरा65,68] [87–ई–एफ; 89–बी]

कल्पना मेहता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2018) 7 स्केल 106; बी. आर. कपूर बनाम टी. एन. राज्य और एक और [2001] 3 पूरक । एससीआर 191:2001 (7) एससीसी 231; मनोज नरूला बनाम भारत संघ [2014] 9 एससीआर 965: (2014) 9 एस. सी. सी 1; पुनः:डॉ. राम आश्रय यादव, अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग [2000] 2 एससीआर 688: 2000 (4) एस. सी. सी. 309; सुभाष शर्मा और अन्य और फिरदौज तलेयारखान बनाम भारत संघ और अन्य 1990 (2) स्केल 836–संदर्भित।

5.3 भारत का संविधान एक जैविक दस्तावेज है जो अपने सभी पदाधिकारियों से संवैधानिक मूल्यों का पालन करने, उन्हें लागू करने और उनकी रक्षा करने की अपेक्षा करता है। ये मूल्य संवैधानिक नैतिकता का निर्माण करते हैं। यह भारत के संविधान को एक राजनीतिक दस्तावेज बनाता है जो उचित तरीके से आवश्यक उद्देश्यों के लिए विशिष्ट कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारतीय समाज के शासन को व्यवस्थित करता है। संवैधानिक संस्कृति इन मूल्यों के आधार पर खड़ी है। संवैधानिक पदाधिकारियों के बीच विश्वास का तत्व एक अनिवार्य तत्व है ताकि सरकारें संवैधानिक मानदंडों के अनुसार काम कर सकें । यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब ऐसे पदाधिकारी संविधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो संवैधानिक शासन की नींव रखने वाले मूल्यों को बनाए रखना प्रमुख आदर्श वाक्य के रूप में बना रहना चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों के बीच अंतर्निहित संस्थागत विश्वास होना चाहिए। [पैरा 77] [93–डी–एफ]

<u>सामूहिक उत्तरदायित्वः</u>

6. हमारी सरकार मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत द्वारा निर्देशित संसदीय शासन व्यवस्था का रूप है । किसी भी मंत्रालय में की गयी प्रत्येक कार्यवाही के लिए मंत्रिमंडल का विधायिका के प्रति कर्तव्य है और प्रत्येक मंत्री मंत्रालय के प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार है। सामूहिक उत्तरदायित्व का यह सिद्धांत 'सहायता और सलाह' के संदर्भ में अत्याधिक महत्व रखता है। यदि उपराज्यपाल की ओर से भिन्न दृष्टिकोण के कारण मंत्रिपरिषद के सुविचारित वैध निर्णय को प्रभावी नहीं बनाया जाता है, तो सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। [पैरा 277 (vi)] [178–E–F]

कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ और दूसरा [1978] 2 एस. सी. आर. 1; आर. के. जैन बनाम भारत संघ और अन्य (1993) 3 एस. सी. आर. 802; कॉमन कॉज, ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम।

भारत संघ और अन्य [1999] 3 एस. सी. आर. 1279:1999 (6) एस. सी. सी. 667–संदर्भित।

"सरकार और कानून ":टी. सी. हार्टले और जे. ए. जी. ग्रिफ़िथ द्वारा ब्रिटेन में संविधान के काम करने का परिचय। 1981 लंदन; वेडेनफेल्ड और निकोलसन–संदर्भित।

<u>संघीय कार्यात्मकता और लोकतंत्रः</u>

7.1 संविधान द्वारा परिकल्पित लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप का मूल आधार लोगों को मतदान करने और विधायिका को लोगों के प्रति उनके कामकाज के लिए जवाबदेह बनाने की शक्ति प्रदान की गई है । यदि विधायिका लोगों की लोकप्रिय इच्छा को नीतियों और कानूनों में बदलने में विफल रहती है, तो हमारे जैसे लोकतंत्र में लोगों के पास अपने वोट का प्रयोग करके नए प्रतिनिधियों को चुनने की शक्ति है। राजनीतिक समानता लोगों को एकजुट होकर अपने अधिकार के बारे में जागरूक बनाती है और इसे प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है । इस प्रकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अपने अंग लोगों की अपने प्रतिनिधियों को चुनने की क्षमता और इस विश्वास पर दृढ़ता से स्थापित हैं कि इस तरह से चुने गए प्रतिनिधि उनके हितों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे। हालाँकि वोट देने का यह अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी यह एक ऐसा अधिकार है जो लोकतांत्रिक सरकार के केंद्र रूप के में है । मतदान का अधिकार लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है क्योंकि यह लोगों में अपनेपन की भावना पैदा करता है । उक्त परिस्थिति में विचार, कार्य और आचरण द्वारा पारस्परिक कार्यात्मकता की गारंटी देती है । इसके लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को उस विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता होती है जो सामूहिक रूप से उनमें व्यक्त किया गया है । किसी भी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप लोकतांत्रिक स्वशासन की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सामूहिक विश्वास के साथ विश्वासघात के बराबर है। [पैरा86,88,89] [98–ए–बी, डी–ई, जी

7.2 लोकतंत्र और संघवाद हमारे संवैधानिक मूल्यों में दृढ़ता से समाहित हैं। भारतीय संविधान में संघवाद की प्रकृति चाहे जो भी हो, चाहे वह पूरी तरह से संघीय हो या अर्ध–संघीय, तथ्य यह है कि संघवाद हमारे संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है क्योंकि प्रत्येक राज्य एक घटक इकाई है जिसमें एक विशेष विधानमंडल और निर्वाचित कार्यपालिका होती है और उसी प्रक्रिया द्वारा गठित किया गया जैसा कि केंद्र सरकार के प्रकरण में हुआ था। परिणामस्वरूप प्रभाव यह होता है कि कोई भी व्यक्ति भारत की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाये रखने और संरक्षित करने के विशिष्ट उद्देश्य को समझ सकता है। यह संवैधानिक संघवाद की एक विशेष विशेषता है। [पैरा 106] [107–एफ–जी]

7.3 हमारा संविधान एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था, समकालीन विविधता में एक शास्त्रीय एकता और पहचान खोए बिना अंततः सामंजस्य में एक बहुलवादी परिवेश स्थापित करने के लिए संघवाद और लोकतंत्र के एक अर्थ पर विचार करता है । इन दोनों अवधारणाओं को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाने चाहिए । पहचान खोए बिना एकता में विविधता का मिलन एक उल्लेखनीय संश्लेषण है जिसकी कल्पना संविधान थोडी सी भी युक्ति या चतुराई की अनुमति दिये बिना करता है । [पैरा 277 (vii), 106] [178–जी–एच; 108–बी–

मोहिंदर सिंह गिल और एक अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य [1978] 2 एससीआर 272:(1978) 1 एस. सी. सी. 405; रघबीर सिंह गिल बनाम एस. गुरचरण सिंह टोहरा 1980 एआईआर 1362: [1980} एस. सी. आर. 1302; केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य(1973) एससी 1461:[1973] पूरक।एस. सी. आर. 1; इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण [1976] एस. सी. आर. 347:1975 पूरक।

एससीसी 1; टी. एन. शेषन, भारत के सी. ई. सी. बनाम भारत संघ और अन्य। [1995] 2 पूरक।एससीआर 106:(1995) 4 एससीसी 611 ; कुलदिप नायर बनाम भारत संघ अन्य। [2006] 5 पूरक।एस. सी. आर 1: (2006) 7 एस. सी. सी. 1; पुनःअनुच्छेद 143, भारत के संविधान, (1964 का विशेष संदर्भ संख्या 1) 1965 ए. आई. आर. 745 के तहतः [1965] एस. सी. आर. 413; राज्य कर्नाटक बनाम भारत संघ और दूसरा [1978] 2 एस. सी. आर. 1; शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 एयर 2192:[1975] 1 एससीआर 814; एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ [1994] 2 एस. सी. आर. 644:(1994) 3 एससीसी 1;आई. टी. सी. लिमिटेड बनामकृषि उपज बाजारसमिति [2002] 1 एस. सी. आर. 441:(2002) 9 एस. सी. सी. 232–संदर्भित।

प्रो. द्वारा संघीय सरकारके. सी. व्हीयर, 1963 एडन. पी.33; ब्लैक विधि डिक्शनरी 6 वीं Edn.p।432 – संदर्भित किया गया।

सहयोगात्मक संघवादः

8.1 न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के स्वर्णिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावना में निहित दृष्टिकोण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को समान रूप से प्रेरित करता है । संवैधानिक दृष्टिकोण केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को एक समग्र इमारत बनाने के उद्देश्य से समान रूप से प्रेरित करती है। इस प्रकार, केंद्र और राज्य सरकारों को सामंजस्यपूर्ण सह–अस्तित्व और परस्पर निर्भरता प्रदर्शित करके एक सहयोगात्मक संघीय ढांचे को अपनाना चाहिए ताकि किसी भी संभावित संवैधानिक कलह से बचा जा सके। [अनुच्छेद 108,277 (viii)] [108–ई; 179–ए–बी]

8.2 केंद्र और राज्य सरकारों को संवैधानिक मतभेदों से बचते हुए सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए। इस तरह के सहयोग से हमारे संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित राष्ट्रीय दृष्टिकोण साकार होता है । संघ और राज्यों की सरकारों के लिए तरीके और दृष्टिकोण कभी–कभी अलग हो सकते हैं लेकिन अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य हमेशा एक ही रहता है और विभिन्न स्तरों पर सरकारों को अंतिम उद्देश्य की दृष्टि नहीं छोड़नी चाहिए। संविधान में निहित यह संवैधानिक उद्देश्य सौहार्दपूर्ण सह–अस्तित्व और परस्पर निर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शक होना चाहिए । वे एक कल्याणकारी राज्य में संवैधानिक कार्यात्मकता की ताकत को बनाए रखने के लिए सहयोगी संघवाद के मूल सिद्धांत हैं। [पैरा 114] [109–एफ–जी; 110–ए]

8.3 सहयोगात्मक संघवाद की अवधारणा के पीछे विचार, बातचीत और समन्वय है ताकि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विकास के अपने–अपने प्रयासों में उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर किया जा सके। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राज्य नेता, संयुक्त कार्यवाही और ईमानदारी से सहयोग करके एक समाधान पर पहुंचने के इरादे से आम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। सहयोगात्मक संघवाद में, केंद्र और राज्य सरकारों को आम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी व्यक्त करनी चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए । एक कार्यात्मक संविधान में,

अधिकारियों को किसी भी संघर्ष से बचने के लिए ईमानदारी से चिंता व्यक्त करनी चाहिए। इस अवधारणा को तब ध्यान में रखना होगा जब दोनों अधिकार के स्रोत के रूप में संवैधानिक प्रावधान पर भरोसा करने का इरादा रखते हैं। केंद्र और राज्यों दोनों को अपने क्षेत्रों में काम करना चाहिए और किसी भी अतिक्रमण के बारे में सोचना नहीं चाहिए । लेकिन उनके क्षेत्रों के भीतर अधिकार के प्रयोग के संदर्भ में, परिपक्व राजनीतिक कौशल की धारणा होनी चाहिए ताकि संवैधानिक रूप से प्रदत्त जिम्मेदारियों को उनके द्वारा साझा किया जा सके । इस तरह के दृष्टिकोण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निरंतर और निर्बाध बातचीत की आवश्यकता होती है। [पैरा 117] [110–ई–जी; 111–ए–बी]

8.4 यद्यपि जिन प्राधिकारियों का उल्लेख किया गया है वे "राज्य"शब्द के संवैधानिक अर्थ में भारत संघ और राज्य सरकारों से संबंधित हैं, फिर भी यह अवधारणा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुच्छेद 239 एए और अन्य अनुच्छेदों में नियोजित विशेष दर्जे और भाषा के संबंध में लागू होती है।[पैरा 120] [112–बी]

राजस्थान राज्य और अन्य बनाम भारत संघ (1978) 1 एस. सी. आर. 1–संदर्भित।

एम. पी. जैन द्वारा भारतीय संघवाद के कुछ पहलू – संदर्भित किया गया।

कारमाइकल बनाम एस. कोल एंड कोक कंपनी 301 यू. एस. 495, 525 – 26 (1937) – संदर्भित किया गया।

एडवर्ड एस. कॉर्विन द्वारा दोहरे संघवाद का पारित होना36 VA.L.REVI 1, 4 (1950); जेफ्री सॉवर द्वारा आधुनिक संघवाद (पिटमैन ऑस्ट्रेलिया, 1976) 1; इंटरकनाडा में सरकारी संबंधःकैमरून, डी. और शिमोन आर. पब्लियस द्वारा सहयोगात्मक संघवाद का उदय, 32 (2) : 49–72 ; सहयोगात्मक संघवादःमार्टिन द्वारा 1990 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक सुधार पेंटर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2009; दएक संघीय राष्ट्रमंडल का संविधानःऑस्ट्रेलियाई संविधान का निर्माण और अर्थ, 2009 प्रो।निकोलस अरोनी– संदर्भित।

<u>व्यावहारिक संघवादः</u>

9.1 संघवाद की आवश्यक विशेषताएँ जैसे सरकारों की द्वैधता, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, संविधान की सर्वोच्चता, एक लिखित संविधान का

अस्तित्व और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान के अंतिम व्याख्याकारों के रूप में न्यायालयों का अधिकार सभी हमारी संवैधानिक योजना के तहत मौजूद हैं । लेकिन साथ ही, संविधान की कुछ विशेषताएँ हैं जिन्हें संघीय चरित्र से विचलन के रूप में बहुत अच्छी तरह से माना जा सकता है । यद्यपि संविधान का व्यापक रूप से एक संघीय चरित्र है, फिर भी इसकी कुछ उल्लेखनीय एकात्मक विशेषताएं भी हैं। आवश्यकता किसी प्रावधान के जोर और निहितार्थ को समझने की है।व्यावहारिक संघवाद की स्वीकृति और संघीय संतुलन प्राप्त करना एक आवश्यकता बन गई है जिसके लिए एक व्यावहारिक अभिविन्यास का प्रदर्शन करके केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अनुशासित ज्ञान की आवश्यकता है। [पैरा 121,277 (viii)] [112-D-E; 113-C-D; 119-B]

9.2 व्यावहारिक संघवाद की अवधारणा स्वयं व्याख्यात्मक है। यह संघवाद का एक रूप है जिसमें संवेदनशीलता और यथार्थवाद के गुण और विशेषताओं को शामिल करता है। संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक संघवाद अनुमेय व्यवहार्यता के सिद्धांत पर निर्भर करता है। यह कहना उपयोगी है कि व्यावहारिक संघवाद में बदलती जरूरतों और स्थितियों के साथ लगातार विकसित होने की अंतर्निहित क्षमता होती है। व्यावहारिक संघवाद की यही गतिशील प्रकृति ही है जो हमारे जैसी निकाय राजनीति को अपनाने के लिए उपयुक्त बनाती है। उक्त अवधारणा का सबसे प्रमुख उद्देश्य किसी भी प्रकार के संघीय ढांचे में उभरने वाली समस्याओं के अभिनव समाधान प्रस्तुत करना है। [पैरा 125-126] [113-G-H; 114-A-B]

<u>संघीय संतुलन की अवधारणाः</u>

10.1 संविधान ने एक संघीय संतुलन को अनिवार्य किया है जिसमें राज्य सरकारों को एक निश्चित सीमा तक स्वतंत्रता का आश्वासन दिया जाता है। केंद्रीकरण के विपरीत, एक संतुलित संघीय संरचना यह अनिवार्य करती है कि संघ सभी शक्तियों को हड़प न ले और राज्यों को उन मामलों के संबंध में केंद्र सरकार से किसी भी अवांछित हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता प्राप्त हो जो विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। संघीय संतुलन की आवश्यकता है, जिसके लिए संवैधानिक प्रावधान की व्यवहारिकता को वास्तविक बनाने के

लिए आपसी सम्मान और आदर की आवश्यकता होती है। [पैरा 277 (ix), 127] [17 9–सी; 114–ई–एफ]

10.2 सरकार के संघीय रूप में निहित राज्यों के हित सरकार के लोकतांत्रिक रूप में अधिक महत्व प्राप्त करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में यह अत्यंत आवश्यक है कि लोगों की इच्छा को प्रभावी बनाया जाए। किसी विशेष राज्य/क्षेत्र के लोगों को संघ के शासन के अधीन करना, वह भी उन मामलों के संबंध में जिन्हें राज्य स्तर पर सबसे अच्छा कानून बनाया जा सकता है वह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। संघीय संतुलन का सिद्धांत जो संविधान में निहित है, वह यह है कि केंद्र और राज्यों को अपने क्षेत्रों के भीतर काम करना चाहिए। इस प्रकार, संविधान द्वारा अनिवार्य संघीय संतुलन सुनिश्चित करने में न्यायालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायालय संविधान का अंतिम मध्यस्थ और रक्षक है। [पैरा129,131] [114–जी–एच; 115–ए–बी; 116–बी–सी]

पुनः में –भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, (विशेष 1964 का संदर्भ संख्या 1); यूको बैंक बनाम दीपक देबबर्मा [2016] 11 एससीआर 723:(2017) 2 एस. सी. सी. 585–संदर्भित।

संविधान का निर्वचन

11.1 संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, संवैधानिक न्यायालयों के लिए संविधान के शब्दों को संविधान की भावना के आलोक में पढ़ना सबसे सुरक्षित और मजबूत दृष्टिकोण है ताकि संविधान की सर्वोत्कृष्ट लोकतांत्रिक प्रकृति और नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से प्रतिनिधि भागीदारी का प्रतिमान समाप्त न हो। न्यायालयों को ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए जो संविधान की लोकतांत्रिक भावना का महिमामंडन करे। संविधान एक गतिशील और विषम साधन है, जिसकी व्याख्या के लिए कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें उस उद्देश्य के साथ सामंजस्यपूर्ण समाधान के लिए उनका उचित महत्व दिया जाना चाहिए जिसके साथ संविधान या संसद के निर्माताओं द्वारा विभिन्न प्रावधान पेश किए गए थे। [पैरा 277 (i), (x)] [177–E; 177–E–F]

11.2 संवैधानिक न्यायालयों को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है और इस आवश्यक कार्य को पूरा करते समय, वे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बाधित किए बिना नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने और संरक्षित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। यद्यपि, मुख्य रूप से, यह शाब्दिक नियम है जिसे मानक माना जाता है जो वैधानिक और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए विधि की अदालतों को नियंत्रित करता है, फिर भी शब्दकोश के प्रति निष्ठा या प्रावधान में निहित शब्दों के शाब्दिक अर्थ, कभी–कभी, इस तरह का एक तरीका मार्मिक नम्य और अपेक्षित सामाजिक प्रगतिशील समायोजन की गुणवत्ता को नष्ट कर सकते हैं । अंततः एक जीवित दस्तावेज़ के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। [पैरा 133] [116–जी–एच; 117–ए–बी]

आर. सी. पौड्याल बनाम भारत संघ और अन्य (1993) 1 एससीआर 891:(1994) 1 पूरक।एस. सी. सी. 324; सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स–ऑन–रिकॉर्ड एसोसिएशन और एक अन्य बनाम यूनियन भारत का [1993] 2 पूरक । एससीआर 659:(1993) 4 एस. सी. सी. 441 संदर्भित।

ड्रेड स्कॉट बनाम सैनफोर्ड 60 यू. एस. (19 कैसे) 393 (1857); **होम बिल्डिंग एंड लोन एसोसिएशन बनाम ब्लेसडेल, 290 यू. एस. 398 (1934) वेस्ट कोस्ट होटल कंपनी बनाम पैरिश 300 यू. एस. 379 (1937); मैककुलोच बनाम मैरीलैंड 17 यू. एस. (4 व्हीट) 316 (1819); स्टेट बनाम सुपीरियर न्याया लय (1944) 547 पर; गोम्पर्स बनाम यू. एस. 233 (1914); बर्नेट बनाम कोरोनाडो ऑयल एंड गैस कंपनी।, 285 यूएस (1932);**

अमेरिकन कम्युनिकेशन एसोसिएशन बनाम डाउड्स 339 यूएस (1950) पौलोस बनाम न्यू हैमशायर, 345 यूएस (1953);*–– हेल्परिंग बनाम ग्रेगरी 69 एफ. 2 डी 809, 810–II (1934); हंटर बनाम साउथम इंक [1984] 2 एससीआर 145; एडवर्ड्स बनाम अटॉर्नी कनाडा के लिए जनरल [1930] एसी 124, 136; –संदर्भित।

बोडेनहाइमर, एडगर द्वारा न्यायशास्त्र (यूनिवर्सल विधि पब्लिशिंग Co.Pvt। लिमिटेड, फोर्थ इंडियन रिप्रिंट, 2004) पी 405; रिचर्ड एच. फॉलन द्वारा "ए कंस्ट्रक्टिविस्ट कोहेरेन्स थ्योरी ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल इंटरप्रिटेशन", हार्वर्ड विधि पुनर्विलोकन एसोसिएशन, 1987; "शब्द और संगीतःवैधानिक व्याख्या पर कुछ टिप्पणियां, "द्वारा जेरोम एन. फ्रैंक कोलंबिया विधि पुनर्विलोकन 47 (1947): 1259–1367 ; पियरे–आंद्रे कोटे, 2nd एड (कोवांसविले) द्वारा कनाडा में कानून की व्याख्या।क्यूबेकःलेस एडिशन यवोन ब्लाइस।इंक. 1992)– संदर्भित।

<u>उद्देश्यपूर्ण व्याख्याः</u>

12. समकालीन मुद्दों के आलोक में, उद्देश्यपूर्ण पद्धति ने शाब्दिक दृष्टिकोण और संवैधानिक न्यायालयों पर महत्व प्राप्त कर लिया है, जिसमें संविधान के सच्चे और अंतिम उद्देश्य को न केवल अक्षरशः बल्कि भावना में भी साकार करने की दृष्टि है और सरलता एवं रचनात्मकता के उपकरणों से लैस होना चाहिए । एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर संवैधानिक कार्यात्मकता प्राप्त करने के लिए इस प्रमुख कर्तव्य को निभाने में संकोच न करें। शाब्दिक नियम को किसी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने में प्राथमिक मार्गदर्शक कारक नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से यदि परिणामी परिणाम संविधान में व्यक्त अधिकारों और मूल्यों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगा। इस परिदृश्य में, उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत ने महत्व प्राप्त कर लिया है जहां अदालतें संविधान की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण तरीके से करेंगी ताकि इसके वास्तविक उद्देश्य को प्रभावी बनाया जा सके। संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय संदर्भ पर जोर देने से शाब्दिक नियम से उद्देश्यपूर्ण पद्धति की ओर इस बदलाव में तेजी आई है ताकि प्रावधान स्थिर और कठोर न रहें। ये शब्द आवश्यकता पड़ने पर वर्तमान मांगों के अनुकूल होने के लिए अलग–अलग अवतार धारण करते हैं । संविधान की भावना और विवेक को व्याकरण में नहीं खोना चाहिए, और लोगों की लोकप्रिय इच्छा, जिसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैधता है उन्हें सरल शब्दार्थ में अपना उद्देश्य खोने की

अनुमति नहीं दी जा सकती है। [पैरा146,151,277 (xi)] [17 9–जी; 122–डी–ई; 124–ए–बी]

पूरक।एससीआर 621:(2001) 7 एस. सी. सी. 126; अशोक कुमार**गुप्ता और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [1997]** 3 एससीआर 269:(1997) 5 एस. सी. सी. 201; भारतीय चिकित्सा **एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य (2011)** 6 एससीआर 599: (2011) 7 एस. सी. सी. 17; एम. नागराज बनाम भारत संघ (2006) 8 एस. सी. सी. 202–संदर्भित।

त्रिनिदाद और टोबैगो के महान्यायवादी बनाम व्हाइटमैन [1991] 2 एसी 240; रेजिना (क्विंटावेल) बनाम सचिव**स्टेट फॉर हेल्थ (2003) यूकेएचएल 13:(2003) 2 एसी 687: (2003) 2 डब्ल्यूएलआर 692 (एचएल); कैबेल बनाम मार्कहम 148 एफ 2 डी 737 (2 डी सिर 1945)–संदर्भित।**

शेरोन बराक द्वारा विधि में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या **प्रिंसलॉन यूनिवर्सिटी प्रेस,** 2005–संदर्भित।

<u>संवैधानिक संस्कृति और व्यावहारिकता</u>

13. 'संवैधानिक संस्कृति' शब्द की परिभाषा को मानदंडों और प्रथाओं के समूह के रूप में माना जाना चाहिए जो महान दस्तावेज़ के शब्दों में जीवन फूंकते है । यह वैचारिक मानक है, एक ऐसी भावना जो संविधान को एक गतिशील दस्तावेज में बदल देती है। संवैधानिक न्यायालयों को संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय, इसकी नम्य और विकसित प्रकृति को दृष्टि में रखते हुए संवैधानिक संस्कृति को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि प्रावधानों को एक ऐसा अर्थ दिया जा सके जो संविधान के उद्देश्य और प्रयोजन को दर्शाता हो। संवैधानिक संस्कृति की इस भावना को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए, न्यायालयों ने व्याख्या का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है जिससे "संवैधानिक व्यावहारिकता" के युग की शुरुआत की है। संविधान की कार्यात्मकता के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता की व्याख्या को संवैधानिक व्यावहारिकता कहा जाता है। [पैरा 158,161,162,277 (xi)] [126–F–G; 127–C–D]

सर्वोच्च न्यायालय अधिवक्ता–ऑन–रिकॉर्ड–एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ (2016) 5 एस. सी. सी. 1; आर. सी. पौड्याल बनाम भारत संघ और अन्य [1993] 1 एस. सी. आर.

891:(1994) (1) पूरक।एस. सी. सी. 324; कर्नाटक राज्य और एक अन्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी और एक अन्य [1978]

1 एससीआर 641:(1977) 4 एस. सी. सी. 471; भारत संघ बनाम

संकलचंद हिमतलाल सेठ और एक अन्य [1978] 1 एससीआ 423 –
संदर्भित किया गया।

विलियम जे. ब्रेनन, जूनियर, संयुक्त राज्य का संविधानःसंविधान की व्याख्या में समकालीन अनुसमर्थनः23 पर मूल इरादे पर बहस, 27 (जैक एन. राकोवे एड।, 1990) ; संवैधानिक सिद्धांत **संवैधानिक संस्कृति, एंड्रयू एम. सीगल द्वारा, 18 U.PA.J। कॉन्स्ट। एल. 1067 (2016)–संदर्भित।**

<u>अनुच्छेद 239 और 239ए की व्याख्याः</u>

14.1 अनुच्छेद 239 को संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा लागू किया गया था। अनुच्छेद 239 का खंड (1), 'करेगा' शब्दों का प्रयोग करके, यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाना है, जब तक कि संसद द्वारा विधि के रूप में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो। इसके अलावा, अनुच्छेद 239 के खंड (1) में यह भी निर्धारित करता है कि उक्त प्रशासक को राष्ट्रपति द्वारा ऐसे पदनाम के साथ नियुक्त किया जाएगा जो वह निर्दिष्ट करे । इसके बाद खंड (2), एक गैर–अस्थाई खंड होने के कारण, यह निर्धारित करता है कि संविधान के भाग VI में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को उस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, जो उसे राज्य के निकट और/ या जिसका वह राज्यपाल है, किसी राज्य का राज्यपाल, जिसे इस प्रकार किसी निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, उक्त केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से और स्वायत्त रूप से करेगा, न कि उस राज्य की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार, जिसके वह राज्यपाल हैं। [पारस 173–174] [131–G–H; 132–A–B]

शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 ए. आई. आर. 2192:[1975] 1 एस. सी. आर. 814; भारत संघ और अन्य बनाम सुरिंदर एस [2012] 12 एससीआर 1077:(2013) 1 एस. सी. सी. 403–संदर्भित।

14.2 अनुच्छेद 239 ए को संविधान (चौदहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1962 द्वारा लागू किया गया था। संसद ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 के तहत तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभाओं का गठन किया और तदनुसार 30 मई, 1987 के बाद भी, अनुच्छेद 239 ए की प्रयोज्यता केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी तक ही सीमित है। एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग पायदान पर है। यद्यपि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से नहीं की जा सकती क्योंकि यह पूरी तरह से अनुच्छेद 239 ए के प्रावधानों द्वारा शासित है। [पैरा178–180] [133–E, G–H; 134–A–B]

<u>अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या</u>

15. अनुच्छेद 239 ए. ए. और 239 ए. बी. के लिए संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अनुच्छेदों को सम्मिलित करते समय संसद के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए एक विस्तृत व्याख्या और गहन विश्लेषण की आवश्यकता है। इस संशोधन में वास्तव में दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस मौलिक व्याकरण को तब ध्यान में रखा जाना चाहिए जब अनुच्छेद 239 एए और अन्य लेखों के व्याख्यात्मक विच्छेदन पर विचार किया जाए जो उक्त प्रावधान को समझने के लिए उपयुक्त हैं। [पैरा 181,182] [134–सी; 138–ए–बी]

<u>दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थितिः</u>

16. जहां तक दिल्ली के उपराज्यपाल का संबंध है, अनुच्छेद 239 ए ए (4) के अनुसार , वह उन मामलों में अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य हैं जिनके लिए दिल्ली विधानसभा के पास विधायी शक्तियाँ हैं। यद्यपि यह अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) में निहित परंतुक के अधीन है जो उपराज्यपाल को यह शक्ति देता है कि उनके

और उनके मंत्रियों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में, वह इसे एक बाध्यकारी निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजेगा। खंड (4) के इस परंतुक ने दिल्ली विधानसभा के विधायी क्षेत्र के भीतर आने वाले मामलों पर भी संघ की शक्तियों को बरकरार रखा है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने की केंद्र की इस प्रबल शक्ति को अनुच्छेद 246 (4) के तहत उजागर किया गया है। [पैरा 195] [146–सी–ई]

शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 ए. आई. आर. 2192:[1975] 1 एस. सी. आर. 814; देवजी वल्लभभाई टंडेल और अन्य बनाम गोवा, दमन और दीव के प्रशासक और एक और [1982] 3 एससीआर 553:(1982) 2 एस. सी. सी. 222; समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, पुनः, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1760:[1964] 3 एस. सी. आर. 787; नई दिल्ली नगर निगम बनाम राज्य पंजाब [1996] 10 सप्लीमेंट।एससीआर 472:(1997) 7 एस. सी. सी. 339–संदर्भित।

<u>दिल्ली के मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्तियाँः</u>

17.1 अनुच्छेद 239ए. ए. (3) (ए) और अनुच्छेद 239ए. ए. (4) के प्रावधानों की व्याख्या करते समय एक समानता से पता चलता है कि दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार की कार्यकारी शक्ति दिल्ली विधानसभा की विधायी शक्ति के साथ समाप्त होती है जिसकी परिकल्पना अनुच्छेद 239ए. ए. (3) में की गई है और जो राज्य सूची में तीन विषयों और समवर्ती सूची में सभी विषयों को छोड़कर सभी पर फैली हुई है और इस प्रकार, अनुच्छेद 239ए. ए. (4) मंत्रिपरिषद को उन सभी विषयों पर कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है जिनके लिए दिल्ली विधानसभा के पास विधायी शक्ति है। [पैरा 199] [148–जी–एच; 149–ए–बी]

17.2 दिल्ली विधानसभा को प्रदत्त विधायी शक्ति दिल्ली की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार विधायी अधिनियमों को प्रभावी बनाना है, जबकि कार्यकारी शक्ति कार्यपालिका को कुछ नीतिगत निर्णयों को लागू करने के लिए प्रदान की जाती है। इस विचार को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि संविधान के सातवें संशोधन के बाद, जिसके द्वारा 'भाग सी राज्यों' शब्दों को 'केंद्र शासित प्रदेशों' से प्रतिस्थापित किया गया था, अनुच्छेद 73 के परंतुक में 'राज्य' शब्द का अर्थ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि इस तरह की व्याख्या संविधान के भाग VIII (केंद्र शासित प्रदेशों) की योजना और उद्देश्य निष्फल कर देगी । [पैरा 200] [149–बी–डी]

संविधान के अनुच्छेद 239 एए का सारः

18.1 संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष दर्जा देने की परिकल्पना की गई है। अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से विशेष रूप से संबंधित अनुच्छेद 239 ए. ए. और 239 ए. बी. को शामिल करना संसद की इस मंशा को दर्शाता है कि दिल्ली को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ–साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से भी अलग दर्जा दिया जाये, जिस पर आज की तारीख में अनुच्छेद 239 ए विशेष रूप से लागू है। [पारस 201–202] [149–B–D, F–G]

18.2 उनहत्तरवां संशोधन दिल्ली की विशिष्टता को उजागर करता है, जिसका उद्देश्य यह है, कि दिल्ली को कैसे शासित किया जाये, इसमें दिल्ली के निवासियों की बड़ी भूमिका है । संविधान (उनहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1991 के पीछे वास्तविक उद्देश्य एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करना है, जिसमें बहुमत को संविधान द्वारा लगाई गई निर्धारित सीमाओं के अधीन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित कानूनों और नीतियों में अपनी राय रखने का अधिकार है। इस वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, अनुच्छेद 239 एए की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करना आवश्यक है, ताकि लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं, उन्हें दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनके सही अर्थों में मजबूत किया जा सके। यदि दिल्ली के लोगों का विश्वास प्राप्त करने वाली दिल्ली सरकार ऐसी नीतियों और कानूनों की शुरुआत करने में सक्षम नहीं है, जिन पर दिल्ली विधानसभा के पास दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति है, तो अनुच्छेद 239 एए और 239 एबी को शामिल करके दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की कवायद निर्थरक हो जाएगी। [पैरा203, 204] [149–एच; 150–ए–बी]

18.3 अनुच्छेद 239 ए खंड (1) और अनुच्छेद 239 एए खंड (2) की भाषा में भारी अंतर देखा गया है। अनुच्छेद 239 ए खंड (1) में 'हो सकता है' शब्द का उपयोग करता है जो इसे बिना किसी अनिवार्य बल के केवल एक निर्देशिका प्रावधान बनाता है। अनुच्छेद 239 ए संसद को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए विधि द्वारा एक मंत्रिपरिषद और/या

एक निकाय बनाने का विवेक देता है जो या तो पूरी तरह से निर्वाचित हो सकता है या आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित हो कर केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए एक विधानमंडल के कार्यों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 239 एए खंड (2), 'करेगा' शब्द का उपयोग करके, संसद के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विधि द्वारा एक विधान सभा का निर्माण अनिवार्य बनाता है। इसके अलावा, खंड (2) का उपखंड (ए) बहुत स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के सदस्यों का चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 239 ए खंड (1) के विपरीत, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए विधानमंडल के कार्यों को करने के लिए संसद द्वारा बनाया गया निकाय या तो पूरी तरह से निर्वाचित या आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित किया जा सकता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के संदर्भ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार सदस्यों को विधान सभा के लिए नामित किया जा सकता है। यह संसद द्वारा जानबूझकर बनाया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मतदाताओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के समूह के रूप में मानने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को सरकार के प्रतिनिधि रूप के रूप में मानने के लिए, अपनी संवैधानिक शक्ति के प्रयोग में अनुच्छेद 239 एए को शामिल करते हुए, यह अंतर संसद की मंशा को रेखांकित करने और उस पर जोर देने के लिए उजागर किया गया है। [पैरा208–210] [151–C–H]

18.4 अनुच्छेद 239 एए के खंड (3) से यह स्पष्ट है कि संसद को राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लेखित किसी भी मामले पर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति है और साथ ही, दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों के संबंध में विधायी शक्ति भी है, सिवाय उन मामलों के जिन्हें अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। [पैरा 214] [152–एफ–जी]

18.5 अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वेस्टमिंस्टर शैली की मंत्रिमंडल प्रणाली निर्धारित की गई है, जिसमें उपराज्यपाल को उन मामलों के संबंध में अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, जिनके संबंध में दिल्ली विधानसभा को उन मामलों को

छोड़कर कानून बनाने की शक्ति है, जिनके संबंध में उपराज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता होती है। खंड (4) के परंतुक में कहा गया है कि किसी भी प्रकरण पर मतभेद होने की स्थिति में उपराज्यपाल और उनके मंत्री, उपराज्यपाल इसे एक बाध्यकारी निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। इसके अलावा, राष्ट्रपति द्वारा इस तरह के निर्णय के लंबित रहने तक, किसी भी मामले में जहां उपराज्यपाल की राय में प्रकरण इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, परंतुक उसे ऐसी कार्रवाई करने और ऐसे निर्देश जारी करने के लिए सक्षम बनाता है जो वह आवश्यक समझता है। [पैरा215–216] [152–G–H; 153–A–C]

18.6 अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) और अनुच्छेद 239 एए (4) के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि एन. सी. टी. दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति दिल्ली विधानसभा की विधायी शक्ति के साथ सह–व्यापक है जिसकी परिकल्पना अनुच्छेद 239 एए (3) में की गई है और जो राज्य सूची में तीन विषयों को छोड कर सभी विषयों और समवर्ती सूची के सभी विषयों पर फैली हुई है और इस प्रकार, अनुच्छेद 239 एए (4) उन सभी विषयों पर मंत्रिपरिषद को कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है जिनके लिए दिल्ली विधानसभा के पास विधायी शक्ति है। [पैरा 217 , 277 (xv)] [153–D ; –G–H]

18.7 [अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी मामलों पर संसद की विधायी शक्ति को सुरक्षित रखता है, लेकिन खंड (4) ऐसे मामलों के संबंध में संघ की कार्यकारी शक्तियों को कहीं भी सुरक्षित नहीं रखता है। इसके विपरीत, खंड (4) स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार को उन मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है जिनके लिए विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है। विधायी शक्ति विधानसभा को अधिनियमित करने के लिए प्रदान की जाती है, जबकि कानून की नीति को कार्यपालिका द्वारा प्रभावी बनाया जाना है, जिसके लिए दिल्ली सरकार के पास सह–व्यापक कार्यपालिक शक्तियां होनी चाहिए। [पैरा 218] [153–ई–एफ]

18.8 अनुच्छेद 239 एए (4) दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार को कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है जबकि संघ की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 73 से उत्पन्न होती है और यह संसद की विधायी शक्ति के साथ सह–व्यापक है । इसके अलावा, व्यावहारिक संघवाद

और सहयोगी संघवाद के विचार धराशायी हो जायेंगे यदि यह कहा जाता है कि संघ के पास उन मामलों के संबंध में भी कार्यकारी शक्तियां हैं जिनके लिए दिल्ली विधानसभा के पास विधायी शक्तियां हैं । इस प्रकार, यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य सूची के उन तीन मामलों तक ही सीमित है जिनके लिए दिल्ली विधानसभा को अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) के तहत बाहर रखा गया है । इस तरह की व्याख्या केंद्र सरकार की ओर से सभी नियंत्रण को जब्त करने के किसी भी प्रयास को विफल कर देगी और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन अपने कामकाज में कुछ हद तक आवश्यक स्वतंत्रता देकर व्यावहारिक संघवाद और संघीय संतुलन की अवधारणाओं को प्रबल करने की अनुमति देगी । [पैरा 219] [153–जी–एच; 154–ए–बी]

18.9 न्यायालय का कर्तव्य है कि वह वाक्यांश पर ऐसा अर्थ या व्याख्या रखे जो व्यवहारिक हो और आवश्यकता है कि वह संवैधानिक संतुलन के मानदंड को स्थापित करे । अनुच्छेद 239 एए (4) के परंतुक में आने वाले 'कोई भी मामला' शब्दों का अर्थ 'प्रत्येक मामला' के रूप में होना आवश्यक नहीं है । किसी कानून या संवैधानिक प्रावधान में आने वाले शब्द 'कोई भी' को यंत्रवत रूप से 'प्रत्येक' के अर्थ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए और जिस संदर्भ में शब्द का उपयोग किया गया है, उसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए ताकि उस वास्तविक इरादे और उद्देश्य का पता लगाया जा सके जिसके लिए शब्द का उपयोग किया गया है । [पैरा 223, 232, 277 (xviii)]

18.10 उक्त परंतुक के तहत उपराज्यपाल की शक्ति अपवाद का प्रतिनिधित्व करती है न कि सामान्य नियम का जिसका प्रयोग उपराज्यपाल द्वारा संवैधानिक विश्वास और नैतिकता के मानकों, सहयोगी संघवाद और संवैधानिक संतुलन के सिद्धांत, संवैधानिक शासन और निष्पक्षता की अवधारणा और एक प्रतिनिधि सरकार के प्रति सम्मान के पोषित और संवर्धित विचार को ध्यान में रखते हुए असाधारण परिस्थितियों में किया जाना है । उपराज्यपाल को अपने मंत्रियों के हर निर्णय को यांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है । दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हितों और संवैधानिकता के सिद्धांत की रक्षा के लिए उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय को राष्ट्रपति को भेजने के लिए कुछ वैध आधार होने चाहिए । 1991 के अधिनियम और कार्य नियमों के अनुसार, उन्हें

मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय से अवगत कराना होता है । वह निर्णय नहीं बदल सकता । इसके अलावा, सहमति का कोई प्रावधान नहीं है । उसे अलग होने का अधिकार है । लेकिन यह अंतर के लिए अंतर नहीं हो सकता है । यह यांत्रिक या नियमित नहीं हो सकता है । यह शक्ति मार्गदर्शन करने, चर्चा करने और यह देखने के लिए प्रदान की गई है कि प्रशासन लोगों के कल्याण के लिए चलता है और साथ ही यह दिल्ली के एन. सी. टी. को भी विशेष स्थिति दिया गया है । इसलिए, 'कोई भी' शब्द को संवैधानिक प्राधिकरण के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में माना जाना चाहिए । उन्हें संवैधानिक निष्पक्षता, आवश्यक सलाह और वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। [पैरा 233,277 (xviii)] [159–B–E; 181–E–F]

18.11 अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान की व्याख्या केवल उन शब्दों के सख्त अर्थों में नहीं की जा सकती है जो उन्हें केवल अक्षरों के रूप में मानते हैं, बिना उस विचार और भावना पर ध्यान दिए जिसे वे व्यक्त करना चाहते हैं । इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि प्रावधान के शब्दों को लोकतांत्रिक राजनीति के शासन में नागरिकों की भागीदारी की भावना से पढ़ा जाए । यह नहीं माना जाना चाहिए कि यह न्यायिक रचनात्मकता के कार्य करने की अनुमति है, क्योंकि जिस निर्माण को कोई व्यक्ति रखना चाहता है, उसका आधार और मंच प्रस्तावना पर है और संविधान की भावना और अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक व्याख्या और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या से संबंधित उदाहरण हैं । यह एक तरह से संविधान की कार्यात्मकता के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता का प्रदर्शन है और इसे संवैधानिक व्यावहारिकता कहा जाता है। [पैरा 234] [159–एफ–एच; 160–ए]

18.12 सत्ता में बैठे अधिकारियों को लगातार खुद को याद दिलाना चाहिए कि वे संवैधानिक पदाधिकारी हैं और यह सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी है कि प्रशासन का मूल उद्देश्य नैतिक तरीके से लोगों का कल्याण है । चर्चा और विचार–विमर्श की आवश्यकता है । बारीकियों पर आपसी सम्मान के साथ विचार– विमर्श किया जाना चाहिए । किसी भी अधिकारी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उन्हें महिमामंडित किया गया है। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे संवैधानिक मानदंडों, मूल्यों और अवधारणाओं की सेवा कर रहे हैं । [पैरा 235,277 (xxii)] [160–B–C; 182–C–E]

18.13 निर्वचन संविधान की अंतरात्मा को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसके अलावा, जब एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो यह न्यायालय इस तरह की व्याख्या के परिणाम के प्रति सजग है । लोगों की अपेक्षा जो इसकी वैधता है कि यदि "मतभेदों की स्थिति में" और "किसी भी मामले पर" अभिव्यक्तियों का अर्थ यह है कि उपराज्यपाल किसी भी प्रस्ताव पर भिन्न हो सकते हैं, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हालांकि संविधान के तहत समझे जाने वाले राज्यों से अलग, सरल शब्दार्थ में अपना उद्देश्य खो देगा। कार्य नियमों के अनुसार, प्रशासक को मंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय से अवगत कराया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपराज्यपाल को हर मामले में एक मुद्दा उठाना चाहिए। मतभेद को संवैधानिक विश्वास और नैतिकता के मानकों, सहयोगी संघवाद और संवैधानिक संतुलन के सिद्धांत, संवैधानिक शासन और निष्पक्षता की अवधारणा और एक प्रतिनिधि सरकार के लिए सम्मान के पोषित और संवर्धित विचार को पूरा करना चाहिए। मतभेद कभी भी "भिन्न होने के अधिकार" की धारणा पर आधारित नहीं होना चाहिए और इसी तरह "किसी भी मामले पर" शब्द को इस तरह के मंच पर नहीं रखा जाना चाहिए कि यह धारणा बनाई जा सके कि कोई अलग हो सकता है, यह प्रत्येक अवसर पर एक मानक होना चाहिए। अंतर को प्राधिकरण में व्यक्त संवैधानिक विश्वास की अवधारणा को पूरा करना चाहिए और संचार के लिए भेजे गए निर्णय का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होना चाहिए और आगे मतभेद का तर्क स्पष्ट होना चाहिए और इसमें ठोस कारण शामिल होना चाहिए। एक अवरोधक की घटना की व्याख्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि सकारात्मक निर्माणवाद और एक दूरदर्शी के दर्शन का प्रतिबिंब होना चाहिए। संवैधानिक संशोधन निरंतर घर्षण और मतभेद की स्थिति को नहीं समझता है जो धीरे–धीरे संघर्ष की संरचना का निर्माण करता है। साथ ही, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को इस संवैधानिक स्थिति को स्वीकार करते हुए मूल्यों और विवेक से निर्देशित होना चाहिए कि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक राज्य नहीं है। [पैरा 236,277 (xix)] [160–D–G; 161–A–B; 181–G–H]

श्री बालगणेशन मेटल्स बनाम एम. एन. षण्मुघम चेट्ट एफ.और अन्य [1987] 2 एससीआर 1173:(1987) 2 एससीसी 707; किहोटो होलोहन बनाम ज़चिल्लु और अन्य 1993 ए. आई. आर. 412: [1992] (1) एससीआर 686; ए. वी. एस. नरसिम्हा राव और अन्य बनामआंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य

[1970] 1 एससीआर 115:(1969) 1 एस. सी. सी. 839; डिमाकुची टी एस्टेट के कर्मचारी बनाम डिमाकुची टी एस्टेट का प्रबंधन 1958 एयर 353:[1958] एस. सी. आर. 1156–संदर्भित।

स्मॉल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 544 यू. एस. 385 (2005); संयुक्त राज्य अमेरिका पाल्मर 16 यू. एस. 3 व्हीट।610610 (1818) ; वारबर्टन **बनाम हडर्सफील्ड औद्योगिक सोसायटी** [1892] 1 क्यू. बी. 817, पीपी 821–22 संदर्भित ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य संचालन नियम, 1993

19.1 यह स्पष्ट है कि 1991 के अधिनियम की परिकल्पना संवैधानिक प्रावधान के पूरक के रूप में और अनुच्छेद 239 एए से संबंधित आकस्मिक मामलों पर ध्यान देने के लिए की गई थी। 1991 के अधिनियम की धारा 41 के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि उपराज्यपाल केवल उन मामलों में अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर हैं या उन मामलों के संबंध में जिनमें राष्ट्रपति द्वारा उन्हें शक्तियां सौंपी गई हैं या प्रत्यायोजित की गई हैं या जहां कानून द्वारा उनसे अपने विवेक से कार्य करने या किसी न्यायिक या अर्ध–न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता है और इसलिए, यह स्पष्ट है कि उपराज्यपाल प्रत्येक मामले में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और कुल मिलाकर, उनकी विवेकाधीन शक्तियां उन तीन मामलों तक सीमित हैं जिन पर दिल्ली विधानसभा की विधायी शक्ति अनुच्छेद 239 एए के खंड (3) (ए) द्वारा बहिष्कृत है। [पैरा 238,240] [162–सी, बी–सी]

19.2 धारा 42 मंत्रिपरिषद द्वारा उपराज्यपाल को दी गई सहायता और सलाह से संबंधित है। 1991 के अधिनियम की धारा 42 के शब्द और वाक्यांश अनुच्छेद 74 के खंड (2) के समान हैं जो यह भी संकेत देता है कि अभिव्यक्ति 'सहायता और सलाह' को अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) के परंतुक के रूप में अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अधीन एक समान व्याख्या मिलनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई 'सहायता और सलाह' उपराज्यपाल पर तब तक बाध्यकारी है जब तक कि उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) के परंतुक द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग नहीं करता है और अपने अंतिम बाध्यकारी निर्णय के लिए उस शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले को राष्ट्रपति को भेजता है। [पैरा 241,242] [163–सी–एफ]

19.3 1991 के अधिनियम की धारा 44 ने राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों को कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाना और उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी अनिवार्य कर दिया है। प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने लेन–देन की रूपरेखा तैयार किया है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 1991 का अधिनियम और टी. बी. आर., 1993, जब एक साथ पढ़े जाते हैं, तो ये दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए शासन की योजना को दर्शाते हैं । [पैरा 244–245] [164–D–E]

19.4 1991 के अधिनियम की धारा 45, संविधान के अनुच्छेद 167 के समान और अनुरूप है जो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री के लिए अनिवार्य बनाता है कि वे दिल्ली के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को उपराज्यपाल को सूचित करना अनिवार्य बनाता है। इस तरह के संचार का वास्तविक उद्देश्य दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों पर उपराज्यपाल की सहमति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वास्तव में इसका उद्देश्य उपराज्यपाल को समन्वय में रखना, उन्हें नियंत्रण में रखना और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत करना है ताकि उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) के प्रावधान द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग कर सकें। [पैरा 247] [165–बी–डी]

19.5 कार्य संचालन नियम, 1993 में उपराज्यपाल द्वारा अपने और अपने मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद को चर्चा और बातचीत के माध्यम से किसी भी मुद्दे को हल करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया पर विचार करके, टी. बी. आर., 1993 सुझाव देता है कि उपराज्यपाल को अपने मंत्रियों के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए और हर कदम पर उनका विरोध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चर्चा द्वारा सामंजस्यपूर्ण समाधान की आवश्यकता को विशेष रूप से शासन के प्रतिनिधि स्वरूप को बनाए रखने के लिए पहचाना जाता है जैसा कि अनुच्छेद 239 एएए को शामिल करके विचार किया गया है। [पैरा 277 (एक्सएक्स)] [182–ए–सी]

19.6 जीएनसीटीडी अधिनियम, 1991 और संबंधित टीबीआर, 1993 के प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए. ए. और 239 ए. बी. को शामिल करके जिस योजना की अवधारणा की गई है, वह इंगित करती है कि उपराज्यपाल, प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के संबंध में सूचित रखा जायेगा। शब्दावली "एक प्रति भेजें" उपराज्यपाल को, "उपराज्यपाल को अग्रेषित किया जाना", "उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया गया" और उक्त नियमों में नियोजित "उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने का कारण" केवल इस संभावित निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों को उपराज्यपाल को सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक है। उक्त संचार अनिवार्य है ताकि उसे अनुच्छेद 239 एए (4) और उसके प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। [पैरा 277 (xxi)] [182–सी–ई]

19.7 1991 के अधिनियम और 1993 टीबीआर, को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि 1991 के अधिनियम की धारा 44 के अनुसरण में तैयार किए गए दिल्ली के उपराज्यपाल नाम मात्र के प्रमुख नहीं हैं, बल्कि उन्हें अनुच्छेद 239 ए. ए. के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक की शक्ति प्राप्त है । दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अपनाई गई संवैधानिक योजना में एक ओर मंत्रिपरिषद को लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में और दूसरी ओर राष्ट्रपति द्वारा नामित और नियुक्त व्यक्ति के रूप में उपराज्यपाल की कल्पना की गयी है, जिन्हें संवैधानिक मापदंडों के भीतर समांजस्य में कार्य करना आवश्यक है। उक्त योजना में, उपराज्यपाल को दिल्ली के मंत्रिपरिषद के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखने वाले विरोधी के रूप में नहीं उभरना चाहिए, बल्कि उन्हें एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करना चाहिए । [पैरा 268] [174–ए–सी]

आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले [1984] 2 एस. सी. आर. 495:

(1984) 2 एस. सी. सी. 183; श्रीमंत शामराव सूर्यवंशी बनाम प्रह्लाद भैरोबा सूर्यवंशी [2002] 1 एससीआर 393:(2002) 3 एससीसी 676; टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 8 एससीसी 481: [2002] 3 पूरक। एस. सी. आर. 587– संदर्भित।

मॉमसेल बनाम ओलिन्स [1975] एसी 373; ईस्टमैन फोटोग्राफिक मैटेरियल्स कंपनी बनाम नियंत्रक–पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के जनरल (1989) एसी 571;

टिकरी बंदा डल्लेवे बनाम पद्मा रुक्मणी डल्लेवे (1969) 2 एसी 313; ब्लैक क्लॉसन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम।पापियरवेर्के– वाल्डोफ़–एशफ़ेनबर्ग (1975) एसी 591 – संदर्भित किया गया।

<u>संवैधानिक पुनर्जागरणः</u>

20.1 संवैधानिक आदर्शवाद की पूर्ति, संविधान के प्रावधानों की भाषा द्वारा अनुमेय नहीं होने वाली किसी भी चीज़ को अस्वीकार करना और महान जीवित दस्तावेज़ की दृष्टि को फिर से जागृत करने की भावना के साथ इसकी भावना और मौन के प्रति सम्मान दिखाना, वास्तव में, संवैधानिक पुनर्जागरण है। संविधान रचनात्मक है। इसमें निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं है। अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। कभी–कभी यह तर्क दिया जाता है, हालांकि एक अलग संदर्भ में, कि कोई "तर्कसंगत अराजकतावादी" हो सकता है, लेकिन उक्त शब्द का संवैधानिक शासन और विधि के शासन के क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं है। संवैधानिक पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को महसूस करके और महान जीवित दस्तावेज की दृष्टि को फिर से जागृत करने की भावना के साथ संवैधानिकविवेक के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए बुलाए जाने की ईमानदारी से स्वीकृति देकर संवैधानिक पुनर्जागरण की समझ विकसित करें ताकि संवैधानिक आदर्शों का सच्चा विकास हो सके। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को इस आदर्शवाद के प्रति निरंतर जीवित रहना है। [पैरा 272,273,277 (xxiii)] [182–जी; 183–ए; 176–सी–डी; 183–बी–डी]

20.2 उक्त अवधारणा को तब बल मिलता है जब उपराज्यपाल द्वारा संवैधानिक चश्मे, किसी भी वैधानिक वारंट, वास्तविक न्यायसंगत आधारों पर केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच कार्यकारी असहमति पर तर्कसंगत अंतर होता है, जब कोई कार्यकारी निर्णय विधायी क्षमता के विपरीत होता है और मंत्रिपरिषद का निर्णय राष्ट्रीय हित को पराजित करता है। ये केवल कुछ उदाहरण हैं। संविधान में अंतर की प्रकृति नहीं बताई गई है। यह इसे सामूहिक जिम्मेदारी वाले मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल के विवेक पर छोड़ देता है। यही वह संवैधानिक न्यास है जो अपेक्षा करता है कि संविधान के तहत कार्य करने वाले लोग संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठ व्यावहारिकता और उचित प्रशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संतुलन द्वारा निर्देशित होंगे। हठ का विचार कल्याणकारी प्रशासन का सिद्धांत नहीं है। संवैधानिक सिद्धांत खानाबदोश धारणा को स्वीकार नहीं करते हैं। वे

वास्तव में समाज की बेहतरी के लिए शासन, स्वस्थ संबंध और स्वीकृति के लिए खुले दिमाग के साथ आपसी सम्मान की उम्मीद करते हैं। [पैरा 274] [176–ई–जी]

20.3 लक्ष्य किसी भी वैमनस्य और अराजकता से बचना है।संवैधानिक रूप से प्रदत्त विश्वास, मान्यता और संवैधानिक शासन के सिद्धांत की स्वीकृति, सिद्धांतों और मानदंडों का पालन और प्रस्तावना में बताए गए उन्नत मार्गदर्शक उपदेशों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक आचरण को बनाए रखना संवैधानिक पुनर्जागरण की भावना को साकार करने के समान होगा।[पैरा 275] [176–जी; 177–ए–बी]

केशवन माधव मेनन बनाम द स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 एससीआर 228; माधव राव जीवाजी राव सिंधिया और अन्य v. भारत संघ और एन. आर. [1971] 3 एस. सी. आर. 9:(1971) 1 एस. सी. सी. 85; केरल राज्य और ए. एन. आर. बनाम एन. एम. थॉमस और अन्य [1976] 1 एससीआर 906:(1976) 2 एस. सी. सी 310; आर. सी. कूपर बनाम यू. ओ. आई. [1970] 3 एस. सी. आर 530: (1970) 1 एससीसी 248 ; मेनका गांधी बनाम यू. ओ. आई. (1978) 2 एस. सी. आर. 621: (1978) 1 एससीसी 248; न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम यू. ओ. आई. (2017) 10 एस. सी. सी. राय साहब राम जवाया कपूर पंजाब राज्य 1955 ए. आई. आर. 549: [1955] एससीआर 225 तेज किरण जैन बनाम एन. संजीव रेड्डी [1971] 1 एससीआर 612: (1970) 2 एस. सी. सी. 272–संदर्भित।

<u>डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. (सहमत):</u>

1. संविधान में अनुच्छेद 239एए की शुरूआत घटक शक्ति के प्रयोग का परिणाम था । संविधान में 69 वें संशोधन के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में दिल्ली के विशेष दर्जे के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हैं, हालांकि संविधान के भाग VIII केंद्र शासित प्रदेश के अधीन है । इस तरह के संवैधानिक संशोधन की सामग्री को अतीत में दिल्ली पर शासन करने वाले कानूनों की सामग्री से सीमित या बाधित नहीं किया जा सकता है । संवैधानिक संशोधनों ने एनसीटी के लोकतांत्रिक शासन में स्थिरता और स्थायित्व लाने की मांग की। संविधान की बुनियादी विशेषताओं को बढ़ाने वाले संशोधन की एक ऐसी व्याख्या होनी चाहिए जो इसके वास्तविक चरित्र को पूरा करेगा। [पैरा 143] [304–जी–एच; 305–ए–सी]

2. अनुच्छेद 239 (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक को एनसीटी के संदर्भ में इसके उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाता है। उपराज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति का मूल स्रोत संविधान के अनुच्छेद 239 से उत्पन्न होता है । जबकि अनुच्छेद 239 (1) इंगित करता है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रावधान के प्रारंभिक शब्द ("विधि द्वारा संसद द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर") इंगित करता है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन की प्रकृति और विस्तार संसद द्वारा बनाए गए विधि में इंगित किया गया है । इसके अलावा, प्रावधान के बाद के शब्द ("जिस सीमा तक वह उचित समझे") उसी स्थिति का समर्थन करते हैं । [पैरा 143] [305–सी–ई]

3. अनुच्छेद 239 एए को अपनाकर, संसद ने एक घटक निकाय के रूप में, संवैधानिक रूप से स्थापित शासन संस्थानों का निर्माण करके दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्रदान किया है । अनुच्छेद 239 एए राष्ट्रीय राजधानी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद के अस्तित्व को अनिवार्य बनाता है । [पैरा 143] [305–ई–एफ]

4. अनुच्छेद 239 एए के प्रावधान सहभागी, प्रतिनिधि और उत्तरदायी सरकार पर आधारित संस्थागत शासन प्रदान करने के लिए संविधान के एक स्पष्ट जनादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विशेषताएं अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों से निकलती हैं जिनमें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान सभा के लिए सीधे निर्वाचन की आवश्यकता होती है; अनुच्छेद 324, 327 और 329 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग के संवैधानिक कार्यों को शामिल करना; राज्य सूची (अपवादित मामलों को छोड़कर) और समवर्ती सूची द्वारा शासित मामलों के संबंध में विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करना; विधान सभा के लिए मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को अधिदेशित करना; और (अनुच्छेद 239 एए (4) के मूल भाग में) यह प्रावधान करना कि उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगा। एक संशोधन के माध्यम से इन प्रावधानों को अपनाने में, संविधान ने दिल्ली के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के कैबिनेट रूप के महत्व को मान्यता दी है। [पैरा 143] [305–एफ–एच; 306–ए–सी]

5. अनुच्छेद 239 एए में विधायी शक्ति का वितरण एक विधायी निकाय के रूप में संसद को सौंपी गई प्रमुख भूमिका का संकेत है। यह इस स्थिति से उभरता है कि संसद को राज्य सूची के साथ–साथ समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है; और सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि (राज्य सूची की प्रविष्टियां 1,2 और 18) और अपराधों, न्यायालयों की अधिकारिता और शुल्क (प्रविष्टियां 64,65 और 66 जहां तक वे पिछले ए से संबंधित हैं) के तीन विषयों को अलग कर दिया गया है । प्रविष्टियाँ), जो सभी संसद के अनन्य विधायी क्षेत्र के भीतर हैं, विधान सभा और संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के बीच किसी भी असंगति को प्रतिकुलता के सिद्धांत नियंत्रित हैं और संसद के कानून तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक कि राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है। [पैरा 143] [307–सी–एफ]

6. एनसीटी सरकार की कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सह–व्यापक है। अनुच्छेद 239 एए के खंड 4 के तहत सहायता और सलाह का सिद्धांत उन क्षेत्रों तक फैला हुआ है जहां उपराज्यपाल उन मामलों के संबंध में कार्य करता है जहां विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है।परिणामस्वरूप, जिन मामलों पर विधान सभा के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है, वे सहायता और सलाह के सिद्धांत द्वारा शासित नहीं होते हैं। इसी तरह, उपराज्यपाल उन मामलों में सहायता और सलाह के अधीन नहीं है जहां उन्हें किसी भी विधि द्वारा या उसके तहत अपने विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। [पैरा 143] [305–एफ–एच; 307–ए]

7. जीएनसीटीडी अधिनियम, 1991 को संसद द्वारा अनुच्छेद 239 एए के खंड 7 (ए) द्वारा प्रदत्त विधायी प्राधिकरण के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है। राष्ट्रपति ने जीएनसीटीडी अधिनियम, 1991 में विचार के अनुसार एनसीटी के लिए व्यापार नियम बनाए हैं। जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 41 यह इंगित करती है कि ऐसे मामलों में जो विधान सभा को सौंपी गई विधायी शक्तियों से बाहर हैं और जहां अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल को कार्यों का हस्तांतरण या प्रत्यायोजन किया गया है; और उन मामलों में जहां उपराज्यपाल किसी विधि द्वारा या उसके तहत अपने विवेक का प्रयोग करता है, वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अधीन नहीं है; जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा

44 इंगित करती है कि सहायता और सलाह धारा 44 (1) (i) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित करती है। [पैरा 143] [307–ए–डी]

8. नियमों के तहत, उपराज्यपाल को एन. सी. टी. के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर विधिवत अवगत कराया जाना चाहिए। नियम मंत्रिपरिषद के कर्तव्य को इंगित करते हैं कि वह उपराज्यपाल को उसके सामने एक प्रस्ताव के चरण से ही सूचित करे। उपराज्यपाल को एन. सी. टी. के मामलों से विधिवत सूचित और अवगत रखने का कर्तव्य उन्हें सौंपी गई संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन और जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम, 1991 और व्यापार लेन–देन नियम के तहत उनके कर्तव्यों को पूरा करने की सुविधा प्रदान करता है। [पैरा 143] [307–ई–एफ]

9. जबकि व्यापार नियमों के लेनदेन में निहित प्रावधानों के लिए एनसीटी के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर उपराज्यपाल को सूचित करने के लिए मंत्रिपरिषद पर लगाए गए कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करने की आवश्यकता होती है, जो निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है उसके अनुसार न तो अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों और न ही अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के लिए उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। वास्तव में नियमों के नियम 14 से संकेत मिलता है कि कर्तव्य उपराज्यपाल को सूचित करना और उनकी पूर्व सहमति लेना नहीं है। यद्यपि नियम 23 के तहत आने वाले निर्दिष्ट क्षेत्रों में यह अनिवार्य किया गया है कि किसी निर्णय को लागू करने से पहले ही उपराज्यपाल को अवगत कराया जाना चाहिए। [पैरा 143] [307–एफ–एच; 308–ए–बी]

10. व्यापार लेन–देन नियमों की विशेषता यह है कि निर्वाचित सरकार और उसके अधिकारियों पर एक दायित्व और कर्तव्य डाला गया है कि वे उपराज्यपाल को सरकारी कार्यों से संबंधित प्रस्तावों के बारे में विधिवत सूचित रखें। उपराज्यपाल को सूचित रखने का कर्तव्य प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व है और संवैधानिक अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक है जो उपराज्यपाल में निहित है। जब उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित मामलों से विधिवत अवगत कराया जाता है, तभी इस बारे में निर्णय लिया जा सकता है कि अध्याय 5 के तहत केंद्र सरकार को कोई निर्देश दिया जाना चाहिए या नहीं। नियमों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो मामले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार

के कार्यकारी कार्यों के दायरे में आते हैं, उन पर निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है, जिसमें मंत्रिपरिषद शामिल होती है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता हैं। [पैरा 103,104] [271–डी–एफ; जी–एच]

11. अनुच्छेद 367 के प्रावधानों के परिणामस्वरूप, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 संविधान की व्याख्या के लिए अनुच्छेद 372 के तहत किए गए अनुकूलन और संशोधनों के अधीन लागू होता है। 'राज्य' (धारा 3 (58)) और 'राज्य सरकार' (धारा 3 (60)) और 'केंद्र शासित प्रदेश' (धारा 3 (62ए)) की परिभाषाएं संविधान के प्रावधानों की व्याख्या पर तब तक लागू होती हैं जब तक कि कुछ ऐसा न हो। संविधान के किसी विशेष प्रावधान के विषय या संदर्भ में प्रतिकुल । [पैरा 143] [308–बी–सी]

12. कन्नियन मामले में इस प्रकरण के निर्णय और एनडीएमसी मामले में नौ–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के माध्यम से, यह एक व्यवस्थित सिद्धांत है कि अनुच्छेद 246 (4) में 'राज्य' अभिव्यक्ति में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं होगा और सामान्य खंड अधिनियम में निहित परिभाषा प्रावधान के विषय और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होगी । इस न्यायालय के निर्णयों ने यह निर्धारित करने के लिए विषय और संदर्भ परीक्षा को लागू किया है कि क्या संविधान के अन्य प्रावधानों और वैधानिक प्रावधानों में 'राज्य' अभिव्यक्ति में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल होगा। [पैरा 143] [308–डी–ई]

13. किसी विशेष प्रावधान में "राज्य" अभिव्यक्ति का उपयोग इस बात पर निर्भर नहीं है कि इसका उपयोग किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में आवेदन रहेगा या नहीं। परिणाम अनिवार्य रूप से उस विषय और संदर्भ पर आधारित होता है जिसमें शब्द का उपयोग किया गया है। [पैरा 143] [308–ई–एफ]

14. अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान को अर्थ और सामग्री देते समय, दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक हैः कि संविधान ने विधायी शक्ति के प्रयोग के लिए संस्थानों और मंत्रिपरिषद द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली एक कार्यकारी शाखा का निर्माण करके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए सरकार के एक कैबिनेट रूप को अपनाया है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शासन में शामिल किया गया है। (i) सहायता और सलाह तथा सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत उपरोक्त को प्रभावी

बनाते हैं, (ii) जबकि उपराज्यपाल का किसी भी मामले को राष्ट्रपति को संदर्भित करने का अधिकार उपरोक्त का प्रतिबिंब है। [पैरा 143] [308–एफ–एच; 309–ए–बी]

15. हालांकि उन मतभेदों की एक विस्तृत सूची बनाना संभव नहीं हो सकता है जिन्हें उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि परंतुक के अर्थ के भीतर एक अंतर एक कल्पित अंतर नहीं हो सकता है। यदि 'कोई भी मामला' अभिव्यक्ति को 'प्रत्येक मामला' के रूप में पढ़ा जाता है, तो यह राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के मामलों के हर पहलू का प्रशासन संभालने के लिए अग्रसर करेगा, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली के शासन के लिए अपनाई गई संवैधानिक संरचना की उपेक्षा होगी। [पैरा 143] [309–बी–सी]

16. उपराज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति को निर्देश देने का निर्णय लेने से पहले, कार्य संचालन नियमों में अनिवार्य कार्यवाही का पालन किया जाना चाहिए। नियम उन तौर–तरीकों को परिभाषित करते हैं जिनका उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद के साथ मतभेद की स्थिति में पालन करना चाहिए । उपराज्यपाल को, संवाद और चर्चा की प्रक्रिया द्वारा, एक मंत्री के साथ किसी भी मतभेद को हल करने का प्रयास करना चाहिए और यदि संभव नहीं है तो इसे मंत्रिपरिषद के माध्यम से हल करने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति को संदर्भित करने पर नियमों द्वारा केवल तभी विचार किया जाता है जब उपरोक्त तौर–तरीके कोई समाधान देने में विफल रहते हैं, तब मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है। [पैरा 143] [309–सी–ई]

17. मंत्रिमंडल सरकार में निर्णय लेने की मूल शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 239 एए (4) के मूल भाग में निहित सहायता और सलाह का प्रावधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है। जब उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर कार्य करता है, तब यह माना जाता है कि सरकार के लोकतांत्रिक रूप में वास्तविक निर्णय लेने का अधिकार कार्यपालिका में निहित है। यहां तक कि जब उपराज्यपाल परंतुक की शर्तों के तहत राष्ट्रपति को संदर्भित करता है, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करना होता है। यद्यपि उपराज्यपाल को इस बीच तत्काल कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है जहां आकस्मिक परिस्थितियों की

आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 239एए (4) के प्रावधानों से संकेत मिलता है कि उपराज्यपाल को या तो सहायता और सलाह के आधार पर कार्य करना चाहिए या, जहां उनके पास राष्ट्रपति को मामला भेजने का कारण हो, राष्ट्रपति द्वारा बताए गए निर्णय का पालन करना चाहिए। निर्णय लेने के लिए उपराज्यपाल के पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया गया है (सिवाय उन मामलों के जहां वे किसी भी विधि के तहत न्यायिक या अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं या जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के तहत उन मामलों पर शक्तियां सौंपी गई हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार की क्षमता से बाहर हैं)। [पैरा 143] [309–ई–एच; 310–ए–बी]

18. अनुच्छेद 239एए का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय हित के मामलों पर संघ क्षेत्र के हितों की रक्षा करने के लिए एक संरक्षक की प्रकृति का है । हर मामूली अंतर परंतुक के अंतर्गत नहीं आता है। इस परंतुक में, अन्य बातों के अलावा, वित्त और नीति के महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होंगे जो राष्ट्रीय राजधानी की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं या संघ के महत्वपूर्ण हितों को प्रभावित करते हैं। प्रशासन की जटिलताओं और भविष्य में होने वाली अप्रत्याशित स्थितियों को देखते हुए, न्यायालय के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन के अभ्यास में उन परिस्थितियों को पूरी तरह से इंगित करना संभव नहीं होगा जो परंतुक का सहारा लेने के लिए आवश्यक हैं। [पैरा 143] [310–सी–ई]

19. संवैधानिक नैतिकता किसी भी देश में राजनीति की नैतिकता को रेखांकित करती है। यह राजनीति को सफल होने की पहचान देता है।संवैधानिक नैतिकता के लिए संविधान की भावना को बढ़ाने और पूर्ण करने के लिए संवैधानिक मौन को भरने की आवश्यकता होती है। संविधान सरकार की संरचना स्थापित कर सकता है, लेकिन ये संरचनाएं कैसे काम करती हैं, यह संवैधानिक मूल्यों के आधार पर निर्भर करता है। संवैधानिक नैतिकता का उद्देश्य संवैधानिक विवादों को निपटाने के लिए एक मार्गदर्शक आधार के रूप में कार्य करके अतीत को राष्ट्र की आत्मा को खण्डित करने से रोकना है। [पैरा14–15] [192–B; 193–D]

20. संविधान की किसी भी व्याख्या को एक राजनीतिक दस्तावेज के रूप में संविधान के महत्व को स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए जिसमें लोकतांत्रिक शासन

के लिए एक ब्लूप्रिंट शामिल है। संविधान के शब्दों को केवल यह संकेत देकर नहीं समझा जा सकता है कि भाषा का एक शब्दकोश क्या समझाएगा। जबकि इसकी भाषा इसके शब्दों की सामग्री के लिए प्रासंगिक है, संविधान के पाठ को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। [पैरा 17] [194–सी–डी]

21. मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधायिका और मतदाताओं के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह सरकार को उसके प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी बनाता है। इसमें परिकल्पना की गई है कि सरकार जनता के हितों को सुनिश्चित करने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करती है। इसका उद्देश्य सरकारी निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सामूहिक जिम्मेदारी संवैधानिक नैतिकता की नींव पर टिकी होती है, जो संवैधानिक नैतिकता को दर्शाती है। [पैरा 37] [214–सी–ई]

22. सामूहिक जिम्मेदारी और सहायता और सलाह पारस्परिक रूप से मजबूत करने वाले सिद्धांत हैं। उनमें से प्रत्येक और दोनों मिलकर उन लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि करते हैं और उन्हें बढ़ाते हैं जिन पर मंत्रिमंडल का गठन होता है। सरकार की स्थापना की जाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करता है कि सरकार एक राजनीतिक इकाई के रूप में बोलती है जो लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति निष्ठा रखती है। सामूहिक जिम्मेदारी और सहायता और सलाह का सिद्धांत एक उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार को बढ़ावा देता है। सहायता और सलाह का सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ाता है जो सामूहिक जिम्मेदारी का आधार बनते हैं। यह जनादेश कि सरकार के एक नाममात्र प्रमुख को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक शासन का स्वरूप उसके सार के अधीन है, जो यह अनिवार्य करता है कि निर्णय लेने का वास्तविक अधिकार सरकार की निर्वाचित शाखा में होना चाहिए। [पैरा 41,43] [219–डी–ई; 220–ई–एफ]

यू. एन. आर. राव बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी (1971) 2 एस. सी. सी. 63:[1971] 0 पूरक।एस. सी. आर. 46; समशेर सिंह बनाम राज्य पंजाब (1974) 2 एससीसी 831: [1975] 1 एससीआर 814; पीयू मयलाई ह्लिचो बनाम मिजोरम राज्य (2005) 2 एस. सी. सी. 92:[2005] 1 एस. सी. आर. 279; नबाम रेबिया और बामंग फेलिक्स बनाम

उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानमंडल विधानसभा; (2016) 8 एस. सी. सी. 1:[2016] 6 एस. सी. आर. 1; किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्लु (1992) एस. सी. सी. सूपल।(2) 651 : [1992] 1 एस. सी. आर. 686–संदर्भित।

भारतीय संविधानःद्वारा एक राष्ट्र की आधारशिलाग्रैनविल ऑस्टिन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (1966) पी. xi–संदर्भित।

23. एनसीटी के लिए मंत्रिपरिषद को सौंपी गई संवैधानिक शक्तियों के दायरे को परिभाषित करने और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल के साथ उनके संबंधों को परिभाषित करने में, न्यायालय संवैधानिक महत्व से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है जिसे प्रतिनिधि सरकार को सौंपा जाना है। एनसीटी के शासन में राष्ट्रीय अनिवार्यताएँ शामिल हैं। उन्हें संतुलन में भी तोलना चाहिए। अनुच्छेद 239एए (4) उन राष्ट्रीय चिंताओं का संवैधानिक संकेतक है जो उस समय ध्यान में रखे गए थे जब एक विशेष संवैधानिक प्रावधान द्वारा एनसीटी को शासन की एक राजनीतिक अंग के रूप में स्थापित करने के लिए घटक शक्ति का प्रयोग किया गया था। उन राष्ट्रीय अनिवार्यताओं के कारण विधायी प्राधिकरण के क्षेत्र से पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के क्षेत्रों को अलग कर दिया है और उन्हें विधानसभा एवं संसद को सौंप दिया गया । [पैरा 74] [250–बी–डी]

24. संवैधानिक सिद्धांत जो उभर कर आता है वह यह है कि जबकि दिल्ली अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों के विपरीत एक विशेष मामला प्रस्तुत करती है, इसे नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान राष्ट्रीय चिंताओं (संघ द्वारा नियंत्रण में परिलक्षित) और प्रतिनिधि लोकतंत्र (मंत्रिपरिषद के जनादेश के माध्यम से व्यक्त किए गए) के बीच एक मिश्रण हैं जो सीधे निर्वाचित विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का दायित्व रखता है। यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि संघ द्वारा नियंत्रण, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने वाले राष्ट्रपति का भी नियंत्रण है, जो बदले में संसद के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी रखता है। शासन के दो स्तरों, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के बीच संवैधानिक राजनीतिक कौशल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यावहारिक मुद्दों को राजनीतिक परिपक्वता और प्रशासनिक अनुभव की भावना के साथ हल किया जाए। [पैरा 75] [250–जी–एच; 251–ए–बी]

25. जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 के प्रावधानों के सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि राजधानी के प्रशासन से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के बीच एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। उपराज्यपाल को अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कुछ विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गयी है, जिनमें वित्तीय विधेयकों को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा लेने की आवश्यकताएं शामिल हैं। उपराज्यपाल को उन मामलों में अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति दी गई है जो विधानसभा के दायरे और शक्ति से बाहर हैं और जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपे गए हैं और साथ ही उन मामलों के संबंध में जहां उन्हें विधि के तहत अपने विवेक का प्रयोग करने या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा व्यवसाय के संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं। [पैरा 87] [259–ए–बी, डी–ई]

केशवन माधव मेनन बनाम बॉम्बे राज्य [1951] 2 एससीआर 228; तेज किरण जैन बनाम एन संजीव रेड्डी (1970) 2 एससीसी 272:[1971] 1 एससीआर 612; जी नारायणस्वामी बनाम जी पन्नीरसेल्वम (1972) 3 एससीसी 717:[1973] 1 एससीआर 172; **कुलदिप नायर बनाम भारत संघ (2006) 7 एस. सी. सी. 1:[2006] 5 पूरक।एस. सी. आर. 1; मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014)** 9 एससीसी 1:[2014] 9 एस. सी. आर. 965; सत्य देव बुशहरी बनाम पदम देव [1955] 1 एस. सी. आर. 549; देवजी वल्लभभाई **टंडेल बनाम गोवा, दमन और दीव के प्रशासक [1982] 2** एससीसी 222:[1982] 3 एस. सी. आर. 553; गोवा नमूना कर्मचारी 'एसोसिएशन बनाम भारत की सामान्य अधीक्षण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (1985) 1 एससीसी 206: [1985] 2 एससीआर 373; द **मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्री मौला बक्स (1962) 2 एससीआर 794; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू (2005)** 11 एससीसी 600:[2005] 2 पूरक। एससीआर 79; नई दिल्ली नगर परिषद बनाम पंजाब राज्य (1997) 7 एस. सी. सी. 339: [1996] 10 पूरक। एस. सी. आर. 472; टी. एम. कन्नियन बनाम आयकर अधिकारी, पांडिचेरी [1968] 2 एस. सी. आर. 103; एडवांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रबंधन बनाम श्री गुरुदासमल (1970) 1 एस. सी. सी. 633; भारत संघ बनाम प्रेम कुमार जैन (1976) 3 एससीसी 743:[1976] 0 पूरक। एससीआर 166; मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) 9 एससीसी 1:[2014] 9 **एस. सी. आर. 965; केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य** (1973) एससी 1461: [1973] 0 पूरक। एससीआर 1; पुट्टास्वामी (2017) 10 एससीसी 1; आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) 2 एससीसी 1:[2007] 1 एससीआर 706; राय साहिब राम **जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य [1955] 2 एस. सी. आर. 225; ए. संजीवी नायडू बनाम मद्रास राज्य (1970) 1 एस. सी. सी. 443:[1970] 3 एससीआर 505; समशेर सिंह बनाम राज्य** पंजाब (1974) 2 एससीसी 831:[1975] 1 एस. सी. आर. 814; राज्य **कर्नाटक बनाम भारत संघ (1977) 4 एस. सी.**

सी. 608:[1978] 2 एस. सी. आर. 1; सामान्य कारण, एक पंजीकृत समाज बनाम भारत संघ (1999) 6 एस. सी. सी. 667:[1999] 3 एससीआर 1279; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह **(2012) 3 एससीसी 64:[2012] 3 एस. सी. आर. 52–संदर्भित।**

राजीव भागवा द्वारा भारतीय संविधान की राजनीति और नैतिकता (संस्करण) ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2008),पृ. 9; भारतीय संविधानःद्वारा एक राष्ट्र की आधारशिला ग्रैनविल ऑस्टिन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (1966) पी. xi; भारतीय संविधान की राजनीति और नैतिकता राजीव भागवत, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2008) पी।15 ; द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, पेंगुइन बुक्स (2003) प्रताप भानु मेहता द्वारा। संवैधानिक क्या है? नैतिकता? " प्रताप भानु मेहता सेमिनार (2010) द्वारा; **संविधान सभा वाद–विवाद, खंड। 11 (25 नवंबर, 1949); भारतीय संविधान की ऑक्सफोर्ड पुस्तिका सुजीत चौधरी, माधव खोसला और प्रताप भानु मेहता द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2016) पी। 12 ;"राजू द्वारा प्रश्न और प्रश्न**रामचंद्रन; आउटलुक (25 अगस्त, 2014); लंदन **स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस–निरजा गोपाल जयाल और प्रताप भानु मेहता (संस्करण) (फरवरी 2007); दिलीप मुखर्जी द्वारा "सरकारी जवाबदेही"; द ऑक्सफोर्ड कम्पेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2010),पी. 477;** "शुभंकर डैम द्वारा कार्यकारी; सुजीत चौधरी में, माधव खोसला और प्रताप भानु मेहता (संस्करण); द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2016),पी. 319; राजीव भागवत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा भारतीय संविधान की राजनीति और नैतिकता (2008) (संस्करण) पी 9 – संदर्भित किया गया।

"लोकतंत्र की महिमा "डेविड ब्रूक्स द न्यू द्वार यॉर्क टाइम्स 14 दिसंबर, 2017; लोकतंत्र और उसके संस्थान, आंद्रे बेटिले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस द्वारा(2012) ; "संवैधानिक नैतिकता और कानून का शासन ",ब्रूस पी. फ्रॉहनन और जॉर्ज डब्ल्यू. कैरी द्वारा जर्नल ऑफ विधि एंड पॉलिटिक्स (2011), वॉल्यूम। 26,p.498; "मौन" संविधान का, "इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मार्टिन लॉफलिन द्वारा संवैधानिक विधि (2019, प्रेस में); जॉर्ज एलन एंड अनविन लिमिटेड (1964) द्वारा प्रतिनिधि और जिम्मेदार सरकार,p.131; अंग्रेज़ी वाल्टर बागेहोत द्वारा संविधान, दूसरा संस्करण (1873), पी।118 ; द्वारा अंग्रेजी संविधान का विकास **एडवर्ड ए. फ्रीमैन (1872); आइवर जेनिंग्स द्वारा कैबिनेट सरकार, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस (1959), 3 आरडी संस्करण,पी. 279; जी द्वारा मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी मार्शल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (1989),पी. 2– 4;** "व्यक्तिगत और सामूहिक प्रदर्शन और कार्यकाल सैमुअल बर्लिंस्की, तोरून दीवान और कीथ डाउडिंग द्वारा ब्रिटिश

मंत्रियों की "द साइलेन्स ऑफ मार्टिन लॉफलिन द्वारा "संविधान", अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ कांस्टीट्यूशनल विधि (2019, प्रेस में) – संदर्भित किया गया।

अशोक भूषण के अनुसार जे. (सहमत):

संवैधानिक व्याख्या के सिद्धांत

1.1 संविधान की व्याख्या करने के लिए सामान्य नियम वही है जो सामान्य क़ानून की व्याख्या करने के लिए हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि न्यायालय को जहां भी संभव हो संविधान में उपयोग की जाने वाली भाषा का सम्मान करना चाहिए, भाषा की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो संविधान के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से पूरा कर सके। एक संवैधानिक दस्तावेज को अन्य अधिनियमों की तुलना में कम कठोरता और अधिक उदारता के साथ लागू किया जाना चाहिए। संविधान केवल एक औपचारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोगों की सरकार के लिए एक जीवित ढांचा है जो पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य का प्रदर्शन करता है और इसका सफल संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें निहित लोकतांत्रिक भावना का अक्षरशः और पूरी भावना से सम्मान किया जाता है। [पैरा 41–42] [332–– D; 333–F, G]

1.2 जहाँ तक किसी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या में मौन के सिद्धांत और निहितार्थ के सिद्धांत को लागू करने का संबंध है, व्यक्त प्रावधान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है । संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य और इरादे, विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली स्पष्ट भाषा, जो किसी विशेष योजना को दर्शाती है, संवैधानिक योजना को पूर्ण प्रभाव देना होगा और व्यक्त करना होगा, ऐसे सिद्धांतों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। [पैरा 56] [343–बी–सी]

1.3 यह स्पष्ट है कि समय की आवश्यकता और संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक व्याख्या उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं के इरादे और संविधान संशोधन के उद्देश्य और प्रयोजन हमेशा संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालते हैं

लेकिन किसी विशेष संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के लिए, संवैधानिक योजना और नियोजित स्पष्ट भाषा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य और इरादे को उन संवैधानिक प्रावधानों से पता लगाना होगा जिनकी व्याख्या की जानी हैं। इस प्रकार, अनुच्छेद 239एए की व्याख्या करते समय उनहत्तरवें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 को लागू करने के उद्देश्य और प्रयोजन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। [पैरा 57,119–I] [343–D–E; 376–F]

केशवन माधव मेनन बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे एयर 1951 एससी 128:

[1951] एस. सी. आर. 228; एस. आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य और अन्य। (2001) 7 एससीसी 126:[2001] 1 पूरक। एस. सी. आर. 621; जी. नारायणस्वामी बनाम जी. पनीरसेल्वम और अन्य (1972) 3 एससीसी 717:[1973] 1 एससीआर 172; **बी. आर. कपूर बनाम टी. एन. राज्य और एक अन्य (2001) 7 एस. सी. सी** 231 :[2001] 3 पूरक।एस. सी. आर. 191; कुलदिप नायर और **अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 7 एस. सी. सी. 1:[2006] 5 पूरक।एससीआर 1; आई. आर. कोएल्हो बनाम स्टेट ऑफ टी. एन.** (2007) 2 एससीसी 1:[2007] 1 एस. सी. आर. 706; रुस्तम कावासजी कूपर बनाम भारत संघ (1970) 1 एस. सी. सी. 248:आकाशवाणी 1970 एससी 564: [1970] 3 एस. सी. आर. 530; मेनका गांधी बनाम.**भारत संघ और एक अन्य (1978) 1 एस. सी. सी. 248:एयर** 1978 एससी 597:[1978] 2 एससीआर 621; के. सी. वसंत कुमार **और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य 1985 सप।एससीसी** 714 : [1985] पूरक।एससीआर 352; मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) 9 एससीसी 1:[2014] 9 एस. सी. आर. 965–संदर्भित।

> "श्री एच. एम. सीरवई द्वारा भारत के संवैधानिक विधि पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी; न्यायमूर्ति जी. पी. द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत। सिंह 14 वीं एडन; आगेःलोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का न्याय करने पर अहरोन बराक द्वारा एक न्यायाधीश; डेविड फेल्डमैन द्वारा संवैधानिक विधान की प्रकृति और महत्व 2013 **(129) LQR 343–358–संदर्भित।**

अनुच्छेद 239 एए 2 की संवैधानिक योजना।

2. अनुच्छेद 239 ए, जिसे संविधान के चौदहवें संशोधन अधिनियम, 1962 द्वारा शामिल किया गया था, में पहले ही विचार किया गया था कि संसद विधि द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा का प्रावधान कर सकती है। रिपोर्ट में कुछ विषयों को दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया, जिन पर केंद्र द्वारा विचार किया जाना था। संसदीय समिति की रिपोर्ट को 69 वें संविधान संशोधन के प्रयोजन और उद्देश्य का पता लगाने के लिए देखा जा सकता है। उनहत्तरवें संशोधन अधिनियम के उद्देश्य और कारणों के कथन में भी बालकृष्णन की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया गया है। समिति की अनुशंसा है कि दिल्ली को संघ शासित प्रदेश बना रहना चाहिए जिसमें विधानसभा और ऐसी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद होनी चाहिए, इस प्रकार स्वीकार कर ली गयी और उसी को प्रभावी बनाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 239 एए सम्मलित किया गया । इस बात से कोई इंकार नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद 239 एए को शामिल करने का एक उद्देश्य लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक सरकार की अनुमति देना है। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी का सिद्धांत संवैधानिक आशय था जिसे संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। [पैरा 60,61,65–67] [344–C–H; 346–F–G; 347–C–D]

कल्पना मेहता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2018 (7) स्केल
106– संदर्भित।

संसद की विधायी शक्ति और जीएनसीटीडी

3.1 239 एए का खंड (3) विधान सभा के साथ–साथ संसद द्वारा दिल्ली के पूरे राष्ट्रीय क्षेत्र या उसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 239 खंड (3) यह स्पष्ट करता है कि विधान सभा को राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी, जहां तक कि ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, राज्य सूची की प्रविष्टियों 1,2 और 18 (सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि) और सूची की प्रविष्टियों 64,65 और 66 के संबंध में मामलों को छोड़कर। राज्य सूची या समवर्ती सूची में कानून बनाने की शक्ति को

"जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है"वाक्यांश द्वारा सीमित किया जाता है। [पैरा 69–71] [348–B–D; 349–C]

3.2 सूची II और III के अवलोकन से पता चलता है कि यद्यपि विभिन्न प्रविष्टियों में 'राज्य' शब्दों का विशिष्ट उल्लेख है, लेकिन किसी भी प्रविष्टि में 'केंद्र शासित प्रदेश' का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है। वाक्यांश 'जहां तक ऐसा कोई भी मामला 'केंद्र शासित प्रदेश' पर लागू होता है, अप्रासंगिक है। संविधान के प्रारंभ में, केंद्र शासित प्रदेशों की कोई अवधारणा नहीं थी और केवल भाग ए, बी, सी और डी राज्य थे। सातवें संवैधानिक संशोधन के बाद, जिसमें पहली अनुसूची के साथ–साथ संविधान के अनुच्छेद 2 में संशोधन किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 1 के साथ–साथ पहली अनुसूची दोनों में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख शामिल था। इस प्रकार, उपरोक्त वाक्यांश का उपयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित मामलों सहित सभी मामलों पर दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्तियों को स्वचालित रूप से प्रदान करने की सुविधा के लिए किया गया था , सिवाय इसके कि जहां एक प्रविष्टि इंगित करती है कि इसकी प्रयोज्यता केंद्र शासित प्रदेश को निहितार्थ या किसी भी स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान से बाहर रखा गया है। इस प्रकार, एनसीटीडी की विधायी शक्ति को समझने में कोई कठिनाई नहीं है जैसा कि अनुच्छेद 239 एए में स्पष्ट रूप से वर्णित है। केंद्र शासित प्रदेश भारत का हिस्सा हैं जो किसी भी राज्य में शामिल नहीं हैं। इस प्रकार, संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में किसी भी मामले के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी। सातवें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 246 के खंड (4) में, "प्रथम अनुसूची के भाग ए या भाग बी में "शब्दों के स्थान पर" राज्य में "शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार, संविधान के प्रवर्तन पर भाग सी और डी राज्यों के संबंध में संसद की अधिभावी शक्ति प्रदान की गई थी, जिसे सातवें संविधान संशोधन द्वारा किए गए संशोधन के बाद भी जारी रखा गया है। [पैरा 72–76] [349–D–G, H; 350–H; 351–A]

3.3 संसद के पास राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में एनसीटीडी के लिए कानून बनाने की शक्ति है । एनसीटी की विधान सभा के पास राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में विधायी शक्ति है, जिसमें राज्य सूची की अपवादात्मक प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं। [पैरा80,119–II] [354–एफ; 376–जी]

एन.डी.एम.सी. विरूद्ध स्टेट ऑफ पंजाब (1997) 7 एससीसी 339: [1996] 10 Suppl. SCR 472–referred to.

संघ (राष्ट्रपति/उपराज्यपाल) और जीएनसीटीडी की कार्यकारी शक्तियाँ

4.1 यद्यपि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के उपराज्यपाल को कार्यकारी शक्ति प्रदान करने वाली संवैधानिक योजना में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 73 के तहत संघ को और अनुच्छेद 154 के तहत राज्य को प्रदान किया गया है। संवैधानिक योजना के तहत कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के सह–विस्तारी है। कार्यकारी शक्ति विधायी अधिनियमों को प्रभावी बनाने के लिए दी गई है। विधान की नीति को केवल कार्यकारी तंत्र द्वारा ही प्रभावी बनाया जा सकता है। संवैधानिक रूप से प्रदत्त लोकतांत्रिक जनादेश को पूरा करने के लिए कार्यकारी शक्ति को स्वीकार करना होगा। अनुच्छेद 239 (4) एए मंत्रिपरिषद द्वारा कार्यकारी शक्ति के प्रयोग से संबंधित है, जिसमें मुख्यमंत्री प्रमुख के रूप में उपराज्यपाल को उपरोक्त कार्यों में सहायता और सलाह देते हैं। संघ और राज्य उन विषयों पर कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जिन पर उनके पास कानून बनाने की शक्ति है। [पैरा 81,82,119–III] [354–एच; 355–ए–बी–सी; 376–एच]

राय साहिब राम जवाया कपूर और अन्य बनाम राज्य पंजाब आकाशवाणी 1955 एस. सी. 549:[1955] एस. सी. आर. 225–संदर्भित।

4.2 अनुच्छेद 73 (1) के परंतुक में यह प्रावधान है कि उपखंड (ए) में निर्दिष्ट कार्यकारी शक्ति, जैसा कि इस संविधान या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में स्पष्ट रूप से दिये गये प्रावधान के अलावा,किसी भी राज्य में उन मामलों तक विस्तारित नहीं होगी जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। जाहिर है, परंतुक समवर्ती सूची को संदर्भित करता है जहां संसद और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति है। समवर्ती सूची के संदर्भ में कार्यकारी शक्ति को जानबूझकर बाहर रखा गया है ताकि दो प्राधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग में किसी भी दोहराव से बचा जा सके। संविधान के सातवें संशोधन अधिनियम, 1956 से पहले के अनुच्छेद 73 में "पहली अनुसूची के भाग ए या भाग बी में निर्दिष्ट" राज्य शब्द के बाद की अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार, केवल भाग ए और भाग बी राज्यों के संबंध में कार्यकारी शक्ति को संघ से बाहर रखा गया था। इस प्रकार, जब संविधान

लागू किया गया था, तो समवर्ती सूची के संबंध में भी भाग सी राज्यों के संदर्भ में संघ की कार्यकारी शक्ति को बाहर नहीं रखा गया था। भाग सी राज्यों को संविधान के सातवें संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 73 के प्रावधान में "राज्य" शब्द को केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है। अनुच्छेद 73 (1) के परंतुक में "राज्य" शब्द के भीतर केंद्र शासित प्रदेश शब्द को पढ़ना संविधान के भाग VIII (केंद्र शासित प्रदेशों) की योजना के अनुसार नहीं होगा। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है । राष्ट्रपति के माध्यम से संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में एक स्वीकृत सिद्धांत है । उपरोक्त व्याख्या को एक अन्य कारण से भी पुष्ट किया गया है। अनुच्छेद 239 एए (4) परंतुक के तहत, उपराज्यपाल, मतभेद की प्रकरण में, निर्णय के लिए राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकता है और उन्हें उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करना होता है । इस प्रकार, राष्ट्रपति को किसी विशेष कार्यकारी कार्रवाई के संबंध में , जिसे संदर्भित किया गया है, निर्णय लेने का विशेष अधिकार क्षेत्र है, जिसका पालन मंत्रिपरिषद के साथ – साथ उपराज्यपाल दोनों को करना होता है । इस प्रावधान से यह संकेत नहीं मिलता है कि राष्ट्रपति की शक्ति केवल उन कार्यकारी कार्यों तक ही सीमित है जिनका उल्लेख सूची – II में किया गया है । जब राष्ट्रपति संवैधानिक योजना द्वारा प्रदत्त किए गए अधिकार रखता है । किसी भी मामले पर कार्यकारी निर्णय लेने के लिए, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि मंत्री परिषद या मंत्रियों द्वारा सूची II और सूची III में शामिल मामलों से संबंधित ऐसा कार्यकारी निर्णय लिया गया है, राष्ट्रपति के माध्यम से संघ को कार्यकारी शक्ति सूची II तक ही सीमित नहीं की जा सकती है। कार्यकारी मामलों पर भी संघ की अधिभावी शक्ति को संवैधानिक योजना के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए। यह एक और बात है कि राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र द्वारा और एनसीटीडी के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए, संविधान स्वयं एक ऐसी योजना का संकेत देता है जो संवैधानिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाती है और कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए एक तंत्र प्रदान करती है,यद्यपि अनुच्छेद 239 एए के उपखंड (4) पर विचार करते समय इस पहल को और विस्तृत किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 के प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि संघ की विधायी शक्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में इसकी कार्यकारी शक्ति के साथ सह विस्तारित है। संविधान के 69 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 एए को शामिल किये जाने के

बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 को अधिनियमित किया गया है, जिसे संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 एए (7) (ए) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था।

4.3 संघ की विधायी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक योजना के अनुसार किया जाता है और धारा 49 स्वयं इंगित करती है कि संसद स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की परिकल्पना करती है और उपराज्यपाल समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए ऐसे विशेष निर्देशों के सामान्य नियंत्रण में रहेंगे और उनका पालन करेंगे । राष्ट्रपति की निर्देश जारी करने की शक्ति किसी भी तरह से सीमित नहीं है, जिससे कि संघ की कार्यकारी शक्ति पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सके । राष्ट्रपति को अधिनियम, 1991 की धारा 44 के तहत मंत्रियों को कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाने का अधिकार है, जहां तक यह व्यवसाय है, जिसके संबंध में उपराज्यपाल को अपने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना आवश्यक है। व्यावसायिक नियमों के साथ पठित अनुच्छेद 239 एए उपखंड (4) के अनुसार, जीएनसीटीडी के कार्यकारी कार्यों सहित व्यवसाय के संचालन के तरीके और प्रक्रिया को प्रशासित किया जाना है। यद्यपि संघ सामान्यतः जीएनसीटीडी के दिन–प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं करता है जो संवैधानिक योजना के अनुरूप है। अनुच्छेद 239 एए द्वारा निरूपित और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थापित सरकार के मंत्रिमंडल के स्वरूप को अर्थ और उद्देश्य प्रदान करना। लेकिन चूंकि संवैधानिक योजना में संसद की अधिभावी विधायी शक्ति को स्वीकार किया जाता है, इसलिए अधिभावी कार्यकारी शक्ति को भी स्वीकार किया जाना चाहिए , भले ही इस तरह की शक्ति का प्रयोग संघ द्वारा जीएनसीटीडी के दिन–प्रतिदिन के कामकाज में नहीं किया जाता है। इस प्रकार, संघ की कार्यकारी शक्ति सूची । और सूची II के लिए संदर्भित सभी विषयों पर सह–व्यापक है, जिस पर मंत्रिपरिषद और एनसीटीडी के पास भी कार्यकारी शक्तियां हैं। [पैरा 86–87] [360–E–H; 361–A–B]

4.4 अनुच्छेद 239 एबी का प्रावधान एक विशेष प्रावधान है जिसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 एए के प्रावधान या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी भी विधि के किसी भी प्रावधान को निलंबित कर सकते हैं।उपरोक्त प्रावधान अनुच्छेद 356 के समान है। अनुच्छेद 356/239 एए के तहत शक्ति राज्य के व्यापक हित में संघ को प्रदान की

जाती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि संघ द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से कार्यकारी शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अनुच्छेद 239 एबी के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 239 एबी का प्रावधान पूरी तरह से अलग उद्देश्य के लिए है, और संघ द्वारा सामान्य कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। [पैरा 89] [361–एच; 362–ए–बी]

अनुच्छेद 239 एए (4) परंतुक

5.1 राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है और जैसा कि अनुच्छेद 163 के तहत विचार किया गया है, संवैधानिक योजना के अनुसार, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की अवहेलना करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, सिवाय इसके कि जब उन्हें अपने विवेक से अपने कार्य का प्रयोग करने की आवश्यकता हो। अनुच्छेद 239 एए के उपखंड (4) में निर्दिष्ट मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह का उपराज्यपाल द्वारा पालन किया जाना चाहिए, जब तक कि वह अनुच्छेद 239AA के उपखंड (4) के परंतुक में दी गई अपनी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय नहीं लेता है । जब कोई प्रकरण परंतुक के अंतर्गत आता है, तो उपखंड (4) के तहत मंत्रिपरिषद की "सहायता और सलाह" का पालन नहीं किया जाना चाहिए और उपराज्यपाल द्वारा एक संदर्भ दिया जा सकता है। यह एक स्पष्ट संविधान योजना है, जिसे अनुच्छेद 239 एए परंतुक के उपखंड (4) द्वारा परिभाषित किया गया है । अनुच्छेद 239 एए परंतुक के उपखंड (4) द्वारा परिलक्षित योजना वही योजना है जो केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 44 के अंतर्गत निहित है। [पैरा 92,119–VI] [365–बी, ई–जी]

शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य और दूसरा (1974) 2 एससीसी 831: [1975] 1 एस. सी. आर. 814–संदर्भित।

5.2 केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, परंतुक में उल्लिखित अपवाद पहले से ही मौजूद था। इस प्रकार, परंतुक में निहित योजना केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होने वाली सर्वविदित योजना थी। जब कोई स्पष्ट अपवाद हो कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह उपराज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं होती है और वह इसे राष्ट्रपति को संदर्भित कर

सकता है और तत्काल आवश्यकता के मामले में इस तरह के निर्णय को लंबित रखते हुए अपना निर्णय ले सकता है, तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अनुच्छेद 163 के तहत सहायता और सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी है। एनसीटीडी की विधान सभा निर्वाचित सदस्यों के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के कारण उनकी राय और निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए और सभी मामलों में, सिवाय उन मामलों के जहां उपराज्यपाल एक संदर्भ देने का निर्णय लेते हैं। [पैरा92–93,119–VII] [366–D–E; 377–D]

5.3 परंतुक में प्रथम वाक्य में "किसी मामले का" प्रयोग किया गया है, अर्थात, "बशर्ते कि किसी भी मामले पर उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में।" "किसी मामले" शब्द का व्यापक अर्थ हैं और अनुच्छेद 239 एए (4) की भाषा परंतुक के संचालन में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करती है। उपखंड (4) के प्रावधान में परंतुक में आने वाले वाक्यांश "किसी भी मामले" पर किसी भी प्रतिबंध या सीमा को पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। "कोई भी मामला" शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 239 एए (3) में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हुए और उपखंड (बी) में भी किया गया है। उपरोक्त दो खंडों में "कोई भी मामला" शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से दर्शाता करता है कि इसका उपयोग किसी भी सीमित या प्रतिबंधित तरीके से नहीं किया जाता है, बल्कि "कोई भी मामला" शब्द का उपयोग कानून की सम्पूर्ण सीमा को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जब उपखंड (4) के परंतुक में एक ही वाक्यांश का उपयोग किया गया है, तो उसी अनुच्छेद के पहले भाग में उपयोग किए गए शब्द की भी समान व्याख्या की जानी चाहिए। [पैरा 95] [367–डी, जी]

तेज किरण जैन और अन्य बनाम एन. संजीव रेड्डी और अन्य (1970) 2 एस. सी. सी. 272: [1971] 1 एस. सी. आर. 612–संदर्भित।

5.4 यह स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह उपराज्यपाल पर बाध्यकारी है, सिवाय इसके कि वह अनुच्छेद 239 एए के उपखंड (4) के प्रावधान में दी गई अपनी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय करता है। उन मामलों में जहाँ परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह उपराज्यपाल के लिए बाध्यकारी है।अनुच्छेद 239 एए के उपखंड (4) के प्रावधान को संसदीय लोकतंत्र के किसी भी सिद्धांत या सरकार की किसी भी प्रणाली या संवैधानिक मौन या निहितार्थ के किसी भी

सिद्धांत के आधार पर कोई अन्य व्याख्या नहीं दी जा सकती है। [पैरा 97] [368–डी–एफ]

5.5 अनुच्छेद 239 एए के उपखंड (4) के प्रावधान में एक चरम और असामान्य स्थिति की परिकल्पना की गई है और यह एक मानक नहीं है। परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग एक नियमित मामला नहीं हो सकता है और यह केवल उन मामलों में है जहां उपराज्यपाल, मंत्रिपरिषद/मंत्रियों के किसी विशेष निर्णय पर उचित विचार करने के बाद, एक संदर्भ देने का निर्णय लेते हैं ताकि निर्णय को लागू नहीं किया जा सके । केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का समग्र कार्यभार राष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है, जो संविधान के भाग VIII में निहित प्रावधानों से स्पष्ट है । यह निवेदन कि अनुच्छेद 239 एए को संविधान में शामिल किए जाने के बाद एनसीटीडी के संबंध में अनुच्छेद 239 लागू नहीं होता है, अनुच्छेद 239 एए और अनुच्छेद 239 एबी के तहत उल्लिखित स्पष्ट प्रावधानों के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है । अनुच्छेद 239 एए उपखंड (1) स्वयं विचार करता है कि अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा । इस प्रकार, अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाता है । अनुच्छेद 239 एबी एनसीटीडी पर भी लागू होता है । भाग VIII में निहित प्रावधानों पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, भाग VIII के सभी प्रावधानों को संविधान निर्माताओं के इरादे को इंगित करते हुए समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 239 एनसीटीडी पर भी लागू होता है। [पैरा 98] [368–एफ–एच; 369–ए–सी]

<u>क्या जीएनसीटीडी के कार्यकारी निर्णय पर उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता है।</u>

6.1 अनुच्छेद 239 एए के संवैधानिक प्रावधान से यह संकेत नहीं मिलता है कि जीएनसीटीडी के कार्यकारी निर्णय उपराज्यपाल की सहमति से लिए जाने चाहिए। 69 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य सुनिश्चित करना है। संवैधानिक प्रावधानों द्वारा ही विधान सभा और मंत्रिपरिषद प्रदान करके स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सकता है। जीएनसीटीडी के मंत्रिपरिषद / मंत्रियों द्वारा लिए

गए कार्यकारी निर्णय के संबंध में जीएनसीटीडी और उपराज्यपाल के कार्यकारी निर्णयों के बीच मतभेद होने की स्थिति में उपराज्यपाल को राष्ट्रपति को संदर्भित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन योजना यह सुझाव नहीं देती है कि मंत्रिपरिषद/मंत्रियों द्वारा निर्णय उपराज्यपाल की सहमति से लिए जाने चाहिए। उपरोक्त निष्कर्ष को 1991 के अधिनियम के साथ–साथ 1991 के अधिनियम की धारा 44 के तहत राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों, अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य–निष्पादन नियम, 1993 को देखकर फिर से लागू किया जाता है । हालांकि 1991 के अधिनियम के प्रावधानों में मंत्री परिषद के प्रस्ताव, एजेंडा और निर्णयों के बारे में उपराज्यपाल को सूचित करने का प्रावधान है, लेकिन किसी भी प्रावधान में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उपरोक्त निर्णयों के संबंध में उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता है। [पैरा 99] [369–सी–जी]

6.2 दिल्ली प्रशासन को नियंत्रित करने वाले पहले के अधिनियमों में जीएनसीटीडी द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए उपराज्यपाल की सहमति का प्रावधान था, लेकिन उक्त योजना को 1991 के अधिनियम में मंजूरी दिए जाने के बाद, जीएनसीटीडी द्वारा लिए गए कार्यकारी निर्णयों के लिए उपराज्यपाल की किसी भी सहमति की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 100] [369–जी–एच]

<u>उपराज्यपाल को संचार और उसके उद्देश्य एवं लक्ष्य के बारे में सूचित करना</u>

7.1 1991 के अधिनियम और नियम 1993 द्वारा वर्णित योजना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि उपराज्यपाल को सभी प्रस्तावों, बैठक के उद्देश्य और लिए गए निर्णयों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए । सभी निर्णयों के संचार का उद्देश्य उन्हें दिल्ली के प्रशासन के साथ अवगत कराना है। सभी निर्णयों का संचार उन्हें प्रस्तावों और निर्णयों को देखने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है ताकि वह 1991 के अधिनियम और नियम 1993 के तहत उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम हो सके। इसके अलावा, 239 एए (4) के प्रावधान के तहत दी गई शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब उपराज्यपाल को जीएनसीटीडी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में सूचित किया जाए । उपराज्यपाल को जीएनसीटीडी के प्रशासन की देखरेख करने के लिए कर्तव्यों और

दायित्वों का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी निर्णयों का संचार आवश्यक है और जहां वह अलग राय रखता है, वहाँ वह राष्ट्रपति से संदर्भित कर सकता है । संचार का उद्देश्य निर्णय के लिए उनकी सहमति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य उन्हें प्रशासन के साथ तैनात करना है ताकि वे अनुच्छेद 239 एए उपखंड (4) के प्रावधान के तहत दी गई अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकें। उपखंड (4) के परंतुक में दी गई शक्तियों का प्रयोग नियमित तरीके से नहीं किया जाना है, बल्कि इसका उपयोग उपराज्यपाल द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए उचित कारणों पर किया जाना चाहिए । [पैरा 101,113,119–VIII, X] [377–G–H; 378–A; 374–F–H; 377–E]

7.2 1991 के अधिनियम और 1993 के नियमों में मंत्रिपरिषद / मंत्री द्वारा लिए गए कार्यकारी निर्णयों के पूरे दायरे, तरीके और प्रक्रिया को शामिल किया गया है, उनके संचार और कार्यान्वयन और पूरे प्रशासन को उसी के अनुसार चलाया जाना है। 1993 के नियमों और अन्य वैधानिक प्रावधानों के पालन का कर्तव्य मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों पर है। सभी को इस तरह से काम करना होगा ताकि प्रशासन बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चल सके। राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए सभी संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय अधिनियमों और नियमों का उद्देश्य और प्रयोजन आम जनता के हित में प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाना है ताकि संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दिये गये प्रत्याभूत अधिकारों को महसुस किया जा सके। जब उच्च पद धारण करने वाले व्यक्तियों को यह कर्तव्य सौंपा जाता है, तो यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशासन के सुचारू संचालन और सभी संबंधित लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। [पैरा 114,116] [375–ई–एफ; 376–ए–सी]

एस. आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य और अन्य। (2001) 7 एससीसी 126 :[2001] 1 पूरक।एस. सी. आर. 621; जी. नारायणस्वामी बनाम **जी. पनीरसेल्वम और अन्य (1972) 3 एससीसी 717:[1973] 1 एससीआर 172; बी. आर. कपूर बनाम टी. एन. राज्य और अन्** (2001) 7 एस. सी. सी. 238: [2001] 3 पूरक।एस. सी. आर. 191;

कुलदिप **नायर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006)** 7 एससीसी 1: [2006] 5 पूरक। एससीआर 1; आई. आर. कोएल्हो बनाम स्टेट ऑफ टी. एन. (2007) 2 एस. सी. सी. 1:[2007] 1 एससीआर 706; रुस्तम**कावासजी कूपर बनाम भारत संघ (1970) 1 एस. सी. सी. 248:** आकाशवाणी 1970 एससी 564:[1970] 3 एस. सी. आर. 530; मेनका गांधी **v. भारत संघ और दूसरा (1978) 1 एस. सी. सी. 248: एआई आर**

1978 एससी **597:[1978] 2** एससीआर **621;** के.सी. वसंत कुमार और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य **(1985)** पूरक एससीसी **714:[1985]** पूरक एससीआर **352;** मनोज नरूला बनाम भारत संघ **(2014) 9** एससीसी **1:[2014] 9** एससीआर **965**; कल्पना मेहता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **2018 (7)** स्केल **106;** एन. डी. एम. सी बनाम पंजाब राज्य **(1997) 7** एससीसी **339:[1996] 10** पूरक एससीआर **472**; राय साहिब राम जवाया कपूर और अन्य बनाम पंजाब राज्य ए**.**आई**.** आर**. 1955** एससी **549:[1955]** एस**.** सी**.** आर**. 225**; शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य और दूसरा **(1974) 2** एस**.** सी**.** सी**. 831: [1975] 1** एससीआर **814**; तेज किरण जैन और अन्य बनाम एन. संजीव रेड्डी और अन्य **(1970) 2** एससीसी **272:[1971] 1** एस**.** सी**.** आर**. 612-**संदर्भित।

"श्री एच**.** एम**.** सीरवई द्वारा भारत के संवैधानिक विधि पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी; सांविधिक सिद्धांत न्यायमूर्ति जी**.** पी**.** सिंह द्वारा व्याख्या**, 14** वीं संस्करण**-** संदर्भित।

न्यायदृष्टांत संदर्भ

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के निर्णय में**,** सीजेआई

[1951] एससीआर **228**	संदर्भित किया गया है	पैरा **7**
[1971] 3 एससीआर **9**	संदर्भित किया गया है	पैरा **8**
[1976] 1 एससीआर **906**	संदर्भित किया गया है	पैरा **9**
[1993] 2 पूरक एससीआर **659**	संदर्भित किया गया है	पैरा **10**
[1970] 3 एससीआर **530**	संदर्भित किया गया है	पैरा **24**
[1978] 2 एससीआर **621**	संदर्भित किया गया है	पैरा **24**
[2017] 10 एससीसी **1**	संदर्भित किया गया है	पैरा **24**
[1955] एससीआर **225**	संदर्भित किया गया है	पैरा **25**

[1975] 1 एससीआर **814**	संदर्भित किया गया है	पैरा **25**
[1971] 1 एससीआर **612**	संदर्भित किया गया है	पैरा **44**
[2000] 2 एससीआर **299**	संदर्भित किया गया है	पैरा **52**
[2014] 9 एससीआर **965**	संदर्भित किया गया है	पैरा **59**
[2015] 4 एससीआर **987**	संदर्भित किया गया है	पैरा **61**

[1992] 2 पूरक एससीआर **454**	संदर्भित किया गया है	पैरा **63**
2018 (7) स्केल **106**	संदर्भित किया गया है	पैरा **67**
[2001] 3 सप्लीमेंट एससीआर **191**	संदर्भित किया गया है	पैरा **70**
[2000] 2 एससीआर **688**	संदर्भित किया गया है	पैरा **73**
1990 (2) स्केल **836**	संदर्भित किया गया है	पैरा **73**
[1978] 2 एससीआर **1**	संदर्भित किया गया है	पैरा **79**
[1993] 3 एससीआर **802**	संदर्भित किया गया है	पैरा **81**
[1999] 3 एससीआर **1279**	संदर्भित किया गया है	पैरा **82**
[1978] 2 एससीआर **272**	संदर्भित किया गया है	पैरा **87**
[1980] एससीआर **1302**	संदर्भित किया गया है	पैरा **88**
[1976] एससीआर **347**	संदर्भित किया गया है	पैरा **90**
[1995] 2 पूरक एससीआर **106**	संदर्भित किया गया है	पैरा **90**
[2006] 5 सप्लीमेंट एससीआर **1**	संदर्भित किया गया है	पैरा **90**
[1965] एससीआर **413**	संदर्भित किया गया है	पैरा **97**
[1994] 2 एससीआर **644**	संदर्भित किया गया है	पैरा **100**
[2002] 1 एससीआर **441**	संदर्भित किया गया है	पैरा **104**
[1978] 1 एससीआर **1**	संदर्भित किया गया है	पैरा **119**
[2016] 11 एससीआर **723**	संदर्भित किया गया है	पैरा **130**
[1993] 1 एससीआर **891**	संदर्भित किया गया है	पैरा **135**
[1984] 2 एससीआर **145**	संदर्भित किया गया है	पैरा **141**

[2001] 1 पूरक एससीआर **621** संदर्भित किया गया है पैरा **147**
[1997] 3 एससीआर **269** संदर्भित किया गया है पैरा **149**
[2011] 6 एससीआर **599** संदर्भित किया गया है पैरा **150**
(2006) 8 एससीसी **202** संदर्भित किया गया है पैरा **150**
(2016) 5 एससीसी **1** संदर्भित किया गया है पैरा **164**

[1978] 1 एससीआर **641** संदर्भित किया गया है पैरा **166**

[1978] 1 एससीआर **423** संदर्भित किया गया है पैरा **169**

[2012] 12 एससीआर **1077** संदर्भित किया गया है पैरा **176**

[1982] 3 एससीआर **553** संदर्भित किया गया है पैरा **188**

[1964] 3 एससीआर **787** संदर्भित किया गया है पैरा **189**

[1987] 2 एससीआर **1173** संदर्भित किया गया है पैरा **227**

[1992] 1 एससीआर **686** संदर्भित किया गया है पैरा **228**

[1970] 1 एससीआर **115** संदर्भित किया गया है पैरा **229**

[1958] एससीआर **1156** संदर्भित किया गया है पैरा **232**

[1984] 2 एससीआर **495** संदर्भित किया गया है पैरा **269**

[2002] 1 एससीआर **393** संदर्भित किया गया है पैरा **269**

[2002] 3 पूरक एससीआर **587** संदर्भित किया गया है पैरा **269**
[1996] 10 सप्लीमेंट एससीआर **472** संदर्भित किया गया है पैरा **277(xii)**

<u>न्यायमूर्ति डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़ के निर्णय में</u>

[2014] 9 एससीआर **965** संदर्भित किया गया है पैरा **14**

[1973] पूरक एससीआर **1** संदर्भित किया गया है पैरा **17**

(2017) 10 एससीसी **1** संदर्भित किया गया है पैरा **21**

[1992] 1 एससीआर **686** संदर्भित किया गया है पैरा **23**

[2007] 1 एससीआर **706** संदर्भित किया गया है पैरा **23**

[1955] 2 एससीआर **225** संदर्भित किया गया है पैरा **36**

[1970] 3 एससीआर **505** संदर्भित किया गया है पैरा **36**

[1975] 1 एससीआर **814** संदर्भित किया गया है पैरा **36**

[1978] 2 एससीआर **1** संदर्भित किया गया है पैरा **36**

[1999] 3 एससीआर **1279** संदर्भित किया गया है पैरा **36**

[2012] 3 एससीआर **52** संदर्भित किया गया है पैरा **36**

[1971] पूरक एससीआर **46** संदर्भित किया गया है पैरा **39**

[1975] 1 एससीआर **814** संदर्भित किया गया है पैरा **39**

[2005] 1 एससीआर **279** संदर्भित किया गया है पैरा **40**

[2016] 6 एससीआर **1** संदर्भित किया गया है पैरा **40**

[1951] 2 एससीआर **228** संदर्भित किया गया है पैरा **107**

[1971] 1 एससीआर **612** संदर्भित किया गया है पैरा **108**

[1973] 1 एससीआर **172** संदर्भित किया गया है पैरा **109**

[2006] 5 पूरक एससीआर **1** संदर्भित किया गया है पैरा **110**

[2014] 9 एससीआर **965** संदर्भित किया गया है पैरा **110**

[1955] 1 एससीआर **549** संदर्भित किया गया है पैरा **114**

[1982] 3 एससीआर **553** संदर्भित किया गया है पैरा **115**

[1985] 2 एससीआर **373** संदर्भित किया गया है पैरा **117**

[1962] 2 एससीआर **794**	संदर्भित किया गया है	पैरा **117**
[2005] 2 पूरक एससीआर **79**	संदर्भित किया गया है	पैरा **118**
[1996]10 सप्लीमेंट एससीआर **472**	संदर्भित किया गया है	पैरा **119**
[1968] 2 एससीआर **103**	संदर्भित किया गया है	पैरा **123**
(1970) 1 एससीसी**633**	संदर्भित किया गया है	पैरा **124**
[1976] सप्लीमेंट एससीआर **166**	संदर्भित किया गया है	पैरा **125**

<u>न्यायमूर्ति अशोक भूषण के निर्णय में को संदर्भित</u>

[1971]1 एससीआर **612**	संदर्भित किया गया है	पैरा **27**
[1951] एससीआर **228**	संदर्भित किया गया है	पैरा **41**
[2001] 1 पूरक एससीआर **621**	संदर्भित किया गया है	पैरा **42**
[1973] 1 एससीआर **172**	संदर्भित किया गया है	पैरा **43**
[2001] 3 सप्लीमेंट	संदर्भित किया गया है	पैरा **44**
[2006] 5 सप्लीमेंट एससीआर **1**	संदर्भित किया गया है	पैरा **45**
[2007] 1 एससीआर **706**	संदर्भित किया गया है	पैरा **46**
[1970] 3 एससीआर **530**	संदर्भित किया गया है	पैरा **47**
[1978] 2 एससीआर **621**	संदर्भित किया गया है	पैरा **47**

[1985] पूरक एससीआर **352**	संदर्भित किया गया है	पैरा **47**
[2014] 9 एससीआर **965**	संदर्भित किया गया है	पैरा **53**
2018(7) एससीएलई **106**	संदर्भित किया गया है	पैरा **62**
[1996] 10 सप्लीमेंट एससीआर **472**	संदर्भित किया गया है	पैरा **77**
[1955] एससीआर **225**	संदर्भित किया गया है	पैरा **81**
[1975] 1 एससीआर **814**	संदर्भित किया गया है	पैरा **91**
[1971] 1 एससीआर **612**	संदर्भित किया गया है	पैरा **96**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2017 की सिविल अपील संख्या 2357

2015 की न्यायालय याचिका (सी) संख्या 5888 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 04.08.2016 के निर्णय और आदेश से

के साथ

डब्ल्यू. पी.(सीआरएल) 1986 का सं. 539 में 2016 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 175।

2017 की सी. ए. संख्या 2360,2359,2363,2362,2358,2361 और 2364 और 2017 का ए. संख्या 277।

मनिंदर सिंह, एएसजी, पी. चिदंबरम, डॉ. राजीव धवन, शेखर नफाड़े, सुश्री इंदिरा जयसिंह, गोपाल सुब्रमण्यम, श्रीमती वी. मोहना, सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ वकील, शादान फरासत, सुश्री नित्या रामकृष्णन, राहुल मेहरा, अहमद सईद, सुश्री रुद्राक्षी देव, शशि प्रताप सिंह, सुहैल राशिद भट, सुश्री नेहा सांगवान, चिराग एम. श्रॉफ, नवीन आर. नाथ, अभिमन्यु वर्मा, नेहमत कौर, गौतम भाटिया, प्रतीक चड्ढा, अंकुर कश्यप, कुशाग्र पांडे, बी. कृष्णा प्रसाद, सिजा एन. पाल, सत्य मित्रा, प्रभास बजाज, आर. बाला सुब्रमण्यम, सुश्री बीनू टम्टा, प्रतीक जालान, रितिन राय, पी.के. मलिक, रितेश कुमार, सुश्री मीनाक्षी ग्रोवर, कीर्तिमान सिंह, जयंत। मलिक, आभास क्षेत्रपाल, सुश्री कृतिका, अभिपसीत

मिश्रा, सुश्री माधवी दीवान, राहुल कृपलानी, अंकित यादव, श्रीमती सोमा मल्लिक, सेबत कुमार देवरिया, आयुष पुरी, बी. वी. बलराम दास, के. आर. शशिप्रभु, गौतम खजंदवी, श्रीमती गार्गी खन्ना, निखिल नैय्यर, डॉ. मोनिका गुसाईं, मनप्रीत कौर भल्ला, सिद्धार्थ अग्रवाल, सुश्री स्तुति गुजराल, जीशान दीवान, सेंथिल जगदीसन, अमन हिंगोरानी, सुश्री प्रिया हिंगोरानी, डॉ. श्वेता हिंगोरानी, सलाहकार। उपस्थित पक्षों के लिए.

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाए गए

दीपक मिश्रा**,** सीजेआई **(**स्वयं के लिए**,** ए**.**के**.** सिकरी और ए**.**एम**.** खानविलकर**,** जे**.** जे**.)**

सामग्री

A. प्रस्तावना..... 3-22

B. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ..... 22-23

B. 1 अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँ..... 23-34

B. 2 उत्तरदातागण की ओर से प्रस्तुतियाँ..... 34-45

C. प्रतिनिधि शासन के आदर्श/सिद्धांत..... 45-50

D. संवैधानिक नैतिकता..... 50-54

E. संवैधानिक निष्पक्षता..... 54-57

F. संवैधानिक शासन और वैध की अवधारणा। संवैधानिक विश्वास..... 57-68

G. सामूहिक जिम्मेदारी..... 68-73

H. संघीय कार्यात्मकता और लोकतंत्र..... 74-93

I. सहयोगात्मक संघवाद..... 93-100

J. व्यावहारिक संघवाद.....101-104

K. संघीय संतुलन की अवधारणा.....104-108
L. संविधान की व्याख्या..... 108-120
M. उद्देश्यपूर्ण व्याख्या..... 120-127
N. संवैधानिक संस्कृति और व्यावहारिकता..... 127-135
O. अनुच्छेद 239 और 239 ए की व्याख्या.....135-140
P. संविधान के अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या.....140-145
Q. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थिति.....146-160
R. दिल्ली के मंत्रियों की परिषद की कार्यकारी शक्ति.....160-164
S. संविधान के अनुच्छेद 239 एए का सार.....164-188
T. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 और सरकार
के व्यवसाय का लेन-देन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नियम, 1993..188-213 A

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ और अन्य
[दीपक मिश्रा, सीजेआई]

U. संवैधानिक पुनर्जागरण.....213-217
V. क्रमिक रूप से निष्कर्ष.....217-231

ए. प्रस्तावना:

संविधान पीठ के वर्तमान संदर्भ की अपनी जटिलता है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या के निमंत्रण में केंद्रीय मुद्दा कई अवधारणाओं का आह्वान करता है, अर्थात्, संवैधानिक संरचना की वास्तविक परीक्षा होने की भावना और संवेदनशीलता के साथ मूल संरचना के माध्यम से नेविगेट करने वाली संवैधानिक निष्पक्षता; उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की संस्कृति क्योंकि न्यायालय एक लोकतांत्रिक गणराज्य में संवैधानिक लोकतंत्र के गौरव

को बनाए रखने से संबंधित है जैसा कि संविधान में कल्पना की गई है; और वास्तविकता की दुनिया में आवश्यक व्यावहारिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतांत्रिक विषय पर जोर देने वाले एक महान जीवित दस्तावेज के शब्दों में अंतर्निहित प्रगतिशील धारणा के चश्मे से नागरिक भागीदारी के विचार को समझना। हम इसे एक संवैधानिक प्रावधान की व्यावहारिक व्याख्या के रूप में कह सकते हैं, विशेष रूप से वह जो एक व्यवहार्य प्रावधान को अस्पष्टता के एक अनावश्यक और अनुचित टुकड़े में बदलने की क्षमता रखता है। ऐसी स्थिति में, प्रावधान की शरीर रचना को स्कैन करने और न्यायिक रचनात्मकता की सहायता से इसे संवैधानिक लोकाचार के आधार पर उठाने की आवश्यकता है जो उसमें जीवन की अनिवार्यता को सांस देती है। यह विधि की व्याख्या है जो काम करती है। यह सहभागी लोकतंत्र की मौलिक अवधारणा को बनाए रखने के लिए आवश्यक संवैधानिक प्रोत्साहन है ताकि वास्तविक नब्ज महसूस की जा सके और नागरिकों के लिए संवैधानिक वादे को पूरा किया जा सके। यह अप्रिय मरोड़ और ऐंठन से छुटकारा दिलाता है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1991 द्वारा घटक शक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद 239 एए को शामिल करने के आश्वासन को प्रावधान की किसी भी प्रकार की कठोर समझ के साथ त्याग नहीं किया जाना चाहिए।ऐसा इसलिए है क्योंकि घटक शक्ति का प्रयोग उन नागरिकों को लोकतांत्रिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियां प्रदान करने के लिए है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर रहते हैं जिन्हें विशेष दर्जा दिया गया है।

2. मुख्य प्रश्न यह है कि क्या दिल्ली के एन. सी. टी. के निवासी या मतदाता केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए विशेष दर्जे से पहले वहीं रहते हैं या संशोधित संवैधानिक प्रावधान जिसने दिल्ली को "प्राण" को प्रकोष्ठों में बदल दिया है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि आशा और आकांक्षा को विफल करने का कोई भी सरल प्रयास जिसने किसी भी प्रकार की भाषाई भाषा द्वारा निवासियों के बीच "आगे बढ़ने" के विचार को प्रज्वलित किया है जिमनास्टिक्स

स्वीकृति की सराहना नहीं करेगा। अपीलार्थी का दावा है कि उनसठवें संशोधन के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मतदाताओं की स्थिति काल्पनिक से वास्तविक हो गई है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस दावे को नकार दिया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता अन्य पहलुओं के अलावा, यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश की आलोचना करते हैं कि अनुच्छेद 239 एए वाले पूरे अध्याय में प्रयुक्त भाषा, जब तक कि प्रासंगिक रूप से व्याख्या नहीं की जाती है, अपीलार्थी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को उसकी स्थिति से वंचित कर देगी।

3. आलोचना इस आधार पर की गई है कि भारत के संविधान, एक जैविक और निरंतर दस्तावेज, ने उनकी इच्छा को ठोस बनाया है और लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक सामूहिक रूप से भाग लेने का अधिकार दिया है जो उन्हें नियंत्रित करेगा और उनके कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। सामूहिक भागीदारी व्यापक लोक हित के लिए महत्वपूर्ण शक्ति है और संविधान में उच्च संवैधानिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है और उनमें निहित मौन और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। यह दावा है कि लोकतंत्र में सामूहिक शिकायतों को कम करने के लिए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से बोलते हैं।

4. इस न्यायालय को, संविधान का अंतिम मध्यस्थ होने के नाते, ऐसी स्थिति में, संवैधानिक व्यावहारिकता जैसे नए साधनों के साथ व्याख्या की प्रक्रिया में प्रवेश करना पड़ता है, जिसमें वस्तुनिष्ठता की पवित्रता के लिए उचित सम्मान होता है, सच्चे अर्थों में उद्देश्य की प्राप्ति होती है, जो हमारे संविधान द्वारा परिकल्पित लोकतांत्रिक संरचना की पवित्रता के बारे में सभी को लगातार याद दिलाती है, संवैधानिक विश्वास और नैतिकता के उपदेशों का उन्नयन, और शक्ति के विकेंद्रीकरण का गंभीर विचार और हमें कहना होगा, विचार आमंत्रित किए जाने के लिए दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बाध्यकारी निमंत्रण विधि के निर्धारित

ढांचे में लोकतंत्र के मूल्यों को बनाए रखने का वारंट है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि अंतिम घटना में, विधि का शासन प्रबल हो और व्याख्यात्मक प्रक्रिया उक्त विचार को उसके योग्य स्थान की अनुमति दे, क्योंकि जब विधि के शासन को लोकतंत्र के क्षेत्र में अपना उचित दर्जा दिया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण विश्वसनीयता ग्रहण करता है।

5. हम समझने की ऐसी विधि को "संविधान के विचार और भावना का संगम" कहना चाहेंगे, क्योंकि यह लोकतंत्र के पोषित मूल्यों पर स्थापित संवैधानिक संरचना के पीछे के भव्य विचार का जश्न मनाती है।

6. जैसा कि हमने "संविधान की भावना" शब्दों का प्रयोग किया है, यह हमारा दायित्व है कि हम इससे संबंधित अवधारणा को स्पष्ट करें। संवैधानिक व्याख्या का सिद्धांत जो लोकतांत्रिक अवधारणाओं का महिमामंडन करता है, न केवल लोकतंत्र की व्युत्पत्ति पर जोर देता है बल्कि इसे भी शामिल करता है।

इसके विस्तार के भीतर एक अर्थपूर्ण विस्तार होता है ताकि आंतरिक और जन्मजात पहलुओं को शामिल किया जा सके।

7. केशवन माधव मेनन बनाम द स्टेट ऑफ बॉम्बे [1] में न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहाः-

> “जिस पर संविधान की भावना होने का दावा किया जाता है, उस पर आधारित तर्क हमेशा आकर्षक होता है, क्योंकि इसमें भावनाओं और भावनाओं के लिए एक शक्तिशाली अपील होती है; लेकिन विधि की न्याया लय को संविधान की भाषा से संविधान की भावना को इकट्ठा करना होता है।जिसे कोई संविधान की भावना मानता है या मानता है, वह प्रबल नहीं हो सकता है यदि संविधान की भाषा उस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है। अनुच्छेद 372 (2) राष्ट्रपति को मौजूदा कानूनों को निरस्त या संशोधन के माध्यम से अनुकूलित करने और संशोधित करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति को उस अनुच्छेद द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम, 1931 के पूरे या किसी भी हिस्से को निरस्त करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है।यदि राष्ट्रपति ऐसा करता है, तो इस तरह का निरसन तुरंत सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 को आकर्षित करेगा। ऐसी स्थिति में भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम, 1931 के तहत सभी अभियोजन, जो राष्ट्रपति द्वारा इसके निरसन की तारीख तक लंबित थे, बच जाएंगे और उस अधिनियम के निरसन के बावजूद कार्रवाई की जानी चाहिए, जब तक कि निरसन अधिनियम में अन्यथा एक स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि पिछले अवैध अधिकारों या देनदारियों के संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिए लंबित कार्यवाही का विचार भारत के संविधान के लिए विदेशी या घृणित नहीं है। इसलिए, हम संविधान की भावना के बारे में इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जैसा कि विद्वान अधिवक्ता ने अपनी याचिका की सहायता के लिए कहा था कि एक विधि के तहत लंबित कार्यवाही जो शून्य हो गई है, उसके साथ आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि इस तरह के शून्य विधि के तहत लंबित अभियोजनों को जारी रखना संविधान की भावना के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से यह उस भावना के लिए समान रूप से अप्रिय होना चाहिए कि जो लोग भारत के संविधान के लागू होने से पहले ही इस तरह के दमनकारी विधि के तहत दोषी ठहराए जा चुके हैं, उन्हें जेल में सड़ते रहना चाहिए। इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि न्याया लय को अनुच्छेद 13 (1) की भाषा का अर्थ व्याख्या के स्थापित नियमों के अनुसार निकालना चाहिए और संविधान की किसी भी कल्पित भावना से अप्रभावित अपने सही अर्थ पर पहुंचना चाहिए।"

[जोर हमारा है] [1]1951 एससीआर 22

उपरोक्त निर्णय को 'संविधान की भावना' वाक्यांश के संदर्भ में समझना होगा।जैसा कि हम समझते हैं, न्यायालय ने इस अवधारणा को एक विदेशी के रूप में अस्वीकार नहीं किया है। इसने उपयोग की गई भाषा के समर्थन पर जोर दिया है। इसने संविधान की कल्पित भावना को स्वीकार नहीं किया है। कहने की जरूरत नहीं है, अनुमान नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव का एक आधार होना चाहिए और भारत के संविधान को एक जैविक और जीवित होने के लिए प्रगतिशील गतिशीलता के साथ माना जाना चाहिए न कि लचीलेपन के साथ। लचीलेपन को अनुमति दी जानी चाहिए और यही हम बाद के अधिकारियों में पाते हैं।

8. माधव राव जीवाजी राव सिंधिया और अन्य बनाम संघ भारत और अन्य [2], में हेगड़े, जे, ने अपनी सहमति में संविधान की भावना पर जोर दिया। विद्वान न्यायाधीश ने संपार्श्विक कारणों से शक्ति के प्रयोग को स्वीकार नहीं करते हुए कहा:-

> “संपार्श्विक कारणों से शक्ति के प्रयोग को इस न्याया लय द्वारा कई फैसलों में उस शक्ति के साथ धोखाधड़ी के रूप में माना गया है-बालाजी बनाम मैसूर राज्य देखें।किसी भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन, भले ही एक लोकप्रिय उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किया गया हो, एक खतरनाक मिसाल होना तय है। संविधान के प्रति अनादर को पूर्ववर्ती से लेकर पूर्ववर्ती तक व्यापक बनाया जाना तय है और जल्द ही पूरे संविधान के साथ अवमानना के साथ व्यवहार किया जा सकता है और इसका उपहास किया जा सकता है। वाइमर संविधान के साथ ऐसा ही हुआ। यदि संविधान या इसके किसी भी प्रावधान ने लोगों की जरूरतों को पूरा करना बंद कर दिया है, तो उन्हें बदलने के तरीके खोजने चाहिए, लेकिन संविधान या इसके प्रावधानों को पारित करने की

अनुमति नहीं है। पत्र या संविधान की भावना के हर उल्लंघन की श्रृंखला प्रतिक्रिया होना तय है। इस कारण से भी आलोच्य आदेशों को अनुच्छेद 366 (22) के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाना चाहिए।"

[रेखांकित हमारा है]

9. केरल राज्य और एक अन्य बनाम एन. एम. थॉमस और अन्य [3], में कृष्ण अय्यर, जे. ने अपनी सहमति में इस प्रकार राय दीः-

"106. संवैधानिक विधि सहित विधि अब "अकेले नहीं चल सकता" बल्कि समाजशास्त्र और ज्ञान के संबद्ध क्षेत्रों द्वारा व्याख्यात्मक प्रक्रिया में प्रकाशित किया जाना चाहिए।वास्तव में, "संवैधानिक विधि " शब्द विधि और राजनीति के एक प्रतिच्छेदन का प्रतीक है, जिसमें राजनीतिक शक्ति के मुद्दों पर विधिक शिक्षा में प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

[2] (1971) 1 SCC 85

[3] (1976) 2 SCC 310

परंपरा, न्यायिक संस्थानों में काम करना, विधि की प्रक्रियाओं का पालन करना, वकीलों के विचार के अनुसार सोचना।इतना ही नहीं, संवैधानिक विधि के मुद्दों को हल करने के लिए एक व्यापक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता है। शायद, कोई एक प्रख्यात न्यायविद और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के विचार से सहमत नहीं हो सकता हैः

"समग्र रूप से न्यायपालिका को एक विधायी उपाय में अंतर्निहित नीति में कोई दिलचस्पी नहीं है।"

इसके अलावा, भारतीय संविधान एक महान सामाजिक दस्तावेज है, जो एक मध्ययुगीन, पदानुक्रमित समाज को एक आधुनिक, समतावादी लोकतंत्र में बदलने के अपने उद्देश्य में लगभग क्रांतिकारी है।इसके

प्रावधानों को केवल एक विशाल, सामाजिक-विज्ञान दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, न कि पांडित्यपूर्ण, पारंपरिक कानूनवाद से।यहां हमें विस्तार का परिसीमन करने और केरल राज्य (अपीलकर्ता) के तहत रोजगार से संबंधित कुछ विशेष रियायतों के संदर्भ में अनुच्छेद 16 (1) के परिणाम को समझने का आह्वान किया जाता है, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (संक्षेप में, इसके बाद हरिजन के रूप में संदर्भित) को दी जाती हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति और आर्थिक निर्धनता एक भारतीय वास्तविकता है जिसे संविधान के कई अनुच्छेदों द्वारा मान्यता प्राप्त है।तय किए गए मामलों के अवलोकन से पता चलता है कि "समानता खंडों" के गतिशील महत्व की पुनः व्याख्या करने की आवश्यकता है और इस बात पर फिर से जोर देने की आवश्यकता है कि सर्वोपरि विधि , जो जैविक है और हमारे देश के बढ़ते जीवन को नियंत्रित करता है, को अपने व्यापक "नैतिकता, अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र" को अपनाना चाहिए।हमारे सामने रखे गए मुद्दे के लिए फ्रीडमैन का विलाप भी उतना ही प्रासंगिक हैः

"यह दुखद होगा यदि विधि इतना भयभीत हो कि समाज में विकासवादी या क्रांतिकारी परिवर्तनों की अंतहीन चुनौती का जवाब देने में असमर्थ हो।"

फ्रीडमैन द्वारा की गई मुख्य धारणाएँ हैं:

"सबसे पहले, होम्स के वाक्यांश में, विधि 'आकाश में सर्वशक्तिमान' नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था का एक लचीला

साधन है, जो समाज के राजनीतिक मूल्यों पर निर्भर करता है, जिसे वह विनियमित करना चाहता है।....."

107. स्वाभाविक रूप से पूछताछ में वृद्धि होती है, बदलते मूल्यों की कौन सी चुनौतीएँ हैं जिन पर समानता की गारंटी को प्रतिक्रिया देनी चाहिए और कैसे?हमारे विशेष संदर्भ के साथ समस्या को प्रस्तुत करने के लिए प्रकरण, क्या आलोच्य नियम एक संदिग्ध वर्गीकरण का सहारा लेकर अनुच्छेद 16 में समान अवसर के संवैधानिक पंथ का उल्लंघन करता है या एक वैध भेदभाव द्वारा कम बराबर को अधिक समान बनाकर इसे पुनर्जीवित करता है? मैककुलोच बनाम मैरीलैंड में मुख्य न्यायाधीश मार्शल का उत्कृष्ट कथन और उसके बाद काटजेनबैक बनाम मॉर्गन में न्यायमूर्ति ब्रेनन का उत्कृष्ट कथन एक प्रकाश स्तम्भ बना हुआ है:

"अंत को वैध होने दें, इसे संविधान के दायरे में होने दें, और सभी साधन जो उपयुक्त हैं, जो स्पष्ट रूप से उस उद्देश्य के लिए अनुकूलित हैं, जो निषिद्ध नहीं हैं, लेकिन संविधान के अक्षर और भावना से युक्त हैं, वे संवैधानिक हैं।"

[जोर दिया जाता है]

10. सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन और एक अन्य बनाम भारत संघ [4], इस न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों का कोई भी निर्माण जो संवैधानिक उद्देश्य के साथ टकराव करता है या घोषित उद्देश्य को नकारता है, उसे संविधान के सही अर्थ और भावना के विपरीत होना चाहिए और इसलिए, एक विदेशी अवधारणा होना चाहिए।

11. हमने उपरोक्त उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि संविधान की भावना का अपना महत्व है।वर्तमान प्रकरण के संदर्भ में, हमारे संविधान की लोकतांत्रिक प्रकृति और प्रतिनिधि भागीदारी का प्रतिमान निस्संदेह "संविधान की भावना" में निहित है।संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, सबसे

सुरक्षित और ठोस दृष्टिकोण संविधान के शब्दों को संविधान के घोषित उद्देश्य और भावना के आलोक में पढ़ना है ताकि इसका कोई अतार्किक परिणाम न निकले जो अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते समय संविधान सभा या संसद का इरादा कभी नहीं हो सकता था। इसलिए, एक संवैधानिक न्याया लय को, प्रावधान में नियोजित भाषा का पालन करते हुए, इरादे, भावना, समग्र दृष्टिकोण और संवैधानिक वैध अपेक्षा की अवधारणा को नहीं छोड़ना चाहिए जो संयुक्त रूप से उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के एक शानदार पहलू को प्रस्तुत करते हैं। न्यायालय को खुद से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या एक सीधा, शाब्दिक और पाठ्य दृष्टिकोण महान जीवित दस्तावेज़ की भावना को नष्ट कर देगा, जिसे रोशन करने के लिए लेजर बीम होने की आवश्यकता है।यदि उत्तर सकारात्मक है, तो संवैधानिक न्यायालयों को उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की सहायता लेते हुए संविधान की भावना और भावना की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह संविधान का गंभीर कर्तव्य है।

[4] (1993) 4 SCC 441

संविधान के अंतिम मध्यस्थों के रूप में न्यायालय। यह कर्तव्य के पालन के लिए एक संवैधानिक आह्वान है। समाज को बदलने, प्रासंगिक राजनीतिक मूल्यों, किसी भी संवैधानिक निषेध के अभाव और उचित माध्यमों से लक्ष्य की वैधता पर जोर दिया जाना चाहिए। हम संदर्भ और अन्य कारकों के संबंध में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के पहलू का उल्लेख करेंगे जो बाद के चरण में प्रमुखता प्राप्त करते हैं।

12. इस प्रकार प्रस्तुत करने के बाद, अब हम विवाद को संक्षेप में बताने के लिए आगे बढ़ेंगे क्योंकि अपीलों के इस समूह में, जिसे संविधान पीठ को भेजा गया है, हमें उस मुद्दे पर विज्ञापन देना होगा जो अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की

निर्वाचित सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्तिगत अपील में शामिल तथ्यों और उठाए गए विवाद पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम केवल संवैधानिक मुद्दे का जवाब देना चाहते हैं।

13. प्राथमिक निर्णय, जैसा कि वर्तमान में आवश्यक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। यह ध्यान दिया जाए कि उक्त व्याख्या एक विशेष खंड में नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उस संदर्भ में की जानी चाहिए जिसमें इसे पेश किया गया है और संविधान के अन्य प्रासंगिक अनुच्छेदों की वैचारिक संरचना को भी ध्यान में रखा गया है। इससे पहले कि हम अनुच्छेद 239 एए के विभिन्न पहलुओं और संविधान के अन्य प्रावधानों में तल्लीन हों, जिन्हें अपीलार्थी और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा सेवा में लगाया गया है, हम दिल्ली के संक्षिप्त इतिहास का वर्णन करना उचित समझते हैं।

14. 12.12.1911 को, दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। दिल्ली तहसील और महरौली थाना पंजाब से अलग थे और एक आयुक्त की अध्यक्षता में दिल्ली से जुड़े हुए थे और इसे मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में जाना जाने लगा। 1912 में, दिल्ली कानून अधिनियम, 1912 पंजाब में प्रचलित कुछ कानूनों को दिल्ली में लागू करने के लिए 01.10.1912 से प्रभावी हुआ। दिल्ली विधि अधिनियम, 1915 ने दिल्ली के मुख्य आयुक्त को भारत के राजपत्र में उचित अधिसूचना जारी करके कानूनों के अनुप्रयोग को निर्धारित करने का अधिकार दिया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने दिल्ली को एक केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र के रूप में बनाए रखा। 26.01.1950 पर भारत के संविधान के लागू होने पर, दिल्ली एक भाग सी राज्य बन गया।वर्ष 1951 में, भाग सी राज्यों की सरकार अधिनियम, 1951 लागू किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली में एक विधान सभा का प्रावधान किया गया था।

1951 के अधिनियम की धारा 21 (1)विधान सभा को (i) सार्वजनिक व्यवस्था; (ii) पुलिस (रेलवे पुलिस सहित); (iii) नगर निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों के गठन और शक्तियों आदि को छोड़कर संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। सार्वजनिक उपयोगिता प्राधिकरण; (iv) दिल्ली या नई दिल्ली में स्थित संघ में/उसके कब्जे में निहित भूमि और भवन; (v) (i) से (iv) में उल्लिखित विषयों के बारे में कानूनों के खिलाफ अपराध; और (vi) उपरोक्त मामलों और उन पर न्यायालय शुल्क के संबंध में न्यायालयों की अधिकारिता।

15. भारतीय संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 को राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को लागू करने के लिए पारित किया गया था, जिसमें भाग ए, बी, सी और डी राज्यों को हटा दिया गया था और केवल दो श्रेणियां, अर्थात् राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने रहे और दिल्ली राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रशासित एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दिल्ली विधानसभा और परिषद को समाप्त कर दिया गया।वर्ष 1953 में, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 को विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभाओं और मंत्रिपरिषद के प्रावधान के लिए अधिनियमित किया गया था, लेकिन उक्त अधिनियम के प्रावधान दिल्ली में लागू नहीं किए गए थे। दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 को 56 निर्वाचित सदस्यों और पांच नामित सदस्यों वाली एक महानगर परिषद के माध्यम से दिल्ली के लिए सीमित प्रतिनिधि सरकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।उसी वर्ष, गृह मंत्रालय ने एस. ओ. संख्या 2524 जारी किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि उपराज्यपाल/प्रशासक/मुख्य आयुक्त भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन होंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे।वर्ष 1987 में, बालकृष्णन समिति का गठन दिल्ली को दिए जाने वाले दर्जे के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए किया गया

था और उक्त समिति ने सिफारिश की थी कि दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए, लेकिन उचित शक्तियों के साथ उक्त विधानसभा के लिए जिम्मेदार एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद होनी चाहिए; और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी को एक विशेष दर्जा देने के लिए उचित संवैधानिक उपाय किए जाने चाहिए।बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

> " 6.5.5 पैराग्राफ 6.5.2 और 6.5.3 हमने दिल्ली को संघ का एक घटक राज्य बनाने के पक्ष और विपक्ष में दलीलों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है।सभी तर्कों पर सबसे सावधानीपूर्वक विचार करने और एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के बाद, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि दिल्ली को संघ का राज्य बनाने के खिलाफ अधिकांश तर्क बहुत ठोस, ठोस और वैध हैं और स्वीकार किए जाने योग्य हैं।
>
> यह विचार हमारे सामने कुछ प्रतिष्ठित और जानकार व्यक्तियों द्वारा भी व्यक्त किया गया था, जिनका हमने साक्षात्कार लिया था। चूंकि ये तर्क स्वयं स्पष्ट हैं, इसलिए हम उनके द्वारा कवर किए गए संवैधानिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित पहलुओं को छोड़कर उनमें विस्तार से जाना अनावश्यक पाते हैं।
>
> 6.5.6 संवैधानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तर्क हमारे संविधान के संघीय प्रकार पर आधारित है जिसके तहत संघ और राज्य के बीच शक्तियों और कार्यों का संवैधानिक विभाजन होता है। यदि दिल्ली एक पूर्ण राज्य बन जाती है, तो संघ और दिल्ली राज्य के बीच संप्रभु, विधायी और कार्यकारी शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होगा।इसके परिणामों में से एक यह होगा कि राज्य सूची के मामलों के संबंध में, संसद को

संविधान के तहत प्रदान की गई विशेष और आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर कोई विधि बनाने की अधिकारिता नहीं होगी और उस हद तक संघ कार्यपालिका कार्यकारी शक्तियों या कार्यों का प्रयोग नहीं कर सकती है। शक्तियों और कार्यों के प्रयोग पर संवैधानिक निषेध संघ के लिए राष्ट्रीय राजधानी के साथ-साथ राष्ट्र के संबंध में अपनी विशेष जिम्मेदारियों का निर्वहन करना लगभग असंभव बना देगा। हम पहले ही एक अध्याय में राष्ट्रीय राजधानी की विशेष विशेषताओं और इसे केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखने की आवश्यकता का संकेत दे चुके हैं। इस तरह का नियंत्रण राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण है, भले ही विषय वस्तु राज्य क्षेत्र में हो या संघ क्षेत्र में।यदि प्राकृतिक राजधानी के प्रशासन को क्षेत्रीय राज्य और संघ क्षेत्र के कठोर विभागों में विभाजित किया जाता है, तो कई महत्वपूर्ण मामलों में संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना है, विशेष रूप से यदि दोनों सरकारें अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाती हैं। इस तरह के संघर्ष कभी-कभी राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर सकते हैं।

x x

x

6.5.9 हम इस तर्क से भी प्रभावित हैं कि राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली समग्र रूप से राष्ट्र की है और संघ का कोई भी घटक राज्य जिसका दिल्ली एक हिस्सा बन जाएगा, जल्द या बाद में अन्य राज्यों के संबंध में एक प्रमुख स्थान हासिल कर लेगा।दिन में संघ के हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त संवैधानिक अधिकार - आज के मामले, यद्यपि उनमें से कुछ महत्वपूर्ण क्यों न हों, संघ के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, जिससे उसके राष्ट्रीय कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

x x x

एलटी सरकार और मंत्रालयों की परिषद

6.7.19 दिल्ली के लिए एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना के लिए एक आवश्यक परिणाम के रूप में कार्यपालिका की संरचना कमोबेश संविधान द्वारा प्रदान किए गए पैटर्न पर होनी चाहिए। तदनुसार, विधान सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के साथ प्रशासन का एक प्रमुख होना चाहिए। चूंकि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जारी रहेगा, इसलिए अनुच्छेद 239 उस पर लागू होगा और इसलिए इसके पास उस पदनाम के साथ एक प्रशासक होगा जो निर्दिष्ट किया जा सकता है।उपराज्यपाल के वर्तमान पदनाम को संविधान में ही जारी रखा जा सकता है और मान्यता दी जा सकती है...

x x x

6.7.21 प्रशासक से स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर अपने कार्यों को करने की अपेक्षा की जानी चाहिए। "सहायता और सलाह देना" अभिव्यक्ति हमारे संविधान द्वारा अपनाई गई सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली के परिणाम को दर्शाने के लिए कला का एक अच्छी तरह से समझा गया शब्द है। इस प्रणाली के तहत, सामान्य नियम यह है कि प्रशासक द्वारा कार्यकारी कार्यों का अभ्यास उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वस्तुतः मंत्रियों को ही ऐसे मामलों पर निर्णय लेना चाहिए। यद्यपि दिल्ली के लिए, इस सामान्य नियम के निम्नलिखित संशोधनों को अपनाना होगाः

(i) सबसे पहले, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों के प्रशासक द्वारा अभ्यास पर लागू नहीं हो सकती है। इसका कारण स्पष्ट है क्योंकि ऐसे कार्यों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की सलाह पर कार्य करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

((ii) दूसरा, आवश्यकता केवल उन मामलों के संबंध में है जिनके संबंध में विधान सभा को कानून बनाने की शक्ति है। यह शक्ति उन प्रतिबंधों के अधीन होगी जिन पर रिपोर्ट में पहले ही विचार किया जा चुका है। तदनुसार, मंत्रिपरिषद विधान सभा आज के दायरे से बाहर रखे गए मामलों से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

(iii) तीसरा, दिल्ली के प्रशासन से संबंधित किसी भी मामले पर प्रशासक और उसके मंत्रिपरिषद के बीच मतभेदों को हल करने के लिए एक विशेष प्रावधान की आवश्यकता है। आम तौर पर, संविधान के तहत उत्तरदायी सरकार की प्रणाली पर लागू सामान्य सिद्धांत यह है कि प्रशासन के प्रमुख को केवल एक संवैधानिक व्यक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए और मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करना होगा, सिवाय इसके कि जब मामला उसके विवेक पर छोड़ दिया गया हो। हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार, दिल्ली के अच्छे प्रशासन की अंतिम जिम्मेदारी प्रशासक के माध्यम से कार्य करने वाले राष्ट्रपति में निहित है। इस वजह से प्रशासक को राज्य के राज्यपाल की तुलना में प्रशासन में कुछ अधिक सक्रिय भाग लेना पड़ता है। इसलिए, इस संबंध में प्रशासक की केंद्र के प्रति जिम्मेदारी बनाए रखने की आवश्यकता और विधानमंडल के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करने की आवश्यकता के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि यदि प्रशासक और उसके मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद की स्थिति में, जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, उसे राष्ट्रपति को प्रश्न भेजना चाहिए और उस पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। अत्यावश्यक मामलों में, यदि तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो प्रशासक राष्ट्रपति के ऐसे निर्णय के लंबित रहने तक कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है। इस तरह का प्रावधान न केवल 1951 के अधिनियम में, बल्कि संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित 1963 के अधिनियम और 1978 के विधेयक में भी इसी कारण से किया गया था।"

16. जैसा कि कालक्रम से पता चलता है, उचित विचार-विमर्श के बाद, संसद ने अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए, वर्ष 1991 में संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम द्वारा संविधान में संशोधन किया और संविधान में अनुच्छेद 239 एए और 239 एबी को जोड़ा, जिसका हम एक उचित स्तर पर उल्लेख करेंगे जब हम व्याख्यात्मक प्रक्रिया पर ध्यान देंगे।

बी**.** प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँः

17. अब, हम बार में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को नोट कर सकते हैं। हमने सुना है कि श्री पी. चिदंबरम, श्री गोपाल सुब्रमण्यम, डॉ. राजीव धवन, सुश्री इंदिरा जयसिंह और श्री शेखर नाफड़े, विद्वान वरिष्ठ दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता श्री मनिंदर सिंह, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ने भारत संघ और दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से आगे की दलीलें दी हैं।

18. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से एक सामान्य लिखित निवेदन दायर किया गया है और भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मनिंदर सिंह ने भारत संघ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दोनों की ओर से लिखित निवेदन दायर किया है।

19. हस्तक्षेप के लिए 2017 का आई. ए. सं. 10556 आवेदनकर्ता, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। हमने उक्त हस्तक्षेपकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए. एम. सिंघवी को सुना है। द कपिला एंड निर्मल हिंगोरानी फाउंडेशन द्वारा हस्तक्षेप के लिए एक और आवेदन दायर किया गया था और हमने उक्त फाउंडेशन की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमन हिंगोरानी को सुना है।

बी**. 1** अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियाँः

20. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि एन. सी. टी. डी. अनुच्छेद 239 ए. ए. और 239 ए. बी. को शामिल करने और 1991 के अधिनियम के परिणामी अधिनियमन के आधार पर संवैधानिक योजना में एक अद्वितीय स्थान रखता है जिसने एन. सी. टी. डी. को एक संवैधानिक संकर में आकार दिया है और दिल्ली को कुछ विशेष विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है जो पूरी तरह से संविधान के तहत पूर्ण राज्यों के लिए जिम्मेदार हैं। अपीलार्थी के अनुसार, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में कहीं अधिक शक्ति प्राप्त है, विशेष रूप से संवैधानिक संशोधन और 1991 के अधिनियम के लागू होने के बाद।

21. एन. सी. टी. डी. के संवैधानिक इतिहास का विस्तार से उल्लेख करने के बाद, अपीलकर्ता की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि अनुच्छेद 239 ए. ए. को शामिल करने का उद्देश्य उस पदानुक्रमित संरचना को समाप्त करना था जो कार्यात्मक रूप से दिल्ली के उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की तुलना में बेहतर स्थिति में रखता था, विशेष रूप से कार्यकारी शक्तियों के संबंध में और उपराज्यपाल को विधान सभा और मंत्रिपरिषद को सौंपे गए मामलों के संबंध में केवल एक नाममात्र के प्रमुख के रूप में माना जाना चाहिए।

22. अपीलार्थी ने नई दिल्ली नगर निगम बनाम पंजाब राज्य [5] में नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की ओर संकेत किया है और तर्क किया है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली अपने आप में एक ऐसा वर्ग है जो अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है, जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान में की गई है, और बड़ी पीठ के पास यह तय करने का कोई अवसर नहीं था कि एन. सी. टी. डी. किस आकार और रूप में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है, क्योंकि उक्त मुद्दा उसमें उत्पन्न नहीं हुआ था। फिर भी, बहुमत की राय स्पष्ट रूप से दिल्ली की अनूठी संवैधानिक स्थिति के संबंध में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के विपरीत संवैधानिक रूप से बनाई गई विधान सभा,

मंत्रिपरिषद और वेस्टमिंस्टर शैली की कैबिनेट प्रणाली के आधार पर शासन करती है जो 69 वें संशोधन और 1991 के अधिनियम द्वारा लाई गई है।

23. अपीलार्थी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान में 69 वां संशोधन और उसके परिणामस्वरूप 1991 का अधिनियम एन. सी. टी. डी. के शासन में दिल्ली के एन. सी. टी. के नागरिकों को एक बड़ा अधिकार देने के उद्देश्य से पारित किया गया था। लोकतंत्र संविधान की मूल संरचना के पहलुओं में से एक होने के नाते, उनसठवें संशोधन का उद्देश्य दिल्ली में लोकतंत्र को आगे बढ़ाना था और इसलिए, अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या इस तथ्य की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए कि दिल्ली को विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विशेष दर्जा प्रदान किया गया है और इस तरह से कि दिल्ली में अपने सही अर्थों में लोकतंत्र स्थापित हो।

24. यह प्रस्तुत किया गया है कि **आर.सी. कूपर बनाम यू.ओ.आई.** [6] और **मेनका गांधी बनाम यू.ओ.आई.** [7] के निर्णयों के बाद भारतीय संदर्भ में संवैधानिक न्यायशास्त्र में भारी बदलाव आया है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय को व्याख्या की एक अधिक उद्देश्यपूर्ण और जैविक पद्धति अपनानी चाहिए जैसा कि इस न्यायालय ने हाल ही में **न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम यू.ओ.आई. और अन्य** [8] सहित कई मामलों में अपनाया है, जिसमें बहुमत ने देखा कि **आर.सी. कूपर** (सुप्रा) और **मेनका गांधी** (सुप्रा) से पहले इस न्यायालय के निर्णयों को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए।

25. अनुच्छेद 239 एए ने जानबूझकर "सहायता और सलाह" शब्दों को बाहर कर दिया है जैसा कि 1963 और 1966 के अधिनियमों में उपयोग किया गया था, बल्कि उक्त अनुच्छेद "सहायता और सलाह" अभिव्यक्ति को नियोजित करता है और इसलिए, यह प्रत्येक मामले पर उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता को सचेत रूप से दूर करता है।इस प्रकार, यह अपीलार्थी का प्रस्ताव है कि संविधान का अनुच्छेद 239 एए, जिसने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वेस्टमिंस्टर शैली की कैबिनेट प्रणाली प्रदान की है, उपराज्यपाल को दिल्ली की मंत्री परिषद की 'सहायता और सलाह' से बाध्य बनाता है।

[6] ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 564

[7] ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 597

[8] (2017) 10 एस. सी. सी. 1

अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए अपीलकर्ता ने **राय साहिब राम जवाया कपूर एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य** [9] **और शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य** [10] के निर्णयों का हवाला दिया है, जो अपीलकर्ता के अनुसार, यद्यपि पंजाब राज्य के संदर्भ में उठे थे, लेकिन इनमें यह निर्णय दिया गया था कि चूंकि हमारे संविधान ने पंजाब राज्य सरकार के लिए वेस्टमिंस्टर शैली की कैबिनेट प्रणाली प्रदान की है, इसलिए संविधान के तत्वावधान में स्थापित एक कार्यकारी सरकार को स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम होना चाहिए और परिणामस्वरूप, राज्यपाल को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना होगा।

26. यह भी तर्क दिया गया है कि जीएनसीटीडी के पास उन सभी मामलों पर कार्यकारी कार्रवाई करने की एकमात्र शक्ति है, जिन पर दिल्ली विधानमंडल कानून पारित करने में सक्षम है, भले ही विधानमंडल ने वास्तव में उस विषय पर कोई कानून पारित किया हो या नहीं। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित विधायी निकाय के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर जोर दिया गया है और इस आधार पर यह प्रस्तावित किया गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं। यह कहा गया है कि इस तरह की व्याख्या ही संविधान में अनुच्छेद 239AA के सम्मिलन के बाद दिल्ली में संवैधानिक रूप से अनिवार्य शासन के उद्देश्य को पूरा कर सकती है।

27. अपीलार्थी का यह रुख है कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों की सीमा को अनुच्छेद 239 एए (3) को अनुच्छेद 239 एए (4) के साथ जोड़कर पढ़ा जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली

की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के पास उन मामलों के संबंध में विशेष कार्यकारी शक्तियां हैं जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता के दायरे में आते हैं। अनुच्छेद 239 एए (3) दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के तीन विषयों और समवर्ती सूची के सभी विषयों को छोड़कर सभी पर विधायी शक्तियां देता है और एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में, अनुच्छेद 239 एए (4) मंत्रिपरिषद को उन सभी विषयों पर कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है जिनके संबंध में दिल्ली विधानसभा के पास कानून बनाने की विधायी शक्ति है।

28. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह दावा किया जाता है कि अनुच्छेद 239 एए राज्य में सभी विषयों और समवर्ती सूचियों पर संसद की विधायी शक्तियों को संरक्षित करता है, लेकिन ऐसी कोई कार्यकारी शक्ति संघ के लिए आरक्षित नहीं है।अपीलार्थी का तर्क है कि वहाँ सचेत है।

[9] AIR 1955 SC 549

[10] AIR 1974 SC 2192 A

अनुच्छेद 239 ए. ए. (3) की भाषा के बीच अंतर जो संसद को प्रमुख विधायी शक्तियां देता है और अनुच्छेद 239 ए. ए. (4) जो कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में इसी तरह करने से बचता है।केंद्र की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 73 से उपजी है और आम तौर पर संसद की विधायी शक्तियों के साथ सह-व्यापक होगी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन है जिसमें अनुच्छेद 239 एए शामिल है। इस प्रकार, दिल्ली के प्रकरण में अनुच्छेद 239 एए ने केंद्र की कार्यकारी शक्ति को केवल तीन आरक्षित विषयों तक सीमित कर दिया है जो दिल्ली के मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्ति के दायरे से बाहर हैं।

29. अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि हालांकि संविधान के अनुच्छेद 73 में यह सिद्धांत दिया गया है कि संविधान के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच समवर्ती विधायी शक्तियां मौजूद हो सकती हैं, फिर भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समवर्ती कार्यकारी शक्तियां कभी नहीं हो सकती हैं क्योंकि ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप कार्यकारी कार्यों के लिए किसी भी जिम्मेदारी/जवाबदेही के अभाव में अराजकता पैदा होगी। अपीलार्थी के अनुसार, यह सिद्धांत सातवीं अनुसूची की सूची II और सूची III में निहित मामलों के संबंध में समान रूप से लागू होना चाहिए और अनुच्छेद 239 एए (3) का प्रभाव यह है कि वे सभी मामले जिन पर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है, प्रभावी रूप से समवर्ती सूची के मामलों के बराबर हैं।

30. अनुच्छेद 239 ए. बी. निरर्थक हो जाएगा यदि यह स्वीकार किया जाना है कि संविधान केंद्र सरकार को सामान्य मामलों में जी. एन. सी. टी. डी. के सभी कार्यकारी कार्यों/निर्णयों को ओवरराइड करने की अनुमति देता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को दिल्ली का प्रशासन संभालने के लिए अनुच्छेद 239 ए. बी. के रूप में विशेष प्रावधान को लागू करना कभी भी आवश्यक नहीं होगा। इसके अलावा, अनुच्छेद 239 एबी में कहा गया है कि यदि दिल्ली का प्रशासन अनुच्छेद 239 एए के अनुसार नहीं किया जाता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 एए के किसी भी हिस्से या पूरे के संचालन को निलंबित कर सकते हैं। अपीलार्थी के अनुसार, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब एक निर्वाचित सरकार होती है, तो दिल्ली का प्रशासन अनुच्छेद 239 एए के अनुसार किया जाना चाहिए।

31. संविधान सभा की दिनांक 1 की बहस में संघवाद पर डॉ. अम्बेडकर को उद्धृत करने के बाद, अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि अनुच्छेद 239 एए हमारे संविधान में संघवाद की पहचान का एक उदाहरण है जो कुछ सीमित क्षेत्रों में संसद की विधायी प्रधानता को सुरक्षित रखता है, लेकिन संविधान सभा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संविधान जो जीएनसीटीडी की तुलना में केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियों को सुरक्षित रखता है।

32. अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों जैसे कि अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 239 एए में क्रमशः राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराज्यपाल के कार्यों के संदर्भ में उपयोग किए गए वाक्यांश 'सहायता और सलाह' की समान और सुसंगत व्याख्या की आवश्यकता है।यह आग्रह किया जाता है कि संविधान के प्रावधानों को सामान्य वैधानिक प्रावधानों की तुलना में उच्च स्तर पर होने के कारण अलग तरीके से व्याख्या करने की आवश्यकता है और उसी को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 239 एए (4) की व्याख्या संविधान के अन्य प्रावधानों के रूप में की जानी चाहिए और इसलिए, 'सहायता और सलाह' वाक्यांश की व्यापक अर्थों में व्याख्या करने के लिए वारंट है ताकि ऐसी 'सहायता और सलाह' राष्ट्रपति के नामित व्यक्ति यानी उपराज्यपाल पर बाध्यकारी हो।यह अनुमान लगाना संवैधानिक दर्शन के लिए एक अभिशाप होगा कि सिर्फ इसलिए कि संविधान उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद की अनुमति देता है, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई 'सहायता और सलाह' उपराज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं है।

33. अपीलार्थी ने आगे प्रस्तुत किया है कि अनुच्छेद 239 एए (4) के तहत, दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार और दिल्ली के एन. सी. टी. के मंत्रिपरिषद के पास सूची II के तहत विषयों के संबंध में सभी मामलों पर विशेष शक्ति है (इसके प्रविष्टियों 1,2 और 18 को छोड़कर और प्रविष्टियों 34,65 और 66 को छोड़कर जहां तक वे प्रविष्टियों 1,2 और 18 पर लागू होते हैं) और सातवीं अनुसूची की सूची III। अपीलार्थी के अनुसार, अनुच्छेद 239 एए (4) का मूल भाग स्वयं इसके लिए अपवाद निर्धारित करता है, अर्थात, जब उपराज्यपाल को विधि के तहत अपने विवेक से कार्य करना है, न कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। अपीलार्थी के अनुसार अनुच्छेद 239 एए (4) का परंतुक लागू होता है जहां मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' संवैधानिक रूप से निर्धारित क्षेत्रों का उल्लंघन करती है और परंतुक उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई 'सहायता और सलाह' के गुण-दोष पर अलग दृष्टिकोण रखने की अनुमति नहीं देता है।

अपीलार्थी के अनुसार, अनुच्छेद 239 एए (4) का परंतुक केवल असाधारण स्थितियों में काम करता है और यह एक सामान्य मानदंड नहीं है। असाधारण मामलों से परे परंतुक के दायरे का विस्तार करने का कोई भी प्रयास मान्य नहीं है क्योंकि इसका प्रभाव अनुच्छेद 239 एए (4) के मुख्य भाग को अप्रभावी बनाने का होगा।अनुच्छेद 239 ए. ए. (4) के प्रावधान पर भरोसा करते हुए यह कहना कि मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' उपराज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं है। जिन क्षेत्रों में दिल्ली विधानसभा के पास कानून बनाने की क्षमता है, वे उस उद्देश्य को विफल कर देंगे जिसके लिए दिल्ली में लोकतंत्र को संचालित करने के लिए आवश्यक संस्थान बनाए गए थे।अपीलार्थी द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1991 के अधिनियम के साथ-साथ स्वयं नियमों का उपयोग संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे केवल शासन की योजना को दर्शाते हैं।

बी**.2** <u>उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ:</u>

34. प्रतिवादियों, भारत संघ और दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मनिंदर सिंह द्वारा प्रस्तुत दलीलें इस तर्क के इर्द–गिर्द घूमती हैं कि यद्यपि अनुच्छेद 239 एए को शामिल करने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विधान सभा के गठन की परिकल्पना की गई है, फिर भी राष्ट्रपति उपराज्यपाल के माध्यम से कार्य करते हुए इसके कार्यकारी प्रमुख बने रहेंगे और संघ शासित प्रदेशों के संबंध में संसद की शक्तियों को उक्त अनुच्छेद 239 एए को शामिल करने से किसी भी तरह से कम नहीं किया जाएगा।

35. प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि संघ शासित प्रदेशों के लिए परिकल्पित संवैधानिक योजना को **नई दिल्ली नगर निगम** (सुप्रा) मामले में निपटाया गया है और यद्यपि इस मामले में न्यायालय ने संघ शासित प्रदेशों की तीन श्रेणियों पर विचार किया था, फिर भी यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि जो संघ शासित प्रदेश के रूप में बचे हुए हैं और जिन्होंने राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं

किया है, वे वैसे ही रहेंगे और दिल्ली, जिसे अब "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" कहा जाता है, अभी भी एक संघ शासित प्रदेश है। प्रतिवादियों ने आगे प्रस्तुत किया कि एक बार यह निर्धारित हो जाने के बाद कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश बनी रहेगी, इसका शासन अनुच्छेद 239 के प्रावधान द्वारा विनियमित किया जाएगा, जो यह निर्धारित करता है कि सभी संघ शासित प्रदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा शासित होंगे और न तो अनुच्छेद 239AA का एक साधारण पाठ्य वाचन और न ही एक प्रासंगिक वाचन विधान सभा या मंत्रिपरिषद के साथ किसी भी लंबवत विभाजित अनन्य क्षेत्राधिकार को निर्धारित करता है।

36. इसके बाद प्रतिवादियों ने अपने प्रस्तुतीकरण में कई अधिकारियों का हवाला देते हुए इस न्यायालय पर यह प्रभाव डालने का प्रयास किया है कि अनुच्छेद 239AA की शाब्दिक और सच्ची व्याख्या की जाए क्योंकि इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है जिससे उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की आवश्यकता हो। प्रतिवादियों ने यह भी प्रस्तुत किया है कि चूंकि यह बालकृष्णन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर था, जिसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए उनहत्तरवां संशोधन और 1991 का अधिनियम आया। न्यायालय को समिति की रिपोर्ट और उसमें दिए गए कारणों पर विचार करना चाहिए ताकि उक्त संशोधन और जीएनसीटीडी अधिनियम को लाने के लिए संसद की संवैधानिक शक्ति के प्रयोग की वास्तविक मंशा का पता लगाया जा सके।

37. उत्तरदातागण द्वारा यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 239 संविधान का एक अभिन्न अंग है और भाग VIII की आधारशिला है और अनुच्छेद 239 एए को अनुच्छेद 239 के साथ पढ़ा जाएगा, जिसमें प्रावधान है कि दिल्ली के संबंध में अंतिम प्रशासन राष्ट्रपति के पास रहेगा जो अपने प्रशासक के माध्यम से कार्य करेगा।

38. उत्तरदातागण का यह भी तर्क है कि हालांकि अनुच्छेद 239 एए दिल्ली विधानसभा को सातवीं अनुसूची की सूची II और सूची III में प्रदान किए गए विषय मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, फिर भी उक्त शक्ति उसी अनुच्छेद द्वारा सीमित है जब यह वाक्यांश का उपयोग करता है

"जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" और विधानसभा की विधायी शक्ति से अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) में वर्णित कुछ प्रविष्टियों को विशेष रूप से बाहर करके भी। उत्तरदातागण के अनुसार, यह प्रतिबंध विधान सभा की कानून बनाने की शक्ति को सीमित करता है और इस प्रतिबंध को विशेष दर्जा प्रदान करने के संदर्भ में समझना होगा।

39. इस स्थिति को दोहराने के लिए कि राष्ट्रपति सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्यकारी प्रमुख बने रहते हैं, श्री सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 246 (4) के साथ पठित अनुच्छेद 53 और 73 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। यह भी आग्रह किया जाता है कि अनुच्छेद 239 ए या 239 एए सहित संविधान में कहीं भी यह निर्धारित नहीं किया गया है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश की कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद/विधान सभा में निहित होगी। यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी का यह तर्क कि विधान सभा के निर्माण पर, उक्त विधानसभा पर कार्यकारी शक्ति का स्वतः निवेश किया गया था, त्रुटिपूर्ण है क्योंकि संवैधानिक योजना में मंत्रिपरिषद को स्वचालित शक्ति प्रदान करने की परिकल्पना नहीं की गई है। इसके अलावा, जैसा कि प्रस्तुतिकरण संरचित है, अनुच्छेद 239 एए (4) "उपराज्यपाल और उनके मंत्री" वाक्यांश को नियोजित करता है जिसका तात्पर्य है कि यह "उपराज्यपाल" है न कि "मंत्रिपरिषद" जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 298,299 और 239 एबी और 1991 के अधिनियम की धारा 52 के प्रावधान भी इस स्थिति को दोहराते हैं कि संविधान कार्यकारी शक्ति के किसी भी स्वचालित प्रदान को निर्धारित नहीं करता है और बालाकृष्णन समिति की रिपोर्ट में भी यही बात दोहराई गई है।

40. प्रतिवादियों का तर्क है कि **राम जवाया कपूर** (सुप्रा) के निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का तर्क, कि जहां कहीं विधायी शक्ति मौजूद है, वहां कार्यकारी शक्ति भी मौजूद है, केवल संघ और राज्यों के संबंध में है और यह

संघ शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होता है क्योंकि यह इसके विभिन्न प्रावधानों में निर्धारित संवैधानिक जनादेश के विरुद्ध होगा।

41. उत्तरदातागण ने अपने तर्कों को आगे बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 एबी और 356 के बीच के अंतर की ओर इशारा किया है और प्रस्तुत किया है कि अनुच्छेद 356 में परिकल्पना की गई है कि राष्ट्रपति "संवैधानिक तंत्र" की विफलता के प्रकरण में राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल में निहित शक्तियों को स्वयं ग्रहण करेंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रकरण में, यह खंड लागू नहीं होगा क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित रहती है। उत्तरदातागण ने आगे कहा कि अनुच्छेद 239 एबी राष्ट्रपति द्वारा किसी भी "शक्तियों की धारणा" को निर्धारित नहीं करता है, बल्कि केवल दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी प्रकरण में अनुच्छेद 239 एए के संचालन को निलंबित करने का प्रावधान करता है, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी प्रकरण के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक है।

42. उत्तरदातागण ने अपनी दलीलों में यह भी बताया कि जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम, 1991 की धारा 44 के साथ-साथ अनुच्छेद 239 ए. ए. के साथ अनुच्छेद 239 को बारीकी से पढ़ने से पता चलेगा कि उक्त प्रावधानों में "उपराज्यपाल की कार्यकारी कार्रवाई" अभिव्यक्ति निर्धारित की गई है न कि "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कार्यकारी कार्रवाई"।उक्त इरादे को इस तथ्य से भी देखा जा सकता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर "मंत्रियों के साथ" वाक्यांश का उपयोग धारा 44 (1) (बी) में किया गया है और आगे अनुच्छेद 239 एए (4) भी "उनके कार्य" वाक्यांश को शामिल करता है। इससे यह निहितार्थ निकलता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाने वाले योगदान/भागीदारी की सीमा केवल उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए है।

43. प्रतिवादियों की ओर से यह भी कहा गया है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह उपराज्यपाल के लिए बाध्यकारी नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद की राय से अलग राय बनाने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 239AA(4) का प्रावधान लागू होता है जो यह प्रावधान करता है कि इस तरह के मतभेद की स्थिति में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस बात पर जोर दिया है कि यह इस तथ्य को मान्यता देता है कि संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के संबंध में अंतिम जिम्मेदारी संघ के पास है और वहां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शासन के तरीके के संबंध में अंतर का स्पष्ट सीमांकन है, जिसके तहत पूर्व के मामले में राज्यपाल मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह से बाध्य हैं।

44. प्रतिवादियों ने आगे बताया कि 1991 के अधिनियम की धारा 239AA(4) और धारा 41(2) को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह पता चलता है कि जब यह सवाल उठता है कि क्या कोई मामला ऐसा है जिसमें उपराज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, तो उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 239AA(4) और उसके प्रावधान अपवाद नहीं हैं और इसलिए उन्हें प्रतिबंधात्मक अर्थ नहीं दिया जाना चाहिए और वाक्यांश "कोई भी मामला" जानबूझकर व्यापक अर्थ में रखा गया है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, **तेज किरण जैन और अन्य बनाम एन. संजीव रेड्डी और अन्य** [11] में निर्धारित उक्ति पर भरोसा किया गया है, जहां "कुछ भी" शब्द का अर्थ "सब कुछ" कहा गया है। इसलिए, वाक्यांश "कोई भी मामला" का अर्थ "हर मामला" माना जाना चाहिए। प्रतिवादियों के अनुसार, उक्त व्याख्या संविधान के इस उद्देश्य के अनुरूप होगी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में किसी भी मामले पर कानून बनाने का अंतिम अधिकार संघ के पास रहेगा।

45. प्रतिवादियों ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 239AA किसी नई योजना की परिकल्पना नहीं करता है और यह अनुच्छेद 239A के अंतर्गत परिकल्पित योजना के समान है जो पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन और शासन से संबंधित है। एक ओर पुडुचेरी के लिए अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 239A के

अंतर्गत प्रदान की गई योजना की तुलना 1963 के अधिनियम के साथ करें और दूसरी ओर दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 239AA के साथ करें तो पता चलेगा कि दोनों योजनाएं इस हद तक समान हैं कि इनका उद्देश्य संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यकारी और विधायी कामकाज के लिए राष्ट्रपति और संसद के निरंतर नियंत्रण को बनाए रखना है।

46. प्रतिवादियों का तर्क है कि अनुच्छेद 239AA, और विशेष रूप से, उक्त प्रावधान का खंड 4, अपनी तरह का पहला नहीं है और धारा 44 के रूप में एक समान प्रावधान संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 में मौजूद था और इस धारा की व्याख्या का मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष कई मामलों में आया था जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" का अर्थ सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3(60) के अनुसार "केंद्र सरकार" होगा। इसलिए, जब अनुच्छेद 239AA(4) जैसा समान प्रावधान इस प्रकरण द्वारा पहले ही एक निश्चित व्याख्या दी जा चुकी है, तो केवल इस तथ्य के कारण कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए संविधान में विशेष प्रावधान रखे गए हैं, जो कि अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में ऐसा नहीं है, यह प्रकरणों को अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या अपनाने से नहीं रोकेगा जो 1963 के अधिनियम की धारा 44 के समान है।

47.उत्तरदातागण ने अंत में कहा कि संवैधानिक जनादेश के अनुसार, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले सभी मामलों के संबंध में अंतिम जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। उक्त स्थिति को मजबूत करने के लिए, उत्तरदातागण ने बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट के प्रासंगिक भागों और भारत के संविधान और 1991 के अधिनियम के विभिन्न अन्य प्रावधानों पर भी भरोसा किया है। इसके अलावा, उत्तरदातागण का तर्क है कि दिल्ली की एन. सी. टी. की विधान सभा या मंत्रिपरिषद पर विशेष विधायी या अनन्य कार्यकारी शक्ति को हस्तांतरित करने के परिणामस्वरूप एक केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, एक ऐसी मांग जिसे संविधान निर्माताओं द्वारा कई उदाहरणों पर खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा, यह संवैधानिक

पाठ की किसी भी व्याख्या के तहत अस्वीकार्य होगा और संवैधानिक जनादेश के विपरीत भी होगा।

48. प्रस्तुतियों पर ध्यान देने से पहले, हमारा विचार है कि हमें कुछ सिद्धांतों को बताना चाहिए और कुछ संवैधानिक अवधारणाओं का विश्लेषण करना चाहिए।सच कहें तो हम इसकी आवश्यकता महसूस करते हैं क्योंकि हम वास्तव में एक लोकतंत्र में इसके परिचालन परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या से संबंधित हैं।हमने प्रस्तावना में ऐसा कहा है। हम ऐसा नहीं सोचते और न ही हमें यह सोचने के लिए राजी किया जाता है कि वर्तमान विवाद हमारे सामने प्रचारित चरम सीमाओं में से किसी पर भी निर्भर हो सकता है। हम आश्वस्त हैं कि एक संवैधानिक दृष्टिकोण से एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो क्रिस्टलीय यथार्थवाद को समाहित करने के लिए बाध्य है।

ग. प्रतिनिधि शासन के आदर्श/सिद्धांतः

49. लोकतंत्र के रिपब्लिकन रूप में प्रतिनिधि शासन एक प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें किसी राष्ट्र के लोग अपने विधि बनाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उनका चयन करते हैं। इस प्रकार चुने गए प्रतिनिधियों को नागरिकों द्वारा ऐसी नीतियां बनाने का काम सौंपा जाता है जो मतदाताओं की इच्छा को दर्शाती हैं। एक प्रतिनिधि सरकार का मुख्य उद्देश्य नीतियों में जनता की इच्छा, धारणा और लोकप्रिय भावना का प्रतिनिधित्व करना है। प्रतिनिधि, इस प्रकार, बड़े पैमाने पर लोगों की ओर से कार्य करते हैं और लोगों के प्रति कानून निर्माताओं के रूप में उनकी गतिविधियाँ के लिए जवाबदेह रहते हैं। इसलिए, शासन का प्रतिनिधि रूप लोकप्रिय इच्छाशक्ति को सामने लाने के लिए एक उपकरण के रूप में सामने आता है।

50. बर्नार्ड मैनिन ने "द प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट" [12] में इस अभिधारणा पर विचार-विमर्श किया है कि प्रतिनिधित्व की अवधारणा की उत्पत्ति मध्य युग के आसपास चर्च के संदर्भ में और राजा या सम्राट के संबंध में शहरों के संदर्भ में हुई है। जैसा कि मानिन कहते हैं, विचार उन प्रतिनिधियों को भेजना था जिनके पास उन्हें नियुक्त करने वालों से जुड़ने की शक्ति थी और यही प्रतिनिधित्व की अवधारणा का सार है। इस तकनीक को तब स्थानांतरित कर दिया गया और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया।

51. थॉमस जेफरसन, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा (1776) में, इस शर्त पर प्रकाश डालते हैं कि सरकारें शासित लोगों की सहमति से अपनी न्यायसंगत शक्तियां प्राप्त करती हैं। सरल शब्दों में कहें तो यह विचार प्रतिनिधि शासन की अवधारणा को दर्शाता है। सरकार के प्रतिनिधि रूप के गठन के लिए ठोस कारक यह हैं कि सभी नागरिकों को समान माना जाता है और सभी नागरिकों के वोट, जो शासन शक्ति का स्रोत है, को समान महत्व दिया जाता है। इस मायने में, सभी नागरिकों के विचारों में एक ही ताकत होती है और कोई भी अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोप सकता है।

52. भारत के संविधान ने स्थानीय, राज्य और संघ जैसे सभी स्तरों पर शासन के प्रतिनिधि मॉडल को अपनाया है।हमारे संविधान द्वारा अपनाए गए शासन के प्रतिनिधि रूप और निर्वाचित प्रतिनिधियों को लोगों की लोकप्रिय इच्छा को व्यक्त करने के साधन के रूप में स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने बिहार राज्य और एक अन्य बनाम बाल मुकुंद साह और अन्य [13] में कहा हैः-

> “.....देश में एक अर्ध संघीय प्रणाली प्रदान करने और राज्य और केंद्र के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के लिए योजना की परिकल्पना करने के अलावा, यह विधि के शासन की स्थापना पर जोर देता है। लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली के तहत परिकल्पित सरकार का रूप एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है जिसमें देश के लोग विधायिका के माध्यम से अपनी संप्रभुता का प्रयोग करने के हकदार हैं, जिसे वयस्क मताधिकार के आधार पर

चुना जाना है और जिसके लिए कार्यपालिका, अर्थात् मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है। विधायिका ने राज्य की गतिविधियों का एक तंत्रिका केंद्र माना जाता है। यह संसद के माध्यम से है कि लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि लोगों की शिकायतों को उजागर करते हैं।

[जोर हमारा है]

53. इस प्रकार माना जाता है कि लोग संप्रभु हैं क्योंकि वे वयस्क मताधिकार की शक्ति का प्रयोग करते हैं जो अंततः प्रतिनिधि लोकतंत्र की संरचना का निर्माण करता है।इसके अलावा, संप्रभु के प्रत्येक घटक को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी शिकायतों को व्यक्त करने का अधिकार है। यह दोहरा विचार जनता के प्रति जवाबदेही के सिद्धांत की आधारशिला स्थापित करता है क्योंकि इसमें शक्ति और जिम्मेदारी की उत्पत्ति होती है।

54. सरकार का एक प्रतिनिधि रूप अभिजात वर्ग द्वारा सरकार नहीं बनना चाहिए जहां इस तरह से चुने गए प्रतिनिधि संप्रभु की इच्छा को प्रभावी बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने का कोई गुप्त हेतुक नहीं होना चाहिए और उन्हें गुप्त रूप से इसे 'अपने शासन' में बदलकर उन्हें दिए गए लोकप्रिय जनादेश का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक जवाबदेही के अंतर्निहित मूल्य को कभी भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

55. प्रतिनिधि शासन के लिए एक अन्य आदर्श सुलभता और सुलभता है। चूंकि लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति प्रतिक्रियाशीलता प्रतिनिधि शासन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए बुनियादी मापदंड है, इसलिए यह आवश्यक है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने घटकों के साथ संबंध की भावना विकसित करें। अपनत्व की भावना की भी अपनी सीमा होती है। यदि घटक की इच्छा तर्कसंगत है और विधिक प्रतिमानों से ताकत प्राप्त करती है, तो इसे उचित स्वीकृति दी जानी चाहिए, लेकिन यदि आकांक्षा किसी अतार्किक या

अस्वीकार्य प्रस्ताव से चलती है, तो उसे किसी भी स्थान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार के एक प्रतिनिधि रूप में, आकांक्षाओं और इच्छाओं का प्रचार किया जाता है और संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर पेश किया जाता है। इसलिए, हम कह सकते हैं कि अंतर्निहित संवैधानिक आकांक्षाओं को संविधान से प्रेरणा लेनी चाहिए।संवैधानिक विवेक का बलिदान कभी नहीं हो सकता।

56. चाहे यह याद रहे, जब निर्वाचित प्रतिनिधि और संवैधानिक पदाधिकारी अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं, तो वे संविधान के प्रति निष्ठा रखने और संविधान को बनाए रखने की शपथ लेते हैं।इस प्रकार, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल संविधान के प्रावधानों के प्रति बल्कि संवैधानिकता, संवैधानिकता जैसी अवधारणाओं के प्रति भी जीवित रहें। निष्पक्षता और संवैधानिक विश्वास, आदि। संप्रभु द्वारा मतों के रूप में व्यक्त किया गया समर्थन ऐसे कार्यों को करने का बहाना नहीं बन सकता है जो संविधान के खिलाफ हों या अधिकार से बाहर हों। यद्यपि निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे लोक इच्छा को नीतियों और कानूनों में बदलने के साधन के रूप में कार्य करें, फिर भी उन्हें संविधान की रूपरेखा के भीतर ऐसा करना चाहिए। उन्हें संवैधानिक निष्पक्षता को प्रतिनिधि शासन के एक मानक के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि यह वैचारिक लोकतांत्रिक बहुमत में निहित है जो न तो वैचारिक विखंडन को सहन करता है और न ही किसी भी प्रकार की काल्पनिक कल्पना को प्रोत्साहित करता है। यह वास्तविक संवैधानिक विचारधाराओं पर जोर देता है।

<u>घ. संवैधानिक नैतिकता:</u>

57. अपने कठोरतम अर्थों में संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य दस्तावेज़ के विभिन्न खंडों में निहित संवैधानिक सिद्धांतों का सख्त और पूर्ण पालन करना है। जब कोई देश संविधान से संपन्न होता है, तो उसके साथ एक वादा होता है जो यह निर्धारित करता है कि देश के प्रत्येक सदस्य को अपने नागरिकों से लेकर

उच्च संवैधानिक कार्यकर्ताओं तक को संवैधानिक मूल सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। संविधान द्वारा अधिरोपित यह कर्तव्य इस तथ्य से उपजा है कि संविधान एक अपरिहार्य मूलभूत आधार है जो नागरिकों से वादा की गई लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करता है कि वह निर्बाध रहे। संवैधानिक अधिकारियों को इस वाक्पटु साधन के प्रति अधिक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है क्योंकि इस दस्तावेज से वे अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त करते हैं और एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संवैधानिकता की भावना को विकसित करें और विकसित करें जहां उनके द्वारा की गई हर कार्रवाई संविधान के मूल सिद्धांतों द्वारा शासित हो और उसके साथ सख्ती से अनुरूप हो।

58. इस संदर्भ में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा की गई टिप्पणियों का बहुत महत्व हैः-

"संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है। इसकी खेती करनी पड़ती है।हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे लोगों ने अभी इसे सीखना है। भारत में लोकतंत्र केवल भारत की धरती पर एक शीर्ष-परिधान है, जो अनिवार्य रूप से अलोकतांत्रिक है।" [14]

59. संवैधानिक नैतिकता वह आधार है जो उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों दोनों पर एक आवश्यक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, जैसा कि अनुभव से पता चला है कि बिना किसी नियंत्रण और संतुलन के बेलगाम सत्ता एक निरंकुश और अत्याचारी स्थिति का परिणाम होगी जो लोकतंत्र के विचार के बिल्कुल विपरीत है।

[14] संविधान सभा की बहस 1989:VII,38.

मनोज नरूला बनाम भारत संघ [15] से निम्नलिखित अंश इस विचार पर कुछ प्रकाश डालने के लिए उपयुक्त रूप से उद्धृत किया जा सकता है:–

"यदि मनुष्य देवदूत होते, तो सरकार की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि देवदूत मनुष्यों पर शासन करते, तो सरकार पर न तो बाहरी और न ही आंतरिक नियंत्रण आवश्यक होता। एक ऐसी सरकार बनाने में जो मनुष्यों द्वारा मनुष्यों पर शासित हो, सबसे बड़ी कठिनाई यह है: आपको सबसे पहले सरकार को शासितों पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाना होगा; और फिर उसे खुद पर नियंत्रण करने के लिए बाध्य करना होगा। लोगों पर निर्भरता, निस्संदेह, सरकार पर प्राथमिक नियंत्रण है; लेकिन अनुभव ने मानव जाति को सहायक सावधानियों की आवश्यकता सिखाई है। [16]"

60. उक्त प्रकरण में आगे यह देखा गया हैः-

"उपरोक्त अवधारणा के संबंध में, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि संस्थागत सम्मान और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए सावधानियों को अपनाने में संवैधानिक संरचना के प्रति सम्मान शामिल होगा। लॉरेंस एच. जनजाति की प्रसिद्ध पंक्ति को याद रखना हमेशा लाभदायक होता है कि संविधान "स्याही के बजाय खून से लिखा जाता है"।"

61. संवैधानिक नैतिकता सरकारी एजेंसियों की ओर से खामियों और राजनीति की लोकतांत्रिक प्रकृति को प्रभावित करने के उद्देश्य से रंगीन गतिविधियों के खिलाफ एक रोक के रूप में कार्य करती है। कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार और अन्य [18] में इसे इस प्रकार समझाया गया हैः-

"लोकतंत्र, जिसे लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार के रूप में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, संवैधानिक नैतिकता की निरंतर पुष्टि द्वारा वास्तविक व्यवस्था, सकारात्मक औचित्य, समर्पित अनुशासन और आशावादी पवित्रता की व्यापकता की उम्मीद करता है जो सुशासन का स्तंभ है।"

संवैधानिक नैतिकता, जिसे उचित रूप से समझा जाता है, का अर्थ है वह नैतिकता जिसमें संवैधानिक मानदंडों और संविधान की अंतरात्मा में अंतर्निहित

तत्व हैं। औचित्य प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य में संवैधानिक आवेग के अनुरूप होने की क्षमता होनी चाहिए।हम एक उदाहरण दे सकते हैं।जब कोई उदारता का विचार व्यक्त कर रहा होता है, तो हो सकता है कि वह न्याय के मानक को पूरा न कर रहा हो। एक तत्व हो सकता है सहानुभूति। लेकिन जब कोई कार्य में न्याय दिखाता है, तो किसी भी अनुदान या उदारता की भावना नहीं होती है। यह मानक मूल्य के भीतर आएगा। यह संवैधानिक न्याय की परीक्षा है जो संवैधानिक नैतिकता के दायरे में आती है। यह उदारता की व्यक्तिपरक व्याख्या के बिना संवैधानिक न्याय के सिद्धांत की वकालत करता है।

[15] (2014) 9 एससीसी 1

[16] पब्लियस के रूप में जेम्स मैडिसन, फेडरलिस्ट 51

[17] लॉरेंस एच. ट्राइब, द इनविजिबल कॉन्स्टिट्यूशन 29 (2008)

[18] (2015) 3 एससीसी 467

ई. संवैधानिक वस्तुनिष्ठता:

62. हमारा संविधान, अपनी भव्यता में, "नियंत्रण और संतुलन" के सिद्धांत को दृढ़ता से अपनाता है। नियंत्रण और संतुलन की यह अवधारणा, बदले में, "संवैधानिक निष्पक्षता" के सिद्धांत को जन्म देती है। संविधान उम्मीद करता है कि उच्च संवैधानिक अधिकारियों द्वारा सुशोभित राज्य के अंग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संविधान के प्रति अपनी निष्ठा के प्रति जीवित रहें।संवैधानिक योजना के तहत परिकल्पित तटस्थता को संविधान के तहत अपने कर्तव्यों और कार्यों के प्रदर्शन में उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। यह वह विश्वास संविधान उनमें रखता है।

63. हमारे संविधान के संस्थापकों के पास हमारे राष्ट्र के लिए एक दृष्टिकोण था जिसका अंतिम उद्देश्य संविधान सभा की स्थापना से पहले मौजूद उथल–पुथल को ठीक करना था। संवैधानिक निष्पक्षता की अवधारणा, अपने आप में,

इस दृष्टिकोण में निहित है और राज्य के अंगों पर इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए व्यापक प्रयास करने का दायित्व है। लेकिन, साथ ही, उन्हें संविधान द्वारा उन पर रखे गए विश्वास को बनाए रखते हुए संविधान के प्रति सच्चे रहना चाहिए और इस तरह संवैधानिक निष्पक्षता को उसके सबसे सच्चे अर्थों में प्रदर्शित करना चाहिए। **इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ और अन्य** [19] में, न्यायालय ने टिप्पणी की:–

> "……इसलिए, संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के लिए संवैधानिक निष्पक्षता के अनुरूप अनुमेय न्यायिक रचनात्मकता आवश्यक है ताकि प्रमुख मूल्यों की खोज की जा सके और उन्हें लागू किया जा सके। साथ ही, मुद्दों को बहुत ही व्यावहारिक और यथार्थवादी तरीके से देखने में बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा।"

उपरोक्त परिच्छेद हमें एक उज्ज्वल तरीके से बताता है कि कैसे न्यायालय से संवैधानिक निष्पक्षता के अनुरूप न्यायिक रचनात्मकता के मार्ग पर आगे बढ़ने की उम्मीद की जाती है, जिसमें व्यावहारिकता की गहरी भावना होती है।

[19] ए. आई. आर 1993 एस. सी. 477 ए

64. बिना किसी विवाद को आमंत्रित किए यह कहा जा सकता है कि संवैधानिक निष्पक्षता की अवधारणा का कार्यपालिका और विधानमंडल द्वारा समान रूप से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि यह वह संविधान है जिससे वे अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं और बदले में, संविधान उनसे ऐसी शक्ति के प्रयोग में न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होने की अपेक्षा करता है।अपने कर्तव्यों के निर्वहन में संवैधानिक अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय मानक स्वीकार्यता पर आधारित होने चाहिए। इस प्रकार, इस तरह के निर्णय संवैधानिक निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए, जो एक प्रकाश स्तंभ के रूप में, अधिकारियों को संवैधानिक रूप से सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि यह कार्यवाही संविधान की भावना के अनुरूप होगी। यहां यह भी

ध्यान दिया जा सकता है कि यह केवल निर्णय ही नहीं है, बल्कि इस तरह के निर्णय लेने में अपनाई गई प्रक्रिया भी है जो संवैधानिक निष्पक्षता के अनुरूप होनी चाहिए। एक संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय, अंतिम विश्लेषण में, जांच का सामना कर सकता है, लेकिन जब तक कि इस तरह के निर्णय पर पहुंचने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया संवैधानिक निष्पक्षता के विचार के अनुरूप नहीं है, यह आलोचना को आमंत्रित करता है। इसलिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया को कभी भी स्थापित मानदंडों और परंपराओं को दरकिनार नहीं करना चाहिए जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और जिन्हें संविधानवाद के विचार की पुष्टि करनी चाहिए।

<u>च. संवैधानिक शासन और वैध संवैधानिक न्यास की अवधारणा:</u>

65. हमारे जैसी निकाय राजनीति में संवैधानिक शासन की अवधारणा, जहां संविधान सर्वोच्च मौलिक विधि है, न तो काल्पनिक है और न ही अमूर्त है, बल्कि वास्तविक, ठोस और आधारित है। 'शासन' शब्द एक प्रशासन, एक शासी निकाय या संगठन के विचार को समाहित करता है जबकि 'संवैधानिक' शब्द का अर्थ मौलिक जैविक विधि , यानी संविधान द्वारा स्वीकृत या उसके अनुरूप या उसके तहत संचालित कुछ है। इस प्रकार, 'शासन' शब्द जब 'संवैधानिक' शब्द द्वारा योग्य होता है तो यह शासन/सरकार के एक रूप को व्यक्त करता है जो संवैधानिकता की अवधारणा का पालन करता है। शासन का उक्त रूप स्वयं संविधान द्वारा स्वीकृत है, इसके कार्य संविधान के अनुरूप हैं और यह संविधान के तत्वावधान में काम करता है।

66. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, "संवैधानिक सरकार" का अर्थ है:-

> “.....एक संविधान का अस्तित्व-जो एक विधिक साधन हो सकता है या केवल निश्चित मानदंडों या सिद्धांतों का एक समूह हो सकता है जिसे आम तौर पर राजनीति के मौलिक विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है-जो प्रभावी रूप से राजनीतिक शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करता है।

संविधानवाद का सार कई राज्य अंगों या कार्यालयों के बीच इसके वितरण द्वारा शक्ति का नियंत्रण इस तरह से है कि वे प्रत्येक पारस्परिक नियंत्रण के अधीन हैं और राज्य की इच्छा को तैयार करने में सहयोग करने के लिए मजबूर हैं।

67. यह स्वयंसिद्ध है कि भारत का संविधान सर्वोच्च है, अर्थात देश का सर्वोपरि कानून है। राज्य के तीनों अंग, अर्थात विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, संविधान से अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त करते हैं। यह संविधान ही है जो इन अंगों को आवश्यक मात्रा में ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक आपूर्ति प्रदान करता है, जो बदले में इन अंगों को राष्ट्र और राजनीतिक व्यवस्था की बेहतरी के लिए काम करने में सक्षम बनाता है। संविधान की सर्वोच्चता के संदर्भ में, न्यायालय ने **कल्पना मेहता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य** [20] में निर्धारित किया है:–

> "भारत का संविधान सर्वोच्च मौलिक कानून है और सभी कानूनों को संविधान के अनुरूप या उसके अनुरूप होना चाहिए। संवैधानिक प्रावधान विधायिका और कार्यपालिका के कामकाज के लिए शर्तों को निर्धारित करते हैं और निर्धारित करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है। सभी वैधानिक कानूनों को मौलिक कानून, यानी संविधान के अनुरूप होना आवश्यक है। तीनों अंगों, अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारी, जैसा कि परम पावन केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम केरल राज्य और अन्य 21 में कहा गया है, संविधान से अपना अधिकार और अधिकार क्षेत्र प्राप्त करते हैं। संसद के पास कानून बनाने का विशेष अधिकार है और इसी तरह से कानून बनाने के क्षेत्र में संसद की सर्वोच्चता को समझा जाता है। कानून बनाने के क्षेत्र में संसदीय सर्वोच्चता और संवैधानिक सर्वोच्चता के बीच अंतर है। संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो संवैधानिकता, संवैधानिक शासन व्यवस्था प्रदान करता है और नैतिकता, मानदंड और मूल्य भी निर्धारित करता है जो विभिन्न लेखों में निहित हैं और कभी–कभी संवैधानिक चुप्पी से भी समझे जा सकते हैं।

इसकी अंतर्निहित गतिशीलता इसे जैविक बनाती है और इसलिए संवैधानिक संप्रभुता की अवधारणा पवित्र है। यह अत्यंत पवित्र है और जैसा कि पहले कहा गया है, अधिकारियों को उनकी शक्तियां संविधान से मिलती हैं। यह स्रोत है ।

[20] (2018) 7 स्केल 106

[21] ए. आई. आर 1973 एस. सी 1461:(1973) 4 एससीसी 225 ए

कभी-कभी संवैधानिक संप्रभुता को संविधान की सर्वोच्चता के रूप में वर्णित किया जाता है।

[जोर हमारा है]

68. इस प्रकार, संवैधानिक शासन की अवधारणा संवैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत का एक स्वाभाविक परिणाम है। लॉक और मोंटेस्क्यू के लेखन भी संवैधानिक शासन की अवधारणा पर प्रकाश डालते हैं। लॉक सार्वजनिक शक्ति की प्रत्ययी प्रकृति पर जोर देते हैं और तर्क देते हैं कि संप्रभुता लोगों के पास है। दूसरी ओर, मोंटेस्क्यू ने संवैधानिक शासन के अपने अभिधारणा में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच "नियंत्रण और संतुलन" और "शक्तियों के पृथक्करण" की प्रणाली पर अधिक जोर दिया है। मोंटेस्क्यू के विचारों के अनुसार, यह कहा जा सकता है कि संवैधानिक शासन में राज्य के किसी भी एक अंग को पूर्ण शक्ति से वंचित करना शामिल है और नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली संवैधानिक शासन की मूल नींव है। सरकार के संवैधानिक रूप में, राज्य के तीन अंगों के बीच शक्ति इस तरह से वितरित की जाती है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

69. लॉक और मोंटेस्क्यू द्वारा निर्धारित अभिधारणाएँ हमारी संवैधानिक योजना में निहित हैं और इन्हें न्यायालय द्वारा भी मान्यता दी गई है। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि संवैधानिक शासन के नामकरण के आधार पर एक संविधान है जो देश का सर्वोच्च विधि है और अवधारणा, अपनी चौड़ाई में, दो और विचारों को शामिल करती है, अर्थात, सार्वजनिक शक्ति की प्रत्ययी प्रकृति और नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली।

70. हम यह जोड़ना चाहेंगे कि न्यायालय ने विभिन्न अवसरों पर संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करते समय हमेशा संवैधानिक शासन की अवधारणा को ध्यान में रखा है। **बी.आर. कपूर बनाम टी.एन. राज्य और अन्य** [22] में, बहुमत ने क्वो वारन्टो के रिट के मुद्दे से निपटते हुए फैसला सुनाया कि यदि कोई गैर–विधायक संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकता है, तो उसे अनुच्छेद 173 के तहत विधायक की सदस्यता की योग्यता को पूरा करना होगा। हाल ही में, **मनोज नरूला** (सुप्रा) में, संविधान के अनुच्छेद 75 (1) की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी की:–

> "...हमारे जैसे नियंत्रित संविधान में, प्रधानमंत्री से संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ काम करने की उम्मीद की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र के पोषित मूल्य और सुशासन के स्थापित मानदंड सुसंगत रूप से फलित होते हैं। संविधान के निर्माताओं ने प्रधानमंत्री पर असीम भरोसा जताते हुए कई चीजें अलिखित छोड़ दीं। संविधान की

[22] (2001) 7 एस. सी. सी. 211

> योजना यह सुझाती है कि संवैधानिक शासन का उदय होना चाहिए जो धीरे–धीरे संवैधानिक पुनर्जागरण को जन्म देगा।

[जोर हमारा है]

71. संविधान के प्रावधानों में संवैधानिकता, संवैधानिक शासन या संवैधानिक विश्वास और नैतिकता की अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये मानदंड और मूल्य संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में निहित हैं और कभी–कभी संवैधानिक चुप्पी से समझे जा सकते हैं जैसा कि **कल्पना मेहता** (सुप्रा) में कहा गया है।

72. संवैधानिक शासन की अवधारणा के बारे में चर्चा करने के बाद, वर्तमान स्थिति में, हम वैध संवैधानिक विश्वास की अवधारणा का संकेत दे सकते हैं। इस संबंध में, डॉ. अंबेडकर का भाषण उनकी चिंता को दर्शाता है:–

> "मुझे लगता है कि संविधान व्यावहारिक है; यह लचीला है और यह शांति और युद्ध दोनों समय में देश को एक साथ रखने के लिए पर्याप्त मजबूत है। वास्तव में, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं, तो अगर नए संविधान के तहत चीजें गलत होती हैं तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास एक बुरा संविधान था। हमें जो कहना होगा वह यह है कि मनुष्य नीच था।"

73. बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. राम आश्रय यादव के मामले में न्यायालय ने लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भूमिका पर चर्चा की और उन्हें संवैधानिक ट्रस्टी मानते हुए कहा कि लोक सेवा आयोग की संस्था की विश्वसनीयता इसके समुचित कामकाज पर आम आदमी के विश्वास पर आधारित है। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग के अध्यक्ष या सदस्य वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं बल्कि व्यक्तिपरक रूप से कार्य करते हैं तो यह विश्वास खत्म हो जाएगा और भरोसा नष्ट हो जाएगा। **सुभाष शर्मा और अन्य तथा फिरदौज तलेयारखान बनाम भारत संघ और अन्य** [24] में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कहा गया है कि

यह "अनिवार्य रूप से एक संवैधानिक ट्रस्ट का निर्वहन है जिसके कुछ संवैधानिक पदाधिकारी सामूहिक रूप से भंडार हैं।"

[23] (2000) 4 एससीसी 309

[24] 1990 (2) स्केल 836

74. संविधान निर्माताओं ने यह भी माना कि संविधान को अपनाने से देशवासियों में संविधानवाद के मूल्य स्वतः ही नहीं आ जाएंगे। संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी कि संविधान से अधिकार प्राप्त करने वाले संवैधानिक पदाधिकारी हमेशा संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे। **मनोज नरूला** (सुप्रा) में न्यायालय ने संविधान के तहत प्रधानमंत्री को सौंपी गई जिम्मेदारी पर प्रकाश डालते हुए संवैधानिक विश्वास के सिद्धांत पर चर्चा की और उस संदर्भ में एडमंड बर्क ने सदियों पहले जो कहा था, उसे दोहराया:–

> "सत्ता का कोई भी हिस्सा रखने वाले सभी व्यक्तियों को इस विचार से दृढ़तापूर्वक और भयानक रूप से प्रभावित होना चाहिए कि वे विश्वास में कार्य करते हैं: और उन्हें उस विश्वास में अपने आचरण के लिए समाज के एक महान गुरु, लेखक और संस्थापक को जवाब देना है।"

75. इसके बाद, न्यायालय ने आगे कहाः-

> “इस न्यायालय ने अनुच्छेद 143, भारत के संविधान और दिल्ली कानून अधिनियम (1912) 25 में कहा कि संवैधानिक विश्वास का सिद्धांत हमारे संविधान पर लागू होता है क्योंकि यह प्रतिनिधि लोकतंत्र की नींव रखता है।न्याया लय ने आगे फैसला सुनाया कि तदनुसार, विधानमंडल को अपने प्राथमिक कर्तव्य का त्याग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अर्थात यह निर्धारित करने के लिए कि विधि क्या होगा।यद्यपि यह विधायी शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में कहा गया था, फिर भी वर्तमान संदर्भ में इसका महत्व

है, क्योंकि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में, प्रत्येक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी में संवैधानिक विश्वास के सिद्धांत की परिकल्पना की जानी चाहिए।"

76. न्यायालय ने आगे कहाः-

"..... हम "संवैधानिक विश्वास" के सिद्धांत से निपटने के लिए आगे बढ़ेंगे। संवैधानिक न्यास का मुद्दा संविधान सभा में बहस के संदर्भ में उत्पन्न होता है जो मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित थी। प्रो. द्वारा सुझाए गए संशोधन के प्रस्ताव का जवाब देते हुए। के. टी. शाह ने एक दोषी व्यक्ति के मंत्री बनने की अयोग्यता की शुरुआत के संबंध में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने जवाब दिया थाः- "उनका अंतिम प्रस्ताव यह है कि दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को राज्य मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है।खैर, जहां तक उनकी मंशा का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत प्रशंसनीय है और मुझे नहीं लगता कि कोई इस सदन के

सदस्य उस प्रस्ताव पर उनसे भिन्न होना चाहेंगे। लेकिन पूरा प्रश्न यह है कि क्या हमें इन सभी योग्यताओं और अयोग्यताओं को संविधान में ही शामिल करना चाहिए। क्या यह वांछनीय नहीं है, क्या यह पर्याप्त नहीं है कि हमें प्रधान मंत्री, विधानमंडल और जनता पर भरोसा करना चाहिए कि वे मंत्रियों के कार्यों और विधानमंडल के कार्यों को देख रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि ऐसा कोई भी कुख्यात काम उनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया है? मेरा मानना है कि यह एक ऐसा प्रकरण है जिसे प्रधानमंत्री की सद्भावना और विधानमंडल की सद्भावना पर छोड़ दिया जा सकता है,

जिसमें आम जनता उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी रखती है।इसलिए मैं कहता हूं कि ये संशोधन अनावश्यक हैं।"

और फिर सेः-

"98. उपरोक्त से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री को संवैधानिक न्यास का भंडार माना जाता है। "प्रधानमंत्री की सलाह पर" शब्दों के उपयोग को उनके महत्व को खोने के लिए निर्वात में काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति पर तब तक बाध्यकारी है जब तक कि उक्त व्यक्ति को संविधान के तहत या 1951 के अधिनियम के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाता है, जैसा कि बी. आर. कपूर प्रकरण में किया गया है। यह अयोग्यता के दायरे में है। लेकिन, एक गर्भवती महिला, संविधान के तहत प्रधानमंत्री जैसे उच्च संवैधानिक पदाधिकारी में व्यक्त किया गया विश्वास यहीं समाप्त नहीं होता है। यह कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उचित सलाह देंगे, एक वैध संवैधानिक अपेक्षा है, क्योंकि यह एक सर्वोपरि संवैधानिक चिंता है। हमारे जैसे नियंत्रित संविधान में, प्रधानमंत्री से संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र के पोषित मूल्य और सुशासन के स्थापित मानदंड विनम्रता से फलते-फूलते हैं।संविधान निर्माताओं ने प्रधानमंत्री में अपार विश्वास व्यक्त करके कई चीजों को अलिखित छोड़ दिया।संविधान की योजना से पता चलता है कि संवैधानिक शासन का उदय होना चाहिए जो धीरे-धीरे संवैधानिक पुनर्जागरण को जन्म देगा।

x x x x x

100. इस प्रकार, अनुच्छेद 75 (1) की व्याख्या करते समय, निश्चित रूप से अयोग्यता को नहीं जोड़ा जा सकता है। यद्यपि मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की भूमिका को ध्यान में रखते हुए और अपने द्वारा ली गई शपथ की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए, यह हमेशा वैध रूप से अपेक्षित किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री, अपने ऊपर रखे गए विश्वास पर खरा उतरते हुए, ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनने पर विचार करेंगे जिसके खिलाफ जघन्य या गंभीर दण्डिक अपराधों या भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए आरोप बनाए गए हैं। संविधान यही सुझाव देता है और प्रधानमंत्री से यही संवैधानिक अपेक्षा है। बाकी प्रधानमंत्री के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। हम कुछ ज्यादा नहीं कहते, कुछ कम नहीं कहते।"

77. भारत का संविधान, जैसा कि पहले कहा गया है, एक जैविक दस्तावेज है जिसमें इसके सभी अधिकारियों को इसके द्वारा बताए गए संवैधानिक मूल्यों का पालन करने, उन्हें लागू करने और उनकी रक्षा करने की आवश्यकता होती है। ये मूल्य संवैधानिक नैतिकता का गठन करते हैं।यह भारत के संविधान को एक राजनीतिक दस्तावेज बनाता है जो उचित तरीके से आवश्यक उद्देश्यों के लिए विशिष्ट कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारतीय समाज के शासन को व्यवस्थित करता है। संवैधानिक संस्कृति इन मूल्यों के आधार पर खड़ी है।संवैधानिक अधिकारियों के बीच विश्वास का तत्व अनिवार्य है ताकि सरकारें संवैधानिक मानदंडों के अनुसार काम कर सकें। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब ऐसे पदाधिकारी संविधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो संवैधानिक शासन की नींव रखने वाले मूल्यों को बनाए रखना प्रमुख आदर्श वाक्य के रूप में बना रहना चाहिए।ऐसे अधिकारियों के बीच अंतर्निहित संस्थागत विश्वास होना चाहिए। जब हम शासन के क्षेत्र में संविधान की व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से उक्त प्रावधान के वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए अनुच्छेद 239 एए और अन्य सहायक लेखों के तहत नियोजित भाषा की जांच करेंगे तो हम इस सिद्धांत के कार्यात्मक पहलू को विस्तार से समझेंगे।

G. सामूहिक उत्तरदायित्वः

78. संविधान सभा की बहसों में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने सामूहिक जिम्मेदारी पर इस प्रकार बात कीः-

> ""मैं अपने मित्र प्रो. के.टी. शाह से कहना चाहता हूँ कि उनका संशोधन उस दूसरे सिद्धांत के लिए बिल्कुल घातक होगा जिसे हम अपनाना चाहते हैं सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करना। सदन के सभी सदस्य इस बात के लिए बहुत उत्सुक हैं कि मंत्रिमंडल को सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर काम करना चाहिए और सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह एक बहुत ही ठोस सिद्धांत है। लेकिन मुझे नहीं पता कि सदन के कितने सदस्य इस बात को समझते हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करने के लिए वास्तव में कौन सी मशीनरी है। जाहिर है, कोई वैधानिक उपाय नहीं हो सकता। मान लीजिए कि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से अलग राय रखता है और अपने विचार व्यक्त करता है जो मंत्रिमंडल के विचारों के विपरीत हैं, तो कानून के लिए यह मुश्किल से संभव होगा कि वह सामूहिक जिम्मेदारी कहे जाने वाले उल्लंघन के लिए उस पर मुकदमा चलाए। जाहिर है, सामूहिक जिम्मेदारी के लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं हो सकती। सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करने का एकमात्र तरीका प्रधानमंत्री के माध्यम से है। मेरे विचार में सामूहिक जिम्मेदारी दो सिद्धांतों को लागू करके लागू की जाती है। एक सिद्धांत यह है कि प्रधानमंत्री की सलाह के बिना किसी भी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में नामित नहीं किया जाएगा। दूसरा, यदि प्रधानमंत्री यह कहें कि किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बनाया जाएगा तो उसे मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल के सदस्यों को उनकी नियुक्ति और बर्खास्तगी दोनों मामलों में प्रधानमंत्री के अधीन रखा जाएगा, तभी सामूहिक जिम्मेदारी के हमारे आदर्श को साकार करना संभव

होगा। मुझे इस सिद्धांत को लागू करने का कोई और तरीका या साधन नहीं दिखता।

मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रधानमंत्री नहीं है, तो वास्तव में क्या होगा? ऐसा होगा कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के नियंत्रण या प्रभाव के अधीन होगा। राष्ट्रपति के लिए यह पूरी तरह से संभव होगा कि वह प्रत्येक मंत्री के साथ अलग-अलग व्यवहार करे, उन्हें प्रभावित करे और इस तरह मंत्रिमंडल में व्यवधान पैदा करे। ऐसी चीज़ की कल्पना करना असंभव नहीं है। ब्रिटिश संसद में सामूहिक जिम्मेदारी पेश किए जाने से पहले आपको याद होगा कि कैसे अंग्रेज राजा ब्रिटिश मंत्रिमंडल को बाधित करते थे। उनके पास कैबिनेट के साथ-साथ संसद में भी राजा के मित्रों की पार्टी थी। सामूहिक जिम्मेदारी के कारण इस तरह की चीज़ों पर रोक लगा दी गई। जैसा कि मैंने कहा, सामूहिक जिम्मेदारी केवल प्रधानमंत्री की साधनशीलता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए, प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के मेहराब की आधारशिला हैं।

और जब तक हम उस पद का निर्माण नहीं करते हैं और उस पद को मंत्रियों को नामित करने और बर्खास्त करने का वैधानिक अधिकार नहीं देते हैं, तब तक कोई सामूहिक जिम्मेदारी नहीं हो सकती है।"

79. कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ और अन्य [26] में, न्यायालय ने सर आइवर जेनिंग्स और श्री जोसेफ चेम्बरलेन के कुछ अंशों को पुनः प्रस्तुत करने के बाद कहाः

".....ए. एच. बिर्च द्वारा "प्रतिनिधि और जिम्मेदार सरकार" में इस विषय पर निम्नलिखित चर्चा इस संबंध में उपयोगी पाई जाएगीः-

> "संसद के प्रति मंत्रिस्तरीय जवाबदेही के दो पहलू हैंः सरकार की नीतियों के लिए मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी और उनके विभागों

के काम के लिए उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी।जिम्मेदारी के दोनों रूप सम्मेलनों में सन्निहित हैं जिन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। दोनों परंपराओं को उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान विकसित किया गया था, और दोनों मामलों में सिद्धांत की घोषणा से पहले अभ्यास स्थापित किया गया था (पृष्ठ 131)।"

80. टी. सी. हार्टले और जे. ए. जी. ग्रिफिथ[27] द्वारा "सरकार और कानून" में, विधानमंडल के प्रति मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी के संबंध में स्थिति को संक्षिप्त रूप से निम्नानुसार कहा गया हैः-

> "मंत्रियों को सामूहिक रूप से जिम्मेदार कहा जाता है।इसे अक्सर लेखकों द्वारा एक 'सिद्धांत' के स्तर तक बढ़ाया जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक राजनीतिक अभ्यास से थोड़ा अधिक है जो सामान्य और अपरिहार्य है।आम तौर पर, मंत्री सरकारी दल बनाते हैं, सभी को प्रधानमंत्री द्वारा एक राजनीतिक दल से नियुक्त किया जाता है।एक कैबिनेट मंत्री अपनी नीति के क्षेत्र से संबंधित होता है और आम तौर पर उसका अन्य मंत्रियों के क्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं होता है।निश्चित रूप से किसी भी कैबिनेट मंत्री के सार्वजनिक बयान देने की संभावना नहीं होगी जो किसी अन्य मंत्री के विभाग के काम पर असर डालता हो।कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रिमंडल चर्चा के बाद नीति निर्धारित करता है।सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी कैबिनेट मंत्रियों को बाध्य करते हैं, भले ही वे मंत्रिमंडल में विपरीत दिशा में तर्क देते हों।लेकिन इसका मतलब एक कैबिनेट मंत्री से ज्यादा कुछ नहीं है।

[26] (1978) 2 एससीआर 1

[27] हार्टले टी. सी. और ग्रिफ़िथ जे. ए. जी., सरकार और कानून; ब्रिटेन में संविधान के काम करने का परिचय दूसरा संस्करण, 1981 लंदन; वेडेनफ़ेलफ़ और निकोलसन

जो खुद को अल्पमत में पाता है, उसे या तो बहुमत के विचार को स्वीकार करना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए।टीम को उसके कुछ सदस्यों द्वारा सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करने से कमजोर नहीं होना चाहिए कि वे सरकार की नीति को अस्वीकार करते हैं।और जाहिर है कि कैबिनेट मंत्रियों के लिए जो सच है, वह अन्य मंत्रियों के लिए और भी सच है।अगर उन्हें पसंद नहीं है कि टीम क्या कर रही है, तो उन्हें या तो चुप रहना चाहिए या चले जाना चाहिए।"

81. सामूहिक उत्तरदायित्व पर बोलते हुए, प्रकरण ने मामले में आर. के. जैन बनाम भारत संघ और अन्य 28 ने राय दी है कि मंत्रिमंडल के सदस्य की अपनी अंतरात्मा के प्रति व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है और सरकार के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। चर्चा और अनुनय असहमति को कम कर सकते हैं, सर्वसम्मति तक पहुँच सकते हैं,या इसे अपरिवर्तित छोड़ सकते हैं। असहमति की दृढ़ता के बावजूद, यह एक निर्णय है, हालांकि कुछ सदस्य दूसरों की तुलना में कम पसंद करते हैं। व्यावहारिक राजनीति और अच्छी सरकार दोनों के लिए आवश्यक है कि जो लोग इसे कम पसंद करते हैं, उन्हें अभी भी सार्वजनिक रूप से इसका समर्थन करना चाहिए। यदि इस तरह का समर्थन किसी मंत्री की अंतरात्मा पर बहुत अधिक दबाव डालता है या प्रतिबद्धता की उसकी धारणाओं के साथ असंगत है और उसे निर्णय का समर्थन करना मुश्किल लगता है, तो उसके लिए इस्तीफा देना खुला रहेगा। इसलिए, मंत्रिमंडल कार्यालय की स्वीकृति की कीमत मंत्रिमंडल के निर्णयों का समर्थन करने की जिम्मेदारी की धारणा है और इसलिए, उस जिम्मेदारी का बोझ सभी द्वारा साझा किया जाता है।

82. सामान्य कारणों में**,** ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम भारत संघ और अन्य **[29],** न्यायालय ने सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा की व्याख्या करते हुए कहा:-

“30. "सामूहिक उत्तरदायित्व" की अवधारणा अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक अवधारणा है।देश को मंत्रिमंडल की बैठक में अपनाई गई और निर्धारित की गई नीतियों के आधार पर सत्ता में पार्टी द्वारा शासित किया जाता है।“जिम्मेदारी इकट्ठा करने के दो अर्थ हैं:पहला अर्थ जो वैध रूप से इसका श्रेय दिया जा सकता है, वह यह है कि सरकार के सभी सदस्य अपनी नीतियों के समर्थन में सर्वसम्मत हैं और सार्वजनिक अवसरों पर उस सर्वसम्मति का प्रदर्शन करेंगे, हालांकि नीतियों को तैयार करते समय, उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में एक अलग विचार व्यक्त किया होगा।इसका दूसरा अर्थ यह है कि जिन मंत्रियों को मंत्रिमंडल की नीतियों के पक्ष या विपक्ष में बोलने का अवसर मिला है, वे इसकी सफलता और विफलता के लिए व्यक्तिगत और नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं।”

[28] (1993) 3 एससीआर 802

[29] (1999) 6 एससीसी 667

83. मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' के संदर्भ में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि जब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच उचित विचार-विमर्श के बाद कोई निर्णय लिया जाता है, लेकिन उपराज्यपाल के प्रतिबंध के कारण उसे प्रभावी नहीं किया जाता है, तो सामूहिक जिम्मेदारी का मूल्य जो अंततः मंत्रिमंडल के निर्णय में बदल जाता है, वह पूरी तरह से नकार दिया जाता है। यह दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि यदि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता है, तो प्रतिनिधि सरकार की आवश्यक विशेषता का क्षरण होगा।

<u>एच. संघीय कार्यात्मकता और लोकतंत्रः</u>

84. लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जहाँ लोग शासन करते हैं। अरस्तू ने लोकतंत्र को सरकार के एक रूप के रूप में देखा जिसमें सर्वोच्च शक्तियां स्वतंत्र

लोगों के हाथों में होती हैं और जहां लोग निर्णय लेने में कुछ भूमिका निभाने के लिए एक निर्वाचित संप्रभु सरकार में बहुमत बनाते हैं। थॉमस जेफरसन ने लोकतंत्र को "बहुमत द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप से कार्य करने वाले अपने नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से सरकार" के रूप में परिभाषित किया। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार के रूप में परिभाषित किया।ब्लैक विधि डिक्शनरी लोकतंत्र को इस प्रकार परिभाषित करती हैः-

> "सरकार का वह रूप जिसमें संप्रभु शक्ति रहती है और स्वतंत्र नागरिकों के पूरे निकाय द्वारा प्रयोग की जाती है; जैसा कि एक राजशाही, अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग से अलग है।शुद्ध लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को शासन के व्यवसाय में सीधे भाग लेना चाहिए, और विधान सभा में पूरे लोग शामिल होने चाहिए।" [30]

85. हमारे संविधान की प्रस्तावना, शुरुआत में, यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत के नागरिक संप्रभु हैं और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली के तहत मतदान करने के अपने पुण्य अधिकार का प्रयोग करके शासन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उन्हें क्रमशः संघ और राज्य स्तर पर कानून बनाने और नीतियों को आकार देने के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों में भेजते हैं जो सामूहिक की लोकप्रिय इच्छा को दर्शाते हैं।

[30] ब्लैक विधि डिक्शनरी का छठा संस्करण Pg.432

86. संविधान द्वारा परिकल्पित लोकतंत्र के संसदीय रूप में लोगों को मतदान करने और विधायिका को लोगों के प्रति उनके कामकाज के लिए जवाबदेह बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।यदि विधायिका लोगों की लोकप्रिय इच्छा को नीतियों और कानूनों में बदलने में विफल रहती है, तो हमारे जैसे लोकतंत्र में लोगों के पास अपने वोट का प्रयोग करके नए प्रतिनिधियों को चुनने

की शक्ति है।राजनीतिक समानता लोगों को एकजुट होकर अपने अधिकार के बारे में जागरूक करती है और इसे प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया जाता है।

87. इस संदर्भ में**,** हम मोहिंदर सिंह गिल और एक अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त**,** नई दिल्ली और अन्य [31] के एक अंश की ओर रुख कर सकते हैं जिसमें न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने सर विंस्टन चर्चिल के कथन को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः-

> "लोकतंत्र को दी जाने वाली सभी श्रद्धांजलि में सबसे नीचे छोटा आदमी है, जो एक छोटे से बूथ में चलता है, एक छोटी सी पेंसिल के साथ, थोड़े से कागज पर एक छोटा सा क्रॉस बनाता है- बयानबाजी या भारी चर्चा की कोई भी मात्रा संभवतः बिंदु के भारी महत्व को कम नहीं कर सकती है।"

88. इस प्रकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अपने अंग लोगों की अपने प्रतिनिधियों को चुनने की क्षमता और इस विश्वास में दृढ़ता से स्थापित हैं कि इस प्रकार चुने गए प्रतिनिधि उनके हित का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेंगे। हालाँकि वोट देने का यह अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, फिर भी यह एक ऐसा अधिकार है जो सरकार के लोकतांत्रिक रूप के केंद्र में है। मतदान का अधिकार लोकतंत्र का सबसे पोषित मूल्य है क्योंकि यह लोगों में एक भावना पैदा करता है । रघबीर सिंह गिल बनाम एस**.** गुरचरण सिंह टोहरा [32] में, विद्वान न्यायाधीशों ने मोहिंदर सिंह गिल के प्रकरण का उल्लेख करने के बाद कहा कि गूंगे सीलबंद होंठ मतदाता द्वारा बताए गए क्रॉस या वरीयता के भारी महत्व को कुछ भी कम नहीं कर सकता है। यह उनका अधिकार है और संविधान द्वारा उन पर जो विश्वास व्यक्त किया गया है वह यह है कि वह देश पर शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कार्य करेंगे।

89. उपरोक्त स्थिति विचार, कार्य और आचरण द्वारा पारस्परिक कार्यात्मकता की गारंटी देती है। इसके लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को उस विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता होती है जो सामूहिक रूप से उनमें व्यक्त

किया गया है।कोई भी अनुचित हस्तक्षेप लोकतांत्रिक स्वशासन की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सामूहिक विश्वास के साथ विश्वासघात के बराबर है।

[31] ए. आई. आर 1978 एस. सी. 851

[32] ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1362 ए

केशवानंद भारती (सुप्रा) में न्यायालय ने आगे कहा कि वयस्क मताधिकार पर लोकतंत्र आम आदमी में विश्वास में अपनी जड़ों के साथ एक महान प्रयोग है। पी. जगमोहन रेड्डी, जे. ने अपनी राय में कहा कि सरकार का गणराज्य और लोकतांत्रिक रूप संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है और संसद के पास भारत की संप्रभुता और हमारी राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र जैसे संविधान के बुनियादी तत्वों या मौलिक विशेषताओं को निरस्त करने या समाप्त करने की कोई शक्ति नहीं है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने भारत के नागरिकों के लिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित न्याय, स्वतंत्रता और समानता के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया।

90. लोकतंत्र की अवधारणा से निपटने के लिए, इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण [33] में बहुमत ने फैसला सुनाया कि संविधान की एक आवश्यक विशेषता के रूप में 'लोकतंत्र' उपलब्ध नहीं है। उक्त सिद्धांत टी. एन. शेषन, भारत के सी. ई. सी. बनाम भारत संघ और अन्य [34] और कुलदिप नायर बनाम भारत संघ अन्य[35] में दोहराया गया। जब इसकी कल्पना की जाती है यह कि लोकतंत्र संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, लोकतंत्र के आवश्यक मूल्य को विनम्रता से समझना होगा और इसलिए हमने कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया है। अनुच्छेद 239 से 239 एबी की व्याख्या की शुद्धता या भ्रांति एक परिपक्व निकाय राजनीति में सरकार के लोकतांत्रिक रूप की हमारी सराहना पर निर्भर करेगी।

91. मनोज नरूला (सुप्रा) में न्यायालय ने लोकतंत्र की अवधारणा को परिभाषित करते हुए कहा कि लोकतंत्र को लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार के रूप में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, जो संवैधानिक नैतिकता की निरंतर पुष्टि द्वारा वास्तविक व्यवस्था, सकारात्मक औचित्य, समर्पित अनुशासन और आशावादी पवित्रता की व्यापकता की अपेक्षा करता है जो सुशासन का आधार है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि भारत में लोकतंत्र कानून के शासन का एक उत्पाद है जो एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की आकांक्षा रखता है और यह न केवल एक राजनीतिक दर्शन है बल्कि संवैधानिक दर्शन का अवतार भी है। लोकतंत्र एक पोषित संवैधानिक मूल्य होने के नाते इसकी रक्षा, संरक्षण और निरंतरता की आवश्यकता है और उस उद्देश्य के लिए सामूहिक रूप से कुछ मानदंडों को स्थापित करना बिल्कुल आवश्यक है।

[33] ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 2299

[34] (1995) 4 एस. सी. सी. 611

[35] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 3127

इस मामले में न्यायालय ने इस बात पर जोर देते हुए कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सुशासन एक अनिवार्य शर्त है, इस प्रकार कहा:–

> "लोकतंत्र में, नागरिक वैध रूप से यह अपेक्षा करते हैं कि वर्तमान सरकार जनहित को प्राथमिक और अन्य हितों को गौण समझे। सलस पॉपुली सुप्रेमा लेक्स की उक्ति को न केवल ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि उसका सम्मान भी करना चाहिए। सुशासन की अवधारणा के मूल में लोगों का विश्वास अंतर्निहित है, जिसका अर्थ है नागरिक अधिकारों के प्रति श्रद्धा, किसी भी सरकारी कार्रवाई में मौलिक अधिकारों और वैधानिक अधिकारों के प्रति सम्मान, अलिखित संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान, संस्थागत अखंडता के प्रति श्रद्धा और सामूहिक रूप से जवाबदेही का भाव। यह यह भी बताता है कि निर्णय लेने वाले प्राधिकारी द्वारा गंभीर ईमानदारी के साथ

निर्णय लिए जाते हैं और नीतियों को लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है और सभी को एक समान दायरे में शामिल किया जाता है। सुशासन की अवधारणा कोई काल्पनिक अवधारणा या अमूर्तता नहीं है। जहाँ भी लोकतंत्र को बढ़ावा मिला है, वहाँ राजनीति की यही माँग रही है। लोकतंत्र का विकास वास्तव में अच्छे शासन पर निर्भर है और लोगों की मूल रूप से यही आकांक्षा है कि प्रशासन सेवाभावी और ज़िम्मेदार लोगों द्वारा चलाया जाए।"

[बल दिया गया]

92. अब हम भारत के संविधान के संदर्भ में संघवाद की अवधारणा पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका संघवाद को इस प्रकार परिभाषित करता हैः-

"संघवाद, राजनीतिक संगठन का एक तरीका है जो एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर अलग-अलग राज्यों या अन्य राज्यों को इस तरह से एकजुट करता है कि प्रत्येक को अपनी मौलिक राजनीतिक अखंडता बनाए रखने की अनुमति मिले।संघीय प्रणालियाँ किसी न किसी रूप में बातचीत के माध्यम से बुनियादी नीतियों को बनाने और लागू करने की आवश्यकता के साथ ऐसा करती हैं, ताकि सभी सदस्य निर्णय लेने और उन्हें लागू करने में भाग ले सकें।संघीय प्रणालियों को सक्रिय करने वाले राजनीतिक सिद्धांत कई शक्ति केंद्रों के बीच सौदेबाजी और बातचीत के समन्वय की प्रधानता पर जोर देते हैं; वे व्यक्तिगत और स्थानीय स्वतंत्रताओं की रक्षा के साधन के रूप में तितर-बितर शक्ति केंद्रों के गुणों पर जोर देते हैं।"

93. आम बोलचाल में, संघवाद एक प्रकार का शासन है जिसमें राजनीतिक शक्ति को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया जाता है। ये इकाइयाँ केंद्र/संघ, राज्य और नगरपालिकाएँ हैं। पारंपरिक न्यायविद जैसे प्रो.के. सी. व्हीयर विभिन्न शासी इकाइयों के स्वतंत्र कामकाज पर जोर देते हैं और इस प्रकार, संघवाद को

शक्तियों को विभाजित करने की एक विधि के रूप में परिभाषित करते हैं ताकि सामान्य/केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारें प्रत्येक एक क्षेत्र के भीतर समन्वित और स्वतंत्र हों। प्रो.सरकार की प्रणालियाँ मुख्य रूप से केंद्र और क्षेत्रीय प्राधिकरण के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्र में दूसरे के साथ समन्वय कर रहा है, और यदि ऐसा है तो वह सरकार संघीय है?"
[36]

94. यद्यपि आधुनिक न्यायविद परस्पर निर्भरता के विचार पर जोर देते हैं और संघवाद को सरकार के एक रूप के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें एक सामान्य/केंद्रीय और कई क्षेत्रीय प्राधिकरणों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, प्रत्येक अपने क्षेत्र के भीतर परस्पर निर्भर और एक दूसरे के साथ समन्वय करता है।

95. हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में संविधान के मसौदे पर बहस के दौरान सरकार की एकात्मक प्रणाली या सरकार की संघीय प्रणाली को अपनाने पर विस्तृत चर्चा की।संविधान सभा की बहस के दौरान श्री टी. टी. कृष्णमाचारी ने कहाः-

> ".....क्या हम एकात्मक संविधान बना रहे हैं? क्या यह संविधान दिल्ली में सत्ता को केंद्रीकृत कर रहा है? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में लोगों की स्थिति की रक्षा की जा सके, उनके स्थानीय प्रशासन के मामलों के संबंध में उनकी आवाज सुनी जा सके? मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा आरोप है कि यह संविधान संघीय संविधान नहीं है, और यह एकात्मक है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रश्न कि भारतीय संविधान एक संघीय होना चाहिए, हमारे नेता ने, जो अब हमारे साथ नहीं हैं, अठारह साल पहले लंदन में गोलमेज सम्मेलन में सुलझा लिया था।"
>
> "मैं अपने माननीय मित्र से कहूंगा कि जहां तक इस संविधान का संबंध है, यह पता लगाने के लिए कि यह संघीय है या नहीं, एक बहुत ही सरल परीक्षा लागू करें।राजनीतिक दर्शन के जर्मन स्कूल से मुझे जो सरल प्रश्न

मिला है, वह यह है कि पहला मानदंड यह है कि राज्य को किसी दिए गए राजनीतिक सिद्धांत को लागू करने में बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

[36] प्रो.के. सी. व्हीयर, संघीय सरकार, 1963 पृष्ठ 33 पर

दूसरा यह है कि इन शक्तियों का नियमित रूप से किसी दिए गए क्षेत्र के सभी निवासियों पर प्रयोग किया जाना चाहिए और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है और वह यह है कि राज्य की गतिविधि को उच्च इकाई द्वारा निष्पादन के लिए दिए गए आदेशों द्वारा पूरी तरह से सीमित नहीं किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण शब्द हैं 'पूरी तरह से सीमित नहीं होना चाहिए', जिसमें परिकल्पना की गई है कि राज्य की कुछ शक्तियां संघीय प्राधिकरण के प्रयोग से सीमित होनी चाहिए। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, मैं आग्रह करूंगा कि हमारा संविधान एक संघीय संविधान है।मेरा आग्रह है कि हमारा संविधान वह है जिसमें हमने उन इकाइयों को शक्ति दी है जो विधायी क्षेत्र और कार्यपालिका क्षेत्र में पर्याप्त और महत्वपूर्ण दोनों हैं।"

96. इस संदर्भ में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा के पटल पर बोलते हुए कहाः-

"संवैधानिक महत्व का केवल एक बिंदु है जिसका मैं संदर्भ देने का प्रस्ताव करता हूं।इस आधार पर एक गंभीर शिकायत की जाती है कि बहुत अधिक केंद्रीकरण हो रहा है और राज्यों को नगरपालिकाओं तक सीमित कर दिया गया है। यह स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण न केवल एक अतिशयोक्ति है, बल्कि इस गलतफहमी पर भी आधारित है कि संविधान वास्तव में क्या करने का प्रयास करता है। जहां तक केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का सवाल है, तो उस मौलिक सिद्धांत को ध्यान में रखना आवश्यक है जिस पर यह

आधारित है। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए जाने वाले किसी विधि द्वारा नहीं बल्कि स्वयं संविधान द्वारा विभाजित किया जाता है। संविधान यही करता है। हमारे संविधान के तहत राज्य अपने विधायी या कार्यकारी अधिकार के लिए किसी भी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं हैं। इस मामले में केंद्र और राज्य समान हैं। यह देखना मुश्किल है कि इस तरह के संविधान को केंद्रीकरण कैसे कहा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि संविधान केंद्र को अपने विधायी और कार्यकारी अधिकार के संचालन के लिए किसी भी अन्य संघीय संविधान की तुलना में बहुत बड़ा क्षेत्र प्रदान करता है। ऐसा हो सकता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को दी गई हों न कि राज्यों को।लेकिन ये विशेषताएं संघवाद का सार नहीं हैं। संघवाद की मुख्य पहचान, जैसा कि मैंने कहा, संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों के बीच विधायी और कार्यकारी प्राधिकरण के विभाजन में निहित है।यह हमारे संविधान में सन्निहित सिद्धांत है।"

97. न्यायालय ने **अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत भारत के संविधान (विशेष संदर्भ संख्या 1, 1964) 37** में कहा कि संघवाद की अनिवार्य विशेषता सीमित कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों का वितरण है जो एक दूसरे से समन्वयित और स्वतंत्र हैं। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि संविधान की सर्वोच्चता संघीय राज्य के अस्तित्व के लिए मौलिक है ताकि संघीय इकाई की विधायिका या सदस्य राज्यों की विधायिका शक्ति के उस नाजुक संतुलन को नष्ट या बिगाड़ने से रोक सके जो उन राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करता है जो संघ के इच्छुक हैं, लेकिन अपनी व्यक्तिगतता को एकता में विलय करने के लिए तैयार नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि संविधान की यह सर्वोच्चता शक्तियों के

वितरण की योजना के व्याख्याता के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय के अधिकार द्वारा संरक्षित है और इस प्रकार, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता का दावा हमारे जैसे संघीय संविधान द्वारा नहीं किया जा सकता है।

98. **उक्त मामले में मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गडकर** ने कहा कि हमारे संविधान में संघीय ढांचे के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं, जैसा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में था, संघवाद का सार संघ या संघ और राज्यों या प्रांतों के बीच शक्तियों का वितरण है। **कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ** (सुप्रा) में न्यायमूर्ति उंटवालिया (न्यायमूर्ति सिंघल, न्यायमूर्ति जसवंत सिंह और स्वयं के लिए बोलते हुए) ने कहा कि संविधान संघीय चरित्र का नहीं है, जहां अलग–अलग, स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों को संयुक्त राष्ट्र बनाने के लिए एकजुट होने के लिए कहा जा सकता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है या जैसा कि दुनिया के कुछ अन्य देशों में स्थिति हो सकती है। इसी कारण से कभी–कभी इसे अर्ध–संघीय प्रकृति का माना जाता है।

99. **शमशेर सिंह** (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने माना कि हमारे संस्थापकों ने अर्ध–संघवाद की संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया जबकि कार्यपालिका की अध्यक्षीय शैली के सार को अस्वीकार कर दिया। डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि संविधान "समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों है"। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र आम भलाई और पूरे देश के सामान्य हित के लिए काम करेगा जबकि राज्य स्थानीय हित के लिए काम करेंगे। उन्होंने राज्यों की अनन्य स्वायत्तता की दलील को भी खारिज कर दिया।

[37] ए. आई. आर 1965 एस. सी. 745

100. **एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ** [38] में न्यायालय ने भारत के संविधान के अंतर्गत संघवाद की प्रकृति पर विचार किया। ए.एम. अहमदी, जे. (जैसा कि उस समय विद्वान न्यायाधीश थे) ने कहा:–

> "यह समझने के लिए कि क्या हमारा संविधान वास्तव में संघीय है, संघवाद की वास्तविक अवधारणा को जानना आवश्यक है। डाइसी इसे राज्यों के एक समूह के लिए एक राजनीतिक युक्ति कहते हैं जो संघ चाहते हैं लेकिन एकता नहीं। इसलिए संघवाद एक ऐसी अवधारणा है जो अलग–अलग राज्यों को उनकी अपनी मौलिक राजनीतिक अखंडता का त्याग किए बिना एक संघ में एकजुट करती है। इसलिए अलग–अलग राज्य एकजुट होना चाहते हैं ताकि सभी सदस्य–राज्य सभी पर लागू होने वाली बुनियादी नीतियों के निर्माण में हिस्सा ले सकें और ऐसी बुनियादी नीतियों के अनुसरण में किए गए निर्णयों के निष्पादन में भाग ले सकें। इस प्रकार संघ का सार संघ और राज्यों का अस्तित्व और उनके बीच शक्तियों का वितरण है। संघवाद, इसलिए, अनिवार्य रूप से एक संघीय समझौते में शक्तियों का सीमांकन दर्शाता है।

101. पी बी सावंत, जस्टिस (अपनी और कुलदीप सिंह, जस्टिस की ओर से) ने कहा कि राज्य संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त इकाइयाँ हैं और केवल सुविधाजनक प्रशासनिक विभाजन नहीं हैं क्योंकि संघ और राज्य दोनों संविधान के प्रावधानों से उत्पन्न हुए हैं। एच एम सीरवाई की टिप्पणी – भारत के संवैधानिक कानून से विस्तृत रूप से उद्धृत करने के बाद, उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया:–

> "99. इस प्रकार उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि राज्यों का एक स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है और लोगों के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक जीवन में उनकी भूमिका संघ जितनी ही महत्वपूर्ण है। वे न तो केंद्र के उपग्रह हैं और न ही एजेंट। यह तथ्य कि आपातकाल के दौरान और

कुछ अन्य परिस्थितियों में केंद्र द्वारा उनकी शक्तियों को खत्म कर दिया जाता है या उन पर आक्रमण किया जाता है, हमारे संविधान की आवश्यक संघीय प्रकृति को नष्ट नहीं करता है। ऐसी परिस्थितियों में सत्ता पर आक्रमण संविधान की सामान्य विशेषता नहीं है। वे अपवाद हैं और विशेष परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी–कभी ही उनका सहारा लेना पड़ता है। अपवाद कोई नियम नहीं हैं।

100. हमारे उद्देश्य के लिए, यह निर्धारित करना वास्तव में आवश्यक नहीं है कि संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के बावजूद, हमारा संविधान संघीय, अर्ध–संघीय या एकात्मक प्रकृति का है।

[38] (1994) 3 एससीसी 1 ए

संविधान को दिया गया सैद्धांतिक लेबल नहीं बल्कि संविधान के प्रावधानों के व्यावहारिक निहितार्थ वर्तमान संदर्भ में उठने वाले प्रश्न का निर्णय करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, अर्थात, क्या अनुच्छेद 356(1) के तहत शक्तियों का राष्ट्रपति द्वारा मनमाने ढंग से और संबंधित राज्य में शासन पर इसके परिणामों की परवाह किए बिना प्रयोग किया जा सकता है। जब तक राज्य केवल प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं हैं, बल्कि संघ के समान ही साज–सज्जा के साथ अपने आप में संवैधानिक शक्तियाँ हैं, और संघ के समान ही प्रक्रिया द्वारा गठित स्वतंत्र विधानमंडल और कार्यपालिका हैं, केंद्र के पक्ष में चाहे जो भी पूर्वाग्रह हो, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि केवल इसलिए (और यह मानते हुए कि यह सही है) कि संविधान को एकात्मक या अर्ध–संघीय या संघीय और एकात्मक संरचना का मिश्रण कहा जाता है, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 356(1) के तहत उद्घोषणा जारी करने की अप्रतिबंधित शक्ति है।

102. के. रामास्वामी, जे. ने अपने अलग निर्णय के पैराग्राफ 247 और 248 में कहाः-

> “247. भारत के संविधान में परिकल्पित संघवाद एक बुनियादी विशेषता है जिसमें भारत संघ संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर स्थायी है और अविनाशी है। राज्य संविधान और अनुच्छेद 2 से 4 द्वारा बनाई गई विधि का सृजन है, जिसमें कोई क्षेत्रीय अखंडता नहीं है, लेकिन एक स्थायी इकाई है जिसकी सीमाएँ संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा बदली जा सकती हैं।न तो संविधान की अनुसूची VII, सूची I और II में विधायी प्रविष्टियों का सापेक्ष महत्व, और न ही संघ द्वारा राजकोषीय नियंत्रण, यह निष्कर्ष निकालने के लिए निर्णायक हैं कि संविधान एकात्मक है।संबंधित विधायी शक्तियों का पता संविधान के अनुच्छेद 245 से 254 तक लगाया जा सकता है। संविधान के अनुसार राज्य संरचना में संघीय है और विधायी और कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में स्वतंत्र है।यद्यपि संविधान की रचना होने के नाते राज्य को अलग होने या संप्रभुता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है।संघ के अनुसार, राज्य अर्ध-संघीय है। दोनों संस्थानों का समन्वय कर रहे हैं और लोगों को सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने, धर्मनिरपेक्षता सहित संवैधानिक लक्ष्यों को संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए समायोजन, समझ और समायोजन के साथ अपनी-अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

248. संविधान की प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघीय ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषताएं हैं।

103. न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी ने (अपने लिए और न्यायमूर्ति एस.सी. अग्रवाल की ओर से) अलग से राय लिखते हुए अनुच्छेद 276 में इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:–

"276. यह तथ्य कि हमारे संविधान की योजना के तहत राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य केंद्र के मात्र अंग हैं। उन्हें आवंटित क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च हैं। केंद्र उनकी शक्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। विशेष रूप से, न्यायालयों को ऐसा दृष्टिकोण, ऐसी व्याख्या नहीं अपनानी चाहिए, जिसका प्रभाव राज्यों को आरक्षित शक्तियों को कम करने का हो या होने की प्रवृत्ति हो। यह सर्वविदित है कि पिछले कई दशकों में, दुनिया भर में केंद्र सरकार की मजबूती की प्रवृत्ति रही है, चाहे वह तकनीकी/वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रगति का परिणाम हो या अन्यथा, और यहां तक कि अमेरिका में भी केंद्र कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है, जबकि संविधान में राज्यों के पक्ष में स्पष्ट पूर्वाग्रह है। यह सब न्यायालय को राज्यों की शक्तियों को जानबूझकर कम करने के खिलाफ सतर्क कर देना चाहिए। यह कहा जाना चाहिए कि भारतीय संविधान में संघवाद प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि हमारी अपनी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है और जमीनी हकीकत की मान्यता है। इस पहलू पर श्री एम.सी. सीतलवाड़ ने अपने टैगोर लॉ लेक्चर्स "भारतीय संविधान के तहत संघ और राज्य संबंध" (ईस्टर्न लॉ हाउस, कलकत्ता, 1974) में विस्तार से चर्चा की है। भारतीय संघ की प्रकृति, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विधायी शक्तियों का वितरण, वित्तीय और प्रशासनिक संबंध, कराधान की शक्तियाँ, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग से संबंधित प्रावधान, सभी का विश्लेषणात्मक रूप से निपटारा किया गया है। वर्तमान उद्देश्यों के लिए उनका उल्लेख करना न तो संभव है और न ही

आवश्यक है। यह ध्यान देने योग्य है कि हमारे संविधान में निश्चित रूप से राज्यों की तुलना में केंद्र के प्रति पूर्वाग्रह है..."

104. **आईटीसी लिमिटेड बनाम कृषि उपज बाजार समिति** [39] में, न्यायालय ने कहा कि भारत का संविधान समीक्षा के योग्य है।

[39] (2002) 9 एससीसी 23

भाषा की अनुमति देते हुए, इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए कि यह राज्य विधानमंडल की शक्तियों को कम न करे और संघवाद को बनाए रखे, साथ ही इसके कुछ अनुच्छेदों द्वारा परिकल्पित केंद्रीय सर्वोच्चता को भी बरकरार रखे।

105. **कुलदीप नैयर** (सुप्रा) में, न्यायालय ने राज्यसभा के चुनावों के लिए राज्य के अधिवास के प्रश्न से निपटते हुए, यह राय व्यक्त की कि यह सच है कि हमारे संविधान में संघीय सिद्धांत प्रमुख है और उक्त सिद्धांत इसकी बुनियादी विशेषताओं में से एक है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि भारतीय संविधान के तहत संघवाद एक मजबूत केंद्र के पक्ष में झुकता है, एक विशेषता जो मजबूत संघवाद की अवधारणा के खिलाफ है। इस संदर्भ में जिन कुछ प्रावधानों का उल्लेख किया जा सकता है उनमें आपातकाल के दौरान और अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा जारी होने की स्थिति में असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए संघ की शक्ति शामिल है कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, यदि राज्य परिषद द्वारा निर्धारित बहुमत से कोई संकल्प पारित किया जाता है; संसद की संघ और राज्यों के लिए समान अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन और विनियमन के लिए उपबंध करने की शक्ति, यदि राज्य परिषद द्वारा कम से कम दो तिहाई बहुमत से कोई संकल्प पारित किया जाता है; केवल एक नागरिकता का अस्तित्व, अर्थात् भारत की नागरिकता; और, शायद सबसे महत्वपूर्ण, नए राज्यों के गठन और राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के संबंध में संसद की शक्ति।

106. पूर्वगामी चर्चा से यह स्पष्ट है कि दोनों अवधारणाएं, अर्थात् लोकतंत्र, यानी लोगों द्वारा शासन और संघवाद, हमारे संवैधानिक लोकाचार में दृढ़ता से निहित हैं।भारतीय संविधान में संघवाद की प्रकृति चाहे जो भी हो, चाहे वह पूरी तरह से संघीय हो या अर्ध-संघीय, तथ्य यह है कि संघवाद हमारे संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है क्योंकि प्रत्येक राज्य एक घटक इकाई है जिसमें एक विशेष विधानमंडल और कार्यपालिका है जो उसी प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित और गठित होती है जैसा कि केंद्र सरकार के प्रकरण में होता है।परिणामस्वरूप प्रभाव यह होता है कि कोई भी व्यक्ति भारत की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को संरक्षित और संरक्षित करने के विशिष्ट उद्देश्य को समझ सकता है।यह हमारे संवैधानिक संघवाद की एक विशेष विशेषता है।

107. यह स्वयंसिद्ध है कि हमारे संविधान में संघवाद की अवधारणा और लोकतंत्र की प्रकृति के बीच सार्थक समन्वय मौजूद है।

यह एक भ्रामक रूपक नहीं होगा यदि हम यह कहें कि जिस तरह एक संलयन प्रतिक्रिया में दो या दो से अधिक परमाणु नाभिक एक साथ मिलकर एक बड़ा और भारी नाभिक बनाते हैं, उसी तरह हमारे संविधान के संस्थापकों ने एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था, समकालीन विविधता में एक शास्त्रीय एकता प्राप्त करने की खोज में संघवाद और लोकतंत्र के संयोजन की परिकल्पना की। एकता में विविधता की दृष्टि और अंततः सामंजस्य में बहुलता की धारणा संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा के अंतिम परिणाम में अंतर्निहित है। पहचान खोए बिना एकता में विविधता का मिलन एक उल्लेखनीय संश्लेषण है जिसकी कल्पना संविधान ने थोड़ी सी भी साजिश या निपुणता की अनुमति दिए बिना की है।

I. सहयोगात्मक संघवाद:

108. संविधान सभा, हमारे संविधान के संघीय चरित्र को तैयार करते हुए, कभी भी यह कल्पना नहीं कर सकती थी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें स्पष्ट रूप से काम करेंगी। संविधान सभा का यह इरादा कभी नहीं हो सकता था

कि हमारे संविधान के अर्ध-संघीय लहजे की आड़ में केंद्र सरकार राज्यों के हितों को प्रभावित करेगी।इसी तरह, हमारी संवैधानिक योजना के तहत राज्यों को अलग-अलग द्वीपों के रूप में नहीं बनाया गया था, जिनमें से प्रत्येक की एक अलग दृष्टि थी जो अनावश्यक रूप से एक विरोधाभासी सिद्धांत के लिए दरवाजे खोलेगी या धीरे-धीरे अराजकतावाद को आमंत्रित करने के लिए एक कदम उठाएगी।बल्कि, हमारे संविधान की प्रस्तावना में निहित दृष्टिकोण, यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सुनहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को समान रूप से संकेत देता है। अंतिम उद्देश्य एक समग्र संरचना होना है।

109. उपरोक्त विचार, बदले में, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की मांग करता है।इस समन्वय को प्राप्त करने के लिए संघ और राज्यों को एक सहयोगी/सहकारी संघीय ढांचे को अपनाने की आवश्यकता है।

110. एक प्रख्यात विचारक कॉर्विन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में 'सहयोगात्मक संघवाद' शब्द गढ़ा और इसे इस प्रकार परिभाषित किया:- “.....राष्ट्रीय सरकार और राज्य एक ही सरकारी तंत्र के पारस्परिक रूप से पूरक भाग हैं, जिनकी सभी शक्तियों का उद्देश्य सरकार के वर्तमान उद्देश्यों को प्राप्त करना है।” [40]

[40] एच एडवर्ड एस. कॉर्विन, द पासिंग ऑफ डुअल फेडरलिज्म, 36 वीए.एल.आरईवी. 1, 4 (1950)

1) 111. **कारमाइकल बनाम एस. कोल एण्ड कोक कंपनी**[1] में यू.एस. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को अपनाने से राज्य बेरोजगारी कानून को मजबूर नहीं किया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका और अलबामा राज्य विदेशी सरकारें नहीं हैं, लेकिन वे एक ही क्षेत्र के भीतर सह–अस्तित्व में हैं। इसके भीतर बेरोजगारी उनकी आम चिंता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि दोनों कानून दोनों के लिए एक सामान्य सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय सरकारों द्वारा एक सहकारी विधायी प्रयास को मूर्त रूप देते हैं, जिसे न तो दूसरे के सहयोग के बिना पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है और संविधान इस तरह के सहयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है।

2) 112. जेफ्री सॉवर का प्रस्ताव है कि सहकारी संघवाद निम्नलिखित विशेषताओं से प्रमाणित होता है: 'प्रत्येक पक्ष को व्यवस्था में स्वायत्तता की एक उचित डिग्री है, सहयोग की शर्तों के बारे में सौदेबाजी कर सकती है और कम से कम अगर बहुत अधिक प्रेरित हो, तो सहयोग करने से इनकार कर दें।'[2]

---

1 301 अमेरिका 495, 525–26 (1937)

2 जेफ्री सॉवर, आधुनिक संघवाद (पिटमैन ऑस्ट्रेलिया, 1976), 1

3) **113.** बाद में, कैमरून और शिमोन ने "सहयोगी संघवाद" का वर्णन इस प्रकार किया:–

"[टी] वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है न कि अकेले कार्य करने वाली संघीय सरकार द्वारा या अपनी खर्च करने की शक्ति के प्रयोग के माध्यम से प्रांतीय व्यवहार को आकार देने वाली संघीय सरकार द्वारा बल्कि कुछ या सभी सरकारों और सामूहिक रूप से कार्य करने वाले क्षेत्रों द्वारा।"[3]

> यद्यपि विधि का उक्त कथन सख्ती से लागू नहीं हो सकता है फिर भी संघीय संरचना को बनाए रखने के लिए सहयोग की आवश्यकता का एक विचार के रूप में अपना महत्व है।

4) **114.** इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारों को संवैधानिक कलह से बचने के लिए हमेशा सद्भाव से काम करना चाहिए। इस तरह के सहयोग से हमारे संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित राष्ट्रीय दृष्टिकोण साकार होता है। संघ और राज्यों की सरकारों के लिए तरीके और दृष्टिकोण कभी–कभी अलग हो सकते हैं लेकिन अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य हमेंशा एक ही रहता है और विभिन्न स्तरों पर सरकारों को अंतिम उद्देश्य की दृष्टि नहीं छोड़नी चाहिए। संविधान में

---

3 **कैमरून, डी. और शिमोन, आर. 2002.कनाडा में अंतर–सरकारी संबंधःसहयोगात्मक संघवाद का उदय।पब्लियस, 32 (2):49–72**

निहित यह संवैधानिक उद्देश्य उनके लिए मार्गदर्शक सितारा होना चाहिए सामंजस्यपूर्ण सह–अस्तित्व और परस्पर निर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ें। वे एक कल्याणकारी राज्य में संवैधानिक कार्यात्मकता की ताकत को बनाए रखने के लिए सहयोगी संघवाद के बुनियादी सिद्धांत हैं।

5) **115.** कल्याणकारी राज्य में सहयोगात्मक संघवाद की बहुत आवश्यकता है। मार्टिन पेंटर सहयोगी संघवाद के एक प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई प्रस्तावक सरकारों के विभिन्न स्तरों के बीच सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बातचीत पर अधिक जोर देते हैं और इस प्रकार कहते हैं:–

> "संवैधानिक रूप से स्वीकृत कार्यों को पूरा करने में व्यावहारिक आवश्यकताओं को सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने और बकाया समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत के सहयोग के आधार पर विभिन्न स्तरों की सभी सरकारों को समान भागीदारों के रूप में एक साथ लाना चाहिए।"[4]

6) **116.** ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ में प्रो. निकोलस एरोनी ने अपनी पुस्तक[5] में कहा है:–

> "सरकार के दो या दो से अधिक "समन्वय" स्तरों के बीच जिम्मेदारी के सख्ती से परिभाषित वितरण को प्रदर्शित करने के बजाय संघीय प्रणालियां व्यवहार में "marble केक" जैसी होती हैं, जिसमें सरकारी कार्यों को बातचीत, समझौते और कभी–कभी

4 **मार्टिन पेंटर, सहयोगात्मक संघवादः1990 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक सुधार।**

5 **प्रो.निकोलस एरोनी, एक संघीय राष्ट्रमंडल का संविधानःऑस्ट्रेलियाई संविधान का निर्माण और अर्थ, 2009**

सहयोग की प्रक्रियाओं द्वारा आकार दिए गए मापदंडों के एक निरंतर बदलते सेट के संदर्भ में विभिन्न सरकारी अभिनेताओं के बीच साझा किया जाता है।"

7) **117.** इस प्रकार सहयोगात्मक संघवाद की अवधारणा के पीछे विचार बातचीत और समन्वय है ताकि विकास के अपने–अपने कार्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेदों को दूर किया जा सके केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राज्य कौशल, संयुक्त कार्रवाई और ईमानदारी से सहयोग करके एक समाधान पर पहुंचने के इरादे से आम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। सहयोगात्मक संघवाद में केंद्र और राज्य सरकारों को साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी व्यक्त करनी चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एक कार्यात्मक संविधान में अधिकारियों को किसी भी संघर्ष से बचने के लिए ईमानदारी से चिंता व्यक्त करनी चाहिए। इस अवधारणा को तब ध्यान में रखना होगा जब दोनों अधिकार के स्रोत के रूप में संवैधानिक प्रावधान पर भरोसा करने का इरादा रखते हैं। हम पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि केंद्र और राज्यों दोनों को अपने दायरे में काम करना चाहिए, क्षेत्र और किसी भी अतिक्रमण के बारे में न सोचें। लेकिन उनके क्षेत्रों के भीतर अधिकार के प्रयोग के संदर्भ में परिपक्व राजनीतिक कौशल की धारणा होनी चाहिए ताकि संवैधानिक रूप से प्रदत्त जिम्मेदारियों को उनके द्वारा साझा किया जा सके। इस तरह के दृष्टिकोण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निरंतर और निर्बाध बातचीत की

आवश्यकता होती है। हम जल्दबाजी में यह भी कह सकते हैं कि सहयोगात्मक संघवाद का यह विचार तब और अधिक स्पष्ट हो जाएगा जब हम दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विशेष दर्जे और एक ओर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को और दूसरी ओर उपराज्यपाल को संविधान द्वारा प्रदान की गई शक्ति के सार को समझेंगे।

8) **118.** सहकारी/सहयोगी संघवाद का विचार भी भारत के लिए नया नहीं है। एम.पी. जैन ने अपनी पुस्तक[6] में एक अलग तरीके से इस धारणा को इस प्रकार प्रस्तुत किया है:–

> "यद्यपि संविधान केंद्र को अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान करता है फिर भी वास्तविक व्यवहार में केंद्र अपनी गतिशीलता और पहल को अपनी शक्तियों के प्रदर्शन के माध्यम से नहीं बनाए रख सकता है– जिसका उपयोग केवल एक प्रदर्शन योग्य आवश्यकता में अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए बल्कि चर्चा अनुनय और समझौते की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त राज्यों के सहयोग पर सभी सरकारों को इस आवश्यक बिंदू की सराहना करनी होगी कि वे स्वतंत्र नहीं हैं बल्कि एक–दूसरे पर निर्भर हैं कि उन्हें परस्पर उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि आम भलाई को अधिकतम करने के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए।"

---

6 एम. पी. जैन, भारतीय संघवाद के कुछ पहलू, 1968

9) **119. राजस्थान राज्य और अन्य बनाम भारत संघ**[7] में न्यायालय ने सहकारी संघवाद की अवधारणा का संज्ञान लिया जैसा कि जी. ऑस्टिन और ए.एच. बिर्च ने माना था जब उसने कहाः–

> "श्री ऑस्टिन ने सोचा कि हमारी प्रणाली, अगर इसे संघीय कहा जा सकता है, तो इसे "सहकारी संघवाद" के रूप में वर्णित किया जा सकता है।" इस शब्द का उपयोग एक अन्य लेखक श्री ए.एच. बिर्च (कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में संघवाद वित्त और सामाजिक विधान पृष्ठ 305 देखें) द्वारा एक ऐसी प्रणाली का वर्णन करने के लिए किया गया था जिसमेंः ".....सामान्य और क्षेत्रीय सरकारों के बीच प्रशासनिक सहयोग का अभ्यास, सामान्य सरकारों से भुगतान पर क्षेत्रीय सरकारों की आंशिक निर्भरता और यह तथ्य कि सामान्य सरकारें सशर्त अनुदान अक्सर उन मामलों में विकास को बढ़ावा देते हैं जो संवैधानिक रूप से क्षेत्रों को सौंपे जाते हैं।

10) **120.** हमने संघीय सहयोग की वैचारिक अनिवार्यता पर ध्यान दिया है क्योंकि संवैधानिक दर्शन को बनाए रखने में इसकी सकारात्मक भूमिका है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि यद्यपि ऊपर उल्लिखित अधिकारी "राज्य" शब्द के संवैधानिक अर्थ में भारत संघ और राज्य सरकारों से संबंधित हैं फिर भी यह अवधारणा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए लागू होती है क्योंकि इसका विशेष दर्जा और अनुच्छेद 239 एए और अन्य अनुच्छेदों में नियोजित भाषा है।

---

7 (1978) 1 एससीआर 1

जे. व्यावहारिक संघवादः

11) **121.** इस संदर्भ में हम एक सहायक मुद्दे अर्थात व्यावहारिक संघवाद से भी निपट सकते हैं। उक्त अवधारणा की सराहना करने के लिए हमें संविधान के तहत परिकल्पित संघवाद की प्रकृति का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जाए कि संघवाद की आवश्यक विशेषताए जैसे सरकारों का द्वंद्व केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण संविधान की सर्वोच्चता एक लिखित संविधान का अस्तित्व और सबसे महत्वपूर्ण रूप से संविधान के अंतिम व्याख्याकारों के रूप में न्यायालयों का अधिकार सभी हमारी संवैधानिक योजना के तहत मौजूद हैं। लेकिन साथ ही संविधान की कुछ विशेषताएँ हैं जिन्हें संघीय चरित्र से विचलन के रूप में बहुत अच्छी तरह से माना जा सकता है। संक्षेप में हम इस तथ्य को रेखांकित करने के लिए इनमें से कुछ विशेषताओं का संकेत दे सकते हैं कि हालांकि हमारे संविधान का व्यापक रूप से एक संघीय चरित्र है फिर भी इसमें कुछ उल्लेखनीय एकात्मक विशेषताएं भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं या नामों को बदल या बदल सकती है। आपातकाल के दौरान केंद्रीय संसद को राज्य सूची के तहत मामलों के संबंध में कानून बनाने राज्यों को निर्देश देने और केंद्रीय अधिकारियों को राज्य सूची में मामलों को निष्पादित करने का अधिकार है। इसके अलावा संघ और राज्य के विधियों के बीच विसंगति के प्रकरण में संघ विधि प्रबल होगा। इसके अतिरिक्त किसी राज्य के राज्यपाल को

राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है और राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा एक राज्य विधानमंडल को भंग किया जा सकता है और राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

12) **122.** हमने अपने संविधान की 'अर्ध–संघीय' प्रकृति पर जोर देने के लिए उपरोक्त पहलुओं का उल्लेख किया है, जिसे कई फैसलों में न्यायालयों द्वारा माना गया है। हम कह सकते हैं कि इन सैद्धांतिक अवधारणाओं को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। एस.आर. बोम्मई के मामले में अनुच्छेद 356 की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने यह पाया–

> "यही कारण है कि भारत के संविधान को अलग तरह से वर्णित किया गया है, अधिक उपयुक्त रूप से 'अर्ध–संघीय' के रूप में क्योंकि यह संघीय और एकात्मक तत्वों का मिश्रण है, जो एकात्मक तत्वों की ओर अधिक झुकता है, लेकिन फिर एक नाम में क्या है, जो ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है वह है **अनुच्छेद** 356 और संबंधित प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की शक्ति के दायरे और दायरे के संबंध में विवाद से संबंधित संविधान के विभिन्न प्रावधानों का जोर और परिणाम।"

13) **123.** इस प्रकार किसी प्रावधान के महत्व और निहितार्थ को समझने की आवश्यकता है। इसे अलग तरह से कहने के लिए 'व्यावहारिक संघवाद' की स्वीकृति आज

की आवश्यकता है। एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। उक्त सिद्धांत की स्वीकृति को निर्दोषता में निहित एक सरल घटना के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके विपरीत इसके लिए उन लोगों की ओर से अनुशासित ज्ञान की आवश्यकता होगी जिन्हें इसे सार्थक बनाने की आवश्यकता है। और इसका अर्थ अनिवार्य रूप से व्यावहारिक अभिविन्यास पर आधारित होगा।

14) **124.** भारतीय संदर्भ में 'व्यावहारिक संघवाद' की अभिव्यक्ति न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी द्वारा प्रयोग किया गया है एस.आर. बोम्मई (सुप्रा) में जिसमें वह देखता है:–

> "इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि भारतीय संविधान में न केवल एक व्यावहारिक संघवाद की विशेषताएं हैं जो विधायी शक्तियों का वितरण करते हुए और राज्य और केंद्र सरकारों की सरकारी शक्तियों के क्षेत्रों को इंगित करते हुए दृढ़ता से 'एकात्मक' विशेषताओं से आच्छादित है, विशेष रूप से संसद में अवशिष्ट विधायी शक्तियों को दर्ज करके और केंद्र सरकार में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित कुछ संवैधानिक अधिकारियों की नियुक्ति करने और राज्य सरकारों को उचित निर्देश जारी करने और यहां तक की आपातकालीन स्थितियों में राज्य विधानमंडलों और सरकार को विस्थापित करने की कार्यकारी शक्ति संविधान के **अनुच्छेद** 352 से 360 के अनुसार।"

15) **125.** व्यावहारिक संघवाद की अवधारणा स्वयं व्याख्यात्मक है। यह संघवाद का एक रूप है जो संवेदनशीलता और यथार्थवाद के लक्षणों और विशेषताओं को शामिल करता

है। संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक संघवाद अनुमेय व्यवहार्यता के सिद्धांत पर निर्भर करता है।

16) **126.** यह कहना उपयोगी है कि व्यावहारिक संघवाद में बदलती जरूरतों और स्थितियों के साथ लगातार विकसित होने की अंतर्निहित क्षमता है। व्यावहारिक संघवाद की यही गतिशील प्रकृति है जो हमारे जैसी निकाय राजनीति को अपनाने के लिए उपयुक्त बनाती है। उक्त अवधारणा का सबसे प्रमुख उद्देश्य किसी भी प्रकार के संघीय ढांचे में उभरने वाली समस्याओं के अभिनव समाधान के साथ आना है।

के. संघीय संतुलन की अवधारणाः

17) **127.** हम सोचते हैं कि इस संदर्भ में एक और पूरक अवधारणा "संघीय संतुलन" है। केंद्रीकरण के विपरीत संघवाद एक ऐसी अवधारणा है जो सरकार के एक ऐसे रूप की कल्पना करती है जिसमें राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का वितरण होता है। संघीय सिद्धांत के संरक्षकों द्वारा यह वकालत की गई है कि राज्यों को यथासंभव स्वतंत्रता और स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहिए और कम से कम केंद्र के बराबर होना चाहिए। भारतीय संविधान एक संघीय संरचना निर्धारित करता है जो राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करता है लेकिन केंद्र की ओर थोड़ा झुकाव के साथ। यह अनूठी अर्धसंघीय संरचना संविधान के

विभिन्न प्रावधानों में निहित है जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महसूस किया था और यही कारण है कि अधिकांश मामलों में अवशिष्ट शक्तियां यदि सभी नहीं तो केंद्र के पास बनी हुई हैं। यद्यपि यह बिना शर्त नहीं है क्योंकि संविधान ने केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच एक संघीय संतुलन का प्रावधान किया है ताकि केंद्र द्वारा कोई अनुचित या अनावश्यक हस्तक्षेप न हो जो केंद्र द्वारा राज्यों की शक्तियों में अतिक्रमण का कारण बने। संघीय संतुलन की आवश्यकता है जिसके लिए संवैधानिक प्रावधान की व्यवहार्यता को वास्तविक बनाने के लिए आपसी सम्मान और सम्मान की आवश्यकता होती है।

18) **128.** सॉवर के 'संघीय सिद्धांत' संघीय संतुलन की इस अवधारणा को दोहराते हैं जब वे कहते हैं:–

> "केंद्र की शक्ति, सिद्धांत रूप में कम से कम उन मामलों तक सीमित है जो समग्र रूप से राष्ट्र से संबंधित हैं। इन क्षेत्रों का उद्देश्य अपने स्थानीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए यथासंभव स्वतंत्र होना है।"

19) **129.** सरकार के संघीय रूप में निहित राज्यों के हित सरकार के लोकतांत्रिक रूप में अधिक महत्व प्राप्त करते हैं क्योंकि लोकतंत्र में यह बिल्कुल आवश्यक है कि लोगों की इच्छा

को प्रभावी बनाया जाए। किसी विशेष राज्य/क्षेत्र के लोगों को संघ के शासन के अधीन करना, वह भी उन मामलों के संबंध में जिन्हें किया जा सकता है राज्य स्तर पर सर्वोत्तम कानून बनाना मूल सिद्धांत के विरुद्ध है प्रजातंत्र। संघीय संतुलन का सिद्धांत जो हमारे संविधान में निहित है कई उदाहरणों में दोहराया गया है कि केंद्र और राज्यों को अपने क्षेत्रों के भीतर काम करना चाहिए। **भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत (विशेष संदर्भ संख्या 1)** "**.....**संघवाद की अनिवार्य विशेषता उन निकायों के बीच सीमित कार्यकारी, विधायी और न्यायिक प्राधिकरण का वितरण है जो एक दूसरे के साथ समन्वय और स्वतंत्र हैं। संविधान की सर्वोच्चता एक संघीय राज्य के अस्तित्व के लिए मौलिक है ताकि संघीय इकाई या सदस्य राज्यों की विधायिका को शक्ति के उस नाजुक संतुलन को नष्ट या बाधित करने से रोका जा सके जो राज्यों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करता है जो संघ के इच्छुक हैं, लेकिन अपनी व्यक्तित्व को एकता में विलय करने के लिए तैयार नहीं हैं। संविधान की यह सर्वोच्चता शक्तियों के वितरण की योजना के दुभाषिया के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय के अधिकार द्वारा संरक्षित है।" [रेखांकित करना हमारा है]

20) **130. यूको बैंक बनाम दीपक देबबर्मा**[8] मामले में न्यायालय ने कई टिप्पणियाँ हमारे संविधान के संघीय चरित्र और संघीय संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जिसकी

8 (2017) 2 एस. सी. सी. 585

परिकल्पना हमारे संविधान में केंद्र या राज्यों द्वारा सत्ता के किसी भी दुरूपयोग को रोकने के लिए की गई है। हम इसी को लाभ के साथ पुनः उत्पन्न करते हैं:–

> "संवैधानिक योजना के तहत संघीय संरचना राज्य विधान के किसी विषय पर संसदीय विधान द्वारा किए गए आकस्मिक अतिक्रमण को रद्द करने के लिए भी काम कर सकती है, जहां प्रमुख विधान राज्य विधान है। उपरोक्त संवैधानिक संतुलन को अक्षुण्ण रखने और संघीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को एक सीमित संचालन देने के प्रयास को आई.टी.सी. लिमिटेड बनाम आई.टी.सी. लिमिटेड में रूमा पाल, जे. के सहमत निर्णय में देखा जा सकता है। जिसमें एस.आर. बोमाई बनाम भारत संघ (पैरा 276) के मामले में इस प्रकरण की टिप्पणियों को उद्धृत करने के बाद, विद्वान न्यायाधीश ने निम्नानुसार अवलोकन किया है (रिपोर्ट का पैरा 94):

21) "276. तथ्य यह है कि हमारे संविधान की योजना के तहत राज्यों की तुलना में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की जाती है इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य केवल केंद्र के उपांग हैं। उन्हें आवंटित क्षेत्र के भीतर राज्य सर्वोच्च हैं। केंद्र अपनी शक्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। विशेष रूप से न्यायालयों को एक दृष्टिकोण, एक व्याख्या को नहीं अपनाना चाहिए, जिसका प्रभाव राज्यों के लिए आरक्षित शक्तियों को कम करने का प्रभाव पड़ता है या होता है।"

22) **131.** इस प्रकार संविधान द्वारा अनिवार्य संघीय संतुलन सुनिश्चित करने में न्यायालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यायालय संविधान का अंतिम मध्यस्थ और रक्षक है।

एल. संविधान की व्याख्याः

23) **132.** हम पहले ही कह चुके हैं कि दोनों पक्षों ने अपने दृष्टिकोण को चरम सीमा तक पेश किया है। अध्याय VIII के विभिन्न अनुच्छेदों में प्रयुक्त भाषा, संदर्भ और विभिन्न संवैधानिक अवधारणाओं के संबंध में इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तावित निर्माण को स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसी स्वीकृति दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को एक ऐसा दर्जा प्रदान करेगी जिसकी संसद ने अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए कल्पना नहीं की है। उत्तरदातागण, इसके विपरीत, इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि संवैधानिक संशोधन, 1991 के अधिनियम और कार्य नियमों की शुरूआत से उपराज्यपाल सही मायने में प्रशासक के रूप में कार्य करता है जैसा कि संशोधन के लिए समकालीन दस्तावेजों से पता चलता है। वे कहेंगे कि हालाँकि दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया है, फिर भी यह कोई नया अवतार नहीं लाता है। समर्पण, जैसा कि हम समझते हैं, गर्भधारण के मौलिक मज़ा, अर्थात् विशेष स्थिति को नष्ट कर देता है। वास्तव में यह उपराज्यपाल को कुछ विशेषताओं से सुशोभित करता है और यह बताना चाहता है कि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

वहीं बना हुआ है जहां वह था। चरम दृष्टिकोण पर निर्णय लिया जाना है और निर्णय, जैसा कि हमें लगता है, उन अवधारणाओं पर निर्भर करेगा जिन्हें हम पहले ही जोड़ चुके हैं और आगे हमें संविधान की व्याख्या के सिद्धांतों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा।

24) **133.** एक गतिशील साधन के रूप में संविधान की व्याख्या करने का कार्य लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। संवैधानिक न्यायालयों को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है और इस आवश्यक कार्य को पूरा करते समय वे नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित करने और संरक्षित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, संविधान के मूलभूत आधार बनाने वाले बहुत ही मौलिक सिद्धांतों को बाधित किए बिना नागरिक। यद्यपि, मुख्य रूप से, यह शाब्दिक नियम है जिसे मानक माना जाता है जो वैधानिक और संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते हुए विधि की अदालतों को नियंत्रित करता है, फिर भी शब्दकोश के प्रति निष्ठा या प्रावधान में निहित शब्दों के शाब्दिक अर्थ, कभी–कभी, मार्मिक लचीलेपन और आवश्यक सामाजिक प्रगतिशील समायोजन की गुणवत्ता को नष्ट कर सकते हैं। इस तरह का दृष्टिकोण अंततः एक जीवित दस्तावेज़ के उद्देश्य को कम नहीं कर सकता है।

25) **134.** इस संबंध में हम समझते हैं कि अमेरिकी न्यायविदों और शिक्षाविदों ने संवैधानिक व्याख्या के विज्ञान को प्रासंगिक रूप से कैसे देखा है, इस बारे में एक विहंगम दृष्टिकोण रखना उचित है। आधुनिक संवैधानिक सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसकी

व्याख्या है। संवैधानिक विधि राजनीतिक रूप से संगठित समाज के शासन का एक मौलिक विधि है और यह एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है जिसमें संवैधानिक मानदंडों के अनुप्रयोग के क्षेत्र में निर्णयात्मक प्रक्रिया की भारी जिम्मेदारी होती है। इसके परिणामी परिणामों का लोगों की भलाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार संवैधानिक व्याख्या के सिद्धांत न्यायनिर्णयन की विधि में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। व्याख्या के माध्यम से संवैधानिक व्यवस्था लाने में, न्यायपालिका को अक्सर दो प्रस्तावों का सामना करना पड़ता है– क्या संविधान के प्रावधानों की व्याख्या की जानी चाहिए जैसा कि संविधान के निर्माण के समय समझा गया था, उस समय की परिस्थितियों की परवाह किए बिना जब इसकी व्याख्या की गई थी या क्या संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या समकालीन जरूरतों, अनुभवों और ज्ञान के आलोक में की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, क्या यह ऐतिहासिक व्याख्या या समकालीन व्याख्या होनी चाहिए।[9] ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत ने मुख्य न्यायाधीश टैनी को अपना समर्थक पाया, जिन्होंने ड्रेड स्कॉट बनाम सैनफोर्ड[10] में स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक संविधान वर्तमान रूप में मौजूद है, यह न केवल उन्हीं शब्दों में बोलता है, बल्कि उसी अर्थ और इरादे के साथ भी बोलता है जिसके साथ यह निर्माताओं के हाथों से आया था। न्यायमूर्ति

---

9 बोडेनहाइमर, एडगर, ज्यूरिसपुरूडेंस, (यूनिवर्सल विधि पब्लिशिंग कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड

10 60 यू. एस. (19 कैसे) 393 (1857)

सदरलैंड ने भी इसी तरह की टिप्पणियां की हैं।[11] एक अलग कोण का प्रचार करते हुये **मैककुलोच बनाम मैरीलैंड**[12] में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने कहा है कि अमेरिकी संविधान का उद्देश्य आने वाले युगों के लिए काम करना है और इसे मानव मामलों के विभिन्न संकटों के लिए अपनाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति ह्यूज ने **राज्य बनाम उच्च न्यायालय** [13] में कहा कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन की बदलती स्थितियों को पूरा करने और शामिल करने के लिए की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति होम्स ने कहा कि संवैधानिक शब्दों का अर्थ उनकी उत्पत्ति और उनके विकास की रेखा से प्राप्त किया जाना है।[14] कार्डोजो ने एक बार कहा था:–

> "एक संविधान में बीतते समय के लिए नियम नहीं बल्कि भविष्य के विस्तार के लिए सिद्धांत बताए गए हैं या बताए जाने चाहिए।"[15]

---

11 होम बिल्डिंग एंड लोन एसोसिएशन बनाम ब्लेसडेल, 290 यू. एस. 398 (1934) देखें वेस्ट कोस्ट होटल कंपनी, बनाम पैरिश, 300 यू. एस. 379 (1937) जहां उन्होंने कहा, संविधान का अर्थ आर्थिक घटनाओं के उतार-चढ़ाव और प्रवाह के साथ नहीं बदलता है कि (यदि) संविधान के शब्दों का आज मतलब यह है कि जब लिखा जाता है तो उनका मतलब आवश्यक तत्व के उस साधन को लूटना नहीं हो

12 17 यूएस (4 व्हीट) 316 (1819)

13 राज्य बनाम सुपीरियर न्याया लय (1944) 547

14 गोम्पर्स बनाम यूएस 233 (1914)

15 बेंजामिन एन. कार्डोजो, द नेचर ऑफ द ज्यूडिशियल प्रोसेस, येल यूनिवर्सिटी प्रेस,

26) यह ध्यान रखना दिलचस्प होगा कि न्यायमूर्ति ब्रांडेस ने संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के बीच अंतर करने की कोशिश की। संविधान निर्माताओं ने अपने विवेक से भविष्य की जरूरतों की उचित रूप से परिकल्पना की होगी और संविधान के टिकाऊ ढांचे पर प्रयास किया होगा। उन्होंने संविधान को इतना कठोर नहीं बनाया होगा कि भविष्य को प्रभावित कर सके। व्याख्या के माध्यम से संविधान के प्रावधानों के संशोधन और विध्वंस के बीच अंतर है। विचार यह है कि पर्याप्त लोच है लेकिन व्याख्या द्वारा मौलिक परिवर्तनों की परिकल्पना नहीं की गई है। इस प्रकार कुछ नियमों या प्रवर्धनों के प्रावधानों को पढ़ने की संभावना है जिन पर सीधे तौर पर विचार नहीं किया जाता है। एक और पहलू यह है कि स्वतंत्रतावादी का निरंकुशता सिद्धांत कभी भी प्रतिबंधों को उन स्वतंत्रताओं में पढ़ने की अनुमति नहीं देता है जिनका संविधान में पहले से उल्लेख नहीं है।

27) **135.** दोहराने की कीमत पर हमारा संविधान एक जैविक और जीवित दस्तावेज है। इसमें ऐसे शब्द हैं जिनमें संभावित रूप से कई अवधारणाएँ हैं। आर.सी. पौड्याल बनाम भारत संघ के निम्नलिखित अंश से यह स्पष्ट है:–

> “एक संवैधानिक दस्तावेज़ की व्याख्या में, "शब्द हैं लेकिन अवधारणाओं और अवधारणाओं का ढांचा शब्दों से अधिक बदल सकता है।" अवधारणाओं के परिवर्तन का महत्व स्वयं महत्वपूर्ण है और संवैधानिक मुद्दों को उनके विकास की रेखा को स्वीकार किए बिना शब्दों के अर्थ के लिए केवल अपील से हल नहीं किया जाता है। यह उचित रूप

से कहा जाता है कि "संविधान का उद्देश्य विवरण उत्कीर्ण करने के बजाय सिद्धांतों की रूपरेखा बनाना है।"

28) **136.** प्रोफेसर रिचर्ड एच. फॉलन ने अपने प्रसिद्ध कार्य[16] में व्याख्यात्मक विचारों के पांच अलग–अलग हिस्सों की पहचान की है जिन्हें न्यायाधीशों द्वारा संविधान की व्याख्या करते समय ध्यान में रखा जाएगा। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:–

> "संवैधानिक पाठ के स्पष्ट, आवश्यक या अर्थ से तर्क; निर्माताओं के इरादे के बारे में तर्क; संवैधानिक सिद्धांत के तर्क जो परिकल्पना किए गए उद्देश्यों से तर्क करते हैं जो या तो विशेष संवैधानिक प्रावधानों या समग्र रूप से संवैधानिक पाठ की सबसे अच्छी व्याख्या करते हैं; न्यायिक मिसाल पर आधारित तर्क; और उन तर्कों को महत्व देते हैं जो न्याय और सामाजिक नीति के बारे में दावों का दावा करते हैं।"[17]

29) **137.** क़ानून की व्याख्या के कार्य की तुलना संगीत के स्वरों की व्याख्या से करते हुए, जज हैंड ने हेल्वरिंग प्रकरण.

ग्रेगरी कहा:–

---

16 रिचर्ड एच. फॉलन, "ए कंस्ट्रक्टिविस्ट कोहेरेन्स थ्योरी ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल इंटरप्रिटेशन", हार्वर्ड विधि पुनर्विलोकन एसोसिएशन, 1987

17 100 हार्व। एल. आरईवी। 1189, 1189–90 (1987)।10 61 69 एफ. 2 डी 809,810–2 (1934)

"एक दण्ड का अर्थ अलग–अलग शब्दों से अधिक हो सकता है, क्योंकि एक राग शब्दों से अधिक होता है।"

30) **138.** जेरोम एन. फ्रैंक[18] ने न्यायाधीशों को विवेक की अनुमति देने में जनता के संबंधित कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है:–

"एक "बुद्धिमान संगीतकार" एक कलाकार से अपने स्कोर की व्याख्या करने में शाब्दिक अर्थ को पार करने की उम्मीद करता है; एक बुद्धिमान जनता को एक न्यायाधीश को ऐसा करने की अनुमति देनी चाहिए।"

31) **139.** संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय विवेकाधिकार की गुंजाइश न्यायाधीशों को एक सूत्र के साथ आने की स्वतंत्रता देती है जो संवैधानिक उपदेशों के अनुरूप है और साथ ही साथ मुद्दे में संघर्ष को हल करता है। **एस.आर. बोम्मई** के प्रकरण में की गई निम्नलिखित टिप्पणियाँ उपरोक्त धारणा पर प्रकाश डालती हैं:–

"संवैधानिक निर्णय लेना किसी अन्य निर्णय लेने की तरह नहीं है। प्रत्येक प्रमुख संवैधानिक मामले में एक नैतिक आयाम होता है; जरूरी नहीं कि पाठ की भाषा एक नियंत्रण कारक हो। हमारा संविधान अपनी सामान्यताओं के कारण और इसकी व्याख्या करते समय न्यायाधीशों की अच्छी समझ के कारण काम करता है। यह न्यायाधीशों की

18 जेरोम एन. फ्रैंक, "शब्द और संगीतःसांविधिक व्याख्या पर कुछ टिप्पणियां ", कोलंबिया विधि पुनर्विलोकन 47 (1947):1259–1367

कार्रवाई की सूचित स्वतंत्रता है जो शासन के हमारे मूल दस्तावेज को संरक्षित और संरक्षित करने में मदद करती है।"

32) **140.** यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों को इस विचार के प्रति सचेत रहना चाहिए कि संविधान का उद्देश्य कभी भी एक कठोर और कठोर दस्तावेज बनना नहीं था बल्कि उसमें निहित अवधारणाओं को समय के साथ स्थिति की जरूरतों और मांगों के अनुसार विकसित करना है। यद्यपि वैधानिक नियम व्याख्या एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकती है, फिर भी संवैधानिक अदालतों को ऐसा नहीं करना चाहिए की इन सिद्धांतों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसे भूल जाये कि जब प्रश्नगत विवाद किसी संवैधानिक प्रावधान से उत्पन्न होता है तो उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी समाधान निकालना है।

33) **141.** सुप्रीम कोर्ट **एडवोकेट्स–ऑन–रिकॉर्ड एसोसिएशन** में न्यायालय ने संविधान के सुई जेनरिस के प्रकृतियों को स्वीकारते हुए ये पाया कि–

"संवैधानिक प्रावधानों को तकनीकी निर्माण द्वारा कम नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसकी उदार और सार्थक व्याख्या की जानी चाहिए। विधानों की व्याख्या करने में सहायता के लिए लाए गए सामान्य नियमों और धारणाओं को संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते समय लागू नहीं किया जा सकता है। गृह मंत्री बनाम फिशर (1979) 3 एईआर 21 में बरमूडियन संविधान से संबंधित, लॉर्ड विल्बरफोर्स ने दोहराया कि

संविधान एक दस्तावेज है "सुई जेनरिस, जो अपने स्वयं के व्याख्या के सिद्धांतों का आह्वान करता है, जो इसके चरित्र के लिए उपयुक्त है"।

34) **142. हंटर बनाम साउथम इंक**[19] में डिक्सन, कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने संवैधानिक व्याख्या से संबंधित सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की:–

> "संविधान की व्याख्या करने का कार्य कानून बनाने से काफी अलग होता है। एक क़ानून वर्तमान अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है। इसे आसानी से लागू किया जाता है और उतनी ही आसानी से निरस्त किया जाता है। इसके विपरीत, एक संविधान का प्रारूपण भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। इसका कार्य सरकारी शक्ति के वैध प्रयोग के लिए एक निरंतर ढांचा प्रदान करना है और जब किसी विधेयक या विधेयक के साथ जोड़ा जाता है तब व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं के निरंतर संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। एक बार अधिनियमित होने के बाद इसके प्रावधानों को आसानी से निरस्त या संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसे समय के साथ विकास और उत्थान करने में सक्षम होना चाहिए ताकि नई सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक वास्तविकताओं का सामना किया जा सके जिनकी अक्सर इसके निर्माताओं द्वारा कल्पना नहीं की जाती है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और इसके प्रावधानों की व्याख्या करते समय इन विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रोफेसर पॉल फ्रायंड ने इस विचार को उचित रूप से व्यक्त किया जब उन्होंने अमेरिकी अदालतों को चेतावनी दी कि 'संविधान के प्रावधानों को अंतिम वसीयत और वसीयतनामा की तरह न पढ़ें ताकि यह एक बन जाए।"

---

19 [1984] 2 एससीआर 145

35) **143.** कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस दृष्टिकोण को दोहराया जब उसने कहा कि 'अनुचित' का अर्थ एक शब्दकोश का सहारा लेकर या उस मामले के लिए, वैधानिक निर्माण के नियमों के संदर्भ में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि संविधान की व्याख्या करने का कार्य एक कानून का अर्थ लगाने से मूल रूप से अलग है, क्योंकि एक कानून वर्तमान अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है और आसानी से अधिनियमित और आसानी से निरस्त किया जाता है, जबकि एक संविधान का प्रारूपण भविष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है और इसका कार्य सरकारी शक्ति के वैध प्रयोग के लिए एक निरंतर ढांचा प्रदान करना है। इसके अलावा न्यायायलय ने कहा कि एक बार अधिनियमित होने के बाद संवैधानिक प्रावधानों को आसानी से निरस्त या संशोधित नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसे समय के साथ नई सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक वास्तविकताओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए, जो अक्सर इसके निर्माताओं द्वारा कल्पना नहीं की जाती हैं और न्यायपालिका, संविधान की संरक्षक होने के नाते, इसकी व्याख्या करते समय इन विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायाधीशों को प्रोफेसर पॉल फ्रायंड की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए जब उन्होंने कहा था कि न्यायाधीशों की भूमिका "संविधान के प्रावधानों को अंतिम वसीयत और वसीयतनामा की तरह पढ़ना नहीं है, ऐसा न हो कि यह एक हो जाए।"

36) **144.** यह विचार **1930** में विधिक प्रणाली में बहुत पहले व्याप्त हो गया था जब **एडवर्ड्स बनाम कनाडा के अटॉर्नी जनरल**[20] में लॉर्ड सेंकी एल.सी. के माध्यम से प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि संविधान को "अपनी प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विकास और विस्तार में सक्षम एक जीवित पेड़" के रूप में देखा जाना चाहिए।

37) **145.** प्रोफेसर पियरे–आंद्रे कोटे ने अपनी पुस्तक[21] में यह कहते हुए कार्रवाई आधारित दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला है कि यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि विधिक व्याख्या की प्रक्रिया का अंतिम लक्ष्य संघर्षों और मुद्दों का समाधान है। उनके शब्दों को दोहराना उपयुक्त होगाः–

> "कानूनी व्याख्या केवल ऐतिहासिक सत्य की खोज से परे है। न्यायाधीश, विशेष रूप से, किसी क़ानून की व्याख्या केवल उन विचारों को पुनर्जीवित करने के बौद्धिक आनंद के लिए नहीं करता है जो उस समय प्रचलित थे जब अधिनियम का प्रारूपण तैयार किया गया था। वह इसे कार्य पर नजर रखते हुए व्याख्या करता हैः कानून का अनुप्रयोग। इस प्रकार विधिक व्याख्या अक्सर एक "व्याख्यात्मक कार्रवाई" होती है, जो ठोस मुद्दों के समाधान से जुड़ी होती है।"

एम. उद्देश्यपूर्ण व्याख्याः

---

20 [1930] ए. सी. 124,136

21 पियरे–आंद्रे कोटे, कनाडा में कानून की व्याख्या 2nd एड (कोवांसविलेक्यूबेकः लेस एडिशन यवोन ब्लाइस।इंक. 1992)

38) **146.** संवैधानिक व्याख्या से संबंधित सिद्धांतों को बताने के बाद, जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, हम संदर्भ में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के लिए कुछ जगह देना उचित समझते हैं, क्योंकि हम मूल विवाद को समझने के लिए उक्त पहलू का उल्लेख करेंगे। इस बात पर विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ उदाहरणों का संदर्भ अन्य अवधारणाओं और सिद्धांतों के साथ होना चाहिए। जैसा कि यह चर्चा के साथ–साथ ऊपर उल्लिखित अधिकारियों से एकत्र किया जा सकता है, शाब्दिक नियम एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने में प्राथमिक मार्गदर्शक कारक नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से यदि परिणामी परिणाम संविधान में व्यक्त अधिकारों और मूल्यों के फलने–फूलने का काम नहीं करेगा। इस परिदृश्य में, उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत ने महत्व प्राप्त कर लिया है जहां अदालतें संविधान की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण तरीके से करेंगी ताकि इसके सच्चे इरादे को प्रभावी बनाया जा सके। त्रिनिदाद और टोबैगो के महान्यायवादी बनाम व्हाइटमैन[22] में न्यायिक समिति ने देखा हैः–

> "संविधान की भाषा का अर्थ संकीर्ण और कानूनी तरीके से नहीं, बल्कि व्यापक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से लगाया जाता है, ताकि इसकी भावना को प्रभाव दिया जा सके।

22 [1991] 2 एसी 240, 247

39) **147. एस.आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य और अन्य**[23] में, एक तीन–न्यायाधीश पीठ ने राय दी है कि संवैधानिक प्रावधानों को एक उद्देश्य–उन्मुख दृष्टिकोण के साथ समझने और व्याख्या करने की आवश्यकता है और एक संविधान को संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण अर्थों में नहीं लिया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि संविधान सभा की बहसों की सहायता ली जा सकती है, निम्नलिखित टिप्पणी की:–

> "उपयोग किए गए शब्द सामान्य हो सकते हैं, लेकिन उनके पूर्ण महत्व और सही अर्थ को ध्यान में रखते हुए उनकी सराहना की जानी चाहिए जिस संदर्भ में उनका उपयोग किया जाता है और वह उद्देश्य जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं।"

(जोर हमारा है)

40) **148.** न्यायालय ने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोगों की सरकार के लिए एक जीवित ढांचा है जो पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य का प्रदर्शन करता है और इसका सफल कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें निहित लोकतांत्रिक भावना का अक्षर और भावना में सम्मान किया जाता है।

41) **149.** हमने निर्णय के पहले भाग में विधिवत नोट किया है कि न्यायपालिका को भावना को ध्यान में रखते हुए और आगे उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की एक विधि अपनाते हुए संविधान

---

23 (2001) 7 एससीसी 126

की व्याख्या करनी चाहिए। यह न्यायाधीशों पर डाला दायित्व है। **अशोक कुमार गुप्ता और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[24], न्यायालय ने कहा कि संविधान की व्याख्या करते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि चौड़ाई के शब्द प्रस्तावना में लक्ष्यों के लिए अवधारणाओं और साधनों का एक ढांचा हैं और अधिकारों का विस्तार और विस्तार करने के लिए अवधारणाएं बदलती रह सकती हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि संवैधानिक मुद्दों को उनके विकास की रेखा को स्वीकार किए बिना केवल शब्दों के अर्थ की अपील से हल नहीं किया जाता है और इसलिए, न्यायाधीशों को संविधान और अधिनियम की गतिशील अवधारणाओं की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपने व्याख्यात्मक शस्त्रागार के साथ अपनाना चाहिए ताकि उस समय की महसूस की गई आवश्यकताओं को स्पष्ट किया जा सके। अंत में, न्यायालय ने कहा:–

> "विधि का अर्थ निकालने के लिए व्यक्ति को इसकी भावना, इसकी स्थापना और इतिहास में प्रवेश करना चाहिए।"

---

24 (1997) 5 SCC 201

42) **150. भारतीय चिकित्सा संघ बनाम भारत संघ और अन्य[25], एम. नागराज बनाम भारत संघ[26]** में निर्णय का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहाः–

> "एम. नागराज में, जे. कपाडिया (जैसा कि वे उस समय कर रहे थे) ने न्यायालय की ओर से बोलते हुए माना कि संवैधानिक निर्णय के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह है कि व्याख्या का तरीका उद्देश्यपूर्ण और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल होना चाहिए कि संविधान आने वाले युगों तक कायम रहे। स्पष्ट रूप से, यह कहा गया था कि "संविधान एक अल्पकालिक विधिक दस्तावेज नहीं है जो बीतते समय के लिए नियमों के एक समूह को शामिल करता है।"

(जोर हमारा है)

43) **151.** संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय संदर्भ पर जोर देने से शाब्दिक नियम से उद्देश्यपूर्ण विधि की ओर इस बदलाव में तेजी आई है ताकि प्रावधान स्थिर और कठोर न रहें। ये शब्द आवश्यकता पड़ने पर वर्तमान मांगों के अनुकूल होने के लिए अलग–अलग अवतार धारण करते हैं। **रेजिना (क्विंटावाले) बनाम स्वास्थ्य राज्य सचिव[27]** में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने फैसला सुनाया किः–

---

25 (2011) 7 SCC 179

26 (2006) 8 SCC 202

27 (2003) यूकेएचएल 13:(2003) 2 एसी 687:(2003) 2 डब्ल्यूएलआर 692 (एचएल)

"पेंडुलम निर्माण के उद्देश्यपूर्ण तरीकों की ओर बढ़ा है। यह परिवर्तन यूरोपीय सामुदायिक न्यायशास्त्र के दूरदर्शी दृष्टिकोण और आम तौर पर यूरोपीय विधिक संस्कृति के प्रभाव से शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यूरोपीय विचारों द्वारा इसे तेज किया गया हैः यद्यपि रिवर वियर कमिश्नर बनाम एडमसन (1877) एलआर 2 एसी 743 में 763 लॉर्ड ब्लैकबर्न द्वारा उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट प्रारंभिक कथन देखें।(एचएल)। किसी भी मामले में, आजकल उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की ओर बदलाव संदेह में नहीं है। योग्यता यह है कि अनुमत उदारता की डिग्री संदर्भ से प्रभावित होती है।..... "

[जोर दिया जाता है]

44) 152. किसी प्रावधान के उद्देश्य और उद्देश्य को निर्धारित करने के महत्व पर जोर देते हुए, लर्नड हैंड, जे. ने **कैबेल बनाम मार्कहम**[28] में कहाः–

"बेशक यह सच है कि उपयोग किए गए शब्द, अपने शाब्दिक अर्थों में भी, किसी भी लेखन के अर्थ की व्याख्या करने के लिए प्राथमिक और आम तौर पर सबसे विश्वसनीय स्रोत हैंः चाहे वह कानून हो, अनुबंध हो या कुछ और। लेकिन यह एक परिपक्व और विकसित न्यायशास्त्र के निश्चित सूचकांकों में से एक है कि शब्दकोश से एक गढ़ नहीं बनाया जाए; लेकिन यह याद रखना कि कानूनों का हमेशा कुछ उद्देश्य या उद्देश्य पूरा करना होता है, जिसकी सहानुभूतिपूर्ण और कल्पनाशील खोज उनके अर्थ के लिए निश्चित मार्गदर्शक है।"

---

28 148 एफ 2 डी 737 (2 डी सिर 1945) एच.

45) **153.** उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के घटकों को इज़राइल के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व राष्ट्रपति अहरोन बराक द्वारा स्पष्ट किया गया है, जो कहते हैं:–

> "उद्देश्यपूर्ण व्याख्या तीन घटकों पर आधारित हैः भाषा, उद्देश्य और विवेक। भाषा शब्दार्थिक संभावनाओं की सीमा को आकार देती है जिसके भीतर दुभाषिया एक भाषाविद् के रूप में कार्य करता है। एक बार दुभाषिया सीमा को परिभाषित करता है, वह (व्यक्त या निहित) शब्दार्थ संभावनाओं में से पाठ का विधिक अर्थ चुनता है। इस प्रकार शब्दार्थ घटक दुभाषिया को एक विधिक अर्थ तक सीमित करके व्याख्या की सीमा निर्धारित करता है जिसे पाठ अपनी (सार्वजनिक या निजी) भाषा में सहन कर सकता है।"[29]

46) **154.** अहरोन बराक द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, न्यायाधीश एक संविधान की व्याख्या उसके उद्देश्य के अनुसार करते हैं जिसमें उन उद्देश्यों, मूल्यों और सिद्धांतों को शामिल किया जाता है जिन्हें संवैधानिक पाठ को वास्तविक बनाने के लिए बनाया गया है। इस उद्देश्य को वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक उद्देश्य में वर्गीकृत करते हुए, वे कहते हैं कि[30]:–

> "व्यक्तिपरक घटक वे लक्ष्य, मूल्य और सिद्धांत हैं जिन्हें संविधान सभा ने संविधान लागू करने के समय इसके माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश की थी। यह संस्थापक पिताओं का मूल उद्देश्य है। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या इस तरह के इरादे को व्यक्तिपरक उद्देश्य के बारे में एक धारणा में अनुवादित करती है, अर्थात, पाठ का अंतिम उद्देश्य अपने

---

29 अहरोन बराक, विधि में सकारात्मक व्याख्या, प्रिंसटन विश्वविद्यालय प्रेस, 2005–विधि

30 आई. बी. आई. डी.

लेखकों के (अमूर्त) इरादे को प्राप्त करना है। यद्यपि पाठ का वस्तुनिष्ठ उद्देश्य भी है– लक्ष्य, मूल्य और सिद्धांत जो संवैधानिक पाठ को व्याख्या के समय आधुनिक लोकतंत्र में प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या इस उद्देश्य को इस धारणा में परिवर्तित करती है कि संविधान का अंतिम उद्देश्य इसका वस्तुनिष्ठ उद्देश्य है।"

[जोर दिया गया]

47) **155.** संविधान की निरंतर बदलती प्रकृति के संदर्भ में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना भी उपयुक्त हैः–

"एक संविधान एक मानक पिरामिड के शीर्ष पर है। यह लंबे समय तक मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया है। इसे आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता है। यह कई खुले भावों का उपयोग करता है। यह लंबे समय तक राज्य के चरित्र को आकार देने के लिए बनाया गया है। यह राज्य के सामाजिक मूल्यों और आकांक्षाओं की नींव रखता है। इस संवैधानिक विशिष्टता को व्यक्त करते हुए, संविधान की व्याख्या करने वाले न्यायाधीश को इसके वस्तुनिष्ठ उद्देश्य और व्युत्पन्न धारणाओं को महत्वपूर्ण महत्व देना चाहिए। व्याख्या के समय संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या समाज की बुनियादी मानक स्थितियों के अनुसार की जानी चाहिए।"

48) **156.** उन्होंने आगे बताया कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या में व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ दोनों उद्देश्यों का अपना महत्व हैः–

"संवैधानिक संस्थापकों का इरादा (अमूर्त व्यक्तिपरक इरादा) महत्वपूर्ण बना हुआ है। वर्तमान को समझने के लिए हमें अतीत की आवश्यकता है। व्यक्तिपरक उद्देश्य अतीत और उसके महत्व का सम्मान करते हुए ऐतिहासिक गहराई प्रदान करता है। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या में, यह उद्देश्य के अनुमान का रूप लेता है जो संविधान की व्याख्या की पूरी प्रक्रिया में तुरंत लागू होता है। यद्यपि यह निर्णायक नहीं है। स्थापना के तुरंत बाद इसका वजन काफी बढ़ जाता है, लेकिन जैसे–जैसे समय बीतता जाता है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। यह संवैधानिक प्रावधान के भविष्य के विकास को रोक नहीं सकता है। यद्यपि संवैधानिक प्रावधान की जड़ें अतीत में हैं, लेकिन इसका उद्देश्य वर्तमान की जरूरतों से निर्धारित होता है, ताकि भविष्य में समस्याओं का समाधान किया जा सके। व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ उद्देश्यों के बीच टकराव में संविधान का वस्तुनिष्ठ उद्देश्य प्रबल होता है। यह तब भी प्रबल होता है जब विश्वसनीय, निश्चित और स्पष्ट साक्ष्य के माध्यम से व्यक्तिपरक उद्देश्य को साबित करना संभव होता है। यद्यपि परस्पर विरोधी उद्देश्यों के बीच विरोधाभासों को हल करने में व्यक्तिपरक उद्देश्य प्रासंगिक रहता है।"[31]

एन. संवैधानिक संस्कृति और व्यावहारिकता

49) 157. "संवैधानिक संस्कृति "उन अवधारणाओं में निहित है जहाँ शब्दों को ठोस परिणामों में बदल दिया जाता है। यह प्रथाओं, संस्थागत व्यवस्थाओं, मानदंडों और विचारों की आदतों की एक परस्पर प्रणाली है जो यह निर्धारित करती है कि हम कौन से प्रश्न पूछते हैं, हम

31 आई. बी. आई. डी.

किन तर्कों को श्रेय देते हैं, हम विवादों को कैसे संसाधित करते हैं और हम उन विवादों को कैसे हल करते हैं।[32]

ई.

50) **158.** 'संवैधानिक संस्कृति' शब्द की वनाच्छादित परिभाषा को मानदंडों और प्रथाओं के समूह के रूप में माना जाना चाहिए जो महान दस्तावेज़ के शब्दों में जीवन की सांस लेते हैं। यह वैचारिक मानक भावना है जो संविधान को एक गतिशील दस्तावेज में बदल देती है। यह संवैधानिक संस्कृति है जो समाज में हो रहे तेजी से और तेजी से होने वाले परिवर्तनों के साथ शब्दों को लगातार आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती है।

51) **159.** संवैधानिक संस्कृति को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी राज्य और जनता के कंधों पर आती है। एक संवैधानिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निष्ठा संप्रभु की रोते हुए आवश्यकता से उपजी है जहाँ यह सुनिश्चित करें कि हमारे समाज की लोकतांत्रिक प्रकृति अडिग रहे और संविधान के मूल सिद्धांत मजबूत मंच पर रहे।

52) **160.** आर.सी. पौडयाल (सुप्रा) में न्यायालय द्वारा पदाधिकारियों एवम् नागरिक पर डाले गए इस कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:–

---

32 एंड्रयू एम. सीगल, संवैधानिक सिद्धांत, संवैधानिक संस्कृति, 18 U.PA.J. कॉन्स्ट।एल. 1067 (2016)

"केवल एक संविधान का अस्तित्व, अपने आप में, संवैधानिकता या संवैधानिक संस्कृति को सुनिश्चित नहीं करता है। यह लोगों की राजनीतिक परिपक्वता और परंपराएं हैं जो एक संविधान के लिए अर्थ लाती हैं जो अन्यथा केवल राजनीतिक आशाओं और आदर्शों का प्रतीक है।"

53) **161.** संवैधानिक न्यायालयों को संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय, इसकी लचीली और विकसित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक संस्कृति को ध्यान में रखना होगा, ताकि प्रावधानों को एक ऐसा अर्थ दिया जा सके जो संविधान के उद्देश्य और उद्देश्य को दर्शाता हो।

54) **162.** इतिहास बताता है कि संवैधानिक संस्कृति की इस भावना को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए न्यायालयों ने व्याख्या का एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है जिसने "संवैधानिक व्यावहारिकता" के युग की शुरुआत की है।

55) **163.** इस संदर्भ में हमारे पास अमेरिकी दृष्टिकोण से कुछ दृष्टिकोण हो सकता है। धारणा यह है कि भाषा एक सामाजिक और प्रासंगिक उद्यम है; जो लोग एक अलग समाज में रहते हैं और भाषा का अलग तरीके से उपयोग करते हैं, वे मूल अर्थ का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं। न्यायमूर्ति ब्रेनन ने देखाः–

"हम वर्तमान न्यायाधीश संविधान को केवल एक ही तरीके से पढ़ते हैं जो हम कर सकते हैंः बीसवीं सदी के अमेरिकियों के रूप में। हम रचना के समय के इतिहास और व्याख्या के बीच के इतिहास को देखते हैं। लेकिन अंतिम प्रश्न यह होना चाहिए कि हमारे समय में पाठ के शब्दों का क्या अर्थ है, क्योंकि संविधान की प्रतिभा किसी भी स्थिर अर्थ में नहीं है जो एक मृत और चली गई दुनिया में हो सकता है, बल्कि वर्तमान समस्याओं और वर्तमान जरूरतों से निपटने के लिए इसके महान सिद्धांतों की अनुकूलन क्षमता में है। अन्य समय के ज्ञान के लिए संवैधानिक बुनियादी बातों का क्या अर्थ था, यह हमारे समय की दृष्टि के लिए उनका माप नहीं हो सकता है। इसी तरह, हमारे लिए उन बुनियादी बातों का क्या अर्थ है, हमारे वंशज सीखेंगे, यह उनके समय की दृष्टि का पैमाना नहीं हो सकता है।"[33]

56) **164.** सर्वोच्च न्यायालय **एडवोकेट्स–ऑन–रिकॉर्ड एसोसिएशन में और अन्य बनाम भारत संघ**[34], न्यायालय ने किसी भी संवैधानिक निकाय के कामकाज को नियंत्रित करने वाली संवैधानिक संस्कृति के पहलू पर जोर देते हुए कहा हैः–

"किसी भी संवैधानिक निकाय का कार्य केवल उचित विधान द्वारा अनुशासित होता है। संविधान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और न ही राज्यपालों या मुख्यमंत्रियों के कामकाज के लिए कोई दिशा–निर्देश नहीं दिए गए हैं। उन्हें सौंपे गए संवैधानिक कर्तव्यों का पालन

33 विलियम जे. ब्रेनन, जूनियर, संयुक्त राज्य का संविधानःसंविधान की व्याख्या में समकालीन अनुसमर्थनः23, 27 पर ओरिजिनल इंटेंट पर बहस (जैक एन. राकोवे एड।, 1990)

34 (2016) 5 एस. सी. सी.

कानून और संवैधानिक संस्कृति द्वारा संरचित है। संविधान के प्रावधानों को अंतिम वसीयत और वसीयतनामा के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है ताकि यह एक हो जाए।"

57) **165.** इसके अलावा न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच एक संतुलन अपरिहार्य है ताकि किसी भी दृष्टिकोण को अपनाते समय उत्पन्न होने वाली किसी भी बेतुकी बात को खारिज करने के लिए एक व्यावहारिक स्थिति पैदा की जा सकेः–

"विधि का शासन विवेकाधिकार के क्षेत्र को न्यूनतम होने की परिकल्पना करता है, जिसमें गैर–मनमानी सुनिश्चित करने के लिए केवल ज्ञात सिद्धांतों या दिशानिर्देशों के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन उस सीमित सीमा तक, विवेकाधिकार एक व्यावहारिक आवश्यकता है। उच्च अधिकारियों पर विवेकाधिकार का उल्लेख करना और जब भी संभव हो, सामूहिक निर्णय की आवश्यकता के द्वारा बहुलता के तत्व को लागू करना, मनमानेपन के खिलाफ आगे की जाँच है। इस तरह से आदर्शवाद और व्यावहारिकता का सामंजस्य और एकीकरण किया जाता है, ताकि प्रणाली को संतोषजनक तरीके से काम करने योग्य बनाया जा सके।

XXX

यह संविधान की व्यावहारिक व्याख्या है जिसे संविधान सभा द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसने दस्तावेज़ में हर विवरण को भरने की आवश्यकता महसूस नहीं की, क्योंकि वास्तव में ऐसा करना संभव नहीं था।"

58) **166. कर्नाटक राज्य में और अन्य बनाम श्री रंगनाथ रेड्डी और अन्य**[35], न्यायालय ने न्यायपालिका के दायित्व और जिम्मेदारी पर जोर दिया था कि वह खुद को कठोर सिद्धांतों या ग्रंथवाद की सीमा तक सीमित न रखे और एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया को अपनाए जो संवैधानिक लक्ष्यों और संवैधानिक संस्कृति को ध्यान में रखेः–

> "जब राष्ट्र के शासन के लिए मौलिक, संवैधानिक संस्कृति और आकांक्षी भविष्य की अभिव्यक्ति करने वाले गूढ़ वाक्यांश, व्याख्यात्मक अंतर्दृष्टि की मांग करते हैं, तो क्या हम केवल ओ. ई. डी. और विदेशी उदाहरणों से परामर्श करने के लिए संतुष्ट रहते हैं, या दर्शन को महसूस करते हैं और संस्थापकों और उनके दूरदर्शी संकाय की दूरदर्शिता को साझा करते हैं ? क्या अर्थ का अर्थ एक कला रहित कला है ? "
>
> और फिर से,
>
> "किसी देश के न्यायशास्त्र के बारे में स्वदेशी का स्पर्श होता है और इसलिए हमारी विधिक धारणाओं पर संवैधानिक लक्ष्यों से जुड़े भारतीय विकासात्मक आयाम की छाप होनी चाहिए।"

59) **167.** संवैधानिक व्यावहारिकता की आवश्यकता पर बल देते हुए, इंद्रा साहनी (सुप्रा) में न्यायालय ने की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया यूनिवर्सिटी में बेंथम क्लब में अपने

---

35 ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 215

अध्यक्षीय भाषण में लॉर्ड रॉकिल लंदन कॉलेज में 29 फरवरी 1984 को "लॉ लॉर्ड्स" विषय पर प्रतिक्रियावादी या सुधारक ?" जो इस प्रकार है:–

"विधि नीति अब सिंहासन पर विराजमान है और मुझे उम्मीद है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सामान्य विधि के विकास को नियंत्रित करने वाले प्रमुख विचारों में से एक बनी रहेगी। इस विकास को अब किस दिशा में ले जाना चाहिए ? मैं ऐसे कई अवसरों के बारे में सोच सकता हूं जिन पर हम सभी ने खुद से कहा है कि "इस प्रकरण में एक नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है–सही नीतिगत निर्णय क्या है ?" इसका उत्तर है, और मुझे आशा है कि आगे भी, उस मार्ग का अनुसरण करना होगा जो समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ सबसे अधिक संगत है, और जिसे विवेकपूर्ण माना जाएगा और उसके बाद व्यावहारिक रूप से लागू करना आसान होगा।इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधि के ज्ञानदाता उन अकादमिक अधिवक्ताओं के लिए लक्ष्य बने रहेंगे जो अपूर्ण व्यावहारिकता के बजाय बौद्धिक पूर्णता की तलाश करेंगे। लेकिन अधिकांश सामान्य विधि और लगभग सभी दण्डिक विधि, जो कुछ लोगों के लिए इसे स्वीकार करना अप्रिय हो सकता है, एक कुंद साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य, चाहे वे इसे पसंद करें या न करें, शासित होते हैं और जिसके अधीन उन्हें जीने की आवश्यकता होती है, और कुंद उपकरण शायद ही कभी बौद्धिक रूप से या अन्यथा परिपूर्ण होते हैं। परिभाषा के अनुसार वे स्पष्ट रूप से काम करते हैं न कि तेजी से।""

[जोर हमारा है]

60) 168. न्यायालय ने यह भी कहाः–

"जो भी हो, एक न्यायाधीश के रूप में बैठने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय किसी को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, लोगों के किसी भी वर्ग की राय के केवल प्रतिबिंबों या समाज में उत्पन्न अशांति या उस समय की भावनाओं द्वारा विवाद के तहत मुद्दे।

हम इस तथ्य के प्रति बहुत जागरूक हैं कि अब हम जिन मुद्दों का सामना कर रहे हैं वे अतिसंवेदनशील, अत्यधिक विस्फोटक और अत्यंत नाजुक हैं। इसलिए, संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या के लिए संवैधानिक निष्पक्षता के अनुरूप अनुमेय न्यायिक रचनात्मकता आवश्यक है ताकि प्रमुख मूल्यों की खोज की जा सके और उन्हें लागू किया जा सके। साथ ही, मुद्दों को बहुत ही व्यावहारिक और यथार्थवादी तरीके से देखने में बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा।

चूँकि यह एक संवैधानिक मुद्दा है, इसलिए इसे सामाजिक और आर्थिक स्थितियों की परवाह किए बिना काल्पनिक पौराणिक कहानियों या गलत दर्शन या घृणित तुलनाओं पर आधारित समूहों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, बल्कि संविधान के प्रति व्यावहारिक, उद्देश्यपूर्ण और मूल्य उन्मुख दृष्टिकोण से किया जा सकता है क्योंकि यह मौलिक विधि है जिसके लिए देश के राजनीतिक ढांचे द्वारा सावधानीपूर्वक संचालन की आवश्यकता होती है और सामाजिक संतुलन को परेशान करने या खतरे में डालने वाले किसी भी विचलन या विचलन को न्यायपालिका द्वारा यथासंभव बहाल किया जाना चाहिए।"

[जोर दिया जाता है]

61) **169.** इससे पहले, भारत संघ बनाम सांकलचंद हिमतलाल सेठ और अन्य में[36], न्यायालय ने कहा था किः– "... एक गतिशील लोकतंत्र में, संविधान द्वारा स्थापित परिवर्तन के लक्ष्यों के साथ, न्यायाधीश, समिति को इस तरह से निर्धारित राष्ट्र के संस्थापक धर्मों और लड़ाई के पंथों को बनाए रखने के लिए, कार्यकारी अहंकार, सामाजिक–आर्थिक दबावों और घोर अस्पष्टता के प्रति लापरवाही बरतनी होगी। यह व्यावसायिक वीरता, जो पेशेवर रूप से आवश्यक है, हमारे संविधान द्वारा न्यायपालिका के इर्द–गिर्द बुनी गई अलंघनीय स्वतंत्रता की मांग करती है। पूर्णता संविधान के निर्माताओं को भी चौंका देती है, लेकिन उपकरणों के बीच संबंधों को विनियमित करने और समन्वय करने वाले एक जैविक दस्तावेज के वैधानिक निर्माण पर, सर्वोच्च न्यायालय को यह याद रखना चाहिए कि विधि, सर्वोच्च लेख सहित, एक सैद्धांतिक, व्यावहारिक, समग्र है। व्यक्तियों, उपकरणों और शक्ति और स्वतंत्रता के खेल में व्यवहार संबंधी जरूरतों और जीवन के मानदंडों के लिए नुस्खा "

62) **170.** उपरोक्त परिच्छेदों में दो दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। पहला, यह न्यायिक रचनात्मकता की अनुमति देता है और दूसरा, यह प्राप्त करने की स्थिति और विवाद के व्यावहारिक यथार्थवाद के प्रति जागरूक होने का उल्लेख करता है। इसके अलावा, व्यवहार संबंधी जरूरतों और जीवन के मानदंडों पर ध्यान देने का सुझाव है। इस प्रकार, रचनात्मकता,

---

36 (1978) 1 एससीआर 423 ए

व्यावहारिक प्रयोज्यता और सामाजिक दृष्टिकोण से वास्तविकता की धारणा एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या की प्रक्रिया के साथ खुद को संलग्न करते हुए वारंट हैं।

ओ. अनुच्छेद 239 और 239 ए की व्याख्याः

63) 171. इस विवाद को हल करने के लिए, यह आवश्यक है कि हम गहराई से खोज करें और अनुच्छेद 239, 239 ए, 239 एए और 239 एबी का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें, जो सभी संविधान के भाग VIII में आते हैं, जिसका शीर्षक 'केंद्र शासित प्रदेश' है।इस उद्देश्य के लिए, आइए हम उपरोक्त अनुच्छेदों को एक–एक करके पुनः प्रस्तुत करें और उनकी व्याख्या करने के अनिवार्य और महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करें।

64) 172. अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए प्रावधान करता है। वह इस प्रकार हैः–

65) "239. केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन।—(1) संसद द्वारा विधि द्वारा उपबंधित, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, उस सीमा तक, जो वह उचित समझे, एक प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा, जिसे उसके द्वारा उस पदनाम के साथ नियुक्त किया जाएगा जिसे वह निर्दिष्ट करे।

(2) भाग VI में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को आस–पास के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकता है, और जहां राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, वह अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करेगा।"

(जोर हमारा है)

66) **173.** उक्त अनुच्छेद को संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, **1956** द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। अनुच्छेद **239** का खंड **(1)**, 'होगा' शब्दों का उपयोग करके, यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जाना है, जब तक कि संसद द्वारा विधि के रूप में अन्यथा प्रावधान न किया जाए। इसके अलावा, अनुच्छेद **239** के खंड **(1)** में यह भी निर्धारित किया गया है कि उक्त प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस पदनाम के साथ की जाएगी जो वह निर्दिष्ट करे।

67) **174.** खंड **(2)** इसके बाद, एक गैर–अस्थाई खंड होने के कारण, यह निर्धारित करता है कि संविधान के भाग VI में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल किसी केंद्र शासित प्रदेश का जो उस राज्य से सटा हुआ और/या सटा हुआ है को

प्रशासक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है जिसका वह राज्यपाल है। किसी राज्य का राज्यपाल, जिसे इस प्रकार किसी निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है, उक्त केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से और स्वायत्त रूप से करेगा, न कि उस राज्य की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार, जिसके वह राज्यपाल हैं।

68) **175.** इस संबंध में न्यायालय ने शमशेर सिंह के मामले में (सुप्रा), ने इस प्रकार प्रेक्षित किया है:–

> "संविधान के वे प्रावधान जो स्पष्ट रूप से राज्यपाल से अपने विवेक से अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की अपेक्षा करते हैं, उन अनुच्छेदों में निहित हैं जिनका संदर्भ दिया गया है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 239 (2) में कहा गया है कि जहां एक राज्यपाल को पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, वह अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करेगा।"

69) **176.** पुनः, न्यायालय ने भारत और अन्य बनाम सुरिंदर एस[37] में अनुच्छेद 239 की व्याख्या करते हुए कहाः–

> "असंशोधित अनुच्छेद 239 में संविधान की पहली अनुसूची के भाग–ग में निर्दिष्ट राज्यों के प्रशासन की परिकल्पना की गई है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के माध्यम से या पड़ोसी राज्य की सरकार के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। यह

37 (2013) 1 एससीसी 403 ए

संविधान के भाग VIII के अन्य प्रावधानों के अधीन था। इसके विपरीत, संशोधित अनुच्छेद 239 में कहा गया है कि संसद द्वारा अधिनियमित किसी भी विधि के अधीन प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से उस पदनाम के साथ किया जाएगा जो वह निर्दिष्ट करे। अनुच्छेद 239 (संशोधित) के खंड (2) के संदर्भ में, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को आस–पास के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और उनकी नियुक्ति पर, राज्यपाल को अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से एक प्रशासक के रूप में अपने कार्य का प्रयोग करना आवश्यक है। असंशोधित और संशोधित अनुच्छेद 239 की भाषा में अंतर यह स्पष्ट करता है कि 1 से पहले, राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल के माध्यम से भाग सी राज्य का प्रशासन कर सकते थे, लेकिन संशोधन के बाद, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाना आवश्यक है।खंड के संदर्भ में 2 अनुच्छेद 239 (संशोधित) के अनुसार, राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल को पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है और एक बार नियुक्त होने के बाद, राज्यपाल को, प्रशासक के रूप में अपनी क्षमता में, उस राज्य की मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करना होता है जिसमें वह राज्यपाल होता है।"

70) **177.** अब, आइए हम संविधान के अनुच्छेद 239 ए को स्कैन करने के लिए आगे बढ़ें जो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानसभाओं या मंत्रिपरिषद या दोनों के निर्माण से संबंधित है। वह इस प्रकार हैः–

"239 क. कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण – (1) संसद विधि द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए बना सकती है –

(क) केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए एक निकाय, चाहे वह निर्वाचित हो या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित, या

(ख) प्रत्येक प्रकरण में ऐसी संविधान, शक्तियों और कार्यों के साथ मंत्री परिषद, या दोनों, जो विधि में निर्दिष्ट किए जाएं।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट कोई भी ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस विधि का संशोधन नहीं मानी जाएगी, भले ही इसमें कोई ऐसा प्रावधान हो जो इस विधि में संशोधन करता हो या जिसका इस विधि में संशोधन करने का प्रभाव हो।"

71) 178. उपरोक्त अनुच्छेद को संविधान (चौदहवाँ संशोधन) अधिनियम, 1962 द्वारा लागू किया गया था। वर्ष 1971 से पहले, अनुच्छेद 239 ए के तहत, संसद को हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा और दमन और दीव के तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधि विधानसभाओं और/या मंत्रिपरिषद द्वारा बनाने की शक्ति थी। इसके बाद, 25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश ने राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया और इसके परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश को अनुच्छेद 239 ए से हटा दिया गया। इसके बाद, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा और मणिपुर को राज्य का दर्जा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप मणिपुर और त्रिपुरा दोनों को अनुच्छेद 239 ए से हटा दिया गया।

72) **179.** इसी तरह, **30** मई **1987** को गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, **1987** के अधिनियमन के साथ, गोवा और दमन और दीव दोनों को अनुच्छेद **239** ए से हटा दिया गया था। संसद ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, **1963** के तहत तत्कालीन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानसभाओं का गठन किया और तदनुसार, **30** मई, **1987** के बाद भी, अनुच्छेद **239** ए की प्रयोज्यता केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी तक ही सीमित है।

73) **180.** एक प्राकृतिक परिणाम के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है। यद्यपि हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से नहीं की जा सकती क्योंकि यह पूरी तरह से अनुच्छेद **239** ए के प्रावधानों द्वारा शासित है।

पी. संविधान के अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या

74) **181.** अब हम संविधान के अनुच्छेद **239** एए और **239** एबी की व्याख्या का व्याख्या करेंगे जो अपीलों के वर्तमान समूह के प्रमुख तत्व हैं। उक्त अनुच्छेदों को संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, **1991** द्वारा अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए उक्त

अनुच्छेदों को सम्मिलित करते समय संसद के सही इरादे का पता लगाने और पता लगाने के लिए एक विस्तृत व्याख्या और गहन विश्लेषण की आवश्यकता है।उक्त लेख इस प्रकार हैं:–

75) "**239 एए. दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान**—(1) के रूप में संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ की तारीख से, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (इसके बाद इस भाग में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में संदर्भित) कहा जाएगा और अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त इसके प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा।

(2)(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी और ऐसी विधानसभा में सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी।

(ख) विधान सभा में सीटों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन (ऐसे विभाजन के आधार सहित) और विधान सभा के कामकाज से संबंधित अन्य सभी मामलों को संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(ग) अनुच्छेद 324 से 327 और 329 के प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे किसी राज्य, क्रमशः किसी राज्य की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं; और अनुच्छेद 326 और 329 में संदर्भ "उपयुक्त विधानमंडल" के लिए को संसद के लिए एक संदर्भ माना जाएगा।

(3) (क) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विधान सभा को राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी, जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, राज्य सूची की प्रविष्टियों 1,2 और 18 और उस सूची की प्रविष्टियों 64, 65 और 66 के संबंध में मामलों को छोड़कर जहां तक वे उक्त प्रविष्टियों 1,2 और 18 से संबंधित हैं।

(ख) उपखंड (क) की कोई भी बात इस संविधान के तहत किसी केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्तियों का हनन नहीं करेगी।

(ग) यदि किसी विषय के विधि में विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध उस विषय के विधि में संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के प्रतिकूल है, चाहे वह विधान

सभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या बाद में पारित किया गया हो, या विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न किसी पूर्ववर्ती विधि का, तो दोनों ही मामलों में, संसद द्वारा बनाई गई विधि, यथास्थिति, ऐसी पूर्ववर्ती विधि प्रबल होगी और विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि, तिरस्कार की सीमा तक, शून्य होगीः

परंतु यदि विधि सभा द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित की गई है और उसे उसकी सहमति मिल गई है, तो ऐसी विधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रबल होगीः

परंतु इस उपखंड की कोई भी बात संसद को किसी भी समय एक ही मामले के संबंध में कोई भी विधि बनाने से नहीं रोकेगी, जिसमें विधान सभा द्वारा इस तरह बनाए गए विधि को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या निरस्त करने वाली विधि भी शामिल है।

(4) विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होने वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री उन मामलों के संबंध में उपराज्यपाल को अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए होंगे जिनके संबंध में विधान सभा के पास है विधि बनाने की शक्ति, सिवाय इसके कि जहाँ तक वह किसी विधि द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने के लिए अपेक्षित हैः

बशर्ते कि किसी मामले पर उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में, उपराज्यपाल इसे राष्ट्रपति को निर्णय के लिए भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा और ऐसा निर्णय आने तक यह उपराज्यपाल के लिए किसी भी मामले में सक्षम होगा जहां प्रकरण, उसकी राय में, इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना, ऐसी कार्रवाई करना या मामले में ऐसा निर्देश देना आवश्यक है जो वह आवश्यक समझे।

(5) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद धारण करेंगे।

(6) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

(7) (क) विधि द्वारा, पूर्वगामी खंडों में निहित प्रावधानों को प्रभावी बनाने या पूरक बनाने के लिए और उनके सभी आनुषंगिक या परिणामी मामलों के लिए प्रावधान कर सकती है।

(ख) ऐसी कोई विधि जो उपखंड (क) में निर्दिष्ट है, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस विधि का संशोधन नहीं मानी जाएगी, इसके बावजूद कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान है जो इस विधि में संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है।

(8) अनुच्छेद 239 ख के प्रावधान, जहां तक हो सके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उपराज्यपाल और विधान सभा के संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, क्रमशः प्रशासक और उसके विधानमंडल के संबंध में लागू होते हैं; और उस अनुच्छेद में "अनुच्छेद 239 क के खंड (1)" के किसी भी संदर्भ को इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 239 एबी का संदर्भ माना जाएगा, जैसा भी प्रकरण हो।

239 *एबी. संवैधानिक विफलता के प्रकरण में प्रावधान मशीनरी*—यदि राष्ट्रपति, उपराज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा संतुष्ट हो जाता है–

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के अनुसार नहीं किया जा सकता है; या

(ख) कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 239 एए के किसी भी प्रावधान या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी भी विधि के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है और ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट की जाएं और ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान कर सकता है जो उसे अनुच्छेद

239 और अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

[जोर दिया गया]

76) 182. हम संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का कथन करना उचित समझते हैं जो इस प्रकार हैः–

> "केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था के पुनर्गठन का प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार ने दिल्ली के प्रशासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गौर करने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए अन्य उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने इस मामले में बहुत विस्तार से चर्चा की और विभिन्न व्यक्तियों, संघों, राजनीतिक दलों और अन्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने और अन्य देशों की राष्ट्रीय राजधानियों में एक संघीय व्यवस्था और संविधान सभा में बहस के साथ–साथ पिछली समितियों और आयोगों की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए मुद्दों पर विचार किया। इस तरह की विस्तृत परीक्षा और परीक्षा के बाद, इसने सिफारिश की कि दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए और आम आदमी के लिए चिंता के मामलों से निपटने के लिए उचित शक्तियों के साथ ऐसी विधानसभा के लिए जिम्मेदार एक विधान सभा और एक मंत्रिपरिषद प्रदान की जानी चाहिए।समिति ने यह भी सिफारिश की कि स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी को केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक विशेष दर्जा देने के लिए संविधान में व्यवस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

2. विधेयक उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।"

उपरोक्त, जैसा कि हम समझते हैं, वास्तव में दिल्ली को विशेष दर्जा देने की कल्पना करता है। जब हम अनुच्छेद 239 एए और अन्य लेखों के व्याख्यात्मक विच्छेदन में प्रवेश करते हैं जो उक्त प्रावधान को समझने के लिए उपयुक्त हैं तो इस मौलिक व्याकरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

प्र. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थितिः

77) **183.** दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को विशेष दर्जा देने के इर्द–गिर्द केंद्रित पहला प्रस्ताव यह है कि यह कुछ विधायी मामलों से संबंधित बनाए गए प्रतिबंध को छोड़कर सभी उद्देश्यों के लिए एक राज्य है। आधारशिला को संवैधानिक संशोधन के उद्देश्य, दिल्ली के निवासियों को संवैधानिक आश्वासन और संविधान के अनुच्छेद 239 एए के उप–अनुच्छेद 3 (ए) में नियोजित भाषा पर भारी निर्भरता रखते हुए संरचित किया गया है। हम पहले ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और बालकृष्णन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का उल्लेख कर चुके हैं।

78) **184.** श्री मनिंदर सिंह, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, तर्क देते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों और 1991 के अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने के

लिए समिति की रिपोर्ट की सहायता और सहायता पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने उक्त उद्देश्य के लिए कुछ अधिकारियों को संदर्भित किया है। हम बाद में उक्त अधिकारियों को संदर्भित करेंगे। सबसे पहले, हम सोचते हैं कि यह इस मुद्दे का विज्ञापन करने के लिए प्रतीत होता है कि क्या दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को उस अर्थ में एक राज्य कहा जा सकता है जिसमें संविधान किसी से समझने की अपेक्षा करता है। उक्त भूलभुलैया को पहले साफ करना होगा।

79) **185.** अब हम शमशेर सिंह मामले में फैसले पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं (सुप्रा): मुद्दा राष्ट्रपति की भूमिका और संवैधानिक स्थिति के इर्द–गिर्द केंद्रित था। उस संदर्भ में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं और संविधान में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना या उसके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्य करेंगे। इसके अलावा न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल उन मामलों में अपनी मर्जी से कार्य कर सकते हैं जहां उन्हें संविधान में निर्दिष्ट अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता होती है और यहां तक कि उक्त विवेक का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के साथ सद्भाव में कार्य करने की आवश्यकता होती है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की, जैसा कि उक्त प्रकरण में माना गया है, कुछ अवसरों पर एक विशिष्ट भूमिका है।

हम, इस संदर्भ में, कृष्ण अय्यर, जे. की राय से कुछ अंशों को नीचे पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं:–

"राज्य स्तर पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की सर्वशक्तिमानता–हमारे मौलिक विधि के पृष्ठों में इस स्पष्ट इरादे के साथ अंकित की गई है कि जहां भी शक्तियों या कार्यों का स्पष्ट प्रत्यर्पण लेखों में लिखा जाता है, वहां भी इस तरह के कार्य को विधानमंडल के प्रति जवाबदेह मंत्रालय द्वारा निर्णायक रूप से और इसके माध्यम से लोगों के प्रति परोक्ष रूप से निराकरण जाना चाहिए, इस प्रकार हमारे लोकतंत्र को एक एकल शिखर आत्मा को सौंपने के बजाय सही ठहराया जा सकता है, जिसका देवताकरण हमारी राजनीतिक वास्तुकला की मूल बातों के साथ असंगत है–ऐसा न हो कि राष्ट्रीय चुनाव मृत सागर के फल बन जाएं, विधायी अंग ध्वनि और रोष से भरे लेबल बन जाएं जो कुछ भी नहीं दर्शाते हैं और मंत्रिपरिषद को लोक सभा के प्रति जिम्मेदारी और जनता के समक्ष समर्पण की दुविधा में डाल दिया जाता है। हमारे जैसे संसदीय शैली के गणराज्य इस प्रक्रिया से अपने आत्म–परिसमापन की अवधारणा नहीं बना सकते थे। इसके विपरीत, लोगों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए लोकतांत्रिक पूंजी–निर्माण केवल कैबिनेट–हाउस–चुनाव के तंत्र को सशक्त करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

<u>हम अपने संविधान की इस शाखा के विधि को यह घोषित करते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, विभिन्न अनुच्छेदों के तहत सभी कार्यपालिका और अन्य शक्तियों के संरक्षक, इन</u>

प्रावधानों के आधार पर, अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग केवल अपने मंत्रियों की सलाह पर और उनके अनुसार करेंगे, सिवाय कुछ प्रसिद्ध असाधारण परिस्थितियों के। हठधर्मी या व्यापक हुए बिना, ये स्थितियाँ (क) प्रधान मंत्री (मुख्यमंत्री) की पसंद से संबंधित हैं, जो प्रतिबंधित है, हालांकि यह विकल्प सर्वोपरि विचार से है कि उन्हें सदन में बहुमत हासिल करना चाहिए; (ख) एक ऐसी सरकार की बर्खास्तगी जिसने सदन में अपना बहुमत खो दिया है, लेकिन पद छोड़ने से इनकार कर दिया है; (ग) सदन का विघटन जहां देश के लिए एक अपील आवश्यक है, हालांकि इस क्षेत्र में राज्य के प्रमुख को राजनीति में शामिल होने से बचना चाहिए और उन्हें अपने प्रधान मंत्री (मुख्यमंत्री) द्वारा सलाह दी जानी चाहिए जो अंततः इस कदम की जिम्मेदारी लेंगे। हम इन संकटों में संवैधानिक औचित्य की विस्तार से जांच नहीं करते हैं, सिवाय इस सावधानी के कि यहां भी कार्रवाई लोकतंत्र के लिए खतरे और लोकतंत्र के खिलाफ अपील के कारण की जानी चाहिए, सदन या देश को स्पष्ट रूप से अनिवार्य होना चाहिए। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि शाही सहमति के संबंध में डी स्मिथ का कथन भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए अच्छा हैः

> "इस आधार पर शाही सहमति से इनकार करना कि सम्राट ने किसी विधेयक को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया था या यह कि यह अत्यधिक विवादास्पद था, फिर भी असंवैधानिक होगा। जिन परिस्थितियों में शाही सहमति को रोकना न्यायोचित हो सकता है, वे हैं यदि सरकार स्वयं इस तरह के पाठ्यक्रम की सलाह देती है–एक अत्यधिक असंभव

आकस्मिकता–या संभवतः यदि यह कुख्यात था कि कोई विधेयक अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की अवहेलना में पारित किया गया था; लेकिन चूंकि बाद की स्थिति में सरकार की राय होगी कि एक बार स्वीकृति मिलने के बाद विचलन उपाय की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। विवेक सहमति देने का सुझाव देगा।"

[जोर दिया गया]

80) **186.** इसके अलावा, ए.एन. रे, सी.जे., शमशेर सिंह (सुप्रा) में, है इस प्रकार कहा गया है:

"अनुच्छेद 163 (1) में कहा गया है कि राज्यपाल को इस संविधान द्वारा या उसके तहत अपने या उनमें से किसी भी कार्य को अपने विवेक से करने के लिए अपेक्षित कार्यों को करने में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 163 (2) में कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई मामला ऐसा विषय है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से इस संविधान द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो राज्यपाल का निर्णय अपने विवेक से अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि उसे अपने विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। कार्यों के प्रयोग के संबंध में "अपने विवेक से" शब्दों को निकालते हुए, अपीलकर्ताओं का तर्क है कि मंत्रिपरिषद कार्यकारी कार्यों में राज्यपाल की सहायता और सलाह दे सकती है, लेकिन राज्यपाल

व्यक्तिगत रूप से और व्यक्तिगत रूप से अपने विवेक से राज्य न्यायिक सेवा और अन्य राज्य सेवाओं में अधिकारियों की नियुक्ति और हटाने के संवैधानिक कार्यों का प्रयोग करेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि अनुच्छेद 74 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74 में अनुच्छेद ए की तुलना में कोई प्रावधान नहीं है 163 कि सहायता और सलाह को छोड़कर जहाँ तक उसे अपने कार्यों या उनमें से किसी भी कार्य को अपने विवेक से करने की आवश्यकता है। यह पता लगाना आवश्यक है कि राज्यपाल की कुछ शक्तियों के संबंध में 'उनके विवेकानुसार' शब्दों का उपयोग क्यों किया जाता है, न कि राष्ट्रपति के प्रकरण में। संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 143 संविधान में अनुच्छेद 163 बन गया। अनुच्छेद 144 (6) में संविधान के मसौदे में कहा गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी के संबंध में अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के कार्यों का प्रयोग वह अपने विवेक से करेगा। प्रारूपण अनुच्छेद 144 (6) को पूरी तरह से हटा दिया गया था जब अनुच्छेद 144 संविधान में अनुच्छेद 164 बन गया था। पुनः अनुच्छेद 153 (3) के मसौदे में कहा गया है कि अनुच्छेद के खंड (2) के खंड (ए) और (सी) के तहत राज्यपाल के कार्यों का प्रयोग वह अपने विवेक से करेगा। प्रारूपण अनुच्छेद 153 (3) को पूरी तरह से हटा दिया गया था जब यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 174 बन गया था। अनुच्छेद 175 (परंतुक) के मसौदे में कहा गया है कि राज्यपाल "अपने विवेक से एक

संदेश के साथ विधेयक को वापस कर सकते हैं जिसमें अनुरोध किया गया है कि सदन विधेयक पर पुनर्विचार करेगा।" वे शब्द जो "राज्यपाल अपने विवेक से" हटा दिए गए थे जब यह अनुच्छेद 200 बन गया। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल एक संदेश के साथ विधेयक को वापस कर सकते हैं जिसमें अनुरोध किया गया है कि सदन विधेयक पर पुनर्विचार करेगा। प्रारूपण अनुच्छेद 188 गंभीर आपात स्थितियों के प्रकरण में प्रावधानों से संबंधित है, प्रारूपण अनुच्छेद 188 में खंड (1) और (4) का उपयोग राज्यपाल द्वारा शक्ति के प्रयोग के संबंध में अपने विवेक से किया जाता है। अनुच्छेद 188 के मसौदे को पूरी तरह से हटा दिया गया था अनुच्छेद 285 (1) और (2) जो लोक सेवा आयोग की संरचना और कर्मचारियों से संबंधित है, ने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और विनियमन बनाने के संबंध में राज्यपाल द्वारा शक्ति के प्रयोग के संबंध में "अपने विवेक से" अभिव्यक्ति का उपयोग किया। राज्यपाल द्वारा शक्ति के प्रयोग के संबंध में "अपने विवेक से" शब्दों को हटा दिया गया था जब यह अनुच्छेद 316 बन गया था।जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और प्रस्तावों के निरसन या निलंबन या निलंबन से संबंधित छठी अनुसूची के पैराग्राफ 15 (3) में कहा गया था कि पैराग्राफ के तहत राज्यपाल के कार्यों का प्रयोग वह अपने विवेक से करेगा।छठी अनुसूची के अनुच्छेद 15 के उप–अनुच्छेद 3 को संविधान के अधिनियमन के समय हटा दिया गया था।

इसलिए, इन सचित्र प्रारूपण लेखों की पृष्ठभूमि में यह समझा जाता है कि संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 143 क्यों हमारे संविधान में अनुच्छेद 163 ने राज्यपाल की कुछ शक्तियों के संबंध में "अपने विवेक से" अभिव्यक्ति का उपयोग किया।"

[जोर दिया गया]

81) **187.** इसके बाद, ए. एन. रे, सी. जे. ने संविधान के प्रावधानों के साथ–साथ छठी अनुसूची के कुछ पैराग्राफ पर चर्चा की, जिसमें राज्यपाल की कुछ शक्तियों के संबंध में "अपने विवेक से" शब्दों का उपयोग इस तथ्य को उजागर करने के लिए किया जाता है कि राज्यपाल अपने विवेक से तभी कार्य कर सकता है जब संविधान के प्रावधान इसकी अनुमति देते हैं।

82) **188.** इस संदर्भ में, हम प्राधिकरण को लाभ के साथ संदर्भित कर सकते हैं **देवजी वल्लभभाई टंडेल और अन्य बनाम गोवा के प्रशासक, दमन और दीव और अन्य** उक्त प्रकरण में, विचार के लिए जो मुद्दा उठा वह यह था कि क्या केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 के तहत निर्धारित प्रशासक की भूमिका और कार्य किसी राज्य के राज्यपाल के समान हैं और इस तरह, क्या प्रशासक को मंत्रिपरिषद की "सहायता और सलाह" पर कार्य करना है। न्यायालय ने सुसंगत प्रावधानों पर विचार किया और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम, 1963 की धारा 44 की भाषा के साथ संविधान के अनुच्छेद 74 और 163 की भाषा की तुलना करने के बाद यह कहा

कि प्रशासक, उन मामलों में भी जहां उन्हें अधिनियम के तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है या जहां वह किसी भी न्यायिक या अर्ध–न्यायिक कार्यों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं हैं और यह धारा 44 (1) के परंतुक से स्पष्ट है। न्यायालय ने आगे कहाः–

"परंतुक से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी मामले पर प्रशासक और उसके मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में, प्रशासक मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा। यदि किसी दी गई स्थिति में राष्ट्रपति परिषद की सलाह के विपरीत प्रशासक की राय से सहमत होते हैं तो प्रशासक मंत्रिपरिषद की सलाह को दरकिनार करने में सक्षम होगा और परंतुक के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ पर, जाहिर है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत दी गई मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार नहीं होगा। वस्तुतः, इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश की मंत्रिपरिषद और प्रशासक के बीच मतभेद की स्थिति में, निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार में निहित होगा और केंद्र शासित प्रदेश की मंत्रिपरिषद ए. संघ सरकार द्वारा। इसके अलावा, प्रशासक को अभी भी मंत्रिपरिषद की सलाह के अपमान में कार्य करने की कुछ और शक्ति प्राप्त है। धारा 44 (1) के परंतुक का दूसरा अंग प्रशासक को सक्षम बनाता है कि उसके और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद की स्थिति में न केवल वह मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, बल्कि उस अंतराल के दौरान जहां मामला

उसकी राय में इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, उसके पास ऐसी कार्रवाई करने या मामले में ऐसे निर्देश देने की शक्ति है जो वह आवश्यक समझता है। दूसरे शब्दों में, अंतराल के दौरान वह मंत्रिपरिषद की सलाह को पूरी तरह से दरकिनार कर सकता है और अपने प्रकाश के अनुसार कार्य कर सकता है। न तो राज्यपाल और न ही राष्ट्रपति को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त है। एक ओर राज्यपाल और राष्ट्रपति और दूसरी ओर प्रशासक द्वारा प्राप्त शक्तियों और स्थिति में यह बुनियादी कार्यात्मक अंतर इतना स्पष्ट है कि शमशेर सिंह के प्रकरण में निर्णय की समानता को बनाए रखना संभव नहीं है कि प्रशासक विशुद्ध रूप से एक संवैधानिक पदाधिकारी है जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है और अपने दम पर कार्य नहीं कर सकता है।"

[जोर दिया गया]

83) **189.** ज्ञात हो, देवजी वलभभाई टंडेल (सुप्रा) एक पूर्व का चित्रण करते हैं उनसठवाँ संशोधन परिदृश्य। उस आधार पर, यह द्वारा प्रस्तुत किया गया है इसके बाद अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुतीकरण का समर्थन किया संशोधन, दिल्ली की एनसीटी की स्थिति राज्य और भूमिका है उपराज्यपाल का पद राज्य के राज्यपाल के समकक्ष होता है जो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधा हुआ है।

84) 190. अब, हम उनसठवें संशोधन के बाद की निर्णय नई दिल्ली नगर निगम में 09 जज बेंच का फैसला (सुप्रा) की ओर संकेत करते हैं, जिसमें बी.पी.जीवन रेड्डी, जे ने बहुमत के लिए बोलते हुए "संघ कराधान" से संबंधित प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का नोट, संदर्भित समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, आरई 83 में निर्णय इस प्रकार लागू हुए:–

85) "152. ..... वर्ष 1991 में, संविधान ने 69 वें (संशोधन) अधिनियम (अनुच्छेद 239–ए. ए.) द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान किया था, लेकिन यहां भी इस तरह से बनाई गई विधायिका पूर्ण विधायिका नहीं थी और न ही इसका प्रभाव था– यह मानते हुए कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी से राज्यों की श्रेणी में ऊपर उठा सकती है संविधान के भाग 11 का अध्याय। इन सब का अनिवार्य रूप से मतलब है कि जहां तक केंद्र शासित प्रदेशों का संबंध है, सूची I, सूची II या सूची III जैसी कोई चीज नहीं है। एकमात्र विधायी निकाय संसद या उसके द्वारा बनाया गया विधायी निकाय है। संसद उक्त क्षेत्रों के संबंध में कोई भी विधि बना सकती है–निश्चित रूप से, संविधान के भाग XI के अध्याय I में निर्दिष्ट संवैधानिक सीमाओं के अलावा।"

और फिर से:–

86) "155. ..... यह याद रखना आवश्यक है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश समान रूप से स्थित नहीं हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेश (यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़) हैं जिनके लिए आज की तरह कोई विधानमंडल नहीं हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों की दूसरी श्रेणी अनुच्छेद 239–ए (जो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव और पांडिचेरी पर लागू होती है–अब, निश्चित रूप से, केवल पांडिचेरी इस श्रेणी में जीवित है, बाकी ने राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है) के अंतर्गत आती है, जिसमें संसद के सौजन्य से विधानसभाएं हैं। संसद, विधि द्वारा, इन राज्यों के लिए विधानमंडलों के गठन का प्रावधान कर सकती है और इन विधानमंडलों को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती है, जो वह उचित समझे। संसद ने इन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए "भारत सरकार क्षेत्र अधिनियम, 1963" के तहत विधानसभाओं का गठन किया था, जो उन्हें सूची–II और सूची–III के मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, लेकिन इसकी प्रबल शक्ति के अधीन है। तीसरी श्रेणी दिल्ली है। 1 नवंबर, 1956 से इसका कोई विधानमंडल नहीं था, जब तक कि संविधान 69 वें (संशोधन) अधिनियम, 1991 के तहत और उसके आधार पर एक का गठन नहीं किया गया था, जिसने अनुच्छेद 239–एए पेश किया था। हम पहले ही अनुच्छेद 239–एए की विशेष विशेषताओं पर विचार कर चुके हैं और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, अनुच्छेद 239–ए. ए. के खंड (8) के साथ पठित अनुच्छेद 239–बी के संदर्भ से पता चलता

है कि कैसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली अपने आप में एक वर्ग में है, लेकिन निश्चित रूप से अनुच्छेद 246 या संविधान के भाग–6 के अर्थ के भीतर एक राज्य नहीं है। कुल मिलाकर, यह अनुच्छेद 246 के खंड (4) द्वारा शासित एक क्षेत्र भी है।....."

[जोर दिया गया]

87) **191.** इस प्रकार, नई दिल्ली नगर निगम (सुप्रा) इसे स्पष्ट किया गया है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश हमारी संवैधानिक योजना के अंतर्गत हैं एक ही पायदान पर नहीं हैं और जहां तक दिल्ली के एनसीटी का सवाल है, यह संविधान के अनुच्छेद 246 या भाग– VI के अर्थ के तहत एक राज्य नहीं है। यह अनुच्छेद 246 या संविधान के भाग–6 के अर्थ के भीतर एक राज्य नहीं है। यद्यपि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उनसठवें संशोधन के बाद एक अनूठा स्थान रखता है, फिर भी कुल और सार में, यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है जो संविधान के अनुच्छेद 246 (4) द्वारा शासित है और जिसे संसद ने अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' का नाम दिया है।

192. एक ओर राष्ट्रपति और राज्यपाल पर और दूसरी ओर दिल्ली के उपराज्यपाल पर सहायता और सलाह की बाध्यकारी प्रकृति का पता लगाने के लिए, आइए हम एक ओर अनुच्छेद 74 और 163 और दूसरी ओर अनुच्छेद 239 एए में नियोजित भाषा का तुलनात्मक

विश्लेषण करें।इस उद्देश्य के लिए, हम अनुच्छेद 74 और 163 को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं जो इस प्रकार हैंः–

88) "74. **राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद**

(1) राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगीः

परंतु यह कि राष्ट्रपति आम तौर पर या अन्यथा ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से माँग कर सकता है और राष्ट्रपति ऐसी पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

(2) यह प्रश्न कि क्या मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को कोई और यदि हां तो क्या सलाह दी गई थी, किसी भी न्यायालय में इसकी जांच नहीं की जाएगी।

89) 163. **राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद**

(1) राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि इस संविधान द्वारा या उसके तहत वह अपने कार्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक से करने के लिए अपेक्षित है।

(2) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई मामला ऐसा विषय है या नहीं जिसके संबंध में राज्यपाल से इस संविधान द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, तो राज्यपाल का निर्णय अपने विवेक से अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि उसे अपने विवेक से कार्य करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था।

(3) यह प्रश्न कि क्या मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को कोई और यदि हां तो क्या सलाह दी गई थी, किसी भी न्यायालय में इसकी जांच नहीं की जाएगी।"

एच.

90) **193.** अनुच्छेद **74** से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति हमेशा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे रहते हैं, सिवाय कुछ प्रसिद्ध स्थितियों के जो संवैधानिक सम्मेलनों द्वारा निर्देशित होती हैं। यद्यपि संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो राष्ट्रपति को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की अनुमति देता हो।

91) **194.** अनुच्छेद **163** के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल अपने कार्यों के प्रयोग में अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य है, सिवाय इसके कि जहां वह संविधान द्वारा या उसके तहत अपने कार्यों या उनमें से किसी भी कार्य को अपने विवेक से करने के लिए

आवश्यक है। इस प्रकार, राज्यपाल अपने विवेकाधिकार पर तभी कार्य कर सकता है जब उसे संविधान के एक स्पष्ट प्रावधान द्वारा अनुमति दी गई हो।

92) **195.** जहाँ तक दिल्ली के उपराज्यपाल का संबंध है, अनुच्छेद 239 एए (4) के अनुसार, वह उन मामलों में अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य है जिनके लिए दिल्ली विधानसभा के पास विधायी शक्तियाँ हैं। यद्यपि यह अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) में निहित परंतुक के अधीन है जो उपराज्यपाल को यह शक्ति देता है कि उनके और उनके मंत्रियों के बीच किसी भी मतभेद की प्रकरण में, वह इसे एक बाध्यकारी निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजेगा। खंड (4) के इस परंतुक ने दिल्ली विधानसभा के विधायी क्षेत्र के भीतर आने वाले मामलों पर भी संघ की शक्तियों को बरकरार रखा है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने की केंद्र की इस प्रबल शक्ति को अनुच्छेद 246 (4) के तहत उजागर किया गया है।

93) **196.** उपरोक्त विश्लेषण एवं **नई दिल्ली नगर निगम (सुप्रा)** में नौ न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय के आलोक में, यह स्पष्ट है कि किसी भी तरह से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को हमारी वर्तमान संवैधानिक योजना के तहत एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और दिल्ली के उपराज्यपाल का दर्जा किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है, बल्कि वह एक सीमित अर्थ में, उपराज्यपाल के पदनाम के साथ काम करते हुए एक प्रशासक बने रहते हैं।

एफ.

आर. दिल्ली के मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्तियाँः

94) **197.** हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि अनुच्छेद 239 एए और अध्याय VIII की सराहना और व्याख्या के संबंध में एक गंभीर प्रतिस्पर्धा है जहाँ यह होता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को वह कार्यकारी शक्ति प्रदान की गई है जो इसकी विधायी शक्ति के साथ सह–अस्तित्व में है और उपराज्यपाल की भूमिका मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' वाक्यांश द्वारा नियंत्रित होती है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील समान बल के साथ कहेंगे कि उपराज्यपाल ही कार्य करते हैं दिल्ली के एनसीटी के प्रशासक और संवैधानिक संशोधन नहीं किया गया है उसके प्रशासनिक अधिकार को कम कर दिया।

95) **198.** प्रावधान का विश्लेषण करते हुए, डॉ. धवन और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि दिल्ली सरकार को संविधान के तहत उन मामलों के संबंध में अपने कार्यों के प्रयोग में उपराज्यपाल की सहायता करने और अधिवक्ता देने का अधिकार है, जिनके संबंध में दिल्ली विधानसभा के पास कानून बनाने की विधायी शक्ति है और उक्त सहायता और अधिवक्ता उपराज्यपाल पर बाध्यकारी है। परंतुक पर टिप्पणी करते हुए, यह ईमानदारी

से प्रचार किया जाता है कि 'किसी भी मामले पर अंतर' शब्दों को किसी भी विधान के क्षेत्र तक या सबसे अच्छा, तीन अपवादित मामलों के संबंध में अंतर तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। उक्त तर्क के लिए, संविधान के अनुच्छेद 73 और 163 से प्रेरणा ली गई है। तर्क को विस्तार से बताते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रपति को मामले का संदर्भ तब दिया जाता है जब इस बात पर संदेह होता है कि क्या सहायता और सलाह अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) के तहत निर्धारित अपवाद प्रविष्टियों के दायरे को छूती है और इससे आगे कुछ नहीं। बात को पुष्ट करने के लिए, जिसमें राम जवाया कपूर (सुप्रा) पर भारी निर्भरता रखी गई है न्यायालय, अनुच्छेद 162 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कार्यपालिका की सीमा के विषय में गठन एवं निरूपण राज्य की शक्तियाँ, देखी गईं:–

"7. संविधान का अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, जबकि किसी राज्य की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 162 में निहित है। इन अनुच्छेदों के प्रावधान भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 8 और 49 के समान हैं और संघ और राज्यों के बीच कार्यकारी शक्तियों के वितरण के नियम को उसी सादृश्य का पालन करते हुए निर्धारित करते हैं जो उनके बीच विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 162, जिसके साथ हम इस प्रकरण में सीधे तौर पर संबंधित हैं, बताता हैः

"इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है:

परंतु कि किसी भी मामले में जिसके संबंध में विधानमंडल किसी राज्य और संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है राज्य की कार्यकारी शक्ति इस संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यकारी शक्ति के अधीन और सीमित होगी या संघ या अधिकारियों पर संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा तत्संबंधी।"

इस प्रकार इस अनुच्छेद के तहत राज्य का कार्यकारी प्राधिकरण सातवीं अनुसूची की सूची II में उल्लिखित मामलों के संबंध में अनन्य है। यह अधिकार समवर्ती सूची तक भी फैला हुआ है, सिवाय इसके कि संविधान में या संसद द्वारा पारित किसी भी विधि में प्रावधान किया गया है। इसी तरह, अनुच्छेद 73 में प्रावधान किया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है और ऐसे अधिकारों, प्राधिकरण और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जो किसी संधि या किसी समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। खंड (1) पर उत्कीर्ण परंतुक में आगे कहा गया है कि यद्यपि समवर्ती सूची के मामलों के संबंध में कार्यकारी प्राधिकरण को सामान्य रूप से

राज्य के लिए छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यह संसद के लिए खुला होगा कि वह यह प्रावधान करे कि अपवादात्मक मामलों में संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार इन मामलों में भी होगा।

इन अनुच्छेदों में से किसी में भी इस बात की कोई परिभाषा नहीं है कि कार्यकारी कार्य क्या है और कौन सी गतिविधियाँ वैध रूप से इसके दायरे में आएंगी। वे मुख्य रूप से एक ओर संघ और दूसरी ओर राज्यों के बीच कार्यकारी शक्ति के वितरण से संबंधित हैं।उनका यह मतलब नहीं है, जैसा कि श्री पाठक सुझाव देते प्रतीत होते हैं, कि जब संसद या राज्य विधानमंडल ने अपनी–अपनी सूचियों से संबंधित कुछ मदों पर कानून बनाया है, तभी संघ या राज्य कार्यपालिका, जैसा भी प्रकरण हो, उनके संबंध में कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकती है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 162 की भाषा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि राज्य कार्यपालिका की शक्तियां उन मामलों तक फैली हुई हैं जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाने के लिए सक्षम है और उन मामलों तक सीमित नहीं हैं जिन पर कानून पहले ही पारित किया जा चुका है। यही सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 73 में निहित है।

[रेखांकित करना हमारा है]

96) **199.** अनुच्छेद 239 ए. ए. (3) (ए) और अनुच्छेद 239 ए. ए. (4) के प्रावधानों की व्याख्या करते समय एक समानता से पता चलता है कि दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार की

कार्यकारी शक्ति दिल्ली विधानसभा की विधायी शक्ति जिसकी परिकल्पना अनुच्छेद 239 एए (3) में की गई है और जो राज्य सूची में तीन विषयों और समवर्ती सूची में सभी विषयों को छोड़कर सभी पर फैली हुई है और इस प्रकार, अनुच्छेद 239 एए (4) मंत्रिपरिषद को उन सभी विषयों पर कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है जिनके लिए दिल्ली विधानसभा के पास विधायी शक्ति है।

97) 200. दिल्ली विधानसभा को प्रदत्त विधायी शक्ति दिल्ली की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार विधायी अधिनियमों को लागू करने के लिए है, जबकि कार्यकारी शक्ति कार्यपालिका को कुछ नीतिगत निर्णयों को लागू करने के लिए प्रदान की जाती है। इस विचार को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि संविधान के सातवें संशोधन के बाद, जिसके द्वारा 'भाग सी राज्यों' शब्दों को 'केंद्र शासित प्रदेशों' से प्रतिस्थापित किया गया था, अनुच्छेद 73 के परंतुक में 'राज्य' शब्द को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है क्योंकि ऐसी व्याख्या संविधान के भाग VIII (केंद्र शासित प्रदेशों) की योजना और उद्देश्य को निष्फल बना देगी।

एस. संविधान के अनुच्छेद 239 एए का सारः

98) 201. यह स्पष्ट है कि संविधान संशोधन में दिल्ली को विशेष दर्जा देने की परिकल्पना की गई है। अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। उद्देश्यों और कारणों का कथन और बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट, जिनके प्रासंगिक उद्धरण हम पहले ही इस निर्णय के पूर्व भाग में पुनः प्रस्तुत कर चुके हैं, दोनों अनुच्छेद 239 एए और 239 एबी की शुरूआत के संबंध में एक अधिनियमित इतिहास और सार्वजनिक ज्ञान के संग्रह के रूप में काम करते हैं और अनुच्छेद 239 एए का अर्थ निकालने और अपनी घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए उपयोगी बाहरी सहायक होंगे।

99) 202. शुरुआत में, हमें यह घोषणा करनी चाहिए कि अनुच्छेद 239 एए और 239 एबी का सम्मिलन, जो विशेष रूप से दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित है, संसद के उस इरादे को दर्शाता है जिसमें दिल्ली को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ–साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से भी सुई जेनरिस का दर्जा दिया गया है, जिस पर अनुच्छेद 239 ए आज तक एकल रूप से लागू है। उसी में बहुमत निर्णय द्वारा अधिकृत रूप से आयोजित किया गया है नई दिल्ली नगर निगम का प्रकरण इस आशय का है कि एन. सी.

दिल्ली अपने आप में एक वर्ग है।

100) 203. 69 वें संशोधन द्वारा लाई गई विधान सभा, मंत्रिपरिषद और वेस्टमिंस्टर शैली की सरकार की कैबिनेट प्रणाली दिल्ली की विशिष्टता को उजागर करती है इसका उद्देश्य यह है कि दिल्ली को कैसे शासित किया जाए, इस बारे में दिल्ली के निवासियों की बड़ी राय हो। संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम, 1991 के पीछे वास्तविक उद्देश्य, जैसा कि हम समझते हैं, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करना है, जिसमें बहुमत को संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित कानूनों और नीतियों में अपनी राय को मूर्त रूप देने का अधिकार है। इस वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि हम अनुच्छेद 239 एए की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दें ताकि लोकतंत्र और संघवाद के सिद्धांत जो हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं, उन्हें दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनके सही अर्थों में मजबूत किया जा सके।

101) 204. यदि दिल्ली के लोगों का विश्वास प्राप्त करने वाली दिल्ली सरकार ऐसी नीतियों और कानूनों की शुरुआत करने में सक्षम नहीं है, जिन पर दिल्ली विधानसभा के पास दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति है, तो अनुच्छेद 239 एए और 239 एबी को शामिल करके दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की कवायद व्यर्थ हो जाएगी।

102) 205. इसके अलावा, संविधान के उद्देश्यों और कारणों का कथन (74 वां संशोधन) विधेयक, 1991, जिसे संविधान (69 वां संशोधन) अधिनियम, 1991 के रूप में अधिनियमित किया गया था, भी हमारे विचार का समर्थन करता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय राजधानी को विशेष दर्जा प्रदान करने के लिए, व्यवस्थाओं को संविधान में ही शामिल किया जाना चाहिए।

103) 206. हम वर्तमान में अर्थ निकालने के लिए अनुच्छेद 239 एए के प्रत्येक खंड का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। अनुच्छेद 239 एए के खंड (1) के सरसरी अध्ययन से पता चलता है कि 1 फरवरी, 1992 को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था और इसे उनसठवें संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीख से एक उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित किया जाना था।

104) 207. खंड (2) के उपखंड (ए) में निर्दिष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक विधान सभा होगी, जिसकी सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी। खंड (2) के उपखंड (बी) में निर्धारित किया गया है कि उपखंड (ए) के तहत इस तरह से स्थापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या, उक्त विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विभाजन दिल्ली के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में

(ऐसे विभाजन के आधार सहित) और उक्त विधान सभा के कामकाज से संबंधित अन्य सभी मामलों को संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा। इसके बाद, खंड (2) के उपखंड (सी) में केवल यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 324 से 327 और 329 के प्रावधान जो चुनावों से संबंधित हैं और संविधान के भाग XV के तहत आते हैं, वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उसकी विधानसभा और उसके सदस्यों पर भी उसी तरह लागू होंगे जैसे उक्त प्रावधान राज्यों पर लागू होते हैं। इसके अलावा, उपखंड (सी) में प्रावधान है कि अनुच्छेद 326 और 329 में "उपयुक्त विधानमंडल" वाक्यांश का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में संसद होगा।

105) 208. हमें यहाँ अनुच्छेद 239ए खंड (1) और अनुच्छेद 239एए खंड (2) की भाषा में भारी अंतर पर ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद 239ए खंड (1) 'मई' शब्द का उपयोग करता है जो इसे बिना किसी अनिवार्य बल के केवल एक निर्देशिका प्रावधान बनाता है। अनुच्छेद 239ए संसद को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए विधि द्वारा एक मंत्रिपरिषद और/या एक निकाय बनाने का विवेक देता है जो या तो पूरी तरह से निर्वाचित या आंशिक रूप से निर्वाचित हो सकता है और आंशिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए एक विधानमंडल के कार्यों को करने के लिए नामित किया जा सकता है।

106) 209. दूसरी ओर, अनुच्छेद 239 एए खंड (2), 'होगा' शब्द का उपयोग करके, संसद के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विधि द्वारा एक विधान सभा का निर्माण अनिवार्य बनाता है। इसके अलावा, खंड (2) का उपखंड (ए) बहुत स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के सदस्यों का चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा किया जाएगा।अनुच्छेद 239 ए खंड (1) के विपरीत, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए विधानमंडल के कार्यों को करने के लिए संसद द्वारा विधि द्वारा बनाया गया निकाय या तो पूरी तरह से निर्वाचित या आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामित किया जा सकता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के संदर्भ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार सदस्यों को विधान सभा के लिए नामित किया जा सकता है।यह संसद द्वारा जानबूझकर बनाया गया था।

107) 210. हमने इस अंतर को रेखांकित करने और संसद की मंशा पर जोर देने के लिए, अपनी घटक शक्ति के प्रयोग में अनुच्छेद 239 एए को शामिल करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मतदाताओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के समूह के रूप में मानने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को सरकार के प्रतिनिधि रूप के रूप में मानने के लिए रेखांकित किया है।

108) **211.** विधानसभा में पूरी तरह से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें सीधे चुनाव द्वारा चुना जाता है और जिन्हें दिल्ली के मतदाताओं द्वारा दिल्ली की विधानसभा में भेजा जाता है। दिल्ली विधानसभा के किसी भी सदस्य को नामित नहीं किया जाता है। दिल्ली के निर्वाचित प्रतिनिधियों और मंत्रिपरिषद के पास दिल्ली के मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होने के कारण उचित शक्तियां होनी चाहिए ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से कर सकें। यह बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है, जिसमें सिफारिश की गई थी कि हालांकि दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए, फिर भी इसे आम आदमी के लिए चिंता के मामलों से निपटने के लिए उचित शक्तियों के साथ ऐसी विधानसभा के लिए जिम्मेदार एक विधान सभा और एक मंत्रिपरिषद प्रदान की जानी चाहिए।

109) **212.** अनुच्छेद 239 एए के खंड (3) का उपखंड (ए) दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची और/या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामलों के संबंध में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति स्थापित करता है, सिवाय इसके कि राज्य सूची की 1, 2 और 18 प्रविष्टियों के संबंध में और उनसे संबंधित मामले हैं।

110) **213.** खंड (3) के उपखंड (बी) में कहा गया है कि संसद को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या उसके किसी भाग सहित किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्तियां हैं और उपखंड (ए) संसद की ऐसी शक्तियों का अपमान

नहीं करेगा। खंड (3) का उपखंड (ग) संसद को इस आशय की प्रबल शक्ति देता है कि जहां दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी विधि का कोई प्रावधान संसद द्वारा बनाए गए विधि के किसी भी प्रावधान के प्रतिकूल है, तो संसद द्वारा बनाया गया विधि प्रबल होगा और दिल्ली विधानसभा द्वारा बनाया गया विधि प्रतिकूलता की सीमा तक शून्य होगा।

111) **214.** इस प्रकार, अनुच्छेद 239 एए के खंड (3) से यह स्पष्ट है कि संसद को राज्य सूची और समवर्ती सूची में गिने गए किसी भी मामले पर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शक्ति है और साथ ही, दिल्ली की विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची में गिने गए मामलों के संबंध में विधायी शक्ति भी है, सिवाय उन मामलों के जिन्हें अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।

112) **215.** अब, अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) का विश्लेषण करना आवश्यक है, जो विवाद के निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है।खंड (4) दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए वेस्टमिंस्टर शैली की कैबिनेट प्रणाली निर्धारित करता है, जिसमें एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे जो उपराज्यपाल उन मामलों के संबंध में अपने कार्यों का प्रयोग करते हैं जिनके संबंध में दिल्ली विधानसभा को उन मामलों को छोड़कर कानून बनाने की शक्ति है जिनके संबंध में उपराज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता होती है।

113) **216.** खंड (4) के परंतुक में कहा गया है कि उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच किसी भी प्रकरण पर मतभेद होने की स्थिति में उपराज्यपाल इसे बाध्यकारी निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा।इसके अलावा, राष्ट्रपति द्वारा इस तरह के निर्णय के लंबित रहने तक, किसी भी मामले में जहां उपराज्यपाल की राय में प्रकरण इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, परंतुक उसे ऐसी कार्रवाई करने और ऐसे निर्देश जारी करने के लिए सक्षम बनाता है जो वह आवश्यक समझता है।

114) **217.** अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) और अनुच्छेद 239 एए (4) के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि एन. सी. टी. दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति दिल्ली विधानसभा की विधायी शक्ति के साथ सह–व्यापक है जिसकी परिकल्पना अनुच्छेद 239 एए (3) में की गई है और जो राज्य सूची में तीन विषयों और समवर्ती सूची में सभी विषयों को छोड़कर सभी पर फैली हुई है और इस प्रकार, अनुच्छेद 239 एए (4) उन सभी विषयों पर मंत्रिपरिषद को कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है जिनके लिए दिल्ली विधानसभा के पास विधायी शक्ति है।

115) **218.** अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) राज्य सूची और समवर्ती सूची के सभी मामलों पर संसद की विधायी शक्ति को सुरक्षित रखता है, लेकिन खंड (4) ऐसे मामलों के संबंध में संघ की कार्यकारी शक्तियों को कहीं भी सुरक्षित नहीं रखता है। इसके विपरीत, खंड (4) स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार को उन मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है जिनके

लिए विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है। विधायी शक्ति विधानसभा को अधिनियमित करने के लिए प्रदान की जाती है, जबकि कानून की नीति को कार्यपालिका द्वारा प्रभावी बनाया जाना है, जिसके लिए दिल्ली सरकार के पास सह–व्यापक कार्यपालिका शक्तियां होनी चाहिए। ऐसा एक दृष्टिकोण राम जवाया कपूर (सुप्रा) के मामले में अवलोकन के अनुरूप है जिस पर फैसले का पहले भाग में विस्तार से चर्चा की गई है .

116) 219. अनुच्छेद 239 एए (4) दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार को कार्यकारी शक्तियां प्रदान करता है जबकि संघ की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 73 से उत्पन्न होती है और संसद की विधायी शक्ति के साथ सह–व्यापक है। इसके अलावा, व्यावहारिक संघवाद और सहयोगी संघवाद के विचार जमीन पर गिर जाएंगे यदि हम कहें कि संघ के पास है उन मामलों के संबंध में भी कार्यकारी शक्तियों पर हावी होना जिनके लिए दिल्ली विधानसभा के पास विधायी शक्तियां हैं।इस प्रकार, यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में संघ की कार्यकारी शक्ति राज्य सूची के उन तीन मामलों तक सीमित है जिनके लिए दिल्ली विधानसभा की विधायी शक्ति को अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) के तहत बाहर रखा गया है। इस तरह की व्याख्या केंद्र सरकार की ओर से सभी नियंत्रण को जब्त करने के किसी भी प्रयास को विफल कर देगी और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को संविधान द्वारा लगाई गई

सीमाओं के अधीन अपने कामकाज में कुछ हद तक आवश्यक स्वतंत्रता देकर व्यावहारिक संघवाद और संघीय संतुलन की अवधारणाओं को प्रबल करने की अनुमति देगी।

117) 220. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अनुच्छेद 239 एए (4) में 'सहायता और सलाह' वाक्यांश की व्याख्या है। इतनी व्याख्या करते हुए, अधिकारी **शमशेर सिंह (सुप्रा)** और **देवजी बल्लभभाई टंडेल (सुप्रा)** में ध्यान रखना होगा। कृष्णा अय्यर, जे., शमशेर सिंह (सुप्रा) में, ने स्पष्ट रूप से माना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल सभी कार्यकारी शक्तियों के संरक्षक हैं, और केवल उसके अनुसार ही कार्य करेंगे कुछ प्रसिद्ध लोगों को छोड़कर अपने मंत्रियों की सहायता और सलाह से असाधारण स्थितियाँ। दूसरी ओर, देवजी **बल्लभभाई टंडेल (सुप्रा)** देखा है कि शक्तियों में कार्यात्मक अंतर है और एक तरफ राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा प्राप्त स्थिति और दूसरी ओर प्रशासक। ऐसा भी देखा गया है शमशेर सिंह (सुप्रा) में दिए गए दृष्टिकोण पर कायम रहना संभव नहीं है, राज्यपाल और राष्ट्रपति के सन्दर्भ में तात्पर्य यह है कि प्रशासक है यह पूरी तरह से एक संवैधानिक पदाधिकारी भी है जो 'सहायता' पर कार्य करने के लिए बाध्य है और मंत्रिपरिषद की सलाह' और अपने दम पर कार्य नहीं कर सकता।

118) 221.इस बात पर तुरंत गौर करना जरूरी है कि **देवजी बल्लभभाई टंडेल (सुप्रा)** उनहत्तरवें संशोधन से पहले के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है वह भी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में, जिसका कोई अनोखा क्षेत्र नहीं है दिल्ली के एनसीटी के रूप में स्थिति है।

वर्तमान में, अनुच्छेद की योजना 239AA(4) अलग है. इसके अनुसार उपराज्यपाल को कार्य करना होगा सभी मामलों के संबंध में मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' जिसके लिए दिल्ली की विधान सभा को अधिनियम बनाने की शक्ति है परन्तुक में जो कहा गया है उसे छोड़कर कानून जिसके लिए आवश्यक है विचारशील व्याख्या.

119) 222. परंतुक में प्रयुक्त भाषा को उन अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए समझना होगा जिन्हें हमने पहले विस्तार से जोड़ा है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतिकरण यह है कि उपराज्यपाल केवल अनुच्छेद 239 एए (4) के परंतुक का प्रयोग या शरण ले सकता है जहां मंत्रिपरिषद की उक्त 'सहायता और सलाह' अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) के आधार पर उन्हें संवैधानिक रूप से निर्धारित क्षेत्र का उल्लंघन करती है।

120) 223. हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि शब्दों के संबंध में एक संकीर्ण या प्रतिबंधित अर्थ, अर्थात्, "किसी भी मामले पर" जैसा कि अपीलार्थी द्वारा सुझाया गया है, व्याख्यात्मक प्रक्रिया की मूल अवधारणा को दूर कर देता है, क्योंकि उक्त अभिव्यक्ति दूर से यह नहीं बताती है कि यह अपवादात्मक विधायी क्षेत्रों तक ही सीमित है। इसी तरह, प्रत्येक अंतर को शामिल करने के लिए शब्द की एक व्यापक या अप्रतिबंधित व्याख्या शासन की आदर्शवादी सुचारू धारा में बाधा डालेगी। इसलिए, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उस वाक्यांश पर ऐसा अर्थ या

व्याख्या रखे जो व्यवहार्य हो और आवश्यकता है कि अर्थदण्ड संवैधानिक संतुलन के मानदंड को स्थापित किया जाए।

121) **224.**उत्तरदाताओं के वकील ने इस न्यायालय को प्रभावित करने की कोशिश की है और कहा कि "कोई भी" शब्द खंड (4) के परंतुक में आता है सब कुछ शामिल करने के लिए अनुच्छेद 239AA को व्यापक महत्व दिया जाना चाहिए के दायरे में और उक्त उद्देश्य के लिए इस पर भरोसा किया गया है **तेज किरण (सुप्रा)**। इसके पूर्व भाग में इस पर प्रकाश डाला जा चुका है निर्णय कि एक संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करते समय और व्याख्या करते समय संवैधानिक प्रावधान में आने वाले विशिष्ट शब्दों का अर्थ, न्यायालय को इसे उसी संदर्भ में पढ़ना चाहिए जिसमें यह शब्द आया है उक्त प्रावधान के संलग्न शब्दों और असर का हवाला देकर उन अवधारणाओं को ध्यान में रखें जिनका हमने विज्ञापन किया है। जहाँ तक किसी शब्द के सही अर्थ और महत्व को समझते समय संदर्भ के महत्व का संबंध है, ऑस्टिन ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:–

> "जब मैं किसी कानून में "कोई" शब्द देखता हूं, तो मुझे तुरंत पता चलता है कि ब्रह्मांड में इसका "कुछ भी" अर्थ होने की संभावना नहीं है। संदर्भ के आधार पर 'एनी' की एक सीमा होगी। जब मेरी पत्नी कहती है, "कोई मक्खन नहीं है।" मैं समझता हूँ कि वह इस

बारे में बात कर रही है कि हमारे रेफ्रिजरेटर में क्या है, दुनिया भर में नहीं।हम जीवन और विधि में बार–बार संदर्भ को देखते हैं।"[38]

122) 225. इस संदर्भ में, **स्मॉल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका**[39] के प्रकरण में की गई टिप्पणियाँ ध्यान देने योग्य हैं:–

"हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या "किसी भी अदालत में दोषी ठहराए गए" वैधानिक संदर्भ में विदेश के न्यायालय में दर्ज की गई सजा शामिल है। केवल "कोई भी" शब्द इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है। सामान्य जीवन में, एक वक्ता जो कहता है, "मैं कोई भी फिल्म देखूंगा", उसका मतलब किसी अन्य शहर में दिखाई जाने वाली फिल्मों को शामिल करना हो भी सकता है और नहीं भी। विधि में एक विधायिका जो वैधानिक वाक्यांश 'कोई भी व्यक्ति' का उपयोग करती है, उसका अर्थ राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर 'व्यक्तियों' को शामिल करना हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।"

123) 226. इसके अलावा, व्यापक महत्व के शब्दों को उस इरादे पर भरोसा करके समझा जाना चाहिए जिसके साथ उक्त शब्दों का उपयोग किया गया है। इरादे के महत्व को स्पष्ट करते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम पामर 86 के मामले में यू. एस. के सर्वोच्च

---

38 जे. एल. ऑस्टिन, शब्दों के साथ चीजें कैसे करें, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दिए गए विलियम जेम्स व्याख्यान 1955

39 544 अमेरिका 385 (2005)

न्यायालय के सी. जे. मार्शल ने कहाः– “"कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति" शब्द हर इंसान को समझने के लिए पर्याप्त व्यापक हैं। लेकिन सामान्य शब्द केवल राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर के मामलों तक ही सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि उन उद्देश्यों के लिए भी होने चाहिए जिन पर विधायिका उन्हें लागू करने का इरादा रखती है।क्या विधायिका का इरादा इन शब्दों को एक विदेशी शक्ति के विषयों पर लागू करने का था जो एक विदेशी जहाज में गहरे समुद्र में हत्या या डकैती कर सकता है?

8 वाँ धारा भी "किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों" शब्दों के साथ शुरू होता है।” लेकिन ये शब्द कुछ हद तक सीमित होने चाहिए, और विधायिका का इरादा इस सीमा की सीमा को निर्धारित करेगा।इस उद्देश्य के लिए हमें कानून की जांच करनी चाहिए।”

124) 227. घर में, यह भी स्वीकार किया गया है कि 'कोई भी' शब्द का उपयोग जिस संदर्भ में किया गया है, उसके आधार पर अलग–अलग अर्थ हो सकते हैं और अदालतों को इसका अर्थ यंत्रवत रूप से नहीं करना चाहिए।‘सब कुछ '। श्री बालगणेशन मेटल्स बनाम एम. एन. षणमुघम चेट्टी और अन्य 87, इस न्याया लय ने टिप्पणी की हैः–

"कोई भी" शब्द का निम्नलिखित अर्थ हैः–

कुछ; कई में से एक; एक अनिश्चित संख्या।अंधाधुंध रूप से किसी भी प्रकार या मात्रा का।”

शब्द "कोई भी" के अर्थ में विविधता है और इसका उपयोग "सभी" या "प्रत्येक" के साथ–साथ "कुछ" या "एक" को इंगित करने के लिए किया जा सकता है और किसी दिए गए क़ानून में इसका अर्थ क़ानून के संदर्भ और विषय वस्तु पर निर्भर करता है।"

यह अक्सर "या तो", "प्रत्येक" या "सभी" का पर्यायवाची होता है। इसकी व्यापकता संदर्भ द्वारा प्रतिबंधित हो सकती है; (ब्लैक विधि डिक्शनरी; पाँचवाँ संस्करण)।"

125) 228. **किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्लू और अन्य**[40] में, न्यायालय ने कहा हैः–

"....."कोई भी दिशा" शब्द इसकी संवैधानिकता की कीमत चुकाएंगे, यह हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन हम इस निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं कि इन शब्दों को अन्य प्रावधानों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझने और दसवीं अनुसूची के उद्देश्यों और उद्देश्यों तक उचित रूप से सीमित रखने की आवश्यकता है।वे वस्तुएँ और उद्देश्य इसके अर्थ की रूपरेखा को परिभाषित और सीमित करते हैं।एक सीमित अर्थ का कार्य इसकी संवैधानिकता को बढ़ावा देने के लिए इसे पढ़ना नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इस तरह का निर्माण संदर्भ में एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण है।शब्दों को व्यापक अर्थ देने का कोई औचित्य नहीं है।"

---

40 ए. आई. आर 1993 एस. सी. 412 89 (1969) 1 एस. सी. सी. 839

126) **229. ए. वी. एस. नरसिम्हा राव और ओआरएस बनामआंध्र राज्य प्रदेश और अन्य**[41], "किसी भी कानून" और "किसी भी आवश्यकता" की व्याख्या करते हुए, न्यायालय ने उक्त वाक्यांशों को व्यापक महत्व देने से इनकार कर दिया है।इस संबंध में टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:–

"'कोई भी आवश्यकता' शब्दों को किसी ऐसी चीज की पुष्टि करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है जिसे अधिक विशेष रूप से कहा जा सकता था। ये शब्द राज्य के भीतर इसके स्थान के बजाय निवास के प्रकार या इसकी अवधि पर निर्भर करते हैं। हम श्री गुप्ते के इस तर्क को स्वीकार करते हैं कि संविधान, जैसा कि यह है, एक पूरे राज्य को आवासीय योग्यता के लिए स्थान के रूप में बताता है और यह सोचना असंभव है कि संविधान सभा जिलों, तालुकों, शहरों, कस्बों या गांवों में निवास के बारे में सोच रही थी। यह तथ्य कि यह खंड एक अपवाद है और एक संशोधन के रूप में आया है, यह निर्धारित करना चाहिए कि अपवाद पर एक संकीर्ण संरचना रखी जानी चाहिए जैसा कि वास्तव में संविधान सभा में बहस भी इंगित करती है। हम तदनुसार श्री सीतलवाड़ के उस तर्क को अस्वीकार करते हैं जिसमें उन्होंने 'कोई भी कानून' और किसी भी आवश्यकता 'शब्दों पर बहुत व्यापक और उदार निर्माण करने की मांग की थी। ये शब्द स्पष्ट रूप से 'राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास' शब्दों द्वारा नियंत्रित होते हैं,

---

41

जिन शब्दों का अर्थ वे क्या कहते हैं, न तो अधिक और न ही कम। अतः यह इस प्रकार है कि सार्वजनिक रोजगार (निवास की आवश्यकता) अधिनियम, 1957 की धारा 3, जहां तक यह तेलंगाना से संबंधित है (और हम अन्य भागों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं) और इसके तहत नियमों के नियम 3 संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।"

127) 230. इस दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, हम टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं

वारबर्टन बनाम हडर्सफील्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी[42] में लिंडले एलजे द्वारा बनाया गया

जहाँ उन्होंने कहा हैः–

"मैं स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंचने से बच नहीं सकता कि उप–धारा (7) में 'किसी भी वैध उद्देश्य' का अर्थ है कोई भी वैध उद्देश्य जो नियमों के अनुरूप हो। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि नियमों के साथ कुछ भी असंगत है, इसका मतलब है 'सूर्य के नीचे कोई वैध उद्देश्य', या क्या यह 'समाज का कोई वैध उद्देश्य है? यदि आप संदर्भ को देखते हैं, जो पहले और उसके बाद होता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, निश्चित रूप से (मुझे नहीं लगता कि कोई भी वकील किसी भी वैध उद्देश्य का अर्थ लगाएगा, जिस तरह से श्री कोहेन हमें इसका अर्थ निकालने के लिए आमंत्रित करते हैं।"

42 (1892) 1 क्यू. बी. 817, पीपी 821-22

128) 231. इसके अलावा, nyayalay ने **वर्कमेन ऑफ डिमाकुची टी एस्टेट बनाम द मैनेजमेंट ऑफ डिमाकुची टी एस्टेट**[43] मामले में कहाः–

"यद्यपि थोड़ा सावधानीपूर्वक विचार करने से पता चलेगा कि परिभाषा खंड के तीसरे भाग में आने वाली अभिव्यक्ति "कोई भी व्यक्ति" का अर्थ इस व्यापक दुनिया में कोई भी और हर कोई नहीं हो सकता है। सबसे पहले। विवाद का विषय (i) रोजगार या गैर–रोजगार या (ii) किसी व्यक्ति के रोजगार या श्रम की शर्तों से संबंधित होना चाहिए; ये अनिवार्य रूप से इस अर्थ में एक सीमा निर्धारित करते हैं कि एक व्यक्ति जिसके संबंध में नियोक्ता–कर्मचारी संबंध कभी मौजूद नहीं था या संभवतः कभी मौजूद नहीं हो सकता है, वह नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच विवाद का विषय नहीं हो सकता है। दूसरा, परिभाषा खंड को अधिनियम की विषय वस्तु और योजना के संदर्भ में और अधिनियम के उद्देश्यों और अन्य प्रावधानों के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।

129) 232. पूर्वगामी चर्चा से यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 239 एए (4) के परंतुक में आने वाले 'कोई भी मामला' शब्दों का अर्थ 'हर मामला' होना आवश्यक नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित अधिकारियों में रेखांकित किया गया है, किसी कानून या संवैधानिक प्रावधान में आने वाले 'कोई भी' शब्द को यंत्रवत रूप से 'प्रत्येक' के अर्थ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए और जिस

43 ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 353 ए

संदर्भ में इस शब्द का उपयोग किया गया है, उसे उचित रूप से वेटेज दिया जाना चाहिए ताकि उस वास्तविक इरादे और उद्देश्य का पता लगाया जा सके जिसमें शब्द का उपयोग किया गया है।

130) 233. यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि हालांकि 'कोई भी' का अर्थ 'प्रत्येक' नहीं हो सकता है, फिर भी इसे कैसे समझा जाना चाहिए, यह बेहद महत्वपूर्ण है। आइए विस्तार से बताते हैं। अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान के तहत उपराज्यपाल को दी गई शक्ति में अपवाद का नियम शामिल है और इसे सामान्य मानदंड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। उपराज्यपाल को राज्यपाल और राष्ट्रपति के विपरीत, जो अपने मंत्रियों की सहायता और सलाह से बंधे होते हैं, उन पर निर्धारित विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए उन पर रखे गए उच्च स्तर के संवैधानिक विश्वास को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक निष्पक्षता के साथ कार्य करना होता है।उपराज्यपाल को अपने मंत्रियों के हर निर्णय को यांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है।उन्हें संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा से निर्देशित होना होगा। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के हितों और संवैधानिकता के सिद्धांत की रक्षा के लिए उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय को राष्ट्रपति को भेजने के लिए कुछ वैध आधार होने चाहिए। 1991 के अधिनियम और कार्य नियमों के अनुसार, उन्हें मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय से अवगत कराना होता है। वह निर्णय नहीं बदल सकता। इसके अलावा, सहमति

का कोई प्रावधान नहीं है। उसे अलग होने का अधिकार है। लेकिन यह अंतर के लिए अंतर नहीं हो सकता है।यह यांत्रिक या नियमित नहीं हो सकता है। यह शक्ति मार्गदर्शन करने, चर्चा करने और यह देखने के लिए प्रदान की गई है कि प्रशासन लोगों के कल्याण के लिए चलता है और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को भी विशेष दर्जा दिया गया है। इसलिए, 'कोई भी' शब्द को संवैधानिक प्राधिकरण के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में माना जाना चाहिए।उन्हें संवैधानिक निष्पक्षता, आवश्यक सलाह और वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

131) **234.** हम कहते हैं कि अनुच्छेद **239** एए **(4)** के प्रावधान की व्याख्या बिना किसी विरोधाभास के डर के, केवल उन शब्दों के सख्त अर्थों में नहीं की जा सकती है जो उन्हें केवल अक्षरों के रूप में मानते हैं, बिना उस विचार और भावना पर ध्यान दिए जो वे व्यक्त करना चाहते हैं।उन्हें नसों और न्यूरॉन्स के बिना हड्डियों और मांस के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जो नसों को कार्यात्मक बनाते हैं। हम महसूस करते हैं कि इस संदर्भ में लोकतांत्रिक राजनीति के शासन में नागरिकों की भागीदारी की भावना से प्रावधान के शब्दों को पढ़ना आवश्यक है। हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि जब हम ऐसा कहते हैं, तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायिक रचनात्मकता के भारी प्रवेश की अनुमति है, क्योंकि जिस निर्माण को कोई व्यक्ति रखना चाहता है, उसका आधार और मंच प्रस्तावना और उदाहरणों पर है उसमें संविधान की भावना और भावना की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक व्याख्या और

उद्देश्यपूर्ण व्याख्या से संबंधित है। यह एक तरह से संविधान की कार्यात्मकता के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता का प्रदर्शन है। और हम इसे संवैधानिक व्यावहारिकता कहते हैं।

132) **235.** सत्ता में बैठे अधिकारियों को लगातार खुद को याद दिलाना चाहिए कि वे संवैधानिक कार्यकर्ता हैं और यह सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी है कि प्रशासन का मूल उद्देश्य नैतिक तरीके से लोगों का कल्याण है। चर्चा और विचार–विमर्श की आवश्यकता है। बारीकियों पर आपसी सम्मान के अर्थदण्ड ध्यान दिया जाना चाहिए।किसी भी अधिकारी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनका अपमान किया गया है।उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे संवैधानिक मानदंडों, मूल्यों और अवधारणाओं की सेवा कर रहे हैं।

133) **236.** व्याख्या संविधान की अंतरात्मा को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसके अलावा, जब हम एक व्यापक दृष्टिकोण लेते हैं, तो हम इस तरह की व्याख्या के परिणाम के लिए भी जीवित होते हैं। यदि "मतभेदों के प्रकरण में" और "किसी भी प्रकरण पर" अभिव्यक्तियों का अर्थ यह माना जाता है कि उपराज्यपाल किसी भी प्रस्ताव पर भिन्न हो सकते हैं, तो लोगों की अपेक्षा, जिसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैधता है, हालांकि संविधान के तहत समझे जाने वाले राज्यों से अलग है, सरल शब्दार्थ में अपना उद्देश्य खो देगी। व्याकरण में सार और उद्देश्य को खोया नहीं जाना चाहिए जैसे ज्यामिति के दर्शन को चित्रकारी के तरीकों में अपने सार्वभौमिक तत्वमीमांसा को खोने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और इसलिए, हमने कई

अवधारणाओं पर विचार–विमर्श किया।इस प्रकार, कार्य नियमों के अनुसार, प्रशासक को मंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय से अवगत कराया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपराज्यपाल को हर मामले में एक मुद्दा उठाना चाहिए। मतभेद को संवैधानिक विश्वास और नैतिकता के मानकों, सहयोगी संघवाद और संवैधानिक संतुलन के सिद्धांत, संवैधानिक शासन और निष्पक्षता की अवधारणा और एक प्रतिनिधि सरकार के लिए सम्मान के पोषित और संवर्धित विचार को पूरा करना चाहिए। मतभेद कभी भी "भिन्न होने के अधिकार" की धारणा पर आधारित नहीं होना चाहिए और इसी तरह "किसी भी मामले पर" शब्द को इस तरह के मंच पर नहीं रखा जाना चाहिए कि यह धारणा बनाई जा सके कि कोई अलग हो सकता है, यह प्रत्येक अवसर पर एक मानक होना चाहिए।अंतर को प्राधिकरण में व्यक्त संवैधानिक विश्वास की अवधारणा को पूरा करना चाहिए और संचार के लिए भेजे गए निर्णय का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होना चाहिए और आगे मतभेद का तर्क स्पष्ट होना चाहिए और इसमें ठोस कारण होना चाहिए। वहाँ एक अवरोधक की घटना की व्याख्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि सकारात्मक निर्माणवाद और एक दूरदर्शी के दर्शन का प्रतिबिंब होना चाहिए। संवैधानिक संशोधन निरंतर टकराव और अंतर की स्थिति को नहीं समझता है जो धीरे–धीरे संघर्ष की संरचना का निर्माण करता है। साथ ही, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को इस

संवैधानिक स्थिति को स्वीकार करते हुए मूल्यों और विवेक से निर्देशित होना चाहिए कि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक राज्य नहीं है।

टी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य–निष्पादन नियम, 1993

134) 237. कार्यवाही के दौरान हमारा ध्यान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (संक्षिप्तता के लिए, "1991 अधिनियम") की ओर भी आकर्षित किया गया है जो 2 जनवरी, 1992 से लागू हुआ था। 1991 का अधिनियम संसद द्वारा अनुच्छेद 239 एए के खंड (7) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर अधिनियमित किया गया था। हम उक्त अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का कथन करना उचित समझते हैं। यह इस प्रकार है:–

"उद्देश्यों और कारणों का कथन"

संविधान (74 वां संशोधन) विधेयक, 1991 द्वारा प्रस्तावित नए अनुच्छेद 239–एए के तहत राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद की स्थापना की जाएगी। उक्त अनुच्छेद के खंड (7) (ए) में प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा उस अनुच्छेद में निहित प्रावधानों को

प्रभावी बनाने या पूरक बनाने के लिए और उन सभी के लिए प्रावधान कर सकती है जो प्रासंगिक या परिणामी हैं।

2. उक्त खंड के अनुसरण में, यह विधेयक विधानसभा और उसके कामकाज के संबंध में आवश्यक प्रावधानों की मांग करता है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यता के लिए योग्यता या अयोग्यता, अवधि, समन, सदन के विशेषाधिकारों का सत्रावसान या विघटन, विधायी प्रक्रियाएं, वित्तीय मामलों में प्रक्रिया, उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में जोड़ने वाले, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए समेकित निधि का गठन, आकस्मिक निधि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं,आदि। ये उपयुक्त संशोधनों के साथ किसी राज्य की विधान सभा के संबंध में किए गए प्रावधानों की तर्ज पर हैं।

3. विधेयक के तहत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन चुनाव आयोग द्वारा उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। दिल्ली में प्रचलित विशेष शर्तों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के ठंडे संविधान के संबंध में, ऐसा परिसीमन 1991 की जनगणना के संबंध में जनसंख्या के अनंतिम आंकड़ों के आधार पर होगा, यदि 1991 की जनगणना के संबंध में जनसंख्या के अंतिम आंकड़े, यदि उनके द्वारा अंतिम आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं।

4. विधेयक उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।"

135) 238. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि 1991 के अधिनियम की परिकल्पना संवैधानिक प्रावधान के पूरक के लिए और अनुच्छेद 239एए के आनुषंगिक मामलों का ध्यान रखने के लिए भी की गई थी।

136) 239. 1991 के अधिनियम की शरीर रचना की जांच करने पर, हम पाते हैं कि अधिनियम में 56 धाराएँ हैं और इसे पाँच भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक अलग–अलग क्षेत्रों से संबंधित है। अब, हम 1991 के अधिनियम के भाग IV में निहित कुछ प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं जिनका शीर्षक 'उपराज्यपाल और मंत्रियों से संबंधित कुछ प्रावधान' है जो वर्तमान प्रकरण के लिए प्रासंगिक हैं। धारा 41 उन मामलों से संबंधित है जिनमें उपराज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकता है और इस प्रकार पढ़ता है:–.

धारा 41– वे मामले जिनमें उपराज्यपाल को कार्रवाई करनी है अपने विवेक से।–(एल) उपराज्यपाल अपने विवेक से कार्य करेंगेकिसी मामले में विवेक–

((i) जो विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर है, लेकिन जिनके संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उसे शक्तियां या कार्य सौंपे गए हैं; या

((ii) जिसमें उसे किसी भी विधि द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने या किसी भी न्यायिक या अर्ध–न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में उपराज्यपाल किसी विधि द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने के लिए अपेक्षित है, तो उस पर उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।

(3) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में उपराज्यपाल ए द्वारा अपेक्षित है।

> किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने के लिए कोई भी विधि , उस पर उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।"

240. 1991 के अधिनियम की धारा 41 के सावधानीपूर्वक अवलोकन से पता चलता है कि उपराज्यपाल केवल उन मामलों में अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं जो दिल्ली विधानसभा की विधायी क्षमता से बाहर हैं या उन मामलों के संबंध में जिनमें राष्ट्रपति द्वारा उन्हें शक्तियां सौंपी गई हैं या सौंपी गई हैं या जहां उनसे विधि द्वारा अपने विवेक से कार्य करने या किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता है और इसलिए, यह स्पष्ट है कि उपराज्यपाल प्रत्येक मामले में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और कुल मिलाकर, उनकी विवेकाधीन शक्तियां उन तीन मामलों तक सीमित हैं जिन पर दिल्ली विधानसभा की विधायी शक्ति अनुच्छेद 239एए के खंड (3) (ए) द्वारा बहिष्कृत है।

241. धारा 42 मंत्रिपरिषद द्वारा उपराज्यपाल को दी गई सहायता और सलाह से संबंधित है और निम्नानुसार हैः-

"धारा 42 मंत्रियों द्वारा सलाहः-प्रश्न यह है कि क्या कोई और यदि हां, तो मंत्रियों द्वारा उपराज्यपाल को क्या सलाह दी गई थी, इसकी किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी।"

242. 1991 के अधिनियम की धारा 42 के शब्द और वाक्यांश संविधान के अनुच्छेद 74 के खंड (2) के समान हैं जो इस बात का भी संकेत है कि 'सहायता और सलाह' अभिव्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) के परंतुक के रूप में अन्य संवैधानिक प्रावधानों के अधीन एक समान व्याख्या मिलनी चाहिए।दूसरे शब्दों में, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई 'सहायता और सलाह' उपराज्यपाल पर तब तक बाध्यकारी है जब तक कि उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) के परंतुक द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग नहीं करता है और अपने अंतिम बाध्यकारी निर्णय के लिए उस शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले को राष्ट्रपति को भेजता है।

243. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में व्यापार के संचालन से संबंधित धारा 44 इस प्रकार हैः-

" धारा 44 व्यवसाय का संचालन।— (1) राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाएगा –

(क) मंत्रियों को कार्य के आवंटन के लिए जहाँ तक यह कार्य है जिसके संबंध में उपराज्यपाल से अपने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है; और

(ख) उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद या मंत्री के बीच मतभेद की प्रकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सहित मंत्रियों के साथ व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन-देन के लिए।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, उपराज्यपाल की सभी कार्यकारी कार्रवाई, चाहे वह उनके मंत्रियों की सलाह पर की गई हो या अन्यथा, उपराज्यपाल के नाम पर की गई होगी।

(3) उपराज्यपाल के नाम से बनाए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य उपकरणों को उस तरीके से प्रमाणित किया जाएगा जो उपराज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है और इस तरह से प्रमाणित किसी आदेश या दस्तावेज की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि यह उपराज्यपाल द्वारा बनाया गया या निष्पादित आदेश या दस्तावेज नहीं है।"

244. 1991 के अधिनियम की धारा 44 ने राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों को कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाना और उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद की प्रकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को भी अनिवार्य कर दिया है।

245. उपरोक्त प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य-निष्पादन नियम, 1993 (संक्षिप्तता के लिए, 'टीबीआर, 1993') तैयार किए हैं। 1991 का अधिनियम और टी. बी. आर., 1993, जब एक साथ पढ़े जाते हैं, तो ये दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए शासन की योजना को दर्शाते हैं।हम 1991 के अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद टी. बी. आर., 1993 से संबंधित नियमों की जांच और विश्लेषण करेंगे।

246. अब, धारा 45 उपराज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है और निम्नानुसार हैः-

" धारा 45.उपराज्यपाल आदि को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य -

यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा -

(क) राजधानी के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधान के प्रस्तावों के बारे में उपराज्यपाल को सूचित करना;

(ख) राजधानी के मामलों के प्रशासन और विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जो उपराज्यपाल की मांग हो; और

(ग) यदि उपराज्यपाल ऐसा चाहता है, तो वह कोई भी मामला जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, उसे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करे।"

247. एक बार फिर, 1991 के अधिनियम की धारा 45 संविधान के अनुच्छेद 167 के समान और अनुरूप है जो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को उपराज्यपाल को सूचित करना अनिवार्य बनाता है। यह कहने के बाद, इस तरह के संचार का वास्तविक उद्देश्य दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों पर उपराज्यपाल की सहमति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वास्तव में, इसका उद्देश्य उपराज्यपाल को समन्वय में रखना है, ताकि उन्हें नियंत्रण में रखा जा सके और उन्हें दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और कानून के प्रस्तावों से अवगत कराया जा सके ताकि उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) के प्रावधान द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग कर सकें।

248.एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान 1991 के अधिनियम की धारा 49 है जो 'विविध और संक्रमणकालीन प्रावधान' नामक अधिनियम के भाग V के तहत आता है और राष्ट्रपति के साथ उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के संबंध को निर्धारित करता है। धारा 49 इस प्रकार हैः-

"धारा 49. उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों का राष्ट्रपति से संबंध: इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, उपराज्यपाल और उनकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के सामान्य नियंत्रण में रहेगी और ऐसे विशेष निर्देशों का पालन करेगी, यदि कोई हो, जो समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा दिए जा सकते हैं।"

249. 1991 के अधिनियम की धारा 49 से पता चलता है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ उपराज्यपाल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद एक टीम है, दो लोगों के लिए साइकिल पर एक जोड़ी बनाई गई है, जिसमें राष्ट्रपति सवार हैं और जो सामान्य नियंत्रण बनाए रखते हैं।कहने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति, इस सामान्य नियंत्रण का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करता है।

250. आइए, प्राप्त करने की स्थिति में, टी. बी. आर., 1993 में विभिन्न नियमों का उल्लेख करें जो वर्तमान प्रकरण से निपटने और अनुच्छेद डालने के लिए संसद के वास्तविक इरादे को समझने के लिए आवश्यक हैं।

239एए और 239एबी। टी. बी. आर., 1993 का नियम 4 बहुत स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता हैः-

"नियम 4 (1) परिषद उपराज्यपाल के नाम पर किसी भी विभाग द्वारा जारी किए गए सभी निष्पादन आदेशों और राजधानी के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति के नाम पर किए गए अनुबंधों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी, चाहे ऐसे आदेश या अनुबंध किसी व्यक्तिगत मंत्री द्वारा अपने प्रभार वाले विभाग से संबंधित मामले के संबंध में अधिकृत किए गए हों या परिषद की बैठक में चर्चा के परिणामस्वरूप।"

251. टी. बी. आर., 1993 का अध्याय III 'मंत्रियों के बीच आवंटित कार्य के निपटान' से संबंधित है।अध्याय III के तहत आने वाले नियम 9 में मंत्रिपरिषद के बीच प्रस्तावों को प्रसारित करने का प्रावधान है और यह निम्नानुसार हैः-

> “नियम 9 (1) मुख्यमंत्री निर्देश दे सकता है कि नियम 8 के तहत उसे प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रस्ताव।परिषद की बैठक में चर्चा के लिए रखे जाने के बजाय, राय के लिए मंत्रियों को भेजा जाए, और यदि सभी मंत्री सर्वसम्मत हैं और मुख्यमंत्री की राय है कि परिषद की बैठक में चर्चा की आवश्यकता नहीं है, तो प्रस्ताव को परिषद द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित माना जाएगा।प्रकरण में।मंत्री सर्वसम्मत नहीं होते हैं या यदि मुख्यमंत्री की राय है कि बैठक में चर्चा की आवश्यकता है, तो प्रस्ताव पर परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी।
>
> (2) यदि किसी प्रस्ताव को प्रसारित करने का निर्णय लिया जाता है, तो जिस विभाग से वह संबंधित है, वह प्रस्ताव के तथ्यों, निर्णय के बिंदुओं और प्रभारी मंत्री की सिफारिशों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए एक ज्ञापन तैयार करेगा और इसकी प्रतियां परिषद के सचिव को भेजेगा, जो इसे मंत्रियों के बीच प्रसारित करने की व्यवस्था करेगा और साथ ही साथ इसकी एक प्रति उपराज्यपाल को भेजेगा।”

नियम 9 (2) में कहा गया है कि यदि यह निर्णय लिया जाता है कि किसी प्रस्ताव को प्रसारित किया जाना है, तो जिस विभाग से वह संबंधित है, वह अपने तथ्यों, निर्णय के लिए बिंदुओं और प्रभारी मंत्री की सिफारिशों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए एक ज्ञापन तैयार करेगा।उक्त ज्ञापन को परिषद के सचिव को भेजा जाना है जो इसे मंत्रियों के बीच प्रसारित करेगा और साथ ही इसकी प्रति उपराज्यपाल को भेजेगा।

252. नियम 10, जो प्रासंगिक है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"नियम 10.(1) यह निर्देश देते हुए कि एक प्रस्ताव प्रसारित किया जाएगा, मुख्यमंत्री यह भी निर्देश दे सकता है कि यदि मामला तत्काल प्रकृति का है, तो मंत्री एक विशेष तिथि तक परिषद के सचिव को अपनी राय भेज देंगे, जिसे नियम 9 में निर्दिष्ट ज्ञापन में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) यदि कोई मंत्री ज्ञापन में इस प्रकार निर्दिष्ट तिथि तक परिषद के सचिव को अपनी राय देने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने उसमें निहित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

(3) यदि मंत्री ने ज्ञापन में निहित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है या जिस तारीख तक उन्हें अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता थी, वह समाप्त हो गई है, तो परिषद का सचिव मुख्यमंत्री को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि मुख्यमंत्री सिफारिशों को स्वीकार करता है और यदि उसे कोई अवलोकन नहीं करना है, तो वह अपने आदेशों के साथ प्रस्ताव को परिषद के सचिव को वापस कर देगा।

(5) प्रस्ताव की प्राप्ति पर, परिषद का सचिव उपराज्यपाल को निर्णय के बारे में सूचित करेगा और संबंधित सचिव को प्रस्ताव पारित करेगा जो इसके बाद आदेश जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा जब तक कि अध्याय 5 के प्रावधानों के अनुसरण में केंद्र सरकार को निर्देश की आवश्यकता न हो।

[नियम 10 (5) में कहा गया है कि जब मंत्रिपरिषद द्वारा नियम 10 के पूर्ववर्ती उप-नियमों के अनुसार किसी प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है, तो परिषद का सचिव उपराज्यपाल को निर्णय के बारे में सूचित करेगा और आदेश जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित सचिव को प्रस्ताव पारित करेगा, जब तक कि उपराज्यपाल

टीबीआर, 1993 के अध्याय 5 के प्रावधानों के अनुसरण में निर्णय को केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय नहीं लेता है।

253. टी. बी. आर., 1993 के नियम 11 में कहा गया हैः-

"नियम 11.जब परिषद के समक्ष कोई प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया जाता है, तो जिस विभाग से वह संबंधित है, वह तब तक, जब तक कि -

मुख्यमंत्री अन्यथा निर्देश देते हैं, प्रस्ताव के मुख्य तथ्यों और निर्णय के बिंदुओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए एक ज्ञापन तैयार करें। ज्ञापन और ऐसे अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, जो प्रस्ताव को निपटाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं, परिषद के सचिव को भेजी जाएंगी, जो मंत्रियों को ज्ञापन प्रसारित करने की व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ इसकी एक प्रति उपराज्यपाल को भेजेंगे।

[जोर दिया गया]

मूल रूप से, टी. बी. आर., 1993 का नियम 11 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्ताव रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है।उक्त नियम में कहा गया है कि प्रस्ताव को परिषद के सचिव को भेजा जाएगा जो प्रस्ताव के मुख्य तथ्यों और निर्णय के लिए मंत्रियों को इंगित करने वाले एक ज्ञापन को प्रसारित करने की व्यवस्था करेगा और साथ ही साथ इसकी एक प्रति उपराज्यपाल को भेजेगा।

254. प्रक्रिया को नियम 13 में आगे विस्तृत किया गया है जो निम्नानुसार निर्धारित करता हैः-

"नियम 13 (1) परिषद की बैठक ऐसे स्थान और समय पर होगी जिसका मुख्यमंत्री निर्देश दे।

(2) मुख्यमंत्री की अनुमति के अलावा, किसी भी प्रकरण को बैठक के एजेंडे में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि उससे संबंधित कागजात नियम 11 के तहत आवश्यकतानुसार प्रसारित नहीं किए गए हों।

(3) परिषद की बैठक में चर्चा किए जाने वाले प्रस्तावों को दिखाने वाले एजेंडे को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, इसकी प्रतियां, ऐसे ज्ञापनों की प्रतियों के साथ जो नियम 11 के तहत वितरित नहीं किए गए हैं, परिषद के सचिव द्वारा उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को भेजी जाएंगी, ताकि ऐसी बैठक की तारीख से कम से कम दो दिन पहले उन तक पहुंचा जा सके।मुख्यमंत्री, तात्कालिकता की प्रकरण में, दो दिनों की उक्त अवधि में कटौती कर सकते हैं।

(4) यदि कोई मंत्री दौरे पर है, तो एजेंडा संबंधित विभाग के सचिव को भेजा जाएगा, जो यह समझता है कि किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मंत्री के लौटने का इंतजार करना चाहिए, तो वह परिषद के सचिव से अनुरोध कर सकता है कि वह उक्त मंत्री के लौटने तक प्रस्ताव पर चर्चा को स्थगित करने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश ले।

(5) मुख्यमंत्री या उनकी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(6) यदि मुख्यमंत्री ऐसा निर्देश देते हैं, तो संबंधित विभाग के सचिव को परिषद की बैठक में भाग लेने की आवश्यकता हो सकती है।

(7) परिषद का सचिव परिषद की सभी बैठकों में भाग लेगा और निर्णयों का अभिलेख तैयार करेगा। वह ऐसे अभिलेख की एक प्रति मंत्रियों और उपराज्यपाल को भेजेगा।"

[जोर दिया गया]

नियम 13, इस प्रकार, मंत्रिपरिषद की बैठक से संबंधित है और नियम 13 के उप-नियम (3) में निर्धारित किया गया है कि परिषद की बैठक में चर्चा किए जाने वाले प्रस्तावों का एजेंडा सचिव द्वारा उपराज्यपाल को भेजा जाएगा।

255. एक बार फिर नियम 14 में कहा गया हैः-

"नियम 14 (1) प्रत्येक प्रस्ताव से संबंधित परिषद के निर्णय को अलग से लेखबद्ध जाएगा और मुख्यमंत्री या अध्यक्षता करने वाले मंत्री द्वारा अनुमोदन के बाद प्रस्ताव के रिकॉर्ड के साथ रखा जाएगा।मुख्यमंत्री या अध्यक्षता करने वाले मंत्री द्वारा अनुमोदन के बाद, अनुमोदित परिषद के निर्णय को सचिव द्वारा उपराज्यपाल को भेजा जाएगा।

(2) जहां परिषद द्वारा किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और निर्णय के अनुमोदित अभिलेख को उपराज्यपाल को सूचित कर दिया गया है, संबंधित मंत्री निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।"

[रेखांकित करना हमारा है]

नियम 14 विभिन्न प्रस्तावों पर परिषद के निर्णय से संबंधित है।नियम 14 के उप-नियम (1) में प्रावधान है कि एक बार जब परिषद के किसी निर्णय को मुख्यमंत्री या अध्यक्षता करने वाले मंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो उक्त अनुमोदित निर्णय को परिषद के सचिव द्वारा उपराज्यपाल को भेज दिया जाएगा।

256. नियम 23, प्रस्तावों या मामलों के वर्गों पर विस्तार से बताते हुए, निम्नानुसार गणना करता हैः-

> "नियम (23) प्रस्तावों या मामलों के निम्नलिखित वर्गों को अनिवार्य रूप से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल को कोई आदेश जारी करने से पहले प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात्ः
>
> (i) ऐसे मामले जो राजधानी की शांति और स्थिरता को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने की संभावना रखते हैं।
>
> (ii) ऐसे मामले जो किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के हित को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने की संभावना रखते हैं।अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग;
>
> (iii) ऐसे मामले जो किसी भी राज्य सरकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या दिल्ली के उच्च न्याया लय के साथ सरकार के संबंधों को प्रभावित करते हैं।
>
> (iv) अधिनियम के तहत या अध्याय 5 के तहत केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव या मामले;

(v) उपराज्यपाल के सचिवालय और कार्मिक स्थापना से संबंधित मामले और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य मामले;

((vi) वे मामले जिन पर उपराज्यपाल को किसी भी लागू विधि या लिखत के तहत आदेश देने की आवश्यकता होती है;

(vii) मृत्युदंड के तहत व्यक्तियों से दया याचिकाएं और अन्य महत्वपूर्ण मामले जिनमें न्यायिक दण्ड के किसी भी पुनरीक्षण की सिफारिश करने का प्रस्ताव है;

(viii) विधानसभा का आहवान, सत्रावसान और विघटन, विधानसभा, स्थानीय स्वशासन संस्थानों के चुनावों में मतदाताओं की अयोग्यता को हटाने और उनसे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित मामलेःऔर

((ix) कोई अन्य प्रस्ताव या प्रशासनिक महत्व के मामले जिन्हें मुख्यमंत्री आवश्यक समझ सकता है।"

नियम 23 उन प्रस्तावों या मामलों की सूची देता है जिन्हें कोई भी आदेश जारी करने से पहले मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

257. टी. बी. आर., 1993 के नियम 25 में कहा गया हैः-

"नियम 25. मुख्यमंत्री निम्नलिखित कार्य करेगाः

(क) उपराज्यपाल को राजधानी के प्रशासन से संबंधित ऐसी जानकारी दी जाए और कानून के लिए प्रस्ताव जैसा कि उपराज्यपाल मांग कर सकते हैंः

और

(ख) यदि उपराज्यपाल ऐसा चाहता है, तो परिषद के विचार के लिए कोई भी मामला प्रस्तुत करें, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है।

नियम 25 के उप-नियम (ए) के अनुसार मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल को राजधानी के प्रशासन और विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होती है, जैसा कि उपराज्यपाल को चाहिए।

258. इसके अलावा, नियम 42 विधान सभा द्वारा एक विधेयक पारित होने के बाद प्रक्रिया निर्धारित करता है।यह नीचे लिखा हैः-

"नियम 42.(1) जब विधान सभा द्वारा कोई विधि पारित किया जाता है तो संबंधित विभाग और विधि विभाग में इसकी जांच की जाएगी और इसे उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगाः-

(क) संबंधित विभाग के सचिव की एक रिपोर्ट, यदि कोई हो, तो उपराज्यपाल की सहमति क्यों नहीं दी जानी चाहिएःऔर

(ख) उपराज्यपाल की सहमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए या विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, इसके कारणों के बारे में विधि सचिव की एक रिपोर्ट, यदि कोई हो।" नियम 42 मूल रूप से निर्धारित करता है कि जब दिल्ली की विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है, तो उसे संबंधित विभाग के

सचिव की रिपोर्ट और विधि सचिव की रिपोर्ट के साथ उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा।

259. 'केंद्र सरकार का उल्लेख' शीर्षक वाले अध्याय 5 के तहत आने वाले नियम 49 और 50 का उल्लेख करना भी उचित है जो इस प्रकार हैः-

" अध्याय-V

केंद्र सरकार का उल्लेख करते हुए

नियम **48 (**हटा दिया गया**)**

नियम **49** किसी भी प्रकरण के संबंध में उपराज्यपाल और मंत्री के बीच मतभेद की स्थिति में,

उपराज्यपाल इस मामले पर चर्चा का प्रयास करेगा ताकि किसी भी मुद्दे को हल किया जा सके जिस पर इस तरह का मतभेद उत्पन्न हुआ है। यदि मतभेद बना रहता है, तो उपराज्यपाल निर्देश दे सकते हैं कि मामला परिषद को भेजा जाए।

नियम ***50*** किसी भी प्रकरण के संबंध में उपराज्यपाल और परिषद के बीच मतभेद की स्थिति में, उपराज्यपाल इसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए केंद्र सरकार को भेजेगा और राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार कार्य करेगा।"

260. नियम 49 किसी भी प्रकरण के संबंध में उपराज्यपाल और एक मंत्री के बीच मतभेद की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है। ऐसे परिदृश्य में, नियम 49 के अनुसार, उपराज्यपाल इस मामले पर चर्चा करके किसी भी मुद्दे को हल करने का प्रयास करेगा, जिस पर इस तरह का मतभेद उत्पन्न हुआ है। यदि इस तरह का दृष्टिकोण और चर्चा द्वारा मतभेद के मुद्दे को निपटाने का प्रयास व्यर्थ साबित होता है और मतभेद बना रहता है, तो उपराज्यपाल मामले को परिषद को भेजने का निर्देश दे सकता है। नियम 49

से पता चलता है कि बातचीत के माध्यम से समझौता किया जा सकता है। यह आगे इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे, चर्चा और संवाद द्वारा, सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व की विचारधारा को अपनाकर एक संघर्ष से बचा जा सकता है जो फिर से सहयोगी संघवाद, व्यावहारिक संघवाद, संघीय संतुलन और संवैधानिक निष्पक्षता की अवधारणाओं के अनुरूप होगा।

261. दूसरी ओर, नियम 50 इस आशय की प्रक्रिया प्रदान करता है कि किसी भी प्रकरण के संबंध में परिषद और उपराज्यपाल के बीच मतभेद की स्थिति में, उपराज्यपाल से राष्ट्रपति के निर्णय के लिए इसे केंद्र सरकार को भेजने की आवश्यकता होती है और वह राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार कार्य करेगा।

262. एक ओर उपराज्यपाल और दूसरी ओर परिषद के बीच मतभेद की प्रकरण में नियम 49 द्वारा वर्णित संवाद, चर्चा द्वारा समाधान और सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व द्वारा संघर्षों को दबाने का दृष्टिकोण भी अपनाया जाना चाहिए।इस तरह के दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप न केवल उपराज्यपाल की भूमिका को स्वीकार किया जाएगा, बल्कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को उनसठवें संवैधानिक संशोधन के उद्देश्य के अनुसार एक उत्तरदायी सरकार के फल को संजोने में भी मदद मिलेगी।

263. हमने टीबीआर, 1993 के प्रासंगिक नियमों का हवाला दिया है, जिसके अनुसार उपराज्यपाल को अवगत कराया जाना चाहिए और उन्हें जानकारी में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए

विभिन्न प्रस्तावों, एजेंडों और निर्णयों का विवरण रखा जाना चाहिए यद्यपि इन नियमों के सावधानीपूर्वक अवलोकन से कहीं भी यह संकेत नहीं मिलता है कि उपराज्यपाल को संचार उनकी सहमति या अनुमति प्राप्त करने के लिए है। टी. बी. आर., 1993 केवल दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शासन के लिए परिकल्पित योजना को दर्शाता है जिसमें जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में एक प्रशासक को अवगत कराया जाना है, वैसे ही दिल्ली में

उपराज्यपाल को भी संचालित किए जा रहे व्यवसाय के बारे में सूचित और अधिसूचित किया जाना है।

264. उपरोक्त नियमों के पीछे का विचार केवल उपराज्यपाल को प्रस्तावों, एजेंडों और निर्णयों के बारे में सूचित करना है ताकि वह मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए कार्यों से परिचित हो सकें।उक्त विचार विभिन्न नियमों से स्पष्ट है जो 'उपराज्यपाल को इसकी एक प्रति भेजें', 'उपराज्यपाल को अग्रेषित करें', 'उपराज्यपाल को प्रस्तुत करें और' उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने का कारण 'शब्दों का उपयोग करते हैं।

265. इस प्रकार, अटूट निष्कर्ष यह है कि परिषद को केवल अपने विभिन्न प्रस्तावों, एजेंडों और निर्णयों को उपराज्यपाल को सूचित करने और सूचित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अवगत कराया जा सके और उन्हें उक्त प्रस्तावों, एजेंडों और निर्णयों की जांच करने में सक्षम बनाया जा सके ताकि वे 1991 के अधिनियम के अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) के तहत दी गई अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकें जैसा कि टीबीआर, 1993 के नियम 50 के साथ पढ़ा जाता है।

266. यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि उपराज्यपाल की पूर्व सहमति की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 239 एए द्वारा दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए परिकल्पित प्रतिनिधि शासन और लोकतंत्र के आदर्शों को पूरी तरह से नकार देगी। इसके विपरीत कोई भी दृष्टिकोण दिल्ली सरकार को सरकार के प्रतिनिधि रूप के रूप में मानने के संसद के इरादे के अनुरूप नहीं होगा।

267. उक्त व्याख्या हमारी संवैधानिक भावना के अनुरूप भी है जो यह सुनिश्चित करती है कि कानून बनाते समय नागरिकों की आवाज को पहचाना न जाए और यह तभी संभव है जब कानूनों को लागू करने वाली एजेंसी में नागरिकों की स्वतंत्र इच्छा से चुने गए निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हों।यह एक सच्चे लोकतंत्र का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं रहेगी और यह बिल्कुल आवश्यक है कि सभी

मामलों में अंतिम निर्णय प्रतिनिधि सरकार के पास निहित होगा जो नागरिकों की इच्छाओं को प्रभावी बनाने और उनकी चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए जिम्मेदार है।

268. 1991 के अधिनियम और 1991 के अधिनियम की धारा 44 के अनुसरण में तैयार किए गए टी. बी. आर., 1993 के एक संयुक्त पठन से पता चलता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल नाममात्र के प्रमुख नहीं हैं, बल्कि उन्हें अनुच्छेद 239 ए. ए. के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक की शक्ति प्राप्त है। दोहराने की कीमत पर, हम दोहरा सकते हैं कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अपनाई गई संवैधानिक योजना में एक ओर मंत्रिपरिषद को लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में और दूसरी ओर उपराज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नामित और नियुक्त व्यक्ति के रूप में माना गया है, जिन्हें संवैधानिक मानकों के भीतर सद्भाव से काम करने की आवश्यकता है।उक्त योजना में, उपराज्यपाल को दिल्ली के मंत्रिपरिषद के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखने वाले विरोधी के रूप में नहीं उभरना चाहिए, बल्कि उन्हें एक सहायक के रूप में कार्य करना चाहिए।

269. हमने पहले कहा था कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मनिंदर सिंह ने आग्रह किया था कि संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के लिए बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट की सहायता ली जानी चाहिए और उक्त उद्देश्य के लिए उन्होंने **मौमसेल बनाम ओलिन्स** [92]**, ईस्टमैन फोटोग्राफिक मटेरियल कंपनी बनाम पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक** [93]**, टिकरी बंदा डुल्लेवे बनाम पद्मा रुक्मणी डुल्लेवे** [94]**, ब्लैक क्लॉसन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम पेपरवर्के वाल्डहोफ–एशचेनबर्ग** [95]**, आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले** [96]**, श्रीमंत शामराव सूर्यवंशी बनाम प्रल्हाद भैरोबा सूर्यवंशी** [97] **और टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य** [98] पर भरोसा किया था। उन्होंने **ए.आर. अंतुले** (सुप्रा)। उक्त पैराग्राफ का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:–

> "34. ...निर्माण के सभी सिद्धांतों में अंतर्निहित मूल उद्देश्य संसद के कानून बनाने के इरादे की उचित निश्चितता के साथ पुष्टि करना है। कानून किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। उद्देश्य किसी गड़बड़ी को ठीक करना या कुछ

अधिकार, दायित्व बनाना या कर्तव्य लागू करना हो सकता है। किसी कानून को लागू करने का अभ्यास करने से पहले, संसद को न्यायिक समीक्षा के संवैधानिक सिद्धांत से अवगत माना जा सकता है।

[92] [1975] एसी 373

[93] (1989) एसी 571

[94] (1969) 2 एसी 313

[95] (1975) एसी 591

[96] (1984) 2 एससीसी 183

[97] (2002) 3 एससीसी 676

[98] (2002) 8 एससीसी 481

इसका अर्थ है कि इस प्रकार कानून को विच्छेदित किया जाएगा और सूक्ष्म परीक्षा के अधीन किया जाएगा। अक्सर एक विशेषज्ञ समिति या एक संयुक्त संसदीय समिति प्रस्तावित कानून के प्रावधानों की जांच करती है। लेकिन भाषा विचार का एक अपर्याप्त वाहन है जिसमें इरादे शामिल हैं, क़ानून को स्कैन करने वाली आँखों को विभिन्न अर्थों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यदि किसी विधान के निर्माण का मूल उद्देश्य संसद के वास्तविक इरादे का पता लगाना है, तो संसद ने अधिनियम से पहले एक विशेष समिति की रिपोर्ट, विधि की मौजूदा स्थिति, विधि को लागू करने के लिए आवश्यक वातावरण और प्राप्त करने के लिए वांछित उद्देश्य जैसी सहायता का लाभ क्यों उठाया, न्याया लय को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, जिसका कार्य मुख्य रूप से विधि को लागू करने में संसद के वास्तविक इरादे को प्रभावी बनाना है। इस तरह के इनकार से न्याया लय निर्माण के लिए पर्याप्त और रोशन करने वाली सहायता से वंचित हो जाएगा।इसलिए, पहले के अंग्रेजी निर्णयों से हटकर हमारी राय है कि एक कानून के अधिनियमन से पहले की समिति की रिपोर्ट, संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट, अधिनियम के लिए सूचना एकत्र करने के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट निर्माण के लिए अनुमेय बाहरी सहायता हैं।"

270. इस प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि किसी कानून को लागू करने वाली समिति की रिपोर्ट क़ानून को समझने या समझने के लिए बाहरी सहायता के रूप में काम कर सकती है। यद्यपि वर्तमान प्रकरण में, जैसा कि हमने व्याख्या की आवश्यकता वाले संवैधानिक प्रावधान पर दिए जाने वाले अर्थ के बारे में विस्तार से चर्चा की है, समिति की रिपोर्ट द्वारा निर्देशित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यू . अमेरिकी संवैधानिक पुनर्जागरण:

271. इससे पहले कि हम अपने निष्कर्षों को अभिलेख करने के लिए आगे बढ़ें, हम एक ऐसी अवधारणा पर विचार करना उचित समझते हैं जो संवैधानिक दर्शन और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रयोज्यता के लिए आवश्यक सम्मान के साथ संवैधानिक शासन के मूल सिद्धांत को उजागर करती है।

272. हालांकि आम तौर पर 'पुनर्जागरण' शब्द का उपयोग विशेष रूप से कला और साहित्य से संबंधित नवीनीकृत गतिविधि के संदर्भ में किया जाता है, फिर भी उक्त शब्द एक ठोस सभ्य समाज में जीवन के मौलिक अर्थ से अलग नहीं है जो संस्कृति में अच्छी तरह से विकसित है।और, जीवन, इतिहास के गवाह के रूप में, उन्नत सभ्यता में तब स्थापित होता है जब निष्पक्ष, उपयुक्त, न्यायपूर्ण और सामाजिक हित उन्मुख शासन होता है। ऐसी स्थिति में कोई भी नागरिक खुद को विषय नहीं मानता, बल्कि उसे यह संतोष होता है कि वह संप्रभुता का अंग है। जब नागरिकों को लगता है कि संवैधानिक रूप से परिकल्पित शासन के अनुसार सहभागी शासन है, तो संवैधानिक शासन का प्रचलन होता है।

273. यह व्यापकता इसके द्वारा बनाए गए कार्यकर्ताओं से संवैधानिक अपेक्षाओं की मान्यता और स्वीकृति है। यह पाठ, संदर्भ, परिप्रेक्ष्य, उद्देश्य और विधि के शासन के संबंध में निरंतर जागृति में रहना है। तर्कसंगतता का पालन, संवैधानिक पाठ, संदर्भ और दृष्टि के आधार पर अपेक्षित व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए सम्मान और निहित शक्ति के वैध प्रयोग पर निरंतर प्रतिबिंब पुनरुत्थानशील संविधानवाद के समान है। इसे अलग तरीके से समझा जा सकता है। हमारा संविधान रचनात्मक है। निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं है।

अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है।कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है, हालांकि एक अलग संदर्भ में, कि कोई "तर्कसंगत अराजकतावादी" हो सकता है, लेकिन उक्त शब्द का संवैधानिक शासन और विधि के शासन के क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं है। संवैधानिक आदर्शवाद की पूर्ति, संविधान के प्रावधानों की भाषा द्वारा अनुमत किसी भी चीज़ का बहिष्कार करना और महान जीवित दस्तावेज़ की दृष्टि को फिर से जागृत करने की भावना के साथ इसकी भावना और मौन की पूजा करना, वास्तव में, संवैधानिक पुनर्जागरण है।

274. आइए हम वर्तमान संदर्भ में आते हैं और अवधारणा को विस्तृत करते हैं।उक्त अवधारणा तब मजबूत होती है जब उपराज्यपाल द्वारा संवैधानिक चश्मे, किसी भी वैधानिक वारंट, वास्तविक न्यायोचित आधारों पर दिल्ली के केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच कार्यकारी वैमनस्य पर तर्कसंगत मतभेद होता है, जब कोई कार्यकारी निर्णय विधायी क्षमता के विपरीत होता है और मंत्री परिषद का निर्णय राष्ट्रीय हित को पराजित करता है।ये केवल कुछ चित्र हैं।संविधान में अंतर की प्रकृति नहीं बताई गई है।यह इसे सामूहिक जिम्मेदारी वाले मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल के विवेक पर छोड़ देता है।यही वह संवैधानिक न्यास है जो अपेक्षा करता है कि संविधान के तहत कार्य करने वाले लोग संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठ व्यावहारिकता और उचित प्रशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक संतुलन द्वारा निर्देशित होंगे।हठ का विचार कल्याणकारी प्रशासन का सिद्धांत नहीं है।संवैधानिक सिद्धांत खानाबदोश धारणा को स्वीकार नहीं करते हैं।वे वास्तव में समाज की बेहतरी, स्वस्थ संबंधों और स्वीकृति के लिए खुले दिमाग के साथ आपसी सम्मान के लिए शासन की उम्मीद करते हैं।

275. इसका लक्ष्य किसी भी प्रकार की असामंजस्यता और अराजकता से बचना है। संवैधानिक शासन का सिद्धांत, उन सिद्धांतों और मानदंडों का पालन, जिन पर हमने पहले चर्चा की है और प्रस्तावना में बताए गए उन्नत मार्गदर्शक उपदेशों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक आचरण संवैधानिक पुनर्जागरण की भावना को साकार करने के समान होगा। जब हम पुनर्जागरण की बात करते हैं, तो हमारा मतलब पुरानी यादों की भावना के साथ किसी भी शास्त्रीय नोट का पुनरुद्धार नहीं है, बल्कि संवैधानिक आदर्शों का सच्चा विकास, अभिव्यक्ति और मौन की सीमाओं के भीतर संवैधानिक जिम्मेदारी की प्राप्ति और स्वीकृति

और संवैधानिक विवेक के प्रति आज्ञाकारी होने के आह्वान को ईमानदारी से स्वीकार करना है।

276. यही कारण है कि 1991 के अधिनियम और टी. बी. आर., 1993 में चर्चा, विचार-विमर्श और संवाद की परिकल्पना की गई है। भिन्न होने की पात्रता का प्रयोग सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए और ठोस कारणों से समर्थित होना चाहिए।लेकिन, प्राथमिक प्रयास किसी समाधान पर पहुंचने का होना चाहिए।यह एक संवैधानिक पदाधिकारी का संवैधानिक आचरण है।

वी. <u>क्रमिक रूप से निष्कर्ष निकालना:</u>

277. हमारे उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्षों को क्रमिक रूप से अभिलेख करते हैं:-

(i) संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते समय, संवैधानिक न्यायालयों के लिए अपनाए जाने वाला सुरक्षित और सबसे ठोस दृष्टिकोण संविधान के शब्दों को संविधान की भावना के आलोक में पढ़ना है ताकि हमारे संविधान की सर्वोत्कृष्ट लोकतांत्रिक प्रकृति और नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से प्रतिनिधि भागीदारी का प्रतिमान समाप्त न हो।न्यायालयों को ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए जो संविधान की लोकतांत्रिक भावना का महिमामंडन करे।

(ii) एक लोकतांत्रिक गणराज्य में, जो सामूहिक रूप से संप्रभु होते हैं, वे विधि बनाने और नीतियों को आकार देने के लिए अपने विधि बनाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो लोकप्रिय इच्छा को दर्शाते हैं।निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता के प्रति जवाबदेह होने के नाते सुलभ, सुलभ होना चाहिए और पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए।इस प्रकार, निर्वाचित प्रतिनिधियों को संवैधानिक निष्पक्षता को प्रतिनिधि

शासन के एक मानक के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए जो न तो वैचारिक विखंडन को सहन करता है और न ही किसी काल्पनिक कल्पना को प्रोत्साहित करता है, बल्कि यह संवैधानिक विचारधाराओं पर जोर देता है।

(iii) संवैधानिक नैतिकता, उचित रूप से समझी जाने वाली नैतिकता का अर्थ है वह नैतिकता जिसमें संवैधानिक मानदंडों और संविधान की अंतरात्मा में निहित तत्व होते हैं।

औचित्य प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्य में संवैधानिक आवेग के अनुरूप होने की क्षमता होनी चाहिए। हमारी संवैधानिक दृष्टि को साकार करने के लिए, यह अपरिहार्य है कि सभी नागरिक और विशेष रूप से उच्च पदाधिकारी संवैधानिक नैतिकता की भावना पैदा करें जो कुछ लोगों के हाथों में सत्ता के केंद्रीकरण के विचार को नकारती है।

(iv) राज्य के तीनों अंगों को संविधान द्वारा व्यक्त विश्वास को बनाए रखते हुए संविधान के प्रति सच्चा रहना चाहिए। संवैधानिक अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय और जिस प्रक्रिया के द्वारा इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, उनमें मानक तर्कसंगतता और स्वीकार्यता होनी चाहिए। इसलिए, इस तरह के निर्णय संवैधानिक निष्पक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप और संविधान की भावना के अनुरूप होने चाहिए।

(v) सर्वोच्च साधन होने के नाते संविधान में संवैधानिक शासन की अवधारणा की परिकल्पना की गई है, जिसके दो अंगों के रूप में, सार्वजनिक शक्ति की प्रत्ययी प्रकृति के सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली है। संवैधानिक शासन, बदले में, आवश्यक संवैधानिक विश्वास को जन्म देता है जिसे सभी संवैधानिक अधिकारियों द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(vi) हमारी सरकार मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत द्वारा निर्देशित सरकार का एक संसदीय रूप है। मंत्रिमंडल का किसी भी मंत्रालय में की गई प्रत्येक कार्रवाई के लिए विधायिका के प्रति कर्तव्य है और प्रत्येक मंत्री मंत्रालय के प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार है। सामूहिक उत्तरदायित्व का यह सिद्धांत 'सहायता और सलाह' के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है।यदि उपराज्यपाल की ओर से भिन्न दृष्टिकोण के कारण मंत्रिपरिषद के सुविचारित वैध निर्णय को प्रभावी नहीं बनाया जाता है, तो सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा को नकार दिया जाएगा।

(vii) हमारा संविधान एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था, समकालीन विविधता में एक शास्त्रीय एकता और पहचान खोए बिना अंततः सामंजस्य में एक बहुलवादी परिवेश स्थापित करने के लिए संघवाद और लोकतंत्र के एक सार्थक संगठन पर विचार करता है।इन दोनों अवधारणाओं को पूर्ण प्रभाव देने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाने चाहिए।

(viii) संवैधानिक दृष्टि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को एक समग्र इमारत बनाने के उद्देश्य से समान रूप से प्रेरित करती है। इस प्रकार, केंद्र और राज्य सरकारों को सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व और परस्पर निर्भरता प्रदर्शित करके एक सहयोगी संघीय ढांचे को अपनाना चाहिए ताकि किसी भी संभावित संवैधानिक कलह से बचा जा सके। व्यावहारिक संघवाद की स्वीकृति और संघीय संतुलन प्राप्त करना एक आवश्यकता बन गई है जिसके लिए एक व्यावहारिक अभिविन्यास का प्रदर्शन करके केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से अनुशासित ज्ञान की आवश्यकता है।

(ix) संविधान ने एक संघीय संतुलन को अनिवार्य किया है जिसमें राज्य सरकारों को एक निश्चित आवश्यक डिग्री की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया है।केंद्रीकरण के विपरीत, एक संतुलित संघीय संरचना यह अनिवार्य करती है कि संघ सभी शक्तियों को हड़प न ले और राज्यों को उन मामलों के संबंध में केंद्र सरकार से किसी भी अवांछित हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्रता प्राप्त हो जो विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

(x) संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय संवैधानिक न्यायालयों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके और दृष्टिकोण के संबंध में अधिकारियों की कोई कमी नहीं है।कुछ लोग एक दृष्टिकोण पर दूसरे पर अधिक जोर देते हैं, जबकि कुछ इस बात पर जोर देते हैं कि एक अद्वितीय पद्धति के परिणामस्वरूप एक मिश्रित संतुलन सबसे अच्छे उपकरण के रूप में काम करेगा। उक्त अवधारणा पर विविध विचारों के बावजूद, जो मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि संविधान एक गतिशील और विषम साधन है, जिसकी व्याख्या के लिए कई कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिन्हें उनका उचित महत्व दिया जाना चाहिए ताकि उस उद्देश्य के साथ सामंजस्यपूर्ण समाधान निकाला जा सके जिसके साथ संविधान या संसद के निर्माताओं द्वारा विभिन्न प्रावधानों को पेश किया गया था।

(xi) समकालीन मुद्दों के आलोक में, उद्देश्यपूर्ण पद्धति ने शाब्दिक दृष्टिकोण और संवैधानिक न्यायालयों पर महत्व प्राप्त कर लिया है, संविधान के सच्चे और अंतिम उद्देश्य को न केवल अक्षर में बल्कि भावना में भी साकार करने की दृष्टि के साथ और सरलता और रचनात्मकता के उपकरणों से लैस, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर संवैधानिक कार्यात्मकता प्राप्त करने के लिए इस प्रमुख कर्तव्य को निभाने से नहीं कतराना चाहिए। यह एक तरह से संविधान की कार्यात्मकता के प्रति न्यायिक संवेदनशीलता की व्याख्या है जिसे हम संवैधानिक व्यावहारिकता कहते हैं। संविधान की भावना और विवेक को व्याकरण में नहीं खोना चाहिए और लोगों की लोकप्रिय इच्छा, जिसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैधता है, को सरल शब्दार्थ में अपना उद्देश्य खोने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

(xii) **नई दिल्ली नगर निगम** (सुप्रा) में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के आलोक में, यह दोपहर की तरह स्पष्ट है कि किसी भी तरह से, दिल्ली के एनसीटी को हमारी वर्तमान संवैधानिक योजना के तहत एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। दिल्ली के एनसीटी का दर्जा एक अलग श्रेणी का है, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का दर्जा किसी राज्य के गवर्नर का नहीं है, बल्कि वह सीमित अर्थों में एक प्रशासक है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पदनाम के साथ काम करता है।

(xiii) 69 वें संशोधन के आधार पर अनुच्छेद 239 एए को शामिल करने के साथ, संसद ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए सरकार के एक प्रतिनिधि रूप की परिकल्पना की। उक्त प्रावधान का उद्देश्य राजधानी के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधान सभा का प्रावधान करना है, जिसके पास राज्य सूची और समवर्ती सूची के भीतर आने वाले मामलों पर विधायी शक्तियां होंगी, सिवाय उन लोगों के जिन्हें छोड़ दिया गया है, और उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने का जनादेश होगा, सिवाय इसके कि जब वह मामले को अंतिम निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने का निर्णय करता है।

(xiv) अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) के व्याख्यात्मक विच्छेदन से पता चलता है कि संसद को राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्ति है।साथ ही, दिल्ली की विधानसभा के पास उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जो समवर्ती सूची में शामिल हैं और सभी, लेकिन राज्य सूची में तीन बहिष्कृत विषय हैं।

(xv) अनुच्छेद 239 एए के खंड (3) (ए) और (4) के एक संयुक्त पठन से पता चलता है कि एन. सी. टी. डी. सरकार की कार्यकारी शक्ति दिल्ली विधानसभा की विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है और तदनुसार, दिल्ली की मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्ति समवर्ती सूची के सभी विषयों और राज्य सूची में तीन विषयों को छोड़कर सभी पर फैली हुई है। यद्यपि यदि संसद राज्य सूची या समवर्ती सूची में आने वाले कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाती है, तो राज्य की कार्यकारी कार्रवाई संसद द्वारा बनाए गए विधि के अनुरूप होनी चाहिए।

(xvi) एक स्वाभाविक परिणाम के रूप में, भारत संघ के पास राज्य सूची के उन तीन मामलों से संबंधित दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में विशेष कार्यकारी शक्ति है जिनके संबंध में दिल्ली विधानसभा की शक्ति को बाहर रखा गया है।अन्य मामलों के

संबंध में, कार्यकारी शक्ति का प्रयोग दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार द्वारा किया जाना है। यद्यपि यह संविधान के अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान के अधीन है। इस तरह की व्याख्या व्यावहारिक संघवाद और संघीय संतुलन की अवधारणाओं के अनुरूप होगी, जिसमें दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन कुछ आवश्यक स्वतंत्रता दी जाएगी।

(xvii) अनुच्छेद 239 एए (4) में नियोजित 'सहायता और सलाह' के अर्थ का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि दिल्ली के एन. सी. टी. के उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे हैं और यह स्थिति तब तक सही है जब तक कि उपराज्यपाल अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) के प्रावधान के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता है। उपराज्यपाल को कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं सौंपी गई है।उसे या तो मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' पर कार्य करना होता है या वह राष्ट्रपति द्वारा अपने द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने के लिए बाध्य होता है।

(xviii) अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) के परंतुक में प्रयुक्त "कोई भी मामला" शब्दों का अर्थ "प्रत्येक मामला" नहीं माना जा सकता है।उक्त परंतुक के तहत उपराज्यपाल की शक्ति अपवाद का प्रतिनिधित्व करती है न कि सामान्य नियम का जिसका प्रयोग उपराज्यपाल द्वारा संवैधानिक विश्वास और नैतिकता के मानकों, सहयोगी संघवाद और संवैधानिक संतुलन के सिद्धांत, संवैधानिक शासन और निष्पक्षता की अवधारणा और एक प्रतिनिधि सरकार के प्रति सम्मान के पोषित और संवर्धित विचार को ध्यान में रखते हुए असाधारण परिस्थितियों में किया जाना है।उपराज्यपाल को विवेक के उचित प्रयोग के बिना यांत्रिक तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए ताकि मंत्रिपरिषद के प्रत्येक निर्णय को राष्ट्रपति को भेजा जा सके।

(xix) उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद का एक ठोस तर्क होना चाहिए और एक अवरोधक की घटना की व्याख्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि सकारात्मक निर्माणवाद और गहरी दूरदर्शिता और विवेकशीलता के दर्शन का प्रतिबिंब होना चाहिए।

(xx) द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, 1993 अपने और अपने मंत्रियों के बीच मतभेद के प्रकरण में उपराज्यपाल द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है।उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद को चर्चा और बातचीत के माध्यम से किसी भी मुद्दे को हल करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी प्रक्रिया पर विचार करके, टी. बी. आर., 1993 सुझाव देता है कि उपराज्यपाल को अपने मंत्रियों के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए और हर कदम पर उनका विरोध करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।चर्चा द्वारा सामंजस्यपूर्ण समाधान की आवश्यकता को विशेष रूप से शासन के प्रतिनिधि रूप को बनाए रखने के लिए पहचाना जाता है जैसा कि अनुच्छेद 239 एए के सम्मिलन द्वारा विचार किया गया है।

(xxi) जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम, 1991 और संबंधित टी. बी. आर., 1993 के प्रावधानों के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए. ए. और 239 ए. बी. को शामिल करके जिस योजना की अवधारणा की गई है, वह इंगित करती है कि उपराज्यपाल, प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के संबंध में सूचित किए जाते रहेंगे।"लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसकी एक प्रति भेजें", "लेफ्टिनेंट गवर्नर को अग्रेषित करें", "लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रस्तुत करें" और उक्त नियमों में नियोजित "लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रस्तुत करने का कारण" एकमात्र संभावित निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि मंत्रिपरिषद के निर्णयों को लेफ्टिनेंट गवर्नर को सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति की आवश्यकता है।उक्त संचार अनिवार्य है ताकि उसे अनुच्छेद 239 एए (4) और उसके प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।

(xxii) सत्ता में बैठे अधिकारियों को लगातार खुद को याद दिलाना चाहिए कि वे संवैधानिक कार्यकर्ता हैं और यह सुनिश्चित करने की उनकी जिम्मेदारी है कि प्रशासन का मूल उद्देश्य नैतिक तरीके से लोगों का कल्याण है।चर्चा और विचार-विमर्श की आवश्यकता है।बारीकियों पर आपसी सम्मान के अर्थदण्ड ध्यान दिया जाना चाहिए। किसी भी अधिकारी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उनका अपमान किया गया है।उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वे संवैधानिक मानदंडों, मूल्यों और अवधारणाओं की सेवा कर रहे हैं।

(xxiii) संवैधानिक आदर्शवाद की पूर्ति किसी भी ऐसी चीज का बहिष्कार करना जो संविधान के प्रावधानों की भाषा द्वारा अनुमेय न हो

संविधान और इसकी भावना, भावना और मौन की पूजा करना संवैधानिक पुनर्जागरण है। यह याद रखना होगा कि हमारा संविधान रचनात्मक है। निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं है। अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। कभी-कभी यह तर्क दिया जाता है, हालांकि एक अलग संदर्भ में, कि कोई "तर्कसंगत अराजकतावादी" हो सकता है, लेकिन उक्त शब्द का संवैधानिक शासन और विधि के शासन के क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं है। संवैधानिक कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को महसूस करके और महान जीवित दस्तावेज की दृष्टि को फिर से जागृत करने की भावना के साथ संवैधानिक विवेक के प्रति आज्ञाकारी होने के लिए बुलाए जाने की ईमानदारी से स्वीकृति देकर संवैधानिक पुनर्जागरण की समझ विकसित करें ताकि संवैधानिक आदर्शों का सच्चा विकास हो सके। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को इस आदर्शवाद के प्रति निरंतर जीवित रहना है।

278. संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है। मामलों को उपयुक्त नियमित पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए।

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.

सूची

ए) परिचय

बी) संवैधानिक नैतिकता

सी) संवैधानिक व्याख्या

डी) संविधान का भाग आठ: केंद्र शासित प्रदेश

ई) सरकार का कैबिनेट स्वरूप

– सामूहिक जिम्मेदारी एफ

– सहायता और सलाह

एफ) कार्यकारी शक्ति की प्रकृति

जी) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संवैधानिक इतिहास

– भाग सी राज्य सरकार अधिनियम, 1951

– केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963

– दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966

– बालकृष्णन समिति

एच) एनसीटी: केंद्र शासित प्रदेशों में एक विशेष वर्ग?

आई) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1991

जे) व्यापार नियम, 1993

के) मिसाल

– शाब्दिक व्याख्या

– केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संबंध

– एनडीएमसी में निर्णय

– सामान्य खंड अधिनियम

– "जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है"

एल) अनुच्छेद 239 एए(4) के प्रावधान का निर्माण

एम) निष्कर्ष

ए. परिचय

1. दिल्ली उच्च न्याया लय में याचिकाओं के एक समूह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के बीच अनसुलझे मुद्दों को संबोधित किया।4 अगस्त 2016 को दिए गए दिल्ली उच्च न्याया लय के फैसले ने इस न्याया लय का रुख किया।जब दीवानी अपीलों की सुनवाई की गई, तो माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. के. सीकरी और माननीय न्यायमूर्ति श्री आर. के. अग्रवाल की पीठ ने 15 फरवरी 2017 के एक आदेश में यह राय व्यक्त की कि अपीलों की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या के बारे में विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं।

2. मामलों का यह समूह 69 वें संवैधानिक संशोधन 1 के बाद दिल्ली की स्थिति के बारे में है, लेकिन अधिक दांव पर है। इन मामलों में लोकतांत्रिक शासन और संवैधानिक मूल्यों को पूरा करने में संस्थानों की भूमिका के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को जीवन शैली अपनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है जिसमें स्वतंत्रता, गरिमा और स्वायत्तता मूल रूप से होती है।संविधान एक लोकतांत्रिक राजनीति के माध्यम से इन मूल्यों को पूरा करने के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है।जिन विवादों के कारण ये मामले सामने आए, वे बताते हैं कि लोकतंत्र की प्राप्ति के लिए संस्थान कितने महत्वपूर्ण हैं। इनके माध्यम से ही विधि के शासन पर आधारित लोकतांत्रिक जीवन शैली की आकांक्षाएं पूरी होती हैं। स्वतंत्रता, गरिमा और स्वायत्तता

[1] संविधान (उनसठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1891

राज्य की शक्ति पर प्रभावों को बाधित करना।मौलिक मानव स्वतंत्रताएँ राज्य के अधिकार को सीमित करती हैं।फिर भी लोकतंत्र को प्राप्त करने में संस्थानों की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है।शासन की संस्थाएं विफल होने पर राष्ट्र विफल हो जाते हैं। एक लोकतांत्रिक संस्थान का कार्य उन लोगों द्वारा दिखाए गए राजनीतिक कौशल (या इसकी कमी) से प्रभावित होता है, जिनमें मतदाता शासन करने के लिए विश्वास रखते हैं। हमारे जैसे समाज में, जो संस्कृतियों की बहुलता, परंपराओं की विविधता, सामाजिक पहचान का एक जटिल जाल और विचारधाराओं की अव्यवस्था से चिह्नित है, संस्थागत शासन को मजबूत होने के लिए उनमें से प्रत्येक को समायोजित करना चाहिए। आलोचना और असहमति लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का केंद्र हैं। संस्थानों की प्रतिक्रियाशीलता काफी हद तक मतभेदों के प्रति ग्रहणशील होने और निरंतर जुड़ाव और संवाद की आवश्यकता के प्रति बोधगम्य होने की उनकी क्षमता से निर्धारित होती है।संवैधानिक झड़पें अस्वास्थ्यकर नहीं हैं। वे लोकतंत्र के लचीलेपन की परीक्षा लेते हैं।व्यवहार में एक प्रणाली कितनी अच्छी तरह से काम करती है, यह उन लोगों की राजनीतिक कौशल पर निर्भर करता है जो उनके भीतर निर्णय लेने की स्थिति में हैं। इसलिए, ये मामले संविधान की व्याख्या के बारे में उतने ही हैं जितना कि वे लोकतांत्रिक शासन की संरचना में संस्थानों की भूमिका और उन लोगों की कमजोरियों के बारे में हैं जिन्हें नागरिकों की चिंताओं का जवाब देना चाहिए।

3. 14 दिसंबर 2017 के न्यूयॉर्क टाइम्स में लेखों की एक श्रृंखला के पहले लेख में, डेविड ब्रूक्स ने लोकतंत्र पर छाया डालते हुए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हुई घटनाओं पर शोक व्यक्त किया।1989 में बर्लिन की दीवार गिरने और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने के साथ उदार लोकतंत्र की जीत होती दिख रही थी। इनमें से कई आकांक्षाएं लगातार चुनौती का सामना कर रही हैं। एक लोकतांत्रिक वसंत की आकांक्षाओं को संबोधित करने की नींव ब्रूक्स के लेख में परिलक्षित होती है जिसका शीर्षक है-विडंबना यह है कि-"लोकतंत्र की महिमा"।थॉमस मान की "द कमिंग विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी" (1938) से आकर्षित करते हुए, उनका यह कहना हैः

> “मान आगे कहते हैं, लोकतंत्र एकमात्र ऐसी प्रणाली है जो स्वतंत्रता, न्याय और सच्चाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक प्रयास पर, प्रत्येक पुरुष और महिला की अनंत गरिमा के सम्मान पर निर्मित है। लोकतंत्र को एक प्रक्रियात्मक या राजनीतिक प्रणाली या बहुमत शासन के सिद्धांत के रूप में सोचना और सिखाना एक बड़ी गलती होगी।

> यह एक "आध्यात्मिक और नैतिक अधिकार" है।” यह केवल नियम नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह हर किसी को अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है-यह मानता है कि ऐसा करने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यह कलाकार को सुंदरता की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि पड़ोसी को सुंदरता की तलाश करने के लिए समुदाय, धारणा की तलाश करने के लिए मनोवैज्ञानिक, सच्चाई की तलाश करने के लिए वैज्ञानिक।

> राजतंत्र महान चित्र बनाते हैं, लेकिन लोकतंत्र नागरिकों को अपनी कला को अमल में लाने, अपने रचनात्मक आवेगों को लेने और अपने चारों ओर एक दुनिया का निर्माण करने के लिए सिखाता है।“लोकतंत्र विचार है; लेकिन यह विचार जीवन और कार्य से संबंधित है।” लोकतांत्रिक नागरिक केवल सपने नहीं देख रहे हैं; वे विचारक हैं जो नगर परिषद में बैठते हैं।उन्होंने दार्शनिक बर्गसन के कथन को उद्धृत किया:“विचारशील व्यक्ति के रूप में कार्य करें, कर्मशील व्यक्ति के रूप में सोचें।” [2]

जबकि हमें इस संदर्भ को तय करने में संविधान की व्याख्या करनी है, यह खुद को याद दिलाना अर्थदण्ड है कि नागरिक अपने राजनेताओं के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, विधि के सूक्ष्म प्रिंट को अर्थ देने में एक शक्तिशाली भूमिका है।

बी संवैधानिक नैतिकता

4. संविधान को अपेक्षा और आदर्शवाद के माहौल में अपनाया गया था।संविधान सभा के सदस्यों ने एक नवजात राष्ट्र के भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ संवैधानिक परियोजना का नेतृत्व किया था।“ग्रैनविल ऑस्टिन का मानना है कि भारत के संस्थापकों और माताओं ने संविधान में राष्ट्र के आदर्शों और उन्हें प्राप्त करने के लिए संस्थानों और प्रक्रियाओं दोनों को स्थापित किया है।[3] ये आदर्श थे "राष्ट्रीय एकता और अखंडता और एक लोकतांत्रिक और न्यायसंगत समाज"[4]। संविधान की रचना "पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रम की बेड़ियों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता और न्याय के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए" की गई थी।[5]. यह सब संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थानों का उपयोग करके लोकतांत्रिक भावना के माध्यम से प्राप्त किया जाना था।[6]

5. लोकतंत्र सरकारों के चुनाव तक सीमित नहीं है।यह आकांक्षाओं को जन्म देता है और भावनाओं को प्रेरित करता है।लोकतंत्र "इस मान्यता पर आधारित है कि अधिकार का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है जो व्यक्तियों पर शक्ति का प्रयोग कर सके।"[7] जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की, तो उसे एक बड़े संकट का सामना करना पड़ा।

[2] डेविड ब्रूक्स, "द ग्लोरी ऑफ डेमोक्रेसी", द न्यूयॉर्क टाइम्स 14 दिसंबर, 2017), यहां उपलब्ध है:://डब्ल्यू. डब्ल्यू.न्यूयॉर्क टाइम्स।com/2017/12/14 ओपिनियन/डेमोक्रेसी-थॉमस-मैन।एचटीएमएल

[3] ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधानःएक राष्ट्र की आधारशिला, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (1966), पृष्ठ xi

[4] आई. बी. आई.

[5] राजीव भागवत (संस्करण), भारतीय संविधान की राजनीति और नैतिकता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2008), पृष्ठ 15 पर।

[6] ग्रैनविल ऑस्टिन (सुप्रा नोट 3)

[7] प्रताप भानु मेहता, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, पेंगुइन बुक्स (2003), पृष्ठों पर 35-36 A

उपनिवेशवादी शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान एक आदर्श के रूप में लोकतंत्र का विकास हुआ था।लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थानों को अभी भी पूरी तरह से विकसित होना थाः

> "भारत में लोकतंत्र भारतीय समाज में निहित विरोधाभासों के साथ जुड़ाव के बजाय बाहर से थोपी गई शक्ति के साथ टकराव से उभरा। पश्चिम में, लोकतांत्रिक और औद्योगिक क्रांतियां एक साथ उभरीं, एक दूसरे को मजबूत करतीं और धीरे-धीरे और लगातार पूरे समाज को बदलती रहीं। लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक और सामाजिक पूर्व शर्तें लोकतंत्र की राजनीतिक संस्थाओं के साथ-साथ और कभी-कभी पहले भी बढ़ती गईं। भारत में, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक तर्क को राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं द्वारा अपने औपनिवेशिक शासकों से अपनाया गया था और अपने तत्काल उद्देश्य के लिए अनुकूलित किया गया था जो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता था। नए राजनीतिक संस्थानों का निर्माण दूसरे स्थान पर रहा और शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक सेवाओं जैसे संस्थानों के सफल संचालन के लिए आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का निर्माण काफी पीछे रहा।" [8]

6. संविधान निर्माता उन चुनौतियों से अवगत थे जिनका सामना नए स्थापित लोकतंत्र को करना पड़ सकता है।संविधान सभा में अपने संबोधन में डॉ. अम्बेडकर ने कहाः"भारत में लोकतंत्र केवल भारत की धरती पर एक टॉप ड्रेसिंग है, जो अनिवार्य रूप से अलोकतांत्रिक है।[9] इन चुनौतियों से निपटने के लिए, संविधान ने एक जिम्मेदार और प्रतिनिधि सरकार के अस्तित्व की परिकल्पना की। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा लोकतंत्र के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को संविधान में विस्तार से शामिल किया गया था।डॉ. अम्बेडकर ने एक भावपूर्ण निवेदन किया कि भारतीय लोकतंत्र के मूल मूल्यों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने के लिए संवैधानिक नैतिकता की उपस्थिति से निर्देशित होना चाहिए।

7. 4 नवंबर, 1948-10 को संविधान सभा में संविधान का मसौदा पेश करते समय डॉ. अम्बेडकर ने यूनानी इतिहासकार ग्रोट को उद्धृत किया:"संवैधानिक नैतिकता से, ग्रोट का अर्थ था. संविधान के रूपों के लिए एक सर्वोपरि सम्मान, प्राधिकरण के प्रति आज्ञाकारिता को लागू करना और इन रूपों के तहत और उनके भीतर कार्य करना, फिर भी खुले भाषण की आदत, कार्रवाई केवल निश्चित विधिक नियंत्रण के अधीन है, और उन अधिकारियों की उनके सभी सार्वजनिक कार्यों के बारे में उनकी अनियंत्रित निंदा, पार्टी की कड़वाहट के बीच प्रत्येक नागरिक की छाती में पूर्ण विश्वास के साथ भी प्रतिस्पर्धा है कि संविधान के रूप उनके विरोधियों की नज़र में उनके अपने से कम पवित्र नहीं होंगे।"

[8] आंद्रे बेटिले, डेमोक्रेसी एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2012)

[9] संविधान सभा बहस, खंड। 7 (4 नवंबर 1948)

[10] आई. बी. आई.

डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि संवैधानिक नैतिकता को विकसित और सीखा जाना चाहिए।संवैधानिक नैतिकता एक "स्वाभाविक भावना" नहीं थी और इसके प्रसार की कल्पना नहीं की जा सकती थी। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि संवैधानिक नैतिकता का प्रसार इसके लिए अपरिहार्य है लोकतांत्रिक संविधान का शांतिपूर्ण तरीके से काम करना ", डॉ. अम्बेडकर ने यह मत व्यक्त किया कि संविधान का रूप इसके प्रशासन के रूप के अनुरूप होना चाहिए:

> "एक यह है कि प्रशासन का रूप संविधान के रूप के लिए उपयुक्त और उसी अर्थ में होना चाहिए। दूसरा यह है कि संविधान को विकृत करना पूरी तरह से संभव है**,** केवल इसके प्रशासन के रूप को बदलकर और इसे असंगत और संविधान की भावना के विपरीत बनाकर इसके रूप को बदले बिना।**" (**जोर दिया गया**)**

8. यदि हमारे संविधान के नैतिक मूल्यों को हर स्तर पर बरकरार नहीं रखा गया, तो संविधान का पाठ इसके लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। संवैधानिक नैतिकता क्या दर्शाती है, इसे सही मायने में समझने के लिए, यह उत्तर देना आवश्यक है कि "संविधान क्या कहना चाह रहा है" और "पाठ के अर्थ को तय करने के लिए सबसे व्यापक संभव सीमा" की पहचान करना आवश्यक है। [11.] भार्गव की कृति "भारतीय संविधान की राजनीति और नैतिकता" [12] संविधान के नैतिक मूल्यों की पहचान करने की आवश्यकता पर केंद्रित है

> “संविधान में निहित नैतिक मूल्यों को खोजने, उनके बीच संबंधों को सामने लाने और इसके भीतर सुसंगत या असंगत नैतिक विश्वदृष्टिकोणों की पहचान करने की तत्काल आवश्यकता है। यह मानना असंभव नहीं है कि ये मूल्य बस वहाँ हैं, अपनी साँस रोके हुए हैं और खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संविधान एक सामाजिक रूप से निर्मित वस्तु है, और इसलिए इसमें प्राकृतिक वस्तुओं की तरह सख्त वस्तुनिष्ठता नहीं है। संविधान का यह तत्व व्याख्याओं पर विवाद करने का आधार है।

[11] राजीव भागवत (ऊपर टिप्पणी 5), पृष्ठ 6

[12] इबिद

अब समय आ गया है कि हम इन व्याख्याओं की पहचान करें और उनकी नैतिक पर्याप्तता पर बहस करें।” [13]

9. संवैधानिक नैतिकता का अर्थ केवल संविधान के मूल प्रावधानों और सिद्धांतों के प्रति निष्ठा नहीं है। यह एक संवैधानिक संस्कृति का प्रतीक है जिसे लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनाना चाहिए। प्रताप भानु मेहता संवैधानिक नैतिकता की कुछ विशेषताओं की

पहचान करते हैं?उनमें से प्रमुख उदार मूल्य हैं? जिसने भारत के संविधान के निर्माण को नियंत्रित किया और राजनीति से अपेक्षाएं पैदा कीं:

> "संविधान को एक ऐसी संवैधानिक नैतिकता द्वारा संभव बनाया गया था जो अपने मूल में उदार थी।बहिष्कृत वैचारिक अर्थों में उदार नहीं, बल्कि उन गहरे गुणों में जिनसे यह उभरा है: एक क्षमता पारस्परिक सम्मान के साथ व्यक्तित्व, लोकतांत्रिक संवेदनशीलता के साथ बौद्धिकता, दोषपूर्ण भावना के साथ दृढ़ विश्वास, निर्णय के साथ विचार-विमर्श, संस्थानों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ महत्वाकांक्षा और अतीत और वर्तमान के लिए उचित सम्मान के साथ भविष्य की आशा को जोड़ना।" [14] **(**जोर दिया गया**)**

इस प्रकार, संवैधानिक नैतिकता की आवश्यक विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति से निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता है।इसकी आवश्यकता है कि "सभी मतभेदों के बावजूद हम एक सामान्य विचारशील उद्यम का हिस्सा हैं।" [15] इसमें संविधान द्वारा बनाए गए विभिन्न संस्थानों के बीच साझेदारी और समन्वय की परिकल्पना की गई है। मेहता ने संविधान सभा के कामकाज का उल्लेख करते हुए संवैधानिक साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया है:

> "विभिन्नताओं के साथ काम करने की क्षमता को एक और गुण द्वारा बढ़ाया गया जो अभी भी दुर्लभ है: सच्चे मूल्य को स्वीकार करने की क्षमता। यह कई सदस्यों की विशुद्ध बौद्धिकता के कारण हो सकता है। उनकी सामूहिक दार्शनिक गहराई, ऐतिहासिक ज्ञान, कानूनी और फोरेंसिक तीक्ष्णता और भाषा पर विशुद्ध अधिकार ईर्ष्यापूर्ण है। इसने सुनिश्चित किया कि चर्चा का आधार बौद्धिक रहे। दूसरों में महानता को स्वीकार करने की उनकी क्षमता भी उल्लेखनीय थी। यह वह गुण था जिसने नेहरू और पटेल को दृष्टिकोण और स्वभाव में गहरे मतभेदों के बावजूद एक–दूसरे को स्वीकार करने की अनुमति दी। उनका राजनेता होना उनके मतभेदों को कमजोर करने वाले ध्रुवीकरण को पैदा नहीं करने देना था,

[13] उदाहरण के लिए, पृष्ठ 9 पर

[14] प्रताप भानु मेहता ने कहा, "संवैधानिक नैतिकता क्या है?", सेमिनार (2010), एच. टी. पी. पर उपलब्ध है://डब्ल्यू. डब्ल्यू.भारत-सेमिनार।com/2010/615 प्रताप भानु मेहता।एचटीएम।

[15] इबिद

जो भारत को बर्बाद कर सकता था। उनमें वफ़ादारी और स्पष्टवादिता का मिश्रण था।" [16]

10. संवैधानिक नैतिकता उन व्यक्तियों पर जिम्मेदारियां और कर्तव्य डालती है जो संवैधानिक संस्थानों और कार्यालयों पर कब्जा करते हैं। फ्रोहनन और कैरी अवधारणा की मांगों को इस प्रकार तैयार करते हैं:

> "संवैधानिक नैतिकताओं को व्यवहार के प्रत्याशित मानदंडों या यहां तक कि हमारे संवैधानिक संस्थानों के भीतर मुख्य रूप से व्यक्तियों के कर्तव्यों के रूप में समझा जा सकता है। हम नैतिकता शब्द का उपयोग करते हैं और इन मानदंडों या कर्तव्यों के संबंध में संवैधानिक नैतिकता का उल्लेख मुख्य रूप से उनके उद्देश्य के कारण करते हैं; उन्हें व्यक्तियों और संस्थानों पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक दायित्व लागू करने के रूप में देखा जा सकता है कि संवैधानिक प्रणाली अपने मूल सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप सुसंगत तरीके से काम करे।" [17]

11. संवैधानिक नैतिकता की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है कि यह संविधान में बुनियादी नियमों का प्रावधान करता है जो संस्थानों को अत्याचारी बनने से रोकते हैं।यह लोकतंत्र में व्यक्तियों की विफलता के खिलाफ चेतावनी देता है, राज्य की शक्ति और बहुमत

के अत्याचार की जांच करता है। संवैधानिक नैतिकता लोकप्रिय नैतिकता को संतुलित करती है और भीड़ शासन में वृद्धि के खिलाफ एक सीमा के रूप में कार्य करती हैः

> "यह न भूलना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य दोषपूर्ण हैं, कि वे कभी-कभी भूल जाते हैं कि लंबे समय में उनके लिए क्या अच्छा है, और वे उन प्रलोभनों के आगे झुक जाते हैं जो उन्हें अब आनंद देते हैं लेकिन बाद में दर्द देते हैं।लोगों के लिए यह अज्ञात नहीं है कि वे भीड़ की मानसिकता को प्राप्त करें और बाद में निर्णय के परिणामों पर अफसोस करने के लिए क्षण की गर्मी पर कार्य करें।वर्षों के सामूहिक अनुभव और विवेक से ली गई विधि की एक रूपरेखा प्रदान करके, संविधान लोगों को वर्तमान में फैशनेबल सनक और कल्पनाओं के आगे झुकने से रोकते हैं।संविधान रोजमर्रा की राजनीति के अत्यधिक अस्थिर चरित्र का पूर्वानुमान लगाते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं।वे राजनीतिक प्रक्रिया के कुछ आयामों को सामान्य राजनीति की चुनौती से परे बनाते हैं।"[18]

12. संवैधानिक नैतिकता की कोई भी व्याख्या संविधान के अद्वितीय क्रांतिकारी चरित्र को समझे बिना पूरी नहीं होगी।

[16] इबिद

[17] ब्रूस पी. फ्रॉहनन और जॉर्ज डब्ल्यू. कैरी, "संवैधानिक नैतिकता और विधि का शासन", जर्नल ऑफ लॉ एंड पॉलिटिक्स (2011), वॉल्यूम। 26, पृष्ठ 498 पर

[18] राजीव भागवत (सुप्रा नोट 5), पृष्ठों पर 14-15

ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को एक "सामाजिक क्रांतिकारी" दस्तावेज के रूप में संदर्भित किया है, जिसके प्रावधानों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है।[19] ऑस्टिन ने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया हैः

यह एक आधुनिकीकरण करने वाली शक्ति थी। **सामाजिक क्रांति और लोकतंत्र एक दूसरे से सबसे अधिक निकटता से जुड़े हुए निर्बाध वेब के धागे थे। लोकतंत्र, प्रतिनिधि सरकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, समाज के लिए क्रांतिकारी थे।** राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में व्यक्त सामाजिक–आर्थिक समानता भी उतनी ही क्रांतिकारी थी। संविधान के अनुच्छेद भी अस्पृश्यता को समाप्त करने की अनुमति देते हैं और वंचित नागरिकों के लिए शिक्षा और रोजगार में प्रतिपूरक भेदभाव की अनुमति देते हैं।" [20] (जोर दिया गया)

ऑस्टिन ने कहा कि सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता का मूल मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निहित है, जो "संविधान की अंतरात्मा" हैं और भारत के भविष्य, वर्तमान और अतीत को जोड़ते हैं। [21] संवैधानिक नैतिकता के लिए सामाजिक परिवर्तन को साकार करने के लिए भावनाओं और समर्पण की आवश्यकता होती है जिसे भारतीय संविधान प्राप्त करना चाहता है।

13. संवैधानिक नैतिकता लोकतंत्र की संस्थाओं में लोगों के विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह न केवल संविधान के स्वरूपों और प्रक्रियाओं को समाहित करती है, बल्कि एक "सक्षम ढांचा प्रदान करती है जो समाज को आत्म–नवीकरण की संभावनाओं की अनुमति देती है" [22]। यह लोकतंत्र की संस्थाओं का शासी आदर्श है जो लोगों को संवैधानिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग और समन्वय करने की अनुमति देता है जिन्हें अकेले हासिल नहीं किया जा सकता है। "लोकतंत्र और इसकी संस्थाएँ" (2012) में आंद्रे बेतेले संवैधानिक नैतिकता के महत्व के बारे में बात करते हैं:

"प्रभावी होने के लिए, संवैधानिक कानूनों को संवैधानिक नैतिकता के आधार पर टिके रहना चाहिए... संवैधानिक नैतिकता की अनुपस्थिति में, संविधान का संचालन, चाहे वह कितना भी सावधानी से लिखा गया हो, मनमाना, अनिश्चित और मनमौजी हो जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के क्षेत्र को राजनीति से पूरी तरह अलग करना संभव नहीं है। हमारे जैसे संविधान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान के सिद्धांतों को लागू करे।

[19] ग्रैनविल ऑस्टिंग (सुप्रा नोट 3), पृष्ठ 63 पर 20 आई. बी. आई., पृष्ठ xiii पर

[21] इबिद, पृष्ठ 63 पर।

[22] प्रताप भानु मेहता (सुप्रा नोट 14)

यह मार्गदर्शन प्रदान करना कि अवैयक्तिक कानून के शासन द्वारा क्या विनियमित किया जाना चाहिए और पार्टियों, गुटों और राजनीतिक नेताओं के बीच सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा द्वारा क्या तय किया जा सकता है। यहीं पर संवैधानिक नैतिकता का महत्व निहित है। विधायकों, न्यायाधीशों, वकीलों, मंत्रियों, सिविल सेवकों, लेखकों और सार्वजनिक बुद्धिजीवियों के बीच संवैधानिक नैतिकता के कुछ संचार के बिना, संविधान सत्ता के दलालों का खिलौना बन जाता है। [23]

14.संवैधानिक नैतिकता किसी भी देश में राजनीति की नैतिकता को रेखांकित करती है।यह राजनीति को सफल होने की पहचान देता है। 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम संबोधन में डॉ. अम्बेडकर ने संवैधानिक लोकतंत्र में लोगों और राजनीतिक दलों की भूमिका के महत्व पर चर्चा की:

"मुझे लगता है कि संविधान कितना यद्यपि अच्छा क्यों न हो, इसका बुरा होना निश्चित है क्योंकि जिन लोगों को इसे बनाने के लिए बुलाया जाता है, वे बहुत बुरे होते हैं। संविधान चाहे यद्यपि खराब क्यों न हो, यह अच्छा साबित हो सकता है अगर जिन लोगों को इसे बनाने के लिए बुलाया जाता है, वे बहुत अच्छे होते हैं। संविधान का कार्यकरण पूरी तरह से संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल

> राज्य के अंगों जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को प्रदान कर सकता है। राज्य के उन अंगों का काम-काज जिन कारकों पर निर्भर करता है, वे लोग और राजनीतिक दल हैं जिन्हें वे अपनी इच्छाओं और अपनी राजनीति को पूरा करने के लिए अपने साधन के रूप में स्थापित करेंगे।" [24]

उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल का भी आह्वान किया कि वे नवजात भारतीय लोकतंत्र को संस्थानों को मूर्त रूप देने या "एक महान व्यक्ति के चरणों में स्वतंत्रता देने" के खतरों के बारे में आगाह करें, या उन पर ऐसी शक्ति के साथ भरोसा करें जो उन्हें उनके संस्थानों को नष्ट करने में सक्षम बनाती है।डॉ. अम्बेडकर के शब्दों में:

> "[भारत में, भक्ति या जिसे भक्ति का मार्ग या वीर-पूजा कहा जा सकता है, इसकी राजनीति में एक ऐसी भूमिका निभाती है जो दुनिया के किसी भी अन्य देश की राजनीति में निभाई गई भूमिका से अतुलनीय है।धर्म में भक्ति आत्मा के मोक्ष का मार्ग हो सकती है। लेकिन राजनीति में, भक्ति या नायक-पूजा पतन और अंततः तानाशाही के लिए एक निश्चित मार्ग है।" [25]

इस प्रकार संस्थान निर्माण संवैधानिक नैतिकता का एक पहलू है। यह राजनीतिक व्यवहार के लिए एक संस्थागत आधार की परिकल्पना करता है। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल और राजनीतिक प्रक्रिया बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करते हैं। संवैधानिक नैतिकता प्रतिनिधित्व और वैधता के बीच की खाई को कम करती है।[26] न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) मनोज नरूला बनाम भारत संघ [27] में आयोजित किया गया था कि:

[23] आंद्रे बेटिले, डेमोक्रेसी एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2012)

[24] कॉन्स्टीट्यूएंट असेंबली डिबेट, वॉल्यूम। 11 (25 नवंबर, 1949)

[25] इबिद

> “लोकतांत्रिक मूल्य जीवित रहते हैं और सफल हो जाते हैं जहां बड़े पैमाने पर लोग और संस्थान के प्रभारी व्यक्ति विचलन का मार्ग प्रशस्त किए बिना और संस्थागत अखंडता और आवश्यक संवैधानिक प्रतिबंधों को बनाए रखने के लिए प्राथमिक चिंता को कार्रवाई में प्रतिबिंबित किए बिना संवैधानिक मापदंडों द्वारा सख्ती से निर्देशित होते हैं।

जब राजनीतिक संघर्षों को बातचीत और समायोजन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, तभी संवैधानिक सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है।

15. संवैधानिक नैतिकता के लिए संविधान की भावना को बढ़ाने और पूर्ण करने के लिए संवैधानिक मौन को भरने की आवश्यकता होती है।संविधान सरकार की संरचना स्थापित कर सकता है, लेकिन ये संरचनाएं कैसे काम करती हैं, यह संवैधानिक मूल्यों के आधार पर निर्भर करता है।संवैधानिक नैतिकता का उद्देश्य संवैधानिक विवादों को निपटाने के लिए एक मार्गदर्शक आधार के रूप में कार्य करके अतीत को राष्ट्र की आत्मा को अलग करने से रोकना हैः

> “अनिवार्य रूप से संविधान अधूरे हैं।पाठ में जो स्पष्ट है वह अंतर्निहित समझ पर निर्भर करता है; जो कहा गया है वह उस पर निर्भर करता है जो अव्यक्त है।” [28]

16. संवैधानिक नैतिकता शासन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक सैद्धांतिक समझ प्रदान करती है।यह अशांत जल में पकड़ने के लिए एक कम्पास है।यह संस्थानों के जीवित रहने के लिए मानदंडों और व्यवहार की अपेक्षा को निर्दिष्ट करता है जो न केवल पाठ बल्कि संविधान की आत्मा को पूरा करेगा।हमारी अपेक्षाएँ वास्तविकता से बहुत आगे हो सकती हैं। लेकिन उस दस्तावेज़ के मूल्यों से प्राप्त संवैधानिक नैतिकता की भावना हमें अपने संस्थानों और अपने भाग्य की अध्यक्षता करने वालों को जिम्मेदार ठहराने में सक्षम बनाती है।इसलिए, संवैधानिक व्याख्या संवैधानिक नैतिकता से आनी चाहिए।

[26] सुजीत चौधरी, माधव खोसला और प्रताप भानु मेहता, द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2016), पृष्ठ 12 पर

[27] (2014) 9 एससीसी 1

[28] मार्टिन लुघलिन, "द साइलेन्स ऑफ कॉन्स्टीट्यूशंस", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कॉन्स्टीट्यूशनल विधि (2019, प्रेस में), यहां उपलब्ध है:://डब्ल्यू. डब्ल्यू.जूरा, यूनि-फ्रीबर्ग डी/डी/इंस्टीट्यूट/आरफिल/फ्रीबर्गर वोर्ट्रेज/साइलेंस-ऑफ-कॉन्स्टिट्यूशन-एम-लफलिन-मैनस्क्रिप्ट।पीडीएफ

सी. संवैधानिक व्याख्या

17. अन्य संवैधानिक मामलों की तरह यहां भी न्यायालय के समक्ष प्राथमिक कार्य संविधान की व्याख्या करना है। यह एक सत्य को दर्शाता है। क्योंकि संविधान का अर्थ तय करते समय हमें यह समझना चाहिए कि यह क्या कहता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान के पाठ को समझने में, यह ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। संविधान में बहुल लोकतांत्रिक राजनीति की राजनीतिक दृष्टि निहित है। यह राजनीतिक दृष्टि उन मूल्यों के साथ मिलती है जिन्हें संस्थापक पिताओं ने एक न्यायपूर्ण सामाजिक समझौता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया था जिसमें सम्मान और स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत आकांक्षाएं प्राप्त होंगी। इसलिए, संविधान की किसी भी व्याख्या को एक राजनीतिक दस्तावेज के रूप में संविधान के महत्व को स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए, जिसमें लोकतांत्रिक शासन के लिए एक खाका शामिल है। संविधान में राजनीतिक दस्तावेज के रूप में जो मूल्य समाहित हैं, वे इसके पाठ को समझने के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसी अर्थ में न्यायाधीशों की पीढ़ियों ने खुद को याद दिलाया है कि आखिरकार हम संविधान की व्याख्या कर रहे हैं। संविधान के शब्दों को केवल भाषा के शब्दकोश से ही नहीं समझा जा सकता। जबकि इसकी भाषा इसके शब्दों की विषय–वस्तु से संबंधित है, संविधान के पाठ को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। संवैधानिक इतिहास में वे घटनाएँ समाहित हैं जो संविधान को अपनाने से पहले की हैं। संवैधानिक इतिहास में पिछले अड़सठ वर्षों में जटिल सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं

का सामना करते हुए संविधान के निर्माण में हमारे अनुभव भी समाहित हैं। संवैधानिक पाठ में शब्दों का उन प्रावधानों से संबंध होता है जिनमें वे दिखाई देते हैं। यह याद रखना अच्छा है कि प्रत्येक प्रावधान दस्तावेज़ के अन्य खंडों से जुड़ा हुआ है। केवल तभी जब उन्हें संवैधानिक मूल्यों के व्यापक कैनवास में रखा जाता है, तब पाठ की सही समझ उभर कर आती है। यह सिद्धांत कि पाठ को संदर्भ से ही निकाला जाना चाहिए, संविधान को केवल एक कानूनी दस्तावेज के रूप में समझने की सीमाओं को दर्शाता है। संविधान को एक विशुद्ध कानूनी दस्तावेज के रूप में समझना उन लोगों की आकांक्षाओं के साथ अन्याय होगा जिन्होंने इसे अपनाया और हमारे समाज के अनुभव के साथ अन्याय होगा जो इसकी असाध्य समस्याओं से जूझ रहा है। **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य** [29] ("केशवानंद") में न्यायमूर्ति एचआर खन्ना ने इस प्रकार कहा: "एक संविधान अपने भीतर व्यापक संकेत समाहित करता है कि राष्ट्रीय संविधान किस प्रकार कार्य करता है।

"एक संविधान अपने भीतर व्यापक संकेत समाहित करता है कि राष्ट्र को आने वाले समय में किस तरह आगे बढ़ना है। संविधान को केवल एक विधिक दस्तावेज के रूप में नहीं माना जा सकता है। एक संविधान अनिवार्य रूप से एक राष्ट्र के जीवन का वाहन होना चाहिए। यह भी ध्यान में रखना होगा कि संविधान एक द्वार नहीं बल्कि एक सड़क है। संविधान के मसौदे के तहत यह जागरूकता है कि चीजें स्थिर नहीं रहती हैं, बल्कि आगे बढ़ती हैं, कि एक प्रगतिशील राष्ट्र का जीवन, एक व्यक्ति के रूप में, स्थिर और स्थिर नहीं है, बल्कि गतिशील और सुस्त है।"

[29] AIR (1973) SC 1461

18. दूसरा मूल्य जो ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि संविधान लोकप्रिय संप्रभुता की आकांक्षाओं को मान्यता देता है। जैसा कि इसकी प्रस्तावना हमें बताती है, दस्तावेज़ को "हम भारत के लोग" द्वारा अपनाया गया था। प्रस्तावना में शुरुआत में एक "संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य" के निर्माण का उल्लेख किया गया है। यह लोगों की संप्रभुता की अभिव्यक्ति के माध्यम से और एक लोकतांत्रिक और गणराज्य सरकार की आधारशिला पर है कि संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्राप्त करना चाहता है। हमारी संवैधानिक आकांक्षाओं की व्यापकता उन तत्वों की बहुलता और विविधता में प्रचुर प्रतिबिंब पाती है जिन्हें यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के भीतर समझता है। न्याय अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अभिव्यक्तियों को शामिल करता है। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता शामिल है। स्थिति और अवसर की समानता को शामिल करने के लिए समानता को इसके मूल अर्थों में परिभाषित किया गया है।भ्रातृत्व व्यक्ति को गरिमा सुनिश्चित करने के साथ-साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

19. चार पालन करने वाले सिद्धांत हैं जो संविधान की सामग्री को समझने के लिए आवश्यक हैं।पहला यह है कि एक राजनीतिक दस्तावेज के रूप में, संविधान लोगों की संप्रभुता की अभिव्यक्ति है।दूसरा यह है कि संविधान लोकतंत्र के आधार पर एक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के अपने दृष्टिकोण को प्राप्त करना चाहता है।सरकार का एक लोकतांत्रिक रूप यह मानता है कि संप्रभुता लोगों के भीतर रहती है।लोकप्रिय संप्रभुता तब मौजूद हो सकती है जब लोकतंत्र सार्थक हो।तीसरा सिद्धांत यह है कि संविधान सरकार के एक गणराज्य रूप को अपनाता है जिसमें संप्रभुता की शक्तियां लोगों में निहित होती हैं और उनका प्रयोग सीधे या उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है।चौथा, जो महत्व में कम नहीं है, संविधान की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है। क्योंकि, यह एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की नींव पर है कि प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, गरिमा और समानता प्राप्त हो।

20. हमें याद रखना चाहिए कि ये सिद्धांत केवल राजनीतिक उपदेश नहीं हैं। ये संविधान का सार और तत्व हैं और शासन के लिए आधार प्रदान करते हैं।

संविधान शासन के लिए आधार प्रदान करता है। लोकप्रिय संप्रभुता की अभिव्यक्ति के माध्यम से ही संविधान ने समानता के प्रवर्तन और कानून के समान संरक्षण का आश्वासन दिया है। चार संस्थापक सिद्धांत कानून के शासन के प्रति जवाबदेही और उत्तरदायित्व प्राप्त करने के साधन हैं। देश पर शासन करने का लोकतांत्रिक तरीका एक ऐसा मूल्य है जो संविधान का अभिन्न अंग है। जीवन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र मौलिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में भी सहायक है जिसका संविधान प्रत्येक व्यक्ति को आश्वासन देता है। चारों सिद्धांतों में से प्रत्येक का एक अविभाज्य संबंध है। वे आधार प्रदान करते हैं जिस पर संविधान ने संघ और राज्यों के बीच विधायी और कार्यकारी शक्ति वितरित की है। वे गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता की प्राप्ति में बुनियादी मानवीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। वे राष्ट्र के शासन के लिए वास्तुकला का प्रतीक हैं। कई मायनों में, हमारे संविधान की जटिलता भारतीय समाज के भीतर जटिल सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं का प्रतिबिंब है। संविधान ने एक ऐसा संतुलन लाने का प्रयास किया है जिसमें परंपरा की विविधता, विचारों की बहुलता और संस्कृति की विविधताएं एक राष्ट्र में सह–अस्तित्व में रह सकें। हमारी संवैधानिक संस्कृति में निहित अनंत विविधता को नजरअंदाज करना इसकी एकजुटता को खतरे में डालना है। राष्ट्र की अखंडता सह–अस्तित्व को स्वीकार करने और महत्व देने पर आधारित है। संवैधानिक सिद्धांत को इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाना चाहिए।

21. लोकतांत्रिक दुनिया के कई अन्य संवैधानिक ग्रंथों के विपरीत, भारतीय संविधान में कई संशोधन हुए हैं। **पुट्टस्वामी** [30] में, इस न्यायालय ने माना था:

> "संविधान का मसौदा तैयार किया गया और इसे ऐतिहासिक संदर्भ में अपनाया गया। संस्थापक पिताओं की दृष्टि उन लोगों की पीड़ा के इतिहास से समृद्ध हुई, जिन्होंने यहां और अन्य जगहों पर उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना किया। फिर भी, इस बात पर विवाद करना मुश्किल होगा कि समकालीन समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनमें से कई सबसे विशिष्ट मसौदा तैयार करने वालों के दिमाग में मौजूद

नहीं थीं। वर्तमान सहित किसी भी पीढ़ी का समाधानों पर एकाधिकार या भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं हो सकता है।"

संशोधनकारी शक्ति के प्रयोग को इसके मूल पाठ की कमी के प्रतिबिंब के रूप में नहीं माना जा सकता है, जितना कि यह शासन की नई संस्थाओं के निर्माण, नए अधिकारों को मान्यता देने की महसूस की गई आवश्यकता का प्रतिबिंब है।

[30] (2017) 10 एससीसी 1

और बहुमत की शक्ति के दावे पर प्रतिबंध लगाना। समय के साथ, स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया, जैसे कि भाग IX में पंचायतें, भाग IXA में नगर पालिकाएँ और भाग IXB में सहकारी समितियाँ। भागीदारी और प्रतिनिधि लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए शासन की इन संरचनाओं को संवैधानिक रूप से स्थापित किया गया है। अन्य संशोधनों में, नए अधिकारों को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है जैसे कि अनुच्छेद 21A में छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। जैसे ही राष्ट्र ने आपातकाल के दौरान राजनीतिक शक्ति की अधिकता के बारे में गंभीर अनुभव प्राप्त किए, घटक शक्ति ने अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग पर सीमाएँ (चवालीसवें संशोधन के माध्यम से) पेश करके और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में निर्वाचित सरकारों को दरकिनार करने की शक्ति को सीमित करके प्रतिक्रिया व्यक्त की।

22. मूल संरचना सिद्धांत केशवानंद में न्यायिक व्याख्या द्वारा विकसित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान में संशोधन करने के लिए घटक शक्ति के प्रयोग से संवैधानिक शासन के मूल सिद्धांत समाप्त न हों। इस सिद्धांत का अभिधारणा यह है कि ऐसे मूल्य हैं जो लोकतांत्रिक जीवन शैली, सरकार के एक गणराज्य रूप और बुनियादी मानव स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए इतने मौलिक और आंतरिक हैं कि ये घटक शक्तियों के प्रयोग द्वारा ओवरराइड करने के लिए विधायी बहुमत की शक्ति से बाहर होने चाहिए।यह सिद्धांत "क्रूर बहुसंख्यकवाद के खतरों के एक नए लोकतंत्र" के लिए एक चेतावनी थी।[31] बुनियादी संरचना सिद्धांत और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ने (पिछले चौंतीस वर्षों के दौरान) बुनियादी संवैधानिक सुरक्षा उपायों का संरक्षण और लोगों की संप्रभुता के प्रति जवाबदेह संवैधानिक संस्थानों की निरंतरता सुनिश्चित की है। मूल संरचना सिद्धांत घटक शक्ति के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है।समान रूप से, यह याद रखना आवश्यक है कि घटक शक्ति के प्रयोग को कुछ मामलों में मूल संरचना को बढ़ाने के रूप में माना जा सकता है। घटक शक्ति मूल संरचना को तब बढ़ाती है जब यह मानव स्वतंत्रता के नए समूहों को मान्यता देती है, संवैधानिक पाठ में प्रतिनिधि शासन की नई संरचनाओं को स्थापित करती है या लोकप्रिय रूप से निर्वाचित संस्थानों को ओवरराइड करने के लिए राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाती है।धर्मनिरपेक्षता, जो पूरे संवैधानिक ढांचे में निहित है और मौलिक अधिकारों से प्रवाहित होती है

[31] राजू रामचंद्रन, "द क्वेस्ट एंड द क्वेश्चंस", आउटलुक (25 अगस्त, 2014), यहां उपलब्ध है:// डब्ल्यू. डब्ल्यू.आउटलुक इंडिया।कॉम/पत्रिका/कहानी/द-क्वेस्ट-एंड-द-क्वेश्चंस/291655

भाग III में गारंटी संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है।[32] धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक नैतिकता की नींव पर आधारित है और हमारे लोकतंत्र के विचार को दर्शाती है। 42 वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में "धर्मनिरपेक्ष" शब्द को शामिल करने से संविधान की पहचान को फिर से परिभाषित नहीं किया गया। संशोधन ने औपचारिक रूप से संवैधानिक योजना के आधार को मान्यता दी। इस संशोधन ने संविधान की मूल संरचना को मजबूत किया।

23. इस न्याया लय की एक संविधान पीठ ने किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्लु [33] मामले में लोकतंत्र को हमारे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना है। घटक शक्ति का प्रयोग करके अनुच्छेद 239 एए को शामिल करना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए शासन के

एक लोकतांत्रिक रूप को संवैधानिक दर्जे तक बढ़ाने वाले संशोधन का एक उदाहरण है। मूल संरचना को मजबूत करने वाले घटक शक्ति के ऐसे अभ्यासों की व्याख्या करने में, संवैधानिक पाठ के अर्थ को घटक शक्ति के ऐसे अभ्यासों के अंतर्निहित इरादे से निर्देशित किया जाना चाहिए। आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य [34] मामले में इस न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रकार निर्णय दिया थाः

> **"संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या समय के प्रवाह और कानून के विकास को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए। इसलिए, यह आवश्यक है कि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या करते समय विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखा जाए, जिसके कारण कानून का विस्तार और विकास हुआ।** संविधानवाद का सिद्धांत अब एक कानूनी सिद्धांत है, जिसके लिए सरकारी शक्ति के प्रयोग पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नष्ट न करे, जिन पर यह आधारित है। इन लोकतांत्रिक सिद्धांतों में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा शामिल है। संविधानवाद का सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण के एक नियंत्रण और संतुलन मॉडल की वकालत करता है, इसके लिए शक्तियों के प्रसार की आवश्यकता होती है, जिसके लिए निर्णय लेने के विभिन्न स्वतंत्र केंद्रों की आवश्यकता होती है। संविधानवाद का सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण के एक नियंत्रण और संतुलन मॉडल की वकालत करता है, इसके लिए शक्तियों के प्रसार की आवश्यकता होती है, जिसके लिए निर्णय लेने के विभिन्न स्वतंत्र केंद्रों की आवश्यकता होती है।" (जोर दिया गया)

[32] केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, (1973) 4 एससीसी 225; एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ, (1994) 3 एससीसी 1

[33] 1992 एस. सी. सी. सुपरवाइजर।(2) 651

[34] (2007) 2 एससीसी 1

इस पृष्ठभूमि में संविधान के भाग VIII के प्रावधानों की ओर मुड़ना आवश्यक होगा।

डी संविधान का भाग VIII: केंद्र शासित प्रदेश

24. 1956 से पहले भारतीय संविधान का भाग VIII पहली अनुसूची के भाग सी से संबंधित था।1956 में संविधान के सातवें संशोधन द्वारा भाग आठ में संशोधन किया गया था।साथ ही, पहली अनुसूची को सातवें संशोधन (अनुच्छेद 1 के साथ) द्वारा संशोधित किया गया था। भाग ए, बी और सी राज्यों के स्थान पर, संविधान अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राष्ट्र के क्षेत्र के विभाजन का प्रावधान करता है। जबकि अनुच्छेद 1 का खंड 1 निर्धारित करता है कि भारत राज्यों का संघ है, खंड 2 पहली अनुसूची के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करता है।जैसा कि अनुच्छेद 1 के खंड 3 में प्रावधान है, भारत के क्षेत्र में शामिल हैंः

(i) राज्यों के क्षेत्र;

(ii) संघ राज्य क्षेत्र; और

(iii) वे क्षेत्र जो अधिग्रहित किए जा सकते हैं।

25. अनुच्छेद 239 में इस प्रकार प्रावधान है:

"239. (1) संसद द्वारा कानून द्वारा अन्यथा प्रदान की गई बातों को छोड़कर, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उस सीमा तक किया जाएगा, जैसा वह उचित समझे, एक प्रशासक के माध्यम से जिसे वह ऐसे पदनाम से नियुक्त करेगा, जैसा वह निर्दिष्ट कर सकता है।

(2) भाग VI में निहित किसी भी बात के बावजूद, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, और जहां

राज्यपाल को इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, वह ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करेगा।"

अनुच्छेद 239 के खंड 1 में कई तत्व हैं, जो इसकी सामग्री को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं:

(i) खंड 1, जैसा कि इसके शुरुआती शब्दों से संकेत मिलता है, संसद द्वारा "अन्यथा कानून द्वारा" प्रदान किए जाने के अधीन है;

(ii) प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है;

(iii) राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उस सीमा तक होता है, जैसा राष्ट्रपति "उचित समझते हैं";

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन एक प्रशासक के कार्यालय के माध्यम से होता है; और

(v) प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक पदनाम के साथ की जाती है जैसा कि वह निर्दिष्ट करेगा।

अनुच्छेद 239 ए, जिसे 1962 में संविधान के चौदहवें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, निम्नानुसार प्रदान करता हैः

"239 क. कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण।—

(1) संसद विधि द्वारा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए बना सकती है -

(क) केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए एक निकाय, चाहे वह निर्वाचित हो या आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित,

(ख) मंत्रिपरिषद,

या दोनों ऐसे संविधान, शक्तियों और कार्यों के साथ, प्रत्येक प्रकरण में, जैसा कि विधि में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट कोई भी ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस विधि का संशोधन नहीं मानी जाएगी, भले ही इसमें कोई ऐसा प्रावधान हो जो इस विधि में संशोधन करता हो या जिसका इस विधि में संशोधन करने का प्रभाव हो।"

अनुच्छेद 239 ए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी पर लागू होता है (गोवा, दमन और दीव को गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 द्वारा 1987 से बाहर रखा गया था)।

26. अनुच्छेद 239 ए सक्षम कर रहा है। यह संसद को केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विधि बनाने में सक्षम बनाता है ताकि एक विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण किया जा सके। विधायिका के निर्माण में, संसद को यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है कि क्या विधायी निकाय पूरी तरह से निर्वाचित होना चाहिए या इसमें एक निश्चित संख्या में नामित विधायक शामिल होने चाहिए। संसद, अपनी विधायी शक्ति में, या तो विधायिका या मंत्रिपरिषद बनाने का निर्णय ले सकती है। ऐसा करना है या नहीं, यह सबसे पहले उसके विवेक पर छोड़ दिया जाता है। इनमें से एक या दोनों निकायों का निर्माण

किया जाना चाहिए या नहीं, यह भी संसद के विधायी प्राधिकरण पर छोड़ दिया जाता है। यदि यह एक विधि बनाने का निर्णय लेता है, तो संसद को ए की संवैधानिक शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है।

विधायिका और मंत्रिपरिषद। जबकि संविधान एक सक्षम प्रावधान प्रदान करता है, एक विधानमंडल की स्थापना, मंत्रिपरिषद का निर्माण और उनके अधिकार का दायरा संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले एक सामान्य विधि द्वारा शासित किया जाना है। खंड 2 स्पष्ट करता है कि ऐसी विधि अनुच्छेद 368 के तहत विधि के संशोधन का गठन नहीं करेगी, भले ही इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हों जो विधि में संशोधन या संशोधन करने के प्रभाव वाले हों। अनुच्छेद 239 ए के तहत केंद्र शासित प्रदेशों पर शासन करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों का निर्माण संसद की विधायी इच्छा पर छोड़ दिया गया था।

27. अनुच्छेद 239 ए के प्रावधानों के विपरीत वह पाठ है जिसे संविधान ने दिल्ली को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित किया है। अनुच्छेद 239 एए के सीमांत नोट में कहा गया है कि अनुच्छेद "दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान" करता है।

अनुच्छेद 239 एए इस प्रकार प्रदान करता हैः

“239 एए. दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान।— (1) संविधान (69 वां संशोधन) अधिनियम, 1991 के प्रारंभ की तारीख से, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (इसके बाद इस भाग में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में संदर्भित) कहा जाएगा और अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त इसके प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा।

(2) (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी और ऐसी विधानसभा में सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी।

(ख) विधान सभा में सीटों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन (ऐसे विभाजन के आधार सहित) और विधान सभा के कामकाज से संबंधित अन्य सभी मामलों को संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(ग) अनुच्छेद 324 से 327 और 329 के प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे क्रमशः किसी राज्य, किसी राज्य की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं। और अनुच्छेद 326 और 329 में "उपयुक्त विधानमंडल" के लिए किसी भी संदर्भ को संसद के लिए एक संदर्भ माना जाएगा।

(3) (क) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विधान सभा को राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी, जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, राज्य सूची की प्रविष्टियों 1,2 और 18 और उस सूची की प्रविष्टियों 64,65 और 66 के संबंध में मामलों को छोड़कर जहां तक वे उक्त प्रविष्टियों 1,2 और 18 से संबंधित हैं।

(ख) उपखंड (क) की कोई भी बात इस संविधान के तहत किसी केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्तियों का हनन नहीं करेगी।

(ग) यदि किसी विषय के विधि में विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध उस विषय के विधि में संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के प्रतिकूल है, चाहे वह विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या बाद में पारित किया गया हो, या विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न किसी पूर्ववर्ती विधि का, तो दोनों ही मामलों में, संसद द्वारा बनाई गई विधि या, यथास्थिति, ऐसी पूर्ववर्ती विधि प्रबल होगी और विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि, तिरस्कार की सीमा तक, शून्य होगी:बशर्ते कि यदि

विधि सभा द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित की गई है और उसे उसकी सहमति मिल गई है, तो ऐसी विधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रबल होगीः

बशर्ते कि इस उपखंड की कोई भी बात संसद को किसी भी समय एक ही मामले के संबंध में कोई भी विधि बनाने से नहीं रोकेगी, जिसमें विधान सभा द्वारा इस तरह बनाए गए विधि को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या निरस्त करने वाली विधि भी शामिल है।

(4) एक मंत्रिपरिषद होगी जिसमें दस प्रतिशत से अधिक सदस्य नहीं होंगे।विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री हैं, उन मामलों के संबंध में अपने कार्यों के प्रयोग में उपराज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए जिनके संबंध में विधान सभा को विधि बनाने की शक्ति है, सिवाय इसके कि जहां तक वह किसी विधि द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने के लिए अपेक्षित हैःबशर्ते कि ए के बीच मतभेद की प्रकरण में उप-राज्यपाल और उसके मंत्री किसी भी मामले पर, उप-राज्यपाल उसे राष्ट्रपति को निर्णय के लिए भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा और ऐसा निर्णय आने तक उप-राज्यपाल के लिए किसी भी मामले में सक्षम होगा जहां प्रकरण, उसकी राय में, इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना, ऐसी कार्रवाई करना या मामले में ऐसा निर्देश देना आवश्यक है जो वह आवश्यक समझे।

(5) मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद धारण करेंगे।

(6) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

(7) (क) विधि द्वारा, पूर्वगामी खंडों में निहित प्रावधानों को प्रभावी बनाने या पूरक बनाने के लिए और उनके सभी आनुषंगिक या परिणामी मामलों के लिए प्रावधान कर सकती है।(ख) ऐसी कोई विधि जो उपखंड (क) में निर्दिष्ट है, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस विधि का संशोधन नहीं मानी जाएगी, इसके बावजूद कि इसमें कोई प्रावधान है जो इस विधि में संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है।

(8) अनुच्छेद 239 ख के प्रावधान, जहां तक हो सके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उपराज्यपाल और विधान सभा के संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे क्रमशः पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश, प्रशासक और उसके विधानमंडल के संबंध में लागू होते हैं; और उस अनुच्छेद में "अनुच्छेद 239 क के खंड (1)" के किसी भी संदर्भ को इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 239 एबी का संदर्भ माना जाएगा, जैसा भी प्रकरण हो।”

अनुच्छेद 239 एए घटक शक्ति के प्रयोग का एक उत्पाद है, जो 1 फरवरी 1992 को लागू किए गए 69 वें संशोधन से इसकी उत्पत्ति का पता लगाता है। खंड 1 के तहत, संविधान (उनसठवां संशोधन) अधिनियम 1991 के प्रारंभ के साथ, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है। इसके प्रशासक, जिन्हें अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त किया जाता है, को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाता है। अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक 239(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है।उपराज्यपाल की नियुक्ति करने की शक्ति का स्रोत अनुच्छेद 239 (1) से पता चलता है।

28. अनुच्छेद 239 एए के खंड 2 में एक संवैधानिक जनादेश है कि एन. सी. टी. के लिए एक विधान सभा होगी। यह अनुच्छेद 239 ए के विपरीत है, जिसने उस प्रावधान द्वारा शासित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक विधि बनाकर एक विधायिका बनाने के लिए संसद के विवेक पर छोड़ दिया था। अनुच्छेद 239 ए. ए. एन. सी. टी. के लिए विधानसभा को संवैधानिक स्थिति प्रदान करता है। इसका प्रतिनिधि चरित्र इस जनादेश में परिलक्षित होता है कि विधानसभा के सदस्यों को एन. सी. टी. में "क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुना जाएगा"। प्रत्यक्ष चुनाव की आवश्यकता सहभागी लोकतंत्र के शासन को रेखांकित

करती है और विधानसभा के सदस्य एन. सी. टी. में शामिल क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। संसद को विधि के माध्यम से विनियमन, विधानसभा में सीटों की संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को परिभाषित करने और सभी मामलों में विधानसभा के कामकाज को स्पष्ट करने की भूमिका सौंपी गई है।संविधान विधानसभा के दर्जे को जो महत्व देता है, वह एन. सी. टी. के संबंध में अनुच्छेद 324 से 327 और 329 के प्रावधानों को अपनाने से स्पष्ट होता है, जैसा कि वे किसी राज्य की विधानसभा के प्रकरण में लागू होते हैं। ये अनुच्छेद (जो संविधान के भाग XV में निहित हैं) भारत के चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हैं और इसे सभी चुनावों के संचालन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य सौंपते हैं। अनुच्छेद 325 धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ एक गारंटी है। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का प्रतीक है। अनुच्छेद 327 संसद को विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान ने दिल्ली के लिए एक विधान सभा के संस्थागत अस्तित्व को इतना महत्वपूर्ण मामला माना है कि इसे अनुच्छेद 239 एए के खंड 2 में संवैधानिक आवश्यकता तक बढ़ाया जाना चाहिए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की गारंटी प्रदान की जानी चाहिए जो भारत के चुनाव आयोग की संवैधानिक रूप से स्थापित स्थिति के माध्यम से लागू की जाती है।

29. अनुच्छेद 239 एए का खंड 3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विधान सभा की विधायी शक्तियों को परिभाषित करता है। उप खंड (ए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विधान सभा को संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य या समवर्ती सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। विधान सभा की क्षमता "जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" तक सीमित है। इसलिए विधानसभा राज्य और समवर्ती सूचियों में प्रविष्टियों के संबंध में कानून बना सकती है, जिस हद तक वे किसी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होते हैं। समान महत्व का अपवाद है जिसे तराशा गया है:राज्य सूची की प्रविष्टियां 1,2 और 18 (और प्रविष्टियां 64,65 और 66 जहां तक वे प्रविष्टियां 1,2 और 18 से संबंधित हैं) एन. सी. टी. की विधान सभा की विधायी शक्तियों के बाहर हैं। राज्य सूची की प्रविष्टियाँ 1,2 और 18 इस प्रकार हैं:

"1. सार्वजनिक व्यवस्था (लेकिन इसमें किसी भी नौसेना, सैन्य या वायु सेना या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल या नागरिक शक्ति की सहायता के लिए किसी भी दल या इकाई का उपयोग शामिल नहीं है)।

2. पुलिस (रेलवे और ग्राम पुलिस सहित) सूची I की प्रविष्टि 2ए के प्रावधानों के अधीन।

18. भूमि पर अधिकार, भूमि मालिक और किरायेदार के संबंध सहित भूमि कार्यकाल, और किराए का संग्रह; कृषि भूमि का हस्तांतरण और अलगाव; और सुधार और कृषि ऋण; उपनिवेशीकरण।"

लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। प्रविष्टियाँ 64,65 और 66 इस प्रकार प्रदान करती हैंः

"64. इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानूनों के खिलाफ अपराध।

65. इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियाँ।

66. इस सूची के किसी भी मामले के संबंध में शुल्क, लेकिन किसी भी न्यायालय में ली गई शुल्क को शामिल नहीं करते हैं।"

विधान सभा उपरोक्त प्रविष्टियों (जो राज्य सूची, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र और शुल्क के लिए संदर्भित कानूनों के खिलाफ अपराधों से संबंधित हैं) को नियंत्रित करने वाले कानूनों

को लागू करने से अक्षम है क्योंकि वे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से संबंधित हैं। यह इस तथ्य का एक संवैधानिक संकेत है कि एन. सी. टी. को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में इसकी स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बाहर करने के लिए राष्ट्र के दृष्टिकोण से विशिष्ट महत्व का माना गया है। बहिष्करणों के अलावा, संसद की नियामक शक्ति का अत्यधिक महत्व है -

संसद को सातवीं अनुसूची में राज्य के साथ-साथ समवर्ती सूची के विषयों पर विधायी शक्ति प्रदान करके रेखांकित किया गया। राज्य विधानसभाओं के विपरीत, जो विशेष रूप से राज्य सूची पर विधायी शक्ति का उपयोग करती हैं, अनुच्छेद 246 (3) के प्रावधानों के तहत, एन. सी. टी. के लिए विधानसभा के पास राज्य सूची विषयों पर विशेष विधायी क्षमता नहीं है। एक संवैधानिक कल्पना के अनुसार, जैसे कि संसद के पास सातवीं अनुसूची में समवर्ती के साथ-साथ राज्य सूची के विषयों पर विधायी शक्ति है। अनुच्छेद 239 एए के खंड 3 के उपखंड (सी) में अनुच्छेद 254 के समान तिरस्कार का प्रावधान है। विधान सभा द्वारा अधिनियमित कोई विधि संसद द्वारा अधिनियमित विधि के प्रतिकूल होने की सीमा तक अमान्य होगा जब तक कि उसे राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिल जाती। इसके अलावा, राष्ट्रपति की सहमति संसद को भविष्य में विधायी सभा द्वारा अधिनियमित विधि को ओवरराइड या संशोधित करने के लिए विधि बनाने से नहीं रोकेगी। इसलिए, अनुच्छेद 239 एए के खंड 2 और खंड 3 के प्रावधानों से संकेत मिलता है कि एन. सी. टी. की विधान सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए, संविधान ने अपनी विधायी शक्तियों के दायरे को सीमित कर दिया है, पहला, अपनी क्षमता से कुछ विषयों को अलग करके (उन्हें संसद में निहित करके) और दूसरा, संसद को राज्य और समवर्ती सूचियों दोनों में आने वाले मामलों पर विधि बनाने में सक्षम बनाकर।इसके अलावा, जिन विषयों को इसे सौंपा गया है, विधानसभा का विधायी प्राधिकरण अनन्य नहीं है और संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के अधीन है।

ई. मंत्रिमंडल सरकार का रूप

30. एन. सी. टी. की कार्यकारी शक्ति की प्रकृति और विस्तार पर विचार-विमर्श करने से पहले, सरकार के कैबिनेट रूप की आवश्यक विशेषताओं पर चर्चा करना आवश्यक है, जो वर्तमान संदर्भ में सर्वोपरि हैं।

सामूहिक उत्तरदायित्व

31. सामूहिक जिम्मेदारी वेस्टमिंस्टर मॉडल की आधारशिला है।प्रारंभ में 1780 और 1832 के बीच ब्रिटेन में एक संवैधानिक सम्मेलन के रूप में [35] विकसित किया गया, यह 1860 और 1870 के दशक में पाठ्य-पुस्तकों में [36] दिखाई देने लगा।1867 में, वाल्टर बेगहॉट ने "द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन" शीर्षक से अपनी उत्कृष्ट कृति में "हाउस ऑफ कॉमन्स" को "एक वास्तविक चयन निकाय" के रूप में कहा, जो यह तय करता है कि राष्ट्र किस रास्ते पर चलेगा।[37]

[35] ए. एच. बर्च, प्रतिनिधि और जिम्मेदार सरकार, जॉर्ज एलन एंड अनविन लिमिटेड (1964), पृष्ठ 131 पर

[36] इबिद, पृष्ठ 136 पर

[37] वाल्टर बेगहॉट, द इंग्लिश कांस्टीट्यूशन, दूसरा संस्करण (1873), पृष्ठ 118 पर, यहां उपलब्ध है://समाज विज्ञान, मैकमास्टर, सीए/इकोन/यूजीसीएम/3113/बागेहोत/संविधान।पीडीएफ

इसका परिणाम ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में ऐसी प्रणालीगत अपेक्षा का एक उदाहरण, बैजहॉट ने घोषित किया, यह था कि जनता, "संसद के माध्यम से, एक ऐसा प्रशासन बना सकती है जो उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है, और एक ऐसा प्रशासन स्थापित कर सकती है जो उसके अनुसार काम करेगा" [38]। मंत्रियों की जिम्मेदारी "संसद में अपने सभी सार्वजनिक कार्यों पर चर्चा करवाने" के रूप में निर्धारित की गई थी।[39] मंत्रिमंडल को "एक सामूहिक निकाय के रूप में परिभाषित किया गया था जो एक सामान्य जिम्मेदारी से बंधा हुआ है"।[40] बाद में, लॉर्ड सैलिसबरी ने इस सामान्य जिम्मेदारी को इस प्रकार तैयार किया:

> **"** [च] या मंत्रिमंडल में जो कुछ भी पारित होता है**,** उसका प्रत्येक सदस्य जो इस्तीफा नहीं देता है**,** वह पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से जिम्मेदार होता है**,** और यह कि बाद में उसे यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह एक प्रकरण में समझौते के लिए सहमत हो गया था, जबकि दूसरे में उसे उसके एक सहयोगी ने राजी

किया था। यह केवल इस सिद्धांत पर है कि मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य द्वारा पूर्ण जिम्मेदारी ली जाती है, जो एक निर्णय पर पहुंचने के बाद, इसका सदस्य बना रहता है, कि संसद के प्रति मंत्रियों की संयुक्त जिम्मेदारी को बरकरार रखा जा सकता है, और संसदीय जिम्मेदारी की सबसे आवश्यक शर्तों में से एक स्थापित की जा सकती है।" [41] (जोर दिया गया)

यदि मंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स या संसद का विश्वास बनाए रखने में विफल रहते हैं, तो वे अपने पद खोने के लिए उत्तरदायी थे।

1880 के दशक में, डाइसी, "संविधान का कानून", ने प्रस्ताव दिया किः

"[यह] अब सुस्थापित कानून है कि क्राउन केवल मंत्रियों के माध्यम से और कुछ निर्धारित रूपों के अनुसार कार्य कर सकता है, जिसके लिए किसी मंत्री, जैसे कि राज्य सचिव या लॉर्ड चांसलर के सहयोग की आवश्यकता होती है, जो न केवल नैतिक रूप से बल्कि कानूनी रूप से उस कार्य की वैधता के लिए जिम्मेदार हो जाता है जिसमें वह भाग लेता है। इसलिए, अप्रत्यक्ष रूप से लेकिन निश्चित रूप से, क्राउन के प्रत्येक सेवक की कार्रवाई, और इसलिए, क्राउन के प्रभाव में, देश की सर्वोच्चता के तहत लाया जाता है। संसदीय जिम्मेदारी के पीछे कानूनी दायित्व निहित है, और कानून के शासन के अधीन मंत्रियों के कार्य अधीनस्थ अधिकारियों के कार्यों से कम नहीं हैं।[42]

[38] इबिद, पृष्ठ 34 पर

[39] एडवर्ड ए. फ्रीमैन, द ग्रोथ ऑफ द इंग्लिश कांस्टीट्यूशन (1872)

[40] इबिद

[41] एच. एल. डी. ई. बी. खंड 239 सी. सी. 833-4,8 अप्रैल 1878

[42] आई. बी. आई. डी, पृष्ठ 327 पर

इसने सरकार के "सामान्य संचालन" [43] के लिए मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी तय की।

32. बीसवीं शताब्दी में, सर आइवर जेनिंग्स ने एक कैबिनेट सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा की, इस प्रकारः

> “एक ऐसी सरकार जो एक बुनियादी मुद्दे पर अपना मन नहीं बना सकती है, उसे सरकार नहीं होना चाहिए और निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह से माना जाएगा।इसका पतन आसन्न माना जा सकता है।” [44]

मंत्रिमंडल का आचरण सरकार के भाग्य का निर्धारण करता है।

33. संसद के प्रति मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी को दो पहलुओं में समझा जाता हैः(i) सरकार की नीतियों के लिए मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी; और (ii) अपनी सरकारों के कार्यों के लिए मंत्रियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी।[45] इस विभाजन के पीछे का विचार, जैसा कि बिर्च ने समझाया है, एक सरकार को "अपने कार्यों के लिए लगातार जवाबदेह ठहराना है, ताकि उसे हमेशा इस संभावना का सामना करना पड़े कि एक बड़ी गलती के परिणामस्वरूप संसदीय समर्थन वापस ले लिया जा सकता है।”[46] ब्रिटिश प्रणाली में, सामूहिक जिम्मेदारी कुछ उपदेशों के आधार पर काम करती है जो सरकार के अस्तित्व को परिभाषित और विनियमित करते हैं। जेफ्री मार्शल (1989) सिद्धांत [47] के भीतर तीन तारों की पहचान करते हैंः

> (i) विश्वास का सिद्धांतःएक सरकार केवल तब तक पद पर रह सकती है जब तक वह हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास बरकरार रखती है, एक विश्वास जिसे तब तक माना जा सकता है जब तक कि विश्वास मत द्वारा अन्यथा साबित नहीं किया जाता है।

(ii) सर्वसम्मति का सिद्धांतःसरकार के सभी सदस्य संसद में एक साथ बोलते हैं और मतदान करते हैं, सिवाय उन स्थितियों के जहां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल स्वयं एक अपवाद बनाते हैं जैसे कि स्वतंत्र मतदान या 'अलग होने का समझौता'; और

(iii) गोपनीयता सिद्धांतःसर्वसम्मति, एक सार्वभौमिक रूप से

लागू स्थिति, एक संवैधानिक कल्पना है, लेकिन जिसे बनाए रखा जाना चाहिए, और कहा जाता है कि यह मंत्रिमंडल और सरकार के भीतर स्पष्ट मंत्रिस्तरीय चर्चा की अनुमति देता है।

[43] इबिद, पृष्ठ 327 पर

[44] आइवर जेनिंग्स, कैबिनेट गवर्नमेंट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस (1959), तीसरा संस्करण, पृष्ठ 279 पर

[45] ए. एच. बिर्च (सुप्रा नोट 35), पृष्ठ 131 46 आई. बी. आई. डी., पृष्ठ 137 पर

[47] जी. मार्शल, मंत्रिस्तरीय जिम्मेदारी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (1989), पृष्ठ 2-4 ए पर

34. 2007 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस द्वारा किए गए एक अध्ययन में 1945-1997 के बीच मंत्रियों के व्यक्तिगत और सामूहिक प्रदर्शन की जांच की गई।अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि हालांकि यह सिद्धांत "एक व्यक्तिगत मंत्री के लिए सुरक्षा के एक रूप के रूप में कार्य करता है जब उसके विभाग में अपनाई जाने वाली नीतियों को विफल माना जाता है", इसने सरकार का सदस्य होने के लिए एक लागत भी प्रेरित की।एकजुटता के सिद्धांत के परिणामस्वरूप सरकार के सभी मंत्रियों को नीतिगत विफलता की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से साझा करने के रूप में माना जाता था।[48]

सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत सरकार की संसदीय प्रणाली की अपरिहार्य विशेषताओं में से एक के रूप में विकसित हुआ है और सरकार और संसद के बीच राजनीतिक जुड़ाव को दर्शाता है।एक संसदीय लोकतंत्र में, सिद्धांत की बारीकियां राजनीतिक होती हैं।[49]

"सामूहिकता और सुसंगतता" की धारणा को बनाए रखने के लिए, मंत्री एक टीम के रूप में काम करते हैं।ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ में, वान्ना (2012) यह मानता है कि सामूहिक जिम्मेदारी एक सरकार के अस्तित्व के लिए आवश्यक एक कम प्रवाहित धारा के रूप में कार्य करती है:

> “एक सरकार के रूप में जीवित रहने के लिए, मंत्रालयों को यह दिखाना होगा कि वे सदन का विश्वास बनाए रख सकते हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों और मीडिया के लिए एक विश्वसनीय मोर्चा बना सकते हैं, और एक कार्य मंत्रालय के रूप में राज्य के व्यवसाय से निपटने के तरीके खोज सकते हैं, जिनमें से अधिकांश में सामूहिक निर्णय लेना और सामूहिक कार्यकारी अधिकार लागू करना शामिल होगा।” [50]

35. ग्रैनविल ऑस्टिन का मानना है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने यह कल्पना की थी कि संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों को "प्रत्यक्ष, जिम्मेदार सरकार के संस्थानों" में प्राप्त किया जाएगा।[51]. संविधान सभा के सदस्यों ने संसदीय उधार लिया ?

[48] सैमुअल बर्लिंस्की, टोरून दीवान और कीथ डाउडिंग, "इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव परफॉरमेंस एंड द टेन्योर ऑफ ब्रिटिश मिनिस्टर्स 1945-1997", लंदन स्कूल ऑफ इको-नॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (फरवरी 2007), पर उपलब्ध है।//छापें। lse.ac।यूके/19281/1/व्यक्तिगत और सामूहिक प्रदर्शन और ब्रिटिश मंत्रियों का कार्यकाल 1945-1997।

[49] वी. सुधीश पाई ने कहा, "क्या नदी स्रोत से अधिक ऊँची हो रही है?व्यवसाय के नियमों की प्रकृति-निर्देशिका या अनिवार्य?” जर्नल ऑफ इंडियन विधि इंस्टीट्यूट (2011), पृष्ठ 513 पर

[50] जॉन वान्ना, "मंत्रालयों के रूप में मंत्री और उनकी सामूहिक कार्रवाई का तर्क", कीथ डाउडिंग और क्रिस लुईस (संस्करण) में, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल सरकार में मंत्रिस्तरीय करियर और जवाबदेही, ए. एन. यू. प्रेस (2012), एच. टी. पी. पर उपलब्ध है://फाइल दबाएँ।अनु।एडयू।एयू/डाउनलोड/प्रेस/पी191121/पी. डी. एफ./सी. एच. 023।पीडीएफ

[51] ग्रैनविल ऑस्टिन (सुप्रा नोट 3), पृष्ठ 145 पर

ब्रिटिश संवैधानिक सिद्धांत से सरकार का मंत्रिमंडल रूप और इसे हमारे संविधान में अपनाया गया।[52] हालांकि संविधान सभा ने लिखित रूप में ब्रिटिश संवैधानिक सम्मेलनों को

नहीं अपनाया, लेकिन मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी को विशेष रूप से भारत के संवैधानिक ढांचे में शामिल किया गया था।[53]

सामूहिक उत्तरदायित्व और सरकारी उत्तरदायित्व के सिद्धांत के बीच सीधा संबंध है।इस संबंध की अवधारणा "द ऑक्सफोर्ड कम्पेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया" में दी गई हैः

> "[(क) गणना को सरकार की प्रक्रियाओं के बजाय परिणामों के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें नागरिकों की जरूरतों और क्षमताओं को बदलने वाली परिस्थितियों में परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया की कसौटी भी शामिल है। दूसरे शब्दों में, जवाबदेही का अर्थ है कि वास्तविक नीतियां और उनका कार्यान्वयन किस हद तक एक मानक आदर्श के साथ मेल खाता है जो उन्हें होना चाहिए। इस व्यापक अर्थ में, जवाबदेही स्वयं शासन की प्रकृति का मूल्यांकन करने के बराबर है, परिणाम-उन्मुख शब्दों में।" [54]

भारतीय संविधान की ऑक्सफोर्ड पुस्तिका [55] (2016) सामूहिक जिम्मेदारी के कई पहलुओं के बारे में बताती हैः

> "सामूहिक उत्तरदायित्व के कई पहलू हैं।सबसे पहले, मंत्री एक सामान्य इकाई के रूप में कार्य करते हैं; मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। असहमति, यदि कोई हो, तो निजी तौर पर प्रसारित की जा सकती है। मंत्री, यद्यपि एक स्वर में बोलते हैं और संसद में और सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जो लोग विशेष सरकारी नीतियों के साथ खुद को सुलझा नहीं सकते हैं, या सार्वजनिक रूप से उनका बचाव करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके विपरीत, विशेष मंत्रियों के निर्णय, जब तक कि खारिज नहीं किए जाते हैं, सरकार के निर्णय होते हैं।"

इस सिद्धांत को एक राजनीतिक घटक के रूप में भी माना गया है जिसे सत्ता में बैठे राजनीतिक दल पार्टी अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू करते हैं।[56]

[52] इबिद, पृष्ठ 166 पर

[53] इबिद, पृष्ठ 172 पर

[54] दिलीप मुखर्जी, निरजा गोपाल जयाल और प्रताप भानु मेहता में "सरकारी जवाबदेही" (संस्करण), द ऑक्सफोर्ड कम्पेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2010), पृष्ठ 477 पर।

[55] शुभंकर दाम, सुजीत चौधरी, माधव खोसला और प्रताप भानु मेहता में "कार्यकारी" (संस्करण), द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2016), पृष्ठ 319 पर।

[56] इबिद

व्यवहार में सामूहिक जिम्मेदारी उन स्थितियों में भी मौजूद है जहां मंत्रियों को अपने-अपने विभागों के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों की कोई जानकारी नहीं होती हैः

> “शासन एक जटिल मामला है; दर्जनों विभागों में सैकड़ों अधिकारी दैनिक आधार पर कई निर्णय लेते हैं। ये अधिकारी कार्यपालिका का भी हिस्सा होते हैं, और मंत्री उन लोगों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो अपने विभागों में काम करते हैं। आम तौर पर, मंत्री खुद को नीतिगत मुद्दों में व्यस्त रखते हैं; कार्यान्वयन के मामले आमतौर पर उन अधिकारियों पर छोड़ दिए जाते हैं जिन पर मंत्रियों की बहुत कम या कोई निगरानी नहीं होती है। फिर भी, जब वे कार्य करते हैं, तो अधीनस्थ वैचारिक रूप से मंत्रियों की ओर से ऐसा करते हैं।इसलिए मंत्री अज्ञानता की शरण नहीं ले सकते।न ही वे अपने अधिकारियों की ओर इशारा करके खुद को दोषमुक्त कर सकते हैं।संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह वे अपनी विभागीय कमियों के लिए जवाबदेह हैं।” [57]

36. सामूहिक उत्तरदायित्व, एक सिद्धांत और व्यवहार के रूप में, इस न्याया लय के कई निर्णयों में आधिकारिक रूप से प्रभावी किया गया है।इस न्याया लय की संविधान पीठ ने राय साहिब राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य [58] में कार्यपालिका के कार्यों की जांच की। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रपति "कार्यपालिका का एक औपचारिक या

संवैधानिक प्रमुख" है और "वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ" मंत्रियों या मंत्रिमंडल में निहित हैं:

> “हमारा संविधान, हालांकि अपनी संरचना में संघीय है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जहां सरकारी नीति के निर्माण और इसे विधि में बदलने के लिए कार्यपालिका को प्राथमिक जिम्मेदारी माना जाता है, हालांकि इस जिम्मेदारी के प्रयोग की पूर्व शर्त राज्य की विधायी शाखा का विश्वास बनाए रखना है। इसलिए, भारतीय संविधान में, हमारे पास संसदीय कार्यपालिका की वही प्रणाली है जो इंग्लैंड में है और विधानमंडल के सदस्यों की मंत्रिपरिषद, जैसा कि यह करती है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तरह है, "एक हाइफन जो जुड़ता है, एक बकल जो राज्य के विधायी हिस्से को कार्यपालिका भाग से जोड़ता है।"कैबिनेट
>
> जैसा कि यह करता है**,** विधायिका में बहुमत अपने आप में विधायी और कार्यकारी दोनों कार्यों के आभासी नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है**;** और जैसा कि मंत्रिमंडल का गठन करने वाले मंत्री संभवतः बुनियादी बातों पर सहमत हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करते हुए**,** नीति के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं।**”**

[57] इबिद, पृष्ठ 320

[58] (1955) 2 एस. सी. आर. 225 पर

(जोर दिया गया)

मंत्रिमंडल और व्यक्तिगत मंत्रियों की जिम्मेदारी के बीच के संबंध को ए संजीवी नायडू बनाम मद्रास राज्य [59] में संविधान पीठ के फैसले में निपटाया गया था:

> “मंत्रिमंडल किसी भी मंत्रालय में की गई प्रत्येक कार्रवाई के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।यही संयुक्त उत्तरदायित्व का सार है। इसका मतलब यह नहीं है कि

प्रत्येक निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाना चाहिए। मंत्रिपरिषद की राजनीतिक जिम्मेदारी सभी या किसी भी सरकारी कार्यों के निर्वहन के लिए मंत्रियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अनुमान नहीं लगाती है और न ही लगा सकती है। इसी तरह एक व्यक्तिगत मंत्री अपने मंत्रालय में की गई या छोड़ी गई प्रत्येक कार्रवाई के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यह फिर से एक राजनीतिक जिम्मेदारी है न कि व्यक्तिगत जिम्मेदारी।"

समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य [60] में, मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे (बहुमत के लिए बोलते हुए) ने राय दी कि मंत्रियों को प्रत्येक कार्यकारी कार्य के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिएः

"इंग्लैंड में, संप्रभु कभी भी अपनी जिम्मेदारी पर काम नहीं करता है। संप्रभु की शक्ति व्यावहारिक नियम द्वारा सशर्त है कि क्राउन को अपने कार्य के लिए ज़िम्मेदार होने के लिए सलाहकार ढूंढने चाहिए। उन सलाहकारों को हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास होना चाहिए। अंग्रेजी संवैधानिक विधि का यह नियम हमारे संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों में सरकार के एक संसदीय और जिम्मेदार रूप की परिकल्पना की गई है, न कि राष्ट्रपति सरकार के रूप में।संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की शक्तियाँ अलग नहीं हैं।"

कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ [61] में इस न्याया लय के सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले ने सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी के सार को समझाया। सभी मंत्रियों को एक इकाई माना जाता है।एक सरकार तभी तक पद पर रह सकती है जब तक उसे विधानमंडल के अधिकांश सदस्यों का समर्थन और विश्वास प्राप्त हो। सरकार प्रत्येक मंत्री और उसके विभाग के निर्णयों और नीतियों के लिए राजनीतिक रूप से जिम्मेदार है। किसी भी सरकारी कार्रवाई के खिलाफ़ मंजूरी सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत में सन्निहित मानी गई, जिसे "जनमत के दबाव" द्वारा लागू किया जाता है और विशेष रूप से राजनीतिक समर्थन वापस लेने के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है:

[59] (1970) 1 एससीसी 443

[60] (1974) 2 एससीसी 831

[61] (1977) 4 एससीसी 608

> “सामूहिक उत्तरदायित्व का उद्देश्य सामूहिक रूप से मंत्रिस्तरीय पद धारण करने वाले व्यक्तियों के पूरे निकाय को बनाना है, या, यदि कोई ऐसा कहता है, तो दूसरों के ऐसे कृत्यों के लिए "परोक्ष रूप से" जिम्मेदार होना उनकी सामूहिक इच्छा के लिए संदर्भित है ताकि, भले ही कोई व्यक्ति इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार न हो, फिर भी, उसे उन लोगों के साथ जिम्मेदारी साझा करने वाला माना जाएगा जिन्होंने वास्तव में कुछ गलत किया हो।”

कॉमन कॉज, ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया [62] में तीन जजों की बेंच द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया कि सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा अनिवार्य रूप से एक "राजनीतिक अवधारणा" है और देश का शासन सत्ताधारी पार्टी द्वारा उसके मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नीतियों के आधार पर किया जाता है। न्यायालय ने माना कि सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा के दो अर्थ हैं:

> “पहला अर्थ जो वैध रूप से इसका श्रेय दिया जा सकता है वह यह है कि सरकार के सभी सदस्य अपनी नीतियों के समर्थन में सर्वसम्मत हैं और सार्वजनिक अवसरों पर उस सर्वसम्मति का प्रदर्शन करेंगे, हालांकि नीतियों को तैयार करते समय, उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में एक अलग विचार व्यक्त किया होगा। इसका दूसरा अर्थ यह है कि जिन मंत्रियों को मंत्रिमंडल की नीतियों के पक्ष या विपक्ष में बोलने का अवसर मिला है, वे इसकी सफलता और विफलता के लिए व्यक्तिगत और नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं।”

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह [63] में लिए गए निर्णय में यह सिद्धांत दिया गया है कि सामूहिक जिम्मेदारी को केवल राजनीतिक रूप से लागू किया जा सकता है, जिससे इसके कानूनी निहितार्थ अस्पष्ट हो जाते हैं। इस मामले में, एक मंत्री पर दूरसंचार लाइसेंस देने में गंभीर अनियमितताएं करने का आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। इस न्यायालय ने कहा:

"हमारे विचार में, पीएमओ और विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों का कर्तव्य था कि वे प्रतिवादी संख्या 1 [प्रधानमंत्री] को अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता के बारे में इस बारे में अवगत कराएं। उनके द्वारा धारित पद की प्रकृति के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह अपने समक्ष रखे गए प्रत्येक मामले के सूक्ष्म विवरणों को व्यक्तिगत रूप से देखें और उन्हें अपने सलाहकारों और अन्य अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। दुर्भाग्य से, जिनसे प्रतिवादी संख्या 1 को उचित सलाह देने और उनके समक्ष पूर्ण तथ्य और कानूनी स्थिति रखने की अपेक्षा की गई थी, वे ऐसा करने में विफल रहे। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि प्रतिवादी संख्या 1 को अपीलकर्ता द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व के संबंध में वास्तविक तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति से अवगत कराया गया होता, तो उन्होंने निश्चित रूप से उचित निर्णय लिया होता और मामले को एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित नहीं रहने दिया होता।"

[62] (1999) 6 एससीसी 667

[63] (2012) 3 एससीसी 64

निर्णय में निहित था कि "व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय निर्णय... हमेशा सामूहिक कानूनी जिम्मेदारियाँ उत्पन्न नहीं करते हैं" [64]

37. सामूहिक उत्तरदायित्व आधुनिक संसदीय लोकतंत्रों के लिए एक मौलिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है।[65] मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधायिका और मतदाताओं के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह सरकार को उसके प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी बनाता है। इसमें परिकल्पना की गई है कि सरकार जनता के हितों को सुनिश्चित करने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से काम करे।इसका उद्देश्य सरकारी निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सामूहिक जिम्मेदारी संवैधानिक नैतिकता की नींव पर टिकी होती है, जो संवैधानिक नैतिकता को दर्शाती है।

सहायता और सलाह

38.हमारे संविधान के तहत सामूहिक जिम्मेदारी ब्रिटिश कैबिनेट प्रणाली के "थोड़े संशोधित संस्करण" [66] पर आधारित है। सामूहिक जिम्मेदारी और संविधान द्वारा परिकल्पित सरकार के रूप के बीच एक सीधा संबंध है। राष्ट्रपति को सरकार के नाममात्र प्रमुख के रूप में नामित किया गया था।संविधान के संस्थापकों और माताओं ने उस परंपरा को अपनाया जिसने राष्ट्रपति को आम तौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य कर दिया।डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का मसौदा पेश करते हुए इसकी व्याख्या की थी।

[64] भारतीय संविधान की ऑक्सफोर्ड पुस्तिका (सुप्रा नोट 52), पृष्ठ 320

[65] पर यह भी देखें कि अमरिंदर सिंह बनाम विशेष समिति, पंजाब विधानसभा, (2010) 6 एस. सी. सी. 113; कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, (2017) 3 एस. सी. सी. 1; हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम सतपाल सैनी, 20117 (2) स्केल 292

[66] ग्रैनविल ऑस्टिन (सुप्रा नोट 3), पृष्ठ 145 ए पर

> “मसौदा संविधान के तहत राष्ट्रपति का वही स्थान है जो अंग्रेजी संविधान के तहत राजा का है। वह राज्य का मुखिया है लेकिन कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का

प्रतीक है। प्रशासन में उसका स्थान एक औपचारिक उपकरण की तरह है जो एक मुहर पर होता है जिसके द्वारा राष्ट्र के निर्णयों को जाना जाता है... **भारतीय संघ का राष्ट्रपति आम तौर पर अपने मंत्रियों की सलाह से बंधा होगा। वह उनकी सलाह के विपरीत कुछ नहीं कर सकता और न ही वह उनकी सलाह के बिना कुछ कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी सचिव को किसी भी समय बर्खास्त कर सकता है। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उसके मंत्रियों को संसद में बहुमत प्राप्त है...**

एक लोकतांत्रिक कार्यपालिका को दो शर्तें पूरी करनी होंगी – (1) यह एक स्थिर कार्यपालिका होनी चाहिए और (2) यह एक जिम्मेदार कार्यपालिका होनी चाहिए। दुर्भाग्य से अभी तक ऐसी प्रणाली विकसित करना संभव नहीं हो पाया है जो दोनों को समान रूप से सुनिश्चित कर सके...

इंग्लैंड में, जहाँ संसदीय प्रणाली प्रचलित है, कार्यपालिका की जिम्मेदारी का मूल्यांकन दैनिक और आवधिक दोनों तरह से होता है। दैनिक मूल्यांकन संसद के सदस्यों द्वारा प्रश्नों, प्रस्तावों, अविश्वास प्रस्तावों, स्थगन प्रस्तावों और अभिभाषणों पर बहस के माध्यम से किया जाता है... अमेरिकी प्रणाली के तहत उपलब्ध नहीं होने वाली जिम्मेदारी का दैनिक मूल्यांकन आवधिक मूल्यांकन की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी माना जाता है और भारत जैसे देश में यह कहीं अधिक आवश्यक है। **संसदीय कार्यपालिका प्रणाली की सिफारिश करते हुए संविधान के मसौदे में अधिक स्थिरता की तुलना में अधिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी गई है।**" [67] (जोर दिया गया)

श्री अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर डॉ. अंबेडकर से सहमत है

"...कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा लोक सभा के प्रति उत्तरदायित्व निभाने में बाधा डालता है, तो वह संविधान के उल्लंघन का दोषी होगा और यहां तक कि उस पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। इसलिए यह कहने का एक सरल तरीका मात्र है कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के निष्पादन में अपने मंत्रियों की सलाह से निर्देशित होगा। यह मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।

लोक सभा और लोक सभा को बजट के संबंध में, कानून के संबंध में, देश के प्रशासन से जुड़े हर मामले के संबंध में सभी स्थितियों का सामना करना चाहिए। इसलिए, यदि मंत्रिपरिषद को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, तो राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि वे देखें कि संविधान का पालन हो रहा है..."
[68] (जोर दिया गया)

संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उम्मीद थी कि इस सम्मेलन को स्वतंत्र भारत में एक स्वस्थ प्रथा के रूप में विकसित किया जाएगाः

"हमें एक निर्वाचित राष्ट्रपति की स्थिति का एक निर्वाचित विधानमंडल के साथ मिलान करना पड़ा है और ऐसा करते हुए, हमने कमोबेश राष्ट्रपति के लिए ब्रिटिश सम्राट की स्थिति को अपनाया है। [एच] एक संवैधानिक राष्ट्रपति की स्थिति है।

फिर हम मंत्रियों के पास आते हैं।वे निश्चित रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हैं और राष्ट्रपति को सलाह देते हैं जो उस सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। हालाँकि, जहाँ तक मुझे पता है, संविधान में ही राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की सलाह स्वीकार करने के लिए बाध्यकारी बनाने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं। आशा की जाती है कि जिस परंपरा के तहत इंग्लैंड में राजा हमेशा अपने मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता है**,** वह इस देश में भी स्थापित किया जाएगा और राष्ट्रपति**,** संविधान में लिखित शब्द के कारण नहीं**,** बल्कि इस बहुत ही स्वस्थ परंपरा के परिणामस्वरूप**,** सभी मामलों में एक संवैधानिक अध्यक्ष बन जाएगा।**”** [69] (जोर दिया गया)

संविधान निर्माताओं ने भारतीय राज्य के नाममात्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति के लिए एक सीमित भूमिका की परिकल्पना की और उसे अपनाया और उन्हें आम तौर पर मंत्रिपरिषद के निर्णयों से बाध्य करके उनके संवैधानिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए।राज्यों में राज्यपाल के लिए भी इसी तरह की भूमिका अपनाई गई थी।

39. संविधान लागू होने के बाद, इस न्याया लय ने सम्मेलन को न्यायिक मंजूरी दी। यू**.** एन**.** आर**.** राव बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी [70], संविधान पीठ ने फैसला सुनाया किः

[68] इबिद

[69] संविधान सभा वाद-विवाद, खंड। 11 (26 नवंबर, 1949)

[70] (1971) 2 एससीसी 63

“यह ध्यान दिया जाएगा कि अनुच्छेद 74 (1) रूप में अनिवार्य है। हम अपीलार्थी से सहमत होने में असमर्थ हैं कि "होगा" शब्द "सकेगा" के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 52 अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रपति शासन प्रणाली का चयन नहीं किया है। यदि हम अपीलार्थी के इस तर्क को प्रभावी बनाते हैं तो हम कार्यपालिका की पूरी अवधारणा को बदल देंगे। इसका मतलब यह होगा कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रियों की आवश्यकता नहीं है। चूंकि कोई 'मंत्रिपरिषद' नहीं होगी, इसलिए कोई भी लोक सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। सलाहकारों की सहायता से वह कम से कम तब तक देश पर शासन करने में सक्षम होंगे जब तक कि अनुच्छेद 61 के तहत उन पर महाभियोग नहीं चलाया जाता। अनुच्छेद 74 (1) अनिवार्य है और इसलिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर हमें अनुच्छेद 75 (3) के प्रावधानों को अनुच्छेद 74 (1) और अनुच्छेद 75 (2) के साथ सुसंगत बनाना चाहिए। अनुच्छेद 75 (3) वह अस्तित्व में लाता है जिसे आमतौर पर "जिम्मेदार सरकार" कहा जाता है।”

समशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 71 के मामले में, इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या राज्यपाल राज्य के संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख के रूप में अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की शक्तियों और कार्यों व्यक्तिगत रूप से प्रयोग कर सकते हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे ने बहुमत निर्णय देते हुए कहा किः

“राष्ट्रपति के साथ-साथ राज्यपाल संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति के साथ-साथ राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर संविधान द्वारा या उसके तहत उन्हें प्रदत्त अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते है सिवाय उन क्षेत्रों के

जहां राज्यपाल को संविधान द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से अपने कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।जहां कहीं भी संविधान राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किसी शक्ति या कार्य के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि की अपेक्षा करता है, संविधान द्वारा अपेक्षित संतुष्टि राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रत्यायोजनकी व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, बल्कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली में संवैधानिक अर्थों में राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि है, यानी अपनी मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है, जिसकी सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल आम तौर पर अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते हैं। इनमें से किसी भी दो अनुच्छेद 77 (3) और 166 (3) के तहत बनाए गए कार्य नियमों के तहत कोई भी मंत्री या अधिकारी क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल का होता है। इन अनुच्छेदों प्रत्यायोजन का प्रावधन नहीं था। इसलिए, कार्य के नियमों के तहत मंत्री या अधिकारी का निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल का निर्णय होता है।"

न्यायालय ने विधि की स्थिति का सारांश इस प्रकार दियाः"हमारा मानना है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करते हैं, जिसमें केंद्र के प्रकरण में प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं और राज्य के प्रकरण में मुख्यमंत्री प्रमुख होते हैं, उन सभी मामलों में जो कार्यपालिका में निहित होते , चाहे वे कार्य कार्यकारी हों या विधायी। न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से कार्यकारी कार्यों का प्रयोग करते है ..... जहां राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार है, राज्यपाल अपने निर्णय पर कार्य करता है। राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद के अनुरूप अपने विवेक का प्रयोग करते हैं।"

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने अपनी और न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती की ओर से एक सहमति वाली राय दी।

40. यह परंपरा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य होंगे, स्पष्ट रूप से बयालीसवें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान का एक हिस्सा बना दिया गया था। संशोधन द्वारा, अनुच्छेद 74 (1) में यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधन किया गया था कि राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 74 (1) इस प्रकार हैः

"राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कार्यों का पालन करते हुए ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी।"

44 वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 74 (1) में एक और प्रावधान जोड़ा ताकि "राष्ट्रपति आम तौर पर या अन्यथा ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से अनुरोध कर सके, और राष्ट्रपति इस तरह के पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।"इसलिए, जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि जहां इसका स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, वहां कार्यकारी प्रमुख मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह से बाध्य होगा। बयालीसवें और चालीसवें संशोधनों के बाद यह संवैधानिक योजना रही है न्यायिक रूप से पुष्टि की गई। पी. यू. माइलाई ह्लिचो बनाम मिजोरम राज्य मामले में संविधान पीठ के निर्णय को लिखित रूप देते हुए, न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन (जैसा कि वे तब थे) ने कहा कि किसी भी शक्ति या कार्य के प्रयोग के लिए संविधान द्वारा राज्यपाल की "संतुष्टि" राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, बल्कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत संवैधानिक अर्थों में संतुष्टि है, अर्थात मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ।

माननीय न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, नबाम रेबिया और बामंग मामले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले में सहमति व्यक्त करते हुए फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष**,** अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने राय दी कि "उनका व्यक्तिगत निर्णय" अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल हमेशा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बंधे रहेंगे, सिवाय उन मामलों के जहां उन्हें संविधान के तहत "अपने विवेक से" कार्य करने की अनुमति है।

41. सामूहिक जिम्मेदारी और सहायता और सलाह पारस्परिक रूप से मजबूत करने वाले सिद्धांत हैं। उनमें से प्रत्येक और दोनों मिलकर उन लोकतांत्रिक मूल्यों की पुष्टि करते हैं और उन्हें बढ़ाते हैं जिन पर मंत्रिमंडल सरकार की स्थापना की जाती है।सामूहिक उत्तरदायित्व यह सुनिश्चित करता है कि सरकार एक राजनीतिक इकाई के रूप में बोलती है जो लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति निष्ठा रखती है । यह सुनिश्चित करके कि सरकार विधायिका के लिए अपने निर्णय लेने में जिम्मेदार है, सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत एक उत्तरदायी और जवाबदेह सरकार को बढ़ावा देता है। आधुनिक सरकार, अपनी परिचर जटिलताओं के साथ, कई घटकों और घटक तत्वों से बनी है। इनमें वे मंत्री शामिल हैं जो विधायिका के सदस्यों के रूप में भी चुने जाते हैं और गैर-निर्वाचित सार्वजनिक अधिकारी जो दैनिक शासन के मुद्दों पर काम करते हैं। चर्चा और संवाद असहमति को स्वीकार करना है। संवैधानिक शासन की प्रणाली में, सामूहिक निर्णय लेने से मतभेदों के लिए जगह मिलनी चाहिए। सरकार में एक संश्लेषण उभर सकता है, जब राजनीतिक परिपक्वता और प्रशासनिक ज्ञान शासन की समस्याओं के स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने में मिलकर काम करते हैं।सामूहिक जिम्मेदारी धारणा और विचारधारा में अंतर की अभिस्वीकृति देती है और स्वीकार करती है। फिर भी, सिद्धांत जो करता है वह सरकार के एक घटक भाग द्वारा लिए गए निर्णय को सरकार के निर्णय के रूप में माना जाता है। सभी मंत्री अपने किसी एक विभाग द्वारा लिए गए निर्णय से बाध्य होते हैं। विधायिका के प्रति अपनी जवाबदेही के संदर्भ में, सरकार को एक

निर्णय लेने वाली इकाई के रूप में माना जाता है इसलिए उसके निर्णय लेने और प्रशासनिक विचलन की जिम्मेदारी को कम नहीं करते हैं जो सरकार को एक राजनीतिक इकाई के रूप में विधायिका के प्रति है। यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सरकार उन लोगों की आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी है जिनमें राजनीतिक संप्रभुता निवास करती है।

42. किहोतो होलोहन बनाम ज़चिल्लू में, माननीय मुख्य न्यायाधीश वेंकटचलैया ने इस प्रकार निर्णय दिया थाः

"संसदीय लोकतंत्र में परिकल्पना की गई है कि सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन से जुड़े मामलों पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए, बहस, चर्चा और अनुनय लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साधन और सार हैं। बहस के दौरान सदस्यों ने अलग-अलग दृष्टिकोण रखे। एक ही राजनीतिक दल के सदस्यों के भी किसी मामले पर मतभेद हो सकते हैं और वे अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। सदन में सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के परिणामस्वरूप विचाराधीन प्रस्तावों में पर्याप्त संशोधन और वापसी भी होती है। विभिन्न दृष्टिकोण की बहस और अभिव्यक्ति, इस प्रकार, संसदीय लोकतंत्र के कामकाज में एक आवश्यक और स्वस्थ उद्देश्य की पूर्ति करती है।"

43. सहायता और सलाह का सिद्धांत उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ाता है जो सामूहिक जिम्मेदारी का आधार बनते हैं। यह जनादेश कि सरकार के एक नाममात्र के प्रमुख को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए, यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक शासन का रूप (एक नाममात्र के प्रमुख के नाम पर निर्णय लेना) इसके सार के अधीन है, जो यह अनिवार्य करता है कि निर्णय लेने का वास्तविक अधिकार सरकार की निर्वाचित शाखा में होना चाहिए।सहायता और सलाह का

सिद्धांत जवाबदेही और उत्तरदायी सरकार को बढ़ाता है-प्रतिनिधि सरकार के अलावा-यह सुनिश्चित करके कि निर्णय लेने का वास्तविक अधिकार मंत्रिपरिषद में रहता है, जो लोगों के प्रति अंतिम जिम्मेदारी देता है, एक विधायिका के माध्यम से जिसके लिए परिषद जिम्मेदार है। सामूहिक उत्तरदायित्व और सहायता और सलाह के सिद्धांत को असंगत नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि लोकतंत्र की ताकत और प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में बातचीत का अभिन्न अंग होना चाहिए।

कार्यकारी शक्ति की प्रकृति

44. जबकि एन. सी. टी. के संबंध में विधायी शक्ति को खंड 2 और 3 में परिभाषित किया गया है, इसकी कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 239 एए के खंड 4 की विषय वस्तु है। मुख्यमंत्री के प्रमुख के रूप में मंत्रिपरिषद की स्थिति को संस्थागत बनाता है।मंत्रिपरिषद की संवैधानिक भूमिका उपराज्यपाल को "उन मामलों के संबंध में अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देना है जिनके संबंध में विधान सभा को कानून बनाने की शक्ति है।"कार्यकारी शक्ति की तीन मुख्य विशेषताएं हैं जो मंत्रिपरिषद में निहित हैं। सबसे पहले, कार्यकारी शक्ति विधान सभा की विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है। कार्यकारी शक्ति उन सभी विषयों तक फैली हुई है जिन पर विधानसभा कानून बना सकती है। मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक नहीं फैली है जिन पर विधान सभा कानून नहीं बना सकती है। जो विधानसभा की विधायी क्षमता से परे है, वह मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्तियों से परे है। दूसरा, खंड 4 में कार्यकारी शक्ति का चित्रण, साथ ही, मंत्रिपरिषद (मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में) और उपराज्यपाल के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। मंत्रिपरिषद उपराज्यपाल की सहायता और सलाह देती है, इसका परिणाम यह है कि उपराज्यपाल को परिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह के आधार पर कार्य करना होता है। तीसरा, खंड 4 के मूल भाग में

सहायता और सलाह सिद्धांत का अपवाद उन मामलों के संबंध में है जिनमें उपराज्यपाल से "किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत" अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। दूसरे शब्दों में, उन क्षेत्रों को छोड़कर जो अपने विवेक के प्रयोग के लिए आरक्षित हैं, उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा उन्हें दी गई सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए।

45. खंड 4 का परंतुक विवाद का आधार बनता है। परंतुक में ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जहां उपराज्यपाल का "किसी भी मामले पर" मंत्रिपरिषद के साथ मतभेद हो। ऐसे प्रकरण में, परंतुक में कार्रवाई की प्रक्रिया शामिल है जिसका उपराज्यपाल को पालन करना चाहिए। उपराज्यपाल को निर्णय के लिए राष्ट्रपति को मतभेद का निर्देश देने का संवैधानिक अधिकार है। परिणामस्वरूप, उपराज्यपाल को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति द्वारा "उस पर दिए गए निर्णय" के अनुसार कार्य करना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिए जाने तक, उपराज्यपाल को कार्रवाई करने या निर्देश जारी करने का अधिकार है जहां मामला ऐसी आकस्मिक प्रकृति का है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। विषय का केंद्र "मतभेद" अभिव्यक्ति और "किसी भी मामले पर" शब्दों की व्याख्या करने पर निर्भर करता है। खंड 4 में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि किस प्रकार का मतभेद राष्ट्रपति को संदर्भित करने के लिए आवश्यक होगा। उस मामले के लिए नहीं की यह उस मामले की प्रकृति की क्या व्याख्या करता है जिस पर मतभेद पर विचार किया गया है। इससे पहले कि हम खंड 4 के परंतुक के दायरे की व्याख्या करें, एक पहलू स्पष्ट है। जहां राय का मतभेद उत्पन्न हुआ है, राष्ट्रपति को संदर्भित करने के लिए, परंतुक उपराज्यपाल द्वारा पालन की जाने वाली कार्रवाई को संदेह से परे छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में जहां परंतुक के तहत शर्तें मौजूद हैं, उपराज्यपाल को मामले को राष्ट्रपति के पास भेजना होता है और राष्ट्रपति के निर्णय का पालन करना होता है। खंड 4 के मूल भाग और परंतुक को पढ़कर यह स्पष्ट होता है कि उपराज्यपाल को दो कदम उठाने होते हैं। मुख्य रूप से, खंड 4 के मूल भाग के तहत, उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य है (एकमात्र अपवाद यह है कि

विधि के प्रावधान के तहत उसे अपने विवेक के अनुसार कार्य करना पड़ता है)। यद्यपि उपराज्यपाल पर मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अलावा अन्यथा कार्य करने का प्रतिबंध केवल इसलिए हटाया जाता है ताकि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्णय के लिए किसी भी मामले पर मतभेद का उल्लेख कर सके। दूसरे शब्दों में, उपराज्यपाल को या तो मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह का पालन करना चाहिए या, मतभेद की स्थिति में, इसे राष्ट्रपति द्वारा निर्णय के लिए आरक्षित रखना चाहिए और फिर राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लंबित होने पर, परंतुक उपराज्यपाल को तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाली स्थिति में भाग लेने में सक्षम बनाता है।

46. (i) मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल; और (ii) उपराज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच संबंधों की प्रकृति और दायरे को स्पष्ट करने से पहले, अनुच्छेद 239 एए के कुछ अन्य प्रावधानों पर ध्यान दिलाया जाना आवश्यक होगा, जिनका उन संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। उपराज्यपाल, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 एए (1) के साथ पठित अनुच्छेद 239 (1) के तहत की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं (खंड 5)। विधान सभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा खंड 6 में स्पष्ट रूप से सन्निहित है। केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद से संबंधित संविधान के प्रावधानों के तुलनात्मक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि एन. सी. टी. के प्रकरण में अनुच्छेद 239 ए. ए. ने एक निर्वाचित सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी के मौलिक सिद्धांत को निर्वाचित विधायिका के सरकार के मंत्रिमंडल के प्रारूप में शामिल किया है। सरकार में एक ऐसी कार्यकारी शक्ति का निर्माण करना जो निर्वाचित विधानमंडल की विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक हो और

विधानमंडल के लिए मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी सरकार के मंत्रिमंडल रूप के लिए आंतरिक है।

47. संसद को अनुच्छेद 239 एए के खंड 7 द्वारा उस अनुच्छेद के अन्य प्रावधानों को लागू करने और पूरक बनाने के लिए प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है।ऐसा करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के अर्थ के भीतर संवैधानिक संशोधन के बराबर नहीं होगा, भले ही वह संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन या संशोधन करने का प्रभाव रखता हो।

48. अनुच्छेद 239 एबी कार्रवाई के उस तरीके को स्पष्ट करता है जिसका पालन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है जहां एन. सी. टी. में संवैधानिक तंत्र की विफलता हुई है। अनुच्छेद 239 एबी निम्नलिखित प्रावधान करता हैः

“239 एबी संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रकरण में प्रावधान—

यदि राष्ट्रपति, उपराज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा संतुष्ट हो जाता है -

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के अनुसार नहीं किया जा सकता है; या

(ख) कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 239 एए के किसी भी प्रावधान या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी भी विधि के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है और ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट की जाएं और ऐसे आनुषांगिक और परिणामी प्रावधान कर सकता है जो उसे अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

अनुच्छेद 239 एबी के तहत, राष्ट्रपति को (i) अनुच्छेद 239 एए के किसी भी प्रावधान; और (ii) उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए विधि के किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित करने और अनुच्छेद 239 और 239 एए के अनुसार एन. सी. टी. के प्रशासन के लिए प्रावधान करने का अधिकार है, जहां उपराज्यपाल की एक रिपोर्ट पर राष्ट्रपति का समाधान होता है कि:(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ एन. सी. टी. का प्रशासन अनुच्छेद 239 ए. ए. या बनाए गए विधि के अनुसार नहीं किया जा सकता है या (बी) एन. सी. टी. के उचित प्रशासन के लिए।

अनुच्छेद 239 बी, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, पुडुचेरी के प्रशासक को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।यह शक्ति एन. सी. टी. के उपराज्यपाल को भी अनुच्छेद 239 ए. ए. के खंड 8 द्वारा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 241 के तहत संसद को केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन करने का अधिकार है।

49. दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में कार्यकारी शक्ति की प्रकृति और एक ओर मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल और दूसरी ओर उपराज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच संबंधों को समझने के लिए, संघ और राज्यों को नियंत्रित करने वाले संविधान के प्रावधानों के साथ तुलना करना आवश्यक है। संविधान का भाग 5 (जिसमें अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 शामिल हैं) संघ से संबंधित है; भाग 6 (जिसमें अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 शामिल हैं) राज्यों से संबंधित है और भाग 8 (जिसमें अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 241 शामिल हैं) केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। भाग V और VI में कुछ महत्वपूर्ण भिन्नताओं के साथ समान व्याख्याएँ हैं। भाग 5 और भाग 6 दोनों कार्यपालिका, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति और न्यायपालिका से संबंधित हैं। भाग V में संघ की न्यायपालिका शामिल है, जबकि भाग VI में राज्यों में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं।

50. अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 53 में निर्धारित किया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और उसका प्रयोग संविधान के अनुसार सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। अनुच्छेद 73 के तहत, संघ की कार्यकारी शक्ति (ए) उन मामलों के लिए है जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है; और (बी) किसी संधि या समझौते के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों, अधिकार और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए। अनुच्छेद 73 इस प्रकार प्रदान करता हैः

“73. संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार।—

(1) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होगा -

(क) उन मामलों के लिए जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है; और

(ख) ऐसे अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग के लिए जो भारत सरकार द्वारा किसी संधि या समझौते के आधार पर प्रयोग किए जा सकते हैंः

बशर्ते कि उपखंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकारी शक्ति, जैसा कि इस संविधान या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, किसी भी राज्य में उन मामलों तक नहीं फैलेगी जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है।

(2) संसद द्वारा अन्यथा उपबंधित किए जाने तक, कोई राज्य और किसी राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी, इस अनुच्छेद में कुछ भी होने के बावजूद, उन मामलों में प्रयोग करना जारी रख सकता है जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यकारी शक्ति या कार्य जो राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकरण इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले प्रयोग कर सकता है।"

अनुच्छेद 73 (1) के परंतुक में कहा गया है कि संविधान या संसद द्वारा अधिनियमित किसी विधि में स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, खंड 1 के उपखंड (ए) के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी राज्य में उन मामलों में नहीं होता है जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। परंतुक का प्रभाव यह है कि संघ की कार्यकारी शक्ति समवर्ती सूची के मामलों तक विस्तृत नही है, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जिन पर राज्य विधानसभाओं को भी कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 74 (1) में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। मंत्रिपरिषद का कार्य "राष्ट्रपति की

सहायता और सलाह देना" है।राष्ट्रपति, अपने कार्यों के प्रयोग में, "इस तरह की सलाह के अनुसार कार्य करने" के जनादेश के तहत है। अनुच्छेद 74 यह प्रावधान करता हैः

“74. राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद—

(1) राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जो अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी:बशर्ते कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से आम तौर पर या अन्यथा ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है और राष्ट्रपति ऐसी पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।

(2) यह प्रश्न कि क्या मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को कोई और यदि हां तो क्या सलाह दी गई थी, किसी भी न्यायालय में इसकी जांच नहीं की जाएगी।”

अनुच्छेद 77 केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन के लिए प्रावधान करता हैः

“77. भारत सरकार के कार्य का संचालन।—

(1) भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी।

(2) राष्ट्रपति के नाम से बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य उपकरणों को राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किया जाएगा और इस

तरह से प्रमाणित किसी आदेश या दस्तावेज की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि यह राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया या निष्पादित आदेश या दस्तावेज नहीं है।

(3) राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक लेन-देन और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा।"

अनुच्छेद 77 (1) द्वारा और उसके तहत केंद्र सरकार की कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर की जाती है। खंड 2 के तहत, राष्ट्रपति के नाम पर बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और उपकरणों को इस तरह से प्रमाणित किया जाना है जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। खंड 3 राष्ट्रपति को सरकार के कार्य के लेन-देन और मंत्रियों के बीच सरकारी कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 78 में निर्वाचित सरकार के प्रमुख का मूल कर्तव्य शामिल है कि वह राष्ट्रपति के साथ संवाद करे और उन्हें जानकारी प्रदान करे। अनुच्छेद 78 इस प्रकार प्रदान करता है:

"78. राष्ट्रपति आदि को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य।—

यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा -

(क) संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधान के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करना;

(ख) संघ के कार्यों के प्रशासन और विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जो राष्ट्रपति की मांग हो; और

(ग) यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहता है, तो वह कोई भी मामला जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, उसे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करे।"

संविधान के ये प्रावधान राष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिमंडल के बीच संबंधों को संस्थागत बनाते हैं और राज्य के नाममात्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की स्थिति की फिर से पुष्टि करते हैं। राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए। संघ की कार्यकारी शक्ति संसद की विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है। सरकार के कैबिनेट रूप में, यह मंत्रिपरिषद है जो लोक सभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी है। सामूहिक उत्तरदायित्व, एक संवैधानिक सिद्धांत के रूप में, विधायिका के सदस्यों का चुनाव करने वाले लोगों की संप्रभु इच्छा के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है। यद्यपि सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर किए जाने के लिए व्यक्त की जाती है और राष्ट्रपति के नाम पर बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और उपकरणों को नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया जाता है, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति एक नाममात्र के प्रमुख की होती है। अनुच्छेद 74 (1) में "अपने कार्यों के प्रयोग में" अभिव्यक्ति का उपयोग औपचारिक प्रकृति का है क्योंकि कार्यकारी शक्ति का सार मंत्रिपरिषद के माध्यम से गठित सरकार में निहित है और उसे प्रदान किया जाता है जो संसद के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी रखता है। अनुच्छेद 74 (1) के प्रावधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर

पुनर्विचार करने की मांग कर सकते हैं, एक बार ऐसा करने के बाद, राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं।

51. राज्य के नाममात्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की स्थिति का प्रमाण संवैधानिक प्रावधानों में मिलता है जो राष्ट्रपति और संसद के बीच संबंधों को परिभाषित करते हैं।अनुच्छेद 111 के तहत, एक विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित किए जाने पर राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 111 के प्रावधान के तहत, राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए एक विधेयक को वापस करने का अधिकार है (यदि यह धन विधेयक नहीं है)। पुनर्विचार किए जाने पर, यदि विधेयक संसद के सदनों द्वारा (संशोधन के साथ या बिना) फिर से पारित किया जाता है, तो राष्ट्रपति, उसके बाद, सहमति नहीं रोकेंगे।

52. संविधान के भाग VI में, राज्यों के संबंध में राज्यपाल की भूमिका को परिभाषित करने वाले प्रावधानों से संकेत मिलता है कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य में सरकार का एक नाममात्र का प्रमुख भी होता है। अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के पास निहित है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है और वह अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद धारण करता है। राज्य की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 162 के आधार पर विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है। यद्यपि उन मामलों के संबंध में जिन पर राज्य का विधानमंडल और संसद दोनों विधि बना सकते हैं, संसद द्वारा प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करते हुए संघ का संविधान या विधि द्वारा अधिनियमित करता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति को सीमित करता है। राज्यों में, अनुच्छेद 163 राज्यपाल को अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ एक मंत्रिपरिषद को अपने प्रमुख के रूप में अभिनिर्धारित करता है, सिवाय इसके कि जहां राज्यपाल संविधान के तहत अपने विवेक से किसी भी कार्य का

प्रयोग करने के लिए आवश्यक है। जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, अनुच्छेद 163 (2) राज्यपाल के निर्णय को अंतिम बनाता है। जबकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल द्वारा की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है और वे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 164 (2) राज्य की विधान सभा के लिए मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को शामिल करता है। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित एक प्रावधान है जो अनुच्छेद 77 के समान है। इसी तरह, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य शामिल है कि वह अनुच्छेद 78 के संदर्भ में राज्यपाल के साथ संवाद करे और राज्य के मामलों की जानकारी प्रदान करे।

53. अनुच्छेद 239 एए के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थिति का आकलन करते समय कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता हैः

(i) अनुच्छेद 239 एए संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत घटक शक्ति के प्रयोग का परिणाम है। अनुच्छेद 239 एए द्वारा और उसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान सामान्य विधान के किसी अधिनियम से उत्पन्न नहीं हैं।

(ii) दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए, घटक शक्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप विधायिका और मंत्रिपरिषद दोनों के लिए संवैधानिक रूप से एक मजबूत स्थिति बनी है। विधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। विधानसभा के पास सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के मामलों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है (प्रविष्टियों

1,2 और 18 और प्रविष्टियों 64,65 और 66 में अपवादित मामलों को छोड़कर जहां तक वे प्रविष्टियों 1,2 और 18 से संबंधित हैं)। यद्यपि, विधान सभा को प्रदान की गई विधायी शक्तियां राज्य सूची (अपवाद की गई प्रविष्टियों को छोड़कर) और समवर्ती सूची तक फैली हुई हैं, संसद को राज्य और समवर्ती सूचियों के भीतर आने वाले मामलों दोनों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संसद के पास एन.सी.टी. के लिए राज्य और समवर्ती सूचियों दोनों में आने वाले मामलों पर अधिशासी विधायी शक्तियों है; और

(iii) अनुच्छेद 239 एए (4) मंत्रिपरिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और सरकार के एक कैबिनेट रूप में इस सिद्धांत को मूर्त रूप देता है कि राज्य का एक नाममात्र का प्रमुख अपने मंत्रियों द्वारा दी गई सहायता और सलाह पर कार्य करता है, जो विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी निभाते हैं। शासन की एक ऐसी संरचना की स्थापना में जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचित एक विधायिका हो और एक कार्यकारी शाखा जो सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो और जो अपने कार्यों के निर्वहन में, उन मामलों पर उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देती है जो विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक हैं, संविधान ने सरकार के कैबिनेट रूप के बुनियादी सिद्धांतों को शामिल किया है। एन. सी. टी. के संबंध में सरकार के मंत्रिमंडल रूप की इन विशेष विशेषताओं को अपनाने का अनुच्छेद 239 ए. ए. की व्याख्या करते समय महत्व होना चाहिए।

54. एक ही समय मे ही, संवैधानिक योजना एन. सी. टी. के संबंध में कई विशेषताओं को इंगित करती है जिनके परिणामस्वरूप एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है जो कि पूर्ण राज्य की स्थिति से अल्प है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैंः

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थिति को भाग VIII के तहत शामिल किया गया है जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। दिल्ली शासित एक केंद्र शासित प्रदेश है और बना हुआ है जो कि भाग VIII द्वारा शासित होता है;

(ख) प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 (1) के तहत, एक प्रशासक के माध्यम से कार्य करने वाले राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित है। अनुच्छेद 239 (1) के तहत नियुक्त प्रशासक को अनुच्छेद 239 एए (1) के तहत एन. सी. टी. के लिए उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। अनुच्छेद 239 एन. सी. टी. के लिए उपराज्यपाल नियुक्त करने की संवैधानिक शक्ति का स्रोत है।

(ग) यह स्थिति कि एन. सी. टी. के संबंध में अनुच्छेद 239 के अनुप्रयोग को बाहर नहीं रखा गया है, अनुच्छेद 239 ए. बी. द्वारा स्पष्ट किया गया है। ऐसी स्थिति में जिसमें राष्ट्रपति को अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों को निलंबित करने का अधिकार है, जहां एन. सी. टी. का प्रशासन अनुच्छेद 239 ए. ए. के अनुसार या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी विधि के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 239 साथ ही अनुच्छेद 239 एए के अनुसार क्षेत्र के प्रशासन के लिए परिणामी प्रावधान करने का अधिकार है। इसलिए, अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों को अनुच्छेद 239 (1) से अलग नहीं पढ़ा जा सकता है।

(घ) एक प्रशासक के माध्यम से कार्य करने वाले राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन पहले संसदीय विधि के अधीन है और दूसरा, उस सीमा तक जो वह उचित

समझता है। इसलिए एन. सी. टी. सहित किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की प्रकृति इन दो प्रावधानों के अधीन है।

(ई) किसी राज्य की संवैधानिक स्थिति से अलग एन. सी. टी. की स्थिति दूसरी ओर अनुच्छेद 239 ए. बी. और अनुच्छेद 356 के बीच विरोधाभास में अभिव्यक्ति पाती है। अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग करने पर, राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों को "अपने लिए ग्रहण" कर सकता है और घोषणा कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत किया जाएगा। इसके विपरीत, धारा 239 एबी राष्ट्रपति को अनुच्छेद 239 एए या इसके तहत बनाए गए विधि के किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित करने और उसके बाद अनुच्छेद 239 और 239 एए के अनुसार एन. सी. टी. के प्रशासन के लिए परिणामी प्रावधान करने का अधिकार देती है; और

(च) राष्ट्रपति को दी जाने वाली सहायता और सलाह के बाध्यकारी चरित्र पर जोर देते हुए, या जैसा भी मामला हो राज्यपाल का उपराज्यपाल से संवैधानिक स्थिति के संबंध में भिन्नता होती है। अनुच्छेद 74 (1), भारत के राष्ट्रपति के संबंध में, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह के बाध्यकारी चरित्र को निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति, अपने कार्यों के प्रयोग में, ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने की माँग करता है, तो राष्ट्रपति उस सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है जो पुनर्विचार के बाद दी जाती है। इसी तरह, राज्यों में राज्यपालों के प्रकरण में, अनुच्छेद 163 (1) एक मंत्रिपरिषद के लिए "राज्यपाल को अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने" का प्रावधान करता है, सिवाय इसके कि संविधान द्वारा राज्यपाल को अपने विवेकानुसार अपने कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद

239 एए (4) अपने मूल खंड में सहायता और सलाह के संवैधानिक सिद्धांत को शामिल करता है जिसे मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के प्रयोग में उपराज्यपाल को देता है। परंतु अनुच्छेद 239 एए (4) मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के संबंध मे अनुच्छेद 239 एए (4) का परंतुक यह विशेष उपबंध करता है जो अनुच्छेद 163 का परिणाम नहीं है । जबकि अनुच्छेद 163 (1) के तहत, राज्यपाल को दी गई सहायता और सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता होती है (उन मामलों को छोड़कर जो संविधान राज्यपाल के विवेकाधिकार है), अनुच्छेद 239 एए (4) का परंतुक एक ऐसे क्षेत्र पर विचार करता है जहां उपराज्यपाल को दी गई सहायता और सलाह के बाध्यकारी चरित्र को "किसी भी मामले में अलग मत होने की स्थिति मे" हटा देता है।

55. उस क्षेत्र को हल करने के लिए जिसके भीतर उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मंत्रिपरिषद के साथ मतभेद को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, एक ओर अनुच्छेद 239 एए में अपनाए गए मंत्रिमंडल सरकार के संवैधानिक सिद्धांतों को संतुलित करना आवश्यक होगा, जबकि दूसरी ओर यह मार्ग खुला छोड़ दिया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विशेष दर्जे पर विचार करते हुए खंड 4 के परंतुक मे बनाया गया है। पूर्ववर्ती विचार को ध्यान मे रखते हुए न्यायालय को व्याख्या की एक ऐसी रेखा तैयार करना है जो प्रतिनिधि सरकार के मौलिक सिद्धांतों से अलग न हो। एक निर्वाचित सरकार एक निर्वाचित सरकार ने लोकतंत्र परिलक्षित होता है जिसमे लोगों की महत्वकांक्षा होती है जो मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं । निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास मतदाताओं की राजनीतिक इच्छा को व्यक्त करने की जिम्मेदारी होती है। सरकार के लोकतांत्रिक रूप में, वास्तविक शक्ति राज्य के निर्वाचित अंगों में होनी चाहिए। सरकार के मंत्री जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। वे विधायिका के प्रति अपनी सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। एक सामूहिक इकाई के रूप में, मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी विधायिका की होती है। मंत्रिपरिषद और राज्य के नाममात्र प्रमुख के बीच संबंध इस व्यापक विचार से नियंत्रित होता है कि

वास्तविक शक्ति और मूल जवाबदेही लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में निहित है। सहायता और सलाह का सिद्धांत एक संवैधानिक अर्थ में है जिसका उद्देश्य प्रतिनिधि सरकार और शासन के संवैधानिक मूल्य को मजबूत करना है जो मतदाताओं के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है। लोकतंत्र के इन मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त वर्णित दूसरे तत्व मे यह संतुलन बिगड़ता है जो एन.सी.टी. को एक विशेष राज्य के रूप मे दर्जा देता है । एन. सी. टी. अपने क्षेत्र के निवासियों की महत्वकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन यह एक राजधानी शहर के रूप में अपने चरित्र में राष्ट्रीय शासन में अंतर्निहित राजनीतिक प्रतीकवाद का प्रतीक है। एन. सी. टी. के शासन से राष्ट्र के सामुहिक कल्याण पर प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव की परिस्थितियां उत्पन्न होती है । सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषयों को विधायी शक्ति से और अनिवार्य रूप से एन. सी. टी. की कार्यकारी शक्ति से बाहर रखने का यही तर्क है। इन विचारों के लिए अनिवार्य रूप से दोनों सिद्धांतों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होगी। दोनों सिद्धांतों में से प्रत्येक को एक परिणाम उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए जो सहभागी लोकतंत्र के बुनियादी संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ राष्ट्र के सुरक्षित शासन में मौलिक संबंधो को संरक्षित करता है।

एन**.** सी**.** टी**.** का संवैधानिक इतिहास

56. एन. सी. टी. की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि एन. सी. टी. का हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में एक अनूठा स्थान है। श्री सुब्रमण्यम द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एन. सी. टी., हालांकि यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, विभिन्न विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए आया है जो 69 वें संवैधानिक संशोधन से पहले संविधान के तहत केवल राज्यों की विशेषताएँ मानी जाती थीं।परिणामस्वरूप, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

ने आगे तर्क दिया है कि एन. सी. टी. उन शक्तियों के साथ एक संवैधानिक हाईब्रिड बन गया है जो पहले केवल केंद्र के पूर्ण राज्यों में पाई जाती थीं और इसलिए किसी भी अन्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की तुलना में कहीं अधिक शक्तियां प्राप्त करती हैं। इसके विपरीत, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मनिंदर सिंह ने प्रस्तुत किया है कि एन. सी. टी. संविधान की अनुसूची I के भाग II में एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपना स्थान पाता है।उनकी ओर से यह तर्क दिया गया है कि एन. सी. टी. ऐतिहासिक रूप से संविधान में एक केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे के साथ एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र बना हुआ है और 69 वें संविधान संशोधन के बाद भी यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है।

57. एन. सी. टी. के लिए परिकल्पित संवैधानिक योजना की व्याख्या करने के लिए, इस न्यायालय को समय-समय पर विभिन्न अधिनियमों द्वारा अस्तित्व में लाए गए एन. सी. टी. के लिए संवैधानिक इतिहास और शासन की संरचना के विकास का विश्लेषण करना चाहिए।

भाग ग राज्य सरकार अधिनियम**, 1951**

58. संविधान की पहली अनुसूची में मूल रूप से भाग ए, भाग बी और भाग सी राज्य शामिल थे। संविधान को अपनाने के बाद, भाग ग राज्य सरकार अधिनियम 1951 अधिनियमित हुआ ।

धारा 2 (सी) ने अभिव्यक्ति दिल्ली को इस प्रकार परिभाषित किया:

“धारा 2 (ग) "दिल्ली", "दिल्ली राज्य" पद को छोड़कर, दिल्ली राज्य में ऐसा क्षेत्र है जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे।”

धारा 3 में विधि द्वारा शासित प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान सभा के गठन का प्रावधान है। इसने अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और विंध्य प्रदेश राज्यों के लिए विधानसभाओं की स्थापना का प्रावधान किया। मुख्य आयुक्त को धारा 8 (2) के तहत विधानसभा को आहुत करने और भंग करने की शक्ति सौंपी गई थी।धारा 12 मुख्य आयुक्त को सभा को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 21 ने विधायी शक्ति के विस्तार को परिभाषित किया:

"धारा 21-विधायी शक्ति का विस्तार

"(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, किसी राज्य की विधान सभा राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में राज्य के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है:

बशर्ते कि दिल्ली राज्य की विधानसभा को निम्नलिखित मामलों में से किसी के संबंध में कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी, अर्थात्:-

(क) सार्वजनिक व्यवस्था;

(ख) रेलवे पुलिस सहित पुलिस;

(ग) दिल्ली या नई दिल्ली में नगर निगमों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों, सुधार न्यासों और जल आपूर्ति, जल निकासी, बिजली, परिवहन और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता प्राधिकरणों का गठन और शक्तियां;

(घ) संघ में या उसके कब्जे में निहित भूमि और भवन जो दिल्ली या नई दिल्ली में स्थित हैं, जिसमें ऐसी भूमि और भवनों में या उन पर सभी अधिकार, उनसे किराए का संग्रह और उनके हस्तांतरण और अलगाव शामिल हैं।

(ङ) अग्रगामी खंडों में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानूनों के खिलाफ अपराध;

(च) उक्त मामलों में से किसी के संबंध में सभी न्यायालयों की अधिकारिता और शक्तियां; और

(छ) किसी भी न्यायालय में ली गई फीस के अलावा उक्त मामलों में से किसी के संबंध में शुल्क।"

यद्यपि धारा 21 की उप-धारा 2 में यह प्रावधान किया गया है कि उप-धारा 1 किसी राज्य के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संविधान द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति का अवमूल्यन नहीं करेगी। कुछ विधायी प्रस्तावों के लिए धारा 23 के तहत मुख्य आयुक्त की मंजूरी की आवश्यकता थी, जो इस प्रकार हैं:

“(क) न्यायिक आयुक्त के न्याया लय का गठन और संगठन;

(ख) राज्य सूची या समवर्ती सूची के किसी भी मामले के संबंध में न्यायिक आयुक्त के न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियाँ;

(ग) राज्य लोक सेवा आयोग।”

59. धारा 26 के तहत विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक को मुख्य आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मुख्य आयुक्त राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखने के लिए बाध्य है। यदि राष्ट्रपति मुख्य आयुक्त को विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं, तो विधानसभा को सुझावों पर विचार करने की आवश्यकता होती है और यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो इसे पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति के पास फिर से प्रस्तुत करना पड़ता है।

60. धारा 36 में मंत्रिपरिषद के लिए प्रावधान किया गया हैः

“मंत्रिपरिषद

(1) प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे, जो उन मामलों के संबंध में अपने कार्यों के प्रयोग में मुख्य आयुक्त की सहायता और सलाह देंगे, जिनके संबंध

में राज्य की विधान सभा को विधि बनाने की शक्ति है, सिवाय इसके कि वह किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने के लिए किसी भी विधि द्वारा अपेक्षित हैः

बशर्ते कि किसी प्रकरण पर मुख्य आयुक्त और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद होने की स्थिति में मुख्य आयुक्त इसे निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा और ऐसा निर्णय लंबित रहने तक मुख्य आयुक्त सशक्त होगा कि किसी भी मामले में जहां प्रकरण उसकी राय में इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना, ऐसी कार्रवाई करना या मामले में ऐसा निर्देश देना आवश्यक है जो वह आवश्यक समझता हैः

बशर्ते कि दिल्ली राज्य में नई दिल्ली से संबंधित किसी भी प्रकरण के संबंध में किसी मंत्री या परिषद द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय मुख्य आयुक्त की सहमति के अधीन होगा, और इस उप-धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह मुख्य आयुक्त को नई दिल्ली के प्रशासन के संबंध में ऐसी कार्रवाई करने से रोकता है जो वह अपने विवेक से आवश्यक समझता है।

(2) मुख्य आयुक्त, जब वह उपस्थित है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, और जब मुख्य आयुक्त उपस्थित नहीं है, तो मुख्यमंत्री या, यदि वह भी उपस्थित नहीं है, तो ऐसा अन्य मंत्री जो धारा 38 की उप-धारा (1) के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जाए, परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में मुख्य आयुक्त से किसी भी विधि द्वारा किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता है, तो उस पर मुख्य आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

(4) यदि दिल्ली राज्य में कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला नई दिल्ली से संबंधित है या नहीं, तो उस पर मुख्य आयुक्त का निर्णय अंतिम होगाः

बशर्ते कि ऐसे प्रश्न पर मुख्य आयुक्त और उनके मंत्रियों के बीच किसी भी मतभेद की प्रकरण में, इसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा।

(5) यह प्रश्न कि क्या मंत्रियों द्वारा मुख्य आयुक्त को कोई और यदि हां तो क्या सलाह दी गई थी, किसी भी न्यायालय में इसकी जांच नहीं की जाएगी।”

धारा 36 (1) में सहायता और सलाह सिद्धांत को शामिल किया गया है।लेकिन जहां मुख्य आयुक्त और उनके मंत्रियों के बीच "किसी भी मामले पर" मतभेद था, वहां मुख्य आयुक्त से अपेक्षित है कि वह राष्ट्रपति को प्रेषित करे और राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार कार्य करे । जहाँ तक दिल्ली राज्य का संबंध है, दूसरे परंतुक के तहत नई दिल्ली के संबंध में एक मंत्री या मंत्रिपरिषद का प्रत्येक निर्णय मुख्य आयुक्त के समवर्ती के अधीन था। मतभेद होने की स्थिति में, मुख्य आयुक्त के पास नई दिल्ली के प्रशासन के लिए ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार था "जैसा कि वह अपने विवेक से आवश्यक समझते हैं"। मुख्य आयुक्त मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे। यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई मामला

नई दिल्ली से संबंधित है, तो मुख्य आयुक्त का निर्णय अंतिम होना था और यदि कोई मतभेद था, तो इसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए भेजा जाना था।

61. धारा 36 वर्तमान विवाद के संदर्भ में महत्व रखती है, क्योंकि इसके प्रावधानों को उस स्थिति से अलग किया जाना चाहिए जिसे संविधान में अनुच्छेद 239 एए में 69 वें संशोधन के दौरान अपनाया गया था। धारा 36 की चार विशेषताएँ उल्लेखनीय हैंः पहला, नई दिल्ली से संबंधित प्रत्येक निर्णय के लिए मुख्य आयुक्त की सहमति की आवश्यकता; दूसरा, नई दिल्ली के प्रशासन के लिए अपने विवेक से कार्य करने के लिए मतभेद की स्थिति में मुख्य आयुक्त का सशक्तिकरण; तीसरा, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए मुख्य आयुक्त का जनादेश आवश्यक है; और चौथा, इस बात पर किसी भी मतभेद को राष्ट्रपति को भेजने की आवश्यकता है कि क्या कोई मामला नई दिल्ली से संबंधित है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। अनुच्छेद 239 ए. ए. ने संवेदनशील मामलों में स्थिति से अलग है जैसा कि धारा 36 के तहत प्राप्त है। पहला, (धारा 36 (1) के दूसरे परंतुक के विपरीत), अनुच्छेद 239 एए (4) यह अनिवार्य नहीं करता है कि मंत्रिपरिषद का प्रत्येक निर्णय उपराज्यपाल की सहमति के अधीन होना चाहिए; दूसरा, प्रावधान (धारा 36 (1) के दूसरे परंतुक में मुख्य आयुक्त को अनुच्छेद 239 एए (4) की अनुपस्थिति मे नई दिल्ली का प्रशासन का कार्य अपने विवेकानुसार करने को सशक्त करता है केवल उन मामलो को छोड़कर जहां मतभिन्नता होने की स्थिति मे उपराज्यपाल द्वारा तात्कालीक परिस्थिति के निपटारे के लिए राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया है; और तीसरा, न तो अनुच्छेद 239 एए में और न ही जीएनसीटीडी अधिनियम में (और उस मामले के लिए व्यापार नियमों के लेनदेन में) यह प्रावधान किया गया है कि उपराज्यपाल बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। 1951 के पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 36 ने एक पदानुक्रमित संरचना का निर्माण किया जिसने मुख्य आयुक्त को अपने कार्यपालिक का शक्ति के प्रयोग में मंत्रिपरिषद से सर्वोत्तम प्राधिकार रखता है। नई दिल्ली के संबंध में मंत्रिपरिषद का प्रत्येक निर्णय मुख्य आयुक्त की समवर्ती के अधीन

है। अनुच्छेद 239 एए में इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति को कोई संवैधानिक महत्व का मामला नहीं माना जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से घटक निकाय के पास एक मॉडल था जिसे 1951 के संसदीय अधिनियम द्वारा बनाया गया था, जब 69 वें संशोधन को अपनाया गया तो सलाह के रूप मे इसे अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों में शामिल नहीं किया गया ।

62. 1956 में सातवें संशोधन 75 को अपनाने के साथ भाग ए, भाग बी और भाग सी राज्यों से संबंधित संविधान के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 130 ने 1951 के अधिनियम को निरस्त कर दिया। परिणाम को 1956 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन में समझाया गया है।

“... मान्यता प्राप्त प्रस्तावित पुनर्गठन की मुख्य विशेषताएं में भाग ए, भाग बी और भाग सी राज्यों के बीच मौजूदा संवैधानिक अंतर को समाप्त करना है, संघ की घटक इकाइयों के स्थापना के लिए दो श्रेणियां बनाई गई है जो राज्य और भाग बी के राज्य के विलुप्त होने के परिणाम स्वरूप राज प्रमुख की संस्था का उन्मुलन होना कहलाता है ।"

संविधान के सातवें संशोधन के परिणामस्वरूप, "पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेश" शब्द को संविधान में जोड़ा गया था। दिल्ली को पहली अनुसूची में एक प्रविष्टि के रूप में शामिल करने पर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्णित किया गया। 1956 के अधिनियम की धारा 12 के आधार पर, नियत दिन से, भाग ए, भाग बी और भाग सी राज्यों के लिए संविधान की पहली अनुसूची में, बाद के भागों को प्रतिस्थापित किया गया था। दिल्ली को भाग सी के क्रम संख्या 1 में "वह क्षेत्र जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले दिल्ली के

मुख्य आयुक्त के प्रांत में शामिल था" के रूप में वर्णित किया गया था। दिल्ली एक प्रशासक के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा शासित एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था।

63. अनुच्छेद 239ए को 1962 में चौदहवें संशोधन 76 द्वारा पेश किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप संसद को कुछ केंद्र शासित प्रदेशों, स्थानीय विधानसभाओं और/या मंत्रिपरिषद बनाने के लिए अधिकृत किया गया था।

केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम**, 1963**

10 मई 1963 को केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 लागू किया गया था। 1963 के अधिनियम ने धारा 2 (ए) में प्रशासक पद को इस प्रकार परिभाषित किया हैः

“(क) "प्रशासक" से अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक अभिप्रेत है;

धारा 3 में विधान सभा के लिए प्रावधान किया गया है। धारा 18 ने निम्नलिखित शर्तों में विधायी शक्ति के विस्तार के लिए प्रावधान कियाः

“18. विधायी शक्ति का विस्तार। (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में पूरे या केंद्र शासित प्रदेश के किसी

भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, जहां तक कि ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में लागू होता है।

(2) उप-धारा (1) की कोई भी बात संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संविधान द्वारा संसद को प्रदत्त शक्तियों का अवमूल्यन नहीं करेगी।" धारा 18 की उप धारा 1 भाषा में अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) के समान थी, जिसमें प्रविष्टियां 1,2 और 18 और प्रविष्टियां 64,65 और 66 से संबंधित मामलों को शामिल नहीं किया गया था। उप-धारा 2 भाषा में अनुच्छेद 239 एए (3) (बी) के समान थी। धारा 21 में प्रावधान किया गया है कि यदि संसद द्वारा बनाए गए विधि और विधानसभा द्वारा बनाए गए विधि के बीच कोई विसंगति थी, तो संसद द्वारा बनाया गया विधि प्रतिकूलता की सीमा तक प्रबल होगा (यह प्रावधान प्रकृति में अनुच्छेद 239 एए (3) (सी) के समान है। धारा 44 में मंत्रिपरिषद के लिए निम्नलिखित प्रावधान थेः

"44. मंत्रिपरिषद।

(1) प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे जो उन मामलों के संबंध में प्रशासक को अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देंगे जिनके संबंध में केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को विधि बनाने की शक्ति है, सिवाय इसके कि इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने के लिए किसी भी विधि द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता हैः

बशर्ते कि, किसी भी प्रकरण पर प्रशासक और उसके मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में, प्रशासक इसे निर्णय लेने और कार्य करने के लिए उसे राष्ट्रपति के पास भेजेगा और ऐसा निर्णय आने तक यह प्रशासक के लिए किसी भी मामले में सक्षम होगा जहां प्रकरण उसकी राय में इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना, ऐसी कार्रवाई करना या मामले में ऐसा निर्देश देना आवश्यक है जो वह आवश्यक समझेः

...

(3) यदि और जहाँ तक इस अधिनियम के तहत प्रशासक की कोई विशेष जिम्मेदारी शामिल है, तो वह अपने कार्यों के प्रयोग में अपने विवेक से कार्य करेगा।"

धारा 44 (1) और अनुच्छेद 239 एए समान हैं (इस अंतर के साथ कि अनुच्छेद 239 एए का खंड 4 मंत्रिपरिषद की संख्या को विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं बताता है)। साथ ही, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 44 की उप धारा 3 ने प्रशासक की अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति को मान्यता दी, जहां अधिनियम के तहत प्रशासक की "कोई विशेष जिम्मेदारी" शामिल थी। धारा 44 की उप-धारा 3 में यह प्रावधान उन मामलों के संबंध में धारा 44 (1) में किए गए आरक्षण के अतिरिक्त था जहां प्रशासक अधिनियम के तहत था, उसे अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता थी या किसी भी विधि के तहत न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करना था। धारा 44 की उप-धारा 3 के "विशेष उत्तरदायित्व" प्रावधान को अनुच्छेद 239 एए में कोई समानता नहीं मिलती है।

दिल्ली प्रशासन अधिनियम**, 1966**

65. 2 जून 1966 को संसद ने "केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासन का प्रावधान करने के लिए" दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 लागू किया। अधिनियम, धारा 3 में, एक महानगर परिषद का गठन किया गया, जिसमें सीधे निर्वाचित होने वाले 56 व्यक्ति शामिल थे। यद्यपि केंद्र सरकार को महानगर परिषद में पाँच व्यक्तियों को नामित करने का अधिकार था। महानगर परिषद का कार्यकाल, जब तक कि इसे जल्द ही भंग नहीं किया जाता, पांच साल का होना था। धारा 22 के तहत महानगर परिषद कुछ मामलों पर, जहां तक वे दिल्ली से संबंधित हैं, सिफारिशें कर सकती है।धारा 22 निम्नलिखित रूप में प्रदान की गई हैः

“(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, महानगर परिषद को दिल्ली से संबंधित निम्नलिखित मामलों पर चर्चा करने और उनके संबंध में सिफारिशें करने का अधिकार होगा, अर्थात्ः-

(क) संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए प्रस्ताव जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में लागू होता है (जिसे इसके बाद राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में संदर्भित किया जाता है);

(ख) राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले से संबंधित किसी राज्य में लागू किसी भी अधिनियम के दिल्ली तक विस्तार के प्रस्ताव;

(ग) राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में प्रशासक द्वारा निर्दिष्ट कानून के लिए प्रस्ताव;

(घ) भारत की संचित निधि में जमा की जाने वाली और उससे की जाने वाली दिल्ली से संबंधित अनुमानित प्राप्तियां और व्यय; और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय;

(ई) सामान्य नीति और विकास की योजनाओं से जुड़े प्रशासन के मामले जहां तक वे राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों से संबंधित हैं;

(च) प्रशासक द्वारा संदर्भित कोई अन्य मामला।

(2) महानगर परिषद की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा विधिवत विचार किए जाने के बाद, जहां भी आवश्यक हो, प्रशासक द्वारा कार्यकारी परिषद द्वारा व्यक्त किए गए विचारों, यदि कोई हों, के साथ केंद्र सरकार को अग्रेषित किया जाएगा।”

महानगर परिषद की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचार करने के बाद उन्हें केंद्र सरकार को भेजा जाना । कार्यकारी परिषद का कार्य राज्य सूची या समवर्ती सूची के मामलों के संबंध में अपने कार्यों के प्रयोग में प्रशासक की "सहायता और सलाह" देना था।

क्योंकि संसद संविधान के अनुच्छेद 74 और 163 में "सहायता और सलाह" अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए सचेत थी; और भाग सी राज्य सरकार अधिनियम 1951 की धारा 36 (1) में; केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 की धारा 44 ने धारा 27 में "सहायता और सलाह" अभिव्यक्ति को सावधानीपूर्वक अपनाया। धारा 27 निम्नलिखित शब्दों में थीः

“(1) एक कार्यकारी परिषद होगी, जिसमें चार से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से एक को मुख्य कार्यकारी पार्षद और अन्य को कार्यकारी पार्षद के रूप में नामित किया जाएगा, जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित मामलों के संबंध में अपने कार्यों के प्रयोग में प्रशासक को सहायता और सलाह देगा, सिवाय इसके कि जहां तक वह इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत अपने कार्यों का या उनमें से किसी का अपने विवेक से या किसी विधि द्वारा या उसके तहत किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित हैः

बशर्ते कि प्रशासक और कार्यकारी परिषद के सदस्यों के बीच किसी ऐसे मामले के अलावा किसी मामले पर मतभेद की स्थिति में, जिसके संबंध में वह इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने के लिए अपेक्षित है, प्रशासक इसे निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा, और ऐसा निर्णय लंबित रहने तक, यह प्रशासक के लिए किसी भी मामले में सक्षम होगा जहां प्रकरण उसकी राय में इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना, ऐसी कार्रवाई करना या मामले में ऐसा निर्देश देना आवश्यक है जो वह आवश्यक समझता हैः

बशर्ते कि नई दिल्ली से संबंधित किसी भी प्रकरण के संबंध में कार्यकारी परिषद के सदस्य या कार्यकारी परिषद द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय प्रशासक की समवर्ती के अधीन होगा, और इस उप-धारा में कुछ भी प्रशासक को नई दिल्ली के प्रशासन के संबंध में कोई कार्रवाई करने से रोकने के रूप में नहीं समझा जाएगा, जैसा कि वह अपने विवेक से आवश्यक समझता है।

(2) प्रशासक कार्यकारी परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा, लेकिन यदि वह बीमारी या किसी अन्य कारण से परिषद की किसी भी बैठक से अनुपस्थित रहने के लिए विवश है, तो मुख्य कार्यकारी सभापति, परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) दिल्ली मे कानून एवं व्यवस्था सहित पुलिस बल के संगठन और अनुशासन, और ऐसे अन्य मामले जिसे राष्ट्रपति समय-समय पर अपनी ओर से उल्लेख करे इस संबंध के कार्यो मे प्रशासक अपने विवेक का प्रयोग करेगा ।

(4) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में प्रशासक को इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है, तो उस पर प्रशासक का निर्णय अंतिम होगा।

(5) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में प्रशासक से किसी विधि द्वारा या उसके तहत किसी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता है, तो उस पर प्रशासक का निर्णय अंतिम होगा।

(6) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला नई दिल्ली से संबंधित है या नहीं, तो उस पर प्रशासक का निर्णय अंतिम होगा।

(7) कार्यकारी परिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रशासक को क्या सलाह दी गई थी, इस प्रश्न की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी।"

नई दिल्ली से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में कार्यकारी परिषद का प्रत्येक निर्णय प्रशासक की संवर्तन के अधीन था। धारा 27 (1) के दूसरे परंतुक के समान प्रावधान का अनुच्छेद 239 एए में कोई संदर्भ नहीं मिलता है। इसके अलावा, धारा 27 की उप-धारा 2 के तहत, प्रशासक को कार्यकारी परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना होता है। कार्यकारी परिषद के सदस्य, धारा 28 के तहत, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते थे और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते थे। कार्यकारी परिषद का कोई सदस्य छह महीने की अवधि से अधिक पद पर नहीं रह सकता था यदि वह महानगर परिषद का सदस्य नहीं था।

66. 1966 का अधिनियम केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर तब तक लागू रहा जब तक कि संविधान में 69 वें संशोधन और जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम 1991 को अपनाया नहीं गया।

बालाकृष्णन समिति

67. 14 दिसंबर 1989 को दिल्ली के शासन के लिए संरचना के पुनर्गठन पर सिफारिशें करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। श्री एस.

बालाकृष्णन (सलाहकार, गृह मंत्रालय) की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय राजधानी को समग्र रूप से विकसित करने की आवश्यकता और अपने स्वयं के मामलों के संचालन में अधिक स्वायत्तता के लिए स्थानीय लोगों की इच्छाओं के बीच हितों का टकराव है। रिपोर्ट में इस संघर्ष का वर्णन इस प्रकार किया गया थाः

".....मुख्य कठिनाई दो परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को मिलाने मे होता है, अर्थात्, संतुष्टि की आवश्यकता राजधानी के नागरिको को यह प्रेरित करती है कि वे संविधान के आत्मा के अनुरूप स्वयं को संचालित करें और यह आवश्यकता है कि राजधानी शहर और उसके प्रशासन पर अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं के निर्वहन के लिए पर्याप्त नियंत्रण होना चाहिए।" समिति ने निम्नलिखित पाँच विकल्पों पर विचार कियाः

"(1) दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के तहत मौजूदा संरचना को ऐसे संशोधनों के साथ बनाए रखा जा सकता है जो आवश्यक पाए जाएं।

(2) दिल्ली का प्रशासन केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी हो सकती है सिवाय नगरपालिका कार्यों के जिन्हें नगर निगम या अन्य नगर निकायों के लिए छोड़ दिया गया है; किसी भी विधानसभा या मंत्रिपरिषद की कोई आवश्यकता नहीं है।

(3) दिल्ली को संघ का पूर्ण राज्य बनाया जा सकता है।

(4) दिल्ली को विधानसभा और मंत्रिपरिषद के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है।

(5) दिल्ली को संविधान के तहत ही एक विशेष दर्जा और व्यवस्था दी जा सकती है।"

समिति ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के दावे को अस्वीकार करने के कारणों का संकेत दिया। सबसे पहले, समिति ने नोट किया कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के परिणामस्वरूप संघ और राज्य के बीच विधायी शक्ति का संवैधानिक विभाजन होगा और उस सीमा तक विस्तृत होगा, संघ कार्यपालिका को राज्य सूची द्वारा शासित मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्तियों से वंचित कर दिया जाएगा। समिति की दृष्टि सेः

".....शक्तियों और कार्यों के प्रयोग पर यह संवैधानिक निषेध संघ के लिए राष्ट्रीय राजधानी के साथ-साथ राष्ट्र के संबंध में अपनी विशेष जिम्मेदारियों का निर्वहन करना लगभग असंभव बना देगा। हम पहले ही एक अध्याय में राष्ट्रीय राजधानी की विशेष विशेषताओं और इसे केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखने की आवश्यकता का संकेत दे चुके हैं। इस तरह का नियंत्रण राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण है, भले ही विषय वस्तु राज्य क्षेत्र में हो या संघ क्षेत्र में। यदि राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन को राज्य क्षेत्र और संघ क्षेत्र के कठोर विभागों में विभाजित किया जाता है, तो कई महत्वपूर्ण मामलों में संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना है, विशेष रूप से यदि दोनों सरकारें अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाती हैं। इस तरह के संघर्ष कभी-कभी राष्ट्रीय हित को प्रभावित कर सकते हैं। हमने इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हमारी राय है कि दिल्ली के लिए कोई भी व्यवस्था जिसमें केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी की सरकार के बीच शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों का

संवैधानिक विभाजन शामिल है, राष्ट्रीय हित के खिलाफ होगी और इसे नहीं किया जाना चाहिए।"

समिति ने कहा कि "राष्ट्रीय राजधानी पूर्ण रूप से राष्ट्र का है। "और इसलिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर विचार नहीं किया जा सकता। अपने विचार के अनुरूप, समिति ने राय दी कि संविधान के उद्देश्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश बने रहने के साथ-साथ दिल्ली में एक विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। दिल्ली के संबंध में संघ की विशेष जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए विधानसभा को कुछ विशिष्ट विषयों को बाहर करने के लिए विधायी शक्तियां प्रदान की गई थीं। समिति ने सिफारिश की कि लोक व्यवस्था और पुलिस के विषयों को विधानसभा के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर अपने कार्यों को स्पष्ट रूप से करने की आवश्यकता होनी चाहिए। "सहायता और सलाह" की अभिव्यक्ति, समिति ने विचार किया कि कला का शर्त इस पर आधारित है- संविधान द्वारा अपनाई गई सरकार के कैबिनेट रूप मे। यद्यपि सहायता और सलाह का सिद्धांत तीन संशोधनों के अधीन होगाः(i) यह उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगा जहां प्रशासक न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करता है; (ii) प्रशासक उन मामलों के संबंध में सहायता और सलाह पर कार्य करेगा जहां विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है; और (iii) किसी प्रशासन के संबंध मे कोई मामला जिसमे प्रशासक और मंत्रिपरिषद के बीच कोई मतभेद हो उसके संबंध मे समाधान के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाएगा।

समिति का विचार इस प्रकार थाः".....संविधान के अनुच्छेद 239 के आधार पर, दिल्ली के अच्छे प्रशासन की अंतिम जिम्मेदारी प्रशासक के माध्यम से कार्य करने वाले राष्ट्रपति में निहित है। इस वजह से, प्रशासक को किसी राज्य के राज्यपाल की तुलना में

प्रशासन में कुछ अधिक सक्रिय भाग लेना पड़ता है। इसलिए, इस संबंध में केंद्र के प्रति प्रशासक की जिम्मेदारी बनाए रखने की आवश्यकता और विधानमंडल के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करने की आवश्यकता के बीच सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह प्रदान करना है कि यदि प्रशासक और उसकी मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद का समाधान नहीं किया जा सकता है, तो उसे राष्ट्रपति को प्रश्न भेजना चाहिए और उस पर राष्ट्रपति अंतिम होगा।

समिति ने विचार किया कि क्या दिल्ली के प्रशासन का प्रावधान संसद द्वारा अधिनियमित प्रकरण के तहत किया जाना चाहिए, जैसा कि पहले हुआ था। समिति ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले क़ानून को प्राथमिकता देते हुए एक संवैधानिक संशोधन की सिफारिश की।

स्थिरता और स्थायित्व के उपाय के रूप में:

".....राष्ट्रीय राजधानी के लिए सरकार की संरचना प्रदान करने वाली कोई भी व्यवस्था राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है और इस प्रकार, यह वांछनीय है कि ऐसी कोई भी व्यवस्था स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करे। संविधान के लागू होने के समय जो अस्थिर स्थिति थी और जिस आधार पर उस समय एक लचीली व्यवस्था करने के लिए भरोसा किया जाता था, वह अब मौजूद नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए सरकार की संरचना के लिए कम से कम उसकी मुख्य विशेषताओं के संबंध में विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान करने का समय आ गया है। यदि प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जाता है तो एक संशोधन संसद में केवल दो-तिहाई बहुमत से किया जा

सकता है जो हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकता है। संविधान मे एक निगमित योजना का विस्तार, संविधान के एक विधि से ज्यादा स्थाई होगा । हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा कि सरकारी ढांचा स्थिर रहेगा और राजनीतिक दबाव को वहन नहीं करेगा।"

68. संविधान के उनसठवें संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नलिखित शब्दों में इसके औचित्य की कथन करता हैः

"इस तरह की विस्तृत जांच और परीक्षा के बाद, यह सिफारिश करता है कि दिल्ली एक संघ क्षेत्र के रूप मे निरंतर बना रहना चाहिए और विधानसभा व मंत्रीपरिषद प्रदान किया जाना चाहिए जो आम व्यक्ति से संबंधित मामलो के निराकरण करने के लिए समुचित शक्ति के साथ ऐसे सभा के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए । समिति ने यह भी सिफारिश की कि स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी को संघ के बीच एक विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए व्यवस्थाओं को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए " (जोर दिया गया)

उनसठवें संशोधन का घोषित उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहे, लेकिन इसके लिए एक विधान सभा और एक मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होगी। यह आम आदमी को चिंता के मामलों से निपटने के लिए "समुचित शक्तियां" सौंपने के लिए था। संवैधानिक संशोधन का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश को नियंत्रित करने की व्यवस्थाओं को "स्थिरता और स्थायित्व" का श्रेय देना और राष्ट्रीय राजधानी को "केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक विशेष दर्जा" प्रदान करना था।दूसरे शब्दों में, जबकि एन. सी. टी. का दर्जा एक

केंद्र शासित प्रदेश का होगा, फिर भी केंद्र शासित प्रदेशों के वर्ग के भीतर इसका एक विशेष दर्जा था।

69. इस इतिहास और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, एन. सी. टी. को अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के समान दर्जा देना मौलिक रूप से अनुचित होगा। अनुच्छेद 239 एए (4) एक विशेष प्रावधान है जिसे एन. सी. टी. के शासन के लिए एक विशेष संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपनाया गया था, भले ही केंद्र शासित प्रदेशों के दायरे में हो। अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, यह न्यायालय एक अल्पकालीन दृष्टिकोण नहीं अपना सकता है, जो विधायी और संवैधानिक इतिहास की अनदेखी करता है। 1963 और 1966 के अधिनियमों के कुछ प्रावधानों को अपनाते समय, संसद ने अपनी संवैधानिक क्षमता में उन विधायी अधिनियमों के कुछ अन्य प्रावधानों को हटा दिया जो उनसठवें संशोधन से पहले थे।मंत्रिपरिषद और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के बीच संबंध तब विकसित हुए जब दिल्ली भाग सी राज्य से (सातवें संशोधन से पहले) विधानमंडल द्वारा शासित केंद्र शासित प्रदेश के रूप मे उन्नत हुआ। एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, दिल्ली की स्थिति चौदहवें संशोधन के बाद अनुच्छेद 239 ए के तहत एक प्रशासक द्वारा प्रशासित होने से और संसद के पहले के अधिनियमों के तहत शासन से एक विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान द्वारा शासित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में इसकी वर्तमान स्थिति में विकसित हुई हैः अनुच्छेद 239 एए। हमने देखा है कि कैसे, जब दिल्ली भाग सी राज्य अधिनियम के दायरे में थी, नई दिल्ली से संबंधित किसी भी मामले पर मंत्रिपरिषद का प्रत्येक निर्णय मुख्य आयुक्त के संवर्तन के अधीन था और किसी भी मतभेद का समाधान मुख्य आयुक्त द्वारा स्वयं किया जाना था जो नई दिल्ली का प्रशासन करने के लिए अपने विवेकानुसार कार्य कर रहे थे। 1963 के अधिनियम के तहत, उन मामलों के अलावा जिन पर प्रशासक को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता थी या जहां उसे विधि के तहत न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करना था, ऐसे मामले थे जो प्रशासक के अपनी "विशेष

जिम्मेदारी" में निहित थे जहां वह अपने विवेक से कार्य कर सकता था। 1966 के अधिनियम के तहत, कार्यकारी परिषद को प्रशासक की "सहायता और सलाह" देनी थी और नई दिल्ली से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में इसका प्रत्येक निर्णय प्रशासक की सहमति के अधीन था। मंत्रिपरिषद और उपराज्यपाल के बीच संबंधों की प्रकृति और उपराज्यपाल के अधिकार को परिभाषित करते समय अनुच्छेद 239 एए में समान प्रावधानों की अनुपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

एन**.** सी**.** टी:केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक विशेष वर्ग**?**

70. सभी केंद्र शासित प्रदेशों को एक संवैधानिक जोड़ी के दायरे में लाते समय संविधान के भाग VIII में एक साथ समूहीकृत किया गया है, संविधान द्वारा उनके बीच एक स्पष्ट अंतर बनाया गया है। इस तरह का भेद अनुच्छेद 239 (1) में ही उत्पन्न होता है। इस बुनियादी आधार को निर्धारित करते हुए कि "प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा", अनुच्छेद 239 (1) इसे दो महत्वपूर्ण योग्यताओं पर निर्धारित करता है। पहला उस भाषा द्वारा प्रदान किया गया है जिसके साथ अनुच्छेद 239 (1) संबंधित है, जो है:“कानून द्वारा संसद द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर"। दूसरी योग्यता यह है कि राष्ट्रपति प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग प्रत्येक संघ क्षेत्र के लिए कर सकता है "उस सीमा तक जो वह उचित समझता है"। प्रारंभिक शब्द अनिवार्य रूप से यह निर्धारित करने के लिए संसद पर छोड़ देते हैं कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन का प्रयोग राष्ट्रपति के माध्यम से किस प्रकृति और सीमा तक किया जाएगा। राष्ट्रपति एक प्रशासक के कार्यालय के माध्यम से उस शक्ति का प्रयोग उस हद तक कर सकता है जैसा वह उचित समझता है। "इस सीमा तक कि जो वह उचित समझता है" का अर्थ का उच्चारण संवैधानिक विवेकाधिकार है जो कि प्रशासक के शक्तियों की जो प्रशासक द्वारा निर्धारित किया गया है

राष्ट्रपति द्वारा प्रयुक्त किये जाने की सीमा है । इन दोनों योग्यताओं के महत्वपूर्ण संवैधानिक परिणाम हैं क्योंकि वे एक प्रशासक के तत्वावधान में राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की प्रकृति और विस्तार को संसदीय कानून द्वारा निर्धारित करने के लिए खुला छोड़ते हैं।

71. अनुच्छेद 239 के प्रावधानों के परिणामस्वरूप केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के लिए महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। अनुच्छेद 239 केंद्र शासित प्रदेश पर प्रशासनिक या नियामक नियंत्रण की प्रकृति या सीमा को स्पष्ट नहीं करता है।अनुच्छेद 239 ए (जो वर्तमान में पुडुचेरी पर लागू होता है), अनुच्छेद 239 एए (जिसमें दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान हैं) और अनुच्छेद 240 इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि केंद्र सरकार का प्रत्येक संघ के साथ संबंध और प्रशासन पर राष्ट्रपति के नियंत्रण की सीमा समान होने का आशय नहीं है। इन तीन अनुच्छेदों से संकेत मिलता है कि कम से कम कार्यकारी कार्यों के संबंध में विधायी शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के बीच अंतर किया गया है।

72. अनुच्छेद 240 के प्रावधानों को पढ़ने से यह भिन्नता प्रकट होता है जो निम्नलिखित को शासित करता हैः

(i) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह;

(ii) लक्षद्वीप;

(iii) दमन और दीव;

(iv) दादर और नगर हवेली और

(v) पुडुचेरी।

अनुच्छेद 240 का खंड 1 राष्ट्रपति को ऊपर उल्लिखित केंद्र शासित प्रदेशों की "शांति, प्रगति और अच्छी सरकार" के लिए विनियम बनाने में सक्षम बनाता है।अनुच्छेद 239 ए, जैसा कि हमने पहले देखा है, संसद को पुडुचेरी के लिए एक स्थानीय विधानमंडल या एक मंत्रिपरिषद (या दोनों) बनाने का अधिकार देता है। एक बार जब संसद अनुच्छेद 239 ए के खंड 1 के तहत कानून बनाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए भी नियम बनाने के साथ शासन का द्वंद्व होना असंगत होगा। इसलिए, अनुच्छेद 240 (1) के परंतुक में कहा गया है कि राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए विधायिका की पहली बैठक के बाद ऐसा कोई विनियमन नहीं करेंगे, जब एक संसदीय विधानमंडल अनुच्छेद 239 ए के तहत एक विधायिका के रूप में कार्य करने के लिए एक निकाय बनाता है। यद्यपि जब विधायिका को भंग कर दिया जाता है या यह इस प्रकार कार्य करता है जो संसदीय विधान को आच्छादित कर देता है, तो शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति को पुनर्जीवित हो जाता है। इसलिए पुडुचेरी को अनुच्छेद 240 (1) के तहत अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समूहीकृत किया गया था, लेकिन अनुच्छेद 239 ए के तहत संसद द्वारा बनाए गए एक विधि के विचार में, एक विशिष्ट संवैधानिक जनादेश विधायी और कार्यकारी कार्यों को इस हद तक सौंपने की अनुमति देता है कि वे विधि के तहत स्थानीय विधानमंडल या, जैसा भी प्रकरण हो, मंत्रिपरिषद को

हस्तांतरित किए जाते हैं। यदि संसद कोई विधि नहीं बनाती है, तो राष्ट्रपति के पास नियम बनाने की शक्ति बनी रहेगी। इसके अलावा, संसदीय कानून के अधिनियमन पर भी, पुडुचेरी के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति को पुनर्जीवित हो जाता है जहां विधायिका भंग हो जाती है या इसका कामकाज निलंबित हो जाता है।

73. दिल्ली को अनुच्छेद 239 एए के तहत एक विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। यह तब मजबूत होता है जब उन प्रावधानों को अनुच्छेद 239 ए और 240 के विपरीत पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 239 एए में अनुच्छेद 240 (1) की भाषा या योजना शामिल नहीं है, जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 240 (1) में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 240 (1) के इस प्रावधान से संकेत मिलता है कि एक बार संसदीय विधि बनाए जाने के बाद राष्ट्रपति पुडुचेरी के लिए विनियम नहीं बनाएगा। दिल्ली के प्रकरण में, अनुच्छेद 239 एए किसी विधायिका या मंत्रिपरिषद के संविधान को भविष्य में संसद द्वारा बनाए जाने वाले विधि पर नहीं छोड़ता है। अनुच्छेद 239 ए. ए. आदेश देता है कि एन. सी. टी. के लिए एक विधान सभा होगी और उपराज्यपाल को सहायता और सलाह देने के कार्य के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी। "वहाँ होगा" सूत्रीकरण एक संवैधानिक जनादेश का संकेत है। एन. सी. टी. के लिए विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद होते हुए विधायिका के अधिनियमित होने के भविष्य के दिनांक पर विधायिका मस्तिष्क द्वारा यह संसद द्वारा विनियमित नहीं होता था । अनुच्छेद 239 एए का खंड 7 (ए) संसद को विधि द्वारा उस अनुच्छेद में निहित प्रावधानों को प्रभावी बनाने या पूरक बनाने के लिए प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।संसद की शक्ति अनुच्छेद 239 एए और इसके परिभाषित मानदंडों को लागू करने, लागू करने और मजबूत करने की है।

74. उपरोक्त विश्लेषण से संकेत मिलता है कि जहां भाग VIII सभी केंद्र शासित प्रदेशों के एक सामान्य समूह को एक साथ लाता है, वहीं संविधान स्पष्ट रूप से अपनी स्थिति, शासन की संस्थाओं (विधायी या कार्यकारी), लोकतांत्रिक भागीदारी की प्रकृति या अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को शासन के लिए सौंपे गए लोगों की जवाबदेही के विस्तार के विवरण को चित्रित करने के लिए एक ही ब्रश का उपयोग करने का आशय नहीं था। इसलिए, एन. सी. टी. के लिए मंत्रिपरिषद को सौंपी गई संवैधानिक शक्तियों के दायरे को परिभाषित करने और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल के साथ उनके संबंधों को परिभाषित करने में, न्यायालय उस संवैधानिक महत्व की उपेक्षा नहीं कर सकता है जिसे प्रतिनिधि सरकार को सौंपा जाना है। प्रतिनिधि सरकार एक संविधान की पहचान है जो लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह शासन के एक लोकतांत्रिक रूप के माध्यम से है जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने वालों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। निस्संदेह, एन. सी. टी. के शासन में राष्ट्रीय अनिवार्यताएँ शामिल हैं। उन्हें संतुलन में भी रखना चाहिए। अनुच्छेद 239 एए के खंड 4 का परंतुक राष्ट्रीय मामलो का संवैधानिक संकेतक है जो उस समय ध्यान में रखा गया था जब एक विशेष संवैधानिक प्रावधान द्वारा एन. सी. टी. को शासन की एक राजनीतिक शाखा के रूप में स्थापित करने के लिए संवैधानिक शक्ति का प्रयोग किया गया था। उन राष्ट्रीय अनिवार्यताओं ने पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के क्षेत्रों को विधान सभा के विधायी प्राधिकरण के क्षेत्र से अलग कर दिया है और उन्हें संसद को सौंप दिया है। एक बार फिर, यह एक राष्ट्रीय अनिवार्यता की समझ है जिसके कारण एन. सी. टी. के संबंध में घटक शक्ति को इतना संशोधित किया गया कि समवर्ती सूची के अलावा राज्य सूची में सभी प्रविष्टियों पर संसदीय विधायी प्राधिकरण को अनुमति दी गई। संसद भारत में राज्यों के संबंध में राज्य सूची प्रविष्टियों के संबंध में विधायी अधिकार का प्रयोग तब तक नहीं करती है जब तक कि कोई मामला अनुच्छेद 252 या 253 के दायरे में नहीं आता है। केंद्र शासित प्रदेशों पर संसदीय विधायी नियंत्रण का विस्तार राष्ट्रीय अनिवार्यताओं या मामलों का ठीक रूप से संक्षिप्त ढंग से अभिव्यक्ति किया गया है। मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक होने के कारण, इस पहलू को ध्यान में रखना होगा। असली चुनौती हमारे

जैसे संघ में उस नाजुक संतुलन को बनाए रखने की है, जो यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय मामलों को राष्ट्र की एकता और अखंडता के हित में संरक्षित किया जाए, जबकि साथ ही निर्वाचित सरकारों के लोकतांत्रिक कामकाज के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली क्षेत्रीय भावनाओं को हमारी राजनीति में अभिव्यक्ति मिलती रहे।

75. संवैधानिक सिद्धांत जो यह दर्शाता है वह यह है कि जबकि दिल्ली एक विशेष प्रकरण प्रस्तुत करती है, जो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के विपरीत है, इसे नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान राष्ट्रीय मामलों (संघ द्वारा नियंत्रण में परिलक्षित) और प्रतिनिधि लोकतंत्र के बीच एक समामेलन करता है (मंत्रिपरिषद के जनादेश के माध्यम से व्यक्त किया गया जो सीधे निर्वाचित विधायिका के लिए सामूहिक जिम्मेदारी देता है)। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि संघ द्वारा नियंत्रण, राष्ट्रपति का भी नियंत्रण है जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है जो संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व गठन करता है। शासन के दो स्तरों, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के बीच संवैधानिक राजनीतिक कौशल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यावहारिक मुद्दों को राजनीतिक परिपक्वता और प्रशासनिक अनुभव की भावना के साथ हल किया जाना चाहिए। इस न्यायालय को केवल इसलिए हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि दोनों के बीच झड़पों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर कार्यकारी नियंत्रण के उचित वितरण के संवैधानिक मुद्दों को उठाया है।

I राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम**, 1991**

76. संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विधान सभा और मंत्रिपरिषद से संबंधित संविधान के प्रावधानों के पूरक के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 77 लागू किया। यह विधान अनुच्छेद 239 एए के खंड 7 (ए) के प्रावधानों के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है।

77. विधि की कुछ मुख्य विशेषताएं गुणवत्ता के संदर्भ मे हैं। विधि क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के विधानसभा का प्रत्यक्ष चुनाव को अनिवार्य करता है। विधानसभा की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित की गई है। उपराज्यपाल को विधानसभा को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। विधि वित्तीय बिल के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। विधान सभा में किसी विधेयक या संशोधन को पेश करने से पहले उपराज्यपाल की अनुशंसा अनिवार्य है, जहां इसमें निम्नलिखित में से किसी के लिए प्रावधान शामिल हैः

“(क) किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन;

(ख) राजधानी की सरकार द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी भी वित्तीय दायित्वों के संबंध में विधि का संशोधन;

(ग) पूँजी की संचित निधि से धन का विनियोग;

(घ) किसी व्यय को पूंजी की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना;

इसी तरह, यदि कोई विधेयक, जब विधि में अधिनियमित होता है, तो इसमें राजधानी की समेकित निधि से व्यय शामिल होता है, इसके लिए विधानसभा द्वारा पारित किए जाने से पहले उपराज्यपाल की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है।विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों के लिए उपराज्यपाल की सहमति निम्नलिखित शर्तों में अनिवार्य हैः

“धारा 24.विधेयकों को मंजूरीः- जब विधान सभा द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है, तो उसे उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उपराज्यपाल या तो यह घोषणा करेगा कि वह विधेयक को मंजूरी देता है या वह उससे सहमति रोकता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता हैः

बशर्ते कि उपराज्यपाल, सहमति के लिए उसे विधेयक प्रस्तुत करने के बाद जल्द से जल्द, विधेयक को वापस कर सकता है, यदि यह धन विधेयक नहीं है, तो एक संदेश के साथ यह अनुरोध करते हुए कि विधानसभा विधेयक या उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर विचार करेगी, और विशेष रूप से, ऐसे किसी भी संशोधन को पेश करने की वांछनीयता पर विचार करेगी जिसकी वह अपने संदेश में सिफारिश कर सकता है और जब कोई विधेयक इस तरह वापस किया जाता है, तो विधानसभा तदनुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेगी, और यदि विधेयक संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है और उपराज्यपाल को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उपराज्यपाल घोषणा करेगा कि वह विधेयक को मंजूरी देता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता हैः

बशर्ते कि उपराज्यपाल किसी भी विधेयक पर सहमति नहीं देगा, लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करेगा, जो -

(क) उपराज्यपाल की राय में, यदि यह विधि बन जाता है, तो यह उच्च न्यायालय की शक्तियों का इतना अवमूल्यन करेगा कि उस स्थिति को खतरे में डाल देगा जिसे उस न्यायालय को भरने के लिए निर्माण संविधान द्वारा किया गया है; या

(ख) राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अपने विचार के लिए आरक्षित रहने का निर्देश दे सकता है; या

(ग) धारा 7 की उप-धारा (5) या धारा 19 या धारा 34 या धारा 43 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित है।

व्याख्याः- इस धारा और धारा 25 के प्रयोजनों के लिए, एक विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा यदि इसमें केवल धारा 22 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सभी या किसी भी प्रकरण या उन मामलों में से किसी के लिए आनुषंगिक किसी भी प्रकरण से संबंधित प्रावधान हैं और दोनों ही मामलों में, उस पर विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र का समर्थन किया जाता है कि यह एक धन विधेयक है।"

जैसा कि उपरोक्त प्रावधानों से पता चलता है, उपराज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, मंजूरी रोक सकते हैं या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते

हैं। जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है, वहां उपराज्यपाल को इसे विधानसभा में पुनर्विचार के लिए वापस करने की अनुमति है। इसके बाद, यदि विधेयक विधानसभा द्वारा फिर से पारित किया जाता है, तो उपराज्यपाल या तो विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं या इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा परंतुक विधेयकों की तीन श्रेणियों को निर्धारित करता है जिन्हें उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना चाहिए। जहां विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है, वहां धारा 25 में निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति या तो विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं या मंजूरी रोक सकते हैं। राष्ट्रपति, यदि यह धन विधेयक नहीं है, तो उपराज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा में वापस करने का निर्देश दे सकता है और यदि इसे फिर से पारित किया जाता है, तो विधेयक को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास फिर से प्रस्तुत करना होगा।

78. उपराज्यपाल की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति से अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 200 इस प्रकार प्रदान करता हैः

"अनुच्छेद 200। जब किसी राज्य की विधान सभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य की प्रकरण में कोई विधेयक राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो, तो उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल यह घोषणा करेगा कि या तो वह विधेयक को मंजूरी देता है या वह उससे सहमति रोकता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता हैः

बशर्ते कि राज्यपाल, सहमति के लिए उसे विधेयक प्रस्तुत करने के बाद, यदि धन विधेयक नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके, विधेयक को इस संदेश के साथ वापस कर

सकता है कि सदन या सदन बिल विधेयक पर पुनर्विचार करेगा या अपने संदेश मे उसके किसी विनिर्दिष्ट उपबंधो और विशिष्टियों मे विचार करते हुए किसी संशोधनों को करने का अनुमोदन करता है और विधेयक को स्वीकृत करता है । जब कोई विधेयक इस प्रकार वापस किया जाता है, तो सदन या सदन तदनुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेंगे, और यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाता है और राज्यपाल को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल उससे सहमति नहीं रोकेगाः बशर्ते कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को स्वीकृति नहीं देगा, लेकिन राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखेगा, जो राज्यपाल की राय में, यदि यह विधि बन जाता है, तो उच्च न्यायालय की शक्तियों का इतना अवमूल्यन करेगा कि उस स्थिति को खतरे में डाल देगा जिसे वह न्यायालय भरने के लिए इस संविधान द्वारा बनाया गया है।

” अनुच्छेद 200 के तहत, जहां राज्यपाल ने किसी विधेयक (धन विधेयक नहीं होने के कारण) को राज्य की विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है और विधेयक को विधायिका द्वारा पारित कर दिया जाता है, राज्यपाल को सहमति रोकने से रोक दिया जाता है। इसके विपरीत, धारा 24 उपराज्यपाल को अधिकार प्रदान करती है, भले ही किसी विधेयक पर पुनर्विचार किया गया हो और एन. सी. टी. की विधान सभा द्वारा पारित किया गया हो, या तो उसे मंजूरी दी जाए या इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाए। इसके अलावा, धारा 24 का दूसरा परंतुक विधेयकों की श्रेणियों को व्यापक बनाता है जिन्हें उपराज्यपाल को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना चाहिए। दूसरे परंतुक का खंड (ए) अनुच्छेद 200 के दूसरे परंतुक से मेल खाता है। इसके अलावा, धारा 24 के दूसरे परंतुक का खंड (बी) राष्ट्रपति को उपराज्यपाल को अपने विचार के लिए एक विधेयक आरक्षित रखने का निर्देश देने का अधिकार देता है। इसी तरह, खंड (सी) के तहत, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एन. सी. टी. की विधान सभा के सदस्यों को देय वेतन, राजधानी और विधान सभा की आधिकारिक भाषा और मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित विधेयक ऐसे मामले हैं जिन पर उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक

सुरक्षित रखना होता है। ये प्रावधान राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के बीच अधिक अंतरफलन का संकेत देते हैं।

79. धारा 27 में उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के साथ सभा के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखने का प्रावधान है, जिसमें उस वर्ष के लिए पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय शामिल हैं। धारा 29 विनियोग विधेयकों के लिए प्रावधान करती है। धारा 30 में पूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है। यहाँ फिर से राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के लिए एक प्रावधान किया गया है। धारा 33 विधानसभा को अधिनियम, इसकी प्रक्रिया और कार्य के संचालन के अधीन, विनियमन के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। उपराज्यपाल, विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करके और राष्ट्रपति के अनुमोदन से वित्तीय कार्य को समय पर पूरा करने के लिए नियम बना सकता है; विधेयकों के वित्तीय मामलों के संबंध में विधान सभा में कार्य की प्रक्रिया और संचालन को विनियमित करने के लिए; राजधानी की समेकित निधि के भीतर धन के विनियोग के लिए; और उन मामलों पर किसी भी चर्चा को प्रतिबंधित करने के लिए जहां उपराज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करना है। धारा 34 के तहत राष्ट्रपति को यह निर्देश देने का अधिकार दिया गया है कि संघ की राजभाषा को राजधानी के ऐसे आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अपनाया जाएगा जो निर्दिष्ट किए जाएं और किसी अन्य भाषा को भी अपनाया जाएगा।

80. जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम के भाग IV ने अन्य बातों के साथ-साथ उन मामलों के लिए प्रावधान किए हैं जो उपराज्यपाल के विवेक, कार्य संचालन और उपराज्यपाल के साथ संवाद करने और जानकारी साझा करने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य में निहित हैं। धारा 41 इस प्रकार प्रदान करती हैः

“धारा 41.जिन मामलों में उपराज्यपाल अपने विवेक से कार्य करेंगेः-

(1) उपराज्यपाल किसी ऐसे मामले में अपने विवेकाधिकार से कार्य करेगा-

(i) जो विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर है, लेकिन जिसके संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उसे शक्तियां या कार्य सौंपे गए हैं या सौंपे गए हैं; या

(ii) जिसमें उसे किसी भी विधि द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने या किसी भी न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई मामला उपराज्यपाल के संबंध में कोई मामला है या नहीं, तो अपने विवेक से कार्य करने के लिए आवश्यक किसी विधि द्वारा या उसके तहत, उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।

(3) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई मामला ऐसा मामला है या नहीं जिसके संबंध में उपराज्यपाल किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने के लिए किसी विधि द्वारा या उसके तहत अपेक्षित है, तो उस पर उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।”

81. उपराज्यपाल दो वर्गों के मामलों में अपने विवेक से कार्य करता है। पहले में वे शामिल हैं जो विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों से बाहर हैं, लेकिन जिनके संबंध में राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल को शक्तियां और कार्य सौंपे हैं। दूसरी श्रेणी में वे मामले शामिल हैं जहां उपराज्यपाल को किसी भी विधि द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता होती है या जिसके तहत वह न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करता है। धारा 41 के दायरे में आने वाले मामले सहायता और सलाह के दायरे से बाहर हैं। जहाँ कोई विषय या मामला विधान सभा के दायरे से बाहर है, वह अनिवार्य रूप से एन. सी. टी. सरकार की कार्यकारी शक्तियों से बाहर है। इस तरह के मामले सहायता और सलाह के दायरे से बाहर हैं जो मंत्रिपरिषद द्वारा उपराज्यपाल को दी जाती है।

82. धारा 44 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्य संचालन के लिए नियम बना सकते हैंः

“धारा 44.व्यवसाय का संचालनः

(1) राष्ट्रपति नियम बनाएगा -

(क) मंत्रियों को कार्य के आवंटन के लिए जहाँ तक यह कार्य है जिसके संबंध में उपराज्यपाल से अपने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है; और

(ख) उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद या मंत्री के बीच मतभेद की प्रकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सहित मंत्रियों के साथ व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन-देन के लिए।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, उपराज्यपाल की सभी कार्यकारी कार्रवाई, चाहे वह उनके मंत्रियों की सलाह पर की गई हो या अन्यथा, उपराज्यपाल के नाम पर की गई होगी।

(3) उपराज्यपाल के नाम से बनाए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतो को उस तरीके से प्रमाणित किया जाएगा जो उपराज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है और इस तरह से प्रमाणित किसी आदेश या दस्तावेज की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि यह उपराज्यपाल द्वारा बनाया गया या निष्पादित आदेश या दस्तावेज नहीं है।"

धारा 44 के तहत, उन मामलों पर सरकार में मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन जहां उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना है, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किया जाना है। इसी तरह, मंत्रियों के साथ व्यापार के सुविधाजनक लेन-देन के लिए और उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद या मंत्री के बीच अंतर होने पर पालन किए जाने वाले तौर-तरीकों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाए जाते हैं। सभी कार्यकारी कार्रवाई उप-धारा 2 के तहत होती है जिसे उपराज्यपाल के नाम पर व्यक्त किया जाता है। उप-धारा 3 में उपराज्यपाल के नाम पर बनाए गए और निष्पादित किए गए आदेशों और लिखतो के प्रमाणीकरण का प्रावधान है।

83. धारा 44 को केंद्र सरकार के कार्य संचालन (अनुच्छेद 77 के तहत) और राज्यों के कार्य संचालन (अनुच्छेद 166 के तहत) के संबंध में संविधान के प्रावधानों से अलग किया जा सकता है। अनुच्छेद 77 अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि केंद्र

सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से व्यक्त की जाएगी और राष्ट्रपति के नाम के आदेशों या लिखतो को राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा। राष्ट्रपति को कार्य के सुविधाजनक लेन-देन और मंत्रियों के बीच उस व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 166 समान सामग्री है (किसी राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल के प्रतिस्थापन के साथ)। किसी राज्य के प्रकरण के विपरीत, जहां कार्य के नियम राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, धारा 44 के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्य के संचालन के संबंध में नियम राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा, संविधान के तहत किसी राज्य के मामलों के संबंध में अनुच्छेद 239 एए (4) के परंतुक के अनुरूप कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान नहीं है।

84. धारा 45 में उपराज्यपाल के साथ संवाद करने और जानकारी साझा करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य प्रदान किया गया हैः

“धारा 45। उपराज्यपाल आदि को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य-

यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा -

(क) राजधानी के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधान के प्रस्तावों के बारे में उपराज्यपाल को सूचित करना;

(ख) राजधानी के मामलों के प्रशासन और विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जो उपराज्यपाल की मांग हो; और

(ग) यदि उपराज्यपाल ऐसा चाहता है, तो वह कोई भी मामला जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, उसे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करे।"

धारा 45 अनुच्छेद 78 (प्रधानमंत्री के संबंध में) और अनुच्छेद 167 (राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में) के संदर्भ में समान है। अनुच्छेद 78 और 167 में सरकार के निर्वाचित प्रमुख का मौलिक कर्तव्य शामिल है कि वह राज्य के नाममात्र के प्रमुख के साथ संवाद करे और राज्य के मामलों के संबंध में जानकारी प्रदान करे। राज्य के मामलों के संबंध में राज्य के प्रमुख को सूचित रखने का कर्तव्य उत्पन्न होता है क्योंकि वास्तविक निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचित कार्यपालिका में निहित होता है।चूंकि निर्णय कार्यपालिका द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए राज्य के प्रमुख को नाममात्र के प्रमुख के रूप में उनकी संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में अवगत कराया जाता है।

85. धारा 46 में पूँजी की समेकित निधि का प्रावधान है। धारा 47 आकस्मिक निधियों का प्रावधान करती है। धारा 47 (ए) में प्रावधान है कि संघ की कार्यकारी शक्ति संसदीय विधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर पूंजी की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उधार लेने तक विस्तृत है।

86. धारा 49 उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद पर राष्ट्रपति के "सामान्य नियंत्रण" के सिद्धांत को स्थापित करती है।

“धारा 49.उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों का राष्ट्रपति के साथ संबंध-इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद, उपराज्यपाल और उनकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले ऐसे विशेष निर्देशों, यदि कोई हों, के सामान्य नियंत्रण में होंगे और उनका पालन करेंगे।”

नियंत्रण के मामले में, उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति द्वारा जारी विशेष निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस तरह के निर्देश स्पष्ट रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर जारी किए जाते हैं।

धारा 52 में कहा गया है कि राजधानी के प्रशासन से संबंधित सभी अनुबंध संघ की कार्यकारी शक्ति का उपयोग करते हुए किए जाते हैं और प्रशासन के संबंध में मुकदमे और कार्यवाही केंद्र सरकार द्वारा या उसके खिलाफ शुरू की जा सकती है।

87. जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम 1991 के प्रावधानों का यह सर्वेक्षण इंगित करता है कि राजधानी के प्रशासन से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के बीच एक महत्वपूर्ण अंतरफलक है। उपराज्यपाल को अधिनियम के प्रावधानों द्वारा कुछ विशिष्ट शक्तियों को प्रदत्त किया गया है, जिनमें वित्तीय विधेयकों को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा लेने की आवश्यकताएं शामिल हैं। जैसा कि हमने देखा है, उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए और किसी राज्य के राज्यपाल के कर्तव्यों की तुलना में विधान सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक पर अपनी सहमति को रोकने के संबंध में विधेयकों को आरक्षित करने के लिए एक व्यापक दायित्व के अधीन किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण या पूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान की कथन जैसे मामलों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व

मंजूरी की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आधिकारिक भाषा के संबंध में निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। उपराज्यपाल को उन मामलों में अपने विवेक से कार्य करने की शक्ति दी गई है जो विधानसभा के दायरे और शक्ति से बाहर हैं और जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपे गए हैं और साथ ही उन मामलों के संबंध में जहां उन्हें विधि के तहत अपने विवेक का प्रयोग करने या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा कार्य के संचालन के लिए नियम बनाए जाते हैं, जिसमें कार्य का आवंटन भी शामिल है। इनमें वह प्रक्रिया शामिल होगी जिसका पालन उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद होने पर किया जाएगा। धारा 49, जिसमें एक गैर-अस्थाई प्रावधान है, उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के सामान्य नियंत्रण और ऐसे निर्देशों के अधीन करती है जो समय-समय पर जारी किए जा सकते हैं।

जे**.** द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स**, 1993**

88. जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम 1991 की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य-निष्पादन नियम, 1993 ("कार्य-निष्पादन नियम") तैयार किए गए हैं। नियम 4 (1) सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतीक है। नियम 4 (1) के अनुसारः

“4. (1) उपराज्यपाल के नाम पर किसी भी विभाग द्वारा जारी किए गए सभी निष्पादन आदेशों और राजधानी के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति के नाम पर किए गए अनुबंधों के लिए परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगी चाहे ऐसे आदेश या अनुबंध किसी व्यक्तिगत मंत्री

द्वारा अपने प्रभार वाले विभाग से संबंधित मामले के संबंध में या परिषद की बैठक में चर्चा के परिणामस्वरूप अधिकृत किए गए हैं।"

89. नियम 7 में निर्धारित किया गया है कि अनुसूची में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों को अध्याय 3 में निहित प्रावधानों के अनुसार मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाना चाहिए।प्रभारी मंत्री द्वारा विचार किए जाने के बाद ऐसे सभी प्रस्तावों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। नियम 8 में या तो नियम 9 के तहत किसी प्रस्ताव को प्रसारित करने या इसे मंत्रियों के विचार के लिए रखने के लिए मुख्यमंत्री के आदेशों की परिकल्पना की गई है। नियम 9 मुख्यमंत्री को प्रस्तावों को मंत्रियों के राय के लिए प्रेषित करने के बजाय मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने के लिए सशक्त करती है । किसी प्रस्ताव को तभी पारित किया जा सकता है जब मंत्रियों के बीच सर्वसम्मति हो।

90. लेन-देन के कार्य नियमों में उपराज्यपाल को प्रस्ताव के चरण से ही सूचित रखने के लिए विस्तृत प्रावधान हैं। नियम 9 (2) में कहा गया है कि जहां कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, वहां प्रस्ताव की व्याख्या करने वाला एक ज्ञापन मंत्रियों के बीच प्रसारित करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए और साथ ही एक प्रति उपराज्यपाल को भेजी जानी चाहिए। नियम 9 (2) के अनुसारः

"यदि किसी प्रस्ताव को प्रसारित करने का निर्णय लिया जाता है, तो जिस विभाग से वह संबंधित है, वह प्रस्ताव के तथ्यों, निर्णय के बिंदुओं और प्रभारी मंत्री की सिफारिशों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए एक ज्ञापन तैयार करेगा और इसकी प्रतियां परिषद के सचिव को

भेजेगा, जो इसे मंत्रियों के बीच प्रसारित करने की व्यवस्था करेगा और साथ ही साथ इसकी एक प्रति उपराज्यपाल को भेजेगा।"

नियम 10 (4) के तहत, यदि मुख्यमंत्री सिफारिशों को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें अपने आदेश के साथ प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के सचिव को वापस करना होगा। इसके बाद नियम 10 (5) में कहा गया हैः

"प्रस्ताव की प्राप्ति पर, परिषद का सचिव उपराज्यपाल को निर्णय के बारे में सूचित करेगा और संबंधित सचिव को प्रस्ताव पारित करेगा जो इसके बाद आदेश जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा जब तक कि अध्याय 5 के प्रावधानों के अनुसरण में केंद्र सरकार को निर्देश की आवश्यकता न हो।

नियम 10 (5) में कहा गया है कि प्रस्ताव प्राप्त होने पर परिषद के सचिव उपराज्यपाल को निर्णय से सूचित करेगा और संबंधित विभाग के सचिव के साथ प्रस्ताव साझा करेगा। संबंधित विभाग का सचिव आदेश जारी करने के लिए आगे बढ़ेगा, जब तक कि अन्यथा अध्याय 5 के तहत यह केंद्र सरकार के संदर्भ मे हो। जैसा कि हम इसके बाद नोट करेंगे, ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद रहा है।

91. मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्तावों पर नियम 11 में विचार किया गया है, जो इस प्रकार प्रदान करता हैः

"जब परिषद के समक्ष कोई प्रस्ताव रखने का निर्णय लिया जाता है, तो जिस विभाग से वह संबंधित है, जब तक कि मुख्यमंत्री अन्यथा निर्देश नहीं देता है वह तब एक ज्ञापन तैयार

करेगा, प्रस्ताव के मुख्य तथ्यों और निर्णय के बिंदुओं को सटीक रूप से दर्शाता है। ज्ञापन और ऐसे अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, जो प्रस्ताव को निराकरण में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं, परिषद के सचिव को भेजी जाएंगी जो मंत्रियों को ज्ञापन प्रसारित करने की व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ उपराज्यपाल को इसकी एक प्रति भेजेंगे।"

प्रस्ताव की व्याख्या करने वाला एक ज्ञापन उस विभाग के समक्ष रखा जाता है जो प्रस्ताव परिषद के सचिव को पहले प्रस्तुत हो चुका है। बाद वाला मंत्रियों को ज्ञापन प्रसारित करता है और साथ ही उपराज्यपाल को एक प्रति भेजता है। नियम 13 (3) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित होने के बाद एजेंडा को परिषद के सचिव द्वारा उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को भेजा जाना चाहिए। परिषद की बैठकों में लिए गए निर्णयों का एक अभिलेख तैयार किया जाता है और नियम 13 (7) के तहत, परिषद के सचिव को मंत्रियों और उपराज्यपाल को एक प्रति भेजने की आवश्यकता होती है। नियम 14 इस प्रकार प्रदान करता हैः

"(1) प्रत्येक प्रस्ताव से संबंधित परिषद के निर्णय को अलग से लेखबद्ध जाएगा और मुख्यमंत्री या अध्यक्षता करने वाले मंत्री द्वारा अनुमोदन के बाद प्रस्ताव के रिकॉर्ड के साथ रखा जाएगा। मुख्यमंत्री या अध्यक्षता करने वाले मंत्री द्वारा अनुमोदन के बाद, अनुमोदित परिषद के निर्णय को सचिव द्वारा उपराज्यपाल को भेजा जाएगा।

(2) जहां परिषद द्वारा किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है और निर्णय के अनुमोदित अभिलेख को उपराज्यपाल को सूचित कर दिया गया है, संबंधित मंत्री निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे।"

परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पर निर्णय लेने के बाद और मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन के बाद, निर्णय उपराज्यपाल को भेजा जाता है। उपराज्यपाल को निर्णय के बारे में सूचित किए जाने के बाद, संबंधित मंत्री निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए सशक्त है।

92. नियम 15 किसी विभाग के प्रभारी मंत्री को स्थायी आदेशों के अनुसार विभाग में प्रस्तावों या मामलों का निपटान करने का अधिकार देता है। स्थायी आदेशों की प्रतियां उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजी जानी होती हैं। नियम 16 के तहत, मंत्री स्थायी आदेशों के माध्यम से, मामलों को अपने व्यक्तिगत ध्यान में लाने के लिए प्रदान कर सकता है। स्थायी आदेशों की प्रतियां उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजी जानी होती हैं। नियम 17 में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों के समक्ष विभागों के प्रस्तावों या निराकरण किए गए महत्वपूर्ण मामलों के विशिष्टियां वाले कथनों को साप्ताहिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।

93. नियम 19 (5) उपराज्यपाल को किसी भी विभाग से प्रस्ताव या मामले के कागजात मांगने का अधिकार देता है। नियम 19 (5) निम्नलिखित शब्दों में हैः

"उपराज्यपाल किसी भी विभाग में किसी भी प्रस्ताव या मामले से संबंधित कागजात मंगवा सकता है और ऐसी मांग का पालन संबंधित विभाग के सचिव द्वारा किया जाएगा, वह साथ ही विभाग के प्रभारी मंत्री को अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करेगा।"

नियम 22 में मामलों के एक वर्ग का प्रावधान है जिसे उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया जाएगाः

“कोई भी मामला जो राजधानी की सरकार को केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के साथ विवाद होने की संभावना है, उसे जल्द से जल्द उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा।”

नियम 23 प्रस्तावों या मामलों के उन वर्गों के लिए प्रावधान करता है जिन्हें आदेश जारी करने से पहले उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नियम 23 निम्नलिखित शब्दों में हैः

“प्रस्तावों या मामलों के निम्नलिखित वर्गों को अनिवार्य रूप से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उपराज्यपाल को कोई भी आदेश जारी करने से पहले प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात्ः

(i) ऐसे मामले जो राजधानी की शांति और स्थिरता को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने की संभावना रखते हैं;

(ii) ऐसे मामले जो किसी अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के हितों को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने की संभावना रखते हैं;

(iii) ऐसे मामले जो किसी भी राज्य सरकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या दिल्ली के उच्च न्यायालय के साथ सरकार के संबंधों को प्रभावित करते हैं।

(iv) अधिनियम के तहत या अध्याय 5 के तहत केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव या मामले;

(v) उपराज्यपाल के सचिवालय और कार्मिक स्थापना और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य मामलों से संबंधित मामले;

(vi) वे मामले जिन पर उपराज्यपाल को किसी भी लागू विधि या लिखत के तहत आदेश देने की आवश्यकता होती है;

(vii) मृत्युदंड के तहत व्यक्तियों से दया याचिकाएं और अन्य महत्वपूर्ण मामले जिनमें न्यायिक दण्ड के किसी भी पुनरीक्षण की सिफारिश करने का प्रस्ताव है;

(viii) विधान सभा का आहवान, सत्रावसान और विघटन, विधान सभा, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनावों में मतदाताओं की अयोग्यता को हटाने और उनसे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित मामले; और

(ix) कोई अन्य प्रस्ताव या प्रशासनिक महत्व के मामले जिन्हें मुख्यमंत्री आवश्यक समझे।”

नियम 24 यह प्रावधान करता हैः

“जहां उपराज्यपाल की राय है कि कोई आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए या प्रभारी मंत्री द्वारा पारित आदेशों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, तो वह प्रस्ताव या मामले को विचार के लिए परिषद के समक्ष रखने की अपेक्षा कर सकता हैः बशर्ते कि ऐसे किसी भी प्रकरण में उपराज्यपाल के नोट्स, कार्यवृत्त या टिप्पणियों को सचिवालय अभिलेख पर तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि उपराज्यपाल ऐसा निर्देश न दे।”

नियम 25 मुख्यमंत्री को राजधानी के प्रशासन से संबंधित कुछ मामलों पर उपराज्यपाल को जानकारी देने का कर्तव्य है। नियम 25 के अनुसारः

“मुख्यमंत्री निम्नलिखित कार्य करेगाः

(क) उपराज्यपाल को राजधानी के प्रशासन और विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान की जाए जो उपराज्यपाल की मांग हो; और

(ख) यदि उपराज्यपाल ऐसा चाहता है, तो परिषद के विचार के लिए कोई भी मामला प्रस्तुत करें, जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है।”

नियम 45 कार्यों के संव्यवहार के अंतर्गत उपराज्यपाल के कार्यकारी कृत्यों से संबंधित कार्यों के निपटान से संबंधित है। नियम 45 के तहतः

“उपराज्यपाल, लिखित में स्थायी आदेशों द्वारा, कार्यकारी कृत्यों से संबंधित कार्यों के संव्यवहार और निपटारे के लिए विनियमित कर सकता हैः

बशर्ते कि स्थायी आदेश इस अध्याय, अध्याय 5 के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुरूप होंगे।

बशर्ते कि उपराज्यपाल 'लोक व्यवस्था', 'पुलिस' और 'भूमि' से संबंधित मामलों के संबंध में अपने कार्यकारी कृत्यों का प्रयोग मुख्यमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपी गई सीमा तक करेगा, यदि ऐसा संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किसी आदेश के तहत प्रदान किया गया है। बशर्ते कि 'स्थायी आदेश' व्यवसाय के लेन-देन से संबंधित नियमों के साथ असंगत नहीं होंगे।

” दूसरा परंतुक विषयों के वर्ग (सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और कानून) से संबंधित है जो विधानसभा की विधायी शक्तियों से बाहर हैं और इसलिए यह एन. सी. टी. सरकार की कार्यपालिका शक्तियों से भी बाहर हैं। ऐसे मामलों पर, राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल को जिस हद तक कार्य सौंपे जाते हैं, उपराज्यपाल मुख्यमंत्री से परामर्श करेंगे यदि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 239 के तहत किसी आदेश में ऐसा प्रावधान किया है।

नियम 46 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में प्रावधान करता हैः

“(1)राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, उपराज्यपाल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों का पालन करेगा जो उन्हें ऐसे व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों और आदेशों के प्रावधानों के तहत या मुख्यमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के किसी अन्य आदेश द्वारा सौंपे जा सकते हैं, यदि यह संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किसी आदेश के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी उपराज्यपाल उन सभी मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करेगा जिन पर संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के तहत आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता है और ऐसे प्रत्येक प्रकरण में वह संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के अनुसार के अलावा कोई आदेश नहीं देगा जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत न किया जाए।

(3) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में सेवारत व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग और केंद्र सरकार के साथ सभी पत्राचार उपराज्यपाल के निर्देश पर संबंधित विभाग के मुख्य सचिव या सचिव द्वारा किए जाएंगे।”

नियम 47 के तहत, उपराज्यपाल को किसी भी मामले के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कार्यों का निर्वहन करने से पहले केंद्र सरकार से परामर्श करना होता है, जिसके लिए नियमों में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।

94. कार्यों के संचालन से संबंधित नियमों के अध्याय V में मंत्रिपरिषद के साथ मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार को निर्देश देने में उपराज्यपाल द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियम 49,50 और 51 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"49. किसी भी प्रकरण के संबंध में उपराज्यपाल और किसी मंत्री के बीच मतभेद होने की स्थिति में, उपराज्यपाल उस प्रकरण पर चर्चा करके किसी भी मुद्दे को हल करने का प्रयास करेगा, जिस पर ऐसा मतभेद उत्पन्न हुआ है। यदि मतभेद बना रहता है, तो उपराज्यपाल निर्देश दे सकते हैं कि मामला परिषद को भेजा जाए।"

"50. किसी भी प्रकरण के संबंध में उपराज्यपाल और परिषद के बीच मतभेद होने की स्थिति में, उपराज्यपाल इसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए केंद्र सरकार को भेजेगा और राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार कार्य करेगा।"

"51. जहां नियम 50 के अनुसरण में केंद्र सरकार को कोई प्रकरण भेजा जाता है, वहां उपराज्यपाल के लिए यह निर्देश देना सक्षम होगा कि ऐसे मामले में राष्ट्रपति के निर्णय तक कार्रवाई निलंबित कर दी जाएगी या किसी भी मामले में जहां प्रकरण, उनकी राय में, मामला ऐसा है कि तत्काल कार्यवाही करते हुए ऐसा निर्देश देने या कोई मामला आवश्यक प्रकृति का होने से कार्यवाही किया जाना है।"

जहां उपराज्यपाल द्वारा नियम 51 के तहत निर्देश जारी किया गया है, संबंधित मंत्री को निर्देश को प्रभावी बनाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

95. नियम 53 के तहत, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक वार्षिक योजना उपराज्यपाल के निर्देशों के तहत तैयार की जानी है जिसे अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाना है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रारूप और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा नियम 54 के तहत निर्धारित की जानी चाहिए।

96. नियम 55 (1) विधायी प्रस्तावों की कुछ श्रेणियों के लिए प्रावधान करता है जिन्हें उपराज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार को भेजा जाना चाहिए। नियम 55 (2) उन मामलों को स्पष्ट करता है जिन पर उपराज्यपाल गृह मंत्रालय में या उपयुक्त मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार को पूर्व निर्देश देगा। नियम 55 के अनुसारः

“(1) उपराज्यपाल प्रत्येक विधायी प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगा, जो -

(क) यदि किसी विधेयक प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाता है और विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया जाता है, तो अनुच्छेद 239 एए के खंड (3) के उपखंड (सी) के परंतुक के तहत या, जैसा भी प्रकरण हो, अधिनियम की धारा 24 के दूसरे परंतुक के तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होना आवश्यक है;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 286,287,288 और 304 के प्रावधानों को आकर्षित करता है जो राजधानी पर लागू होते हैं;

(ग) किसी भी ऐसे मामले से संबंधित है जिसके लिए अंततः पूंजी की संचित निधि से पर्याप्त व्यय के माध्यम से केंद्र सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है या राजस्व का परित्याग या किसी भी कर की दर को कम करना।

(2) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश के अधीन, उपराज्यपाल निम्नलिखित मामलों के संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रति के साथ गृह मंत्रालय में केंद्र सरकार या उपयुक्त मंत्रालय को पूर्व निर्देश देगाः-

(क) किसी भी राज्य सरकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के साथ केंद्र सरकार के संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव;

(ख) मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त, सचिव (गृह) और सचिव (भूमि) की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव;

(ग) महत्वपूर्ण मामले जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की शांति और स्थिरता को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने की संभावना रखते हैं; और

(घ) ऐसे मामले जो किसी अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के हितों को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने की संभावना रखते हैं।"

नियम 56 में यह निर्धारित किया गया है कि जहां उपराज्यपाल द्वारा नियमों के तहत केंद्र सरकार को कोई मामला भेजा गया है, वहां केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

97. कार्यो के संव्यवहार नियमों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उपराज्यपाल को शासकीय कार्यों के संबंध में सूचित किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का कर्तव्य प्रस्ताव के चरण से शुरू होता है। जब मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोई प्रस्ताव मंत्रिपरिषद को भेजा जाता है, तो व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति उपराज्यपाल को भेजी जाती है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद, निर्णय उपराज्यपाल को सूचित किया जाता है। निर्णय को आदेश जारी करने के लिए संबंधित विभाग के सचिव को तब भेजा जाता है जब तक कि अध्याय V के तहत केंद्र सरकार के संदर्भ में न हो। जहां कोई प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाता है, वहां उपराज्यपाल को एक व्याख्यात्मक ज्ञापन भेजा जाता है। कार्यसूची की प्रतियाँ, मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद, उपराज्यपाल को प्रस्तुत की जानी चाहिए।मंत्रिपरिषद के निर्णयों का अभिलेख उपराज्यपाल को भेजा जाता है। मुख्यमंत्री द्वारा परिषद के निर्णयों को मंजूरी दिए जाने के बाद, उन्हें सचिव द्वारा उपराज्यपाल को भेजा जाता है। नियम 14 (2) यह निर्धारित करता है कि मंत्रिपरिषद द्वारा एक प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने और निर्णय के अनुमोदित अभिलेख को उपराज्यपाल को सूचित किए जाने के बाद, संबंधित मंत्री "निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक" कार्रवाई करेगा। उपराज्यपाल को निर्णय के अनुमोदित अभिलेख का संचार अनिवार्य है और इसके बाद ही निर्णय को लागू किया जा सकता है। उपराज्यपाल को नियम 19 (5) के

तहत किसी भी विभाग में किसी भी प्रस्ताव या मामले से संबंधित कागजात मंगाने का अधिकार है। ऐसा करने के लिए उपराज्यपाल को दी गई शक्ति स्वतंत्र है और हर स्तर पर उन्हें सूचित रखने के लिए मंत्रिपरिषद के कर्तव्य से विमुख नहीं होती है। जिन मामलों से एन. सी. टी. की सरकार के केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के साथ विवाद में आने की संभावना है, उन्हें उपराज्यपाल के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। जैसा कि नियम 14 से अलग है, नियम 23 प्रस्तावों या मामलों के उन वर्गों को निर्धारित करता है जिन्हें उपराज्यपाल को आदेश जारी करने से पहले प्रस्तुत किया जाना है। नियम 14 (2), जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यह निर्धारित करता है कि परिषद द्वारा अनुमोदित होने पर, निर्णय का अभिलेख उपराज्यपाल को सूचित किया जाता है, जिस पर मंत्री निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। यद्यपि नियम 23 निर्दिष्ट स्थितियों को स्पष्ट करता है जहां प्रस्ताव या मामलों को अनिवार्य रूप से उपराज्यपाल को आदेश जारी करने से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन मामलों को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि आदेशों के जारी होने से पहले मुख्यमंत्री के साथ-साथ उपराज्यपाल को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। कार्यों के संव्यवहार नियमों के ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि उपराज्यपाल को हर स्तर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मामलों और प्रशासन के बारे में सूचित किया जाए। नियम मंत्रिपरिषद में दायित्व का पालन न करने के लिए विवेक का कोई तत्व नहीं छोड़ते हैं। उपराज्यपाल को हर स्तर पर सूचित रखने का दायित्व कोई अपवाद गठित नहीं करता है।

98. कार्यों का संव्यवहार नियम एक सावधानीपूर्वक परिभाषित प्रक्रिया निर्धारित करते हैं ताकि उपराज्यपाल मंत्रियों को परामर्श दे सकें। यह कुछ स्थितियों में आगे के चिंतन या पुनर्विचार को सुविधाजनक बनाने के लिए है। नियम 24 एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां उपराज्यपाल की राय है कि "कोई भी आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए या प्रभारी मंत्री द्वारा पारित आदेशों से अन्यथा कार्रवाई की जानी चाहिए"।उपराज्यपाल किसी भी प्रकरण में

यह माँग कर सकता है कि प्रस्ताव या प्रकरण को विचार के लिए मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाए। उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मामलों के प्रशासन से अवगत रखने का कर्तव्य नियम 25 द्वारा बढ़ाया गया है।नियम के तहत, मुख्यमंत्री को एक कर्तव्य दिया गया है कि वह उपराज्यपाल को राजधानी के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों के बारे में जानकारी प्रदान करे, जो उपराज्यपाल द्वारा आहुत किये जा सकते हैं। उपराज्यपाल को उस मामले को परिषद को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है जिस पर मंत्री ने निर्णय लिया है लेकिन इसे परिषद के समक्ष नहीं रखा गया है।

99. अध्याय IV उपराज्यपाल को अपने कार्यकारी कार्यों से संबंधित कार्यों के संव्यवहार और निपटान को विनियमित करने वाले स्थायी आदेश तैयार करने में सक्षम बनाता है। नियम 45 का दूसरा प्रावधान विशेष रूप से सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से जुड़े मामलों से संबंधित है। ये ऐसे विषय हैं जो विधानसभा की विधायी शक्तियों के दायरे से बाहर हैं, क्योंकि ये राज्य सूची की प्रविष्टियों 1,2 और 18 के अंतर्गत आते हैं। चूँकि इन विषयों के संबंध में विधायी शक्ति का अभाव है, वे मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के दायरे में आने वाले मामलों के दायरे से बाहर हैं। इन अपवादित विषयों पर, उपराज्यपाल को अपने कार्यकारी कार्य का प्रयोग उस सीमा तक करना होता है, जिस सीमा तक राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपा गया है। उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री से परामर्श करना पड़ता है यदि यह अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति के आदेश में प्रदान किया गया है। स्पष्ट रूप से, इसलिए, अपवादात्मक मामलों के संबंध में, उपराज्यपाल द्वारा कार्यकारी कार्यों का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य, यदि कोई हो, के अनुसार होना चाहिए। उपराज्यपाल केवल ऐसे कार्यकारी कार्यों का प्रयोग कर उस सीमा तक कर सकते हैं, जो उसे सौंपे गए है। मुख्यमंत्री से परामर्श करने की आवश्यकता अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश के अधीन होगी।

100. जहाँ तक एन. सी. टी. के प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में, उपराज्यपाल को नियम 46 के तहत ऐसी शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए हैं जो ऐसे व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों और आदेशों या अनुच्छेद 239 के तहत बनाए गए राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उन्हें सौंपे गए हैं।उपराज्यपाल को उन मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के लिए अनिवार्य किया गया है जिन पर अनुच्छेद 320 (3) के तहत परामर्श करने की आवश्यकता है। उपराज्यपाल को आयोग की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत न किया जाए।

101. कार्यों का संव्यवहार का नियम विस्तार से उन तौर-तरीकों को परिभाषित करते हैं जिनका उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद के साथ मतभेद की स्थिति में पालन करना चाहिए। जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम के अनुच्छेद 239 ए. ए. (4), धारा 44 (1) (बी) और कार्यों के संव्यवहार नियमों के अध्याय 5 के प्रावधान एक समग्र और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे उन तौर-तरीकों को स्पष्ट करते हैं जिनका पालन मतभेद होने पर किया जाना चाहिए। अध्याय 5 अनुच्छेद 239 एए (4) के परंतुक को पूरक और प्रभावी बनाता है। यदि किसी मामले पर उपराज्यपाल और किसी मंत्री के बीच मतभेद उत्पन्न होता है, तो पहला और प्राथमिक प्रयास चर्चा द्वारा इसका समाधान करना होना चाहिए। इससे पहले कि मामला अगले चरण तक बढ़े, मंत्री के साथ आपसी समाधान के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। यदि मतभेद बना रहता है, तो उपराज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि अलग-अलग मामले को मंत्रिपरिषद को भेजा जाए। यह तब होता है जब उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद बना रहता है कि नियम 50 पर विचार किये जाने केन्द्र सरकार के संदर्भ मे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए निर्दिष्ट है । ये प्रावधान संवैधानिक राज्य के लिए एक रोडमैप प्रदान करते हैं। उपराज्यपाल और मंत्री या मंत्रिपरिषद के बीच मतभेदों को सद्भावना

से हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मतभेद लोकतंत्र का सार हैं। तर्क और संवाद एक लोकतांत्रिक सरकार का सार है। सरकार के मामले दृष्टिकोण और राय में भिन्नता को स्वीकार करते हैं। शासन की समस्याएं जटिल हैं। निर्णय लेने की संस्थागत प्रक्रिया परिपक्व और सहिष्णु होनी चाहिए।राजनीति के उथल-पुथल और उथल-पुथल के साथ आने वाले नाटकों को संस्थागत शासन की आवश्यकता को बाधित नहीं करना चाहिए जो संवैधानिक संयम और प्रशासनिक विवेक से चिह्नित है।

102. मंत्री और उपराज्यपाल के बीच मतभेद का चर्चा द्वारा निपटारा राष्ट्रपति के पास संदर्भ की आवश्यकता को समाप्त करता है तथा मतभेद होने पर लचीला

और त्वरित समाधान प्रदान करता है। पहला चरण जिस पर एक प्रस्ताव का प्रयास किया जाता है, वह उपराज्यपाल और संबंधित मंत्री के बीच होता है। यदि इससे संतोषजनक समाधान नहीं निकलता है, तो दूसरे चरण में मंत्रिपरिषद सामूहिक इकाई के रूप में शामिल होती है। यह तब होता है जब विवाद मंत्रिपरिषद के साथ संतोषजनक समाधान प्राप्त करने में विफल रहता है, तब उपराज्यपाल को केंद्र सरकार को संदर्भ देने का अधिकार होता है। नियम 55(2) के तहत उपराज्यपाल की शक्ति नियम 49, 50 और 51 के अंतर्गत आने मतभेद के क्षेत्र से स्वतंत्र है। नियम 55(2) कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां कुछ मामलों को केंद्रीय गृह मंत्रालय या उपयुक्त मंत्रालय में केंद्र सरकार को भेजा जाना है। नियम 55(2) के अंतर्गत आने वाले मामलों को केंद्र सरकार को पहले संदर्भ/निर्देश देने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण माना जाता है।

103. कार्य संचालन नियमों की एक विशेषता यह है कि निर्वाचित सरकार और उसके अधिकारियों पर एक दायित्व और कर्तव्य डाला गया है कि वे सरकारी कार्य से संबंधित प्रस्तावों के बारे में उपराज्यपाल को विधिवत जानकारी दें।

उपराज्यपाल को सूचित रखने का कर्तव्य प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व है और संवैधानिक अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक है जो उपराज्यपाल में निहित है।

जब उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित मामलों से विधिवत अवगत कराया जाता है, तभी यह निर्णय लिया जा सकता है कि अध्याय 5 के तहत केंद्र सरकार को कोई reference/निर्देश दिया जाना चाहिए या नहीं। यदि उपराज्यपाल को अंधेरे में रखा गया, तो एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में उनके लिए यह निर्धारित करना संभव नहीं होगा कि क्या मामला ऐसी प्रकृति का है जिसके लिए केंद्र सरकार को संदर्भ दिया जाना चाहिए। सूचना का आदान–प्रदान और संचार की प्रक्रिया एक संवाद सुनिश्चित करती है जो प्रशासन में सद्भाव को बढ़ावा देती है। नियम संघर्ष के बजाय संवैधानिक सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता पर आधारित हैं।

लेन–देन कार्य नियमों की विशेषता यह है कि निर्वाचित सरकार और उसके अधिकारियों पर एक दायित्व और कर्तव्य डाला गया है कि वे उपराज्यपाल को सरकारी कार्यों से संबंधित प्रस्तावों के बारे में विधिवत जानकारी दें।उपराज्यपाल को सूचित रखने का कर्तव्य प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व है और संवैधानिक अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक है जो उपराज्यपाल में निहित है।जब उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित मामलों से विधिवत अवगत कराया जाता है, तभी यह निर्णय लिया जा सकता है कि अध्याय 5 के

तहत केंद्र सरकार को कोई निर्देश दिया जाना चाहिए या नहीं। यदि उपराज्यपाल को अंधेरे में रखा जाना था, तो एक संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में उनके लिए यह निर्धारित करना संभव नहीं होगा कि क्या मामला ऐसी प्रकृति का है जो केंद्र सरकार को निर्देश देने की आवश्यकता होगी।सूचना का आदान–प्रदान और संचार की प्रक्रिया एक संवाद सुनिश्चित करती है जो प्रशासन में सद्भाव को बढ़ावा देती है।नियम संघर्ष के बजाय संवैधानिक सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता पर आधारित हैं।

104. नियमों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि एन.सी.टी. सरकार के कार्यकारी कार्यों के दायरे में आने वाले मामलों पर निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है, जिसमें मंत्रिपरिषद होती है और इसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं।उपराज्यपाल की भूमिका उस कर्तव्य से स्पष्ट होती है जो सरकार पर डाला जाता है उसे केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से संबंधित मामलों से विधिवत अवगत कराते रहें। एन.सी.टी. की कार्यकारी सरकार को सौंपे गए संवैधानिक कार्यों के भीतर आने वाले कार्यकारी कार्य के मामलों में, इस तरह की भूमिका को नियम 24 के तहत उपराज्यपाल को सौंपे गए कार्यों में विस्तार से बताया गया है।नियम 24 एक ऐसी घटना से संबंधित है जब उपराज्यपाल की राय हो सकती है कि कोई आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए या यह कार्रवाई किसी मंत्री द्वारा पारित आदेश के

अनुसार नहीं की जानी चाहिए।ऐसे प्रकरण में उपराज्यपाल अपना निर्णय खुद नहीं लेते हैं।उन्हें प्रस्ताव या मामले को विचार के लिए मंत्री परिषद को भेजना होता है।नियम 25 के तहत, उपराज्यपाल परिषद से उस मामले पर विचार करने के लिए कह सकते हैं जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है।नियम 23 उन मामलों का उल्लेख करता है जिन्हें उपराज्यपाल को कोई भी आदेश जारी करने से पहले प्रस्तुत करना होता है।यदि उपराज्यपाल किसी निर्णय या प्रस्ताव से असहमत हैं, तो उस प्रक्रिया का सहारा लेना होगा जो नियम 49, 50 और 51 में प्रतिपादित की गई है।यदि कोई मतभेद है, तो उपराज्यपाल को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद इसे केंद्र सरकार को भेजना चाहिए।राष्ट्रपति के निर्णय के बारे में सूचित किए जाने के बाद, उपराज्यपाल को उस निर्णय का पालन करना चाहिए और इसे लागू करना चाहिए।दूसरे शब्दों में, उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से स्वतंत्र और भिन्न निर्णय लेने का अधिकार नहीं दिया गया है।यदि वह सहायता और सलाह से असहमत है, तो उपराज्यपाल को मामले को केंद्र सरकार को भेजना चाहिए (मंत्री या मंत्रिपरिषद के साथ समाधान के प्रयासों से कोई समाधान नहीं निकला है)।भिन्न–भिन्न मामलों पर राष्ट्रपति के निर्णय के बारे में सूचित किए जाने के बाद, उपराज्यपाल को उस निर्णय का पालन करना चाहिए।यह सिद्धांत उन क्षेत्रों को नियंत्रित करता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को सौंपे गए कार्यकारी कार्यों के दायरे और दायरे में

ठीक से आते हैं। धारा 41 के तहत मामले जो उपराज्यपाल के विवेक के तहत आते हैं, एक अलग आधार पर खड़े होते हैं।उपराज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता हो सकती है जहां कोई मामला विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों से बाहर आता है, लेकिन जिसके संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें शक्तियां या कार्य सौंपे गए हैं।उपराज्यपाल को विधि के एक विशिष्ट प्रावधान के तहत या जहां वह न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्यों का प्रयोग करता है, अपने विवेक से कार्य करने की भी आवश्यकता हो सकती है।सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित मामले, पुलिस और भूमि विधानसभा की विधायी शक्तियों के दायरे से बाहर हैं और इसलिए एन सी.टी. सरकार के कार्यकारी कार्यों से बाहर हैं। ये ऐसे मामले हैं जहां उपराज्यपाल अपने विवेकानुसार अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए कार्य करेगा यदि और जिस हद तक संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उसे कोई प्रतिनिधि मंडल या कार्य सौंपा गया है।इसलिए, उन मामलों के बीच एक अंतर मौजूद है जो विधानसभा की विधायी शक्तियों और एन.सी.टी. सरकार की कार्यकारी शक्तियों के क्षेत्र के भीतर हैं, और जो बाहर हैं। पूर्व में, उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह का पालन करना चाहिए और मतभेद की स्थिति में, मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए। उन मामलों में जो विधानसभा की विधायी शक्तियों से बाहर हैं, उपराज्यपाल को अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपे गए प्रत्यायोजन या प्रत्यायोजन के अनुसार कार्य करना होता है।

105. जी.एन.सी.टी.डी. अधिनियम की धारा 49 राष्ट्रपति को नियंत्रण की प्रबल शक्ति और निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।धारा 49 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करने पर उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करना होगा।

के. पूर्ववर्ती

शाब्दिक व्याख्या

106।विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अपने इस कथन का समर्थन करने के लिए इस न्यायालय के कुछ फैसलों पर भरोसा किया है कि संविधान की व्याख्या करते समय, न्यायालय को अपने शब्दों को कड़ाई से पाठ्य तरीके से पढ़ना चाहिए।उनका तर्क है कि अनुच्छेद 239 एए, जीएनसीटीडी अधिनियम और व्यापार नियमों के लेन–देन के प्रावधानों की स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या की जानी चाहिए।

107. विद्वान ए.एस.जी. द्वारा भरोसा किया गया पहला प्रकरण निर्णय है **केशवन माधव मेनन बनाम बॉम्बे राज्य 83 (1951) 2 एससीआर 228 ("केशवन")** माधव मेनन ")।बंबई उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यह मानते हुए कि भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम,

1931 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के साथ असंगत थे, जो कार्यवाहियां शुरू की गई थीं और संविधान के प्रारंभ की तारीख से लंबित थीं, वे प्रभावित नहीं हुईं, भले ही अधिनियम मौलिक अधिकारों के साथ असंगत था और अनुच्छेद 13 (1) के तहत अमान्य हो गया था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था। न्यायमूर्ति एस.आर. दास ने इस न्यायालय के बहुमत के लिए बोलते हुए कहा किः "जिस पर संविधान की भावना होने का दावा किया जाता है, उस पर आधारित तर्क हमेशा आकर्षक होता है, क्योंकि इसमें भावनाओं और भावनाओं के लिए एक शक्तिशाली अपील होती है; लेकिन विधि की न्यायालय को संविधान की भाषा से संविधान की भावना को इकट्ठा करना होता है। जिसे कोई संविधान की आत्मा मान सकता है या समझ सकता है, वह प्रबल नहीं हो सकता है यदि संविधान की भाषा उस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है। अनुच्छेद 372 (2) राष्ट्रपति को मौजूदा कानूनों को निरस्त या संशोधन के माध्यम से अनुकूलित करने और संशोधित करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति को उस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम, 1931 के पूरे या किसी भी हिस्से को निरस्त करने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि राष्ट्रपति ऐसा करता है, तो इस तरह का निरसन तुरंत सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 को आकर्षित करेगा। ऐसी स्थिति में भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम,

1931 के तहत सभी अभियोजन, जो राष्ट्रपति द्वारा इसके निरसन की तारीख तक लंबित थे, बच जाएंगे और उस अधिनियम के निरसन के बावजूद कार्रवाई की जानी चाहिए, जब तक कि निरसन अधिनियम में अन्यथा एक स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि पिछले अवैध अधिकारों या देनदारियों के संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिए लंबित कार्यवाही का विचार भारत के संविधान के लिए विदेशी या घृणित नहीं है। इसलिए, हम संविधान की भावना के बारे में इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जैसा कि विद्वान अधिवक्ता ने अपनी याचिका की सहायता के लिए कहा था कि एक विधि के तहत लंबित कार्यवाही जो शून्य हो गई है, उसके साथ आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि इस तरह के शून्य विधि के तहत लंबित अभियोजनों को जारी रखना संविधान की भावना के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से यह उस भावना के लिए समान रूप से अप्रिय होना चाहिए कि जो लोग भारत के संविधान के लागू होने से पहले ही इस तरह के दमनकारी विधि के तहत दोषी ठहराए जा चुके हैं, उन्हें जेल में सड़ते रहना चाहिए। इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि न्यायालय को अनुच्छेद 13 (1) की भाषा का अर्थ व्याख्या के स्थापित नियमों के अनुसार निकालना चाहिए और संविधान की किसी भी कल्पित भावना से अप्रभावित अपने सही अर्थ पर पहुंचना चाहिए।”

मानक को लागू करते हुए, बहुमत ने माना कि संविधान का अनुच्छेद 13 "पूरी तरह से संभावित है और संविधान के प्रारंभ की तारीख को और उसके बाद असंगत मौजूदा कानूनों को अप्रभावी बना देता है।"बहुमत का विचार था कि ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि संविधान लागू होने से पहले किए गए अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा।यद्यपि न्यायमूर्ति फजल अली ने अपने असहमत निर्णय में कहा किः

“.....जाहिर है, संविधान निर्माताओं ने उन निर्णयों को मंजूरी नहीं दी जो मौलिक अधिकारों के साथ टकराव में हैं, और मेरे विचार में, यह उनके इस इरादे को पूरा प्रभाव नहीं देगा कि संविधान लागू होने के बाद भी, जो निर्णय मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं, उन्हें कुछ मामलों के संबंध में अच्छे और प्रभावी निर्णयों के रूप में माना जाता रहेगा, जैसे कि संविधान कभी पारित नहीं किया गया था।अनुच्छेद 13 (1) में उपयोग किए गए शब्दों में इस तरह के अर्थ को कैसे पढ़ा जा सकता है, यह मेरे लिए समझना मुश्किल है।इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अनुच्छेद 13 (1) का कोई पूर्वव्यापी संचालन नहीं होगा, और जो लेन–देन अतीत और बंद हैं, और जो अधिकार पहले से ही निहित हैं, वे अछूते रहेंगे।लेकिन असंवैधानिक मामलों के संबंध में जो अभी भी निर्धारित नहीं किए गए थे जब संविधान लागू हुआ था, और कार्यवाही के संबंध में चाहे अभी तक शुरू नहीं हुआ था, या संविधान के प्रवर्तन के समय लंबित था और अभी

तक अंतिम निर्णय तक मुकदमा नहीं चलाया गया था, बहुत गंभीर प्रश्न उठता है कि क्या एक विधि जिसे संविधान द्वारा पूरी तरह से अप्रभावी घोषित किया गया है, उसे अभी तक लागू किया जा सकता है।सैद्धांतिक रूप से और अच्छे अधिकार पर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर यह प्रतीत होता है कि विधि प्रभावी होना बंद होने के बाद अब लागू नहीं किया जा सकता है।"

108. अगला निर्णय जिस पर एएसजी द्वारा भरोसा किया गया है, वह तेज किरण जैन बनाम एन संजीव रेड्डी 84 में है। इस न्यायालय के छह न्यायाधीशों की एक पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ के फैसले की एक अपील पर विचार कर रही थी, जिसमें एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में दिए गए बयानों के लिए हर्जाने के लिए एक डिक्री का दावा करने वाली शिकायत को खारिज कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 105 (2) के तहत इस तरह की कार्रवाई को स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया था। इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 105 (2) द्वारा संसद में कही गई किसी भी बात या किसी भी वोट के संबंध में दी गई प्रतिरक्षा केवल संसद के कार्य के लिए प्रासंगिक शब्दों पर लागू होगी न कि किसी ऐसी चीज पर जो अप्रासंगिक थी। उस संदर्भ में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया किः

"हमारे निर्णय में लेख के प्रावधानों को सुझाए गए तरीके से पढ़ना संभव नहीं है। लेख का अर्थ वही है जो वह भाषा में कहता है जो इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो

सकता। लेख प्रतिरक्षा प्रदान करता है अन्य बातों के साथ–साथ कुछ भी कहने के संबंध में।संसद में "।'कुछ भी' शब्द का व्यापक महत्व है और यह 'सब कुछ' के बराबर है।एकमात्र सीमा 'संसद में' शब्दों से उत्पन्न होती है जिसका अर्थ है संसद की बैठक के दौरान और संसद के कार्य के दौरान। हम केवल लोकसभा में भाषणों के बारे में चिंतित हैं। एक बार जब यह साबित हो गया कि संसद की बैठक चल रही थी और उसका कामकाज चल रहा था, तो उस कार्य के दौरान कही गई कोई भी बात किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से मुक्त थी। यह प्रतिरक्षा न केवल पूर्ण है बल्कि वैसी ही है जैसी होनी चाहिए।

109. तीसरा निर्णय जी नारायणस्वामी बनाम जी पन्नीरसेल्वम 85 (1972) 3 एससीसी 717 ("नारायणस्वामी")। में एक संविधान पीठ का है। उस प्रकरण में, संविधान का अनुच्छेद 171 व्याख्या के लिए आया और जो दलील दी गई वह यह थी कि किसी राज्य की विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए योग्य होने के लिए, किसी व्यक्ति के पास स्नातक होने की योग्यता भी होनी चाहिए। इस तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि यह न्यायालय के लिए संविधान द्वारा निर्धारित योग्यताओं को जोड़ने के लिए खुला नहीं थाः

“.....इस तरह के प्रतिनिधित्व की अवधारणा इसके साथ नहीं ले जाती है, एक आवश्यक परिणाम के रूप में, इसकी अतिरिक्त धारणा यह है कि प्रतिनिधि

के पास उन लोगों की योग्यता भी होनी चाहिए जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है. अपील के तहत निर्णय में निहित विचार, आवश्यक रूप से कुछ शब्दों को लिखने या उन्हें प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों में जोड़ने का परिणाम देता है ताकि विधान परिषदों के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवारों के पास स्नातक होने की योग्यता भी हो। यह "साधारण अर्थ" या "शाब्दिक" निर्माण के नियम का उल्लंघन करता है जो सामान्य रूप से प्रबल होना चाहिए।"

110. उपरोक्त तर्क के समर्थन में, इस न्यायालय के दो अन्य संविधान पीठ के फैसलों पर भी निर्भरता रखी गई है। कुलदिप नायर बनाम भारत संघ 86 (2006) 7 एससीसी ("कुलदिप नायर") और मनोज नरूला बनाम भारत संघ 87 (2014) 9 एससीसी 1 ("मनोज नरूला")। कुलदिप नायर में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में एक संशोधन को चुनौती दी गई थी। उक्त संशोधन द्वारा, राज्य परिषद में निर्वाचित होने के लिए संबंधित राज्य में "निवास" की आवश्यकता को हटा दिया गया था।याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उक्त आवश्यकता को हटाना संविधान की एक बुनियादी विशेषता संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन है ।न्याया लय ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज कर दिया। नारायणस्वामी में निर्णय में लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन और दोहराते हुए, न्यायालय ने कहाः

“संवैधानिक प्रावधानों को एक व्यापक और उदार निर्माण देना वांछनीय हो सकता है, लेकिन ऐसा करते समय "साधारण अर्थ" या "शाब्दिक" व्याख्या के नियम, जो "प्राथमिक नियम" बना हुआ है, को भी ध्यान में रखना होगा। वास्तव में "शाब्दिक निर्माण" का नियम तब तक सुरक्षित नियम है जब तक कि उपयोग की जाने वाली भाषा विरोधाभासी, अस्पष्ट, या वास्तव में बेतुके परिणामों की ओर ले जाती है। राज्य का "प्रतिनिधि" वह व्यक्ति है जिसे मतदाताओं द्वारा चुना जाता है जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो मतदाताओं की राय में, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त है। इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि एक व्यक्ति जो संबंधित राज्य में एक निर्वाचक है, वह चरित्र में उस व्यक्ति की तुलना में अधिक "प्रतिनिधि" है जो नहीं है।हम आलोच्य संशोधन के परिणामस्वरूप विधि के प्रावधानों में कोई विरोधाभास, अस्पष्टता या बेतुकी बात नहीं पाते हैं। संविधान और आर.पी. अधिनियमों के प्रावधानों को व्यापक या सबसे उदार तरीके से समझने के बावजूद, "साधारण अर्थ" या "शाब्दिक" व्याख्या का नियम हमें याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार नहीं करने के लिए मजबूर करता है।”

मनोज नरूला मामले में संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका में कुछ मूल प्रतिवादियों को गंभीर और जघन्य अपराधों में शामिल होने के बावजूद

भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में नियुक्त करने पर सवाल उठाया गया था। न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 75(1) में निहित शब्दों को स्पष्ट निषेध के रूप में पढ़ा जा सकता है, ताकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को ऐसे व्यक्ति के संबंध में सलाह देने से संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित किया जा सके, जो जघन्य और गंभीर अपराध के लिए आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा हो और उसके खिलाफ ट्रायल जज द्वारा आरोप तय किए गए हों। संविधान पीठ ने कहा कि वह एक संवैधानिक प्रावधान को फिर से नहीं लिख सकती है:

न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 75 (1) में निहित शब्दों के साथ एक स्पष्ट निषेध पढ़ा जा सकता है ताकि प्रधानमंत्री को एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संवैधानिक रूप से प्रतिबंधित किया जा सके जो मंत्री बनने के लिए एक जघन्य और गंभीर अपराध के लिए दण्डिक विचारण का सामना कर रहा है और ट्रायल जज द्वारा उसके खिलाफ आरोप बनाए गए हैं।संविधान पीठ ने कहा कि वह एक संवैधानिक प्रावधान को फिर से नहीं लिख सकती हैः

“इस तरह की निहित सीमा को निषेध के रूप में पढ़ना किसी व्यक्ति के संबंध में मुकदमे के किसी विशेष चरण में अयोग्यता जोड़ने के समान होगा। यह न तो स्पष्ट रूप से कहा गया है और न ही प्रावधान से निहित रूप से देखा जा सकता है।”

“निषेध के रूप में ऐसी निहित सीमा को पढ़ना किसी व्यक्ति के संबंध में विचारण के एक विशेष चरण में अयोग्यता जोड़ने के समान होगा।यह न तो स्पष्ट रूप से कहा गया है और न ही प्रावधान से स्पष्ट रूप से स्पष्ट है।”

111.

ये निर्णय उस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाते हैं जिसे भारत संघ की ओर से आग्रह किया गया कि संविधान की व्याख्या के लिये उपयोग किए गए शब्दों के शाब्दिक अर्थ के अलावा कुछ भी अप्रासंगिक है। केशवन माधव मेनन के फैसले में कहा गया है कि न्यायालय को अपनी भाषा से संविधान की भावना को इकट्ठा करना होगा और अनुच्छेद 13 की भाषा की व्याख्या "संविधान की किसी भी कल्पित भावना से अप्रभावित" व्याख्या के स्थापित नियमों के अनुसार की जानी चाहिए। सात–न्यायाधीशों की पीठ की इन टिप्पणियों का उद्देश्य व्याख्या के सिद्धांत को अपनाना नहीं है जिसके लिए न्यायालय को उन बुनियादी मूल्यों की अनदेखी करने की आवश्यकता होती है जिन्हें संविधान पाठ में उपयोग किए गए शब्दों की व्याख्या करते समय बढ़ाना चाहता है। संविधान के पाठ में निहित शब्दों को एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या माना जाना चाहिए जो मौलिक संवैधानिक मूल्यों को आगे

बढ़ाती है। केशवन माधव मेनन में, न्यायालय ने 'संविधान की भावना' को शायद बहुत अस्पष्ट या अनाकार पाया (हालांकि इसे विशेष रूप से इस प्रकार व्यक्त नहीं किया गया था)। केशवानंद के बाद मूल संरचना सिद्धांत के विकास के बाद, संविधान की व्याख्या उन मौलिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होनी चाहिए जो दस्तावेज़ की नींव और बुनियादी विशेषताओं का गठन करते हैं। जहां संविधान के किसी प्रावधान का उद्देश्य सहभागी शासन को सुविधाजनक बनाना है, वहां न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या से लोकतंत्र और सरकार के गणराज्य रूप के मूल्यों में वृद्धि होनी चाहिए जो बुनियादी विशेषताओं का हिस्सा हैं।

112.

तेज किरण जैन के मामले में दिए गए निर्णय में सदन में दिए गए वक्तव्यों के संबंध में अनुच्छेद 105 द्वारा प्रदत्त प्रतिरक्षा को कम करने के प्रयास को खारिज कर दिया गया है।

नारायणस्वामी के मामले में दिए गए निर्णय में विधान परिषद में निर्वाचित होने के लिए योग्यता को पढ़ने के प्रयास को खारिज कर दिया गया है, जो अनुच्छेद 171 के पाठ में नहीं पाया गया था। मनोज नरूला मामले में न्याया लय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए अनुच्छेद 75 के शब्दों में अयोग्यता को पढ़ने से इनकार कर दिया।भारत का संविधान कई मूल्यों का अवतार है।संविधान राष्ट्रीय एकता को बनाए रखता है। फिर भी यह क्षेत्रीय

स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण को भी पोषित करता है। जैसा कि इस निर्णय की शुरुआत में चर्चा की गई थी, एक संवैधानिक न्यायालय का दृष्टिकोण संविधान की व्याख्या करना होना चाहिए ताकि "उन कई मूल मूल्यों की विवादित व्याख्याओं के बीच मध्यस्थता की जा सके जिन पर हमारी राजनीति आधारित मानी जाती है।" 88 राजीव भागवत (संस्करण), भारतीय संविधान की राजनीति और नैतिकता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (2008), पृष्ठ 9 ए पर। इसलिए संविधान के प्रत्येक प्रावधान का अध्ययन "मूल्यों की अभिव्यक्ति" के रूप में किया जाना चाहिए और इसकी व्याख्या "एक व्यापक संवैधानिक पृष्ठभूमि के खिलाफ" की जानी चाहिए।

आदेश " 89 मार्टिन विधि फलिन, "द साइलेंस ऑफ कांस्टीट्यूशन", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कांस्टीट्यूशनल विधि (2019, इन प्रेस)//डब्ल्यू. डब्ल्यू.इरा।यूनी–ट्राइबर्ग।डी/डी/इंस्टीट्यूट/आर.
एफ.आई.आई./फ्रीबर्गरवोर्ट्रेज/साइलेंस–ऑफ–कॉन्स्टिटट्यूशन–एम–
लफलिन–मैनस्क्रिप्ट।पीडीएफ प्रतिनिधि लोकतंत्र हमारे संविधान के सार को रेखांकित करता है।मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी संविधान के तहत परिकल्पित सरकार के मंत्रिमंडल रूप का सबसे आवश्यक घटक है। एन.सी.टी.

के मंत्रिपरिषद में रखा गया विश्वास इसकी संवैधानिक स्थिति पर आधारित है। इसलिए संविधान के इन नैतिक मूल्यों को बनाए रखा जाना चाहिए।

113. कुलदिप नायर के प्रकरण में, न्यायालय ने कहा था कि एक प्रावधान के अधिनियमन के पीछे के इरादे की व्याख्या करने के लिए, "किसी को ऐतिहासिक विधायी विकास पर गौर करने की आवश्यकता है"। एन.सी.टी. में शासन की संरचना को एक संवैधानिक आधार पर रखना (पिछली वैधानिक योजनाओं से विचलन करते हुए, जैसा कि इस फैसले में पहले चर्चा की गई थी) एन.सी.टी. को एक विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसे यह न्यायालय नजरअंदाज नहीं कर सकता है।

इस न्यायालय को इस निर्णय की शुरुआत में स्पष्ट किए गए सिद्धांतों के आधार पर संविधान की व्याख्या करनी चाहिए।

केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच संबंध

114.केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के बीच संबंध अलग–अलग संदर्भों में तय किए गए मामलों का विषय रहा है। सत्य देव बुशहरी बनाम पदम देव 90 (1955) 1 एससीआर 549 ("सत्य देव बुशहरी") में, प्रथम प्रतिवादी के चुनाव पर अन्य आधारों के साथ, इस कारण से सवाल उठाया गया था कि वह सरकार के साथ अनुबंध में रुचि रखता था और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के लिए

चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। चुनाव न्यायाधिकरण ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 भाग सी राज्यों में चुनावों पर लागू नहीं होता है। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि जिन अनुबंधों में निर्वाचित उम्मीदवार का हित था, वे वास्तव में केंद्र सरकार के साथ अनुबंध थे, जिसने उन्हें विधानसभा का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित कर दिया था। यह तर्क किया गया कि चूंकि केंद्र सरकार की कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति में निहित है, इसलिए राष्ट्रपति भाग सी विधि के कार्यकारी प्रमुख भी थे और तत्कालीन हिमाचल प्रदेश विधि के साथ किया गया अनुबंध केंद्र सरकार के साथ एक अनुबंध था। इस दलिल पर विचार करते हुए, न्यायमूर्ति टी. एल. वेंकटरामा अय्यर ने इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए इस प्रकार निर्णय दियाः

"9... इस तर्क की भ्रांति स्पष्ट है। राष्ट्रपति, जो भाग सी राज्यों के कार्यकारी प्रमुख हैं, केंद्र सरकार के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनुच्छेद 239 के तहत विशेष रूप से निहित शक्तियों के तहत राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। भाग सी राज्यों के प्रशासन के लिए अनुच्छेद 239 के तहत प्रदत्त प्राधिकरण का उन राज्यों को केंद्र सरकार में परिवर्तित करने का

प्रभाव नहीं है।अनुच्छेद 239 के तहत, भाग सी राज्यों के संबंध में राष्ट्रपति का पद है, जो भाग ए राज्यों में राज्यपाल और भाग बी राज्यों में राजप्रमुख के समान है। यद्यपि भाग सी राज्य अनुच्छेद 239 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय रूप से प्रशासित हैं, लेकिन वे राज्य नहीं रह जाते हैं और केंद्र सरकार में विलय हो जाते हैं।"

परिणामस्वरूप न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि भाग सी राज्य के साथ एक अनुबंध को केंद्र सरकार के साथ एक अनुबंध के रूप में माना जाना चाहिए।यह निर्णय पुनर्विलोकन के अधीन था। पुनर्विलोकन के लिए आवेदन में, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (8) (बी) (2) के प्रावधानों पर निर्भरता रखने की मांग की गई थी जो "केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

"3... संविधान के प्रारंभ के बाद किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के प्रकरण में 'केंद्रीय सरकार' का अर्थ राष्ट्रपति होगा और इसमें भाग सी राज्य के प्रशासन के प्रकरण में, मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल या पड़ोसी राज्य की सरकार या संविधान के अनुच्छेद 239 या अनुच्छेद 243 के तहत उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करने वाला अन्य प्राधिकरण शामिल होगा।"

इस आधार पर, यह आग्रह किया गया कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त के साथ एक अनुबंध को केंद्र सरकार के साथ एक अनुबंध के रूप में माना जाना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप निर्वाचित उम्मीदवार को संबंधित कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर, निर्वाचित उम्मीदवार ने धारा 3 (60) (बी) के प्रावधानों पर भरोसा किया जो निम्नानुसार है:"संविधान के प्रारंभ के बाद किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में राज्य सरकार का अर्थ होगा, भाग ए राज्य में राज्यपाल, भाग बी राज्य में राजप्रमुख और भाग सी राज्य में केंद्र सरकार।"

इस न्यायालय ने पुनर्विलोकन में दिए गए निर्णय के दौरान कहा कि धारा 3 (8) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मुख्य आयुक्त के साथ एक अनुबंध भाग सी में राज्य का एक अनुबंध केंद्र सरकार के साथ है,

जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 7 (डी) के साथ पठित भाग सी राज्य सरकार अधिनियम 1951 की धारा 17 के तहत विधानसभा के चुनाव के लिए अयोग्यता होगी । न्यायालय के दृष्टिकोण से:

"4... हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि धारा 3 (8) का संविधान के तहत केंद्र सरकार से अलग स्वतंत्र इकाइयों के रूप में भाग सी राज्यों की स्थिति को समाप्त

करने का प्रभाव है। यह केवल यह मानता है कि उन राज्यों को अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्रीय रूप से प्रशासित किया जाता है, और यह अधिनियमित करता है कि "केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति में मुख्य आयुक्त को अनुच्छेद 239 के तहत दिए गए अधिकार के तहत भाग सी राज्य का प्रशासन करना शामिल होना चाहिए। धारा 3 (8) भाग सी राज्यों की स्थिति को अलग–अलग संस्थाओं के रूप में प्रभावित नहीं करती है, जिनके पास अपना विधानमंडल और न्यायपालिका है, जैसा कि अनुच्छेद 239 और 240 में प्रदान किया गया है। इसका वास्तविक दायरा स्पष्ट हो जाएगा यदि हम इसे अपनाते हुए 1951 के अधिनियम 43 की धारा 9 में "केंद्र सरकार" शब्दों को "अनुच्छेद 239 के तहत उन्हें दिए गए अधिकार के दायरे में काम करने वाले मुख्य आयुक्त" शब्दों से प्रतिस्थापित करते हैं। इसलिए, मुख्य आयुक्त के साथ एक अनुबंध, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (8) के साथ पठित धारा 9 के तहत, केंद्र सरकार के साथ एक अनुबंध होगा, और 1951 के अधिनियम 43 की धारा 7 (डी) और 9 के तहत संसद के किसी भी सदन के चुनाव के लिए अयोग्यता के रूप में काम करेगा, और यह राज्य की विधानसभा के चुनाव के लिए 1951 के अधिनियम 49 की धारा 17 के तहत अयोग्यता होगी।"

115. बाद के निर्णय देवजी वल्लभभाई टंडेल बनाम गोवा, दमन और दीव 91 (1982) 2 एससीसी 222 ("टंडेल") के प्रशासक में गोवा, दमन और दीव के प्रशासक द्वारा कोफेपोसा 92 विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 के तहत जारी किया गया निरोध आदेश शामिल था। इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष चुनौती का एक आधार यह था कि हिरासत का आदेश केवल मुख्यमंत्री द्वारा प्रशासक के नाम पर दिया जा सकता है, न कि प्रशासक द्वारा। धारा 2 (च) ने किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में "राज्य सरकार" शब्द का अर्थ प्रशासक के रुप में परिभाषित किया है । निरोध का आदेश धारा 3 (1) के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार या एक निश्चित रैंक के अधिकारियों द्वारा जारी किया जा सकता है है, जिन्हें विधिवत अधिकार प्राप्त हों।

न्यायमूर्ति बहरुल इस्लाम ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा कि एक ओर अनुच्छेद 74 और 163 के प्रावधानों और केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 की धारा 44 की तुलना करते हुए, राष्ट्रपति या राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की स्थिति के बीच स्पष्ट अंतर था। न्यायालय के दृष्टिकोण सेः

“14... प्रशासक उन मामलों में भी जहां उसे अधिनियम के तहत अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता नहीं है या जहां वह किसी भी न्यायिक या अर्ध–न्यायिक कार्य का प्रयोग नहीं कर रहा है, वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। यह धारा 44 (1) के परंतुक से स्पष्ट हो जाता है। परंतुक से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी मामले पर प्रशासक और उसके मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में, प्रशासक मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा। यदि किसी दी गई स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत प्रशासक की राय से सहमत होते हैं, तो प्रशासक मंत्रिपरिषद की सलाह को नजरअंदाज करने में सक्षम होगा और परंतुक के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ पर, जाहिर है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत दी गई मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। वस्तुतः, इसलिए, केंद्र शासित प्रदेश की मंत्रिपरिषद और प्रशासक के बीच मतभेद की स्थिति में, निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार में निहित होगा और केंद्र शासित प्रदेश की मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से बाध्य होगी। इसके अलावा, प्रशासक को मंत्रिपरिषद की सलाह के विपरीत कार्य करने की कुछ और शक्ति प्राप्त है।”

न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि जब प्रशासक मंत्रिपरिषद के साथ उत्पन्न होने वाले मतभेद पर राष्ट्रपति को कोई संदर्भ देता है, तो वह "अंतराल के दौरान मंत्रिपरिषद की सलाह को नजरअंदाज कर सकता है और अपने अनुसार कार्य कर सकता है"। इस न्यायालय ने कहा कि न तो राज्यपाल और न ही राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्राप्त हैः

"15... एक तरफ राज्यपाल और राष्ट्रपति और दूसरी तरफ प्रशासक द्वारा प्राप्त शक्तियों और स्थिति में यह बुनियादी कार्यात्मक अंतर इतना स्पष्ट है कि शमशेर सिंह मामले में निर्णय के अनुरूप यह कहना संभव नहीं है कि प्रशासक विशुद्ध रूप से एक संवैधानिक पदाधिकारी है जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है और वह अपने आप कार्य नहीं कर सकता। इसलिए, इस अतिरिक्त कारण से भी निवेदन को अस्वीकार किया जाना चाहिए।"

116. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने उपरोक्त टिप्पणियों पर भरोसा व्यक्त करते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया है कि चूंकि धारा 44 का परंतुक "शारीरिक रूप से हटा दिया गया था" (जैसा कि उन्होंने इसका वर्णन किया है) और अनुच्छेद 239 एए (4) में रखा गया था, इसलिए प्रशासक की शक्तियों के दायरे में टंडेल में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा रखा गया निर्माण अनुच्छेद 239 एए के परंतुक के निर्माण को नियंत्रित करेगा। दूसरी ओर, श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने

आग्रह किया कि 1963 के अधिनियम की धारा 44 (1) के परंतुक की उपरोक्त व्याख्या अनुच्छेद 239 एए पर उचित रूप से लागू नहीं होगी। उनके प्रस्तुतिकरण में, अनुच्छेद 239 एए की शुरूआत के परिणामस्वरूप संवैधानिक संशोधन लोगों की संप्रभुता की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है और इसके अंतर्निहित इरादे को एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए। एन.सी.टी. के महत्व को कम नहीं करते हुए, श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि प्रशासक के साथ नियंत्रण का क्षेत्र जो "एक असाधारण अवशिष्ट शक्ति" है, उसे केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कैबिनेट सरकार के रूप को शून्य नहीं करना चाहिए। हम परंतुक पर रखे जाने वाले उचित निर्माण पर लौटेंगे। यद्यपि इस स्तर पर हमें इस विचार को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि अनुच्छेद 239 एए में निहित संवैधानिक प्रावधान की सामग्री को 1963 के अधिनियम की धारा 44 में वैधानिक प्रावधान की सामग्री के समान आधार पर पढ़ा जाना चाहिए। यह तथ्य कि अनुच्छेद 239 एए (4) का परंतुक 1963 के अधिनियम की धारा 44 (1) के परंतुक के संदर्भ में समान है, पूर्व के निर्माण के लिए प्रासंगिकता का एक पहलू हो सकता है। फिर भी, हमारे विचार से, एक संवैधानिक प्रावधान का अर्थ लगाने में, न्यायालय के साथ विचार करने वाले विचार एक क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या के अंतर्निहित सिद्धांतों द्वारा सीमित नहीं होंगे। आम तौर पर एक क़ानून का अर्थ लगाते समय, न्यायालय उपयोग किए गए शब्दों के स्पष्ट और व्याकरणिक अर्थ से निर्देशित होगा। व्याख्या का शाब्दिक या सुनहरा नियम यह मार्ग प्रदान करता

है कि इसका परिणाम एक बेतुकेपन की ओर ले जाएगा या एक ऐसी बुराई को कायम रखेगा जिससे विधायिका का बचना था। न्यायालय , किसी कानून की व्याख्या करते समय भी, एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या अपना सकता है। व्याख्या उद्देश्यपूर्ण होती है क्योंकि यह उस उद्देश्य को सुगम बनाती है जिसे विधायिका विधि बनाकर प्राप्त करने का इरादा रखती है। यहाँ तक कि एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या भी उस विधायिका के उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करती है जिसने कानून बनाया है। संविधान के प्रावधानों का अर्थ लगाते समय, न्यायालय उस दस्तावेज़ की प्रकृति से अनजान नहीं हो सकता है जिसका वह अर्थ लगाता है या संविधान द्वारा इसके प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए बनाई गई संस्था के रूप में अपने कार्य से अनजान नहीं हो सकता है। साधारण विधि विधायी बहुमत द्वारा परिवर्तन के लिए अतिसंवेदनशील है। वैधानिक प्रावधानों में विधायी संशोधन अक्सर उस समय की कठिनाइयों का जवाब होते हैं। अधिकारों, कर्तव्यों और शासन के तरीकों को एक संवैधानिक दस्तावेज के सुरक्षात्मक क्षेत्र में ऊपर उठाने का उद्देश्य उन्हें स्थिरता और स्थायित्व की स्थिति में सटीक रूप से ऊपर उठाना है, जिसका श्रेय हम एक संवैधानिक प्रावधान को देते हैं। संवैधानिक प्रावधान भी अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया के अधीन हैं जब तक कि संविधान की बुनियादी विशेषताओं को संक्षिप्त नहीं किया जाता है। एक संशोधन के पारित होने के लिए आवश्यक विशेष बहुमत के रूप में घटक शक्ति पर प्रतिबंध, राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की कुछ मामलों में

आवश्यकता और मूल संरचना सिद्धांत द्वारा लगाई गई मूल सीमाएं सामान्य विधान और एक संवैधानिक संशोधन के बीच अंतर को स्पष्ट करती हैं। इसलिए एक संवैधानिक पाठ की व्याख्या इस सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होती है कि न्यायालय एक जैविक दस्तावेज का अर्थ लगाने का कार्य शुरू कर रहा है जो समाज के लिए बुनियादी समझौते को परिभाषित करता है। यह इस अर्थ में है कि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखेगा कि यह वही संविधान है जिसकी व्याख्या न्यायालय कर रहा है। ये विचार महत्वपूर्ण रूप से तब लागू होने चाहिए जब संविधान में संशोधन (जैसा कि वर्तमान मामले में है) ने लोकतांत्रिक शासन के सिद्धांत को मजबूत करके मूल संरचना को मजबूत किया है। नतीजतन, जिस विचार की रेखा के लिए हमें धारा 44 (1) के प्रावधान के संदर्भ में अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान को पढ़ने की आवश्यकता है, और टंडेल के प्रकरण में व्याख्या की रेखा का पालन करने के लिए शब्दों को संविधान के दिल और आत्मा से ऊपर रखना है। टंडेल के प्रकरण को संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग के संबंध में हमारे सामने आने वाले मुद्दों में नहीं जाना पड़ा। टंडेल यह नहीं बताता है कि मतभेद की प्रकृति क्या है जो राष्ट्रपति को संदर्भित करने की आवश्यकता होगी। सी.ओ.एफ.ई. पी.ओ.एस.ए., जैसा कि हमने देखा है, एक केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में "राज्य सरकार" अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "उसका प्रशासक"।न्यायालय को परंतुक के प्रभाव पर विचार नहीं करना पड़ा, किसी भी स्थिति में संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में नहीं। कुछ और भी

बुनियादी मुद्दे हैं जिन्हें न्याया लय को संविधान के पाठ की व्याख्या करते समय हल करना चाहिए, जो केवल इस प्रश्न से परे है कि क्या गोवा के प्रशासक (उस मामले में) को निरोध का आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। अनुच्छेद 239 ए.ए. का अर्थ लगाते समय मूल पाठ के अनुसार, न्यायालय का प्रयास लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने के लिए होना चाहिए। संवैधानिक स्वतंत्रताएँ बनी रहती हैं और लोकतंत्र जीवंत रहते हैं जब संविधान द्वारा बनाए गए शासन संस्थान समय की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। संवैधानिक सिद्धांत के व्याख्याता के रूप में, यह न्यायालय का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह ऐसी व्याख्या को अपनाए जो लोकतांत्रिक मूल्यों को अभिव्यक्ति प्रदान करे। नागरिकों की गरिमा प्राप्त करने की लोकतांत्रिक खोज में सत्य, न्याय और स्वतंत्रता प्रमुख मूल्य हैं। सरकार के गठन में भाग लेने और जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार की उम्मीद करने की नागरिकों की क्षमता एक स्वतंत्र समाज की रीढ़ है। संवैधानिक पाठ की व्याख्या करते समय, इतिहास को हमें याद दिलाना चाहिए कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र कितने नाजुक हो सकते हैं, जब तक कि नागरिक अपनी नींव की सख्ती से रक्षा नहीं करते। हम उन्हें केवल अपने जोखिम पर ही नजरअंदाज कर सकते हैं।

117. इस न्यायालय का एक और निर्णय जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए, वह है –

गोवा सैंपलिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम जनरल सुपरिटेंडेन्स कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 93 (1985) 1 एससीसी 206 ("गोवा नमूनाकरण")।

केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत निर्णय के लिए एक औद्योगिक विवाद का संदर्भ दिया गया था। यह आग्रह किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि श्रमिक संसद के एक अधिनियम द्वारा शासित गोदी श्रमिक थे और चूंकि वे एक प्रमुख बंदरगाह में काम कर रहे थे, इसलिए यह केंद्र सरकार थी जो उपयुक्त सरकार थी। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा कि भले ही राज्य सरकार उपयुक्त सरकार हो, क्योंकि गोवा तब एक केंद्र शासित प्रदेश था और इसका प्रशासन अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक द्वारा किया जाता था, केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि जिस औद्योगिक विवाद में श्रमिक शामिल थे, वह किसी बड़े बंदरगाह से संबंधित नहीं था और इसलिए केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार नहीं थी। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेश गोवा के लिए राज्य सरकार नहीं है, बल्कि यह अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक है जो राज्य सरकार है। प्रशासक उपयुक्त सरकार होने के

नाते, उच्च न्यायालय ने माना कि केंद्र सरकार के पास संदर्भ देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह उच्च निर्णय के निष्कर्ष का दूसरा अंग था जिस पर इस निर्णय ने अपने निर्णय के दौरान विचार किया था।

विवाद को समझने के लिए, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3(8) में परिभाषित "केंद्र सरकार" शब्दों पर विचार करना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:

जो निम्नानुसार हैः

“(8) ‘केंद्र सरकार '–

(ए) * * *

(ख) संविधान के प्रारंभ के बाद किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में, राष्ट्रपति का अर्थ होगा; और इसमें शामिल होंगेः

(i)–(ii) * * *

(ग) किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में, उसका प्रशासक संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करता है।”

"राज्य सरकार" अभिव्यक्ति को धारा 3 (60) में परिभाषित किया गया है, जहाँ तक सामग्री इस प्रकार हैः

" 'राज्य सरकार ', –

(ए)–(बी) * * *

(ग) संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ के बाद किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में, इसका अर्थ होगा, किसी राज्य में, राज्यपाल और किसी केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र सरकार;

"केंद्र शासित प्रदेश को धारा 3 (62) में संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परिभाषित किया गया है और इसमें भारत के क्षेत्र के भीतर शामिल कोई अन्य क्षेत्र शामिल है, लेकिन उस अनुसूची में निर्दिष्ट नहीं है।

1963 के अधिनियम की धारा 44 (1) के प्रावधानों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

"12... परंतुक के अनुसार किसी भी मामले पर प्रशासक और मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में, प्रशासक इसे राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्णय के लिए राष्ट्रपति को भेजेगा। इस प्रकार प्रशासक की कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति द्वारा कवर किए गए सभी विषयों तक फैली हुई है।लेकिन मतभेद की स्थिति में

राष्ट्रपति इस मुद्दे पर फैसला करते हैं।जब राष्ट्रपति मुद्दे का फैसला करते हैं, तो यह केंद्र सरकार होती है जो मुद्दे का फैसला करती है।"

न्यायालय ने देखा कि संविधान के भाग VI के प्रावधान जो राज्यों से संबंधित हैं, स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन राज्य सरकार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि संविधान एक ओर राज्य और उसकी सरकार (जिसे राज्य सरकार कहा जाता है) और दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश और उसके प्रशासन के बीच अंतर करता है। न्यायालय ने कहा कि यह भेद सामान्य खंड अधिनियम में निहित परिभाषा में किया गया थाः

"14... अब यदि हम सामान्य खंड अधिनियम में तीन अभिव्यक्तियों "केंद्र सरकार" [धारा 3 (8)] "राज्य सरकार" [धारा 3 (60)] और "केंद्र शासित प्रदेश" [धारा 3 (62-ए)] की परिभाषा को याद करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि संविधान के निर्माताओं और संसद ने भी इन परिभाषाओं को लागू करने में राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से बरकरार रखा है जैसा कि संविधान द्वारा प्रदान किया गया है।"केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति की परिभाषा में यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में, संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत उसे दिए गए अधिकार के दायरे में कार्य करने वाले उसके प्रशासक को

"केंद्र सरकार" अभिव्यक्ति में समझा जाएगा। जब इस समावेशक भाग को "राज्य सरकार" अभिव्यक्ति की परिभाषा में बहिष्कृत भाग के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ के बाद किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में, इसका अर्थ होगा, किसी राज्य में, राज्यपाल और किसी केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र सरकार, "राज्य सरकार" और "केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन" अभिव्यक्ति के बीच वैचारिक रूप से बोलने वाला अंतर स्पष्ट रूप से उभरता है। इसलिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि "केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन", प्रशासक चाहे जो भी वर्णित किया गया हो, अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" में नहीं समझी जाएगी जैसा कि किसी भी अधिनियम में उपयोग किया गया है।"

उच्च न्यायालय का यह विचार कि जहां तक केंद्र शासित प्रदेश का संबंध है, धारा 3 (60) के तहत प्रशासक राज्य सरकार है, त्रुटिपूर्ण माना गया। सत्य देव बुशहरी और मध्य प्रदेश राज्य बनाम श्री मौला बक्स 94 (1962) 2 एससीआर 794 में निर्णयों को अलग किया गया था क्योंकि वे संविधान के भाग VIII के संशोधन से पहले दिए गए थे।

1956 में संविधान और अनुच्छेद 239ए और 239बी को शामिल करने से पहले। विधि में स्थिति इस प्रकार निर्धारित की गई थीः

“17... संविधान और 1963 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि राज्य सरकार की अवधारणा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए विदेशी है और अनुच्छेद 239 में प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना है।राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से कार्य कर सकता है।इस प्रकार प्रशासक राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है।उनकी स्थिति किसी राज्य के राज्यपाल की स्थिति से बिल्कुल अलग होती है।प्रशासक अपने मंत्री के साथ मतभेद कर सकता है और फिर उसे राष्ट्रपति के आदेश प्राप्त करने होंगे, जिसका अर्थ है केंद्र सरकार का आदेश। इसलिए, किसी भी दर पर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राज्य सरकार के विवरण के लिए योग्य नहीं है।इसलिए, केंद्र सरकार "उपयुक्त सरकार" है।”

गोवा सैंपलिंग में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से पता चलता है कि सामान्य खंड अधिनियम 1897 के तहत, "केंद्र सरकार" शब्द में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 239 के तहत अपने अधिकार के दायरे में काम करने वाले केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक शामिल होगा। इसी तरह, "राज्य सरकार" शब्द का अर्थ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार के संबंध में है।केंद्र

सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत एक संदर्भ देने के लिए उपयुक्त सरकार माना गया था।गोवा सैंपलिंग के निर्णय में सीमित दायरे से निपटा गया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कौन सी उपयुक्त सरकार है।

118.यह मुद्दा कि क्या एन.सी.टी. के उपराज्यपाल आतंकवाद निवारण अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया दण्डिक के तहत अभियोजन के लिए मंजूरी देने के लिए सक्षम हैं, इस पर राज्य की इस न्यायालय (एन.सी.टी. दिल्ली) बनाम नवजोत संधू 95 (2005) 11 एससीसी 600 ("नवजोत संधू") की दो न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया। उस प्रकरण में, दोनों कानूनों के तहत प्रतिबंध "आदेश द्वारा और उपराज्यपाल के नाम पर" दिए गए थे। पोटा की धारा 50 के तहत मंजूरी को इस आधार पर रद्द करने का आग्रह किया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में केवल केंद्र सरकार ही इसे स्वीकार करने में सक्षम है। पोटा की धारा 2 (1) (एच) ने किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में "राज्य" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया है, जिसका अर्थ है उसका प्रशासक। चुनौती को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 239 एए के तहत, अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक इस तरह से अपनी स्थिति नहीं खोता है और यह केवल उसका पदनाम है जिसे "इस विशेष केंद्र शासित प्रदेश की उन्नत स्थिति को ध्यान में रखते हुए" उप राज्यपाल के नए पदनाम में मिला दिया जाता है। उपराज्यपाल, जो अभी भी एक प्रशासक हैं, को धारा 2 (1) (एच) के तहत

विधायी कल्पना के कारण धारा 50 के तहत मंजूरी देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था, प्रशासक को धारा 50 के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार माना जा रहा है।

इसलिएः

"……..प्रशासक के पक्ष में विशिष्ट वैधानिक प्रतिनिधिमंडल के आधार पर, जिसे संवैधानिक रूप से उपराज्यपाल के रूप में भी नामित किया गया है, उक्त प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी पोटा की धारा 50 के तहत एक वैध मंजूरी है।"

नवजोत संधू के फैसले ने प्रशासक के पक्ष में एक विशिष्ट वैधानिक प्रतिनिधिमंडल को मंजूरी देने के लिए बदल दिया। इसलिए यह वर्तमान संवैधानिक संदर्भ में कोई सहायता नहीं है।

एनडीएमसी

119 नई दिल्ली नगर पालिका परिषद बनाम पंजाब राज्य 96 (1997) 7 एस. सी. सी. 339 ("एनडीएमसी") में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या एनसीटी में विभिन्न राज्यों के स्वामित्व वाली और कब्जे वाली संपत्तियां संविधान के अनुच्छेद 289(1) के तहत स्थानीय

करों के अधिरोपण से छूट दी गई है। इससे जुड़ा प्रश्न यह था कि क्या राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर स्थित अपनी संपत्तियों पर अनुच्छेद 246 (4) के तहत संसदीय कानून द्वारा लगाए गए करों से छूट के हकदार हैं। अनुच्छेद 246 (4) इस प्रकार प्रदान करता हैः

"संसद के पास भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो [किसी राज्य में] शामिल नहीं है, भले ही ऐसा मामला राज्य सूची में गिना गया हो।"

न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी ने पांच न्यायाधीशों के बहुमत के लिए बात की। चार न्यायाधीशों के अल्पमत के विचार मुख्य न्यायाधीश अहमदी ने प्रस्तुत किए थे।

120. बहुमत के निर्णय में कहा गया है कि राज्य, कुल मिलाकर, भारत के क्षेत्र को समाप्त नहीं करते हैं। संसद के पास भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है।चूंकि केंद्र शासित प्रदेश किसी भी राज्य के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं, इसलिए संसद एकमात्र विधि बनाने वाली संस्था थी। अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों पर विचार करते हुए, न्याया लय ने कहाः

".....वर्ष 1991 में, संविधान ने 69 वें (संशोधन) अधिनियम (अनुच्छेद 239–ए. ए.) द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान किया था, लेकिन यहां भी इस तरह से बनाई गई विधायिका एक पूर्ण विधायिका नहीं थी और न ही इसका प्रभाव था–यह मानते हुए कि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी से संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 के अर्थ के भीतर राज्यों की श्रेणी में उठा सकता है। इन सब का अनिवार्य रूप से मतलब है कि जहां तक केंद्र शासित प्रदेशों का संबंध है, सूची I, सूची II या सूची III जैसी कोई चीज नहीं है। एकमात्र विधायी निकाय संसद या उसके द्वारा बनाया गया विधायी निकाय है। संसद उक्त क्षेत्रों के संबंध में कोई भी विधि बना सकती है–निश्चित रूप से, संविधान के भाग XI के अध्याय I में निर्दिष्ट संवैधानिक सीमाओं के अलावा। इन सबसे ऊपर, केंद्र शासित प्रदेश "राज्य" नहीं हैं जैसा कि भाग XI के अध्याय I द्वारा विचार किया गया है; वे राज्यों के क्षेत्रों से बाहर आने वाले केंद्र के क्षेत्र हैं।एक बार जब केंद्र शासित प्रदेश संघ का हिस्सा हो जाता है और किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं होता है, तो यह इस प्रकार है कि इसके विधायी निकाय द्वारा लगाया जाने वाला कोई भी कर संघ कर है। स्वीकृत रूप से इसे "राज्य कराधान" नहीं कहा जा

सकता है–और संवैधानिक योजना के तहत, किसी तीसरे प्रकार का कराधान नहीं है।या तो यह केंद्रीय कराधान है या राज्य कराधान।

121. बहुमत के निर्णय में यह भी कहा गया है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश समान रूप से स्थित नहीं हैं।पहली श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जिनके पास कोई विधायिका नहीं है।दूसरी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 के तहत संसद द्वारा अधिनियमित विधि द्वारा बनाई गई विधानसभाएं हैं। तीसरी श्रेणी दिल्ली है जिसमें अनुच्छेद 239 एए के तहत "विशेष विशेषताएं" हैं। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली "है **अपने आप में एक वर्ग में, "यह" निश्चित रूप से अनुच्छेद 246 या संविधान के भाग VI के अर्थ के भीतर एक राज्य नहीं है। विभिन्न संघ–** न्यायालय ने कहा कि क्षेत्र विकास के विभिन्न चरणों में हैं। यद्यपि स्थिति यह बनी हुई है कि एन.सी.टी. सहित ये केंद्र शासित प्रदेश अभी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, न कि राज्य।

सामान्य खंड अधिनियम

122 संविधान के अनुच्छेद 367 (1) में प्रावधान है कि:

“367(1) जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, सामान्य खंड अधिनियम, 1897, किसी भी अनुकूलन और संशोधनों के अधीन होगा जो

इसमें अनुच्छेद 372 के तहत बनाया जा सकता है, इस संविधान की व्याख्या के लिए आवेदन किया जा सकता है क्योंकि यह भारत डोमिनियन के विधानमंडल के एक अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है।"

123. जैसा कि हमने देखा है, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (58) में 'राज्य' अभिव्यक्ति की समावेशी परिभाषा में प्रावधान है कि संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के प्रारंभ के बाद की किसी भी अवधि के संबंध में, 'राज्य' शब्द का अर्थ संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य होगा और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल होगा। यदि इस समावेशी परिभाषा को अनुच्छेद 246 (4) का अर्थ लगाने के उद्देश्य से लागू किया जाता है, तो एक विसंगति उत्पन्न होगी क्योंकि संसद के पास राज्य सूची द्वारा शासित मामलों के संबंध में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं होगी। जब तक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनुच्छेद 239ए के तहत राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने के लिए सशक्त विधानमंडल का गठन नहीं किया जाता है, तब तक उन मामलों पर कानून बनाने की क्षमता वाला कोई विधानमंडल नहीं होगा। अनुच्छेद 246 (4) की व्याख्या करते समय सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (58) के प्रावधानों को पढ़ने के परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों को टी.एम. कन्नियन बनाम आयकर अधिकारी, पांडिचेरी 97 (1968) 2 एससीआर 103 ("कन्नियन") में संविधान पीठ के फैसले में देखा गया। संविधान पीठ ने

कहा कि इस तरह का निर्माण अनुच्छेद 246 के संदर्भ के प्रतिकूल होगा और इसलिए संसद के पास अनुच्छेद 246 (4) के तहत सभी मामलों के संबंध में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने की पूर्ण शक्तियां होंगी। कन्नियन में निर्णय का पालन एन.डी.एम.सी. में नौ–न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में बहुमत के निर्णय में किया गया था। यहां तक कि अल्पसंख्यकों के निर्णय में भी कहा गया है कि हालांकि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभाएं हैं, "वे बहुत हद तक केंद्र सरकार की देखरेख में हैं और उन्हें स्वतंत्र दर्जा नहीं कहा जा सकता है। "विशेष रूप से, अल्पसंख्यक दृष्टिकोण ने इस सिद्धांत को भी स्वीकार किया कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (58) में "राज्य" अभिव्यक्ति की परिभाषा अनुच्छेद 246 (4) पर लागू नहीं होती है।

124. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने **एडवांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्री गुरुदासमल 98 (1970) 1 एससीसी 633 ("एडवांस इंश्योरेंस")** के प्रबंधन में संघ सूची की प्रविष्टि 80 की व्याख्या करते हुए माना कि सामान्य खंड अधिनियम में निहित परिभाषाएँ संविधान में "राज्य" अभिव्यक्ति के संबंध में हमेशा लागू नहीं हो सकती हैं और बहुत कुछ संदर्भ पर निर्भर करेगा। संघ सूची की प्रविष्टि 80 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“80. किसी भी राज्य से संबंधित पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उस राज्य के बाहर किसी भी क्षेत्र में विस्तार, लेकिन इस तरह से नहीं कि एक राज्य की पुलिस उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना उस राज्य के बाहर किसी भी क्षेत्र में शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में सक्षम हो, जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है; किसी भी राज्य से संबंधित पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का उस राज्य के बाहर रेलवे क्षेत्रों तक विस्तार ।

"उस मामले में, आयकर अधिकारी द्वारा दंड संहिता की धारा 409,477 ए और 120 बी के तहत अपीलकर्ता द्वारा अपराध करने की शिकायत पर, विशेष पुलिस स्थापना, नई दिल्ली में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया था। अपीलार्थी ने महाराष्ट्र राज्य में मामले की जाँच करने के विशेष पुलिस स्थापना के अधिकार को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसे प्रकरण को निरस्त कर दिया। इस न्यायालय के समक्ष अपील में, यह आग्रह किया गया था कि 1946 के अधिनियम XV के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संवैधानिक नहीं था और अन्य राज्यों में मामलों की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।निवेदन यह था कि प्रविष्टि 80 किसी भी राज्य से संबंधित पुलिस बल की बात करती है न कि किसी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित पुलिस

बल की।मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्ला ने एक संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए कहा कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (58) (जो एक केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के लिए सातवें संविधान संशोधन के प्रारंभ के बाद की किसी भी अवधि के संबंध में राज्य को परिभाषित करती है) "उस कठिनाई का पूरा जवाब देती है जो प्रविष्टि 80 के बाद से उठाई गई है ताकि केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया जा सके।"इसलिए, किसी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित पुलिस बल के सदस्य अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को उस राज्य की सहमति से दूसरे राज्य में विस्तारित कर सकते हैं। संविधान पीठ ने कहा कि सामान्य खंड अधिनियम की परिभाषाओं को संवैधानिक पाठ की व्याख्या करते समय "हमेशा नहीं पढ़ा जा सकता" और "परिभाषाएं तब तक लागू होती हैं जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो।"

संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि:“सातवें संशोधन के बाद भारत राज्यों का एक संघ (अनुच्छेद 1) है और इसके क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अलग से उल्लेख किया गया है। इस प्रकार "राज्यों" और "केंद्र शासित प्रदेशों" के बीच एक अंतर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब परिभाषा को संदर्भ या विषय के कारण लागू नहीं किया जा सकता है, तो "राज्य" शब्द केवल पहली अनुसूची में राज्यों को संदर्भित करता है।ऐसा

अवसर आया आई. एम. कन्नियन बनाम आयकर अधिकारी, पांडिचेरी और अन्य, और न्यायाधीश बचावट ने अनुच्छेद 246 की व्याख्या करते हुए कहा कि सामान्य खंड अधिनियम की अनुकूलित धारा 3 (58) में दो भागों में "राज्य" की परिभाषा अनुच्छेद 246 के विषय और संदर्भ के प्रतिकूल थी। संघ सूची की प्रविष्टि 80 के विषय या संदर्भ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे धारा 3 (58) में परिभाषा के अनुप्रयोग को बाहर करने के लिए कहा जा सके। वास्तव में भारत सरकार अधिनियम, 1935 (1947 में इसके संशोधन के बाद) की संघीय सूची की प्रविष्टि संख्या 39 में भाग सी राज्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था और इस प्रकार सातवें संशोधन से पहले राज्य की परिभाषा (विषय या संदर्भ के अधीन) में भाग सी राज्य शामिल थे।इसलिए, 1956 में अनुकूलन के बाद सामान्य खंड अधिनियम में धारा 3 (58) में "राज्य" की परिभाषा लागू होती है और संघ सूची की प्रविष्टि 80 में केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करती है।

अग्रिम बीमा में संविधान पीठ ने संघ सूची की प्रविष्टि 80 के विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय नहीं पाया। इसलिए, केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने के लिए प्रविष्टि 80 आयोजित की गई थी।

125. भारत संघ बनाम प्रेम कुमार जैन 99 (1976) 3 एस. सी. सी. 743 में, चार लोगों की एक पीठ इस न्यायालय के न्यायाधीशों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले की अपील पर विचार किया, जिसने केंद्र सरकार की एक अधिसूचना और भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक संयुक्त संवर्ग के गठन की योजना को निरस्त कर दिया था। उच्च न्यायालय ने दिल्ली–हिमाचल सेवा संवर्ग के गठन को अधिकार से परे माना था। आई.ए.एस. (संवर्ग) नियम 1954 के नियम 3 (1) के तहत 1 जनवरी 1968 को सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त संवर्ग के निर्माण को अनुच्छेद 312 और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के विपरीत होने के रूप में चुनौती दी गई थी, क्योंकि यह केंद्र और एक राज्य के लिए समान नहीं था, एक केंद्र शासित प्रदेश जो एक राज्य नहीं था। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केंद्र शासित प्रदेश राज्य नहीं होने के कारण यह कार्रवाई अधिकार से बाहर थी। अपील में, इस न्यायालय ने कहा कि संसद के लिए अनुच्छेद 312 (1) के तहत संघ और राज्यों के लिए एक सामान्य सेवा के निर्माण का प्रावधान करने के लिए एक विधि बनाना आवश्यक नहीं था, खंड 2 को देखते हुए, जो निम्नानुसार प्रदान करता हैः

“312 (2) इस संविधान के प्रारंभ में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के रूप में जानी जाने वाली सेवाओं को इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाएगा।

126. संविधान में "राज्य" शब्द किसी केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करता है या नहीं, यह प्रसंग से पता लगाया जाना चाहिए। संविधान के पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्पष्ट अंतर बताता गया है। इसलिए, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3 (58) में "राज्य" अभिव्यक्ति की समावेशी परिभाषा पहली अनुसूची पर लागू नहीं हो सकती है। इसी तरह, अनुच्छेद 246 (4) में, जो संसद को भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने में सक्षम बनाता है, जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, धारा 3 (58) में परिभाषा का कोई अनुप्रयोग नहीं होगा, संदर्भ को ध्यान में रखते हुए। कन्नियन में निर्णय में यह समझाया गया था। जब विषय या संदर्भ में कुछ प्रतिकुल। होता है, तो धारा 3 (58) की परिभाषा का कोई उपयोग नहीं होगा।

“जहाँ तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है "

127. राज्य सूची और सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में, कई प्रविष्टियाँ हैं जो "राज्य" अभिव्यक्ति का उपयोग करती हैं। इन प्रविष्टियों को नीचे स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया हैः

" **सूची II**

12. राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय और इसी तरह के अन्य संस्थान।

26. सूची III की प्रविष्टि 33 के प्रावधानों के अधीन राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य।

37. संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधि के प्रावधानों के अधीन राज्य के विधानमंडल के लिए चुनाव।

38. विधानमंडल के सदस्यों के वेतन और भत्ते राज्य, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का और, यदि कोई विधान परिषद है, तो उसके अध्यक्ष और उपसभापति का।

39. विधान सभा और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति, और, यदि कोई विधान परिषद है, तो उस परिषद की और सदस्यों और समितियों की; राज्य के विधानमंडल की

समितियों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों की उपस्थिति का प्रवर्तन।

40. राज्य के लिए मंत्रियों का वेतन और भत्ते।

41. राज्य लोक सेवा; राज्य लोक सेवा आयोग।

42. राज्य पेंशन, अर्थात, राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि से देय पेंशन।

43. राज्य का सार्वजनिक ऋण।

सूची III

3. राज्य के सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध

4. इस सूची की प्रविष्टि 3 में निर्दिष्ट कारणों से निवारक निरोध के अधीन कैदियों, आरोपी व्यक्तियों और व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में हटाना।

43. करों और अन्य सार्वजनिक मांगों के संबंध में दावों की राज्य में वसूली, जिसमें भूमि–राजस्व की बकाया राशि और उस राज्य के बाहर उत्पन्न होने वाली बकाया राशि के रूप में वसूली योग्य राशि शामिल है।" (जोर दिया गया)

128. अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) एन. सी. टी. की विधान सभा को प्रविष्टि 1, 2 और 18 (और प्रविष्टि 64, 65 और 66 जहां तक वे पहले की प्रविष्टियों से संबंधित हैं) को छोड़कर राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने की अनुमति देता है। और समवर्ती सूची में, "जहाँ तक ऐसा कोई मामला लागू है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए "। अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) के इन शब्दों की समझ बनाने में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि **एन. डी. एम. सी.** में नौ–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के माध्यम से कन्नियन में निर्णय के बाद से, यह माना गया है कि अनुच्छेद 246 में "राज्य" अभिव्यक्ति में एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है।" जहाँ तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" अभिव्यक्ति का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि एन. सी. टी. की विधानसभा को राज्य या समवर्ती सूचियों में किसी भी विषय पर कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं होगी, केवल उस विशेष प्रविष्टि में "राज्य" अभिव्यक्ति का उपयोग करके। यह अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) के उपरोक्त शब्दों का सही पठन नहीं है। जैसा कि हम नीचे देखते हैं, संसद ने भी उनका इस तरह से अर्थ नहीं निकाला है।

129. जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा 7 (5) में प्रावधान है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन विधि द्वारा विधानसभा द्वारा तय किया जा सकता है। धारा 19 में प्रावधान है कि विधानसभा के सदस्यों को विधि

द्वारा विधानसभा द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। इसी तरह धारा 43 (3) में प्रावधान है कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते विधानसभा द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यद्यपि धारा 24 में प्रावधान है कि इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। संसद उपरोक्त प्रावधानों को तब तक अधिनियमित नहीं करती जब तक कि उपरोक्त विषय पर राज्यों में विधायी क्षमता न हो। राज्य के विधानमंडल के सदस्यों (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित) और राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित विषय राज्य सूची की प्रविष्टि 38 और प्रविष्टि 40 द्वारा शासित होते हैं। जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम इन विषयों पर कानून बनाने के लिए एन. सी. टी. की विधान सभा की विधायी क्षमता को मान्यता देता है। इन प्रविष्टियों में 'राज्य' अभिव्यक्ति का उपयोग विधानसभा के अधिकार क्षेत्र को कम नहीं करता है। न ही अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) के शब्द बहिष्कृत या अक्षम करने वाले प्रकृति के हैं।

130. उपरोक्त कथन का उद्देश्य यह इंगित करना है कि 'राज्य' अभिव्यक्ति अपने आप में इस बात का निर्णायक नहीं है कि संविधान का कोई विशेष प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा या नहीं।इसी तरह, यह भी कहा जा सकता है कि सामान्य खंड अधिनियम (जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल है) की धारा 3 (58) में अभिव्यक्ति राज्य की परिभाषा आवश्यक रूप से संविधान में 'राज्य' के सभी संदर्भों को नियंत्रित नहीं करेगी। यदि कुछ ऐसा है जो विषय या संदर्भ में

प्रतिकूल है, तो धारा 3 (58) में समावेशी परिभाषा लागू नहीं होगी। यह इस न्यायालय द्वारा घोषित न्याय दृष्टांतों में स्पष्ट किया गया है। कुछ संदर्भों में, यह माना गया है कि 'राज्य' अभिव्यक्ति में केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं होंगे, जबकि अन्य संदर्भों में धारा 3 (58) की परिभाषा लागू की गई है। इसलिए, "जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" अभिव्यक्ति बहिष्करण में से एक नहीं है और न ही इसे विषय या संदर्भ के बावजूद ऐसा माना जा सकता है।

एल अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान का निर्माण

131. व्याख्या का परेशान करने वाला मुद्दा अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान से संबंधित है। निस्संदेह, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। केंद्र सरकार की अपने मामलों के प्रशासन में विशेष रुचि है। इसका उदाहरण जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम के अनुच्छेद 239 और धारा 49 के प्रावधानों से मिलता है। अनुच्छेद 239 एए (4) के पारांतुक की एक व्याख्या दी जानी चाहिए, जो एक अच्छे संवैधानिक संतुलन की भावना के अर्थदण्ड चिह्नित है। जो संतुलन बनाया जाता है, उसे राष्ट्रीय राजधानी के शासन में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण हित को बनाए रखना चाहिए, साथ ही मंत्रिपरिषद की वैधता और संवैधानिक स्थिति का समर्थन करना चाहिए, जो विधान सभा के प्रति सामूहिक

जिम्मेदारी रखता है और जो अपनी क्षमता में सरकार की कार्यकारी शाखा के रूप में उपराज्यपाल को मंत्रिमंडल के शासन के तहत सहायता और सलाह देती है।

132. विस्तीर्णता से, न्यायालय के समक्ष तर्क की तीन पंक्तियाँ सामने आती हैं। न्यायालय को उनमें से किसी एक को चुनने के लिए विवश होने की आवश्यकता नहीं है। किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए प्रत्येक से निष्कर्ष निकालना संभव होगा। व्याख्या की पहली पंक्ति में न्यायालय बिना किसी आरक्षण या योग्यता के "किसी भी मामले पर उपराज्यपाल और उनके मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद" अभिव्यक्ति की व्याख्या करेगा।व्याख्या की यह पंक्ति विशुद्ध रूप से शाब्दिक या पाठ्य संरचना का अनुसरण करती है।कोई भी मतभेद खंड 4 के परंतुक को पूरा करेगा।''किसी भी मामले' का अर्थ होगा बिना किसी प्रतिबंध के कोई भी मामला। उपराज्यपाल किसी भी मामले के बारे में राष्ट्रपति को किसी भी मतभेद के बारे में बताने के लिए स्वतंत्र होगा, जहां यह मंत्रिपरिषद के साथ उत्पन्न हुआ है। यह दृष्टिकोण न्यायालय को इसके प्रति आगाह करता है की प्रावधान को निर्दिष्ट श्रेणियों तक सीमित रखना या उन क्षेत्रों को सीमित करना जहा मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं।

133. व्याख्या की दूसरी पंक्ति यह है कि अभिव्यक्ति को पढ़ा जाना चाहिए और निर्दिष्ट श्रेणियों तक सीमित किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण की वैधता का

परीक्षा करने के लिए, चार श्रेणियों को चित्रित किया जा सकता है। उपराज्यपाल परंतुक के तहत शक्ति का आह्वान कर सकता है जहाँः

(i) एन. सी. टी. सरकार के कार्यकारी निर्णय या कार्य केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा डालेंगे या पूर्वाग्रह पैदा करेंगे;

(ii) संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों या संविधान के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

(iii) एन. सी. टी. सरकार के कार्यकारी अधिकार का प्रयोग ऐसे क्षेत्र में किया जाना चाहिए जहां इसकी कोई विधायी क्षमता नहीं है (अति अधिकार सिद्धांत); और

(iv) कोई मामला लेन–देन के व्यापार नियमों के नियम 23 के अंतर्गत आता है।

134. व्याख्या की एक तीसरी पंक्ति है, जिसके दो पहलू हैं।पहला पहलू यह मानता है कि किस स्तर पर राष्ट्रपति का संदर्भ परंतुक के संदर्भ में दिया जा सकता है।इसके अनुसार, उपराज्यपाल द्वारा किसी मंत्री के साथ या मंत्रिपरिषद के साथ बातचीत और चर्चा के माध्यम से समाधान की मांग करके मतभेद को हल करने का प्रयास करने के बाद ही राष्ट्रपति को निर्देश दिया जा सकता है। उपराज्यपाल को व्यापार लेन–देन नियमों में निहित प्रावधानों का पालन करना

होता है, जो राष्ट्रपति के समक्ष मामलों को उठाने से पहले एन. सी. टी. सरकार के संस्थागत स्तर के भीतर मतभेदों को हल करने का प्रयास करने का आदेश देता है। दूसरा पहलू 'कोई भी पदार्थ' अभिव्यक्ति के मूल अर्थ से संबंधित है। 'व्याख्या की इस पंक्ति में किसी भी मामले का अर्थ 'हर मामला' या हर तुच्छ मामला नहीं होगा, बल्कि केवल वे दुर्लभ और असाधारण मामले होंगे जहां अंतर केंद्र शासित प्रदेश के शासन के लिए इतना मौलिक है कि इसे राष्ट्रपति तक पहुँचाया जाना चाहिए। व्याख्या के लिए तीसरे दृष्टिकोण का प्रस्ताव है कि परंतुक की व्याख्या करते समय एक प्रक्रियात्मक और मूल बारीकियों दोनों को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर अनुच्छेद 239 एए में अंतर्निहित हितकारी संवैधानिक उद्देश्य को पराजित किया जाएगा।

135. व्याख्या की तीन पंक्तियों के एक करीबी विश्लेषण से संकेत मिलता है कि उनमें से प्रत्येक में तथ्यों की एक गुठली है, लेकिन कुछ नुकसान हैं जिनसे बचा जाना चाहिए। संस्थानों के कामकाज को एक संवैधानिक संतुलन स्थापित करना चाहिए जो सहकारी शासन को सुविधाजनक बनाता है। सहयोग में शासन हमारी संवैधानिक संरचना की पहचान और आवश्यकता दोनों है। हमारा संविधान राजनीतिक संस्थाओं के बीच विधायी और कार्यकारी शक्तियों का वितरण करता है। संविधान का निर्माण करने वाले संस्थानों के बीच शक्ति का वितरण यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है कि भागीदारी और प्रतिनिधित्व के

मूल्य जो लोकतंत्र की नींव का गठन करते हैं, शासन के सभी स्तरों तक फैले रहें। शासन के लिए संघीय संरचना जो मूल संरचना का एक हिस्सा है, एकता को मजबूत करने के साधन के रूप में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के महत्व को पहचानती है। संविधान ने संघीय राजनीति के कुछ तत्व को अपनाया है लेकिन संघीय राजनीति के सभी तत्व को नहीं अपनाया हैं और राष्ट्र के मामलों में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान विमर्श के उद्देश्य के लिए, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि संविधान संघीय ढांचे के भीतर सहकारी शासन को क्या महत्व देता है। [44] एक उदाहरण भाग 11 के अध्याय 2 में पाया जा सकता है जो संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। अनुच्छेद 256 के तहत, प्रत्येक राज्य पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व डाला गया है कि संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों का सुरक्षित अनुपालन करने के लिए उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाए। इस उद्देश्य के लिए संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को आवश्यक निर्देश जारी करने तक फैली हुई है। अनुच्छेद 257 में एक आदेश है कि अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, कोई राज्य संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह नहीं डालेगा।सहकारी शासन की संवैधानिक दृष्टि को अनुच्छेद 258 में किए गए प्रावधान द्वारा बढ़ाया जाता है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की सहमति से उसे या उसके अधिकारियों को किसी भी मामले के संबंध में कार्य सौंप सकता है, जिसके लिए संघ की शक्ति का

44 ग्रैनविल ऑस्टिन (सुप्रा नोट 3), पृष्ठ 232 पर

विस्तार होता है। इसी तरह, उन मामलों पर भी जिन पर राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है, संसद राज्य के अधिकारियों को शक्तियां प्रदान कर सकती है और कर्तव्यों दे सकती है। अनुच्छेद 261 में प्रावधान किया गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही के लिए पूरे भारत के क्षेत्र में पूर्ण विश्वास और श्रेय दिया जाना चाहिए। यह निर्धारित किए बिना (वर्तमान चर्चा के लिए यह अनावश्यक होने के कारण) कि ये प्रावधान किसी केंद्र शासित प्रदेश पर किस हद तक लागू होते हैं, प्रशासनिक संबंधों पर अध्याय से उभरने वाले सिद्धांतों पर जोर देने का उद्देश्य हमारे जैसे संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सहकारी शासन की आवश्यकता को उजागर करना है, जिसमें राजनीतिक संस्थाओं और संस्थानों के बीच शक्ति का विस्तृत वितरण शामिल है।न्याया लय ने अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान पर जो निर्माण किया है, उसे आपसी सहयोग की सुविधा प्रदान करनी चाहिए ताकि राज्य के मामलों को धारणा के मतभेदों के कारण अव्यवस्था के बिना किया जा सके। राज्य की राजनीतिक शाखाओं के बीच मतभेद लोकतांत्रिक जीवन शैली के लिए स्वाभाविक हैं। मतभेदों में निहित ताकत यह है कि संविधान विचारों की मजबूत अभिव्यक्ति के लिए एक मंच प्रदान करता है, विचारधारा के मतभेदों को समायोजित करता है और स्वीकार करता है कि राष्ट्र की कमजोरी नहीं, बल्कि लचीलापन उसकी संस्कृतियों की बहुलता और उसके विचारों की विविधता में निहित है। एक लोकतांत्रिक संविधान का काम करना

राज्य के मामलों को नियंत्रित करने के प्रभारी लोगों की बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कौशल पर उतना ही निर्भर करता है जितना कि जितना राष्ट्र अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करने वाले संविधान की भाषा पर निर्भर करता है।

136. अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान को इस तरह से संचालित और लागू किया जाना चाहिए जो एन. सी. टी. के शासन को सुविधाजनक बनाता है और बाधित नहीं करता है। यदि 'कोई भी मामला' अभिव्यक्ति को 'हर मामला' या हर तुच्छ मामले के रूप में माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप एन. सी. टी. के मामलों का प्रशासन ठप हो जाएगा। हर संभावित अंतर को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों को एक गूढ़लेख तक सीमित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार दिन–प्रतिदिन के मामलों को नियंत्रित करेगी। संविधान के रूप बने रहेंगे लेकिन सार खो जाएगा। अनुच्छेद 239 एए को घटक शक्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप पेश किया गया है। अभ्यास का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को एक विशेष दर्जा प्रदान करना है। दिल्ली के मामलों के प्रशासन की व्यवस्था 69 वें संशोधन के परिणामस्वरूप संवैधानिक रूप से स्थापित की गई है।मंत्रिपरिषद या विधानमंडल (या दोनों) होना चाहिए या नहीं, यह संसद के किसी अधिनियम में निर्धारित करने के लिए नहीं छोड़ा गया था। संविधान में कहा गया है कि एन. सी. टी. में दोनों का अस्तित्व होना चाहिए। संविधान विधानमंडल के लिए सीधे चुनाव

का आदेश देता है। यह एक ऐसी मंत्रिपरिषद के अस्तित्व को बाध्य करता है जो विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी निभाती है। यह विधायी और कार्यकारी शक्ति के क्षेत्र का सीमांकन करता है। उपराज्यपाल, जैसा कि अनुच्छेद 239 एए (4) के मूल भाग में निर्धारित किया गया है, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगा। इन प्रावधानों को अपनाने में, संविधान सरकार के कैबिनेट रूप की आवश्यक बातों को शामिल करता है। क्या इसका कोई मतलब नहीं था? एक संवैधानिक न्यायालय को ऐसी व्याख्या को स्वीकार करने के खिलाफ होना चाहिए जो शासन की इन आकांक्षाओं को बिना किसी सार के केवल एक रूप में कम कर देगी। न्यायालय को संवैधानिक नैतिकता को ध्यान में रखना चाहिए, जो लोकतंत्र में सभी हितधारकों के लिए एक मार्गदर्शक भावना है।

137. अपनी संवैधानिक भूमिका के निर्वहन में, उपराज्यपाल को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद को लोगों की सेवा के लिए चुना जाता है और यह लोकतंत्र की आकांक्षाओं और जिम्मेदारियों दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। न तो संविधान और न ही सक्षम करने वाला कानून, जिसे हमने पहले देखा है, इस बात पर विचार करता है कि कार्यकारी सरकार के प्रत्येक निर्णय को लागू करने से पहले उपराज्यपाल की पूर्व सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

138. परंतुक की व्याख्या इस संवैधानिक स्थिति से अवगत होनी चाहिए कि हालांकि दिल्ली को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन यह भाग VIII द्वारा शासित एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। व्याख्या की पहली पंक्ति से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं जिनका महत्व है। केंद्र शासित प्रदेशों के दायरे में, जैसा कि एन. डी. एम. सी. में नौ–न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में देखा गया है, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश विकास के विभिन्न चरणों में हैं।गोवा जैसे कुछ पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेशों ने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया और केंद्र शासित प्रदेश नहीं रह गए। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास विधायिका न हो।कुछ में संसद के अधिनियमन के तहत एक विधानमंडल हो सकता है। दिल्ली का एक विशेष स्थान है क्योंकि इसके विधानमंडल के साथ–साथ मंत्रिपरिषद दोनों को संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। एक संवैधानिक संशोधन द्वारा इस स्थिति को प्रदान करने से राज्य का दर्जा प्रदान किए बिना केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर शासन की अपनी शाखाओं की स्थिति में वृद्धि होती है। दिल्ली का प्रशासन अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है जिसे अनुच्छेद 239 एए (1) के तहत उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाता है। अनुच्छेद 239 (1) के प्रारंभिक शब्दों की भाषा को अनुच्छेद 239 एए के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। अपनी विधायी शक्तियों की पहुंच के संदर्भ में, एन. सी. टी. के लिए विधान सभा राज्य

सूची विषयों पर विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करती है। एन. सी. टी. के लिए राज्य और समवर्ती सूचियों दोनों के संबंध में संसद के पास विधायी अधिकार (संघ सूची के अलावा) हैं। इसलिए विधान सभा द्वारा कानून बनाना, यहां तक कि उन मामलों पर भी जो उसके विधायी अधिकार क्षेत्र में आते हैं, संसद की प्रबल शक्ति के अधीन है। समवर्ती सूची के मामलों पर संघ और राज्य विधान के बीच अनुच्छेद 254 जिस तिरस्कार के सिद्धांत को मान्यता देता है, उसे अनुच्छेद 239 एए [3 (बी) और 3 (सी)] द्वारा एन. सी. टी. के लिए राज्य और समवर्ती सूची विषयों दोनों के संदर्भ में बढ़ाया गया है। इसके अलावा, कुछ विषयों को स्पष्ट रूप से विधान सभा के विधायी प्राधिकरण के दायरे से अलग किया गया है और विशेष रूप से संसद में निहित किया गया है। एन. सी. टी. सरकार की कार्यकारी शक्तियां विधायी शक्तियों के साथ सह–व्यापक होने के कारण, मंत्री परिषद द्वारा उपराज्यपाल को दी जाने वाली सहायता और सलाह उन क्षेत्रों तक सीमित है जो विधायी शक्तियों के दायरे से बाहर नहीं हैं। इन प्रावधानों से पता चलता है कि सरकार के एक कैबिनेट रूप के संस्थानों को अपनाते समय, संविधान ने एन. सी. टी. के लिए, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपनी स्थिति के अनुरूप विधायी और कार्यकारी शक्ति के दायरे को कम कर दिया है।

139. अनुच्छेद 239 एए को लागू करने के लिए घटक शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की आवश्यकता से jo राष्ट्रीय राजधानी के शासन में निहित है, से अवगत था। संवैधानिक संशोधन लाकर दिल्ली पर शासन करने के लिए की गई व्यवस्थाओं को स्थायित्व और स्थिरता की भावना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। विधायी शक्ति की पहुंच के साथ–साथ कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के संबंध में, दिल्ली के लिए विशेष संवैधानिक व्यवस्था यह मानती है कि दिल्ली का शासन राष्ट्रीय हित की भावना को निहित करता है।जब राष्ट्रीय हित के मामले सामने आते हैं, तो वे राष्ट्रीय शासन के संस्थानों के लिए एक प्रमुख भूमिका की भविष्यवाणी करते हैं।

140. राष्ट्रीय हित को बनाए रखने की आवश्यकता के अनुरूप, अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान के दायरे को उन स्थितियों तक सीमित करना उचित नहीं होगा जहां सरकार की कार्रवाई उसकी कार्यकारी शक्तियों की सीमाओं से परे है। यह जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा 41 (1) (आई) और धारा 44 (1) (ए) के प्रावधानों के निर्माण पर स्पष्ट हो जाता है। धारा 41 (1) का उपखंड (i) उपराज्यपाल को ऐसे मामले पर अपने विवेक से कार्य करने में सक्षम बनाता है जो विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर है, लेकिन जिसके संबंध में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें शक्तियां या कार्य सौंपे जाते हैं या सौंपे जाते हैं। धारा

44 (1) (ए) के तहत उन मामलों पर कार्य नियम बनाए जाते हैं जिन पर उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने की आवश्यकता होती है।धारा 44 (1) (ए) में वह व्यवसाय शामिल है जो धारा 41 (1) (आई) का हिस्सा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 44 (1) (i) के अंतर्गत आने वाले मामले सहायता और सलाह के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं।

141. जिन स्थितियों पर परन्तुक लागू होता है, उनकी एक विस्तृत सूची निर्धारित नहीं करने के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। शासन में जटिलताएँ शामिल होती हैं। चीजों की प्रकृति में, उस समय की समस्याओं के संदर्भ में निर्णय देने वाले निर्णय के लिए भविष्य में उत्पन्न होने वाली स्थितियों का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं होगा। किसी संवैधानिक प्रावधान को उल्लिखित श्रेणियों तक सीमित रखना असुरक्षित होगा जो अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने के लिए संविधान के लचीलेपन को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ उदाहरण जो परंतुक के तहत शक्ति के प्रयोग की गारंटी दे सकते हैं, परंतुक के उद्देश्य और उस उद्देश्य पर प्रकाश डाल सकते हैं जिसे वह प्राप्त करना चाहता है।

142. दो संवैधानिक दृष्टिकोण हैं:पहला, परंतुक के संचालन को ऐसी शक्ति प्रदान करने में अंतर्निहित राष्ट्रीय चिंताओं को संरक्षित करना चाहिए, और दूसरा,

परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 239एए में मान्यता प्राप्त आवश्यक लोकतांत्रिक मूल्यों को नष्ट नहीं करना चाहिए। अतः ऐसे चरणों को निर्धारित करना आवश्यक है जिस से परंतुक का सहारा लेने से पहले अपनाया जाना आवश्यक है। व्यापार लेन–देन नियम पर्याप्त रूप से विस्तृत शब्दों में इंगित करते हैं कि जब उपराज्यपाल और एक मंत्री के बीच मतभेद होता है, तो मुख्य रूप से, इसे आपसी चर्चा द्वारा हल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि इस प्रक्रिया से संतोषजनक परिणाम नहीं मिलता है, तो मामले को मंत्रिपरिषद को भेजा जा सकता है, जिसके साथ संतोषजनक समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। यह तब होता है जब इन दोनों चरणों को पार कर लिया जाता है और एक अंतर अभी भी बना रहता है कि मामले को राष्ट्रपति को भेजकर परंतुक का सहारा लिया जा सकता है। व्यापार लेन–देन नियमों में उल्लिखित इन चरणों को जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा 44 द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसे अनुच्छेद 239ए. ए. (7) के अनुसरण में अधिनियमित किया गया था। इसलिए परंतुक को संसद द्वारा अधिनियमित विधि और राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कार्य संचालन नियमों के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए, ताकि परंतुक को लागू करने के लिए संचालन प्रक्रिया को स्पष्टता मिल सके। इसके अलावा, एक बार राष्ट्रपति को निर्देश दिए जाने के बाद, उपराज्यपाल राष्ट्रपति के निर्णय से बाध्य होता है। उपराज्यपाल के पास ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार है जो राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लिए जाने तक आकस्मिक परिस्थितियों के कारण

आवश्यक है। लेकिन इससे पहले कि परंतुक का सहारा लिया जाए, उपराज्यपाल को मतभेद के मामले को हल करने के लिए मंत्री या, जैसा भी प्रकरण हो, मंत्रिपरिषद के साथ हर संभव प्रयास करना चाहिए। मतभेदों की प्रकृति जो राष्ट्रपति को संदर्भित करने की आवश्यकता हो सकती है, को पूरी तरह से सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस परंतुक को एन. सी. टी. के शासन के संबंध में राष्ट्रीय चिंताओं के रक्षक के रूप में समझना उचित होगा। उपराज्यपाल उनकी रक्षा के लिए एक प्रहरी है। उदाहरण के लिए, उपराज्यपाल को उस परंतुक का सहारा लेने के लिए न्यायोचित ठहराया जा सकता है जहां एन. सी. टी. सरकार के कार्यकारी अधिनियम से केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या पूर्वाग्रह आने की संभावना है।उपराज्यपाल इसी तरह संविधान के प्रावधानों या संसद द्वारा अधिनियमित विधि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परंतुक को लागू करना आवश्यक समझ सकता है।नीति के महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं जिनका राष्ट्रीय राजधानी के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थिति पर असर पड़ता है। केंद्र सरकार की वित्तीय चिंताओं को इस तरह से फंसाया जा सकता है कि उपराज्यपाल के लिए प्रावधान को लागू करना आवश्यक हो जाता है जहां मतभेद अनसुलझा रहता है। व्यापार लेन–देन नियमों के नियम 23 में दर्शाई गई प्रकृति की स्थिति परंतुक का सहारा लेने को उचित ठहरा सकती है। परंतुक का सहारा लेने के लिए कसौटी यह है कि राय का अंतर एक कल्पित अंतर नहीं है।जिस विषय पर मतभेद उत्पन्न हुआ है, वह सारवान

होना चाहिए और तुच्छ नहीं होना चाहिए। यह तय करते समय कि संदर्भ देना है या नहीं, उपराज्यपाल को हमेशा उस अक्षांश को ध्यान में रखना चाहिए जो एक प्रतिनिधि सरकार के पास अपने कार्यकारी अधिकार के भीतर आने वाले क्षेत्रों में निर्णय लेने के लिए होता है। उपराज्यपाल को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह वह नहीं है, बल्कि मंत्रिपरिषद है जो ठोस निर्णय लेती है और जब वह परंतुक का आह्वान करती है, तब भी उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्णय का पालन करना पड़ता है। उपराज्यपाल को इस तथ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए कि परंतुक का अनियंत्रित सहारा लेने से एन. सी. टी. के मामलों का प्रशासन वस्तुतः उसकी सरकार से केंद्र को स्थानांतरित हो जाएगा। यदि 'कोई भी मामला' अभिव्यक्ति को इतना व्यापक रूप से पढ़ा जाए कि 'हर मामले' को समझा जा सके, तो परंतुक का संचालन एन. सी. टी. की सरकार से निर्णय लेने को केंद्र को स्थानांतरित कर देगा। यदि परंतुक को इस तरह पढ़ा जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां राष्ट्रपति प्रत्येक मामले पर एक संदर्भ से निपटेंगे, और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अनुच्छेद 239 एबी केंद्र शासित प्रदेश में संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 239 एए (4) का प्रावधान उस स्थिति से संबंधित नहीं है। इसलिए, परंतुक को लागू करने में यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि एन. सी. टी. के लिए मंत्रिपरिषद का एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त कार्य है, जैसा कि विधान सभा है जिसके लिए परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार है।

उपराज्यपाल की भूमिका इस संवैधानिक ढांचे को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि इसे व्यवहार्य बनाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राष्ट्रीय चरित्र की चिंताएं जो राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली की स्थिति पर एक सहज प्रभाव डालती हैं, उन्हें दरकिनार नहीं किया जाए। यदि इन मूलभूत उपदेशों को ध्यान में रखा जाता है, तो परंतुक के संचालन में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और उपयुक्त मामलों में राष्ट्रपति के हस्तक्षेप का आह्वान किया जा सकता है जहां केंद्र शासित प्रदेश के शासन के लिए एक मौलिक मामला शामिल है।

एम. निष्कर्ष

143. संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों और इस बिंदु पर पूर्ववर्ती का विश्लेषण करने के बाद, यह न्याया लय निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचता है:

(1)संविधान में अनुच्छेद 239 एए की शुरूआत घटक शक्ति के प्रयोग का परिणाम था। संविधान में 69 वें संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष दर्जे के लिए एक महत्वपूर्ण परिणाम हैं, हालांकि संविधान के भाग VIII द्वारा शासित केंद्र शासित प्रदेश के तहत;

(2)इस तरह के संवैधानिक संशोधन की सामग्री को अतीत में दिल्ली पर शासन करने वाले कानूनों की सामग्री से सीमित या बाधित नहीं किया जा सकता है।संवैधानिक संशोधनों ने एन. सी. टी. के लोकतांत्रिक शासन में स्थिरता और स्थायित्व लाने का प्रयास किया। एक संशोधन जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं को बढ़ाता है, उसकी एक ऐसी व्याख्या होनी चाहिए जो उसके वास्तविक चरित्र को पूरा करेगी।

(3)अनुच्छेद 239 (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक को एन. सी. टी. के संदर्भ में इसके उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति करने की शक्ति का मूल स्रोत संविधान के अनुच्छेद 239 से उत्पन्न होता है।

(4)जबकि अनुच्छेद 239 (1) इंगित करता है कि एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, प्रावधान के शुरुआती शब्द ("विधि द्वारा संसद द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर") इंगित करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन की प्रकृति और विस्तार संसद द्वारा बनाए गए विधि में इंगित किया गया है।इसके अलावा, प्रावधान के बाद के शब्द ("उस हद तक जो वह उचित समझता है") उसी स्थिति का समर्थन करते हैं;

(5) अनुच्छेद 239 एए को अपनाकर, संसद ने एक घटक निकाय के रूप में, संवैधानिक रूप से स्थापित शासन संस्थानों का निर्माण करके दिल्ली को एक

विशेष दर्जा प्रदान किया। अनुच्छेद 239 एए राष्ट्रीय राजधानी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद के अस्तित्व को अनिवार्य करता है।

(6) अनुच्छेद 239 एए के प्रावधान सहभागी, प्रतिनिधि और उत्तरदायी सरकार पर आधारित संस्थागत शासन प्रदान करने के लिए संविधान के एक स्पष्ट जनादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विशेषताएं अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों से निकलती हैं जो:

(i) क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से विधान सभा के लिए सीधे चुनाव की आवश्यकता होती है;

(ii) अनुच्छेद 324, 327 और 329 के तहत भारत के चुनाव आयोग के संवैधानिक कार्यों को संलग्न करना;

(iii) राज्य सूची (अपवादात्मक मामलों को छोड़कर) और समवर्ती सूची द्वारा शासित मामलों के संबंध में विधान सभा को विधि बनाने का अधिकार प्रदान करना;

(iv) विधान सभा को मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी सौंपना; और

(v) (अनुच्छेद 239 एए (4) के मूल भाग में) यह प्रावधान करें कि उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करेगा।

एक संशोधन के माध्यम से इन प्रावधानों को अपनाने में, संविधान ने दिल्ली के मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार के कैबिनेट के महत्व को मान्यता दी है।

सी.

(7)अनुच्छेद 239 एए में विधायी शक्ति का वितरण एक विधायी निकाय के रूप में संसद को सौंपी गई प्रमुख भूमिका का संकेत है। यह निम्न से निकलता है:

(i) यह स्थिति कि संसद को राज्य सूची के साथ-साथ समवर्ती सूची में आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है; और

(ii) लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि (राज्य सूची की प्रविष्टियां 1, 2 और 18) और अपराधों, न्यायालयों की अधिकारिता और शुल्क (प्रविष्टियां 64, 65 और 66 जहां तक वे पिछली प्रविष्टियों से संबंधित हैं) के तीन विषयों में से उत्कीर्णन, जो सभी संसद के अनन्य विधायी क्षेत्र के भीतर हैं। विरोध के सिद्धांत विधान सभा और संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के बीच

किसी भी विसंगति को नियंत्रित करते हैं और संसद के कानूनों को तब तक प्रबल होना है जब तक कि राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है।

(8)एन. सी. टी. सरकार की कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सह–व्यापक है। अनुच्छेद 239 एए के खंड 4 के तहत सहायता और सलाह का सिद्धांत उन क्षेत्रों तक फैला हुआ है जहां उपराज्यपाल उन मामलों के संबंध में कार्य करता है जहां विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है।परिणामस्वरूप, जिन मामलों पर विधान सभा के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं है, वे सहायता और सलाह के सिद्धांत द्वारा शासित नहीं होते हैं।इसी तरह, उपराज्यपाल ए मामलों पर सहायता और सलाह के अधीन नहीं है जहाँ उसे किसी कानून द्वारा या उसके तहत अपने विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है;

(9)जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम, 1991 को संसद द्वारा अनुच्छेद 239 ए. ए. के खंड 7 (ए) द्वारा प्रदत्त विधायी प्राधिकरण के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है। राष्ट्रपति ने जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम, 1991 में विचार के अनुसार एन. सी. टी. के लिए व्यापार लेनदेन नियम बनाए हैं।

(10)जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 41 इंगित करती है किः

(i) ऐसे मामलों में जो विधान सभा को सौंपी गई विधायी शक्तियों से बाहर हैं और जहां राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के तहत उपराज्यपाल को कार्य सौंपे गए हैं या सौंपे गए हैं; और

(ii) जिन मामलों में उपराज्यपाल किसी विधि द्वारा या उसके तहत अपने विवेक का प्रयोग करता है, वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अधीन नहीं है।

(11)जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम की धारा 44 इंगित करती है कि सहायता और सलाह धारा 44 (1) (i) में निर्दिष्ट क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित करती है;

(12) व्यापार लेनदेन नियमों के तहत, उपराज्यपाल को एन. सी. टी. के मामलों के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर विधिवत अवगत कराया जाना चाहिए। नियम मंत्रिपरिषद के कर्तव्य को इंगित करते हैं कि वह उपराज्यपाल को उसके सामने एक प्रस्ताव के चरण से ही सूचित करे। उपराज्यपाल को एन. सी. टी. के मामलों से विधिवत सूचित और अवगत रखने का कर्तव्य उन्हें सौंपी गई संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन और जी. एन. सी. टी. डी. अधिनियम, 1991 और व्यापार नियमों के लेनदेन के तहत उनके कर्तव्यों को पूरा करने की सुविधा प्रदान करता है।

(13) जबकि कार्य संचालन नियमों में निहित प्रावधानों के लिए एन. सी. टी. के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों पर उपराज्यपाल को सूचित करने के लिए मंत्रिपर्रिषद पर लगाए गए कत व्य का ईमानदारी से पालन करने की आवश्यकता होती है, न तो अनुच्छेद 239ए. ए. के प्रावधानों और न ही अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के लिए उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है जो निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है। व्यापार लेन–देन नियमों के नियम 14 वास्तव में इंगित करता है कि कर्तव्य सूचित करना है और उपराज्यपाल का पूर्व सहमति नहीं लेना है। यद्यपि नियम 23 के तहत आने वाले निर्दिष्ट क्षेत्रों में यह अनिवार्य किया गया है कि किसी निर्णय को लागू करने से पहले ही उपराज्यपाल को अवगत कराया जाना चाहिए।

(14) अनुच्छेद 367 के प्रावधानों के परिणामस्वरूप, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 संविधान की व्याख्या के लिए अनुच्छेद 372 के तहत किए गए अनुकूलन और संशोधनों के अधीन लागू होता है।'राज्य' (धारा 3 (58)) और 'राज्य सरकार' (धारा 3 (60)) और 'केंद्र शासित प्रदेश' (धारा 3 (62ए)) की परिभाषाएं संविधान के प्रावधानों की व्याख्या पर तब तक लागू होती हैं जब तक कि संविधान के किसी विशेष प्रावधान के विषय या संदर्भ में कुछ अप्रिय न हो।

(15)कन्नियन (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय के बाद से और एनडीएमसी में नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के माध्यम से (सुप्रा), यह एक स्थापित सिद्धांत है कि अभिव्यक्ति 'स्थिति' में है अनुच्छेद 246(4) में केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं होगा और वह सामान्य खण्ड अधिनियम में निहित परिभाषा लागू नहीं होगी प्रावधान के विषय और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए। इस न्यायालय के निर्णयों ने विषय और संदर्भ को लागू किया है यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण करें कि अभिव्यक्ति 'स्थिति' दूसरे में है या नहीं संविधान के प्रावधानों और वैधानिक प्रावधानों में होगा एक केंद्र शासित प्रदेश शामिल करें;।

(16) किसी विशेष प्रावधान में "राज्य" शब्द का उपयोग इस बात के लिए उचित नहीं है कि इसका उपयोग किसी केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में बहिष्कृत रहेगा या नहीं।परिणाम अनिवार्य रूप से उस विषय और संदर्भ पर आधारित है जिसमें शब्द का उपयोग किया गया है।

(17) अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान को अर्थ और सामग्री देते समय, दो महत्वपूर्ण उपदेशों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक हैः

(i) संविधान ने विधायी शक्ति के प्रयोग के लिए संस्थानों और मंत्रिपरिषद द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली एक कार्यकारी शाखा का निर्माण करके केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए सरकार के एक कैबिनेट रूप को अपनाया है; और

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शासन में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित शामिल हैं।

सहायता और सलाह और सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत (i) उपरोक्त को प्रभावी बनाते हैं, जबकि उपराज्यपाल का किसी भी मामले को राष्ट्रपति को संदर्भित करने का अधिकार (ii) उपरोक्त का प्रतिबिंब है।

(18) हालांकि उन मतभेदों की एक विस्तृत सूची बनाना संभव नहीं हो सकता है जिन्हें उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है, लेकिन इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि परंतुक के अर्थ के भीतर एक अंतर एक कल्पित अंतर नहीं हो सकता है। यदि 'कोई भी मामला' अभिव्यक्ति को 'प्रत्येक विषय' के रूप में पढ़ा जाना है, तो यह राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के मामलों के हर पहलू का प्रशासन संभालने के लिए प्रेरित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली के शासन के लिए अपनाई गई संवैधानिक संरचना की उपेक्षा होगी;

(19) उपराज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 239एए (4) के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति को संदर्भित करने का निर्णय लेने से पहले, व्यापार नियमों के लेनदेन में अनिवार्य कार्रवाई का पालन किया जाना चाहिए। उपराज्यपाल को, बातचीत

और चर्चा की प्रक्रिया द्वारा, एक मंत्री के साथ किसी भी मतभेद को हल करने का प्रयास करना चाहिए और यदि संभव नहीं है तो इसे मंत्रिपरिषद के माध्यम से हल करने का प्रयास करना चाहिए।राष्ट्रपति को संदर्भित करने पर नियमों द्वारा केवल तभी विचार किया जाता है जब उपरोक्त तौर–तरीके कोई समाधान देने में विफल रहते हैं, जब मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है।

(20) मंत्रिमंडल सरकार में निर्णय लेने की मूल शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 239 एए (4) के मूल भाग में निहित सहायता और सलाह का प्रावधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है।जब उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के आधार पर कार्य करता है, तो यह मान्यता देता है कि सरकार के लोकतांत्रिक रूप में वास्तविक निर्णय लेने का अधिकार कार्यपालिका में निहित है।यहां तक कि जब उपराज्यपाल परंतुक की शर्तों के तहत राष्ट्रपति को संदर्भित करता है, तो उसे राष्ट्रपति द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करना पड़ता है।यद्यपि उपराज्यपाल को इस बीच तत्काल कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है जहां आकस्मिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधानों से संकेत मिलता है कि उपराज्यपाल को या तो सहायता और सलाह के आधार पर कार्य करना चाहिए या, जहां उनके पास राष्ट्रपति को मामला भेजने का कारण है, राष्ट्रपति द्वारा बताए गए निर्णय का पालन करें। उपराज्यपाल के पास निर्णय लेने का कोई

स्वतंत्र अधिकार नहीं है (सिवाय उन मामलों के जहां वे किसी विधि के तहत न्यायिक या अर्ध–न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपने विवेक का प्रयोग करते हैं या जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239 के तहत उन मामलों पर शक्तियां सौंपी गई हैं जो एन. सी. टी. सरकार की क्षमता से बाहर हैं); और

(21) अनुच्छेद 239 ए. ए. का परंतुक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय हित के मामलों पर संघ के हितों की रक्षा करने के लिए एक संरक्षक के रूप में है। हर मामूली अंतर परंतुक के अंतर्गत नहीं आता है। इस परंतुक में, अन्य बातों के अलावा, वित्त और नीति के महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल होंगे जो राष्ट्रीय राजधानी की स्थिति को प्रभावित करते हैं या संघ के महत्वपूर्ण हितों को शामिल करते हैं। प्रशासन की जटिलताओं और भविष्य में होने वाली अप्रत्याशित स्थितियों को देखते हुए, न्याया लय के लिए न्यायिक पुनर्विलोकन के अभ्यास में उन परिस्थितियों को पूरी तरह से इंगित करना संभव नहीं होगा जो परंतुक का सहारा लेने के लिए आवश्यक हैं।यह निर्णय लेने में कि क्या परंतुक को लागू किया जाना चाहिए, उपराज्यपाल उन सिद्धांतों का पालन करेगा जो इस निर्णय के मुख्य भाग में इंगित किए गए हैं।

144. अपने विद्वान सहयोगियों को अपना निर्णय प्रसारित करने के बाद, मुझे विद्वान मुख्य न्यायाधीश और भाई न्यायमूर्ति अशोक भूषण के निर्णय प्राप्त करने का लाभ मिला है।मेरा मानना है कि हमारे विचारों में व्यापक सामंजस्य है।

145. निर्देश का उत्तर उपरोक्त शर्तों में दिया जाएगा और मामलों पर निर्णय लेने के लिए पीठ के गठन के संबंध में उचित निर्देशों के लिए कार्यवाही को अब भारत के विद्वान मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा।

अशोक भूषण, जे.

1.ये अपीलें दिल्ली उच्च निर्णय की डिवीजन बेंच के फैसले पर सवाल उठाते हुए दायर की गई हैं, जिसमें एक सामान्य फैसले द्वारा नौ न्याया लय याचिकाओं पर निर्णय लिया गया है, नौ न्याया लय याचिकाओं में से दो न्याया लय याचिकाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दायर की गई थीं (जिसे इसके बाद "जीएनसीटीडी" के रूप में संदर्भित किया गया है) जो 2015 की न्यायालय याचिका (सी) No.5888 (जीएनसीटीडी बनाम यूओआई) है।

"उपराज्यपाल को "सेवाओं" से जुड़े मामलों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने और ए. सी. बी. आरक्षी केंद्र स्टेशन को केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अपराधों का संज्ञान नहीं लेने का निर्देश देते हुए भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांकित 21.05.2015 और 23.07.2014 अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं।"

और रिट याचिका (अपराध.) 2015 का No.2099 (जी. एन. सी. टी. डी. बनाम नितिन मनावत) आक्षेपः

"उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत पारित आदेश जिसके अनुसार पी. सी. अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट No.21/2012 में मुकदमा चलाने के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति।"

भारत संघ द्वारा दायर एक रिट याचिका 2015 की रिट याचिका (सी) No.8867 (यूओआई बनाम। जी. एन. सी. टी. डी. और ए. एन. आर.) आक्षेपः

"उपराज्यपाल के समक्ष उनके विचारों/सहमति के लिए रखे बिना सतर्कता निदेशालय, जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 11.08.2015।"

2. जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली व्यक्तियों द्वारा अन्य छह रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं ने 2015 की रिट याचिका (सी) No.7887 और 2015 की रिट याचिका (सी) No.8382 में सतर्कता निदेशालय, जीएनसीटीडी द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दी थी। 2015 की रिट

याचिका (सी) No.7934 में (नरेश कुमार बनाम। जी. एन. सी. टी. डी. और अन्य.) आलोच्य कार्रवाई थीः

"राजस्व विभाग, जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और दिल्ली स्टाम्प (उपकरण के अवमूल्यन की रोकथाम) नियमों के प्रावधानों के तहत कृषि भूमि (सर्कल नियमों) की न्यूनतम दरों को उपराज्यपाल के समक्ष उनके विचारों/सहमति के लिए रखे बिना संशोधित करने के लिए जारी अधिसूचना।"

2015 की रिट याचिका (सी) No.8190 (संदीप तिवारी बनाम। जी. एन. सी. टी. डी. और अन्य) को पूछताछ के लिए दायर किया गया थाः

"दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 के तहत बिजली विभाग, जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा पारित आदेश, जिसे दिल्ली विद्युत के साथ पढ़ा जाता है उपराज्यपाल के समक्ष उनके विचारों/सहमति के लिए रखे बिना बिजली वितरण कंपनियों के मंडल में नामित निदेशकों की नियुक्ति।"

3. 2016 की रिट याचिका (सी) No.348 (रमाकांत कुमार बनाम जीएनसीटीडी) में याचिकाकर्ता ने जांच आयोग का गठन करने वाले जांच आयोग

अधिनियम, 1952 के तहत सतर्कता निदेशालय, जीएनसीटीडी द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22.12.2015 को भी चुनौती दी थी।

4. उच्च निर्णय की खंड पीठ ने पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के बाद निर्णय के पैराग्राफ 304 में अपना निष्कर्ष और पैराग्राफ 305 में इसका परिणाम लेखबद्ध । कंडिका 304 और 305 नीचे दिए गए हैंः

"304. याचिकाओं के इस समूह के निष्कर्षों को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता हैः–

(i) संविधान के अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239 एए के साथ–साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य–निष्पादन नियम, 1993 के प्रावधानों को पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान (69 वां संशोधन) अधिनियम, 1991 के बाद भी दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है, जिसमें दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान करने वाले अनुच्छेद 239 एए को शामिल किया गया है।

(ii) संविधान का अनुच्छेद 239 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू है और अनुच्छेद 239 एए को शामिल करने से अनुच्छेद 239 के अनुप्रयोग को किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया गया है।

(iii) दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार का यह तर्क कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल केवल उन मामलों के संबंध में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं, जिनके संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 एए के खंड (3) (ए) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, तथ्यहीन है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(iv) संवैधानिक योजना के तहत मंत्रिपरिषद के निर्णय को उपराज्यपाल को सूचित करना अनिवार्य है, यहां तक कि ऐसे मामलों के संबंध में भी जिनमें से संविधान के अनुच्छेद 239 एए के खंड (3) (ए) के तहत दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है और उस पर आदेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब उपराज्यपाल एक अलग दृष्टिकोण नहीं रखते हैं और संविधान के अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) के परंतुक के संदर्भ में केंद्र सरकार के लिए किसी संदर्भ की आवश्यकता नहीं है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य–निष्पादन के अध्याय 5 के साथ पढ़ा जाता है।

(v) 'सेवाओं' से जुड़े मामले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के दायरे से बाहर हैं। इसलिए, आलोच्य अधिसूचना S.O.1368 (E) दिनांक 21.05.2015 में निर्देश कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल

'सेवाओं' से जुड़े मामलों के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और राष्ट्रपति द्वारा समय–समय पर उन्हें सौंपी गई सीमा तक कार्यों का निर्वहन करेंगे, न तो अवैध है और न ही असंवैधानिक है।

(vi) आलोच्य अधिसूचना S.O.1896 (E) दिनांक 23.07.2014 में निर्देश, जैसा कि अधिसूचना S.O.1368 (E) दिनांक 21.05.2015 में दोहराया गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक शाखा आरक्षी केंद्र, केंद्र सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराधों का कोई संज्ञान नहीं लेगा, संवैधानिक योजना के अनुसार है और इसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह शक्ति संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 2 (आरक्षी केंद्र) में पाई जाती है, जिसके संबंध में एन. सी. टी. डी. की विधानसभा को कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है।

(vii) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना No.F.5/DUV/Tpt./4/7 2015/9386–9393 दिनांक 11.08.2015 दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में सीएनजी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने से संबंधित कार्य के सभी पहलुओं की जांच के लिए जांच आयोग की नियुक्ति अवैध है क्योंकि इसे बिना किसी जांच के जारी किया गया था। लेन–देन नियम, 1993 के अध्याय 5 के साथ पठित

नियम 10 और नियम 23 के तहत उप–राज्यपाल के विचार/सहमति प्राप्त करना।

(viii) इन्हीं कारणों से अधिसूचना No. F.01/66/2015/DOV/15274–15281 दिनांकित 22.12.2015 दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के कामकाज में अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए जांच आयोग की नियुक्ति करने के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के सतर्कता निदेशालय द्वारा जारी दिनांक 15274–15281 को भी अवैध घोषित किया गया है।

(ix) दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री की सिफारिशों के आधार पर बी. एस. ई. एस. राजधानी पावर लिमिटेड, बी. एस. ई. एस. यमुना पावर लिमिटेड और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के मंडल में दिल्ली एन. सी. टी. सरकार के नामित निदेशकों की नियुक्ति, मुख्यमंत्री के निर्णय के बारे में दिल्ली एन. सी. टी. के उपराज्यपाल को उनके विचारों के बारे में सूचित किए बिना, अवैध है।

(x) दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार, बिजली विभाग द्वारा दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में व्यवधान और उसके संबंध में देय मुआवजे के संबंध में नीतिगत निर्देश जारी करना अवैध और असंवैधानिक है क्योंकि इस तरह के नीतिगत निर्देश दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र के उपराज्यपाल को उनके विचारों के लिए सूचित किए बिना जारी नहीं किए जा सकते हैं।

(xi) अधिसूचना No.F.1(1953)/Regn.Br./ Div.Com/HQ/2014/191 दिनांकित 04.08.2015 दिल्ली सरकार, राजस्व विभाग द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 27 की उप–धारा (3) और दिल्ली स्टाम्प (उपकरणों के कम मूल्यांकन की रोकथाम) नियम, 2007 के नियम 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया जिसमें कृषि भूमि की बिक्री/हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेज के लिए न्यूनतम दरों को संशोधित करना स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता का उद्देश्य अवैध हैं क्योंकि उक्त अधिसूचना संवैधानिक योजना के तहत आवश्यक दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल के विचार/सहमति के बिना जारी की गई थी।

(xii) यद्यपि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए सक्षम हैं, लेकिन इस तरह की शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 239 एए के खंड (4) के संदर्भ में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाना चाहिए।

305. परिणामस्वरुप डब्ल्यूपी (सी) No.5888/2015 को निरस्त कर दिया जाता है, डब्ल्यूपी (सी) Nos.7887 2015,7934/ 2015,8190/ 2015,8382/ 2015,8867/ 2015,9164/2015 और 348/2016 को

अनुमति दी जाती है और डब्ल्यूपी (आपराधिक) No.2099/2015 को निर्देशों के साथ निराकरण जाता है।"

5. निर्णय से व्यथित एन. सी. टी. डी. सरकार ने अपील दायर की है। जी. एन. सी. टी. डी. ने अपनी अपीलों में उच्च न्याया लय के फैसले निरस्त करने का अनुरोध किया है।

6. भारत संघ ने दो अपीलें दायर की हैं, अर्थात् 2017 की C.A.No.2364 ने 2015 की रिट याचिका (C) No.7934 और 2017 की दण्डिक अपील No.277 में डिवीजन बेंच के निर्णय पर सवाल उठाया है, जिसमें रिट याचिका (अपराध) के निर्णय 2015 का No.2099 पर सवाल उठाया गया है। 2015 का No.2099।

7. ये अपीलें एन. सी. टी. डी. (इसके बाद "एल. जी". के रूप में संदर्भित) के उपराज्यपाल की शक्ति के साथ एन. सी. टी. की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के संबंध में विधि के महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं।

8. अपीलों की सुनवाई के दौरान, इस न्याया लय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी कि अपीलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या के रूप में विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। खंड पीठ ने संविधान पीठ के गठन के

लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने के लिए निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"इन अपीलों की सुनवाई के दौरान हमारा ध्यान भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।मामलों और उपरोक्त प्रावधानों को देखने के बाद, हमारी राय है कि इन अपीलों की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा की जानी चाहिए क्योंकि इन मामलों में संविधान के अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या के बारे में विधि के पर्याप्त प्रश्न शामिल हैं।

रजिस्ट्री तदनुसार एक उपयुक्त संविधान पीठ के गठन के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष कागजात रखेगी।"

9. इस प्रकार ये अपीलें इस संविधान पीठ के समक्ष रखी गई हैं। शुरुआत में, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बीच यह सहमति हुई कि यह संविधान पीठ केवल संवैधानिक प्रश्नों का उत्तर दे सकती है और उसके बाद व्यक्तिगत अपीलों पर उचित नियमित पीठों द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. चिदंबरम, श्री गोपाल सुब्रमण्यम, डॉ. राजीव धवन, श्रीमती. इंदिरा जयसिंह और श्री शेखर नाफड़े भारत संघ की ओर से, भारत के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मनिंदर सिंह द्वारा

प्रस्तुतियां दी गई हैं।हमने पक्षकारों की ओर से उपस्थित अन्य विद्वान अधिवक्ताओं के साथ–साथ हस्तक्षेपकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को भी सुना है, जिनके लिए डॉ. ए. एम. सिंघवी और श्री अरविंद दातार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित हुए हैं। श्री सिद्धार्थ लूथरा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता , 2017 के सी. ए. NO.2360 में उत्तरदाता के लिए उपस्थित हुए हैं।

11. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से एक सामान्य लिखित निवेदन दायर किया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री मनिंदर सिंह ने भी भारत संघ और एन. सी. टी. डी. के उपराज्यपाल की ओर से लिखित निवेदन दायर किया है।

प्रस्तुतियां

12. जी. एन. सी. टी. डी. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इन अपीलों में विचार के लिए उत्पन्न विभिन्न संवैधानिक मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर जोर दिया है और उन पर प्रकाश डाला है।– उनके प्रस्तुतिकरणों को इसके बाद जी. एन. सी. टी. डी. की ओर से सामान्य प्रस्तुतिकरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एन. सी. टी. डी. संविधान (69 वां संशोधन) अधिनियम, 1991 के अनुसार अनुच्छेद 239 ए. ए. और 239 ए. बी. को शामिल करने के आधार पर संवैधानिक न्यायशास्त्र में एक अनूठा स्थान

रखता है। हालांकि अभी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, एन. सी. टी. डी. ने विभिन्न विशेषताओं को प्राप्त किया है जो 69 वें संशोधन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1991 (जिसे इसके बाद "1991 अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) से पहले थे, जिन्हें संविधान के तहत केवल राज्यों की विशेषताओं के रूप में माना जाता है। परिणामस्वरुप, जी. एन. सी. टी. डी. को किसी भी अन्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की तुलना में कहीं अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। एन. सी. टी. डी. ए. के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों और संसदीय अधिनियमों का इतिहास यह स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि 69 वां संशोधन और 1991 का अधिनियम पारित किया गया था जिसका उद्देश्य एन. सी. टी. डी. के निवासियों को एन. सी. टी. डी. के शासन में उचित भागीदारी देना था, जो लोकतंत्र का सच्चा और गहरा रूप है। अनुच्छेद 239 एए का उद्देश्य किसी भी श्रेणीबद्ध संरचना को पूरी तरह से समाप्त करना था जो कार्यात्मक रूप से दिल्ली के उपराज्यपाल (जिसे इसके बाद "एलजी" के रूप में संदर्भित किया गया है) को मंत्रिपरिषद से बेहतर स्थिति में रखता था, विशेष रूप से कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के संबंध में। अनुच्छेद 239 एए के अनुसार, वेस्टमिंस्टर शैली पर सरकार की एक कैबिनेट प्रणाली दिल्ली में शुरू की गई थी और एलजी को विधान सभा और मंत्रिपरिषद को सौंपे गए मामलों के संबंध में केवल एक नाममात्र का प्रमुख बनाया गया था। 1963 के अधिनियम और 1966 के अधिनियम के समान भाषा को अनुच्छेद 239 एए के शब्दों से स्पष्ट और जानबूझकर हटाने और "सहायता

और सलाह" के स्थान पर कला "सहायता और सलाह" शब्द के माध्यम से, 69 वें संविधान संशोधन ने एलजी की सहमति की आवश्यकता को जानबूझकर दूर कर दिया और इसके तहत बनाई गई मंत्रिपरिषद को एन. सी. टी. डी. को नियंत्रित करने की अनुमति दी। अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों की व्याख्या संविधान की मूल संरचना को आगे बढ़ाने के रूप में की जानी चाहिए, इस न्यायालय द्वारा हमेशा एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाया गया है। विद्वान अधिवक्ताओं ने "संवैधानिक मौन और परंपरा के सिद्धांत" पर भी भरोसा किया है।**13**. यह तर्क दिया जाता है कि संघवाद संविधान की मूल संरचना है। संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो संविधान द्वारा विचार किए गए संघीय ढांचे को मजबूत कर सके। उत्तरदाता की यह दलील कि अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों को कड़ाई से पाठ्य तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, सही नहीं है। हमारा संवैधानिक न्यायशास्त्र इस न्यायालय के कई फैसलों से एक पाठ्य से संवैधानिक व्याख्या के अधिक उद्देश्यपूर्ण और जैविक तरीके की ओर बढ़ गया है।

14. 69 वें संवैधानिक संशोधन ने एन. सी. टी. डी. के लिए वेस्टमिंस्टर शैली की सरकार स्थापित की। संवैधानिक प्रमुख अपनी मंत्रिपरिषद की "सहायता और सलाह" से बाध्य होगा, यह इस बात की परवाह किए बिना होगा कि संवैधानिक प्रमुख कौन है, चाहे वह राष्ट्रपति हो, राज्य के राज्यपाल हो या तार्किक अंत तक

उपराज्यपाल हो। एन. सी. टी. डी. के प्रकरण में, एक लोकतांत्रिक विधायी निकाय के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि 69 वें संवैधानिक संशोधन, यानी दिल्ली में संवैधानिक रूप से अनिवार्य लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत के कथित इरादे को उचित सम्मान देने के लिए मंत्रिपरिषद की "सहायता और सलाह" एल. जी. पर बाध्यकारी हो।

15. यह याचिकाकर्ता का प्रकरण है कि जी. एन. सी. टी. डी. की कार्यकारी शक्तियों की सीमा को अनुच्छेद 239 ए. ए. (4) के साथ पठित अनुच्छेद 239 ए. ए. (3) के प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन के माध्यम से समझा जा सकता है। जी. एन. सी. टी. डी. के पास विधानसभा की विधायी क्षमता के दायरे में आने वाले मामलों के संबंध में विशेष कार्यकारी शक्तियां हैं। इन मामलों के संबंध में न तो राष्ट्रपति और न ही केंद्र सरकार के पास दिल्ली में कोई कार्यकारी शक्तियां हैं और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल की इस संबंध में कोई भूमिका या शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 239 एए (3) दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18 और समवर्ती सूची के सभी विषयों से संबंधित प्रविष्टियों 1, 2, 18 और प्रविष्टियों 64, 65 और 66 को छोड़कर सभी पर विधायी शक्तियां देता है। अनुच्छेद 239 एए (4) के तहत मंत्रिपरिषद का कार्यकारी अधिकार क्षेत्र एक ही है। इसके अलावा, अनुच्छेद 239 एए केवल सीमित क्षेत्र में केंद्रीय संसद और केंद्र सरकार की प्रधानता को सुरक्षित रखता है। यह अनुच्छेद 239 एए (3)

(बी) के प्रावधानों से स्पष्ट है। संसद की विधायी शक्तियों की प्रधानता इस प्रावधान द्वारा सुरक्षित है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एन. सी. टी. के संबंध में दिल्ली सरकार की तुलना में केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति को संरक्षित करता हो। इस प्रकार, अनुच्छेद 239 एए (3) (बी) दिल्ली के लिए संसद की विधायी शक्तियों को सचेत रूप से संरक्षित करता है, जैसा कि उन्होंने अनुच्छेद 246 के तहत सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्राप्त किया था। इसके अलावा यह जानबूझकर केंद्र को सामूहिक कार्यकारी शक्तियां देने से बचाता है, और अनुच्छेद 73 केवल राज्य सूची के तीन आरक्षित विषयों के संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्ति देने के लिए काम करेगा।

16. अनुच्छेद 239 एए (4) के परंतुक की व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि परंतुक का उद्देश्य उपराज्यपाल के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह के गुण–दोष पर अलग दृष्टिकोण रखना नहीं है और इसका उद्देश्य केवल उन स्थितियों से निपटना है जहां मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह उनके लिए संवैधानिक रूप से निर्धारित क्षेत्रों से परे है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त परंतुक निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करता है, जहां एन. सी. टी. डी. के मंत्रिपरिषद का निर्णयः–

क. अनुच्छेद 239 एए (4) के तहत कार्यकारी शक्ति की सीमा से बाहर है;

ख. संघ की कार्यकारी शक्ति के वैध प्रयोग में बाधा डालता है या पूर्वाग्रह पैदा करता है;

ग. संसद के कानूनों के विपरीत है

घ. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य–निष्पादन नियम, 1993 के नियम 23 के अंतर्गत आता है जैसे –

i. ऐसे मामले जो राजधानी की शांति और स्थिरता को प्रभावित करते हैं।ii. किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के हित;

iii.उच्च न्यायपालिका के साथ संबंध;

iv.प्रशासनिक महत्व के कोई अन्य मामले जिन्हें मुख्यमंत्री आवश्यक समझता हो।

17. अनुच्छेद 239 एए (4) और परंतुक के समग्र अध्ययन से पता चलता है कि परंतुक मौजूद है क्योंकि मानक एलजी के लिए एन. सी. टी. डी. की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य होना है। इस मानक को केवल परंतुक की प्रयोज्यता के लिए ऊपर निर्धारित परिस्थितियों में ही हटाया जा सकता है।

18. यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1991 के अधिनियम के साथ–साथ नियमों का उपयोग संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए नहीं किया जा सकता है, बल्कि वे शासन की योजना को प्रतिबिंबित कर रहे हैं।"सेवाएँ" क्रमशः दिल्ली

विधानसभा और जी. एन. सी. टी. डी. के विधायी और कार्यकारी क्षेत्रों में आती हैं।

19. श्री मनिंदर सिंह, भारत के लिए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का जवाब देते हुए तर्क देते हैं कि संविधान की व्याख्या करते समय न्यायालयों को संवैधानिक प्रावधानों के स्पष्ट और शाब्दिक अर्थ को प्रभावी बनाना चाहिए। 239 एए के प्रावधानों की स्पष्ट/शाब्दिक व्याख्या से न तो कोई अस्पष्टता है और न ही कोई बेतुकी बात उत्पन्न होती है। जी. एन. सी. टी. डी. से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को भारत के संविधान के तहत एन. सी. टी. डी. के लिए शासन की सावधानीपूर्वक परिकल्पित योजना को ध्यान में रखते हुए जोड़ा गया है।संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में प्रत्येक विषय में संघ की विशिष्ट विशेषताओं के साथ–साथ विशेष जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए सभी मामलों के संबंध में विधायी और कार्यकारी दोनों क्षेत्रों में संघ की शक्तियों को बनाए रखने के लिए जानबूझकर "किसी भी मामले" के व्यापक शब्दों का उपयोग किया है।उक्त प्रावधानों की प्रतिबंधात्मक व्याख्या की मांग करने वाला कोई भी विवाद इस न्याया लय द्वारा निर्धारित विधि को देखते हुए अस्वीकार्य है। इस तरह का कोई भी विवाद न केवल दिल्ली के लिए परिकल्पित संवैधानिक योजना के विपरीत होगा, बल्कि संविधान निर्माताओं के इरादे के भी विपरीत होगा जिसमें जिसमें

राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन में संघ की जिम्मेदारी और सर्वोच्चता पर जोर देने के लिए व्यापक संभव भाषा का उपयोग किया गया हो ।

20. संवैधानिक मौन या संवैधानिक निहितार्थ के सिद्धांतों के आधार पर विवाद जो व्यक्त प्रावधानों द्वारा परिकल्पित संवैधानिक योजना के विपरीत है, को खारिज करना होगा। बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट जो 69 वें संविधान संशोधन की नींव थी, संविधान निर्माताओं के इरादे पर प्रकाश डालती है।

21. अनुच्छेद 239 संविधान के भाग VIII के तहत सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परिकल्पित संवैधानिक योजना का एक अभिन्न/अविभाज्य हिस्सा है, और इसे दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 239 एए के साथ पढ़ा जाना है। अनुच्छेद 239 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है जब इसे अनुच्छेद 239 एए के साथ पढ़ा जाता है, जिस तरह से यह अनुच्छेद 239 ए के प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है तो यह पांडिचेरी पर लागू होता है।

22. श्री मनिंदर सिंह ने अपनी प्रस्तुति के दौरान अपने दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट के विभिन्न अनुच्छेदों का उल्लेख किया है।

23. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब अनुच्छेद 239 एए (3) (ए) यह निर्धारित करता है कि दिल्ली विधानसभा को भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II और सूची III में प्रदान किए गए विषय मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी, तो यह विशेष रूप से दिल्ली विधानसभा की विधायी शक्तियों को उन विषय मामलों तक सीमित करता है जो "केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं।" संविधान में परिकल्पना की गई है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो और सूची तीन में कुछ ऐसे विषय शामिल हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते हैं। संविधान निर्माताओं का इरादा यह है कि जब सातवीं अनुसूची की सूची द्वितीय और सूची तृतीय में निहित विषय दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के लिए उपलब्ध हो जाएँ, तब भी उक्त सूचियों में विषय जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होते हैं, वे दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और इसकी विधायी शक्तियों से परे होंगे।

24. अनुच्छेद 246 (4) में प्रावधान है कि दिल्ली और किसी भी अन्य क्षेत्र, जो एक राज्य नहीं है, सहित सभी केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संसद को किसी भी मामले पर कानून बनाने की शक्ति है, अर्थात सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों में निहित सभी विषय मामले। यह स्वतंत्र अलग प्रावधान एक बार फिर

सभी विषयों पर केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में केंद्र की अंतिम/अंतिम जिम्मेदारी को मान्यता देता है।

25. चूँकि अनुच्छेद 73 (1) (ए) के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति, और जो अनुच्छेद 53 के तहत भारत के राष्ट्रपति में निहित है, उन सभी विषयों तक फैली हुई है जिन पर संसद को केंद्र शासित प्रदेश में कानून बनाने की शक्ति है, संघ की कार्यकारी शक्ति किसी भी मामले तक फैली हुई है, अर्थात सातवीं अनुसूची की तीनों सूचियों में निहित सभी विषय मामले और केंद्र शासित प्रदेश एन. सी. टी. दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति में निहित रहती है।

26. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 239 एए (4) का परंतुक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासन के संबंध में संघ की अंतिम/अंतिम जिम्मेदारी और निरंतर नियंत्रण को फिर से लागू करता है और मान्यता देता है। संविधान निर्माताओं ने परिकल्पना की है कि प्रत्येक विषय के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों के कारण, केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन के संबंध में किसी भी मामले के संबंध में कोई भी निर्णय लेना आवश्यक हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी के दिन–प्रतिदिन के कामकाज के संबंध में भी ऐसी आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है।

27. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 239 एए (4) के परंतुक में जानबूझकर "किसी भी मामले" के व्यापकतम वाक्यांश का उपयोग किया है। इस न्याया लय की संविधान पीठ ने **तेज किरण जैन और अन्य बनाम एन. संजीव रेड्डी और अन्य (1970) 2 एस. सी. सी.** 272 का प्रकरण, me स्पष्ट रूप से माना है कि संविधान में "कुछ भी" के संबंध में उपयोग किए गए "कोई भी" शब्द का अर्थ "सब कुछ" होगा। उक्त सिद्धांत से यह बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि अनुच्छेद 239 एए में उपयोग किए गए वाक्यांश "कोई भी मामला" का अर्थ अनिवार्य रूप से और असाधारण रूप से "हर मामला" होगा। इसके अलावा, केवल ऐसी व्याख्या ही इच्छित उद्देश्य और इस आवश्यकता को सुनिश्चित करेगी कि यदि आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो संघ को किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से रोका न जाए।

28. आगे यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि अनुच्छेद 239 एए (4) के परंतुक को "अपवाद" के रूप में व्याख्या करने के योग्य नहीं होगा। यह कोई अपवाद नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक जनादेश की पुनरावृत्ति है। संवैधानिक अधिदेश यह है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी मामलों के संबंध में संघ का व्यापक नियंत्रण होगा। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मंत्रिपरिषद में किसी भी विशेष कार्यकारी शक्ति का कोई निशान नहीं है। कार्यकारी शक्ति का अवशेष राष्ट्रपति के

पास बना हुआ है। परंतुक अनुच्छेद 239 एए (4) के प्रावधान को नियंत्रित कर रहा है, जो संघ के व्यापक नियंत्रण को दोहराता है, और कोई अपवाद नहीं है। परंतुक संघ की सर्वोच्चता के संवैधानिक जनादेश को इंगित करता है। उत्तरदातागण के विनम्र निवेदन में, परंतुक की किसी भी प्रतिबंधात्मक व्याख्या की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और अनुच्छेद 239 एए (4) के परंतुक में निहित स्पष्ट संवैधानिक जनादेश का पालन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी के प्रकरण में।

29. यह अत्यंत सम्मानपूर्वक दोहराया जाता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए शासन की एकात्मक योजना की परिकल्पना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है कि केंद्र शासित प्रदेशों विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का प्रशासन राष्ट्रपति/केंद्र की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार एक जिम्मेदार सरकार है, जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है। राष्ट्रीय राजधानी पूरे देश के लोगों की है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जी. एन. सी. टी. डी. के प्रशासन के संबंध में 1991 के अधिनियम और व्यापार लेनदेन नियम, 1993 के विभिन्न प्रावधानों का भी उल्लेख किया है और उन पर भरोसा किया है।

30. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अपनी प्रस्तुति में यह भी तर्क दिया कि ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जिनमें उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति का संदर्भ दिया है

और वास्तव में काम कर रहे उपराज्यपाल ने न तो फाइलों को रोका है और न ही जी.एन.सी.टी.डी द्वारा लिए गए निर्णयों में कोई अन्य बाधा है। वे प्रस्तुत करते हैं कि विभिन्न अवसरों पर मंत्रिपरिषद/मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों को उपराज्यपाल को बताए बिना, जी. एन. सी. टी. डी. उस निर्णय को लागू करना शुरू कर देता है जो अनुच्छेद 239ए. ए. द्वारा चित्रित शासन की योजना के अनुसार नहीं है। 1991 अधिनियम और व्यापार लेनदेन नियम, 1993।

31. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपनी–अपनी दलीलों के समर्थन में इस न्यायालय और विदेशी न्यायालयों के बड़ी संख्या में निर्णयों पर भरोसा किया है। संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार करते समय इस न्याया लय और अन्य न्यायालयों के प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी का महत्व

32. "कैपिटल" शब्द लैटिन शब्द "कैपुट" से लिया गया है जिसका अर्थ है सिर और राजधानी के विचार से जुड़ी एक निश्चित प्रधानता की स्थिति को दर्शाता है। दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है। इस प्रकरण के उद्देश्यों के लिए दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। ब्रिटिश काल के दौरान कलकत्ता बंगाल की प्रांतीय सरकार के साथ–साथ केंद्र सरकार दोनों का केंद्र था। बंगाल के राज्यपाल और गवर्नर–जनरल के बीच अधिकारियों और अधिकार क्षेत्र के बारे में संघर्ष में लंदन में राज्य सचिव के ध्यान में लाया गया था। लॉर्ड

हार्डिंग ने अपने 25.08.1911 के प्रेषण में इस बात पर जोर दिया कि "एक महान केंद्रीय सरकार की राजधानी अलग और स्वतंत्र होनी चाहिए, और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इस सिद्धांत को प्रभाव दिया गया है।" राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया जिसकी घोषणा 12.12.1911 पर की गई थी। एक सरकारी अधिसूचना No.911 दिनांक 17.09.1912 जारी की गई थी जिसके तहत गवर्नर–इन–काउंसिल ने दिल्ली की तहसील और महरौली के आरक्षी केंद्र स्टेशन वाले क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया था जो पहले पंजाब प्रांत में शामिल थे। अधिसूचना में एक मुख्य आयुक्त के तहत एक अलग प्रांत के रूप में क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया था।दिल्ली विधि अधिनियम, 1911 और दिल्ली विधि अधिनियम, 1915 ने दिल्ली के मुख्य आयुक्त के प्रांत वाले क्षेत्रों में लागू कानूनों को जारी रखने और ब्रिटिश भारत के किसी भी हिस्से में लागू अन्य अधिनियमों को गवर्नर–जनरल–इन–काउंसिल द्वारा दिल्ली तक विस्तारित करने के लिए प्रावधान किए। 1915 में, 65 गाँवों वाले यमुना पार क्षेत्रों को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांतों से अलग कर दिया गया और दिल्ली के मुख्य आयुक्त के साथ जोड़ा गया।

भारत के संविधान के प्रवर्तन के बाद दिल्ली का प्रशासन।

33. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने दिल्ली के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी भौतिक परिवर्तन को प्रभावित नहीं किया और यह पहले की तरह एक मुख्य आयुक्त का प्रांत बना रहा जो सीधे उपराज्यपाल द्वारा प्रशासित था "उस हद तक कार्य कर रहा था जो वह एक मुख्य आयुक्त के माध्यम से उचित समझता है।" दिल्ली सहित मुख्य आयुक्त के प्रांतों में प्राप्त प्रशासनिक संरचना में आवश्यक संवैधानिक परिवर्तनों का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए डॉ. सीतारामय्या की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई थी। समिति ने सिफारिश की कि दिल्ली, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, हिमाचल प्रदेश सहित कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और ऐसे अन्य प्रांत इस प्रकार नामित किया जा सकता है जैसा कि उपराज्यपाल का प्रांत होगा। रिपोर्ट पर संविधान सभा में बहस हुई थी जब अनुच्छेद 212 और 212 (जिसे 239–240 के रूप में अपनाया गया था) के मसौदे पर बहस हुई थी।जब 26 जनवरी, 1950 से संविधान लागू किया गया था, तो भारत के संविधान की योजना जिसमें अनुच्छेद 1 से 4, भारत का क्षेत्र शामिल था, भाग 'ए', भाग 'बी', भाग 'सी' और भाग 'डी' राज्यों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भाग 'ए' और भाग 'बी' राज्यों के संबंध में, संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के ऊर्ध्वाधर विभाजन की परिकल्पना की, जिसमें भाग 'सी' और 'डी' राज्यों, संविधान ने ऐसी संरचना प्रदान की थी जिसके तहत केंद्र सरकार ने कार्यपालिका और विधायी दोनों क्षेत्रों में शक्ति बरकरार रखी थी। भाग 'सी' राज्यों को केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र भी कहा

गया था जिसमें दिल्ली भी शामिल था।संसद ने भाग सी राज्यों की सरकार अधिनियम, 1951 अधिनियमित किया, जिसके तहत मुख्य आयुक्त को सहायता और सलाह देने का प्रावधान किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आई. डी. 1 पर की गई थी, जिसने भाग 'सी' राज्यों के कामकाज के विषय को भी लिया था।राज्य पुनर्गठन आयोग ने दिल्ली के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्ट तैयार की:

"584. अगर दिल्ली को संघ की राजधानी के रूप में बने रहना है, तो उसे भारतीय संघ की पूर्ण घटक इकाई का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा सकता है, इसके कारणों पर विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि सरकार की एकात्मक प्रणाली के तहत, राष्ट्रीय राजधानियों को एक विशेष व्यवस्था के तहत रखने की सामान्य प्रथा है। उदाहरण के लिए, फ्रांस में अन्य नगर पालिकाओं की तुलना में पेरिस पर अधिक केंद्रीय नियंत्रण है। इंग्लैंड में, महानगरीय क्षेत्र का पुलिस प्रशासन सीधे गृह सचिव के नियंत्रण में है, जो अन्य नगरपालिका क्षेत्रों के संबंध में समान शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है।प्रत्येक देश या शहर के लिए विशिष्ट कारणों के अलावा, राष्ट्रीय राजधानियों के संबंध में विशेष व्यवस्था की आवश्यकता वाले कुछ सामान्य विचार हैं।राजधानी शहर कुछ हद तक राजनीतिक और सामाजिक प्रभुत्व रखते हैं या रखते हैं।ये राष्ट्रीय सरकारों की सीटें हैं, जिनमें इन सरकारों की काफी संपत्ति है।इन राजधानियों में

विदेशी राजनयिक मिशन और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां स्थित हैं।वे राष्ट्रीय संस्कृति और कला के केंद्र भी बन जाते हैं।जहाँ तक संघीय राजधानियों का संबंध है, वहाँ एक अतिरिक्त विचार भी है।शक्तियों का कोई भी संवैधानिक विभाजन, यदि यह राष्ट्रीय सरकारों के पदों पर काम करने वाली इकाइयों पर लागू होता है, तो शर्मनाक स्थितियों को जन्म देना तय है।अन्य देशों में अभ्यास, प्रशासनिक आवश्यकता और परस्पर विरोधी क्षेत्राधिकारों से बचने की वांछनीयता, सभी संघीय राजधानियों पर राष्ट्रीय सरकारों द्वारा प्रभावी नियंत्रण की आवश्यकता की ओर इशारा करते हैं।"

34. राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर, 7 वां संशोधन अधिनियम, 1956 पारित किया गया, संशोधन भाग 'सी' के तहत राज्यों का नाम बदलकर केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। दिल्ली, भाग 'सी' वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया और विधानसभा और मंत्रिपरिषद ने दिनांक 01.11.1956 से कार्य करना बंद कर दिया। 7 वें संशोधन के बाद, दिल्ली के प्रशासन के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया, दिल्ली नगर

निगम अधिनियम, 1957 को संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसमें दिल्ली के निवासियों द्वारा चुने जाने वाले सभी निर्वाचन क्षेत्रों से पार्षदों के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान था। संविधान के 14 वें संशोधन अधिनियम, 1962 द्वारा, अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया था जो संसद को उसमें निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों बनाने के लिए विधि बनाने में सक्षम बनाता था। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को अनुच्छेद 239 ए में केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शामिल नहीं किया गया था। संसद ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 लागू किया। दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 को संसद द्वारा दिल्ली महानगर परिषद के एक निर्वाचित निकाय का प्रावधान करने के लिए पारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के प्रशासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गौर करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने मामलों के सभी पहलुओं के बारे में दो साल तक अध्ययन करने के बाद गृह मंत्री को दिनांक 14.12.1989 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति की रिपोर्ट को आमतौर पर बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। रिपोर्ट S.Balakrishnan प्रस्तुत करते समय, संक्षेप में, गृह मंत्री को संबोधित अपने दिनांकित 14.12.1989 पत्र में समिति को दिए गए कार्य को निम्नलिखित शब्दों में रेखांकित किया गया हैः

“राष्ट्रीय राजधानी के लिए सरकार की एक उचित संरचना तैयार करने का कार्य, विशेष रूप से हमारे जैसे संघीय ढांचे वाले देश के लिए, दो परस्पर विरोधी आवश्यकताओं के कारण हमेशा कठिन साबित हुआ है। एक ओर, राष्ट्रीय राजधानी का प्रभावी प्रशासन राष्ट्रीय सरकार के लिए न केवल उच्च स्तर की सुरक्षा और उच्च स्तर की प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि केंद्र सरकार को अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, सरकार में भागीदारी के लोकतांत्रिक अधिकार के लिए राजधानी शहर की बड़ी आबादी की वैध मांग शहरी स्तर बहुत महत्वपूर्ण है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमने

दिल्ली के लिए एक सरकारी संरचना तैयार करने का प्रयास किया है जो हमें उम्मीद है कि इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करेगी।”

35. बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट में इस देश की राजधानी दिल्ली के प्रशासन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया। "कुछ देशों में राष्ट्रीय पूंजी प्रशासन" का अध्ययन करते हुए, अध्याय V में, समिति ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और यूनाइटेड किंगडम सहित विभिन्न मॉडलों की जांच की। पैराग्राफ 5.7.3 में विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के बाद निम्नलिखित देखा गया हैः

“ 5.7.3 उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाएगा कि दुनिया के कई देशों में यह माना गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के मामलों पर राष्ट्रीय सरकार का अंतिम नियंत्रण और अधिकार होना चाहिए। साथ ही, उन देशों में एक प्रतिनिधि निकाय के माध्यम से राजधानी में लोगों को प्रभावित करने वाले प्रशासन के क्षेत्रों के साथ जोड़ने के सिद्धांत को स्वीकार करने की एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति है। इन दोनों विचारों के बीच संतुलन हासिल करने में कठिनाई के कारण, राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक उपयुक्त सरकारी संरचना विकसित करने की समस्या कई देशों में विशेष रूप से संघीय प्रकार की सरकार वाले देशों में कठिन साबित हुई है।“

36. समिति के समक्ष दिल्ली को राज्य का दर्जा देने के तर्कों के साथ-साथ राज्य के दर्जे के खिलाफ तर्कों पर ध्यान दिया गया। समिति ने प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद पैराग्राफ 6.5.9 और 6.5.10 में निष्कर्ष निकाला।:

" 6.5.9 हम इस तर्क से भी प्रभावित हैं कि राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली समग्र रूप से राष्ट्र की है और संघ का कोई भी घटक राज्य जिसका दिल्ली एक हिस्सा बन जाएगा, जल्द या बाद में अन्य राज्यों के संबंध में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करेगा। रोजमर्रा के मामलों में संघ के हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त संवैधानिक अधिकार, यद्यपि उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हो सकते हैं, संघ के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, जिससे उसके राष्ट्रीय कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

6.5.10 पूर्वगामी चर्चा के आलोक में हमारा निष्कर्ष यह है कि यह राष्ट्रीय हित में नहीं होगा और दिल्ली में संघ के एक पूर्ण घटक राज्य के रूप में व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए स्वयं दिल्ली के हितों को खारिज करना होगा। हम उसी के अनुसार अनुशंसा करते हैं।"

37. "प्रस्तावित संरचना की मुख्य विशेषताओं" पर चर्चा करते हुए पैराग्राफ 6.7.1 और 6.7.2 में निम्नलिखित कहा गया था।:

" 6.7.1 पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारी अनुशंसा के परिणामस्वरूप कि दिल्ली को एक विधान सभा और एक मंत्रिपरिषद प्रदान की जानी चाहिए, जिन मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए वे हैं:

(छ) इन निकायों को प्रदान की जाने वाली या सौंपी जाने वाली शक्तियों और जिम्मेदारियों की सीमा, यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय कि संघ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और संरचना की अन्य मुख्य विशेषताओं के निर्वहन में बाधित न हो; और

(ज) संरचना में प्रस्तावित परिवर्तन जिस तरीके से किए जाने चाहिए, वह है, चाहे वे संविधान में संशोधन द्वारा हों या संसदीय विधि द्वारा या दोनों के संयोजन द्वारा।

अब हम आगामी पैराग्राफों में ऊपर आइटम (i) में दिए गए मुदे चर्चा करेगें । तथा आइटम (ii) में चर्चा अध्याय 7 में की जाएगी।

6.7.2 जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, दिल्ली के लिए किसी भी सरकारी व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संघ और दिल्ली प्रशासन के बीच शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों के संवैधानिक विभाजन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के संबंध में अपनी विशेष जिम्मेदारियों के निर्वहन में संघ किसी भी तरह से बाधित या बाधित न हो। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका संविधान के उद्देश्यों के लिए दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखना है। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 246 (4) में प्रावधान स्वचालित रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि संसद के पास राज्य सूची से संबंधित मामलों सहित सभी मामलों पर दिल्ली के लिए कानून बनाने की समवर्ती और प्रबल शक्तियां हैं। तदनुसार, संघ, कार्यपालिका मामले को नियंत्रित करने वाले किसी भी केंद्रीय विधि के प्रावधानों के अधीन ऐसे सभी मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। इसलिए, हम अनुशंसा करते हैं कि एक विधान के निर्माण के बाद भी दिल्ली के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद को संविधान के उद्देश्यों के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए।"

38. बालकृष्णन समिति द्वारा कई अन्य सिफारिशें की गईं, जिसके कारण संविधान में 69 वां संशोधन किया गया। संविधान 69 वें संशोधन के कथन और उद्देश्यों में संविधान संशोधन के उद्देश्य और उद्देश्य पर ध्यान दिया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

"उद्देश्यों और कारणों का विवरण

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था के पुनर्गठन का प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार ने दिनांक 24.12.1987 को दिल्ली के प्रशासन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गौर करने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए अन्य उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने इस मामले में बहुत विस्तार से चर्चा की और विभिन्न व्यक्तियों, संघों, राजनीतिक दलों और अन्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने और अन्य देशों की राष्ट्रीय राजधानियों में एक संघीय व्यवस्था और संविधान सभा में बहस के साथ-साथ पूर्व समितियों और आयोगों की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए मुद्दों पर विचार किया। इस तरह की विस्तृत जांच और परीक्षण के बाद, इसने सिफारिश की कि दिल्ली को एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए और आम आदमी के लिए चिंता के मामलों से निपटने के लिए उचित शक्तियों के साथ ऐसी विधानसभा के लिए जिम्मेदार एक विधान सभा और एक मंत्रिपरिषद प्रदान की जानी चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी को केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक विशेष दर्जा देने के लिए संविधान में व्यवस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

2. विधेयक उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।"

39. 69 वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 एए और अनुच्छेद 239 एबी को जोड़ा गया। अनुच्छेद 239 एए और 239 एबी जिन अनुच्छेदों को इन अपीलों में विचार के लिए लिया गया है, वे इस प्रकार हैं:

"अनुच्छेद **239** एए **(**दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान**)**

1. संविधान के प्रारंभ की तिथि से (उनहत्तरवें संशोधन) अधिनियम, 1991, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (इसके बाद इस

भाग में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में संदर्भित) कहा जाएगा और अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त इसके प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा।

2(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी और ऐसी विधानसभा में सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा भरी जाएंगी।

(ख) विधान सभा में सीटों की कुल संख्या, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन (ऐसे विभाजन के आधार सहित) और विधान सभा के कामकाज से संबंधित अन्य सभी मामलों को संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(ग) अनुच्छेद 324 से 327 और 329 के प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे क्रमशः किसी राज्य, राज्य की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं; और अनुच्छेद 326 और 329 में "उपयुक्त विधानमंडल" के लिए कोई भी संदर्भ संसद के लिए एक संदर्भ माना जाएगा।

3(क) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विधान सभा को राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी, जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, राज्य सूची की प्रविष्टियों 1, 2 और 18 और उस सूची की प्रविष्टियों 64, 65 और 66 के संबंध में मामलों को छोड़कर जहां तक वे उक्त प्रविष्टियों 1, 2 और 18 से संबंधित हैं।

(ख) उपखंड (क) की कोई भी बात इस संविधान के तहत किसी केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्तियों का हनन नहीं करेगी।

(ग) यदि किसी मामले के संबंध में विधान सभा द्वारा बनाए गए विधि का कोई प्रावधान उस मामले के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए विधि के किसी प्रावधान के प्रतिकूल है, तो विधि सभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके बाद या विधि सभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न किसी पूर्ववर्ती विधि से पारित किया गया, तो दोनों ही मामलों में, संसद द्वारा बनाई गई विधि, या, प्रकरण ऐसी पूर्ववर्ती विधि प्रबल होगी और विधि सभा द्वारा बनाई गई विधि, तिरस्कार की सीमा तक, शून्य होगीः बशर्ते कि यदि विधि सभा द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित की गई है और उसे उसकी सहमति मिल गई है, तो ऐसी विधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रबल होगीः बशर्ते कि इस उपखंड की कोई भी बात संसद को किसी भी समय उसी मामले के संबंध में कोई विधि बनाने से नहीं रोकेगी, जिसमें विधान सभा द्वारा इस तरह बनाए गए विधि को जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या निरस्त करने वाली विधि भी शामिल है।

4. विधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री उन मामलों के संबंध में अपने कार्यों के प्रयोग में उपराज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए होगा, जिनके संबंध में विधान सभा को विधि बनाने की शक्ति है, सिवाय इसके कि जहां तक वह किसी विधि द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से कार्य करने के लिए अपेक्षित हैः बशर्ते कि किसी मामले पर उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में, उपराज्यपाल इसे राष्ट्रपति के पास भेजेगा और ऐसा निर्णय लंबित रहने तक यह उपराज्यपाल के लिए किसी भी मामले में सक्षम होगा जहां प्रकरण, उनकी राय में, इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना, ऐसी कार्रवाई करना या मामले में ऐसा निर्देश देना आवश्यक है जो वह आवश्यक समझे।

5. मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी और मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर बने रहेंगे।

6. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

7(क) विधि द्वारा, पूर्वगामी खंडों में निहित प्रावधानों को प्रभावी बनाने या पूरक बनाने के लिए और उनके सभी आनुषंगिक या परिणामी मामलों के लिए प्रावधान कर सकती है।

(ख) ऐसी कोई विधि जो उपखंड (क) में निर्दिष्ट है, अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस विधि का संशोधन नहीं मानी जाएगी, इसके बावजूद कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान है जो इस विधि में संशोधन करता है या जिसका इस विधि में संशोधन करने का प्रभाव है।

8. अनुच्छेद 239 ख के प्रावधान, जहां तक हो सके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उपराज्यपाल और विधान सभा के संबंध में लागू होंगे, जैसा कि वे क्रमशः संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी, प्रशासक और उसके विधानमंडल के संबंध में लागू होते हैं; और उस अनुच्छेद में "खंड (1) या अनुच्छेद 239 क" के किसी भी संदर्भ को इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 239 कब का संदर्भ माना जाएगा, जैसा भी प्रकरण हो।

अनुच्छेद **239** एबी **(**संवैधानिक राजशाही की विफलता के प्रकरण में प्रावधान**)**

यदि राष्ट्रपति, उपराज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा संतुष्ट हो जाता है -

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के अनुसार नहीं किया जा सकता है; या

(ख) कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 239 एए के किसी

भी प्रावधान या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी भी विधि के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है और ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट की जाएं और ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान कर सकता है जो उसे अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239एए के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

संवैधानिक व्याख्या के सिद्धांत

40. इससे पहले कि हम अनुच्छेद 239एए द्वारा निरूपित योजना की जांच करने के लिए आगे बढ़ें, संविधान की व्याख्या के लिए स्वीकार किए गए सिद्धांतों पर एक अवलोकन होना आवश्यक है। इससे पहले कि हम संवैधानिक व्याख्या के लिए स्वीकृत सिद्धांतों पर ध्यान दें, हम डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के भविष्यसूचक शब्दों पर ध्यान देना चाहते हैं जहाँ डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान के मसौदे पर दिनांक 25.11.1949 पर समापन बहस में निम्नलिखित बयान दिया थाः

"……क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना यद्यपि अच्छा क्यों न हो, इसका बुरा होना निश्चित है क्योंकि जिन लोगों को इसे बनाने के लिए बुलाया जाता है, वे बहुत बुरे होते हैं। यद्यपि एक संविधान बुरा हो सकता है, यह अच्छा साबित हो सकता है यदि जिन लोगों को इसे बनाने के लिए बुलाया जाता है, वे बहुत अच्छे होते हैं। संविधान का कार्यकरण पूरी तरह से संविधान की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल राज्य के अंगों जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को प्रदान कर सकता है। राज्य के उन अंगों का काम-काज जिन कारकों पर निर्भर करता है, वे लोग और राजनीतिक दल हैं जिन्हें वे अपनी इच्छाओं और अपनी राजनीति को पूरा करने के लिए अपने साधन के रूप में स्थापित करेंगे।"

41. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा ऊपर बताए गए सार्वभौमिक सत्य पर ध्यान देने के बाद, अब हम संवैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों पर ध्यान देते हैं। संविधान की व्याख्या करने के लिए सामान्य नियम सामान्य क़ानून की व्याख्या करने के लिए समान हैं। संविधान के अनुच्छेद 367 में प्रावधान है कि जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, तब तक सामान्य खंड अधिनियम, 1897, अनुच्छेद 372 के तहत किए जाने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधनों के अधीन, इस संविधान की व्याख्या के लिए लागू होगा क्योंकि यह भारत डोमिनियन के विधानमंडल के एक अधिनियम की व्याख्या के लिए लागू होता है। केशवन माधव मेनन बनाम बॉम्बे राज्य**,** ए**.** आई**.** आर**. 1951** एस**.** सी**. 128:(1951)** एस. सी. आर. 228 में यह न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधि को संविधान की भाषा से संविधान की भावना को इकट्ठा करना होगा। संविधान के सही अर्थ पर संविधान की किसी भी कल्पित व्याख्या से अप्रभावित रहना होगा। निर्णय के पैरा 13 में निम्नलिखित निर्णय दिया गया थाः-

"13. जिस पर संविधान की भावना होने का दावा किया जाता है, उस पर आधारित तर्क हमेशा आकर्षक होता है, क्योंकि इसमें भावनाओं और भावनाओं के लिए एक शक्तिशाली अपील होती है; लेकिन विधि की न्यायालय को संविधान की भाषा से संविधान की भावना को इकट्ठा करना होता है। जिसे कोई संविधान की भावना मानता है या समझता है, वह तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक कि संविधान की भाषा उस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है। अनुच्छेद 372 (2) राष्ट्रपति को मौजूदा कानूनों को निरस्त या संशोधन के माध्यम से अनुकूलित करने और संशोधित करने की शक्ति देता है। राष्ट्रपति को उसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने से रोकने के लिए तथा भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम, 1931 का पूरा या कोई भी हिस्सा निरस्त करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि राष्ट्रपति ऐसा करता है, तो इस तरह का निरसन तुरंत सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 को आकर्षित करेगा। ऐसी

स्थिति में भारतीय प्रेस (आपातकालीन शक्तियां) अधिनियम, 1931 के तहत सभी अभियोजन, जो राष्ट्रपति द्वारा इसके निरसन की तारीख तक लंबित थे, बच जाएंगे और उस अधिनियम के निरसन के बावजूद कार्रवाई की जानी चाहिए, जब तक कि निरसन अधिनियम में अन्यथा एक स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि पिछले अवैध अधिकारों या देनदारियों के संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिए लंबित कार्यवाही का विचार भारत के संविधान के लिए विदेशी या घृणित नहीं है। इसलिए, हम संविधान की भावना के बारे में इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, जैसा कि विद्वान अधिवक्ता ने अपनी याचिका की सहायता के लिए कहा था कि एक विधि के तहत लंबित कार्यवाही जो शून्य हो गई है, उसके साथ आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि इस तरह के शून्य विधि के तहत लंबित अभियोजनाओं को जारी रखना संविधान की भावना के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से यह उस भावना के लिए समान रूप से अप्रिय होना चाहिए कि जो लोग भारत के संविधान के लागू होने से पहले ही इस तरह के दमनकारी विधि के तहत दोषी ठहराए जा चुके हैं, उन्हें जेल में सड़ते रहना चाहिए। इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि न्यायालय को अनुच्छेद 13 (1) की भाषा का अर्थ व्याख्या के स्थापित नियमों के अनुसार निकालना चाहिए और संविधान की किसी भी कल्पित भावना से अप्रभावित अपने सही अर्थ पर पहुंचना चाहिए।"

42. इस न्यायालय ने बाद के निर्णयों में शाब्दिक व्याख्या और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि न्यायालय को जहां भी संभव हो संविधान में उपयोग की जाने वाली भाषा का सम्मान करना होगा, भाषा की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जो संविधान के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से पूरा कर सके। एक संवैधानिक दस्तावेज को अन्य अधिनियमों की तुलना में कम कठोरता और अधिक उदारता के साथ माना जाना चाहिए। एस**.** आर**.** चौधरी बनाम पंजाब राज्य और अन्य**, (2001) 7** एस**.** सी**.** सी**. 126** में अभिनिर्धारित किया है

कि हमें यह याद रखना चाहिए कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोगों की सरकार के लिए एक जीवित ढांचा है जो पर्याप्त मात्रा में सामंजस्य का प्रदर्शन करता है और इसका सफल कार्य इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें निहित लोकतांत्रिक भावना का अक्षर और भावना में सम्मान किया जाता है।

43. जी. नारायणस्वामी बनाम जी. पनीरसेल्वम और अन्य, (1972) 3 एस. सी. सी. 717, में इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 171 के प्रावधान के व्याख्या के लिए आया, उपरोक्त प्रकरण में, निर्णय के पैराग्राफ 4 में, निम्नलिखित सिद्धांत को दोहराया गया थाः-

“4. अधिकारी निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहते हैं जो संकेत देता हो कि अदालतों को उस दस्तावेज़ की व्यापक और उदार भावना से व्याख्या करनी चाहिए जिसमें देश का मौलिक विधि या उसकी सरकार के बुनियादी सिद्धांत शामिल हैं। फिर भी, मैक्सवेल के क़ानूनों की व्याख्या में "प्राथमिक नियम" के रूप में वर्णित "सादा अर्थ" या "शाब्दिक" व्याख्या के नियम को आज किसी भी दस्तावेज़ की व्याख्या में पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा सकता है। वास्तव में, हम लॉर्ड एवरशेड, एम. आर. को यह कहते हुए पाते हैंः“आधुनिक विधान की लंबाई और विस्तार ने निस्संदेह एकमात्र सुरक्षित नियम के रूप में शाब्दिक निर्माण के दावे को मजबूत किया है“(देखिएःक़ानूनों की व्याख्या पर मैक्सवेल, 12 वीं संस्करण, पृ. 28.) ऐसा हो सकता है कि आधुनिक विधान का विशाल समूह, जिसका एक बड़ा हिस्सा वैधानिक नियमों से बना है, व्याख्या के शाब्दिक नियम से कुछ विचलन को अतीत की तुलना में आज अधिक आसानी से उचित बनाता है। लेकिन, व्याख्या और "निर्माण" (जो "व्याख्या" से व्यापक हो सकता है) का उद्देश्य हर प्रकरण में कानून निर्माताओं के इरादे का पता लगाना है (देखें - सांविधिक निर्माण पर क्रॉफर्ड, 1940 संस्करण, पैरा 157, पृ. 240-42)। इस उद्देश्य को सबसे पहले प्रासंगिक प्रावधानों में उपयोग की गई भाषा को देखकर प्राप्त किया जा सकता है। अर्थ निकालने के अन्य तरीकों का सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब उपयोग की गई भाषा विरोधाभासी, अस्पष्ट

हो या वास्तव में बेतुके परिणामों की ओर ले जाए। यह व्याख्या के साथ-साथ निर्माण प्रक्रियाओं का एक प्राथमिक और बुनियादी नियम है, जो लागू किए गए सिद्धांतों के दृष्टिकोण से, दोनों के सामान्य उद्देश्य की ओर एकजुट और अभिसरण करता है, जो कि वास्तविक अर्थ और अर्थ को प्राप्त करना है, जहां तक ऐसा करना उचित रूप से संभव हो, जो निर्धारित पाया गया है। जिन प्रावधानों का अर्थ विचाराधीन है, निर्माण की किसी भी विधि को लागू करने से पहले उनकी जांच की जानी चाहिए।"

44. बी**.** आर**.** कपूर बनाम तमिलनाडू राज्य व अन्य**, (2001) 7** एस**.** सी**.** सी**. 231** न्यायमूर्ति पटनायक ने एक सहमतिपूर्ण निर्णय देते हुए पैराग्राफ **72** में निम्नलिखित निर्धारित किया**:-**

"72. .....एक दस्तावेजी संविधान उन लोगों की मान्यताओं और राजनीतिक आकांक्षाओं को दर्शाता है जिन्होंने इसे तैयार किया था। संवैधानिकता के सिद्धांतों में से एक वह है जो इसने लोकतांत्रिक परंपराओं में विकसित किया था। एक प्राथमिक कार्य जो लिखित संविधान को सौंपा गया है, वह है सरकार के अंगों को नियंत्रित करना। संवैधानिक विधि एक राज्य के अस्तित्व का अनुमान लगाता है और इसमें वे विधि शामिल हैं जो सरकार के प्रमुख अंगों की संरचना और कार्य और एक दूसरे के साथ और नागरिकों के साथ उनके संबंधों को नियंत्रित करते हैं। जहाँ एक लिखित संविधान है, वहाँ उन नियमों पर जोर दिया जाता है जो इसमें शामिल हैं और जिस तरह से संवैधानिक अधिकार क्षेत्र वाले सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी व्याख्या की गई है। जहाँ एक लिखित संविधान है वहाँ सरकार की विधिक संरचना विभिन्न प्रकार के रूप धारण कर सकती है। एक संघीय संविधान के भीतर, सरकार के कार्यों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो सरकार के संघीय अंगों को सौंपे जाते हैं, और जो विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों या प्रांतों को सौंपे जाते हैं जो संघ बनाते हैं। लेकिन संवैधानिक सीमाएँ सरकार के संघीय और

राज्य दोनों अंगों को बांधती हैं, जो सीमाएँ कानून के मामले में लागू करने योग्य हैं।"

45. एक और संविधान पीठ कुलदिप नायर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य**, (2006) 7** एस**.** सी**.** सी**. 1,** जी नारायणस्वामी **(**सुप्रा**)** के उपरोक्त उद्धृत अंश के बाद पैरा 201 में कहा गया है:–

"201. XXXXXXXXXXXXX

हम निर्णय के उपरोक्त उद्धृत पैराग्राफ में लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते है और दोहराते हैं। संवैधानिक प्रावधानों को एक व्यापक और उदार निर्माण देना वांछनीय हो सकता है, लेकिन ऐसा करते समय "साधारण अर्थ" या "शाब्दिक" व्याख्या के नियम, जो "प्राथमिक नियम" बना हुआ है, को भी ध्यान में रखना होगा। वास्तव में "शाब्दिक निर्माण" का नियम सुरक्षित नियम है जब तक कि उपयोग की जाने वाली भाषा विरोधाभासी, अस्पष्ट या वास्तव में बेतुके परिणामों की ओर न ले जाए।"

46. हम संविधान पीठ के निर्णय आई**.** आर**.** कोएल्हो बनाम तमिलनाडू राज्य **, (2007) 2** एस**.** सी**.** सी**. 1,** पर भी गौर कर सकते हैं।

जिसमें निर्माण के सिद्धांतों को निर्धारित किया है, जो पैराग्राफ 42 में निम्नलिखित प्रभाव से है:-

"42. सामान्य विधि और संवैधानिक संशोधनों के बीच अंतर के संबंध में विवाद वास्तव में अप्रासंगिक है। यह भेद वैध है और इंदिरा गांधी मामले (1975 सप. एस. सी. सी. 1) से कुलदिप नायर बनाम भारत सघ [(2006) 7 एस. सी. सी. 1] तक के प्रकरण सही विधि का प्रतिनिधित्व करता है।

अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में रखने वाले संवैधानिक संशोधन का परीक्षण करने में इसका कोई उपयोग नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है किः

क) केशवानंद भारती [(1973) 4 एस. सी. सी. 225] प्रकरण में सी. जे. सीकरी, [पैरा 475 (एच)], शेलट एंड ग्रोवर, जे. जे. [पैरा 607,608 (7)], हेगड़े एंड मुखर्जी, जे. जे. [पैरा 742,744 (8)] और जे. जगनमोहन रेड्डी, जे. [पैरा 1211,1212 (4)] सभी ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि नौवीं अनुसूची में रखे गए अधिनियमों और उनके प्रावधानों को मूल संरचना परीक्षा के अधीन किया जाना चाहिए।

(ख) वामन राव प्रकरण [(1980) 3 एस. सी. सी. 587] में सी. जे. चंद्रचूड़ ने केशवानंद भारती में 6 न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण किया, अपने निष्कर्षों को उद्धृत किए बिना और सामान्य विधानों और संवैधानिक संशोधनों के बीच अंतर के संबंध में विधि में बाद के विकास के साथ अपने विचारों का मिलान करने का प्रयास किए बिना।"

47. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संघवाद संविधान की मूल संरचनाओं में से एक होने के कारण, यह न्यायालय अनुच्छेद 239 एए पर ऐसी व्याख्या कर सकता है, जो संघीय संरचना को मजबूत करता है। आगे यह तर्क दिया गया है कि हमारे संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाए जाने के बाद, यह न्यायालय अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या कर सकता है ताकि संवैधानिक डिजाइन और संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह प्रस्तुत किया जाता है कि रुस्तम कावासजी कूपर बनाम भारत संघ **(1970) 1** एस**.** सी**.** सी**. 248:**ए**.** आई**.** आर**. 1970** एस**.** सी**. 564** और मेनका गांधी बनाम भारत संघ और अन्य **(1978) 1** एस**.** सी**.** सी**. 248:**ए**.** आई**.** आर**. 1978** एस**.** सी**. 597** मामले में इन न्यायालय का निर्णय, संवैधानिक व्याख्या के कम पाठ्यपरक और अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके के सिद्धांतो को दर्शाता है जो इन मामलों में अपनाई गई है। इस

न्यायालय का निर्णय को के**.** सी**.** वसंत कुमार और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य**, 1985** सप**.** एस**.** सी**.** सी**. 714** में निर्भर किया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्धारित किया हैः-

"..... यह एक मार्शलियन जागरूकता का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि हम एक संविधान की व्याख्या कर रहे हैं; हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम बीसवीं शताब्दी के मध्य में पैदा हुए एक संविधान की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन एक साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की, जो एक बेहतर दुनिया की तलाश में संवैधानिक उपकरणों, घटनाओं और अन्य जगहों पर क्रांतियों से प्रभावित है, और सभी के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के विचार से जुड़ा हुआ है।इस तरह के संविधान को एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए ताकि उसके सभी नागरिकों को उसके द्वारा वादा किए गए न्याय का पूरा पैमाना मिल सके। संविधान के व्याख्याताओं को संविधान के दर्शन और व्यापक "भावना और अर्थ" की तुलना में केवल शब्दों और शब्दों की व्यवस्था से कम चिंतित होना चाहिए, जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों और संविधान के अन्य प्रावधानों में हमारे मार्गदर्शन के लिए विस्तृत रूप से उजागर हुआ है।"

48. श्री एच. एम. सीरवई ने "ए क्रिटिकल कमेंटरी" में भारत के संवैधानिक विधि पर, संविधान की व्याख्या पर पैराग्राफ 2.1 और 2.2 में निम्नलिखित कहा हैः-

" 2.1 कानून की न्यायालय को उपयोग की गई भाषा से संविधान की भावना को एकत्र करना चाहिए, और जिसे कोई संविधान की भावना मानता है, वह भाषा द्वारा समर्थित नहीं होने पर प्रबल नहीं हो सकता है, इसलिए इसका अर्थ विधि की एक कल्पित भावना से अप्रभावित व्याख्या के सुस्थापित नियमों के अनुसार लगाया जाना चाहिए। जहां संविधान ने विधानमंडल को प्रदत्त सामान्य शक्तियों को सीमित नहीं किया है, या तो शर्तों में या आवश्यक निहितार्थ

से, न्यायालय उन्हें संविधान की भावना की किसी भी धारणा पर सीमित नहीं कर सकता है।

2.2 व्याख्या के अच्छी तरह से स्थापित नियमों के लिए आवश्यक है कि संविधान निर्माताओं का अर्थ और इरादा-चाहे वह संसद हो या संविधान सभा- उस संविधान की भाषा से ही पता लगाया जाना चाहिए; जिन्होंने इसे तैयार किया है, उनके उद्देश्यों के साथ, न्यायालय को कोई चिंता नहीं है। लेकिन, जैसा कि हिगिंस जे. ने देखा-"उन शब्दों में जो वर्षों से मुरझाए नहीं गए हैं या बांझ नहीं हुए हैं"-:

“हालाँकि हमें संविधान के शब्दों की व्याख्या उन्हीं सिद्धांतों पर करनी है जैसा हम किसी साधारण विधि में करते है, व्याख्या के ये सिद्धांत ही हमें उस अधिनियम की प्रकृति और दायरे को ध्यान में रखने के लिए मजबूर करते हैं जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, यह याद रखने के लिए कि यह एक संविधान है, एक तंत्र जिसके तहत विधि बनाए जाने हैं, न कि केवल एक अधिनियम जो घोषित करता है कि विधि क्या होना है।”

49. न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने "सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत", 14 वें संस्करण में संविधान की व्याख्या पर चर्चा करते हुए कहाः-

“संविधान एक जीवित जैविक चीज है और इसे वर्तमान आवश्यकताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू किया जाना चाहिए, और संसद में बहस के रूप में संवैधानिक अर्थशास्त्र की मूल समझ के संदर्भ में व्याख्या करने के लिए बाध्य नहीं है। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 149 की सामग्री और अर्थ, जो सी०ए०जी० के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रावधान करता है, समय के हिसाब से अलग-अलग होगा और यह देखते हुए कि स्पेक्ट्रम एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, सी०ए०जी० के पास अनुच्छेद 149 के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के खातों की जांच करने की शक्ति है।

यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता है कि शाब्दिक निर्माण का नियम या निर्माण का स्वर्ण नियम संविधान की व्याख्या के लिए कोई लागू नहीं है। इसलिए जब भाषा सरल और विशिष्ट होती है और शाब्दिक संरचना संवैधानिक योजना के लिए कोई कठिनाई पैदा नहीं करती है, तो उसी का सहारा लेना पड़ता है। इसी तरह, जहां संविधान ने किसी कार्य को करने के लिए एक विधि निर्धारित की है और कोई 'स्थगन' या अंतराल नहीं छोड़ा है, यदि न्यायालय किसी तनावपूर्ण निर्माण द्वारा उस कार्य को करने के लिए एक और विधि निर्धारित करती है, तो निर्णय गंभीर आपत्ति और आलोचना के लिए खुला हो जाएगा।"

50. अहरोन बराक (पूर्व राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय इज़राइल) ने उद्देश्यपूर्ण संवैधानिक व्याख्या पर विचार करते हुए निम्नलिखित शब्दों में आधुनिक अवधारणा की व्याख्या की:-

"संवैधानिक पाठ का उद्देश्य राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए एक ठोस नींव प्रदान करना है। यह लोगों की बुनियादी आकांक्षाओं को मूर्त रूप देना है। यह अपने बुनियादी विकल्पों द्वारा आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने के लिए है। यह बहुमत को नियंत्रित करने और व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए है। इन सभी उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है यदि संवैधानिक पाठ के निर्माताओं का उद्देश्य व्याख्या के लिए एकमात्र मार्गदर्शक व्यक्तिपरक हो। संविधान अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा यदि इसकी दृष्टि इसके संस्थापकों के क्षितिज तक ही सीमित है। भले ही हम व्यक्तिपरक उद्देश्य के व्यापक सामान्यीकरण को मान लें, यह पर्याप्त नहीं हो सकता है। यह आधुनिक राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए एक ठोस नींव प्रदान नहीं कर सकता है।यह आधुनिक लोगों की बुनियादी आकांक्षाओं से परे हो सकता है। यह आधुनिक मानव की गरिमा और स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं हो सकता है। संविधान को इसके रचनाकारों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होना चाहिए।

51. अहरोन बराक ने "प्रस्तावना" में लगभग इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैंः लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका का निर्णय करने के लिए एक न्यायाधीश ", जो इस प्रकार हैंः-

"प्रारूपण के समय निर्माताओं का मूल उद्देश्य महत्वपूर्ण है। अतीत को समझे बिना वर्तमान को नहीं समझा जा सकता है। रचनाकारों का इरादा पाठ को इस तरह से समझने के लिए ऐतिहासिक गहराई प्रदान करता है जो अतीत का सम्मान करता है। यद्यपि संवैधानिक लेखकों का इरादा व्याख्या के समय आधुनिक समाज के मौलिक विचारों और मूल्यों के साथ मौजूद है। संविधान का उद्देश्य समकालीन व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना है। यह उसकी जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए, व्याख्या के माध्यम से संविधान के उद्देश्य को निर्धारित करने में, किसी को उन मूल्यों और सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो व्याख्या के समय प्रचलित हैं, अतीत के इरादे और वर्तमान सिद्धांत के बीच संश्लेषण और सामंजस्य चाहते हैं।"

52. इस संदर्भ में, 2013 (129) एल. क्यू. आर. 343-358 में प्रकाशित "संवैधानिक विधान की प्रकृति और महत्व" में व्यक्त डेविड फेल्डमैन के विचारों को भी लाभप्रद रूप से देख सकते हैं। संविधान के उपकरणों की व्याख्या का मार्गदर्शन करने के लिए कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया था, जो इस प्रकार हैंः-

> "संविधानों के बीच और प्रत्येक संविधान के भीतर प्रावधानों के प्रकारों के बीच अंतर के बावजूद, विविध क्षेत्राधिकारों ने संवैधानिक साधनों की व्याख्या का मार्गदर्शन करने के लिए सिद्धांतों के चयन में काफी स्थिरता दिखाई है। सबसे पहले, संविधानों की व्याख्या उनकी प्रस्तावनाओं की सहायता से की जानी चाहिए, जिन्हें आमतौर पर उनका अभिन्न अंग माना जाता है। 63 दूसरा, एक लोकतांत्रिक संविधान की व्याख्या लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने के बजाय "बढ़ावा देने, विकसित करने और

समृद्ध करने" के लिए की जानी चाहिए।64 विशेष रूप से, व्याख्याकारों को एक स्व-शासी इकाई को अपने स्वयं के निर्णय लेने की गुंजाइश देनी चाहिए, जिसमें संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन लोकतांत्रिक संस्थानों के संचालन की शर्तों के बारे में निर्णय शामिल हैं।65 तीसरा, संविधानों की व्याख्या यांत्रिक शाब्दिकता के साथ नहीं की जानी चाहिए। व्याख्याकारों को किसी प्रावधान के संदर्भ, अंतिम उद्देश्य और पाठ्य सेटिंग को ध्यान में रखना चाहिए, 66 यह ध्यान में रखते हुए कि "प्रश्न यह नहीं है कि [निर्माताओं द्वारा] क्या इरादा किया गया था, बल्कि यह है कि क्या कहा गया है।" 67 चौथा, कम से कम कुछ न्यायाधीशों के अनुसार, संविधान की व्याख्या विधायिकाओं सहित संस्थानों को इस तरह से कार्य करने की अनुमति देने के रूप में नहीं की जानी चाहिए जो "जिसे मैं एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की सामाजिक अंतरात्मा को आहत करता हूं", क्योंकि विधि को आम लोगों द्वारा "उचित, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष" माना जाना चाहिए।

फिर भी, इन सिद्धांतों को संविधानों के बीच मतभेदों की मान्यता से योग्य होना चाहिए।”

53. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने संवैधानिक मौन और संवैधानिक परिणाम के सिद्धांतों पर भी भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय संवैधानिक मौन और संवैधानिक परिणाम को भी उचित प्रभाव दिया जाना चाहिए। मनोज नरूला बनाम भारत संघ**, (2014) 9** एस**.** सी**.** सी**. 1**में इस न्यायालय रिलायंस की संवैधानिक पीठ के निर्णय पर भरोसा रखा गया है। उपरोक्त प्रकरण में पीठ ने निम्नलिखित संवैधानिक मौन या स्थगन के सिद्धांतों पर विचार करते हुए पैरा 65-66 में कहा है:-

“65. अगला सिद्धांत जिसके बारे में सोचा जा सकता है वह है संवैधानिक मौन या संविधान का मौन या संवैधानिक स्थगन। उक्त सिद्धांत एक प्रगतिशील है और इसे एक मान्यता प्राप्त उन्नत संवैधानिक अभ्यास के रूप में लागू किया जाता है। न्याय और व्यापक जनहित के हित में कुछ क्षेत्रों के संबंध में कमियों को भरने के लिए न्यायालय द्वारा इसे मान्यता दी गई है। अभावग्रस्तों के अधिकारों को स्थापित करने या नुकसान को रोकने और पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए जनहित याचिका के विकास के उद्देश्य से लोकस स्टैंडी की अवधारणा का उदारीकरण। इसी प्रकार, लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघ **[(1987) 1** एस**.** सी**.** सी**. 66]** में विदेशियों द्वारा भारतीय बच्चों को गोद लेने के मामले में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के रूप में दिशानिर्देश निर्धारित करना या डी**.** के**.** बसु बनाम डब्ल्यू**.** बी**.** राज्य **[(1997) 1** एस**.** सी**.** सी**. 416]** में गिरफ्तारी से संबंधित दिशानिर्देश जारी करना या विशाखा बनाम राजस्थान राज्य **[(1997) 6** एस**.** सी**.** सी**. 241]** में जारी किए गए निर्देश कुछ उदाहरण हैं।

66. इस संदर्भ में, भानुमति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **[(2010) 12** एस**.** सी**.** सी**. 1]** में प्राधिकार का उल्लेख करना लाभदायक है, जिसमें यह न्यायालय उत्तर प्रदेश पंचायत कानून (संशोधन) अधिनियम, 2007 की संवैधानिक वैधता पर विचार कर रहा था। चुनौती के लिए आधारों में से एक यह था कि संविधान के भाग IX के तहत विस्तृत संवैधानिक प्रावधान में अविश्वास प्रस्ताव की कोई अवधारणा नहीं है और इसलिए, क़ानून में उक्त प्रावधान को शामिल करना पंचायती राज संस्थानों के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके अलावा, संशोधन अधिनियम की धारा 15 और 28 में दो साल के स्थान पर एक साल की कटौति को निरस्त करने की मांग की गई थी क्योंकि उक्त प्रावधान ने स्थिरता और निरंतरता के सिद्धांत को कमजोर कर दिया था जो संविधान के भाग IX में संवैधानिक संशोधन के उद्देश्य और कारण के पीछे मुख्य उद्देश्य है। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 243-

ए, 243-सी (1), (5), 243-डी (4), 243-डी (6), 243-एफ (1), 243-जी, 243-एच, 243-आई (2), 243-जे, 243-के (2) और (4) का उल्लेख करने के बाद और संशोधन पर ध्यान देते हुए कहा कि अविश्वास का वैधानिक प्रावधान संविधान के भाग IX के विपरीत है। उस संदर्भ में, इसे इस प्रकार रखा गया हैः (भानुमति प्रकरण, एस. सी. सी. पी.17, पैरा 49 -50)

“49. उपरोक्त कारणों के अलावा, अपीलार्थियों की दलीलों को एक बहुत प्रसिद्ध संवैधानिक सिद्धांत, अर्थात् मौन के संवैधानिक सिद्धांत को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। माइकल फोली ने द साइलेंस आफ कॉन्सिटयूशन (रूटलेज, लंदन और न्यूयॉर्क) पर अपने ग्रंथ में तर्क दिया है कि संविधान में 'स्थगन मूल्यवान हैं, इसलिए, उनकी अस्पष्टता के बावजूद नहीं, बल्कि इसलिए, कि वें संविधान की सामग्री या सार के बजाए उन दृष्टिकोण और दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण हैं जो वे उत्पन्न करते हैं।(पृ. 10)

50. विद्वान लेखक ने इस अवधारणा को आगे विस्तार से बताते हुए कहा, "किसी भी वृत्तचित्र या भौतिक रूप के अभाव के बावजूद, ये प्रतिबंध वास्तविक हैं और किसी भी संविधान का एक अभिन्न अंग हैं। जो अलिखित और अनिश्चित रहता है वह संविधान के परिचालन चरित्र और संयमित गुणवत्ता के लिए उतना ही जिम्मेदार हो सकता है जितना कि इसके अधिक मूर्त और संहिताबद्ध घटक।’ (पृ. 82) "

54. यह ध्यान देने योग्य है कि हालांकि उपरोक्त सर्वविदित संवैधानिक सिद्धांत पर ध्यान दिया गया था, लेकिन न्यायालय ने कहा कि इस तरह के सिद्धांत और सिद्धांतों पर विचार करते समय व्यक्त संवैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पैरा 65 और 66 में उपरोक्त सिद्धांतों के बारे में जो कहा गया है, उसके बाद पैरा 67 में निम्नलिखित कहा गया हैः-

“67. यहां जो प्रश्न उठाया जाना है वह यह है कि क्या संवैधानिक संस्कृति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस सिद्धांत का सहारा लेते हुए, क्या कोई न्यायालय संविधान और 1951 के अधिनियम के तहत पहले से ही व्यक्त अयोग्यताओं को अयोग्य ठहरा सकती है। इसका उत्तर अपरिहार्य रूप से नकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि अयोग्यताओं को व्यक्त करने वाले स्पष्ट प्रावधान हैं और दूसरा, यह न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमाओं को पार करने के समान होगा।”

55. संविधान पीठ ने अनुच्छेद 68 में निम्नलिखित प्रभाव के लिए संवैधानिक परिणाम के सिद्धांत पर भी ध्यान दिया:-

“68. अगला सिद्धांत जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं वह संवैधानिक निहितार्थ का सिद्धांत है। हम इस सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए बाध्य हैं क्योंकि विद्वान न्यायमित्र श्री द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 75 (1) में "प्रधानमंत्री की सलाह पर" शब्दों पर बहुत जोर दिया है। यह उनका निवेदन है कि इन शब्दों का अत्यधिक महत्व है और उक्त शब्दों से उपयुक्त अर्थ निकाला जाना आवश्यक है क्योंकि प्रधानमंत्री को संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को यह सलाह देने की अनुमति नहीं है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके खिलाफ मंत्रिपरिषद में मंत्री के रूप में जघन्य या गंभीर अपराधों या भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के लिए आरोप तय किया गया है, पद की पवित्रता और संविधान के तहत निर्धारित शपथ को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति बनाए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि कई अवसरों पर, इस न्यायालय ने संवैधानिक योजना और संविधान के अन्य प्रावधानों में प्रयुक्त भाषा के आधार पर निहितार्थ के सिद्धांत को लागू करके विभिन्न अनुच्छेदों में निहित क्षितिज का विस्तार किया है।”

56. मौन के सिद्धांत और परिणाम के सिद्धांत के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है जैसा कि ऊपर देखा गया है। लेकिन एक संवैधानिक प्रावधान

की व्याख्या करने में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते समय, स्पष्ट प्रावधान को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य और इरादे, विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली स्पष्ट भाषा, जो किसी विशेष योजना को प्रतिबिंबित करती है, को संवैधानिक योजना को पूर्ण प्रभाव देना होगा और व्यक्त करना होगा, ऐसे किसी भी सिद्धांत की अवहेलना नहीं की जा सकती है।

57. उपरोक्त चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि समय की आवश्यकता और संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक व्याख्या उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं के इरादे और संविधान संशोधन के उद्देश्य और प्रयोजन हमेशा संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालते हैं लेकिन किसी विशेष संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या करने के लिए, संवैधानिक योजना और नियोजित स्पष्ट भाषा को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। संवैधानिक प्रावधानों के उद्देश्य और इरादे को उन संवैधानिक प्रावधानों से खोजना होगा जो व्याख्या के लिए तैयार हैं। इस प्रकार, हमें अनुच्छेद 239 एए की व्याख्या करते समय उस उद्देश्य और प्रयोजन को ध्यान में रखना होगा जिसके लिए उनसठवां संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1991 लागू किया गया था। उपरोक्त सिद्धांतों पर ध्यान देने के बाद, अब हम संवैधानिक प्रावधानों की प्रकृति और सामग्री की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

अनुच्छेद **239** एए की संवैधानिक योजना

58. अनुच्छेद 239 एए द्वारा परिभाषित संवैधानिक योजना का पता लगाने के लिए, अनुच्छेद 239 एए की स्पष्ट भाषा को देखने के अलावा, हमें संवैधानिक प्रावधान के उद्देश्य और प्रयोजन पर भी गौर करना होगा, जिसमें पर्याप्त प्रकाश डाला गया है इकि 69 वें संवैधानिक संशोधन में निहित उद्देश्य और कारणों के साथ-साथ बालकृष्णन की रिपोर्ट जो 69 वें संवैधानिक संशोधन का आधार थी। हम पहले ही इस निर्णय के पिछले पैराग्राफ में बालकृष्णन की रिपोर्ट के कुछ प्रासंगिक हिस्सों का उल्लेख कर चुके हैं।

59. बालकृष्णन के समक्ष बालाकृष्णन के शब्दों अर्थात रिपोर्ट करने का कार्य दो प्रतिस्पर्धी दावों को समन्वित करना था। "एक ओर, राष्ट्रीय राजधानी का प्रभावी प्रशासन राष्ट्रीय सरकार के लिए न केवल उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और उच्च स्तर की प्रशासनिक दक्षता के महत्वपूर्ण है किन्तु साथ-साथ केंद्र सरकार को अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए भी है। यह सुनिश्चित करने के लिए, राजधानी के मामलों पर इसका पूर्ण और व्यापक नियंत्रण होना आवश्यक है। दूसरी ओर, शहर के स्तर पर सरकार में भागीदारी के लोकतांत्रिक अधिकार के लिए राजधानी शहर की बड़ी आबादी की वैध मांग को नजरअंदाज करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमने दिल्ली के लिए एक सरकारी संरचना तैयार करने का प्रयास किया है जो हमें उम्मीद है कि इन दोनों आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

60. दिल्ली के प्रशासन के लिए पहले एक संसदीय कानून बनाया गया है। संविधान लागू होने के बाद 01.11.1956 तक दिल्ली में विधानसभा ने काम किया। अनुच्छेद 239ए, जिसे संविधान के चौदहवें संशोधन अधिनियम, 1962 द्वारा जोड़ा गया था, पहले ही विचार कर चुका था कि संसद विधि द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानसभा का प्रावधान कर सकती है।प्रस्तावित संरचना की मुख्य विशेषताओं पर विचार करते हुए, पैरा 6 .7.2 में निम्नलिखित बताया गया था।

“ 6.7.2 जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, दिल्ली के लिए किसी भी सरकारी व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संघ और दिल्ली प्रशासन के बीच शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों के संवैधानिक विभाजन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के संबंध में अपनी विशेष जिम्मेदारियों के निर्वहन में संघ किसी भी तरह से बाधित या बाधित न हो। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका संविधान के उद्देश्यों के लिए दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखना है। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 246 (4) में प्रावधान स्वचालित रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि संसद को

राज्य सूची से संबंधित मामलों सहित सभी मामलों पर दिल्ली के लिए कानून बनाने की समवर्ती और प्रबल शक्तियां हैं। तदनुसार, संघ कार्यपालिका मामले को नियंत्रित करने वाले किसी भी केंद्रीय विधि के प्रावधानों के अधीन ऐसे सभी मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। इसलिए हम अनुशंसा करते हैं कि दिल्ली के लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद के निर्माण के बाद भी इसे संविधान के उद्देश्यों के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए।"

61. रिपोर्ट में कुछ विषयों को दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया, जिन पर संघ द्वारा विचार किया जाना था।

62. इस समय, बालकृष्णन रिपोर्ट की स्वीकार्यता से संबंधित मुद्दे पर ध्यान देना भी प्रासंगिक है। जब इन मामलों में सुनवाई चल रही थी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32/अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही में संसदीय समिति की रिपोर्ट की स्वीकार्यता के बारे में मुद्दा संविधान पीठ का ध्यान आकर्षित कर रहा था । संविधान पीठ ने रिट याचिका (सी) 2012 की सं. 558 कल्पना मेहता और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य दिनांक 09.05.2018 में अपना निर्णय सुनाया है।संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि संसदीय समिति की रिपोर्टों पर विचार किया जा सकता है और इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32/136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने (अपने लिए और न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की ओर से) पैराग्राफ (iv) और (vii) में लेखबद्ध किए गए निष्कर्षों में अपनी राय देते हुए कहा हैः

" (iv) इस न्यायालय के समक्ष किसी मुकदमे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 136 के तहत संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट को अभिलेख में लिया जा सकता है। यद्यपि न्यायालय रिपोर्ट को एक सामग्री के रूप में अभिलेख पर लेते समय तब तक सहायता ले सकता है

जब तक कि सामग्री पर कोई विवाद या विवाद नहीं है क्योंकि ऐसी प्रतियोगिता न्यायालय को या तो रिपोर्ट को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार करने या इसे पूरी तरह से अस्वीकार करने के लिए निर्णय देने के लिए आमंत्रित करेगी।

(vii) एक जनहित याचिका में जहां प्रतिकूल स्थिति अनुपस्थित है, न्यायालय कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को पूरा करने और संविधान या किसी भी वैधानिक प्रावधान के तहत प्रदान किए गए अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए समाज के व्यापक हित में उक्त रिपोर्ट की सहायता ले सकता है।"

63. न्यायमूर्ति डी**.** वाई**.** चंद्रचूड़ (हममें से एक) ने जवाब दिया पृष्ठ 86 पर संदर्भ दिया गया है**:**

" (i) सैद्धांतिक रूप से, संविधान के अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है।

(ii) एक बार संसदीय समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद, न्यायिक कार्यवाही के दौरान इसका संदर्भ संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। न्यायालय में रिपोर्ट की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है। किसी भी सांसद या व्यक्ति को इसके लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है कि संसदीय समिति के समक्ष कार्यवाही के दौरान या निविदा या दिए गए मत के लिए क्या कहा गया है; और

(iii) यद्यपि जब न्यायालय के समक्ष कोई मामला विवादास्पद हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा तथ्य का निष्कर्ष न्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए।"

64. स्वंय **(**न्यायमूर्ति अशोक भूषण**)** ने भी अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पैराग्राफ 151 (ii, vii) में भी निम्नलिखित राय दी गई है**:**

"(ii) प्रतिवेदनों के प्रकाशन की न केवल अनुमति दी जा रही है, बल्कि संसद द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आम जनता संसदीय रिपोर्ट सहित संसदीय कार्यवाही के बारे में जानने में गहरी रुचि रखती है जो देश के शासन की दिशा में कदम हैं। रिपोर्ट के बारे में जानने का अधिकार केवल तभी उत्पन्न होता है जब उन्हें आम जनता के उपयोग के लिए प्रकाशित किया जाता है।

(vii) दोनों पक्षों ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि संसदीय रिपोर्ट का उपयोग किसी क़ानून के विधायी इतिहास के उद्देश्यों के साथ-साथ एक मंत्री द्वारा दिए गए कथन पर विचार करने के लिए किया जा सकता है। जब उपरोक्त दो उद्देश्यों के लिए न्यायालय द्वारा समिति की संसदीय सामग्री और रिपोर्टों पर विचार करने में विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है, तो हम याचिकाकर्ता के इस कथन को स्वीकार न करने का कोई वैध कारण नहीं देखते हैं कि न्यायालय को संसदीय सामग्री और अभिलेख पर रिपोर्टों को स्वीकार करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बशर्ते कि न्यायालय पक्षों को प्रश्न करने और रिपोर्टों पर महाभियोग चलाने की अनुमति देने के लिए आगे न बढ़े।"

65. इस प्रकार, अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि वर्तमान प्रकरण में 69 वें संवैधानिक संशोधन के आशय और उद्देश्य का पता लगाने के लिए संसदीय समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जा सकता है।

66. उनसठवें संशोधन अधिनियम के उद्देश्य और कारणों में भी बालकृष्णन की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। बालकृष्णन की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:

"समिति ने इस मामले में बहुत विस्तार से विचार किया और विभिन्न व्यक्तियों, संघों, राजनीतिक दलों और अन्य विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने और अन्य देशों की राष्ट्रीय राजधानियों में एक संघीय व्यवस्था के साथ व्यवस्थाओं एवँ संविधान सभा में बहस के साथ-साथ पूर्व समितियों और आयोगों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मुद्दों पर विचार किया। इस तरह की विस्तृत जांच और परीक्षण के बाद, इसने सिफारिश की कि दिल्ली को एक केंद्र

शासित प्रदेश बना रहना चाहिए और आम आदमी के लिए चिंता के मामलों से निपटने के लिए उचित शक्तियों के साथ ऐसी विधानसभा के लिए जिम्मेदार एक विधान सभा और एक मंत्रिपरिषद प्रदान की जानी चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी को केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक विशेष दर्जा देने के लिए संविधान में व्यवस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए।"

67. समिति की यह अनुशंसा कि दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना रहना चाहिए और ऐसी विधानसभा के लिए जिम्मेदार मंत्रिपरिषद को इस प्रकार स्वीकार कर लिया गया और उसी अनुच्छेद 239 एए को प्रभावी बनाने के लिए संविधान में जोड़ा गया। इस बात से कोई इंकार नहीं है कि अनुच्छेद 239 एए को शामिल करने का एक उद्देश्य लोकतांत्रिक और गणराज्य सरकार की अनुमति देना है। मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी का सिद्धांत संवैधानिक उद्देश्य था जिसे संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

68. अनुच्छेद 239 एए के कई पहलू हैं जिन पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। विभिन्न पहलुओं को निम्नलिखित शीर्षों के तहत अलग से निपटाया जाएगाः

A संसद और जी. एन. सी. टी. डी. की कानूनी शक्ति

B एकीकरण की कार्यकारी शक्ति (राष्ट्रपति/एल. जी.) और जी. एन. सी. टी. डी.

C अनुच्छेद 239 एए

(i) सहायता और सलाह के लिए प्रावधान

(ii) मामले में

D क्या जी. एन. सी. टी. डी. के विशिष्ट निर्णय के लिए एल. जी. की सहमति आवश्यक है

E मंत्रालयों/मंत्रालयों और उपराज्यपालों की परिषद के निर्णय का संचार, इसका उद्देश्य और प्रयोजन

F 1991 के अधिनियम द्वारा हटाए गए जी. एन. सी. टी. डी. और एल. जी. का प्रशासनिक कार्य और व्यापार नियमों के हस्तांतरण, 1993।

A. संसद और जीएनसीटीडी की विधायी शक्ति

69. 239 एए का खंड (3) विधानसभा के साथ-साथ संसद द्वारा राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 239 का खंड (3) तत्काल संदर्भ के लिए निकाला गया है:

"(3) (क) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विधान सभा को सूची राज्य या समवर्ती सूची में प्रगणित किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी, जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, राज्य सूची की प्रविष्टियों 1,2 और 18 और उस सूची की प्रविष्टियों 64,65 और 66 के संबंध में मामलों को छोड़कर जहां तक वे उक्त प्रविष्टियों 1,2 और 18 से संबंधित हैं।

(ख) उपखंड (क) की कोई भी बात इस संविधान के तहत किसी केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्तियों का हनन नहीं करेगी।

(ग) यदि किसी विषय के विधि में विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध उस विषय के विधि में संसद द्वारा बनाई गई विधि के किसी उपबंध के प्रतिकूल है, चाहे वह विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या बाद में पारित किया गया हो, या विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से भिन्न किसी पूर्ववर्ती विधि का, तो दोनों ही मामलों में, संसद द्वारा बनाई गई विधि या, यथास्थिति, ऐसी पूर्ववर्ती विधि प्रबल होगी और विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि, विरोध की सीमा तक, शून्य होगी।

बशर्ते कि यदि विधि सभा द्वारा बनाई गई कोई ऐसी विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित की गई है और उसे उसकी सहमति मिल गई है तो ऐसी विधि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रबल होगीः

बशर्ते कि इस उपखंड की कोई भी बात संसद को किसी भी समय विधान सभा द्वारा इस प्रकार बनाए गए विधि में जोड़ने, संशोधन करने, परिवर्तन करने या निरस्त करने वाली विधि सहित एक ही मामला।"के संबंध में कोई विधि बनाने से नहीं रोकेगी।

70. उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि विधान सभा को राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी, जहां तक कि ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, राज्य सूची की प्रविष्टियों 1,2 और 18 और सूची की प्रविष्टियों 64,65 और 66 के संबंध में मामलों को छोड़कर।

71. यह प्रावधान बहुत स्पष्ट है जो विधानसभा को राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, सिवाय बहिष्कृत प्रविष्टियों के। एक मुद्दा यह है कि राज्य सूची या समवर्ती सूची में कानून बनाने की शक्ति को "जहां तक ऐसा कोई

भी मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है" वाक्यांश द्वारा सीमित किया जाता है।

72. सूची II और सूची III में प्रविष्टियों पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि केंद्र शासित प्रदेश का कोई उल्लेख नहीं है। सूची II और III के अवलोकन से दर्शित है कि हालांकि विभिन्न प्रविष्टियों में "राज्य" शब्द का विशिष्ट उल्लेख है, लेकिन किसी भी प्रविष्टि में "केंद्र शासित प्रदेश" का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है। उदाहरण के लिए, सूची II प्रविष्टि 12,26,37,38,39,40,41,42 और 43 में "राज्य" शब्द का विशिष्ट उल्लेख है। इसी प्रकार, सूची III प्रविष्टि 3,4 और 43 में "राज्य" शब्द का उल्लेख है। उपरोक्त वाक्यांश "जहां तक ऐसा कोई भी मामला केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होता है" अप्रासंगिक है। इसके दो कारण हैं। संविधान के प्रारंभ पर, केंद्र शासित प्रदेशों की कोई अवधारणा नहीं थी और केवल भाग ए, बी, सी और डी राज्य थे। सातवें संवैधानिक संशोधन के बाद, जिसमें पहली अनुसूची के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 2 में संशोधन किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 1 के साथ-साथ पहली अनुसूची दोनों में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख शामिल था। इस प्रकार, उपरोक्त वाक्यांश का उपयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित मामलों सहित सभी मामलों पर दिल्ली के लिए कानून बनाने की शक्तियों को स्वचालित रूप से प्रदान करने की सुविधा के लिए किया गया था, सिवाय इसके कि एक प्रविष्टि इंगित करती है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए इसकी प्रयोज्यता निहितार्थ या किसी भी स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान से बाहर है।

73. इस प्रकार, अनुच्छेद 239 ए. ए. में स्पष्ट रूप से वर्णित एन. सी. टी. डी. की विधायी शक्ति को समझने में कोई कठिनाई नहीं है। अब, हम संसद की विधायी शक्ति का पता लगाने की ओर मुड़ते हैं। अनुच्छेद 239 एए के खंड (3) के उपखंड (बी) में उल्लेख किया गया है कि "उपखंड (ए)

में कुछ भी इस संविधान के तहत किसी केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाना के लिए संसद की शक्तियों का अवमूल्यन नहीं करेगा ।

74. यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि उपखंड (3) "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन" शब्द से शुरू होता है। इस प्रकार, विधायी संबंधों से संबंधित संविधान के भाग X1 के अध्याय 1 से अनुच्छेद 246 पर विचार किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 239 एए खंड (3) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। अनुच्छेद 246 इस प्रकार प्रदान करता हैः

“246. संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषयः-

(1) खंड (2) और (3) में कुछ भी होने के बावजूद, संसद को सातवीं अनुसूची (इस संविधान में "संघ सूची" के रूप में संदर्भित) में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

(2) खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद और, खंड (1) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को भी, सातवीं अनुसूची (इस संविधान में "समवर्ती सूची" के रूप में संदर्भित) में सूची III में प्रगणित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है।

(3) खंड (1) और (2) के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य के विधानमंडल को सातवीं अनुसूची (इस संविधान में "राज्य सूची" के रूप में संदर्भित) में सूची II में प्रगणित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति है।

(4) संसद के पास भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो (किसी राज्य में) शामिल नहीं है, भले ही ऐसा मामला राज्य सूची में गिना गया हो।”

75. अनुच्छेद 246 खंड (4) स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है; इसके बावजूद कि ऐसा मामला राज्य सूची में गिना गया है।

76. केंद्र शासित प्रदेश भारत का हिस्सा हैं जो किसी भी राज्य में शामिल नहीं हैं। इस प्रकार, संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में किसी भी मामले के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी। सातवें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 246 के खंड (4) में, भाग ए या पहली अनुसूची के भाग बी में "शब्दों के स्थान पर" "राज्य में" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है। इस प्रकार, संविधान के प्रवर्तन पर भाग सी और डी राज्यों के संबंध में संसद की प्रमुख शक्ति प्रदान की गई थी, जिसे सातवें संविधान संशोधन द्वारा किए गए संशोधन के बाद भी जारी रखा गया है।

77. उनसठवें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 239 एए को शामिल करने के परिणामस्वरूप दिल्ली के लिए परिकल्पित संवैधानिक योजना का मुद्दा नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष एन**.** डी**.** एम**.** सी**.** बनाम पंजाब राज्य **(1997) 7** एस**.** सी**.** सी**. 339** के न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया। इस मामले में एन. डी. एम. सी. के प्रकरण में वाद विषय यह था कि क्या एन. डी. एम. सी. द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के भीतर स्थित राज्यों की अचल संपत्तियों पर लगाया जाने वाला संपत्ति कर भारत के संविधान के अनुच्छेद 289 में दी गई छूट के दायरे में आएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए खुशी जताई थी कि अनुच्छेद 289 के तहत छूट लागू होगी और एन. डी. एम. सी. के मूल्यांकन और मांग नोटिस को निरस्त कर दिया गया था। अपील का फैसला इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने किया था।

78. बहुमत की राय न्यायमूर्ति बी. पी. जीवन रेड्डी द्वारा दी गई थी। बहुमत का मानना था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलग-अलग निकाय हैं, जो

अनुच्छेद 245 और 246 की योजना से स्पष्ट है। पैराग्राफ 152, 155 और 160 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः-

.....152.प्रतिद्वंद्वी विवादों पर विचार करने पर, हम उत्तरदाताओं-राज्यों के साथ सहमत होने के लिए इच्छुक हैं। राज्यों को मिलाकर भारत का क्षेत्र समाप्त नहीं होता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं हैं और फिर भी संघ के क्षेत्र हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अलग-अलग निकाय हैं, जो अनुच्छेद **1** के खंड **(2)** से स्पष्ट है- वास्तव में संविधान की पूरी योजना से ।संविधान के अनुच्छेद 245 (1) में कहा गया है कि जहां संसद भारत के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, वहीं किसी राज्य का विधानमंडल पूरे या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। अनुच्छेद 245 (1) सहपठित अनुच्छेद 1 (2) से ज्ञात होता है कि जहां तक केंद्र शासित प्रदेशों का संबंध है, संसद एकमात्र कानून बनाने वाली संस्था है। किसी राज्य का विधानमंडल किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कोई विधि नहीं बना सकता है; वह केवल उस राज्य के लिए विधि बना सकता है। अनुच्छेद 246 के खंड (1), (2) और (3) संसद के बीच विधायी शक्तियों राज्य और विधानसभाएँ के विभाजन की बात करते हैं। यह विभाजन केवल संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच है, अर्थात संघ और राज्यों के बीच। केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विधायी शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है। इसी तरह, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है। जहाँ तक केंद्र शासित प्रदेशों का संबंध है, यह अनुच्छेद **246** का खंड **(4)** प्रासंगिक है। इसमें कहा गया है कि संसद को भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है जो किसी राज्य में शामिल नहीं है, भले ही ऐसा मामला राज्य सूची में गिना गया हो।अब, केंद्र शासित प्रदेश किसी भी राज्य के क्षेत्र में शामिल नहीं है। यदि ऐसा है, तो संसद एकमात्र कानून बनाने वाली संस्था है उपलब्ध है ऐसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए । यह उल्लेख करना भी उतना ही प्रासंगिक है कि मूल रूप से अधिनियमित संविधान में भाग 'ग' राज्यों (या, उस मामले के लिए, भाग

'घ' राज्यों) में से किसी के लिए भी विधायिका का प्रावधान नहीं था। यह केवल भाग 'ग' राज्य सरकार अधिनियम, 1951 के आधार पर है कि दिल्ली सहित कुछ भाग 'ग' राज्यों को एक विधायिका मिली है। इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1962 में, संविधान चौदहवें (संशोधन) अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेशों (निश्चित रूप से, दिल्ली को छोड़कर) के लिए विधानसभाओं के निर्माण/गठन का प्रावधान किया था, लेकिन यहां भी संविधान ने स्वयं उन भाग 'सी' राज्यों के लिए विधानसभाओं का प्रावधान नहीं किया था; इसने केवल संसद को इसके लिए प्रावधान करने का अधिकार दिया था। वर्ष **1991** में**,** संविधान ने **69** वें **(**संशोधन**)** अधिनियम **(**अनुच्छेद **239-**ए**.** ए**.)** द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली **(**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**)** के लिए एक विधानमंडल का प्रावधान किया था**,** लेकिन यहां भी इस तरह से बनाई गई विधायिका एक पूर्ण विधायिका नहीं थी और न ही इसका प्रभाव था**-**यह मानते हुए कि यह संविधान के भाग **11** के अध्याय **1** के अर्थ के भीतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी से राज्यों की श्रेणी में उठा सकता है। इन सब का मतलब है कि जहां तक केंद्र शासित प्रदेशों का संबंध है**,** सूची **I,** सूची **II** या सूची **III** जैसी कोई चीज नहीं है। एकमात्र विधायी निकाय संसद या उसके द्वारा बनाया गया विधायी निकाय है। संसद उक्त क्षेत्रों के संबंध में कोई भी विधि बना सकती है**-** निश्चित रूप से**,** संविधान के भाग **XI** के अध्याय **I** में निर्दिष्ट संवैधानिक सीमाओं के अलावा। इन सबसे ऊपर**,** केंद्र शासित प्रदेश **"**राज्य**"** नहीं हैं जैसा कि भाग **XI** के अध्याय **I** द्वारा विचार किया गया है**;** वे संघ के राज्य क्षेत्र जो राज्यों के क्षेत्रों से बाहर आते हैं। एक बार जब केंद्र शासित प्रदेश संघ का हिस्सा हो जाता है और किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं होता है**,** तो यह इस प्रकार है कि इसके विधायी निकाय द्वारा लगाया जाने वाला कोई भी कर संघ कर है। स्वीकृत रूप से इसे **"**राज्य कराधान**"** नहीं कहा जा सकता है**-**और**,** संवैधानिक योजना के तहत किसी तीसरे प्रकार का कराधान नहीं है। या तो यह केंद्रीय कराधान है या राज्य कराधान।

.....155. इस संबंध में यह याद रखना आवश्यक है कि सभी केंद्र शासित प्रदेश समान रूप से स्थित नहीं हैं। कुछ केंद्र शासित प्रदेश **(**यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़**)** हैं जिनके लिए आज तक कोई विधायिका नहीं हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेशों की दूसरी श्रेणी अनुच्छेद **239-**ए **(**जो हिमाचल प्रदेश**,** मणिपुर**,** त्रिपुरा**,** गोवा**,** दमन और दीव और पांडिचेरी पर लागू होती है**-**अब**,** निश्चित रूप से**,** केवल पांडिचेरी इस श्रेणी में जीवित है**,** बाकी ने राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है**)** के अंतर्गत आती है**,** जिसमें संसद के सौजन्य से विधानसभाएं हैं। संसद**,** विधि द्वारा**,** इन राज्यों के लिए विधानमंडलों के गठन का प्रावधान कर सकती है और इन विधानमंडलों को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती है**,** जो वह उचित समझे। संसद ने इन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए **"**केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम**, 1963"** के तहत विधानसभाओं का गठन किया था**,** जो उन्हें सूची **II** और सूची **III** के मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है**,** लेकिन इसकी प्रबल शक्ति के अधीन है। तीसरी श्रेणी दिल्ली है। संविधान के **69** वें **(**संशोधन**)** अधिनियम**, 1991** के तहत और उसके आधार पर बनाए जाने तक इसका कोई विधानमंडल नहीं था**,** जिसने अनुच्छेद **239-**एए पेश किया था। हम पहले ही अनुच्छेद **239-**एए की विशेष विशेषताओं पर विचार कर चुके हैं और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में**,** अनुच्छेद **239-**एए के खंड **(8)** के सहपठित अनुच्छेद **239-**बी के संदर्भ से पता चलता है कि कैसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली अपने आप में एक वर्ग में है**,** लेकिन निश्चित रूप से अनुच्छेद **246**

या संविधान के भाग **VI** के अर्थ के भीतर एक राज्य नहीं है। कुल मिलाकर**,** यह खंड (4) अनुच्छेद 246 द्वारा शासित एक क्षेत्र भी है। जैसा कि विद्वान महान्यायवादी ने बताया**,** विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश विकास के विभिन्न चरणों में हैं। कुछ ने पहले ही राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया है और कुछ इसके रास्ते पर हो सकते हैं। यद्यपि तथ्य यह है कि केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जीवित रहने वाले अनुच्छेद **246 (4)** द्वारा शासित होते हैं**,** उनकी संबंधित व्यवस्थाओं में मतभेदों के बावजूद**-**और दिल्ली**,** जिसे अब **"**दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र**"** कहा जाता है**,** अभी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है।**.....**"

.....160.तब अपीलार्थियों के लिए यह तर्क दिया जाता है कि यदि उपरोक्त दृष्टिकोण लिया जाता है, तो यह एक विसंगति का कारण बन जाएगा। इस संबंध में तर्क इस प्रकार है: अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका द्वारा भूमि और भवनों पर कर लगाने वाला विधि "राज्य कराधान" होगा, लेकिन यदि वही कर संसद द्वारा बनाए गए विधि द्वारा लगाया जाता है, तो इसे "केंद्रीय कराधान" के रूप में वर्णित किया जा रहा है; यह वास्तव में एक जिज्ञासु और असंगत स्थिति है। यद्यपि हमारी राय में, जिस पर आधारित है जो तर्क पर जोर दिया गया है वह गलत है । किसी केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि के तहत लगाए गए कर को इस साधारण कारण से **"**राज्य कराधान**"** नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद **246 (**या उस मामले के लिए**,** भाग **XI** का अध्याय **I)** या भाग **VI** या अनुच्छेद **285** के अर्थ के भीतर **"**राज्य**"** नहीं है।

289 .....”

79. अनुच्छेद 239 एए द्वारा निरूपित संवैधानिक योजना की जांच करने के बाद, संविधान पीठ द्वारा एक और संवैधानिक सिद्धांत निर्धारित किया गया था कि केंद्र शासित प्रदेश संबंधित व्यवस्थाओं में मतभेदों के बावजूद अनुच्छेद 246 (4) द्वारा शासित होते हैं और दिल्ली, जिसे अब "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" कहा जाता है, अभी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान पीठ ने यह भी माना था कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली अपने आप में एक वर्ग में है, निश्चित रूप से एक राज्य नहीं है। संसद की विधायी शक्ति दिल्ली सहित केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने के लिए थी।

80. उपरोक्त स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि संसद के पास राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में एन. सी. टी. डी. के लिए कानून बनाने की शक्ति है। एन. सी. टी. की विधान सभा के पास राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में विधायी शक्ति है, जिसमें राज्य सूची की अपवादात्मक प्रविष्टियां शामिल नहीं हैं।

बी**.** संघ **(**राष्ट्रपति**/**एलजी**)** और जीएनसीटीडी की कार्यकारी शक्तियाँ

81. हालाँकि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के उपराज्यपाल को कार्यकारी शक्ति प्रदान करने वाली संवैधानिक योजना में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 73 के तहत संघ को प्रदान किया गया है और अनुच्छेद 154 के तहत राज्य को प्रदान किया गया है। संवैधानिक योजना के तहत कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सह-व्यापक है। कार्यकारी शक्ति विधायी अधिनियमों को प्रभावी बनाने के लिए दी गई है। विधान की नीति को केवल कार्यकारी तंत्र द्वारा ही प्रभावी बनाया जा सकता है।संवैधानिक रूप से प्रदत्त लोकतांत्रिक जनादेश

को पूरा करने के लिए कार्यकारी शक्ति को स्वीकार करना होगा। अनुच्छेद 239 एए का खंड (4) मंत्रिपरिषद द्वारा कार्यकारी शक्ति के प्रयोग से संबंधित है, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री हैं, जो उपरोक्त कार्यों को करने में उपराज्यपाल की सहायता और सलाह देते हैं। प्रत्यर्थी का निवेदन है कि सूची II और सूची III में निहित सभी मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

82. संघ और राज्य उन विषयों पर कार्यकारी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जिन पर उनके पास कानून बनाने की शक्ति है। इस न्यायालय राम जवाया कपूर और अन्य बनाम पंजाब राज्य**,** ए**.** आई**.** आर**. 1955** एससी **549** पैराग्राफ **7** में कार्यकारी शक्ति की सीमा पर विचार करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया**:-**

"7. संविधान का अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है, जबकि किसी राज्य की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 162 में निहित है। इन अनुच्छेदों के प्रावधान भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 8 और 49 (2) के समान हैं और संघ और राज्यों के बीच कार्यकारी शक्तियों के वितरण के नियम को निम्नानुसार निर्धारित करते हैं, जैसा कि उनके बीच विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में किया गया है। अनुच्छेद 162, जिसके साथ हम इस प्रकरण में सीधे तौर पर संबंधित हैं, बताता है:

"इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है: बशर्ते कि किसी ऐसे मामले में जिसके संबंध में किसी राज्य के विधानमंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है, राज्य की कार्यकारी शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि द्वारा

संघ या उसके प्राधिकरणों को स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यकारी शक्ति के अधीन होगी और उसके द्वारा सीमित होगी।"

इस प्रकार इस अनुच्छेद के तहत राज्य का कार्यकारी प्राधिकरण सातवीं अनुसूची की सूची II में उल्लिखित मामलों के संबंध में अनन्य है। प्राधिकरण का विस्तार समवर्ती सूची तक भी है सिवाय इसके कि संविधान में ही प्रावधान किया गया है या समान रूप से संसद द्वारा पारित विधि है। इसी तरह, अनुच्छेद 73 में प्रावधान किया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार उन मामलों तक होगा जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है और ऐसे अधिकारों, प्राधिकरण और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जो किसी भी संधि या किसी समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। खंड (1) के परंतुक में आगे कहा गया है कि यद्यपि समवर्ती सूची के मामलों के संबंध में कार्यकारी प्राधिकरण सामान्य रूप से राज्य पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन यह संसद के लिए खुला होगा कि वह यह प्रावधान करे कि अपवादात्मक मामलों में संघ की कार्यकारी शक्ति इन मामलों में भी विस्तारित होगी। इनमें से किसी भी अनुच्छेद में इस बारे में कोई परिभाषा नहीं है कि कार्यकारी कार्य क्या है और कौन सी गतिविधियाँ वैध रूप से इसके दायरे में आएंगी।वे मुख्य रूप से एक ओर संघ और दूसरी ओर राज्यों के बीच कार्यकारी शक्ति के वितरण से संबंधित हैं। उनका यह मतलब नहीं है, जैसा कि श्री पाठक सुझाव देते हैं, कि जब संसद या राज्य विधानमंडल ने अपनी-अपनी सूचियों से संबंधित कुछ मदों पर कानून बनाया है, तो संघ या राज्य कार्यपालिका, जैसा भी प्रकरण हो, उनके संबंध में कार्य करने के लिए आगे बढ़ सकती है। दूसरी ओर, अनुच्छेद 172 की भाषा स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि राज्य कार्यपालिका की शक्तियां उन मामलों तक फैली हुई हैं जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बनाने के लिए सक्षम है और उन मामलों तक सीमित नहीं हैं जिन पर कानून पहले ही पारित किया जा चुका है। यही सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 73 में निहित है। इसलिए संविधान के ये प्रावधान श्री पाठक के तर्क का कोई समर्थन नहीं करते हैं।"

83. संविधान पीठ ने उपरोक्त प्रकरण में यह भी निर्धारित किया है कि हमारे संविधान में; हमने संसदीय लोकतंत्र की वही प्रणाली अपनाई है जो इंग्लैंड में थी। इस संबंध में पैरा संख्या 13 और 14 में निम्नलिखित थेः-

“13. भारतीय संविधान के तहत कार्यकारी सरकार किन सीमाओं के भीतर काम कर सकती है, इसका विनिश्चय हमारे संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका के रूप के संदर्भ में बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है। हमारा संविधान, हालांकि अपनी संरचना में संघीय है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जहां कार्यपालिका को सरकारी नीति के निर्माण की प्राथमिक जिम्मेदारी माना जाता है और विधि में इसका संचरण, हालांकि इस जिम्मेदारी के प्रयोग की पूर्व शर्त राज्य की विधायी शाखा का विश्वास बनाए रखना है। कार्यकारी कार्य में नीति के निर्धारण के साथ-साथ इसे निष्पादित करना दोनों शामिल हैं। इसमें स्पष्ट रूप से कानून की शुरुआत, व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, विदेश नीति की दिशा, वास्तव में राज्य के सामान्य प्रशासन का संचालन या पर्यवेक्षण शामिल है।

14. भारत में, इंग्लैंड की तरह, कार्यपालिका को विधायिका के नियंत्रण के अधीन कार्य करना पड़ता है; लेकिन इस नियंत्रण का प्रयोग विधायिका द्वारा किस तरह से किया जाता है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 53 (1) के तहत, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। इस प्रकार राष्ट्रपति को कार्यपालिका का औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है और वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां मंत्रियों या मंत्रिमंडल में निहित हैं। राज्य सरकार के संबंध में वही

प्रावधान प्राप्त होते हैं; राज्यपाल या राजप्रमुख, जैसा भी प्रकरण हो, राज्य में कार्यपालिका के प्रमुख का पद संभालते हैं, लेकिन वस्तुतः प्रत्येक राज्य में मंत्रिपरिषद ही कार्यपालिका सरकार का संचालन करती है। भारतीय संविधान में, इसलिए, हमारे पास संसदीय कार्यपालिका की वही प्रणाली है जो इंग्लैंड में है और विधानमंडल के सदस्यों की मंत्रिपरिषद, जैसा कि यह करती है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तरह है, "एक हाइफ़न जो जुड़ता है, एक बकल जो राज्य के विधायी हिस्से को कार्यकारी भाग से जोड़ता है"। मंत्रिमंडल, जैसा कि वह करता है, विधायिका में बहुमत अपने आप में विधायी और कार्यकारी दोनों कार्यों के आभासी नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है; और जैसा कि मंत्रिमंडल का गठन करने वाले मंत्री संभवतः बुनियादी बातों पर सहमत होते हैं और सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, नीति के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सभी उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं।"

84. संविधान के अनुच्छेद 73 पर भरोसा करते हुए अपीलार्थी ने कहा था कि अनुच्छेद 73 इस सिद्धांत को निर्धारित करता है कि संविधान के समवर्ती विधायी शक्ति के तहत दो अलग-अलग संघीय इकाइयों का अस्तित्व हो सकता है, कभी भी कोई समवर्ती कार्यकारी शक्तियां नहीं हो सकती हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त सिद्धांत एन. सी. टी. डी. के लिए भारत के संविधान की सूची II और सूची III में सूचीबद्ध मामलों पर समान रूप से लागू होता है। अनुच्छेद 239 एए (3) (बी) का उल्लेख करते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि उक्त प्रावधान संसद को राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों के मामलों में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसी शक्ति अनुच्छेद 246 के तहत भी उपलब्ध है। यद्यपि उपरोक्त से यह नहीं पता चलता है कि उक्त प्रावधान राज्य सूची और समवर्ती सूची के मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्तियां भी प्रदान करता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि संसद विधि द्वारा राज्यों के लिए केंद्र सरकार को समवर्ती सूची में मामलों के संबंध में कार्यकारी शक्तियां प्रदान कर सकती है, वह एन. सी. टी. डी. के संबंध में भी ऐसा कर सकती है। लेकिन, यदि ऐसा नहीं

किया जाता है, तो केंद्र सरकार के पास, एक सामान्य नियम के रूप में, सूची II (अपवाद प्रविष्टियों को छोड़कर) के तहत मामलों के संबंध में कोई कार्यकारी शक्तियां नहीं होंगी और यह जी. एन. सी. टी. डी. है, जिसे अनन्य कार्यकारी शक्तियां प्राप्त होंगी। हमारा विचार है कि संवैधानिक प्रावधानों पर अपीलार्थी द्वारा की गई उपरोक्त व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है कि कार्यकारी शक्तियां विधायी शक्तियों के साथ सह-अस्तित्व में हैं। इस संदर्भ में अनुच्छेद 73 का संदर्भ दिया गया है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 73 इस प्रकार प्रदान करता हैः-

“73. (1) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होगा -

(क) उन मामलों के लिए जिनके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है; और

(ख) ऐसे अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग के लिए जो भारत सरकार द्वारा किसी संधि या समझौते के आधार पर प्रयोग किए जा सकते हैंः

बशर्ते कि उपखंड (क) में निर्दिष्ट कार्यकारी शक्ति, जैसा कि इस संविधान या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, किसी भी राज्य में उन मामलों तक नहीं फैलेगी जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है।

(2) संसद द्वारा अन्यथा उपबंधित किए जाने तक, कोई राज्य और किसी राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी, इस अनुच्छेद में कुछ भी होने के बावजूद, उन मामलों में प्रयोग करना जारी रख सकता है जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए ऐसी कार्यकारी शक्ति या कार्य बनाने की शक्ति है जैसे कि राज्य या अधिकारी या प्राधिकारी अधिकार का प्रयोग इस संविधान के प्रारंभ से तुरंत पहले कर सकता था।"

85. अनुच्छेद 73 (1) के परंतुक में प्रावधान है कि उपखंड (ए) में निर्दिष्ट कार्यकारी शक्ति, जैसा कि इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है, किसी भी राज्य में उन मामलों तक विस्तार नहीं होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। स्प्ष्ट है, परंतुक समवर्ती सूची को संदर्भित करता है जहां संसद और राज्य दोनों को कानून बनाने की शक्ति है।समवर्ती सूची के संदर्भ में कार्यकारी शक्ति को जानबूझकर बाहर रखा गया है ताकि दो प्राधिकारियों द्वारा शक्ति के प्रयोग में किसी भी दोहराव से बचा जा सके। संविधान के सातवें संशोधन अधिनियम, 1956 से पहले के अनुच्छेद 73 में "पहली अनुसूची के भाग ए या भाग बी में निर्दिष्ट" राज्य शब्द के बाद की अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार, केवल भाग ए और भाग बी राज्यों के संबंध में कार्यकारी शक्ति को संघ से बाहर रखा गया था। इस प्रकार, जब संविधान लागू किया गया था, तो समवर्ती सूची के संबंध में भी भाग सी राज्यों के संदर्भ में संघ की कार्यकारी शक्ति को बाहर नहीं रखा गया था।भाग सी राज्यों को संविधान के सातवें संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है. अनुच्छेद 73 के प्रावधान में "राज्य" शब्द को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल करते हुए नहीं पढ़ा जा सकता है। अनुच्छेद 73 (1) के परंतुक में "राज्य" शब्द के भीतर केंद्र शासित प्रदेश शब्द को पढ़ना संविधान के भाग VIII (केंद्र शासित प्रदेशों) की योजना के अनुसार नहीं होगा। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के माध्यम से संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में एक स्वीकृत सिद्धांत है। उपरोक्त व्याख्या को एक अन्य कारण से भी मजबूत किया

गया है। अनुच्छेद 239 एए (4) परंतुक के तहत, उपराज्यपाल, मतभेद की प्रकरण में, निर्णय के लिए राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकता है और उसे उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करना होता है। इस प्रकार, राष्ट्रपति को किसी विशेष कार्यकारी कार्रवाई के संबंध में, जिसे संदर्भित किया गया है, निर्णय लेने का विशेष अधिकार क्षेत्र है, जिसका पालन मंत्रिपरिषद के साथ-साथ उपराज्यपाल दोनों को करना होता है। इस प्रावधान से यह संकेत नहीं मिलता है कि राष्ट्रपति की शक्ति केवल उन कार्यकारी कार्यों तक ही सीमित है जिनका उल्लेख सूची-2 में किया गया है। जब संवैधानिक योजना द्वारा प्रदत्त राष्ट्रपति किसी भी मामले पर कार्यकारी निर्णय लेने का हकदार है, भले ही इस तथ्य की परवाह किए बिना कि मंत्री परिषद या मंत्रियों द्वारा सूची II और सूची III में शामिल मामलों से संबंधित ऐसा कार्यकारी निर्णय लिया गया हो, राष्ट्रपति के माध्यम से संघ की कार्यकारी शक्ति सूची II तक ही सीमित नहीं की जा सकती है। कार्यकारी मामलों पर भी संघ का अध्यारोही शक्ति संवैधानिक योजना के अनुसार स्वीकार किया गया है । यह एक और बात है कि राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र द्वारा और एन. सी. टी. डी. के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए, संविधान स्वयं एक ऐसी योजना का संकेत देता है जो संवैधानिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाती है और कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए एक तंत्र प्रदान करती है, जो पहलू, यद्यपि अनुच्छेद 239 ए. ए. के उपखंड (4) पर विचार करते समय और विस्तृत किया जाएगा। संघ की विधायी शक्ति एन. सी. टी. के संबंध में अपनी कार्यकारी शक्ति के साथ सह-व्यापक है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के प्रावधानों द्वारा आगे इंगित की गई है। संविधान 69 वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 एए को शामिल करने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 को लागू किया गया है, जिसे संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 एए (7) (ए) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम, 1991 की धारा 49 इस प्रकार प्रदान करती हैः

“49. उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों का संबंध राष्ट्रपति।- इस अधिनियम में कुछ भी होने के बावजूद, उपराज्यपाल और उनकी मंत्रिपरिषद सामान्य नियंत्रण में होगी और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले ऐसे विशेष निर्देशों, यदि कोई हों, का पालन करेगी।”

86. संघ की विधायी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक योजना के अनुसार किया जाता है और धारा 49 स्वयं इंगित करती है कि संसद स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद की परिकल्पना करती है और उपराज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे विशेष निर्देशों के सामान्य नियंत्रण में होंगे और उनका पालन करेंगे। राष्ट्रपति की निर्देश जारी करने की शक्ति किसी भी तरह से सीमित नहीं है ताकि संघ की कार्यकारी शक्ति पर कोई प्रतिबंध लगाया जा सके।

87. राष्ट्रपति को अधिनियम, 1991 की धारा 44 के तहत मंत्रियों को कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाने का अधिकार है, जहां तक यह कार्य है, जिसके संबंध में उपराज्यपाल को अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना आवश्यक है। कार्य नियमों के साथ पठित अनुच्छेद 239 एए उपखंड (4) के अनुसार, जीएनसीटीडी के कार्यकारी कार्यों सहित कार्य के संचालन के तरीके और प्रक्रिया को प्रशासित किया जाना है। हालांकि संघ आम तौर पर जी. एन. सी. टी. डी. के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप नहीं करता है, जो अनुच्छेद 239 ए. ए. द्वारा चित्रित संवैधानिक योजना के अनुरूप है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लाए गए सरकार के मंत्रिमंडल रूप को अर्थ और उद्देश्य देता है। परंतु संसद का अधिरोही विधायिका शक्ति संवैधानिक योजना मे स्वीकार किया गया है, अधिरोही कार्यपालिका शक्ति को भी स्वीकार किया गया है यद्यपि जी.एन.सी.टी.डी. के दिन प्रतिदिन कृत्यो मे ऐसी शक्ति का प्रयोग संघ द्वारा न किया जाता हो । इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संघ की कार्यकारी

शक्ति सूची । और सूची ।। के लिए संदर्भित सभी विषयों पर सह–व्यापक है, जिस पर मंत्रिपरिषद और एन. सी. टी. डी. के पास भी कार्यकारी शक्तियां हैं।88. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने अनुच्छेद 239 एबी का भी उल्लेख किया है। अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह है कि केंद्र या उपराज्यपाल द्वारा कार्यकारी शक्ति का प्रयोग केवल अनुच्छेद 239 एबी में उल्लिखित परिस्थितियों में किया जा सकता है, अर्थात केवल तभी जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अनुच्छेद 239 एबी के प्रावधानों के अनुसार प्रशासन करने में असमर्थ हो। संविधान के उनसठवें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 239 एबी को भी जोड़ा गया था, जो इस प्रकार हैः–

" 239 एबी। संवैधानिक तंत्र विफलता के प्रकरण में प्रावधान

ः– यदि राष्ट्रपति, उपराज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा संतुष्ट हो जाता है –

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 एए या किसी के प्रावधानों के अनुसार या उस विधि के अनुसरण में बनाई गई विधि के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है; या

(ख) कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 239 एए के किसी भी प्रावधान या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी भी विधि के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है और ऐसी शर्तों के अधीन हो सकता है जो ऐसी विधि में निर्दिष्ट की जाएं और ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान कर सकता है जो उसे अनुच्छेद 239 और

अनुच्छेद 239 एए के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

89. अनुच्छेद 239 एबी का प्रावधान एक विशेष प्रावधान है जिसमें राष्ट्रपति अनुच्छेद 239 एए के प्रावधान या उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाए गए किसी भी विधि के किसी भी प्रावधान को निलंबित कर सकते हैं। उपरोक्त प्रावधान अनुच्छेद 356 के समान है, दोनों प्रावधानों का विषय, उदाहरण अनुच्छेद 239 एबी और अनुच्छेद 356 समान है, उदाहरण" संवैधानिक तंत्र विफलता के प्रकरण में प्रावधान"। अनुच्छेद 356/239 ए. ए. के तहत शक्ति राज्य के व्यापक हित में संघ को प्रदान की जाती है। यह निवेदन कि संघ द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से कार्यकारी शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अनुच्छेद 239 एबी के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।अनुच्छेद 239 एबी का प्रावधान पूरी तरह से अलग उद्देश्य के लिए है, और संघ द्वारा सामान्य कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के संबंध में प्रावधान नहीं है

अनुच्छेद 239 एए (4) प्रावधान

90. उपखंड (4) के परंतुक की व्याख्या पक्षों के बीच विवाद का मुख्य कारण है। दो व्यापक पहलू हैं जिन पर विस्तृत विचार करने की आवश्यकता है। पहला मुद्दा अनुच्छेद 239 एए के उपखंड (4) में निहित "सहायता और सलाह" शब्दों की अवधारणा है। अपीलार्थी का प्रकरण यह है कि सहायता और सलाह की सामग्री और अर्थ वही है जिसका उपयोग संविधान के अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 163 में किया गया है। अनुच्छेद 163 उपखंड (1) तैयार संदर्भ के लिए निकाला गया है:–

163.राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषदः–

(1) राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रमुख के रूप में एक मंत्रिपरिषद होगी, सिवाय इसके कि इस संविधान द्वारा या उसके तहत वह अपने कार्यों या उनमें से किसी भी कार्य को अपने विवेक से करने के लिए अपेक्षित है।

91. अपीलार्थियों ने संविधान पीठ के न्यायालय के निर्णय शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) 2 एस. सी. सी. 831 मामले का अवलंब लिया है। उपरोक्त मामले में इस प्रकरण की संविधान पीठ को संविधान के अनुच्छेद 163 में उपयोग किए गए "सहायता और सलाह" वाक्यांश की जांच करने का अवसर मिला था। इस न्यायालय ने पाया कि हमारा संविधान आम तौर पर संघ और राज्यों दोनों ब्रिटिश सरकार का संसदीय तंत्र के मॉडल के समान है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मंत्रिपरिषद से प्राप्त सहायता और सलाह के आधार पर कार्य करना होता है, सिवाय इसके कि उन्हें अपने विवेक से अपने कार्य का प्रयोग करना हो।अनुच्छेद 27, 28, 30, 32 और 33, जो प्रासंगिक हैं, निम्नलिखित रूप में उद्धृत किए गए हैंः–

“27. हमारा संविधान आम तौर पर संघ और राज्यों दोनों के लिए ब्रिटिश मॉडल की सरकार की संसदीय या मंत्रिमंडल प्रणाली का प्रतीक है।इस प्रणाली के तहत राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है और वह

अपनी मंत्री परिषद की सहायता और सलाह पर संविधान द्वारा या उसके तहत उसे प्रदान की गई अपनी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है।

मंत्रियों का।अनुच्छेद 103 मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के लिए एक अपवाद है क्योंकि यह विशेष रूप से प्रदान करता है कि राष्ट्रपति केवल चुनाव आयोग की राय के अनुसार कार्य करता है।यह तब होता है जब कोई प्रश्न उठता है कि क्या संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड (1) में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है।

28. जैसा कि हमारे संविधान में सन्निहित है, मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत राज्यपाल राज्य का संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है और वह अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग संविधान द्वारा या उसके तहत अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर करता है, सिवाय उन क्षेत्रों के जहां राज्यपाल को संविधान द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से अपने कार्यों का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है।

30. जिन सभी मामलों में राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से संविधान द्वारा या उसके तहत उन्हें प्रदत्त अपने कार्यों का प्रयोग करते हैं, वे क्रमशः भारत सरकार या राज्य सरकार के कार्य के सुविधाजनक संव्यवहार के लिए नियम बनाकर या अनुच्छेद 77 (3) और 166 (3) के अनुसार उक्त कार्य के अपने मंत्रियों के बीच आवंटन करके ऐसा करते हैं।जहां कहीं भी संविधान राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किसी भी शक्ति या कार्य के प्रयोग

के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि की अपेक्षा करता है, प्रकरण के लिए अनुच्छेद 123,213,311 (2) परंतुक (सी), 317,352 (1), 356 और 360 में संविधान द्वारा अपेक्षित संतुष्टि राष्ट्रपति या राज्यपाल की व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं है, बल्कि सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत संवैधानिक अर्थों में राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि है। इसके कारण ये हैं। यह उस मंत्रिपरिषद की संतुष्टि है जिसकी सहायता और सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल आम तौर पर अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करते हैं। न तो अनुच्छेद 77 (3) और न ही अनुच्छेद 166 (3) किसी भी शक्ति के प्रत्यायोजन का प्रावधान करता है। दोनों अनुच्छेद 77 (3) और 166 (3) में प्रावधान है कि अनुच्छेद 77 (3) के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 166 (3) के तहत राज्यपाल सरकार और राज्य के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संव्यवहार के लिए नियम बनाएँगे और कार्य को मंत्रियों के बीच आवंटन उक्त कार्य अनुसार करेंगे। कार्य के नियम और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन सभी इंगित करते हैं कि मंत्री या अधिकारी द्वारा बनाये गये कार्य के नियम इन दो अनुच्छेदों से संबंधित है । राष्ट्रपति के प्रकरण में अनुच्छेद 77 (3) और राज्य के राज्यपाल के प्रकरण में अनुच्छेद 166 (3) क्रमशः राष्ट्रपति या राज्यपाल का निर्णय होता है।

32. यह अंग्रेजी संवैधानिक विधि का एक मौलिक सिद्धांत है कि मंत्रियों को प्रत्येक कार्यकारी कार्य के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। इंग्लैंड में संप्रभु कभी भी अपनी जिम्मेदारी पर काम नहीं करता है। संप्रभु की शक्ति इस व्यावहारिक नियम द्वारा सशर्त है कि क्राउन को अपने कार्य के लिए ज़िम्मेदार होने के लिए सलाहकार ढूंढने चाहिए। उन सलाहकारों को हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास होना चाहिए। अंग्रेजी संवैधानिक विधि का यह नियम हमारे संविधान

में शामिल है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों में सरकार के एक संसदीय और जिम्मेदार रूप की परिकल्पना की गई है, न कि राष्ट्रपति सरकार के रूप में। संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की शक्तियाँ अलग नहीं हैं।

33. इस न्यायालय ने लगातार यह विचार रखा है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ और राज्यपाल की शक्तियाँ ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के तहत क्राउन की शक्तियों के समान हैं। (राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए. संजीवी नायडू बनाम मद्रास राज्य 4, यू. एन. आर. राव बनाम इंदिरा गांधी 5) देखें।राम जवाया कपूर प्रकरण में न्यायालय की ओर से बोलते हुए सी. जे. मुखर्जी ने विधिक स्थिति इस प्रकार बताई। सरकारी नीति के निर्माण और इसे विधि में बदलने की प्राथमिक जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। इस जिम्मेदारी के प्रयोग की पूर्व शर्त यह है कि कार्यपालिका राज्य की विधायी शाखा का विश्वास बरकरार रखे। कानून की शुरुआत, व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, विदेश नीति की दिशा, राज्य के सामान्य प्रशासन को जारी रखना, ये सभी कार्यकारी कार्य हैं। कार्यपालिका को विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन कार्य करना है।संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मंत्रिमंडल के मंत्रियों में निहित हैं। राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के प्रमुख के रूप में एक मंत्रिपरिषद है।"

92. यह प्रतिपादित है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना है और जैसा कि अनुच्छेद 163 के तहत विचार किया गया है, संवैधानिक योजना के अनुसार, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की अवहेलना करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, सिवाय इसके कि जब उन्हें अपने विवेक से अपने कार्य का प्रयोग करने की आवश्यकता हो। इस न्यायालय द्वारा

शमशेर सिंह के वाद मे स्थिति के संबंध मे जो निर्णय किया गया है वह विवादित नहीं किया जा सकता और उसके बाद यह अन्य मामलो मे अनुपालन किया गया है । क्या अनुच्छेद 239 एए (4) में उपयोग की गई "सहायता और सलाह" को वही अर्थ दिया जाना चाहिए जो अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 74 में निहित है, इस प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिए।अपीलार्थी का प्रकरण यह है कि अनुच्छेद 239 एए में वर्णित संविधान योजना, शासी प्रणाली के वेस्टमिंस्टर मॉडल को स्वीकार करने के बाद, मंत्रिपरिषद की "सहायता और सलाह" उपराज्यपाल के लिए बाध्यकारी है और वह सहायता और सलाह के विपरीत कार्य नहीं कर सकता है और सहायता और सलाह का पालन करने के लिए बाध्य है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी अन्य व्याख्या संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा के विपरीत होगी, जो संविधान की मूल विशेषता है। यदि अनुच्छेद 239 एए के उपखंड (4) का प्रावधान नहीं होता तो कोई दूसरी राय नहीं हो सकती थी। उपखंड (4) में निर्दिष्ट मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह का उपराज्यपाल को तब तक पालन करना होगा जब तक कि वह अनुच्छेद 239 एए के उपखंड (4) के प्रावधान में दी गई अपनी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय नहीं लेता है। उपखंड (4) में दी गई शक्ति के लिए परंतुक एक अपवाद है। जब कोई प्रकरण परंतुक के अंतर्गत आता है, तो उपखंड (4) के तहत मंत्रिपरिषद की "सहायता और सलाह" का पालन नहीं किया जाना चाहिए और उपराज्यपाल द्वारा एक संदर्भ दिया जा सकता है।यह एक स्पष्ट संविधान योजना है, जिसे अनुच्छेद 239 एए परंतुक के उपखंड (4) द्वारा चित्रित किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि जो योजना अनुच्छेद 239 एए परंतुक के उपखंड (4) द्वारा परिलक्षित होती है, वही योजना है जो केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 की धारा 44 के तहत निहित है। अधिनियम की धारा 44 नीचे उद्धृत की गई है:–

“प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे जो उन मामलों के संबंध में प्रशासक को अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देंगे जिनके संबंध में केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है, सिवाय इसके कि इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत किसी भी न्यायिक या अर्ध–न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने के लिए अपने विवेक से या किसी विधि द्वारा या उसके तहत कार्य करने की आवश्यकता है वहां तक कानून बनाने की शक्ति है।

बशर्ते कि किसी मामले पर प्रशासक और उसके मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में, प्रशासक इसे राष्ट्रपति को निर्णय के लिए भेजेगा और राष्ट्रपति द्वारा उस पर दिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा, और ऐसा निर्णय आने तक, यह प्रशासक के लिए किसी भी मामले में सक्षम होगा जहां प्रकरण उसकी राय में इतना जरूरी है कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना, ऐसी कार्रवाई करना या मामले में ऐसा निर्देश देना आवश्यक है जो वह आवश्यक समझे।

93. इस प्रकार, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, परंतुक में उल्लिखित अपवाद पहले से ही बहुत अधिक था। इस प्रकार, परंतुक में निहित योजना केंद्र शासित प्रदेशों में अच्छी तरह से लागू होने वाली योजना थी। जब कोई स्पष्ट अपवाद होता है जब मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह उपराज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं होती है और वह इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और तात्कालिकता की प्रकरण में इस तरह के निर्णय को लंबित रखते हुए अपना निर्णय ले सकता है, तो हम इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होते हैं

कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल पर सहायता और सलाह बाध्यकारी है। एन. सी. टी. डी. की विधान सभा निर्वाचित सदस्यों के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के कारण उनकी राय और निर्णय का सम्मान किया जाना चाहिए और सभी मामलों में, सिवाय उन मामलों के जहां उपराज्यपाल एक संदर्भ देने का निर्णय लेते हैं।

94. "किसी भी मामले" शब्द का अर्थ जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह है उपखंड (4) के परंतुक के पहले वाक्य के अंतर्गत है । एक अन्य मुद्दा जिस पर इस संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या उपखंड (4) के परंतुक का संचालन केवल कुछ श्रेणियों के मामलों तक ही सीमित है जैसा कि अपीलार्थी द्वारा तर्क दिया गया है या परंतुक पर उपराज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी कार्यकारी निर्णयों में भरोसा निर्भर हो सकता है। अपीलार्थियों के अनुसार, परंतुक निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करता है, जब एन. सी. टी. डी. के मंत्रिपरिषद का निर्णयः–

क. अनुच्छेद 239 एए (4) के तहत कार्यकारी शक्ति की सीमा से बाहर है;

ख. संघ की कार्यकारी शक्ति के वैध प्रयोग में बाधा डालता है या प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करता है;

ग. संसद के कानूनों के विपरीत है;

घ. नियम 23 के अंतर्गत आता है जैसे –

i. ऐसे मामले जो राजधानी की शांति और स्थिरता को प्रभावित करते हैं।

ii. किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के हित;

iii. उच्च न्यायपालिका के साथ संबंध;

iv. प्रशासनिक महत्व के कोई अन्य मामले जिन्हें मुख्यमंत्री आवश्यक समझता हो।

95. इस प्रकार, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि ऊपर उल्लिखित उपरोक्त श्रेणियों के अलावा, परंतुक का किसी अन्य मामले में प्रयोज्य नहीं है। हम परंतुक में ऐसे किसी भी प्रतिबंध को पढ़ने में सक्षम नहीं हैं जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा तर्क दिया गया है। पंक्ति "कोई भी प्रकरण" के पहले वाक्य मे परंतुक यह कहता है उदाहरण "बशर्ते कि किसी भी मामले पर उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच मतभेद की स्थिति में।" "कोई भी मामला" शब्द व्यापक महत्व के शब्द हैं और अनुच्छेद 239 एए (4) की भाषा परंतुक के संचालन में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करती है। उपखंड (4) के प्रावधान में परंतुक में कुछ न होते हुए भी परंतुक मे उल्लेखित वाक्यांश "किसी भी मामले" को कोई प्रतिबंध या सीमा मे पढ़ा जाएगा। कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हुए अनुच्छेद 239 एए (3) में भी "कोई भी मामला" शब्द का उपयोग किया गया है।उपखंड (3) (ए) में

कहा गया है, "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विधान सभा को राज्य सूची या समवर्ती सूची में बताए गए किसी भी मामले के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी, जहां तक ऐसा कोई मामला केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है। इसके अलावा, उपखंड (बी) में प्रावधान है कि "उपखंड (ए) में कुछ भी किसी केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संविधान के तहत संसद की शक्तियों का हनन नहीं करेगा।" उपरोक्त दो खंडों में "कोई भी विषय" शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि इसका उपयोग किसी भी सीमित या प्रतिबंधित तरीके से नहीं किया जाता है, बल्कि "कोई भी विषय" शब्द का उपयोग कानून की पूरी सीमा को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। जब उसी वाक्यांश का उपखंड (4) के परंतुक में उपयोग किया गया है, तो हमारा विचार है कि उसी अनुच्छेद के पहले भाग में उपयोग किए गए उसी शब्द की समान व्याख्या की जानी चाहिए।

96. इस संदर्भ में, हम **तेज किरण जैन और अन्य बनाम एन. संजीव रेड्डी और अन्य, (1970) 2 एससीसी 272 का उल्लेख करते हैं।** उपरोक्त प्रकरण में, इस न्यायालय के पास "कोई भी" शब्द पर विचार करने का अवसर है था जैसा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 105 (2) में उपयोग किया गया था।

इस न्यायालय ने पैराग्राफ 8 में निम्नलिखित कहाः–

“8. हमारे निर्णय में अनुच्छेद के प्रावधानों को सुझाए गए तरीके से पढ़ना संभव नहीं है। अनुच्छेद का अर्थ वही है जो वह भाषा में कहता है जो इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता। यह अनुच्छेद अन्य बातों के साथ–साथ "संसद में कही गई

किसी भी बात" के संबंध में प्रतिरक्षा प्रदान करता है। "कुछ भी" शब्द का व्यापक महत्व है और यह "सब कुछ" के बराबर है। एकमात्र सीमा "संसद में" शब्दों से उत्पन्न होती है जिसका अर्थ संसद की बैठक के दौरान और संसद के कार्य के दौरान है। हम केवल लोकसभा में भाषणों के बारे में चिंतित हैं। एक बार जब यह साबित हो गया कि संसद की बैठक चल रही थी और उसका कार्य चल रहा था, तो उस कार्य के दौरान कही गई कोई भी बात किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से मुक्त है, यह प्रतिरक्षा न केवल पूर्ण है, बल्कि वैसी ही है जैसी होनी चाहिए।"

97. उपरोक्त चर्चाओं से, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह उपराज्यपाल पर बाध्यकारी है, सिवाय इसके कि वह अनुच्छेद 239 एए के उपखंड (4) के प्रावधान में दी गई अपनी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लेता है। जिन मामलों में प्रोविसो के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, वहां मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह उपराज्यपाल के लिए बाध्यकारी है।हमारा विचार है कि अनुच्छेद 239 एए के उपखंड (4) के प्रावधान को संसदीय लोकतंत्र के किसी भी सिद्धांत या सरकार की किसी भी संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत या सरकार के तंत्र या मौन संविधान के किसी सिद्धांत या उलझनों पर कोई अन्य व्याख्या नहीं दे सकता है।

98. अपीलार्थियों का यह निवेदन कि अनुच्छेद 239 एए के उपखंड (4) के प्रावधान में एक चरम और असामान्य स्थिति की परिकल्पना की गई है और यह एक मानक नहीं है, सारवान रूप से सही है। परंतुक के तहत शक्ति का प्रयोग एक नियमित मामला नहीं हो सकता है और यह केवल उन मामलों में है जहां उपराज्यपाल, मंत्रिपरिषद/मंत्रियों के किसी विशेष निर्णय पर उचित विचार करते

है, प्रेषित करने का निर्णय लेते हैं इसलिए यह निर्णय लागू नहीं होता है । केंद्र शासित प्रदेश के समस्त प्रशासन का प्रयोग राष्ट्रपति को प्रदान किया जाता है, जो संविधान के भाग VIII में निहित प्रावधानों से स्पष्ट है। हालाँकि, अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि संविधान में अनुच्छेद 239 एए को शामिल किए जाने के बाद एन. सी. टी. डी. के संबंध में अनुच्छेद 239 लागू नहीं होता है। उपरोक्त प्रस्तुति को प्रावधानों की अभिव्यक्ति के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जा सकता जिन प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 239 एए और अनुच्छेद 239 एबी के तहत किया गया है। अनुच्छेद 239 एए उपखंड (1) स्वयं विचार करता है कि अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाएगा। इस प्रकार अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में नामित किया जाता है। अनुच्छेद 239 एबी एन. सी. टी. डी. पर भी लागू होता है। अनुच्छेद 239 एबी बदले में अनुच्छेद 239 को संदर्भित करता है।संविधान के भाग VIII में निहित प्रावधानों पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार, संविधान निर्माताओं के इरादे का पता लगाते समय भाग VIII के सभी प्रावधानों को संचयी रूप से पढ़ना होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुच्छेद 239 एन. सी. टी. डी. पर भी लागू होता है।

क्या जी. एन. सी. टी. डी. के कार्यकारी निर्णय पर उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता है।

99. अनुच्छेद 239 एए के संवैधानिक प्रावधान से यह संकेत नहीं मिलता है कि जीएनसीटीडी के कार्यकारी निर्णय उपराज्यपाल के संवर्तन से लिए जाने चाहिए। 69 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए संवैधानिक प्रावधानों का उद्देश्य

विधानसभा और मंत्रिपरिषद को संवैधानिक प्रावधानों द्वारा प्रदान करके स्थिरता और स्थायित्व सुनिश्चित करना है।मंत्रिपरिषद/जी. एन. सी. टी. डी. प्रावधान के मंत्रियों द्वारा लिए गए कार्यकारी निर्णय के संबंध में जी. एन. सी. टी. डी. और एल. जी. के कार्यकारी निर्णयों के बीच मतभेद होने की स्थिति में एल. जी. को राष्ट्रपति को संदर्भित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन योजना यह सुझाव नहीं देती है कि मंत्रिपरिषद/मंत्रियों द्वारा निर्णय एल. जी. की सहमति से लिए जाने चाहिए। उपरोक्त निष्कर्ष 1991 के अधिनियम के साथ–साथ 1991 के अधिनियम की धारा 44 के तहत राष्ट्रपति द्वारा पुननिर्मित जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य–निष्पादन नियम, 1993 के लिए है उस पर फिर से लागू होता है। हालांकि 1991 के अधिनियम के प्रावधानों में मंत्री परिषद के प्रस्ताव, एजेंडा और निर्णयों के बारे में उपराज्यपाल को सूचित करने का प्रावधान है, लेकिन किसी भी प्रावधान में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उपरोक्त निर्णयों के संबंध में उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता है।

100. दिल्ली प्रशासन को नियंत्रित करने वाले पहले के अधिनियमों में जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए एल. जी. की संवर्तन शब्द प्रदान किया गया था, लेकिन उक्त योजना को 1991 के अधिनियम में मंजूरी दिए जाने के बाद, जी. एन. सी. टी. डी. द्वारा लिए गए कार्यकारी निर्णयों के लिए एल. जी. की किसी भी सहमति की आवश्यकता नहीं है।

एल. जी. के साथ संवाद, इसका उद्देश्य और लक्ष्य

101. 1991 के अधिनियम की योजना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उपराज्यपाल को मंत्री/मंत्री परिषद द्वारा लिए गए सभी प्रस्तावों, एजेंडों और निर्णयों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। धारा 44 व्यवसाय के संचालन से संबंधित है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

"44. कार्यों का संचालनः

(1) राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाएगाः

(क) मंत्रियों को कार्य के आवंटन के लिए जहाँ तक यह कार्य है जिसके संबंध में उपराज्यपाल से अपने मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है; और

(ख) उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद या मंत्री के बीच मतभेद की प्रकरण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सहित मंत्रियों के साथ व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन–देन के लिए।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, उपराज्यपाल की सभी कार्यकारी कार्रवाई, चाहे वह उनके मंत्रियों की सलाह पर की गई हो या अन्यथा, उपराज्यपाल के नाम पर की गई होगी।

(3) उपराज्यपाल के नाम से बनाए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को उस तरीके से प्रमाणित किया जाएगा जो उपराज्यपाल द्वारा बनाए

जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है और इस तरह से प्रमाणित किसी आदेश या दस्तावेज की वैधता पर इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा कि यह उपराज्यपाल द्वारा बनाया गया या निष्पादित आदेश या दस्तावेज नहीं है।"

102. धारा 45 के तहत, मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल को राजधानी के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और कानून के प्रस्तावों के बारे में जानकारी देनी होती है और ऐसी जानकारी प्रस्तुत करनी होती है जो उपराज्यपाल द्वारा मांगी जा सकती है। धारा 45 इस प्रकार हैः

"45. उपराज्यपाल आदि को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यः

यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा –

(क) उपराज्यपाल को राजधानी के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधान के लिए प्रस्तावों के बारे में सूचित करना;

(ख) राजधानी के मामलों के प्रशासन और विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जो उपराज्यपाल को चाहिए, और

(ग) यदि उपराज्यपाल से ऐसा अपेक्षित है, तो वह कोई भी मामला जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, उसे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करे।"

103. 1991 के अधिनियम की धारा 44, अर्थात् 1993 के नियमों के तहत नियम बनाए गए हैं, जो जी. एन. सी. टी. डी. और एल. जी. के वास्तविक कामकाज पर काफी प्रकाश डालते हैं। नियम 9 उप–नियम (2) में प्रावधान है कि यदि किसी प्रस्ताव को प्रसारित करने का निर्णय लिया जाता है, तो जिस विभाग से वह संबंधित है, वह प्रस्ताव के तथ्यों, निर्णय के लिए बिंदुओं और प्रभारी मंत्री की सिफारिशों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए एक ज्ञापन तैयार करेगा और जब इसे मंत्रियों को वितरित किया जाता है, तो साथ ही इसकी एक प्रति उपराज्यपाल को भेजी जानी चाहिए। नियम 10 इस प्रकार है:

"10. (1) यह निर्देश देते हुए कि एक प्रस्ताव प्रसारित किया जाएगा, मुख्यमंत्री यह भी निर्देश दे सकता है कि यदि मामला तत्काल प्रकृति का है, तो मंत्री एक विशेष तिथि तक परिषद के सचिव को अपनी राय भेज देंगे, जिसे नियम 9 में निर्दिष्ट ज्ञापन में निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) यदि कोई मंत्री ज्ञापन में इस प्रकार निर्दिष्ट तिथि तक परिषद के सचिव को अपनी राय देने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि उसने उसमें निहित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

(3) यदि मंत्री ने ज्ञापन में निहित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है या जिस तारीख तक उसे अपनी राय व्यक्त करने की आवश्यकता थी, वह समाप्त हो गई है, तो परिषद का सचिव मुख्यमंत्री को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि मुख्यमंत्री सिफारिशों को स्वीकार करता है और यदि उसे कोई अवलोकन नहीं करना है, तो वह अपने आदेश के साथ प्रस्ताव को परिषद के सचिव को वापस कर देगा।

(5) प्रस्ताव की प्राप्ति पर, परिषद का सचिव उपराज्यपाल को निर्णय के बारे में सूचित करेगा और संबंधित सचिव को प्रस्ताव पारित करेगा जो इसके बाद आदेश जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा जब तक कि अध्याय 5 के प्रावधानों के अनुसरण में केंद्र सरकार को निर्देश की आवश्यकता न हो।

104. उपरोक्त प्रावधान यह भी इंगित करता है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद, इसे उपराज्यपाल को सूचित किया जाएगा और उसके बाद ही आदेश जारी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, बशर्ते कि उपराज्यपाल द्वारा नियमों के अध्याय V के तहत केंद्र सरकार को कोई संदर्भ नहीं दिया गया हो।

105. नियम 13 उप–नियम (3) में प्रावधान है कि परिषद की बैठक में चर्चा किए जाने वाले प्रस्तावों को दिखाने वाला एक एजेंडा मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया है जिसे उपराज्यपाल को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित एजेंडा परिषद के सचिव द्वारा उपराज्यपाल को भेजा जाएगा। नियम 13 उप–नियम (3) इस प्रकार हैः

" नियम 13 (3) परिषद की बैठक में चर्चा किए जाने वाले प्रस्तावों को दिखाने वाले एजेंडे को मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, इसकी प्रतियां, ऐसे ज्ञापनों की प्रतियों के साथ जो नियम 11 के तहत वितरित नहीं किए गए हैं, परिषद के सचिव द्वारा उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को भेजी जाएंगी, ताकि ऐसी 7 बैठकों की तारीख से कम से कम दो दिन पहले उन तक पहुंचा जा सके। मुख्यमंत्री, तात्कालिकता की प्रकरण में, दो दिनों की उक्त अवधि में कटौती कर सकते हैं।"

106. नियम 14 में फिर से प्रावधान है कि प्रत्येक प्रस्ताव पर परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में उपराज्यपाल को सूचित किया जाएगा। अपने विभाग में प्रस्तावों या मामलों के निपटारे के लिए प्रभारी मंत्री द्वारा जारी किए गए स्थायी आदेशों को भी नियम 15 और 16 के अनुसार उपराज्यपाल को सूचित किया जाना आवश्यक है।

107. नियम 19 उप–नियम (5) उपराज्यपाल को किसी भी विभाग में किसी भी प्रस्ताव या मामले से संबंधित कागजात मंगाने का अधिकार देता है और ऐसी मांग का अनुपालन संबंधित विभाग के सचिव द्वारा किया जाएगा।

108. नियम 23 कुछ मामलों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें कोई भी आदेश जारी करने से पहले उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाना है। नियम 23 इस प्रकार हैः

“23. प्रस्तावों या मामलों के निम्नलिखित वर्गों को अनिवार्य रूप से उपराज्यपाल को मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के माध्यम से उस पर कोई आदेश जारी करने से पहले प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात्:

(i) ऐसे मामले जो राजधानी की शांति और स्थिरता को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने की संभावना रखते हैं;

(ii) ऐसे मामले जो किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के हितों को प्रभावित करते हैं या प्रभावित करने की संभावना रखते हैं।

(iii) ऐसे मामले जो किसी भी राज्य सरकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय या दिल्ली के उच्च न्याया लय के साथ सरकार के संबंधों को प्रभावित करते हैं;

(iv) अधिनियम के तहत या अध्याय V के तहत केंद्र सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्ताव या मामले; (v) उपराज्यपाल के सचिवालय और कार्मिक स्थापना से संबंधित मामले और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य मामले;

(va) वे मामले जिन पर उपराज्यपाल को किसी लागू विधि या लिखत के तहत आदेश देने की आवश्यकता होती है;

(vi) मृत्युदंड के तहत व्यक्तियों से दया याचिकाएं और अन्य महत्वपूर्ण मामले जिनमें न्यायिक दण्ड के किसी भी पुनरीक्षण की सिफारिश करने का प्रस्ताव है;

(vii) विधान सभा का आहवान, सत्रावसान और विघटन, विधान सभा, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनावों में मतदाताओं की अयोग्यता को हटाने और उनसे संबंधित अन्य मामलों से संबंधित मामले; और

(viii) कोई अन्य प्रस्ताव या प्रशासनिक महत्व के मामले जिन्हें मुख्यमंत्री आवश्यक समझ सकता है।

109. नियम 24 के तहत, उपराज्यपाल को प्रभारी मंत्री द्वारा पारित किसी भी आदेश को विचार के लिए परिषद के समक्ष रखने की आवश्यकता होती है।

110. नियम 25 मुख्यमंत्री को राजधानी के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी उपराज्यपाल को देने के लिए बाध्य करता है जिसकी उपराज्यपाल मांग कर सकते हैं।

111. नियम 49 किसी भी मामले के संबंध में उपराज्यपाल और मंत्री के बीच मतभेद से संबंधित है, जबकि नियम 50 किसी भी मामले के संबंध में

उपराज्यपाल और परिषद के बीच मतभेद से संबंधित है। नियम 49 और 50 इस प्रकार हैं:

"49. किसी भी प्रकरण के संबंध में उपराज्यपाल और किसी मंत्री के बीच मतभेद होने की स्थिति में, उपराज्यपाल उस प्रकरण पर चर्चा करके किसी भी मुद्दे को हल करने का प्रयास करेगा, जिस पर ऐसा मतभेद उत्पन्न हुआ है। यदि मतभेद बना रहता है, तो उपराज्यपाल निर्देश दे सकते हैं कि मामला परिषद को भेजा जाए। किसी भी प्रकरण के संबंध में उपराज्यपाल और परिषद के बीच मतभेद होने की स्थिति में, उपराज्यपाल इसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए केंद्र सरकार को भेजेगा और राष्ट्रपति के निर्णय के अनुसार कार्य करेगा।"

112. नियम 49 एल. जी. को इस मामले पर चर्चा करने के लिए सक्षम और बाध्य करता है जब किसी मंत्री के निर्णय के साथ कुछ मतभेद होता है। मतभेदों को दूर करने और कार्रवाई के एक स्वीकार्य मार्ग पर पहुंचने के लिए चर्चा हमेशा स्वागत योग्य होती है और यह सभी संगठनात्मक कार्यों में नियोजित एक उपाय है।

113. 1991 के अधिनियम और नियम 1993 द्वारा वर्णित योजना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि उपराज्यपाल को सभी प्रस्तावों, बैठक के एजेंडे और लिए गए निर्णयों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। सभी निर्णयों के संचार का उद्देश्य उन्हें दिल्ली के प्रशासन के साथ अद्यतन रखना है। सभी निर्णयों का संचार उसे प्रस्तावों और निर्णयों को देखने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है ताकि वह 1991 के अधिनियम और नियम 1993 के तहत उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग

करने में सक्षम हो सके। इसके अलावा, 239 एए (4) के प्रावधान के तहत दी गई शक्ति का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब एलजी को जीएनसीटीडी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में सूचित किया जाए। एल. जी. को जी. एन. सी. टी. डी. के प्रशासन की देखरेख करने के लिए कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी निर्णयों का संचार आवश्यक है और जहां उनकी राय अलग है, वह राष्ट्रपति को संदर्भित कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, संचार का उद्देश्य निर्णय के लिए उनकी सहमति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उद्देश्य उन्हें प्रशासन के साथ अद्यतन करना है ताकि वे अनुच्छेद 239 एए उपखंड (4) के प्रावधान के तहत उन्हें दी गई अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकें। हम पहले ही देख चुके हैं कि उपखंड (4) के परंतुक में दी गई शक्तियां का प्रयोग नियमित रिति से नहीं किया जाना है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए उचित कारणों पर उपराज्यपाल द्वारा नियमित तरीके से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

114. ज्ञात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि पिछले कुछ वर्षों में अनुच्छेद 239 एए के उपखंड (4) के प्रावधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करने में उपराज्यपाल द्वारा बहुत कम मामलों को प्रेषित किए गए हैं। 1993 के नियमों का नियम 14 उप–नियम (2) संबंधित मंत्री को उपराज्यपाल को निर्णय के बारे में सूचित किए जाने के बाद परिषद के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार देता है। संचार का उद्देश्य एल. जी. को निर्णय की देखरेख और जांच करने के दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम बनाना है। हालाँकि, 1993 के नियमों में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि परिषद के निर्णयों के संचार के बाद निर्णयों को किस स्तर पर लागू किया जाना है। जैसा कि देखा गया है कि निर्णयों पर किसी सहमति की

आवश्यकता नहीं है और संचार केवल एलजी को राय तैयार करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से है कि क्या ऐसा कोई मतभेद है जिसके लिए संदर्भ की आवश्यकता हो सकती है। केवल एक उचित समय अंतराल समाप्त होना है, जो एलजी के लिए निर्णय की जांच करने के लिए पर्याप्त है। यह उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद पर निर्भर करता है कि वे प्रशासनिक निर्णयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रिया तैयार करें जिसे उपराज्यपाल द्वारा निर्णयों के बारे में सूचित किए जाने और उपराज्यपाल द्वारा "देखे जाने" के तुरंत बाद जीएनसीटीडी द्वारा बहुत अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है। जब एल. जी. ने कोई निर्णय देखा है और संदर्भ देने का निर्णय नहीं लेता है, तो निर्णय को हर तरह से लागू करना पड़ता है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि 1991 के अधिनियम और 1993 के नियमों में मंत्रिपरिषद/मंत्री द्वारा लिए गए कार्यकारी निर्णयों के संपूर्ण विस्तार, तरीके और प्रक्रिया को शामिल किया गया है और उनका संचार और कार्यान्वयन और पूरे प्रशासन को उसी के अनुसार चलाया जाना है।

115. 1993 के नियमों में प्रावधान है कि मुख्य सचिव और संबंधित विभाग के सचिव इन नियमों के सावधानीपूर्वक पालन के लिए अलग–अलग जिम्मेदार हैं और जब उनमें से कोई भी यह समझता है कि कोई भौतिक चूक हुई है, तो वह इसे प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के ध्यान में लाएगा। नियम 57 इस प्रकार हैः

“57. मुख्य सचिव और संबंधित विभाग के सचिव इन नियमों के सावधानीपूर्वक पालन के लिए अलग–अलग जिम्मेदार हैं और जब उनमें से कोई भी यह समझता है कि इन नियमों से कोई 20 तात्विक अलगाव हुआ है, तो वह

व्यक्तिगत रूप से इसे प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के ध्यान में लाएगा।"

116. 1993 के नियमों और अन्य वैधानिक प्रावधानों के पालन का कर्तव्य मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल दोनों पर है। सभी को इस तरह से काम करना होगा ताकि प्रशासन बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चल सके। राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए सभी संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय अधिनियमों और नियमों का उद्देश्य और उद्देश्य आम जनता के हित में प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाना है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का अनुभुति हो सके। जब उच्च पद धारण करने वाले व्यक्तियों को कर्तव्य सौंपा जाता है, तो यह उम्मीद की जाती है कि वे प्रशासन के सुचारू संचालन और सभी संबंधित लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करेंगे।

117. मैंने माई लॉर्ड की विस्तृत राय का अध्ययन किया है, जिससे मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश से काफी हद तक सहमत हूं, लेकिन मुद्दों के महत्व को देखते हुए, मैंने अपने निष्कर्षों के कारण बताते हुए अपने विचार लिखे हैं।

118. मैंने माननीय न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की सुविचारित और सुविचारित राय का भी अध्ययन किया है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा व्यक्त किए गए विचार काफी हद तक वही हैं जो मैंने इस निर्णय में व्यक्त किए हैं।

119. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हम उन मुद्दों पर निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो हमारे सामने आए हैं:

निष्कर्ष

I. समय की आवश्यकता और संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। संविधान निर्माताओं की मंशा, संविधान संशोधन का उद्देश्य और कारण हमेशा संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालते हैं।किसी विशेष प्रावधान की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को अपनाने के लिए नियोजित अभिव्यक्त भाषा को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

II. संसद के पास राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में एन. सी. टी. डी. के लिए कानून बनाने की शक्ति है। एन. सी. टी. डी. की विधानसभा के पास राज्य सूची (अपवादात्मक प्रविष्टियों को छोड़कर) और समवर्ती सूची में रखे गए मामलों के संबंध में विधायी शक्ति भी है।

III. कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सह–व्यापक है। विधायी शक्तियाँ विधायी अधिनियमों को प्रभावी बनाते हैं। विधान की नीति को केवल कार्यकारी तंत्र द्वारा ही प्रभावी बनाया जा सकता है।

IV. जब संविधान लागू किया गया था, तो समवर्ती सूची के संबंध में भाग सी राज्यों के संदर्भ में संघ की कार्यकारी शक्ति को बाहर नहीं रखा गया था।भाग सी

राज्यों को 7 वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।7 वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 73 के प्रावधान में आने वाले 'राज्य' शब्द को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। अनुच्छेद 73 के परंतुक में 'राज्य' शब्द के भीतर 'केंद्र शासित प्रदेश' शब्द को पढ़ना संविधान के भाग VIII (केंद्र शासित प्रदेशों) की योजना के अनुरूप नहीं होगा।

V. संघ की कार्यकारी शक्ति सूची II और III के लिए संदर्भित सभी विषयों पर सह–व्यापक है, जिन पर एन. सी. टी. डी. की विधान सभा को भी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं।

VI. अनुच्छेद 239 एए के उपखंड (4) में निर्दिष्ट मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई "सहायता और सलाह" उपराज्यपाल के लिए तब तक बाध्यकारी है जब तक कि वह अनुच्छेद 239 एए के उपखंड (4) के प्रावधान में दी गई अपनी शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय नहीं लेता है।

VII. एन. सी. टी. डी. की विधान सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उनकी राय और निर्णयों का सभी मामलों में सम्मान किया जाना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां उपराज्यपाल राष्ट्रपति को संदर्भित करने का निर्णय लेते हैं।

VIII. उपखंड (4) के प्रावधान में उपराज्यपाल को दी गई शक्ति का उपयोग नियमित तरीके से नहीं किया जाना है, बल्कि इसका उपयोग उपराज्यपाल द्वारा उचित कारणों पर उचित विचार के बाद किया जाना है, जब केंद्र शासित प्रदेश के हितों की रक्षा करना आवश्यक हो जाता है।

IX. जी. एन. सी. टी. डी. के मंत्रिपरिषद/मंत्रियों द्वारा लिए गए कार्यकारी निर्णयों के लिए, उपखंड (4) का प्रावधान एल. जी. को मंत्रियों और एल. जी. के निर्णयों के बीच मतभेद होने की स्थिति में राष्ट्रपति को संदर्भित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन संवैधानिक योजना यह नहीं बताती है कि मंत्रिपरिषद/मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए एल. जी. की सहमति की आवश्यकता होती है।

X. 1991 के अधिनियम और 1993 के नियमों द्वारा वर्णित योजना स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि उपराज्यपाल को सभी प्रस्तावों, एजेंडों और लिए गए निर्णयों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।सभी निर्णयों के संचार का उद्देश्य उन्हें दिल्ली के प्रशासन के साथ अद्यतन रखना है। सभी निर्णयों का संचार उसे पारित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है ताकि वह उपखंड (4) साथ ही 1991 के अधिनियम और 1993 के नियमों के तहत के प्रावधान के तहत उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सके। संचार का उद्देश्य एल. जी. की सहमति प्राप्त करना नहीं है।

XI. उच्च पद धारण करने वाले व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करें ताकि प्रशासन का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके ताकि सभी के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

120. हम उपरोक्त तरीके से अपने सामने उठाए गए संवैधानिक मुद्दों का जवाब देने के बाद इन मामलों को अब माननीय मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करने के बाद सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाए।